ग्राहकों से आत्मीयता के लिए विख्यात, सेवा में उत्कृष्टता के लिए कटिबद्ध

वार्षिक रिपोर्ट 2013-14
ANNUAL REPORT 2013-14

Known for closeness to customers, reaching out to serve better

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

Khan Bahadur Haji Abdullah
Haji Kasim Saheb Bahadur
Founder President

हमारा सपना Our Vision

विश्व मानकों से युक्त सबसे पसंदीदा बैंक

Most preferred Bank with Global Standards

हमारा मिशन Our Mission

विश्व श्रेणी की वित्तीय सेवाओं का प्रदाता बनना	**To become a provider of world-class financial services**
विशेषत: नवोन्मेषी तथा तकनीकी पहल द्वारा ग्राहक अपेक्षाओं को पूरा करना	**To meet customer expectations, especially through innovation and technological initiatives**
समावेशी बैंकिंग में अपना नेतृत्व बनाए रखना	**To maintain leadership in inclusive banking**
हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना	**To enhance stakeholders' value**
राष्ट्रीय तथा सामाजिक दायित्वों को पूरा करना	**To fulfill national and social obligations**
ऐसे माहौल का निर्माण करना जो कर्मचारियों को बौद्धिक संतुष्टि व पेशागत उपलब्धियाँ दे	**To create an environment, intellectually satisfying and professionally rewarding to the employees**
नैतिक मूल्यों तथा अच्छे कार्पोरेट अभिशासन के लिए आदर्श मॉडल के रूप में उभरना	**To emerge as a role model for ethical values and good Corporate Governance**

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री एस आर बंसल
Shri S R Bansal

श्री अमर लाल दौलतानी
Shri Amar Lal Daultani

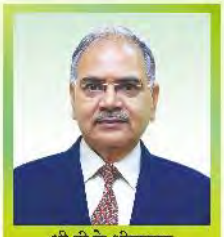

श्री बी के श्रीवास्तव
Shri B K Srivastav

सुश्री एना रॉय
Ms. Anna Roy

श्री मनीष गुप्ता
Shri Manish Gupta
(Vice Mrs. Anna Roy effective 16.04.2014)

श्री यू एस पालीवाल
Shri U S Paliwal

श्री सुशोभन सरकेर
Shri Sushobhan Sarker

श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय
Shri Kawaljit Singh Oberoi

श्री एस शब्बीर पाशा
Shri S Shabbeer Pasha

श्री विन्सेंट डि'सूज़ा
Shri Vincent D'Souza

श्री एकनाथ बालिगा
Shri Ekanath Baliga

श्री बोनम वेंकट भास्कर
Shri Bonam Venkata Bhaskar

श्री आदीश कुमार जैन
Shri Adish Kuamr Jain

महा प्रबंधकगण
GENERAL MANAGERS

श्री सी. जी. पिन्टो
Shri C G Pinto

श्री बी. नारायण शेणै
Shri B Narayan Shenoy

श्री. के. गिरिधर शेणै
Shri K Giridhar Shenoy

श्री पी. आर. कारंत
Shri P R Karanth

श्री के. वी. राघव कामत
Shri K V Raghava Kamath

सुश्री स्वाति एस. एम.
Ms Swathi S M

श्री वसंत किणि यू.
Shri Vasant Kini U

श्री तेजप्पा बी.बी.
Shri Tejappa B B

श्री के. एस. सोमयाजी
Shri K S Somayaji (CVO)

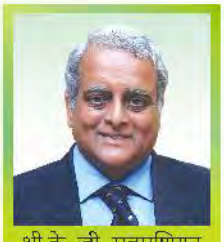

श्री के. जी. सुब्रमणियन
Shri K G Subramanian

श्री एन. बी. कुलशेखरन
Shri N B Kulasekaran

श्री तंगराजु वी
Shri Thangaraju V

श्री पी. परमशिवम
Shri P Paramasivam

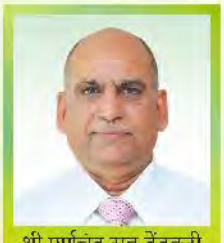

श्री पूर्णचंद्र राव देंदुकुरी
Shri Purnachandra Rao Dendukuri

श्री अजित प्रकाश मल्होला
Shri Ajit Parkash Malhotra

श्री वी. एस. कार्तिकेयन
Shri V S Karthikeyan

श्री लक्ष्मीनाथ रेड्डी
Shri Lakshminatha Reddy

श्री सी. के. गोपाल
Shri C K Gopal

श्री आर. नटराजन
Shri R Natarajan

श्री जी. गुरुहरिनाथ राव
Shri G Guruharinadha Rao

विभिन्न क्षेत्रों को किए गए वित्त पोषण की झलक
GLIMPSES OF FINANCE MADE TO VARIOUS SECTORS

बैंगलूर ग्रामीण ज़िले में हमारी डोड्डबल्लापुर शाख़ा द्वारा वित्तपोषित पॉली हाउस वातावरण में बागवानी (जरबेरा) उद्यान

A Floriculture (Gerbera) Farm set up under Poly House conditions financed by our Doddaballapur branch in Bangalore Rural District

बैंक द्वारा वित्तपोषित महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य अपने खातों से पैसा निकालने हेतु उपयोग करने के लिए उन्हें जारी स्मार्ट कार्ड प्रदर्शित करते हुए

A Self Help group of women financed by the Bank holding the Smart Cards issued to them for use while with drawing amounts from their accounts

कृषक परिवार बेंगलूर के बाज़ार में बिक्री हेतु जरबेरा फूलों को प्रसंस्कृत करते हुए

Gerbera flowers being processed for sale in Bangalore Market by the farming families

चिकमगलूर में बैंक द्वारा स्थापित कार्पोरेशन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान में सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम

A Tailoring training programme in progress at the Corporation Bank Self Employment Training Institute (COBSETI) set up by the Bank in Chikmagalur.

कोलार ज़िले में हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित अंगूर उद्यान में एक प्रगतिशील कृषक

A progressive farmer in his Grape Garden financed by our Bank in Kolar district

वित्तीय समावेशन बैंक द्वारा नियुक्त बिज़नेस करेस्पॉडेंट माइक्रो-एटीएम से ग्रामीण जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हुए

Financial Inclusion-A Business Corresoondent appointed by the Bank with a Micro-ATM extending Banking services to people in a village

मैसूर ज़िले में बैंक द्वारा वित्तपोषित कोको बागानों में कृषक कोको की फसल तोड़ रहे हैं

Coco harvesting by the farmer in a Coco plantation financed by the Bank in Mysore District

हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित गेहूँ कृषक हितधिकारी पंजाब में यांत्रिक गेहूँ हार्वेस्टर एवं थ्रेशर का उपयोग करते हुए

Wheat farmer beneficiaries of finance extended by our Bank using mechanized Wheat harvester cum thresher in Punjab

पुरस्कार एवं सम्मान
AWARDS & ACCOLADES

श्री एस.आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्पोरेशन बैंक, भारत के माननीय प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह से 2012-13 के लिए एमएसएमई उधार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

Shri S R Bansal, Chairman & Managing Director of Corporation Bank receiving the prestigious National Awards for Excellence in MSME lending for 2012 - 13 from Dr. Manmohan Singh, the Hon'ble Prime Minister of India

श्री एस.आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्पोरेशन बैंक मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में नैशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष पद्मभूषण डॉ. रघुनाथ ए माशेलकर से "बैंकिंग में मोबिलिटी टेक्नॉलॉजी के उत्तम उपयोग" हेतु आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलॉजी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

Shri S R Bansal, Chairman & Managing Director of the Bank receiving the IBA Banking Technology Award 2012-13 for "Best Use of Mobility Technology in Banking" from Padma Bhushan Dr. Raghunath A Mashelkar, Chairman, National Innovation Foundation at the award function held at Mumbai.

श्री एस.आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्पोरेशन बैंक योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया से वर्ष 2014 के दौरान एसएमई को समर्थन देने में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए स्कॉच कंसलटेन्सी सर्विसेस प्रा. लि. द्वारा संस्थापित स्कॉच एचीवर अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं।

Shri S R Bansal, Chairman & Managing Director of the Bank receiving Skoch Achiever Award for Outstanding Performance in SME Enablement during 2014 instituted by SKOCH Consultancy Services Pvt. Ltd. from Shri Montek Singh Ahluwalia, Deputy Chairman, Planning Commission

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2013-2014

विषय-सूची CONTENTS

	विवरण Particulars	पृष्ठ सं Page No.
1.	बैंक के गत दस वर्ष के निष्पादन की विशिष्टताएं Performance Highlights for the Last 10 Years	02
2.	अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Statement	03
3.	सूचना Notice	11
4.	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	21
5.	प्रबंधन-वर्ग का विवेचन एवं विश्लेषण Management Discussion & Analysis	32
6.	कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	65
7.	तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	119
8.	समेकित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा Consolidated Balance Sheet and Profit & Loss Account	181
9.	कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. (अनुषंगी कंपनी) के लेखे Accounts of CorpBank Securities Ltd. (Subsidiary Company)	215
10.	नामांकन फार्म Nomination Form	241
11.	एनईसीएस अधिदेश NECS Mandate	243
12.	प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	245

मुख्य वित्तीय अधिकारी
सी. जी. पिन्टो

Chief Financial Officer
C.G. Pinto

कंपनी सचिव
एस. के. दाश

Company Secretary
S. K. Dash

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक

मेसर्स सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स	M/s. Suresh Chandra & Associates
मेसर्स बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.	M/s. B.K. Ramadhyani & Co.
मेसर्स नृपेन्द्र एण्ड कं.	M/s. Nripendra & Co.
मेसर्स जीएमजे एण्ड कं.	M/s. GMJ & Co.
मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स	M/s. Manohar Chowdhry & Associates

Statutory Central Auditors

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
प्लॉट सं. 17-24
विठ्ठल राव नगर
माधापुर
हैदराबाद - 500 081
दूरभाष: 040-44655115
040-44655117
फैक्स: 040-44655021
टोल फ्री सं. 1-800-3454-001
ई-मेल: einward.ris@karvy.com

Registrar & Share Transfer Agent
Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Plot No. 17-24
Vittal Rao Nagar
Madhapur
Hyderabad – 500 081
Tel: 040-44655115
040-44655117
Fax: 040-44655021
Toll Free No. 1-800-3454-001
E-mail: einward.ris@karvy.com

बैंक द्वारा जारी बाँड के लिए ट्रस्टी Trustees for Bond issued by Bank:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, निचला तल
17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट
मुबई - 400 001
दूरभाष : 022-40807000
फैक्स : 022-66311776/40807080
ईमेल : itsl@idbitrustee.co.in;
ajit.guruji@idbitrustee.com
वेबसाइट : http://www.idbitrustee.co.in

IDBI Trusteeship Services Limited
Asian Building, Ground Floor
17, R.Kamani Marg, Ballard Estate
MUMBAI – 400 001
Ph : 022 – 40807000
Fax : 022-66311776/40807080
Email : itsl@idbitrustee.co.in;
ajit.guruji@idbitrustee.com
Website : http://www.idbitrustee.co.in

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
एक्सिस हाउस, दूसरा तल
बांबे डाइंग मिल्स कांपाउंड
पाण्डुरंग बुधकर मार्ग
वर्ली, मुंबई - 400 025
दूरभाष : 022-24252525/43252525
ईमेल : jaideep.maheshwari@axistrustee.com
वेबसाइट : www.axistrustee.com

Axis Trustee Services Ltd.
Axis House, 2nd Floor
Bombay Dyeing Mills Compound
Pandurang Budhkar Marg
Worli, Mumbai – 400 025
Ph : 022-24252525/43252525
Email : jaideep.maheshwari@axistrustee.com
Website : www.axistrustee.com

वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक बैंक का निष्पादन
Bank's Performance from 2004-05 to 2013-14

(राशि ₹ करोड़ में Amount ₹ in crore)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजी Capital	143.44	143.44	143.44	143.44	143.44	143.44	148.13	148.13	152.91	167.54
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves & Surplus	2911.48	3231.45	3622.01	4085.07	4753.07	5631.43	6989.68	8127.80	9412.78	9917.56
कारोबार मानदंड Business Parameters										
जमाराशियाँ Deposits	27233.16	32876.53	42356.89	55424.42	73983.91	92733.67	116747.50	136142.20	166005.45	193393.01
अग्रिम Advances	18546.38	23962.43	29949.65	39185.57	48512.16	63202.56	86850.40	100469.02	118716.65	137086.30
निवेश Investments	10261.11	10651.99	14417.49	16512.38	24937.77	34522.63	43452.74	47474.63	58164.49	66191.21
कुल आय Total Income	2814.37	3100.93	3996.00	5216.33	7174.57	8481.03	10459.62	14510.40	16942.02	19606.29
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	1120.42	1399.66	2052.37	3073.24	4376.37	5084.35	6195.51	9870.89	11908.23	14174.88
परिचालन व्यय Operating Expenses	636.97	746.75	803.59	891.95	1001.58	1259.95	1641.71	1783.55	1996.78	2392.01
परिचालन लाभ Operating Profit	1056.98	953.62	1140.04	1251.14	1796.61	2136.73	2622.40	2855.97	3037.01	3039.40
निवल लाभ Net Profit	402.16	444.46	536.14	734.99	892.77	1170.25	1413.27	1506.04	1434.67	561.72
मुख्य अनुपात Key Ratios										
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) Capital Adequacy Ratio (%)	16.23	13.92	12.76	12.09	13.66	15.00	#12.90 ##14.11	#11.94 ##13.00	#11.38 ##12.33	##12.21 ###11.64
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (%) Return on Average Assets (%)	1.40	1.29	1.26	1.38	1.28	1.28	1.21	1.06	0.88	0.29
ईक्विटी पर प्रतिलाभ (%) Return on Equity (%)	13.16	13.17	14.24	17.38	18.23	20.26	20.70	18.20	16.27	5.72
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings per Share (₹)	28.04	30.99	37.38	51.24	62.24	81.58	98.50	101.67	96.74	35.75
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	212.98	235.28	262.51	294.79	341.36	402.60	497.62	558.69	645.76	601.95
औसत कार्यशील निधियों में एनआईएम NIM to Average Working Funds	3.94	3.56	3.24	2.71	2.26	2.41	2.85	2.48	2.29	2.10
कुल आय में ब्याजेतर आय (%) Non-interest income to total income (%)	20.06	17.87	15.90	13.42	17.06	16.95	12.09	10.29	9.49	8.40
सकल अग्रिमों में सकल एनपीए (%) Gross NPA to Gross Advances (%)	3.41	2.56	2.05	1.47	1.14	1.02	0.91	1.26	1.72	3.42
निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) Net NPA to Net Advances (%)	1.12	0.64	0.47	0.32	0.29	0.31	0.46	0.87	1.19	2.32
लाभांश Dividend (₹)	6.50	7.00	9.00	10.50	12.50	16.50	20.00	20.50	19.00	4.50 * 2.25**

\# बेसल I के अनुसार As per Basel I.
\## बेसल II के अनुसार As per Basel II.
\### बेसल III के अनुसार As per Basel III.

* 31.01.2014 को प्रदत्त अंतरिम लाभांश / Interim Dividend paid on 31.01.2014.
** संस्तुत अंतिम लाभांश / Final Dividend recommended.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से

प्रिय शेयरधारको,

1. आपके बैंक की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूँगा कि वर्ष 2013-14 में अन्य बातों के साथ-साथ, मंद आर्थिक स्थिति के चलते वृद्धि और लाभप्रदता को बनाए रखना बैंक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि आपके बैंक ने कारोबार, राजस्व और ग्राहक आधार के विस्तार में स्वस्थ वृद्धि प्राप्त करने में संतोषजनक निष्पादन किया है। जिस दिन से मैंने कार्यग्रहण किया, उस दिन से ही मैं बैंक की समग्र कारोबार वृद्धि के लिए निम्नलिखित पाँच महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता रहा हूँ।

   i. प्रत्येक खाते की निगरानी और गैर-निष्पादक एनपीए की वसूली
   ii. बैंक के कासा हिस्से को बढ़ाने के लिए कासा जमाराशियों को संग्रहीत करना
   iii. कृषि, खुदरा और एमएसएमई पर ध्यान केन्द्रित करते हुए गुणवत्तापूर्ण ऋण संवृद्धि करना
   iv. शाखा एवं एटीएम नेटवर्क तथा अन्य वैकल्पिक डेलिवरी चैनलों में विस्तार
   v. नए ग्राहकों को लाना, खास तौर पर अगली पीढ़ी को बैंक का ग्राहक बनाना

   अब मैं, देश के आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य तथा आपके बैंक के निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ।

2. आर्थिक परिदृश्य

2.1 विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्त वर्ष 2013-14 काफी

FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

1. I am placing before you the Annual Report of your Bank for the financial year 2013-14. At the outset I would like to state that the year 2013-14 was a most challenging year for the bank to sustain growth and profitability inter-alia in the backdrop of subdued economic situation. I am sure, you will appreciate that your Bank has done fairly well in achieving healthy growth in business, revenues and customer base. From the day I assumed office, I have been emphasizing on the need to focus on the following five important aspects for the overall business growth of the Bank :

   i. Monitoring of each account and recovery of NPAs.
   ii. Mobilising CASA deposits to increase CASA share of the Bank
   iii. Quality credit growth with focus on Agriculture, Retail and MSME
   iv. Expansion of branches and ATMs and other alternative delivery channels and
   v. Customer acquisition with focus on nextgen customers.

   Let me, now, share with you in brief, the Indian Economic and Banking scenario and salient features of your Bank's performance.

2. Economic Scenario

2.1 For economies across the globe, financial year 2013-14 has been a very challenging one. As per the latest World

चुनौतीपूर्ण रहा है। आईएमएफ के नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार वर्ष 2013 के पूर्वार्ध के मुकाबले वर्ष के उत्तरार्ध में विश्व आर्थिक गतिविधि तेज़ हुई और 2014-15 में, मुख्य तौर पर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पुनरुत्थान के कारण इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। वर्ष 2014 में वैश्विक वृद्धि 3.6% रहने का अनुमान है तथा वर्ष 2015 में इसके 3.9% तक बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन, अमेरीका में मात्रात्मक शिथिलता को वर्तमान में क्रमिक रूप से कम करना, सतत अवस्फीतिकारी चिंताएं और यूरो क्षेत्र में कमज़ोर तुलन-पत्र तथा उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्फीतिकारी दबाव प्रगति-पथ को बाधित कर सकते हैं।

2.2 घरेलू क्षेत्र में, वैश्विक घटनाक्रम और घरेलू बाधाओं को प्रतिबिंबित करते हुए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारत की वृद्धि में नरमी देखी गई जबकि मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर जमी हुई है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का सकल घरेलू अनुपात (जीडीपी) वर्ष 2012-13 के 4.5% की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए 4.9% के थोड़े उच्च स्तर पर रहने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन है।

2.3 खास तौर पर विनिर्माण क्षेत्र में फीके प्रदर्शन के कारण औद्योगिक क्रियाकलाप चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले वर्ष की 1.1% की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-मार्च 2013-14 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 0.1% की नकारात्मक वृद्धि देखी गई। दो वर्षों से वृद्धि में यह मंदी निवेश और उपभोग माँग में शिथिलता दर्शाती है। इसके कारण चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत माल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया है। सेवा क्षेत्र का निष्पादन, जिसका हमारी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान रहता है, कमज़ोर बना रहा और इससे वित्त वर्ष 14 में समग्र आर्थिक वृद्धि प्रभावित होने की आशंका है।

2.4 सकारात्मक पक्ष देखें तो वित्त वर्ष के अंत में सुधरती बाह्य स्थितियों और मुद्रास्फीति के आंकड़ों में नरमी से बाज़ार के रुख में तेज़ी आई। वर्ष 2012-13 में 4.8% के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुँचने के बाद चालू खाता घाटा तेज़ी से घटता जा रहा है और वर्ष 2013-14 में जीडीपी के 2% के करीब रहने की उम्मीद है। कम सीएडी और विदेशी विनिमय आरक्षित निधियों के संग्रह से मुद्रा पर अधोमुखी दबाव और भारतीय रुपये में अस्थिरता कम होने लगी।

2.5 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में मुख्य रूप से खाद्य मूल्यों में भारी नरमी के कारण 2013-14 की चौथी तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति में कमी हुई। लेकिन खाद्य और ईंधन समूह को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति के आंकड़े अब भी उच्च स्तरों पर हैं।

Economic Outlook of IMF, compared to the first half of 2013, the Global economic activity strengthened during the second half and is expected to improve further in 2014-15, largely on account of recovery in the advanced economies. Global growth is now projected to be at around 3.6% in 2014, and expected to rise to 3.9% in 2015. However, downside risks to growth trajectory arise from ongoing tapering of quantitative easing in the US, continuing deflation concerns and weak balance sheets in the Euro area as well as inflationary pressures in the emerging market and developing economies.

2.2 On the domestic front, India's growth has seen moderation in the last three financial years, reflecting global developments and domestic constraints, while inflation remains stubbornly high. As per the advance estimate of Central Statistical Organization (CSO) India's Gross Domestic Product (GDP) for 2013-14 is estimated slightly higher at 4.9% as compared to 4.5% in 2012-13, mainly on account of improved performance in agriculture and allied sectors.

2.3 Industrial activity remained a cause of concern, mainly on account of lackluster performance of the manufacturing sector. The Index of Industrial Production (IIP) showed negative growth of 0.1% during April-March 2013-14, compared with 1.1% growth in the previous year. This stagnation in growth over two years reflects subdued investment and consumption demand. This has resulted in contraction in production of capital goods and consumer durables in the current year. The performance of services sector, which is the biggest contributor to our GDP, continued to be weak and is expected to impact the overall economic growth in FY14.

2.4 On the positive side, improving external conditions and a moderation in inflation numbers towards the end of the financial year improved market sentiments. The current account deficit, after reaching a record high of 4.8% in 2012-13, is narrowing fast, and is expected to be close to 2% of GDP in 2013-14. With a lower CAD and build-up of foreign exchange reserves, the downward pressure on the currency and the volatility in the Indian Rupee began to subside.

2.5 As far as inflation is concerned, both Wholesale Price Index (WPI) and Consumer Price Index (CPI) moderated during the 4th quarter of 2013-14 mainly on account of the substantial easing in food prices. However, excluding food and fuel group, the core inflation numbers are still at higher levels.

2.6 मुद्रास्फीति का दबाव कम होने, चालू खाता घाटे में तीव्र कमी, बड़े पूँजीगत अंतर्वाह और रुपया मज़बूत होने के कारण घरेलू परिदृश्य बेहतर हुआ, जिससे सुधारों में तेज़ी आ सकती है। लेकिन, मुख्य संकेतक उद्योग और सेवा क्षेत्र में अब भी कोई सतत सुधार के कोई संकेत नहीं देते हैं और कृषि क्षेत्र में संभावना समय पर मानसून के आने पर टिकी हुई है। वर्तमान परिदृश्य के आधार पर वित्त वर्ष 15 में आर्थिक वृद्धि वित्त वर्ष 14 की तुलना में थोड़ी सी बेहतर होने की उम्मीद है।

2.7 बैंकिंग क्षेत्र में, समष्टि आर्थिक परिदृश्य में लगातार दबाव से अनेक चुनौतियाँ पैदा हुईं, अर्थात् कम ऋण संवृद्धि, उच्च ब्याज दरें, निवेश की माँग में गिरावट, अर्जन में मंद वृद्धि तथा बढ़ते अशोध्य एवं पुनर्संरचित ऋण। बैंकिंग प्रणाली की ऋण संवृद्धि उसकी जमा संवृद्धि से कम रही। इसका मुख्य कारण वित्त वर्ष 14 के दौरान मंद आर्थिक संवृद्धि और उच्च ब्याज दरें हैं। बैंकिंग उद्योग में आस्ति गुणवत्ता को लेकर भी चिंताएं रहीं। उच्च एनपीए और ऋणों की पुनर्संरचना के कारण अधिक प्रावधान ने बैंकिंग क्षेत्र में काफी दबाव डाला। प्रावधान अपेक्षाओं में वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र में लाभप्रदता को सीधे प्रभावित करती है। लेकिन, देश की आर्थिक वृद्धि में मामूली सुधार और वित्त वर्ष 15 के दौरान भा.रि.बैं. द्वारा नीतिगत दरों में अधोमुखी संशोधन से आनेवाले दिनों में बैंकिंग उद्योग के निष्पादन में सुधार हो सकता है।

2.8 चूनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद, बैंक ने कारोबार मानदंडों के अंतर्गत बेहतर निष्पादन दर्शाना जारी रखा। बैंक 16% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹3.30 लाख करोड़ के कारोबार स्तर तक पहुँच गया। बैंक की जमाराशियाँ ₹1.93 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गईं जबकि समग्र ऋण ₹1.37 लाख करोड़ तक बढ़ गया। बैंक ने कृषि, एमएसएमई और खुदरा ऋण में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में बैंक एएनबीसी के 40% के विनियामक लक्ष्य को भी प्राप्त कर सका है। इसके अलावा, बैंक ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने और वृद्धि की गति को तेज़ करने के लिए विभिन्न अभिनव उत्पाद/सेवाएं भी लेकर आया। बैंक ने शाखा नेटवर्क में 2000 और एटीएम नेटवर्क में 2000 के कीर्तिमान को भी पार किया है।

3. निष्पादन विशिष्टताएं

2013-14 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य विशिष्टताएं निम्नवत् हैं:

2.6 The domestic outlook has improved on account of easing inflationary pressures, sharp reduction in current account deficit, large capital inflows and strengthening of the Rupee, which could lead to faster reforms. However, lead indicators do not point to any sustained revival in industry and services as yet, and the outlook for the agricultural sector is contingent upon the timely arrival and spread of the monsoon. Based on the present scenario, the economic growth in FY15 is expected to be moderately better than FY14.

2.7 On the banking front, sustained stresses in the macroeconomic environment gave rise to several challenges, viz. lower credit growth, higher interest rates, fall in investment demand, subdued growth in earnings, as well as rising bad and restructured loans. Banking system's credit growth remained below its deposit growth, mainly due to the slow economic growth and high interest rates which prevailed during FY14. There have also been concerns on asset quality across the banking industry. Higher NPAs and resultant increase in provisioning for restructuring of loans put significant pressure on the banking sector. The increase in provisioning requirements directly impacts the profitability of the banking sector. The performance of the banking industry may, however, improve in the coming quarters due to a moderate pick-up in country's economic growth and a possible downward revision in the policy rates by RBI in FY15.

2.8 In spite of the challenging environment, the Bank continued to show a better performance under business parameters. The Bank has reached a business level of over ₹3.30 lakh crore, by registering a growth of 16%. Deposits of the Bank crossed a level of ₹1.93 lakh crore, while overall credit scaled up to ₹1.37 lakh crore. The Bank has registered a healthy growth in agriculture, MSME & retail lending. The Bank could also achieve the regulatory target of 40% of ANBC in Priority sector lending. Besides, the Bank has also come out with various innovative products/ services to give a better customer experience and accelerate our pace of growth. The Bank has crossed a landmark Branch Network of 2000 and ATM Network of 2000.

3. Performance Highlights

The major highlights of your Bank's performance during 2013-14 are :

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

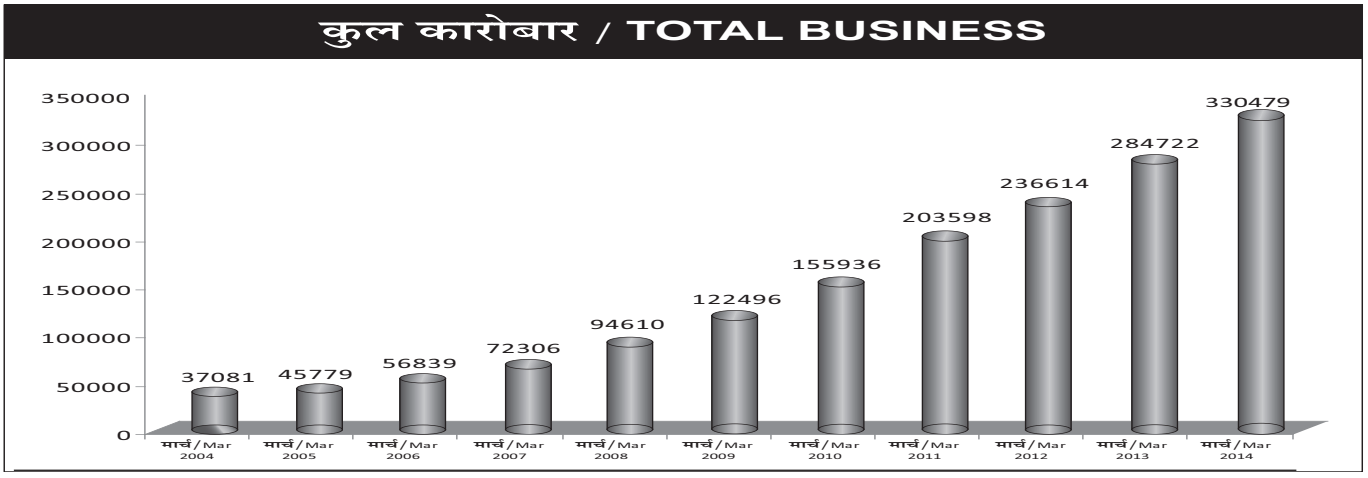

3.1 कारोबार वृद्धि

3.1.1 बैंक का कुल कारोबार मार्च 2013 के ₹2,84,722 करोड़ के स्तर से 16.07% की वृद्धि दर से ₹45,757 करोड़ बढ़ते हुए 31 मार्च, 2014 को ₹3.30 लाख करोड़ के कीर्तिमान स्तर को पार करते हुए ₹3,30,479 करोड़ तक पहुँच गया।

3.1.2 कुल जमाराशियाँ 16.50% की बढ़त से ₹1,93,393 करोड़ तक पहुँच गईं और कुल अग्रिम 15.47% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1,37,086 करोड़ तक पहुँच गए।

3.1.3 वर्ष के दौरान बैंक ने कृषि, एसएमई और खुदरा सेग्मेंट पर ध्यान केन्द्रित किया। जहाँ एक ओर कृषि को ऋण 38.86% की दर से बढ़ते हुए ₹13,144 करोड़ तक पहुँच गए, वहीं एसएमई सेग्मेंट को अग्रिम 27.16% की दर से बढ़ते हुए ₹24,818 करोड़ तक पहुँच गए। खुदरा ऋण 15.4% बढ़ते हुए ₹29,026 करोड़ तक पहुँच गया।

3.1.4 ऋण-जमा अनुपात (सीडी अनुपात) 70.88% रहा।

3.1.5 बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कमज़ोर वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक समुदायों को वित्त पोषित करने में विनियामक लक्ष्यों को प्राप्त किया है। 31.03.2014 को ₹48,560 करोड़ के स्तर पर बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40% के भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड के मुकाबले एएनबीसी का 40.91% रहा। बैंक का प्रत्यक्ष कृषि ऋण विशेष कृषि ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत निर्धारित ₹8,500 करोड़ के संवितरण लक्ष्य को पार करते हुए ₹9,958 करोड़ के स्तर पर रहा। 31.03.2014 को कमज़ोर वर्ग को बैंक के अग्रिम ₹12,183 करोड़ रहा जो एएनबीसी के 10% के विनियामक मानदंड को पार करते हुए एएनबीसी का 10.26% रहा। 31.03.2014 को महिला हिताधिकारियों को वित्त ₹7,039 करोड़ रहा जो एएनबीसी के 5% के विनियामक मानदंड के मुकाबले एएनबीसी का 5.93% है। अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण ₹7,785 करोड़ के स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 16.03% है।

3.1 Business growth

3.1.1 The Total Business of the Bank, crossed a milestone figure of ₹3.30 lakh crore as on 31st March, 2014, to reach ₹3,30,479 crore, registering an absolute growth of ₹45,757 crore at a growth rate of 16.07%, over March 2013 level of ₹2,84,722 crore.

3.1.2 The Total Deposits has grown by 16.50% to reach ₹1,93,393 crore and the Total Advances reached ₹1,37,086 crore registering a growth of 15.47%.

3.1.3 During the year, the Bank focused on lending to Agriculture, SMEs and Retail segment. While credit to Agriculture increased by 38.86% to reach ₹13,144 crore, Advances to SME segment improved by 27.16% to ₹24,818 crore. The Retail credit increased by 15.4% to reach ₹29,026 crore.

3.1.4 The Credit-Deposit ratio (CD ratio) stood at 70.88%.

3.1.5 Bank achieved the regulatory targets in financing to priority sector, weaker section, woman and minority communities. The Priority Sector Advances of the Bank at ₹48,560 crore as on 31.03.2014, stood at 40.91% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the RBI Norm of 40% of ANBC. Bank's Direct Agriculture Credit of ₹9,958 crore surpassed the disbursement target of ₹8,500 crore fixed under Special Agriculture Credit Plan 2013-14. The Bank's Advances to Weaker Sections stood at ₹12,183 crore as at 31.03.2014 forming 10.26% of ANBC, surpassing the regulatory norm of 10% of ANBC. Finance to Women beneficiaries at ₹7,039 crore as on 31.03.2014, stood at 5.93% of ANBC as against the regulatory norm of 5% of ANBC. Credit to minority communities at ₹7,785 crore constituted 16.03% of Priority sector Advances.

3.1.6 बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र पर प्रधान मंत्री कार्यबल द्वारा निर्धारित तीन विनियामक मानदंडों में से दो प्राप्त किए हैं। एमएसई को बैंक का ऋण प्रवाह में भा.रि.बैं./वित्त मंत्रालय के 20% के लक्ष्य के मुकाबले 28.35% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में बैंक ने भा.रि.बैं./वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट 10% के मुकाबले 28.27% की वृद्धि प्राप्त की है।

3.1.7 मानक आस्तियाँ बैंक ऋण के 96.58% हैं।

3.1.8 समग्र निवेश पिछले वर्ष के ₹58,295.18 करोड़ के मुकाबले ₹66,698.61 करोड़ रहा।

3.2 लाभप्रदता

3.1.6 Bank has achieved two out of the three regulatory parameters prescribed by the Prime Minister's Task Force on MSME sector. Bank's Credit flow to MSE recorded a Y-O-Y growth of 28.35% as against RBI/Ministry of Finance Target of 20%. The Bank has achieved 28.27% growth in Number of Micro Enterprise accounts as against the RBI/MOF norm of 10%.

3.1.7 The Standard Assets constituted 96.58% of the Bank Credit.

3.1.8 The aggregate investments stood at ₹66,698.61 crore, as against ₹58,295.18 crore in the previous year.

3.2 Profitability

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

परिचालन लाभ व निवल लाभ/Operating Profit & Net Profit

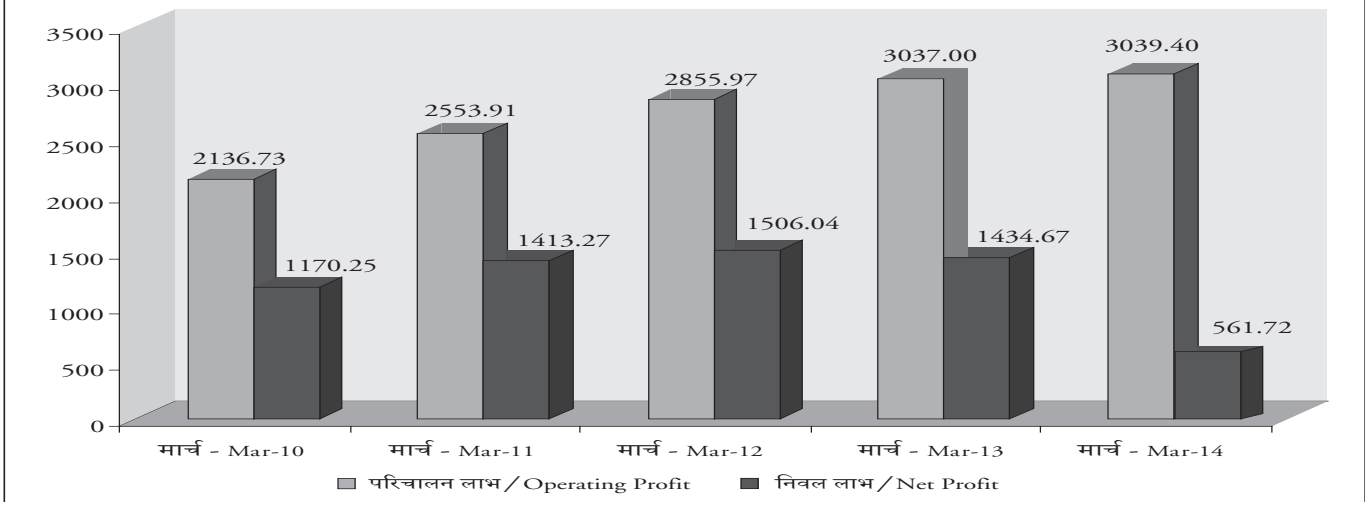

3.2.1 बैंक की कुल आय ₹2,664.27 करोड़ (15.73%) बढ़ते हुए ₹19,606.29 करोड़ तक पहुँच गई।

3.2.2 परिचालन लाभ 31.03.2013 के ₹3,037.00 करोड़ से मामूली वृद्धि के साथ ₹3039.40 करोड़ तक पहुँच गया।

3.2.3 वर्ष के दौरान प्रावधानों में मार्च 2013 के ₹1,602.33 करोड़ से 54.63% की वृद्धि के साथ मार्च 2014 में ₹2,477.68 करोड़ तक बढ़ने के कारण बैंक ने 31.03.2013 के ₹1,434.67 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को ₹561.72 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया।

3.3 बेसल II के अंतर्गत बैंक का सीआरएआर 12.21% के संतोषजनक स्तर पर रहा और बेसल III के अंतर्गत यह 11.64% रहा।

3.3.1 बैंक की निवल मालियत पिछले वर्ष के ₹9,566 करोड़ के मुकाबले ₹10,000 करोड़ के कीर्तिमान को पार करते हुए ₹10,085 करोड़ के स्तर पर रही।

3.2.1 The Total Income of the Bank increased by ₹2,664.27 crore (15.73%) to reach ₹19,606.29 crore.

3.2.2 The Operating Profit marginally increased from ₹3,037.00 crore as on 31.03.2013 to ₹3039.40 crore.

3.2.3 Due to increase in provisions during the year, from ₹1,602.33 crore as on March 2013 to ₹2,477.68 crore as on March 2014, by 54.63%, the Bank posted a Net Profit of ₹561.72 crore as on 31.03.2014 as against ₹1,434.67 crore as on 31.03.2013.

3.3 The Bank's CRAR under Basel II stood at a comfortable level of 12.21% and under Basel III it stood at 11.64%.

3.3.1 The Bank's Networth also crossed ₹10,000 crore mark and reached a level of ₹10,085 crore as against ₹9,566 crore last year.

3.3.2 ईक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) 5.72% और औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओएए) 0.29% है।

3.3.3 लागत में आय अनुपात 44.04% है।

3.3.4 निवल ब्याज आय, अर्थात् ब्याज आय और व्यय किए गए ब्याज के बीच का अंतर है, 10.45% की दर से ₹3,783.69 करोड़ तक बढ़ गई। निवल ब्याज मार्जिन 2.10% है।

3.4 प्रति शेयर अर्जन ₹35.75 रहा और प्रति शेयर बही मूल्य ₹601.95 रहा।

3.5 सकल एनपीए 3.42% रहा और निवल एनपीए 2.32% रहा। बैंक ने गत वर्ष के ₹1,509.30 करोड़ की तुलना में ₹1,355.53 करोड़ एनपीए की नकद वसूली और उन्नयन किया है।

3.6 स्टाफ उत्पादकता में वृद्धि दर्ज हुई है। प्रति कर्मचारी कारोबार ₹19.22 करोड़ से ₹19.33 करोड़ तक बढ़ गया, प्रति कर्मचारी निवल लाभ ₹3.29 लाख के स्तर पर रहा तथा प्रति शाखा कारोबार ₹163.52 करोड़ रहा।

3.7 बैंक का यह दृढ़ विश्वास है कि नए ग्राहकों को पाना और वर्तमान ग्राहकों से संबंधों को पुष्ट करने से ही उसे अपने कारोबार विस्तार में मदद मिलेगी। वर्ष के दौरान बैंक के ग्राहक आधार में 23.92 लाख की वृद्धि हुई।

3.8 **सेवा आउटलेट:** बैंक के कुल सेवा आउटलेट 8,600 के स्तर को पार करते हुए 8,617 इकाइयों तक पहुँच गए हैं जिनमें 2,021 शाखाएं, 2,264 एटीएम और 4,332 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें से 314 शाखाएं, 839 एटीएम और 787 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयाँ वर्ष के दौरान परिचालित की गई थीं।

3.9 वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बैंक मानक स्थापित करता रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान 787 गाँवों को बैंकिंग संरचना उपलब्ध कराई गई जिससे ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए गए गाँवों की कुल संख्या 4,332 हो गई। बैंक ने वर्ष के दौरान 3.98 लाख सरल 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाते' खोले जिससे कुल खातों की संख्या 21.26 लाख हो गई जिनमें शेषराशि ₹157.46 करोड़ रही। 2013-14 से 2015-16 तक तीन वर्षों की वित्तीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों की एसएलबीसी द्वारा बैंक को आबंटित 1,562 गाँवों में बैंक 31.03.2014 तक 1,075 गाँवों (1,067 गाँव बीसी मॉडल द्वारा और 8 गाँवों में शाखा मॉडल द्वारा) बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। शेष गाँवों को 2014-15 के दौरान कवर किया जाएगा, इस प्रकार लक्ष्य के एक वर्ष पहले ही सभी शाखाओं को कवर किया जाएगा। बैंक ने 7 राज्यों और 114 शहरी स्थानों में शहरी वित्तीय समावेशन भी कार्यान्वित किया है।

3.3.2 Return on Equity (ROE) works out to 5.72% and the Return on Average Assets (ROAA) is at 0.29%.

3.3.3 The Cost to Income Ratio was at 44.04%.

3.3.4 The Net Interest Income i.e. the difference between the Interest income and Interest expended, increased by 10.45% to ₹3,783.69 crore. The Net Interest Margin works out to 2.10%.

3.4 Earnings per Share stood at ₹35.75 and the Book Value per Share was at ₹601.95.

3.5 The Gross NPA stood at 3.42% and the Net NPA stood at 2.32%. The Bank has effected Cash recovery and up-gradation of NPAs to the extent of ₹1,355.53 crore as compared to ₹1,509.30 crore last year.

3.6 The Staff Productivity has recorded an improvement. The Business per Employee moved up from ₹19.22 crore to ₹19.33 crore. Net Profit per Employee was at ₹3.29 lakh and Business per Branch stood at ₹163.52crore.

3.7 The Bank firmly believes that acquisition of new clients and nurturing the relationship with existing clients will only help in expansion of its business. During the year the clientele base of the Bank increased by 23.92 lakh.

3.8 **Service Outlets :** Bank's total service outlets crossed 8,600 mark to reach 8,617 units, comprising of 2,021 branches, 2,264 ATMs and 4,332 Branchless Banking units. Of these, 314 branches, 839 ATMs and 787 Branchless banking units were operationalised during the year.

3.9 The Bank has been setting standards in the area of Financial Inclusion. During the year, 787 villages have been provided with banking infrastructure to take the total number of units to 4,332. More than 3.98 lakh simple "Basic SB accounts" were opened taking the tally to 21.26 lakh accounts with an outstanding balance of ₹157.46 crore. Out of the 1,562 villages allotted to the Bank by SLBCs of various states during the financial plan of three years from 2013-14 to 2015-16, Bank has since provided banking facility at 1,075 villages (1,067 villages through BC model and 8 villages through branch model) as at 31.03.2014. Remaining villages will be covered during 2014-15 thus covering all villages one year ahead of the target. The Bank has also implemented Urban Financial Inclusion in 114 urban locations spread across 7 states.

4. लाभांश

वर्ष 2013-14 के लिए प्रत्येक ₹10/- के ईक्विटी शेयर के लिए ₹2.25 के अंतिम लाभांश की संस्तुति करने में आपके बैंक के निदेशक मंडल को खुशी हो रही है। यह उक्त वित्त वर्ष के दौरान दिनांक 31.01.2014 को बैंक द्वारा पहले ही भुगतान किए गए ₹4.50 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

5. शुरू किए गए नए उत्पाद

- बैंक ने आकर्षक अतिरिक्त सुविधाओं के साथ दो नई प्रीमियम बचत बैंक योजनाएं "कार्प सिग्नेचर" और "कार्प सूपर" शुरू की हैं।
- बैंक ने एक नई योजना - कार्प सरल बचत खाते की शुरुआत की है जिसमें ग्राहक वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के साथ कई प्रकार की विशेषताएं और अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।
- एंड्राइड, आईओएस फोनों व टैब्लेटों के ज़रिए एक विशेष मोबाइल बैंकिंग एप्प की शुरुआत की जिसके ज़रिए ग्राहक विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
- फॉरेक्स में संव्यवहार करने वाले आयातकों और निर्यातकों के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ कार्प ग्लोबल चालू खाता।
- कई आकर्षक अतिरिक्त सुविधाओं के साथ दो नई प्रीमियम चालू खाता योजनाएं "कार्प क्लब" और "कार्प प्रिविलेज" शुरू की गईं।
- अकसर विदेश में जाने वाले यात्रियों के फायदे के लिए "कार्प ग्लोबल कार्ड - प्रीपेड फॉरेक्स ट्रैवल कार्ड" शुरू किया गया।
- पर्यावरण सजगता पहल के अंग के रूप में ग्राहक की सुविधा हेतु "कार्प ई-पासबुक" नाम का डिजिटल पासबुक शुरू किया गया।

6. नई पहल

बैंक ने अपने कामकाज को सुधारने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की हैं:

क) व्यापक रूप से एसएमई सेग्मेंट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्पोरेशन बैंक ने देश भर में सोलह शहरों में विशेष एसएमई ऋण केन्द्र खोले।

ख) बैंक ने अपने खुदरा एवं कार्पोरेट ग्राहकों को कार्पनेट-इंटरनेट बैंकिंग प्लैटफार्म के ज़रिए जमाराशियों को ऑनलाइन खोलने की सुविधा दी।

ग) कार्पोरेशन बैंक ने कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास और संगठनात्मक परिवर्तन यात्रा में "प्रोजक्ट संकल्प" शुरू किया।

घ) सभी सेग्मेंटों के लिए प्लास्टिक मनी की शुरुआत की गई जैसे इंटरनैशनल डेबिट कार्ड, इंटरनैशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनैशनल ट्रैवल कार्ड, प्रीपेड गिफ्ट कार्ड, स्टुडेंट कैंपस कार्ड आदि।

4. Dividend

The Board of Directors of your Bank is pleased to recommend a Final dividend of ₹2.25 per equity share of ₹10/- each for the year 2013-14. This is in addition to the Interim Dividend of ₹4.50 per share, already paid by the Bank during the financial year, on 31.01.2014.

5. New Products launched

- The Bank has launched two new premium Savings Bank Schemes "Corp Signature" and "Corp Super" with many attractive add on facilities.
- Bank also has launched a new variant – Corp Saral Savings Account where the customers can avail of a bouquet of features and add-ons along with personal accident insurance.
- A special Mobile Banking App through Android and IOS Phones and Tablets launched through which customer can avail various facilities/services.
- Corp Global current account variant with various facilities, launched for Exporters and Importers who deal in Forex.
- Two new premium Current Account Schemes "Corp Club" and "Corp Privilege" with many attractive add on facilities, were launched.
- "Corp Global Card - A Pre-paid Forex Travel Card" was launched for the benefit of frequent travellers abroad.
- A digital passbook named as"Corp e-Passbook" was launched for customer convenience and as part of green initiative.

6. New Initiatives

The Bank has taken up the following new initiatives during the year to improve its functioning:

a) Corporation Bank, with a view to catering to the SME segments in a big way, has opened exclusive SME Loan centres in Sixteen Cities across the country.

b) The Bank has facilitated Online Opening of Deposits to its Retail and Corporate Customers through CorpNet – Internet Banking Platform.

c) Corporation Bank has launched "Project Sankalp" a Business Process Re-engineering and Organizational transformation journey.

d) Plastic Money for all segments like International Debit Card, International Credit Card, International Travel Card, Prepaid Gift Cards, Students Campus Cards etc., introduced.

ङ) कार्प किरणः कार्पोरेशन बैंक ने सीएसआर (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अंतर्गत क्रियाकलापों के लिए बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों की पत्नियों का संघ "कार्प किरण" नाम के एक स्कंध की स्थापना की है।

7. पुरस्कार एवं सम्मान

विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों से प्राप्त पुरस्कार और सम्मान बैंक के निष्पादन को बयान करते हैं। उनमें से कुछ हैंः

- बैंक को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए एमएसई उधार में उत्कृष्ट निष्पादन के आधार पर पहला स्थान और सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने में उत्कृष्ट निष्पादन के अधार पर दूसरा स्थान प्राप्त करने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिनांक 1 मार्च, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के दौरान भारत के माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कर-कमलों से प्राप्त किए गए।
- "बैंकिंग में मॉबिलिटी टेक्नॉलॉजी के उत्तम उपयोग" के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रवर्ग में दूसरे रनर-अप के लिए आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलॉजी अवार्ड 2012-13.
- एसएमई सशक्तीकरण में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए बैंक ने श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, नई दिल्ली से स्कॉच अचीवर अवार्ड प्राप्त किया।

8. अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले, मैं प्रबंधन पर आस्था और विश्वास रखने के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बैंक की प्रगति में सक्रिय सहभागिता तथा योगदान के लिए मैं सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। ग्राहक हमारे संगठन की रीढ की हड्डी हैं। मैं निरंतर समर्थन एवं संरक्षण के लिए हमारे बहुमूल्य ग्राहकों को तहेदिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं बैंक के दक्ष कार्य-संचालन में समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ।

आपका,

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः मंगलूर
दिनांकः 23.05.2014

e) Corp Kiran: Corporation Bank has set up a wing named "Corp Kiran" - An association of Wives of Senior Executives of Corporation Bank, under CSR (Corporate Social Responsibility) for undertaking CSR activities.

7. Awards and Accolades

The Awards and Accolades received from various organizations of repute speak volumes about the Bank's performance. Some of them are:

- The Bank secured First Rank based on outstanding performance in MSE lending and Second Rank based on excellent performance in lending to micro enterprises, conferred by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, for the financial year 2012-13. The prestigious National Awards for Excellence were received at the benign hands of Dr. Manmohan Singh, the Hon'ble Prime Minister of India, during the National Awards Function held at Vigyan Bhawan, New Delhi on 1st March, 2014.
- IBA Banking Technology Award 2012-13 for "Best Use of Mobility Technology in Banking" from Indian Banks' Association (IBA)- as 2nd Runner-up in Public Sector Banks category.
- The Bank has won Skoch Achiever Award for outstanding performance in SME enablement. from Shri Montek Singh Ahluwalia, Deputy Chairman, Planning Commission, New Delhi.

8. Before I conclude, I express my sincere thanks and gratitude to all the shareholders of the Bank for reposing their faith and confidence in the Management. I also thank all the employees for their active involvement and contribution towards the growth of the Bank. Customers are the backbone of our organization. I sincerely thank our valuable customers for their continued support and patronage. I also owe my gratitude to the Reserve Bank of India and the Ministry of Finance, Government of India for their support and guidance in the effective functioning of the Bank.

Yours sincerely,

[S. R. Bansal]
Chairman and Managing Director

Place : Mangalore
Date : 23.05.2014

कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालयः मंगला देवी मंदिर मार्ग
मंगलूर – 575 001
दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक महासभा **गुरुवार, 26 जून, 2014 को पूर्वाह्न 10.30 बजे,** सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगला देवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगाः

मद सं. 1: बैंक के 31 मार्च, 2014 के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्य-निष्पादन तथा क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, अनुमोदन तथा स्वीकार करना।

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2013-2014 हेतु ईक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करना।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थानः मंगलूर
दिनांकः 23.05.2014

CORPORATION BANK
HEAD OFFICE : MANGALA DEVI TEMPLE ROAD
MANGALORE – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the Seventeenth Annual General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on **Thursday, 26th June, 2014, at 10.30 a.m.** at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangalore – 575 001, KARNATAKA State to transact the following business:

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2014, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2014, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2: To declare Final Dividend on Equity Shares for the Financial Year 2013-2014.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangalore
Date : 23.05.2014

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने हेतु बैठक प्रारंभ होने से **कम–से–कम चार दिन पहले** अर्थात् **शनिवार, 21 जून, 2014 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 2.00 बजे** तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगला देवी मंदिर मार्ग, मंगलूर–575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, वार्षिक महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से **कम–से–कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 21 जून, 2014 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 2.00 बजे तक** या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का., मंगलूर – 575 001, कर्नाटक राज्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

3. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में है, तब केवल पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और वह ही बैठक में वोट डालने के लिए पात्र होगा।

4. सदस्यों के रजिस्टर की बंदी

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ, **मंगलवार, 17 जून, 2014 से गुरुवार, 26 जून, 2014** (दोनों दिनों सहित) सत्रहवीं वार्षिक महासभा के संबंध में तथा उक्त वार्षिक महासभा में भाग लेने तथा अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, को प्राप्त करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नाम निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेगी।

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting,** i.e. **on or before the closing hours i.e. 2.00 p.m. of Saturday, the 21st June, 2014.**

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank, with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangalore – 575 001 Karnataka State, not later than **FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. 2.00 p.m. of Saturday, the 21st June, 2014.**

3. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

If shares are in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

Pursuant to Regulation 12 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Tuesday the 17th June, 2014 to Thursday the 26th June, 2014** (both days inclusive) in connection with the Seventeenth Annual General Meeting and for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting and to receive the final dividend, if any.

5. उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र में यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करना चाहिए।

6. सूचना तामिल करना

17वीं वार्षिक महासभा की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी संसूचना के लिए बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत करवाई है और इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध न किया हो। जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत न करवाया हो, उन्हें 17वीं वार्षिक महासभा की सूचना की कागज़ी प्रति अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ अनुमत विधि द्वारा भेजी जा रही है। इस बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।

7. इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित ईक्विटी के लिए सूचीकरण करार के खण्ड 35बी के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को 17वीं वार्षिक महासभा (एजीएम) में एक वैकल्पिक मतदान विधि के रूप में ई–वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है, जिससे वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकेंगे और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–वोटिंग सर्विसस, ई–वोटिंग प्लैटफार्म से कार्य संचालित किए जा सकते हैं। **कृपया नोट करें कि ई–वोटिंग वैकल्पिक है।**

ई–वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार है:

I क. यदि किसी शेयरधारक को प्राधिकृत ई–वोटिंग प्लैटफार्म प्रदाता कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से ई–मेल प्राप्त होता है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ई–मेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है):

i) वोटिंग के दौरान कंप्यूटर / इंटरनेट सुविधा युक्त गैडजेट पर अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और 'https://evoting.karvy.com' में नैविगेट करें।

ii) ई–मेल / या उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित लॉगइन विवरण (अर्थात् यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। अपनी फोलियो/क्लाइंट आईडी आपकी यूज़र आईडी होगी।

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. SERVING OF NOTICE

Electronic copy of the Notice of the 17th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their e-mail address, physical copies of the Notice of the 17th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form are being sent in the permitted mode. The notice of this meeting is also made available in the website of the Bank www.corpbank.com.

7. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

In compliance with provisions of Clause 35 B of the Listing Agreement for Equity read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer e-voting facility as an alternative mode of voting for its Members at the 17th Annual General Meeting (AGM), which will enable them to cast their votes electronically and the business may be transacted through e-Voting Services provided by Karvy Computershare Pvt. Ltd., e-Voting Platform. **Kindly note e-voting is optional.**

The instructions for e-voting are as under:

I A. In case a shareholder receives an e-mail from Karvy Computershare Pvt. Ltd. the authorised e-Voting Platform provider, [for shareholders whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)]:

i) Open your web browser on your computer / on other internet enabled gadgets during the voting period and navigate to **'https://evoting.karvy.com'**

ii) Enter the login credentials (i.e., user-id & password) mentioned in the e-mail / or on the Attendance Slip. Your folio/DP Client ID will be your User-ID.

यूज़र– आईडी User – ID	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:– For Members holding shares in Demat Form:- क) एनएसडीएल के लिए:– 8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी a) For NSDl :- 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID ख) सीडीएसएल के लिए:– 16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी a) For CDSL :- 16 digits beneficiary ID कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:– For Members holding shares in Physical Form:- • EVEN उसके बाद बैंक से पंजीकृत फोलियो संख्या • EVEN followed by Folio Number registered with the Bank.
पासवर्ड Password	विशिष्ट पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के ज़रिए ई–मेल द्वारा भेजा है।/Your Unique password is forwarded through the electronic notice via email.
कैपचा Captcha	सत्यापन कूट प्रविष्ट करें अर्थात् सुरक्षा कारणों से ठीक उसी तरीके से वर्णों और संख्याओं को प्रविष्ट करें।/Enter the Verification code i.e., please enter the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii) किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए ई प्लैटफार्म प्रोवाइडर की टोल फ्री सं. **18003454001** पर संपर्क करें।

iv) उपयुक्त तरीके से ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद "LOGIN" पर क्लिक करें।

v) डीमैट/कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड बदलने का मेनू पाएंगे जिसमें उन्हें नए पासवर्ड की फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने हैं जिनमें कम–से–कम एक अप्पर केस (A-Z) वाला, एक लोवर केस (a-z) वाला, एक संख्या (0–9) और एक विशेष कैरेक्टर हो। आप पहले लॉगइन पर मोबाइल सं, ई–मेल आईडी आदि जैसे संपर्क ब्यौरे अद्यतन कर सकते हैं । आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अपने विकल्प का गोपनीय प्रश्न और उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे नए पासवर्ड को याद रखें। इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

vi) कार्पोरेशन बैंक या भारत में किसी अन्य बैंक/कंपनी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पात्र हैं भावी ई–वोटिंग संकल्प (संकल्पों) पर वोटिंग के लिए नए पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वह बैंक/कंपनी कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड के ई–वोटिंग प्लैटफार्म के ज़रिए ई–वोटिंग का विकल्प चुनती है।

vii) आपको नए ब्यौरों अर्थात् पासवर्ड आदि के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

viii) सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद 'EVEN' अर्थात् 'बैंक का नाम' चुनने के लिए सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा।

ix) यदि आप डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और यदि आपने इससे पहले **"https://evoting.karvy.com"** को लॉग ऑन करके किसी बैंक/कंपनी के लिए पहले वोट डाले हों को अपने वर्तमान लॉगइन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

x) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प का विवरण दिखाई देगा और

iii) Please contact toll free No. **18003454001** of e-platform provider – i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd. for any further clarifications.

iv) After entering these details appropriately, click on "LOGIN".

v) Members holding shares in Demat/Physical form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. You can also update contact details like mobile no., e-mail ID etc., on 1st login. You may also enter the Secret Question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. The shareholders are advised to remember the new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi) The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Corporation Bank or any other Bank/Company in India on which you are eligible to vote, provided that Bank/Company opts for e-voting through Karvy Computershare Private Limited e-Voting platform.

vii) You need to login again with the new credentials i.e. with new password etc.

viii) On successful login, system will prompt to select the 'EVEN' i.e., 'Bank Name'.

ix) If you are holding shares in Demat form and had logged on to **"https://evoting.karvy.com"** and casted your vote earlier for any Bank/Company, then your existing login ID and password are to be used.

x) On the voting page, you will see Resolution Description

उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' विकल्प होगा। 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाते हैं) प्रविष्ट करें या विकल्प के तौर पर आप आंशिक रूप से कोई संख्या 'FOR' में प्रविष्ट कर सकते हैं और आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन FOR/AGAINST' में कुल मिलाकर अपनी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेयरधारक वोट नहीं डालना चाहता है तो 'ABSTAIN' चुने।

xi) मतदान करने के लिए संकल्प को चुनने के बाद "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने विकल्प को परिवर्तित करें।

xii) एक बार आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" करते हैं, आपको अपने वोट को बदलने की अनुमति नहीं होगी और इसे आपकी अंतिम वोटिंग माना जाएगा।

xiii) कंपनी निकाय सहित संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर अन्य) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एटैचमेंट के रूप में हो), जिसे जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, और उसके साथ वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ई-मेल के ज़रिए **evoting@karvy.com** को प्रति अंकित करते हुए **evoting@ezlaws.com** पर स्क्रूटिनाइज़र को भेजें। फाइल का नाम "the body corporate Name.... EVEN...." फार्मेट में हो। उपर्युक्तानुसार स्कैन की गई प्रतियाँ ई-वोटिंग से पहले या तुरंत बाद ई-मेल द्वारा भेजी जानी है। अगर वह ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले स्क्रूटिनाइज़र/कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो की गई ई-वोटिंग कंप्यूटर सिस्टम में अस्वीकृत की जाएगी।

I ख. यदि किसी शेयरधारक को वार्षिक महासभा (एजीएम) की सूचना की कागज़ी प्रति प्राप्त होती है [उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है और जो कागज़ी प्रति का अनुरोध करते हैं]:

i) एजीएम के उपस्थिति पत्रक के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है:

EVEN (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर) **यूज़र आईडी पासवर्ड**

ii) कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक (i) से क्रमांक (xiii) तक दिए कदमों का अनुसरण करें।

II यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयर धारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. से **1800 345 4001** (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।

III अगर आपने ई-वोटिंग के लिए पहले ही कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के साथ रजिस्टर करवाया है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपना वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

and against the same the option 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' or alternatively you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR/AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding. If the shareholder does not want to cast, select 'ABSTAIN'.

xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xii) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote and it will be treated as final voting by you.

xiii) Institutional shareholders including body corporates (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to **evoting@ezlaws.com** with a copy marked to **evoting@karvy.com**. The file should be named in the format of "the body corporate Name.... EVEN....". The scanned copies are to be sent as mentioned above by e-mail, before or immediately after casting the e-voting. However, in case the same do not reach Scrutinizer/Karvy Computershare Private Limited before closure of e-voting, the e-voting so exercised will be rejected in the computer system.

I B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of Annual General Meeting (AGM) [for shareholders whose e-mail IDs are not registered with the Bank/Depository Participant(s) or requesting physical copy] :

i. Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the AGM:

EVEN (E-Voting Event Number) **USER ID PASSWORD**

ii. Please follow all steps from Sl. No. (i) to Sl. No. (xiii) above, to cast vote.

II In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., on Tel. No.**1800 345 4001** (toll free).

III If you are already registered with Karvy Computershare Pvt. Ltd., for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

IV भावी संसूचनाएं भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं।

V ई-वोटिंग अवधि **गुरुवार 19 जून, 2014** को (पूर्वाह्न 10.00 बजे) शुरू होगी और **शनिवार 21 जून, 2014** को (अपराह्न 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान दिनांक 16.06.2014 को (17.06.2014 से 26.06.2014, दोनों दिन सहित, बही बंदी के संदर्भ में) कागज़ी रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। तत्पश्चात् ई-वोटिंग मॉड्यूल कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. द्वारा डिसेबल किया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद उक्त शेयरधारक को बाद में उसे बदलने या परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

VI शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार दिनांक 16.06.2014 को (17.06.2014 से 26.06.2014, दोनों दिन सहित, बही बंदी के संदर्भ में) बैंक की ईक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयरों के अनुपात में इस शर्त पर होगा कि केन्द्र सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा। संयुक्त धारकों के मामले में लॉगइन आईडी/यूज़र आईडी शेयरों को प्रथम धारक को भेजी जाएगी। तदनुसार, प्रथम धारक को भेजी गई यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए किए गए मतदान को संयुक्त धारकों की ओर से किया गया मतदान माना जाएगा चूँकि कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग सेवाओं के ज़रिए वोट डालने वाला शेयरधारक सभी संयुक्त धारकों की ओर से ऐसा करता है। प्रथम धारक का तात्पर्य उस शेयर धारक से है, जिसका नाम धारित शेयरों के सामने पहले पंजीकृत है। **केवल वोट डालने के लिए पात्र शेयरधारक ही ई-वोटिंग के ज़रिए अपना वोट डालने के लिए पात्र है। जिस व्यक्ति का कोई मताधिकार नहीं है, उसे यह सूचना मात्र जानकारी के लिए समझनी चाहिए।**

VII **श्री अंकुर कुमार (बार काउंसिल पंजीकरण सं. एमएएच/ 5718/ 2011, एडवोकेट, पार्टनर, मेसर्स ईज़ी लॉस, मुंबई)** को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में ई-वोटिंग प्रक्रिया चलाने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है।

VIII स्क्रूटिनाइज़र, ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति से, अधिकतम तीन(3) कार्य दिवसों के अंदर कम-से-कम दो(2) ऐसे साक्षियों की उपस्थिति में जो बैंक में नियोजन में न हों, वोटों को अनब्लॉक करेंगे और पक्ष और विपक्ष में डाले वोटों पर स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट बनाकर बैंक के अध्यक्ष को तत्काल प्रस्तुत करेंगे।

IX ई-वोटिंग के परिणाम बैंक की वार्षिक महासभा में या उसके बाद घोषित किए जाएंगे। स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वार्षिक महासभा में उक्त संकल्प को पारित करने और एनएसई/बीएसई को संसूचित करने के दो (2) दिनों के अंदर बैंक की वेबसाइट

IV You can also update your mobile number and e-mail ID in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

V The e-voting period commences on **Thursday 19th June, 2014** (10:00 a.m.) and ends on **Saturday 21st June, 2014** (5:00 p.m.). During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 16.06.2014 (with reference to Book Closure from 17.06.2014 to 26.06.2014, both days inclusive), may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Karvy Computershare Pvt. Ltd., for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change or modify it subsequently.

VI The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on 16.06.2014 (with reference to Book Closure from 17.06.2014 to 26.06.2014, both days inclusive), subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of joint holders, Login ID/User ID and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote casted using the User ID and password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders, as the shareholder who casts the vote through the e-Voting services of Karvy Computershare Pvt. Ltd. is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of the shares, whose name is first registered against the shares held; **only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.**

VII **Mr. Ankur Kumar (Bar Council Registration No. MAH/5718/2011, Advocate, Partner M/s. Ezy Laws, Mumbai)** has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

VIII The Scrutinizer shall, within a period not exceeding three(3) working days from the conclusion of the e-voting period, unblock the votes in the presence of at least two(2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman of the Bank.

IX The Results of the e-voting shall be declared on or after the AGM of the Bank. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website **www.corpbank.com** and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd., within two(2) days of

www.corpbank.com और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट में प्रदर्शित किए जाएंगे।

8. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने 9 मई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में ₹10/– के प्रत्येक शेयर हेतु ₹2.25 का लाभांश संस्तुत किया है जिसे इस वार्षिक महासभा में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाना है। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि प्रत्येक ₹10.00 के शेयर हेतु ₹2.25 अर्थात् 22.50% का लाभांश घोषित करें।

यदि वार्षिक महासभा में लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसे **3 जुलाई, 2014** को या उसके बाद या इस घोषणा से 30 दिन के भीतर, उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा यथा प्रस्तुत बैंक के सदस्य/हितकारी स्वामी रजिस्टर में 16 जून, 2014 को मौजूद हैं।

9. लाभांश वारंट/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) – एनईसीएस/एनईएफटी में बैंक खाते के विवरण

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश वितरण करते समय शेयरधारकों और उनके डिपॉज़िटरियों द्वारा दिए गए बैंक खाता विवरण लाभांश वारंट में उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया है कि वे लाभांशों का भुगतान करते समय ईसीएस, एनईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जैसे भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित भुगतान विधियों का उपयोग करें और बैंक खाता विवरण, एमआईसीआर संख्या और आईएफएससी आदि जैसी आपेक्षित सूचना उपलब्ध न होने पर शेयरधारकों को ऐसा भुगतान करने हेतु कागज़ी भुगतान लिखतों का उपयोग करें। बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण भुगतान लिखतों में मुद्रित करेगा।

जिन शेयरधारकों के पास कागज़ी रूप में शेयर हैं, वे अभिलेखों को आवश्यक अद्यतन करने हेतु बैंक अधिदेश विवरण, बैंक के निवेशक सेवा विभाग को या हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि., हैदराबाद के पास भेज सकते हैं। जिन शेयरधारकों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से सम्पर्क कर सकते हैं। एनईसीएस अधिदेश/बैंक अधिदेश का प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

10. अदावी लाभांश यदि कोई है

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है/अगर पूर्व अवधि के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं तो डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें। इस संबंध में बैंक समय-समय पर बैंक के लाभांश रजिस्टर के अनुसार संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक भी भेज रहा है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के अनुसार सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी लाभांश की राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा

passing of the resolutions at the AGM of the Bank and communicated to the NSE/BSE.

8. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors have recommended at their meeting held on 9th May, 2014, a Final Dividend of ₹2.25 per share of ₹10/- each which is required to be declared by the shareholders at this AGM. The shareholders are therefore requested to declare the Final Dividend of ₹2.25per share of ₹10.00 each, i.e. 22.50%.

The Dividend, if declared at the Annual General Meeting, will be paid on or after **3rd July, 2014** or within 30 days of declaration thereof, to those shareholders whose names appear on the Bank's Register of Members/Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL as on 16th June, 2014.

9. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) – NECS/NEFT

SEBI has made it mandatory for all the listed entities to mention in the Dividend Warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders and their depositories, while distributing Dividends. It has also made it mandatory for listed entities to use RBI approved electronic mode of payments such as ECS, NECS, NEFT, RTGS etc., for making dividend payments and in the event of non-availability of the required information like bank account details, MICR number and IFSC etc., to use physical payment instruments for making such payments to shareholders. The Bank shall print the Bank details, as available with them, in the payment instruments.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Investor Services Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for necessary updation of the records. The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their Depository Participants for necessary action in this connection. A Proforma of NECS Mandate/ Bank Mandate is furnished in the Annual Report.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received Dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent, for issue of duplicate Dividend Warrant. In this regard Bank is also sending reminder letters from time-to-time to the concerned shareholders as per Dividend Register of the Bank.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of Dividend remaining unpaid or unclaimed

205(सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जानी चाहिए। तदनुसार, बैंक ने अदावाकृत अंतिम लाभांश खाता 2005-06 तक बकाया अदावाकृत लाभांश खातों की शेषराशियों को केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया था।

निवेशकों को बतौर सेवा बैंक यह अनुरोध करते हुए नियमित अंतरालों में अनुस्मारक पत्र भेजता रहा है कि वे लाभांशों का दावा करें।

11. शेयरधारकों से निवेदन

क) तुलन-पत्र की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक महासभा के समय वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर या ई-मेल पते पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति या उसके उद्धरण को साथ लेकर आएं।

ख) शेयरों का डीमेटीरियलाइजेशन

अपने शेयर प्रमाणपत्र अब भी कागज़ी रूप में धारित करनेवाले शेयरधारकों से अपने शेयरों को यथाशीघ्र डीमैट करवाने का अनुरोध किया जाता है।

ग) पता या ई-मेल आईडी में परिवर्तन

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पते में किसी परिवर्तन को निम्नलिखित को तुरंत अधिसूचित करें:

- शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट को।
- कागज़ी रूप में धारित शेयरों के मामले में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिटः कार्पोरेशन बैंक, प्लाट सं.17-24, विठ्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081 को।
- शेयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पते को बैंक में पंजीकृत/अद्यतन करें ताकि बैंक ई-मेल द्वारा अपना सभी पत्राचार/सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि भेज सके। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। कागज़ी रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को, जो बैंक का शेयर अंतरण एजेंट है, यथा शीघ्र अपना ई-मेल पता भेजें/अद्यतन करें।

घ) खातों संबंधी सूचना

खातों से संबंधित कोई सूचना/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा से कम-से-कम सात दिन पहले कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग,

for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 205(C) of the Companies Act, 1956. The Bank had, accordingly, transferred the Balances in Unclaimed Dividend accounts outstanding till Unclaimed Final Dividend Account 2005-06 to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government.

As a matter of service to shareholders, Bank has been sending reminders to shareholders at regular intervals requesting them to claim the same.

11. REQUEST TO THE SHAREHOLDERS

(A) Copies of Balance Sheet

Shareholders are requested to note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report or extract thereof, mailed by the Bank to them at their registered addresses and/or e-mail addresses.

(B) Dematerialisation of shares

Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest.

(C) Change of address or e-mail ID

Shareholders are requested to notify any change in their addresses to:

- Their respective Depository Participant, in case shares are held in dematerialised form.
- The Share Transfer Agent, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: Corporation Bank, Plot No. 17 - 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad-500 081, in case shares are held in physical form.
- Shareholders are also requested to register/update their e-mail address with the Bank to enable the Bank to send all communications/notices/Annual Report etc., through e-mail. Shareholders holding shares in demat mode are requested to register/update their e-mail addresses with their respective Depository Participants. Shareholders holding physical shares are requested to send/update their e-mail address with M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Share Transfer Agent of the Bank, at the earliest.

(D) Information on Accounts

Shareholders seeking any information/clarification with regard to annual accounts are requested to address their letters to the Company Secretary,

प्र.का. मंगलूर – 575 001, कर्नाटक राज्य को लिखें ताकि शुक्रवार, 20 जून, 2014 को शाम 5.00 बजे तक प्राप्त हो और बैंक सूचना तैयार रख सके।

ङ) फोलियो का समेकन

जो शेयरधारक शेयर कागज़ी रूप में एक से अधिक फोलियो में एक ही नाम से या नाम के उसी क्रम में संयुक्त नाम से धारित करते हैं, उनसे अनुरोध है कि एक ही फोलियो में समेकन हेतु शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को भेजें।

च) स्थिति में परिवर्तन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को कागज़ी रूप में धारित शेयरों के संबंध में या शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित सूचना तुरंत दें:

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटने पर निवासी हैसियत में परिवर्तन।

ख) भारत के बैंक खाते से संबंधित ब्योरे, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, पिन सहित बैंक का पता दें, यदि पहले नहीं दिया हो।

छ) शेयरधारकों के मताधिकार

अधिनियम (यथा संशोधित और 18.01.2013 से प्रभावी) की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अधीन, कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के खण्ड 68(i) के अनुसार, वार्षिक महासभा की तारीख से पहले रजिस्टर की बंदी की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक वोट होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगा।

ज) अन्य सूचना

क) पर्यावरण सजगता पहल के समर्थन में बैंक ने ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 32 में दिए निदेशों के अनुसार, अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाई है, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट

Corporation Bank, Investor Services Department, Head Office, Mangalore – 575 001, Karnataka State at least seven days in advance of the Annual General Meeting so as to reach latest by Friday, 20th June, 2014 by 5.00 p.m., to enable the Bank to keep the information ready.

(E) Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names, are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

(F) Change of Status

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., in respect of shares held in physical form or to inform their respective Depository Participants if shares are held in dematerialised form immediately of:

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(G) Voting Rights of Shareholders

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act (as amended and effective from 18.01.2013), no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Clause 68(i) of Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the date of the closure of the Register, prior to the date of the Annual General Meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(H) Other information

a) In support of the green initiative, the Bank has decided to send soft copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report to all the shareholders who have registered their e-mail IDs with their Depository Participant/ Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, as per the directions contained in clause 32 of

प्रतियाँ भेजने का निर्णय लिया है। लेकिन सदस्य कृपया यह नोट करें कि 17वीं वार्षिक महासभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध होगी। पूर्वोक्त दस्तावेज़ों की कागज़ी प्रतियाँ निरीक्षण हेतु कार्यदिवसों पर सामान्य कारोबार समय के दौरान मंगलूर में बैंक के प्रधान कार्यालय में भी उपलब्ध होंगी। ई-संसूचना के लिए पंजीकृत करवाने के बावजूद, सदस्य, अनुरोध करने पर डाक से निशुल्क कागज़ी रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। किसी संसूचना के लिए शेयरधारक बैंक की विशिष्ट ई-मेल आईडी **isd@corpbank.co.in** को या डाक द्वारा भी अनुरोध भेज सकते हैं।

ख) शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/ उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थानः मंगलूर
दिनांकः 23.05.2014

the Listing agreement for Equity. However, Members may note that the Notice of the 17th Annual General Meeting and the Annual Report for 2013-14 will also be available on the Bank's website www. corpbank.com for their download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Bank's Head Office at Mangalore, for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same by post free of cost. For any communication, the share-holders may also send requests to the Bank's dedicated e-mail ID: **isd@corpbank.co.in** or by post.

b) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangalore
Date : 23.05.2014

निदेशकों की रिपोर्ट 2013–14
DIRECTORS' REPORT 2013-14

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखा–परीक्षित तुलन–पत्र एवं लाभ–हानि लेखा सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है।

2. निष्पादन की एक झलक:

2.1 31 मार्च, 2014 को बैंक का कुल कारोबार ₹3,30,479 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया। इसमें 31.03.2013 के ₹2,84,722 करोड़ के स्तर से 16.07% की वृद्धि दर के साथ ₹45,757 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्ज हुई।

2.2 बैंक की कुल जमाराशियाँ 16.50% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2013 के ₹1,66,005 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31.03.2014 को ₹1,93,393 करोड़ हो गई है।

2.3 कुल जमाराशियों में कासा का हिस्सा 31.03.2013 के 21.68% की तुलना में 31.03.2014 को 20.33% रहा। बचत जमाराशियाँ वर्ष–दर–वर्ष 17.91% की दर से बढ़ गईं।

2.4 बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधी अपनी नीति के अनुरूप गुणवत्तायुक्त ऋण आस्तियों में विस्तार करने में अपना विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखा। बैंक का ऋण आंकड़ा 31 मार्च, 2013 के ₹1,18,717 के स्तर से 31.03.2014 को ₹1,37,086 करोड़ के स्तर तक पहुँचा। इसमें 15.47% की वृद्धि दर से ₹18,369 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्ज हुई। वित्त वर्ष के दौरान ऋण विस्तार हेतु कृषि, प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र, एसएमई और मध्यम आकार के कार्पोरेट तथा खुदरा सेग्मेंटों के तहत ऋण बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

2.5 31.01.2013 के 71.51% की तुलना में 31.03.2014 को ऋण–जमा अनुपात 70.88% रहा।

2.6 बैंक ने गैर–निष्पादक आस्तियों की वसूली में अपना प्रयास जारी रखा। वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने गत वर्ष की ₹1,509.30 करोड़ की नकद वसूली की तुलना में ₹1,355.53 करोड़ गैर–निष्पादक आस्तियों की नकद वसूली तथा उन्नयन किया है।

2.7 आर्थिक मंदी और प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद बैंक ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अच्छा–खासा निष्पादन दर्ज किया। बैंक ने ₹561.72 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

2.8 31.03.2014 को 28 राज्यों में फैली बैंक की 8,617 कार्यात्मक इकाइयाँ थीं जिनमें 2,021 शाखाएं, 2,264 एटीएम और 4,332 शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ हैं।

3. आय विश्लेषण

3.1 बैंक की ब्याज आय वित्त वर्ष 2012–13 के ₹15,334.08 करोड़ से

1. The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2014.

2. Performance at a glance :

2.1 The total business reached an impressive level of ₹3,30,479 crore as on 31st March, 2014, recording an absolute growth of ₹45,757 crore over the business figure of ₹2,84,722 crore as on 31.03.2013, at a growth rate of 16.07%.

2.2 The total deposits of the Bank increased to ₹1,93,393 crore as on 31.03.2014 from ₹1,66,005 crore as on 31st March, 2013 registering a growth of 16.50% y-o-y.

2.3 Share of CASA in total deposits stood at 20.33% as on 31.03.2014 as compared to 21.68% as on 31.03.2013. Savings Deposits grew at a rate of 17.91%

2.4 The Bank continued its prudent approach in expanding quality credit assets in line with its policy on Credit Risk Management. The Bank's credit figure reached a level of ₹1,37,086 crore as on 31.03.2014 from ₹1,18,717 crore as on 31st March, 2013, recording an absolute growth of ₹18,369 crore at a growth rate of 15.47%. During the financial year, focused attention was given for accelerated lending under Agriculture, Priority sector, SMEs and midsize corporate and retail segments for expansion of credit.

2.5 Credit-Deposit Ratio stood at 70.88% as on 31.03.2014 as compared to 71.51% as on 31.03.2013.

2.6 The Bank continued its drive for recovery of NPAs. During the financial year, the Bank effected a cash recovery and upgradation of NPAs of ₹1,355.53 crore as compared to ₹1,509.30 crore in the previous financial year.

2.7 Despite the economic slowdown and prevailing adverse situation, the Bank recorded a fairly good performance in different functional areas during the financial year 2013-14. The bank posted a Net Profit figure of ₹561.72 crore.

2.8 As on 31.03.2014, the Bank had 8,617 functional units spread across 28 States comprising of 2,021 Branches, 2,264 ATMs and 4,332 Branchless banking units.

3. Income Analysis

3.1 Interest Income of the Bank recorded a growth of

₹2,624.49 करोड़ (17.12%) की वृद्धि के साथ ₹17,958.57 करोड़ तक बढ़ गई, जबकि ब्याज व्यय वर्ष 2012-13 के ₹11,908.23 करोड़ से 19.03% की वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 के दौरान ₹14,174.88 करोड़ हो गए। इसी अवधि के दौरान निवल ब्याज आय में ₹357.84 करोड़ (10.45%) की वृद्धि दर्ज हुई।

₹2,624.49 crore (17.12%) from ₹15,334.08 crore in the year 2012-13 to ₹17,958.57 crore, as against the Interest expenses which grew by 19.03% from ₹ 11,908.23 crore during the financial year 2012-13 to ₹14,174.88 crore during the year 2013-14. The Net Interest Income recorded a growth of ₹357.84 crore [10.45%] during the same period.

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

विवरण Particulars	2012-13	2013-14	% परिवर्तन Change in %
आय INCOME			
ब्याज आय Interest Income	15,334.08	17,958.57	17.12%
ब्याजेतर आय Non-Interest Income	1,607.94	1,647.72	2.47%
कुल आय Total Income	16,942.02	19,606.29	15.73%
व्यय EXPENDITURE			
ब्याज व्यय Interest Expenditure	11,908.23	14,174.88	19.03%
परिचालन व्यय Operating Expenses	1,996.79	2,392.01	19.79%
कुल व्यय Total Expenditure	13,905.02	16,566.89	19.14%
परिचालन लाभ Operating Profit	3,037.00	3,039.40	0.08%
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं -(कर रहित) Provisions & Contingencies (Excl. Tax)	1,351.40	2,797.71	107.02%
कर पूर्व लाभ Profit before Tax	1,685.60	241.69	-85.66%
कर हेतु प्रावधान Provision for Tax	250.93	-320.03	-227.54%
निवल लाभ Net Profit	**1,434.67**	**561.72**	**-60.85%**

3.2 बैंक की कुल आय (ब्याज आय और ब्याजेतर आय का योग) पिछले वित्त वर्ष के ₹16,942.02 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ₹2,664.27 करोड़ (15.73%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹19,606.29 करोड़ हो गई।

3.3 प्रमुख क्षेत्रों से प्राप्त ब्याजेतर आय वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹986.79 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹90.60 करोड़ (9.18%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1,077.39 करोड़ तक बढ़ गई। कुल ब्याजेतर आय 31.03.2013 के ₹1,607.94 करोड़ से 31.03.2014 को ₹1,647.72 करोड़ तक 2.47% बढ़ गई।

3.4 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान परिचालन व्ययों में 19.79% की वृद्धि हुई है और यह वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹1,996.79 करोड़ की तुलना में ₹2,392.01 करोड़ रहा।

3.2 The total Income of the Bank [total of Interest Income and Non-Interest Income] improved to ₹19,606.29 crore during the financial year 2013-14 from ₹16,942.02 crore in the previous financial year recording a rise of ₹2,664.27crore [15.73%].

3.3 Non-Interest Income from Core Areas increased by ₹90.60 crore [9.18%] from ₹986.79 crore in the financial year 2012-13 to ₹1,077.39 crore in the financial year 2013-14. The Total Non-Interest Income has increased from ₹1,607.94 crore as on 31.03.2013 to ₹1,647.72 crore as on 31.03.2014 by 2.47%.

3.4 The Operating Expenses has shown an increase of 19.79% during the financial year 2013-14 and stood at ₹2,392.01 crore as compared to ₹1,996.79 crore in 2012-13.

4. कीमत-लागत अंतर विश्लेषण

4. Spread Analysis

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

ब्यौरे Particulars	2012-13	2013-14	वृद्धि Growth	
			समग्र Absolute	%
औसत कार्यशील निधियाँ Average Working Funds	1,62,800.00	1,95,005.00	32,205.00	19.78%
कुल ब्याज आय Total Interest Income	15,334.08	17,958.57	2,624.49	17.12%
व्यय किया गया कुल ब्याज Total Interest Expended	11,908.23	14,174.88	2,266.65	19.03%
ब्याज कीमत-लागत अंतर Interest Spread	3,425.85	3,783.69	357.84	10.45%

ब्यौरे Particulars	2012-13	2013-14
निधियों पर प्रतिफल Yield on Funds	9.42%	9.21%
निधियों की लागत Cost of Funds	7.31%	7.27%
अग्रिमों पर आय Yield on Advances	11.65%	11.29%
जमाराशियों की लागत Cost of Deposits	8.12%	8.03%
निवल ब्याज मार्जिन Net Interest Margin	2.29%	2.10%

5. परिचालन लाभ

5.1 परिचालन लाभ 31.03.2013 के ₹3,037 करोड़ की तुलना में मामूली वृद्धि के साथ 31.03.2014 को ₹3,039.40 करोड़ हो गया।

5.2 आस्ति उपयोगिता अनुपात (औसत कार्यशील निधियों में सकल लाभ का प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2012-13 के 1.87% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1.56% रहा।

6. प्रावधान

6.1 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान, मानक आस्तियों, कराधान, निवेश मूल्यह्रास एवं अन्य हेतु प्रावधान वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹1,602.33 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹2,477.68 करोड़ रहा।

7. निवल लाभ तथा लाभांश

7.1 अधिक प्रावधान के कारण बैंक का निवल लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1,434.67 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए ₹561.72 करोड़ तक घट गया।

वर्ष	निवल लाभ [₹ करोड़ में]	वृद्धि %
2011-12	1,506.04	6.56
2012-13	1,434.67	(-)4.74
2013-14	561.72	(-)60.85

7.2 बैंक 45% (प्रत्येक ₹10.00 के ईक्विटी शेयर हेतु ₹4.50) के अंतरिम लाभांश का भुगतान कर चुका है। उपर्युक्त के अलावा, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2013-14 हेतु 22.50% लाभांश संस्तुत किया है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्रदत्त कुल लाभांश प्रत्येक ₹10/- के ईक्विटी शेयर हेतु ₹6.75 बनता है।

7.3 वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार बैंक वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु लाभांश वितरण कर का भुगतान करेगा। तदनुसार वर्ष 2013-14 हेतु लाभांश वितरण कर सहित लाभांश के लिए कुल ₹132.31 करोड़ का बहिर्गमन होगा।

5. Operating Profit

5.1 The Operating Profit increased by a marginal amount and stood at ₹3,039.40 crore as at the end of March, 2014, as compared to ₹3,037 crore as on 31.03.2013.

5.2 The Asset Utilisation Ratio [percentage of Operating Profit to Average Working Funds] stood at 1.56% for the financial year 2013-14 compared to 1.87% for the financial year 2012-13.

6. Provisions

6.1 The Provision for Bad and Doubtful Debts, Provision on Standard Assets, Taxation, Investment Depreciation and others aggregated to ₹ 2,477.68 crore in the financial year 2013-14 as compared to ₹ 1,602.33 crore in the financial year 2012-13.

7. Net Profit and Dividend

7.1 Due to the increased provision, the Net Profit of the Bank has come down from ₹1,434.67 crore for the previous financial year to ₹561.72 crore for the year ended 31.03.2014.

Year	Net Profit [₹ in crore]	Growth %
2011-12	1,506.04	6.56
2012-13	1,434.67	(–)4.74
2013-14	561.72	(–)60.85

7.2 The Bank has already paid an Interim Dividend of 45% (₹4.50 per equity share of ₹10.00 each). In addition to the above, the Board of Directors has recommended a Final Dividend of 22.50% for the financial year 2013-14. The total dividend during the financial year 2013-14 thus works out to ₹6.75 per share of ₹ 10/- each.

7.3 In terms of extant guidelines, the Bank will pay the Dividend Distribution Tax for the Financial Year 2013-14. Accordingly, the total outflow on account of Dividend for the year 2013-14 will be ₹ 132.31crore including the Dividend Distribution Tax.

7.4 निवल लाभ में से ₹202.16 करोड़ की राशि सांविधिक एवं सामान्य आरक्षित निधियों में विनियोजित की गई, ₹207 करोड़ विशेष आरक्षित निधि में अंतरित किए गए, ₹23.17 करोड़ पूँजी आरक्षित निधि में, ₹1.54 करोड़ निवेश आरक्षित निधि में अंतरित की गई। इसके अलावा, ₹15 करोड़ कर्मचारी कल्याण निधि के प्रति विनियोजित किए गए।

8. निवल मालियत एवं सीआरएआर

8.1 बैंक की निवल मालियत 31 मार्च, 2013 के ₹9,566 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2014 को ₹10,085 करोड़ हो गई।

8.2 वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक ने बेसल III पूँजी के अंतर्गत अपने सीआरएआर को और मज़बूत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा पूँजी के निवेश हेतु अधिमान आधार पर ₹450 करोड़ की राशि हेतु प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्य के 1,46,27,486 ईक्विटी शेयर ₹307.64 प्रति शेयर के इश्यू मूल्य पर जारी करके आबंटित किए। टियर I और टियर II के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान कोई नए बॉंड जारी नहीं किए गए।

8.3 पूँजी पर जोखिम समायोजित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) जो 31 मार्च, 2013 को 12.33% था, वह 31 मार्च, 2014 को 12.21% (बेसल II) रहा, यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत मानदंड से अधिक है। बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर अनुपात 11.64% बनता है।

7.4 Out of the Net Profit a sum of ₹ 202.16 crore was appropriated to Statutory & General Reserves, ₹207 crore was transferred to Special Reserve, ₹ 23.17 crore to Capital Reserve, ₹1.54 crore to Investment Reserve. Also ₹15 crore was appropriated towards Staff Welfare Fund.

8. Net Worth and CRAR

8.1 The Net Worth of the Bank improved to ₹10,085 crore as on 31st March, 2014 from ₹9,566 crore as on 31st March, 2013.

8.2 During the year 2013-14, the Bank has issued and allotted 1,46,27,486 Equity shares of the face value of ₹10/- each at an issue price of ₹307.64 per share, amounting to ₹450 crore for infusion of capital by Government of India, on preferential basis, to further strengthen its CRAR under Basel III capital. Under Tier I and Tier II, no fresh bonds were issued during the year 2013-14.

8.3 The Capital to Risk Adjusted Assets Ratio (CRAR) stood at 12.21% (Basel II)as on 31st March, 2014 as against 12.33% as on 31st March, 2013 which is above the norm stipulated by Reserve Bank of India. The CRAR as per Basel III guidelines works out to 11.64%.

प्रवर्ग Category	बेसल III Basel III		बेसल II Basel II	
	मार्च March 2013	मार्च March 2014	मार्च March 2013	मार्च March 2014
टियर I पूँजी Tier I Capital	ला.न. NA	8.14%	8.33%	8.37%
टियर II पूँजी Tier II Capital	ला.न. NA	3.50%	4.00%	3.84%
योग Total	ला.न. NA	11.64%	12.33%	12.21%

8.4 ईक्विटी पर प्रतिलाभ, प्रति शेयर अर्जन और प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वित्त वर्ष के क्रमशः 16.27%, ₹96.74 और ₹645.76 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्रमशः 5.72%, ₹35.75 व ₹601.95 रहे।

9. समेकित लेखे

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2014 के अपने वित्तीय लेखों का अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. के लेखों के साथ समेकन किया है। 31 मार्च, 2014 के समेकित विवरण के अनुसार कार्प बैंक ग्रुप की निवल मालियत 31 मार्च, 2013 के ₹9,603 करोड़ की तुलना में ₹10,120 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2012-13 के क्रमशः ₹3,050.37 करोड़ के परिचालन लाभ और ₹1,443.24 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2013-14 हेतु समेकित परिचालन लाभ और निवल लाभ क्रमशः ₹3,049.35 करोड़ और ₹568.48 करोड़

8.4 The Return on Equity, Earnings per Share and Book Value per Share for the Financial Year 2013-14 stood at 5.72%, ₹35.75 and ₹601.95 respectively, as against 16.27%, ₹96.74 and ₹645.76 respectively for the previous Financial year.

9. Consolidated Accounts

9.1 As per RBI guidelines, the Bank has consolidated the financial accounts as at 31st March, 2014 with those of its wholly owned Subsidiary viz., Corp Bank Securities Ltd. As per the consolidated statement as on 31st March, 2014, the Net Worth of the Corp Bank group stood at ₹10,120 crore as compared to ₹9,603 crore as at 31st March, 2013. The consolidated Operating Profit and Net Profit for the financial year 2013-14 are ₹3,049.35 crore and ₹568.48 crore, respectively, compared to ₹3,050.37 crore and ₹1,443.24 crore, respectively, for the financial

रहे। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानदंडों का अनुपालन किया है।

10. बैंक के सेवा–आउटलेट

10.1 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के कुल सेवा आउटलेट 8,600 के स्तर को पार करते हुए 8,617 तक पहुँच गए जिसमें देश भर में 2,021 शाखाएं, 2,264 एटीएम और 4,332 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें 314 शाखाएं (बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोली 111 शाखाओं सहित), 839 एटीएम और 787 शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ वर्ष के दौरान खोली गई थीं। अपने वर्तमान और भावी एनआरआई ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दुबई एवं हांगकांग में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं। कुल 2,021 शाखाओं में से 501 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, 672 शाखाएं अर्ध शहरी केन्द्रों में, 427 शाखाएं शहरी केन्द्रों में और 421 शाखाएं महानगरीय केन्द्रों में हैं। उसी प्रकार, कुल 2,264 एटीएमों में से 269 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, 661 अर्ध शहरी क्षेत्रों में, 682 शहरी क्षेत्रों में और 652 महानगरों में हैं।

10.2 भारत के पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का फायदा उठाने के लिए और उस क्षेत्र में कारोबार विकास में केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य में भुबनेश्वर में एक नया आंचलिक कार्यालय खोला, जो 7 अगस्त, 2013 को परिचालनरत हो गया।

इसे मिलाकर देश भर में बैंक के अब कुल 32 आंचलिक कार्यालय हैं जो बेहतर नियंत्रण, निगरानी और बैंक के कारोबार के विकास हेतु शाखाओं का मार्गदर्शन करते हैं। बैंक के मुंबई, दिल्ली, बेंगलूर, चेन्नै, कोलकाता और अहमदाबाद में महा प्रबंधक के अधीन 6 मंडल कार्यालय भी हैं। ये मंडल कार्यालय, कार्पोरेट कार्यालय के विस्तारित अंग के रूप में कार्य करते हैं और ये अपने अधिकार क्षेत्र में आंचलिक कार्यालयों की कारोबार विकास योजनाओं का समर्थन एवं संचालन करने की बेहतर स्थिति में हैं। कार्पोरेट कार्यालय के जिन कार्यों को मंडल कार्यालयों को प्रत्यायोजित किया है, वे हैं आयोजना, विकास एवं संसाधन संग्रहण, ऋण मंजूरी, ऋण जोखिम प्रबंधन, वसूली एवं विधि, मानव संसाधान प्रबंधन, सहयोग सेवा और निरीक्षण एवं लेखा–परीक्षा।

11. विज्ञापन एवं प्रचार

11.1 वर्ष के दौरान बैंक के ब्रैंड और छवि निर्माण हेतु सघन प्रयास किए गए। बैंक ने अपने उत्पादों, सेवाओं, ब्याज दरों एवं निष्पादन से संबंधित सूचना ग्राहकों, शेयरधारकों तथा आम जनता को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी चैनलों, एफएम रेडियो स्टेशनों, होर्डिंग, ट्रान्सलाइट वेबसाइट, एटीएम इत्यादि के माध्यम से विज्ञापनों एवं प्रचार के ज़रिए पहुँचाना जारी रखा।

year 2012-13. The Bank has complied with the RBI guidelines and the Accounting Standards prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India.

10. Bank's Service Outlets

10.1 The Bank's total service outlets crossed 8,600 mark during the year ended 31st March, 2014 to reach 8,617 service outlets, comprising of 2,021 branches, 2,264 ATMs and 4,332 Branchless Banking Units across the country. Out of these 314 branches (including 111 branches opened in unbanked rural centres), 839 ATMs and 787 Branchless banking Units were opened during the year. The Bank is also having its representative offices at Hongkong and Dubai for catering to the existing and prospective NRI customers. Out of the total 2,021 branches, 501 branches are in Rural areas, 672 in Semi-urban centres, 427 in Urban areas and 421 in Metro centres. Similarly, of the total 2,264 ATMs, 269 are in rural areas, 661 in Semi-urban centres, 682 in urban areas and 652 are in metros.

10.2 To exploit the potential of Eastern Region of India and to have a focused approach for business development in that region, the Bank has opened a new Zonal office at Bhubaneswar in the state of Odisha, during the year which has started functioning from 7th August, 2013.

With the above, the Bank now has a total of 32 zonal offices spread across the country to have a better control, monitoring and guiding the branches for the development of the Bank's business. The Bank also has 6 Circle offices headed by General Managers operating at Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata and Ahmedabad. The Circle offices function as an extended arm of the Corporate Office, better equipped to support and drive business development plans of the Zonal Offices in their Command area. The Corporate office functions that are delegated to Circle offices are Planning, Development and Resource Mobilisation, Credit Sanctions, Credit Risk Management, Recovery and Legal, Human Resource Management, Support Services and Inspection and Audit.

11. Advertisement and Publicity

11.1 During the year, concerted efforts were made for enhancing the brand and image building of the Bank. The Bank continued to disseminate messages on its products, services, interest rates and its performance to the customers, shareholders and the general public through advertisements and publicity in Newspapers, Periodicals, TV Channels, FM Radio Stations, Hoardings, Translites, Website, ATMs, etc.

12. सरकारी कारोबार और बैंकाश्योरेन्स

12.1 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक का कुल प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर संग्रहण 17.33 लाख चालानों सहित ₹43,125 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 15.87 लाख चालानों सहित ₹43,136 करोड़ था। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राज्य वैट संग्रहण 5.05 लाख चालानों में ₹5,884 करोड़ तक पहुँचा जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3.62 लाख चालानों में ₹4,920 करोड़ रहा। संग्रहीत राशि और चालानों के अंतर्गत क्रमशः 19.59% और 39.50% की वृद्धि दर दर्ज हुई।

12.2 बैंक ने मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु सरकारी कारोबार के अंतर्गत ₹8.69 करोड़ की आय प्राप्त की है जबकि पिछले वर्ष यह ₹8.88 करोड़ थी। 1 जुलाई, 2012 से ई-पेमेंट के मामले कमीशन को ₹45 प्रति चालान से ₹12 प्रति चालान कर घटाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के कारण कर उगाही से प्राप्त होने वाली आय प्रभावित हुई है।

12.3 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई कुछ नई पहल हैं – उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में ई-स्टैंपिंग की सुविधा विस्तारित करना, कार्पोरेट कार्यालय में स्थापित केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण कक्ष के ज़रिए दूरसंचार पेंशनरों को पेंशन के ऑनलाइन भुगतान की शुरुआत, कार्पोरेट नई पेंशन योजना के अंतर्गत 4000 से अधिक कर्मचारियों का पंजीकरण, बैंक के ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लैटफार्म प्रदान करने के लिए जियोजित बीएनपी पैरिबस के साथ गठबंधन व्यवस्था करना, भारत भर में 57 शाखाओं के ज़रिए पैन कार्ड कूपन जारी करने हेतु मेसर्स यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी एण्ड सर्विसस लि. के साथ गठबंधन व्यवस्था की है।

12.4 **बैंकाश्योरेन्स**: बैंक ज़ोर-शोर से जीवन बीमा और साधारण बीमा जैसे बैंकाश्योरेन्स उत्पादों का विपणन करता रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने इस कारोबार से ₹10.85 करोड़ आय अर्जित की है, इसमें 31.13% की दर से ₹2.58 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्ज हुई है। जीवन बीमा के अंतर्गत बैंक ने 28.34% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹7.17 करोड़ की आय अर्जित की है तथा साधारण बीमा के अंतर्गत 60.15% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹3.20 करोड़ की आय अर्जित की है।

13. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व:

13.1 वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान, एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के नाते बैंक ने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता निभाने के लिए मूलभूत ज़रूरतों और समाज के व्यापक हित पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कई कल्याणकारी उपाय शुरू किए हैं।

13.2 सामाजिक सरोकार हेतु समर्थन:

13.2.1 उत्तराखंड को सहायता:

उत्तराखंड राज्य में मूसलाधार वर्षा, बादल फटने, भू-स्खलन और बाढ़ के कारण रिहाइशी मकान, सड़कें और पुल ढह गए। एक

12. Government Business and Bancassurance

12.1 The total Direct/Indirect tax and Customs duty collections of the Bank for the year ended 31st March, 2014 reached ₹ 43,125 crore from 17.33 lakh challans as compared to ₹43,136 crore from 15.87 Lakh challans collected during the last year. The total State VAT collections for the year ended 31st March, 2014, reached ₹5,884 crore from 5.05 Lakh challans as against ₹4,920 crore from 3.62 Lakh challans collected last year, with a significant growth rate of 19.59% and 39.50% respectively under amount collected and challans handled.

12.2. The Bank has earned an aggregate income of ₹8.69 crore under Govt. Business during the FY ended March, 2014 as compared to ₹8.88 crore earned last year. The downward revision of commission from ₹45 to ₹12 per challan in case of e-payments effective from1st July, 2012, has impacted the income generated out of tax collection.

12.3 Some of the new initiatives undertaken by the Bank during the year are – Extension of E-stamping facility to the States of Uttar Pradesh and Rajasthan, Commencement of online payment of pension to telecom pensioners, through the Centralized Pension Processing Cell set up at Corporate Office, Registration of over 4000 employees under the Corporate New Pension Scheme, entering into tie-up arrangement with Geojit BNP Paribas for providing online trading platform for the Bank's clients and entering into tie-up arrangement with M/s UTI Infrastructure Technology & Services Ltd., for Issue of PAN card coupons through 57 branches.

12.4 **Bancassurance** : Bank has been aggressively marketing Bancassurance products like Life insurance and General insurance. During the year, the Bank has earned an income of ₹10.85 crore from this business, registering an absolute growth of ₹2.58 crore at 31.13%. Under life insurance, while the bank has earned an income of ₹7.17 crore registering a growth of 28.34%, under general insurance, the bank earned ₹3.20 crore registering a growth of 60.15%.

13. Corporate Social Responsibility:

13.1 As a responsible Corporate citizen, the Bank initiated several welfare measures aiming at the under privileged section of the society in fulfillment of its commitment to social priorities during the financial year 2013-2014.

13.2 Support to Societal Concerns:

13.2.1 Assistance to Uttarakhand:

The State of Uttarakhand was hit by torrential rains followed by cloudbursts, landslides and flash floods,

जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के नाते बैंक ने पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष, उत्तराखंड में रुपए एक करोड़ दान दिए।

13.2.2 **अन्य सीएसआर पहल:**

बैंक ने शिक्षा, ढाँचागत विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन से जुड़ी विभिन्न पहलों में सहभागिता भी की है। बैंक ने कई दीन-हीन, अनाथों, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष बच्चों आदि की सेवा करने वाली कई संस्थाओं को सहयोग दिया।

13.3 कार्पोरेशन बैंक आर्थिक विकास मंच (सीबीईडीएफ)

कार्पोरेशन बैंक आर्थिक विकास मंच (पं) को बैंक की एक लाभ-रहित आर्थिक इकाई के रूप में वर्ष 1992 में शुरू किया गया था और वह कार्पोरेट मिशन के अनुरूप अपने सामाजिक दायित्व को निभाते आ रहा है। इस न्यास का उद्देश्य आर्थिक उन्नति, सामाजिक विकास के लिए अपनी पूर्ण क्षमता का जनता को आभास कराने तथा उनके जीवन-स्तर को सुधारने के लिए आर्थिक विकास क्रियाकलाप करना और करने में मदद देना है। वर्ष 2013-14 के दौरान सामाजिक सरोकार की विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन हेतु ₹74.22 लाख के वित्तीय अनुदान वितरित किए गए। सहायता प्रदान किए गए क्षेत्रों में अस्पतालों को एंबुलेंस, यातायात वाहन और डयालिसिस मशीन देना, स्कूलों में क्लास रूम, लाइब्रेरी बिल्डिंग, ऑपन एयर थिएटर का निर्माण करना, स्कूलों में फर्नीचर, पेय जल सुविधा और वॉटर फिल्टर कम प्यूरिफायर उपलब्ध कराना आदि शामिल है।

13.4 "कार्प किरण" के ज़रिए सीएसआर क्रियाकलाप

वर्ष के दौरान बैंक ने प्रधान कार्यालय के अलावा मंडल कार्यालयों और आंचलिक स्तरों पर सीएसआर क्रियाकलापों के लिए "कार्प किरण" नाम से महिला कल्याण संघ गठित किया। बैंक ने वर्ष के दौरान "कार्प किरण" के माध्यम से सीएसआर क्रियाकलापों के तहत विभिन्न संस्थाओं को ₹10.64 लाख प्रदान किए। क्रियाकलापों में गरीब स्कूली छात्रों को तथा अनाथाश्रमों, वृद्धाश्रमों, निराश्रित गृहों के निवासियों को खाना, कपड़े, पुस्तकें आदि देना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों को सहायता देना, पीड़ित निर्धन लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना, पर्यावरण सजगता पहल को समर्थन देना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और गरीब लोगों के लाभ के लिए अन्य समुदाय विकास क्रियाकलाप करना शामिल है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक, देश भर में अधिक संस्थाओं एवं लाभार्थियों को "कार्प किरण" के क्रियाकलापों में शामिल करेगा।

13.5 कार्पोरेशन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (सीओबीएसईटीआई)

22.03.1996 को चिकमगलूर में स्थापित तथा 23.01.2013 को कोडगु में स्थापित कार्पोरेशन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान

washing away dwelling houses, roads and bridges. As a responsible Corporate Citizen, the Bank donated Rupees One crore to the Chief Minister's Relief Fund, Uttarakhand, towards relief and rehabilitation of the victims.

13.2.2 **Other CSR initiatives:**

The Bank has also involved itself with several initiatives in the field of Education, Development of infrastructure, Rural development, Health and Hygiene and Promotion of Art and Culture. The Bank supported many institutions who have been serving the Destitute, Orphans, Senior citizens and Special Children, etc.

13.3 Corporation Bank Economic Development Foundation [CBEDF]

The Corporation Bank Economic Development Foundation® a non-profit economic outfit Trust was launched in the year 1992 and continues to fulfill its social obligation in tune with corporate mission. The objective of the trust is to carry out or assist in carrying out economic development activities to help people realize their full potential for economic advancement, social development and to raise quality of their life. Financial grants to the extent of ₹74.22 lakh were disbursed for execution of various projects of social concerns during the year 2013-14. The areas of assistance included providing ambulance, transport vehicle and Dialysis Machine for hospitals, assistance for construction of class rooms, library building and open-air theatre in schools, providing furniture, drinking water facility and water-filter-cum-purifier in schools etc.

13.4 CSR Activities through "CorpKiran"

During the year, the Bank formed Women Welfare Associations under the name "CorpKiran" to extend the CSR activities through Circle Offices and Zonal Office levels, in addition to Head Office. The Bank granted ₹10.64 lakh to various institutions during the year for CSR activities through "CorpKiran". The activities included providing of food, clothing, books etc., to poor school children and inmates of orphanages, old age homes, destitute homes, helping physically and mentally challenged people, extending medical help to poor people in distress, supporting green initiatives, conducting awareness programmes and other community development activities benefitting poor people. In 2014-15 the Bank will extend the activities of "CorpKiran" to more number of Institutions and beneficiaries, throughout the country.

13.5 Corporation Bank Self Employment Training Institutes [COBSETI]

The Corporation Bank Self Employment Training Institutes, established on 22.03.1996 in Chikmagalur, and the other in Kodagu on 23.01.2013 are sponsored

(सीओबीएसईटीआई) बैंक द्वारा प्रायोजित एक प्रशिक्षण संस्थान हैं जो चिकमगलूर और कोडगु जिलों के बेरोज़गार युवकों की व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जहाँ बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवारों को रहने एवं खाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षित युवकों को स्वनियोजन उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में भी मदद दी जाती है। प्रारंभ से लेकर दोनों संस्थानों द्वारा 25,121 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। नियमित ईडीपी के अंतर्गत 9,831 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 6,685 बस गए हैं, जो 68% सफलता की दर दर्शाता है। बैंक ने वर्ष के दौरान दोनों संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹25.25 लाख का व्यय किया है। कार्पोरेशन बैंक स्वनियोजन प्रशिक्षण संस्थान, चिकमगलूर को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2013 के लिए "एए" प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा दिया है।

13.6 "ग्रामीण अभ्युदय वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श न्यास" (जीएएफएलसीसी ट्रस्ट)

13.6.1 बैंक ने विभिन्न केन्द्रों में 'वित्तीय साक्षरता-सह-ऋण परामर्श केन्द्र' (एफएलसीसी) स्थापित करने के लिए "ग्रामीण अभ्युदय वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श न्यास" (जीएएफएलसीसी ट्रस्ट) का प्रायोजन किया। ये केन्द्र ऐसे लोगों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं एवं सशक्तीकरण के लिए बैंक खाते की उपयोगिता के बारे में शिक्षित करते हैं जिन्होंने अभी तक बैंकिंग सेवाएं नहीं ली हैं। ये केन्द्र बीमा, बैंक में बचत और ऋण से संबंधित उत्पाद/सेवाओं आदि सहित वित्तीय पहलुओं के आधार पर उधारकर्ताओं को परामर्श भी देते हैं। 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार जीएएफएलसीसी ट्रस्ट ने 4 ज़िला स्तरीय और 14 ब्लॉक स्तरीय एफएलसीसी केन्द्र स्थापित किए हैं।

13.6.2 बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान उक्त ट्रस्ट की पूँजीगत और आवर्ती लागत तथा नए केन्द्रों की स्थापना हेतु ₹60.98 लाख प्रदान किया है। ट्रस्ट ने स्कूलों, कॉलेजों, अन्य संस्थाओं, स्वसहायता समूहों व अन्य स्थानों में 1,918 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं जिनमें 1,21,456 व्यक्तियों ने भाग लिया। ट्रस्ट ने गाँवों में 4,421 व्यक्तियों को ऋण परामर्श भी दिया। इसके अलावा, 791 लोगों को मोबाइल फोन के ज़रिए परामर्श दिया।

14. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

14.1 बैंक, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

14.2 राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक का समग्र निष्पादन अच्छा रहा है और वित्त मंत्रालय ने इसकी सराहना की

by the Bank to cater to the training needs of the rural un-employed youth hailing from the districts of Chikmagalur and Kodagu, where the Bank has the Lead Bank responsibility. The training is imparted free of cost with free boarding and lodging, to the trainees. The trained youth are also assisted in getting credit facilities from banks to set up self-employment ventures. 25,121 candidates have been trained by both the institutes since inception. 9,831 candidates were trained under regular EDPs, of which 6,685 have settled indicating a success rate of 68%. The Bank has incurred an expenditure of ₹25.25 lakh during the year for conducting the training programmes at both the Institutes. COBSETI, Chikmagalur has been graded as "AA" Training Institute by the Ministry of Rural Development, Government of India for the year 2013.

13.6 "Gramina Abhyudaya Financial Literacy and Credit Counseling Trust" [GAFLCC Trust]

13.6.1 The Bank has sponsored "Gramina Abhyudaya Financial Literacy and Credit Counseling Trust" [GAFLCC Trust] for establishment of "Financial Literacy-cum-Credit Counseling Centres" [FLCCs] at various locations. These Centres educate people who are yet to avail the Banking services, about the usefulness of the Bank account for their economic needs and empowerment. The Centres also provide counseling for the borrowers on the basis of financial aspects including insurance, savings and credit related products/services in the Bank etc. As on 31.03.2014 GAFLCC Trust has established 4 District level and 14 Block level FLCC centers.

13.6.2 The Bank has provided ₹60.98 Lakh for meeting the capital and recurring cost of the Trust and for establishment of new centers, during the year 2013-14. The Trust has conducted 1,918 Financial Literacy Camps at schools, colleges, other institutions, SHGs and others, involving 1,21,456 persons. The trust has also conducted credit counseling to 4,421 persons in the villages. Further, 791 persons were counseled through mobile phone.

14. Progressive use of Official Language:

14.1 The Bank ensures compliance of the provisions of Official Languages Act, 1963, Official Languages Rules, 1976 and various directions with regard to Official Language issued from time-to-time by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Financial Services Department, Ministry of Finance and the Reserve Bank of India.

14.2 The overall performance of the Bank in the field of official language implementation during the year 2013-14 has been very good and it has been lauded by the Ministry

है। स्टाफ सदस्यों के लाभार्थ हिन्दी कार्यशालाएं और प्रशिक्षण भी नियमित रूप से आयोजित किए गए।

14.3 बैंक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), मंगलूर, बेलगाँव, विजयवाड़ा एवं नेल्लूर तथा दक्षिण स्थित सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की राजभाषा समिति का संयोजक है। सदस्य संगठनों/बैंकों के स्टाफ सदस्यों के फायदे के लिए हर वर्ष विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं।

14.4 उक्त वित्त वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने बैंक के मुख्यालय का दौरा किया और राजभाषा कार्यान्वयन में बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वर्ष के दौरान संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने भी राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में बैंक का निरीक्षण किया। मंत्रालय ने संतोष व्यक्त किया और राजभाषा कार्यान्वयन में बैंक द्वारा की गई पहल की सराहना की।

14.5 बैंक राजभाषा के रूप में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न प्रकाशन प्रकाशित करता है। इनमें बैंक की तिमाही हिन्दी गृह पत्रिका "मंगला", नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी पत्रिका "त्रिधारा", दक्षिण स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा समिति की ओर से प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका "भारत भारती" शामिल हैं।

14.6 बैंक के संयोजकत्व में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) मंगलूर को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2012-13 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हेतु शील्ड प्राप्त हुआ।

15. बैंक द्वारा प्रायोजित अनुषंगियों और अन्य इकाइयों का निष्पादन

15.1 **कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड:** बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ (सीबीएसएल) ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ₹10.29 करोड़ की कुल आय, ₹9.96 करोड़ का कर पूर्व लाभ तथा ₹6.77 करोड़ का कर उपरांत लाभ (₹1.96 करोड़ के कर प्रावधान और ₹0.54 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति के प्रत्यावर्तन और ₹0.69 करोड़ के मैट क्रेडिट समायोजन के लेखांकन के बाद) अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 2012-13 हेतु ये आंकड़े क्रमशः ₹13.81 करोड़, ₹13.37 करोड़ और ₹8.57 करोड़ (2.66 करोड़ के कर प्रावधान और ₹4.22 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति के प्रत्यावर्तन का लेखांकन किया जबकि उपलब्ध ₹2.07 करोड़ के मैट क्रेडिट वापस जोड़ा गया) थे। 31.3.2014 को प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी ₹75 करोड़ रही जबकि ₹7.50 करोड़ के अंतिम लाभांश तथा ₹1.27 करोड़ के लाभांश वितरण कर की अदायगी और अधिशेष के पुनर्निवेश के बाद निवल मालियत ₹109.81 करोड़ रही। मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु प्रति शेयर अर्जन ₹0.90 रहा जबकि मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए यह ₹1.14 था। कंपनी म्युचुअल

of Finance. Hindi workshops and training programmes were conducted on a regular basis for the benefit of staff members.

14.3 The Bank is the convenor of Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Mangalore, Belgaum, Vijayawada and Nellore as well as that of the Official Language Committee of South Based Public Sector Banks. Various activities are conducted every year for the benefit of staff members of member organisations/ banks.

14.4 During the Financial Year, the Third Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language visited the Bank's Headquarters and appreciated the efforts being made by the Bank in official language Implementation. The Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance and Joint Director (OL) also inspected the Bank with regard to official language implementation during the year. The Ministry expressed its satisfaction and appreciated the Bank for initiatives taken for OL implementation.

14.5 The Bank is bringing out various publications for popularizing Hindi as the Official Language. These include "Mangala" – quarterly Hindi house-journal of the Bank, "Tridhara"– Hindi Journal published on behalf of TOLIC, Mangalore and "Bharat Bharati"- Hindi journal published on behalf of Official Language Committee of South Based Public Sector Banks.

14.6 The Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Mangalore under the convenership of the Bank secured shield from the Regional Implementation Office (South-West), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India for excellence in performance during the year 2012-13.

15. Performance of Subsidiaries and other units sponsored by the Bank

15.1 **Corp Bank Securities Limited**: The Bank's wholly owned subsidiary, Corp Bank Securities Limited (CBSL) has earned a total income of ₹10.29 crore, posted Profit Before Tax of ₹9.96 crore and Profit After Tax of ₹6.77 crore (after accounting for tax provision of ₹1.96 crore, reversal of deferred tax asset of ₹0.54 crore and MAT credit set off of ₹ 0.69 crore) for FY 2013-14, while the corresponding figures for FY 2012-13 were ₹13.81 crore, ₹13.37 crore and ₹8.57 crore respectively (after accounting of tax provision of ₹2.66 crore, reversal of deferred tax asset of ₹4.22 crore while ₹2.07 crore being MAT credit available was added back). The Paid up Equity Share Capital remained at ₹75 crore as on 31.3.2014 while the Net worth stood at ₹109.81 crore, after providing for ₹7.50 crore towards proposed final dividend and ₹1.27 crore as dividend distribution tax thereon, with the plough back of surplus. The Earning per Share for fiscal ended March, 2014 was ₹0.90 while it was ₹1.14 for the fiscal ended March, 2013. The

फंड उत्पादों के वितरण और जमा प्रमाणपत्रों, ट्रेशरी बिलों आदि जैसी अनुमोदित प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग जैसे क्रियाकलाप जारी रखी हुई है। कंपनी को ईक्विटी ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक विनियामक अनुमोदन और कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है और उक्त कारोबार को सक्रिय करने की प्रक्रिया में है।

16. निदेशक मंडल की संरचना

16.1 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।

16.2 श्री एस. आर. बंसल को केन्द्र सरकार ने बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने 5 अक्तूबर, 2013 को कार्यभार ग्रहण किया।

16.3 सुश्री एना रॉय को केन्द्र सरकार ने बैंक के निदेशक मंडल में सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने 23 मई, 2013 से कार्यभार ग्रहण किया। दिनांक 16.04.2014 से सुश्री एना रॉय के स्थान पर श्री मनीष गुप्ता को केन्द्र सरकार ने बैंक के निदेशक मंडल में सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

16.4 श्री एकनाथ बालिगा को केन्द्र सरकार ने अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने 17.10.2013 से कार्यभार ग्रहण किया।

16.5 श्री बोनम वेंकट भास्कर को केन्द्र सरकार ने बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामांकित किया और उन्होंने 4 नवंबर, 2013 से कार्यभार ग्रहण किया।

16.6 श्री आदीश कुमार जैन को केन्द्र सरकार ने बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामांकित किया और उन्होंने 26.12.2013 से कार्यभार ग्रहण किया।

16.7 उक्त अवधि के दौरान निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्य निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त हुए:

- सुश्री एना रॉय सरकार नामिती निदेशक के रूप में 15.04.2014 को सेवानिवृत्त हुईं।
- श्री अजय कुमार 30.06.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
- श्री ललित किशोर मीणा 23.05.2013 को सरकार नामिती निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
- श्री कौशिक कुमार घोष ने 15.04.2013 को अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।

16.8 निदेशक मंडल, बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान तथा बैंक के निदेशक के पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान बैंक के व्यापार संचालन में श्री अजय कुमार, श्री ललित किशोर मीणा, सुश्री एना रॉय और श्री कौशिक कुमार घोष से प्राप्त मार्गदर्शन एवं विवेकपूर्ण परामर्श की सराहना अभिलिखित करता है।

17. निदेशकों के दायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में:-

Company continues to pursue its activity of distribution of Mutual Fund Products and trading in approved Securities like Certificate of Deposits, Treasury Bills etc. The Company has secured requisite regulatory approvals for commencement of equity broking business and the connectivity and is taking forward to activate the business.

16. Constitution of Board of Directors

16.1 The following changes have taken place in the Board of Directors of the Bank during the financial year ended 31st March, 2014.

16.2 Shri S. R. Bansal was appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank by the Central Government and he assumed office on 5th October, 2013.

16.3 Ms. Anna Roy was appointed by the Central Government as Government Nominee Director on the Board of the Bank and she assumed office with effect from 23rd May, 2013. With effect from 16.04.2014, Shri Manish Gupta has been appointed by the Central Government as Government Nominee Director on the Board of the Bank, replacing Ms. Anna Roy.

16.4 Shri Ekanath Baliga was appointed by the Central Government as Officer employee Director and he assumed office with effect from 17.10.2013.

16.5 Shri Bonam Venkata Bhaskar was nominated by the Central Government as Part time Non-official Director on the Board of the Bank and he assumed office with effect from 4th November, 2013.

16.6 Shri Adish Kumar Jain was nominated by the Central Government as Part time Non-official Director on the Board of the Bank and he assumed office with effect from 26.12.2013.

16.7 The following members retired from the Board of the Bank during the period:

- Ms. Anna Roy retired as Government Nominee Director on 15.04.2014.
- Shri Ajai Kumar retired as Chairman and Managing Director on 30.06.2013.
- Shri Lalit Kishore Meena retired as Government Nominee Director on 23.05.2013.
- Shri Kaushik Kumar Ghosh completed his term as Officer Employee Director on 15.04.2013.

16.8 The Board places on record its appreciation for the guidance and counsel received from Shri Ajai Kumar, Shri Lalit Kishore Meena, Ms. Anna Roy and Shri Kaushik Kumar Ghosh, during deliberations of the Board/Committees of the Board and also in the conduct of the Bank's business during their tenure of office as Directors of the Bank.

17. Directors' Responsibility Statements

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2014:-

17.1 महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के संदर्भ में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

17.2 लेखा नीतियों का चयन करके उन्हें सतत रूप से लागू किया गया तथा ऐसे अनुमान और प्राक्कलन किए गए जो युक्तिसंगत और विवेकसम्मत हैं कि वे वित्त वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और उक्त अवधि के लिए बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सही तस्वीर दें। लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन किया हो तो उसका उचित प्रकटन किया गया है।

17.3 बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने हेतु इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों को रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई।

17.4 वार्षिक लेखे सतत संस्था आधार पर तैयार किए गए थे।

17.5 बैंक द्वारा अनुपालन करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और कारगर रूप से काम कर रहे थे।

17.6 सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ निर्धारित की गई थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और कारगर रूप से काम कर रही थीं।

18. आभार

18.1 बैंक के शेयरधारकों, प्रतिष्ठित ग्राहकों, शुभचिंतकों, शेयर अंतरण एजेंट और भारत तथा भारत के बाहर के प्रतिनिधियों को उनकी सद्भावना, संरक्षण तथा हार्दिक सहयोग हेतु निदेशकगण धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

18.2 भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बीएसई, एनएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों से बैंक परिचालन में प्राप्त बहुमूल्य एवं समयोचित परामर्श, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए, निदेशकगण कृतज्ञतापूर्वक आभार ज्ञापित करते हैं।

18.3 निदेशकगण, सभी स्तरों के स्टाफ सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान बैंक की चहुँमुखी प्रगति से और ऊँचाइयाँ पाने के लिए योगदान दिया और आने वाले वर्षों में कार्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनकी सतत सहभागिता की आशा करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 23.05.2014

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

17.1 The applicable Accounting Standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.

17.2 Accounting Policies had been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period. Any change in the Accounting policies, are properly disclosed.

17.3 Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the relevant Acts for safeguarding the assets of the bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

17.4 The Annual Accounts were prepared on a going concern basis.

17.5 Internal financial controls had been laid down to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

17.6 Proper systems were in place to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

18. Acknowledgements

18.1 The Directors thank the shareholders, valued customers, well-wishers, Share Transfer Agent and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and support.

18.2 The Directors acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Government of Karnataka, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), BSE, NSE, NSDL, CDSL, various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank, in the functioning of the Bank.

18.3 The Directors place on record their deep appreciation of the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realisation of the corporate goals of the Bank in the years ahead.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mangalore
Date : 23.05.2014

(S. R. Bansal)
Chairman & Managing Director

प्रबंधन विवेचन और विश्लेषण
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. मौद्रिक और ऋण नीति 2013-14

1.1 वर्ष 2013-14 हेतु वार्षिक मौद्रिक नीति एक ऐसे वातावरण में तैयार की गई थी जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरीकरण के प्रारंभिक संकेत और घरेलू अर्थव्यवस्था में, मामूली ही सही, सुधार के आसार नज़र आ रहे थे।

1.2 इस पृष्ठभूमि में, मौद्रिक नीति का रुख इन चिंताओं पर केन्द्रित था:

- वृद्धि पर हावी जोखिमों के निराकरण पर ध्यान जारी रखना।
- मुद्रास्फीति के दबावों के पुनः उभरने तथा मुद्रास्फीति अनुमानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के जोखिमों के विरुद्ध सतर्क रहना।
- अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए तरलता का समुचित रूप से प्रबंधन करना।

1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक को यह उम्मीद थी कि पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 14 में आर्थिक गतिविधि में मामूली सुधार होगा। इस धारणा के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था में 2013-14 के दौरान 5.7% की वृद्धि होने का अनुमान था। घरेलू माँग-आपूर्ति संतुलन, विश्व पण्य कीमतों का रुझान और सामान्य मानसून के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद थी कि 2013-14 के दौरान डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति लगभाग 5.5% के दायरे में रहेगी।

1.4 उपर्युक्त वृद्धि पूर्वानुमानों और भारतीय रिज़र्व बैंक की मुद्रास्फीति सहन सीमा के अनुरूप नीतिगत प्रयोजनों के लिए 2013-14 हेतु एम3 की वृद्धि 13.0% स्तर पर पूर्वानुमानित की गई थी। परिणामस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में 14.0% की वृद्धि होने का पूर्वानुमान था। निजी क्षेत्र की संसाधन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण में 15.0% की वृद्धि का पूर्वानुमान था।

1.5 उक्त आकलन के आधार पर रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को 7.5% से 7.25% तक 25 आधार अंक से घटाने का निर्णय किया। एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर, जो रेपो दर से 100 आधार अंक कम स्तर पर निर्धारित की जाती है, स्वतः 6.25% के स्तर पर समायोजित हुई। मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी (एमएसएफ) दर, जिसका निर्धारण रेपो दर से 100 आधार अंक ऊपर होता है, 8.25% स्तर पर समायोजित हुई।

1.6 प्रस्तावित कुछ अन्य महत्वपूर्ण विनियामक और विकासोन्मुख उपाय निम्नानुसार थे:

- बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संविभाग में परिपक्वता-तक-धारित (एचटीएम) प्रवर्ग बाँडों को रखने की अपेक्षा को वर्तमान 25% से 23% तक घटाना।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की ऋण सीमाओं में वृद्धि करना।
- सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में त्वरित शाखा विस्तार।

1. Monetary and Credit Policy 2013-14

1.1 The Annual Policy for 2013-14 was formulated in an environment of incipient signs of stabilization in the global economy and prospects of a turnaround, albeit modest, in the domestic economy.

1.2 Against this backdrop, the stance of monetary policy was intended to:

- Continue to address the accentuated risks to growth.
- Guard against the risks of inflation pressures re-emerging and adversely impacting inflation expectations.
- Appropriately manage liquidity to ensure adequate credit flow to the productive sectors of the economy.

1.3 The RBI expected a modest improvement in economic activity in FY14 compared to previous year. Based on this assumption, the country's economic growth was projected to grow at 5.7% in 2013-14. Keeping in view the domestic demand-supply balance, the outlook for global commodity prices and the forecast of a normal monsoon, WPI inflation was expected to be range-bound around 5.5% during 2013-14.

1.4 Consistent with the above growth projections and the RBI's inflation tolerance threshold, M3 growth for 2013-14 was projected at 13.0% for policy purposes. Consequently, aggregate deposits of SCBs were projected to grow by 14.0%. Keeping in view the resource requirements of the private sector, the growth in non-food credit of SCBs was projected at 15.0%.

1.5 On the basis of the assessment, the Reserve Bank decided to reduce the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 25 basis points from 7.5% to 7.25%. The reverse repo rate under the LAF, determined with a spread of 100 basis points (bps) below the repo rate, automatically adjusted to 6.25%. The Marginal Standing Facility (MSF) rate, determined with a spread of 100 bps above the repo rate, adjusted to 8.25%.

1.6 Some other important regulatory and developmental measures proposed were as follows:

- Reduce the requirement of holding held-to-maturity (HTM) category bonds in the statutory liquidity ratio (SLR) portfolio for the banks to 23% from the existing 25%.
- Enhanced the loan limits to micro and small enterprises for priority sector classification.
- Speedier branch expansion in unbanked rural centers for ensuring seamless roll out of Direct Benefit Transfer Scheme of the Government.

- महापात्र समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना।
- कार्पोरेटों की बचाव-व्यवस्था रहित फॉरेक्स एक्सपोज़र स्थितियों के कारण कार्पोरेटों को बैंकों के एक्सपोज़र पर जोखिम भार पर प्रावधान अपेक्षाओं में वृद्धि की।
- महानगरीय क्षेत्रों में सभी ज़िलों को अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लाना।
- विलंब को कम करने और प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ निर्यातकों के आदान-प्रदान को सुधारना।
- एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे जा रहे करेंसी फ्यूचरों का घरेलू एक्सचेंजों में उपयोग करते हुए अपने करेंसी जोखिम को हेज करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति देना।
- भुगतान प्रणाली संरचना का अंग बनने के लिए बैंकेतर प्राधिकृत संस्थाओं को अनुमति देना।
- बैंकों द्वारा परेषण आधार पर स्वर्ण के आयात केवल स्वर्ण आभूषणों के निर्यातकों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित रखना।
- श्वेत लेबल पीओएस पर चर्चा पत्र तैयार करना और टिप्पणियों के लिए इसे पब्लिक डोमेन पर रखना।
- एक समान, निष्पक्ष और पारदर्शी कीमत निर्धारण नीति अपनाना और मूल शाखा और गैर-मूल शाखाओं के ग्राहकों के बीच भेदभाव न करना और यह सुनिश्चित करना कि बैंक ग्राहकों के साथ निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाता है।

2. 2013-14 में समष्टि-आर्थिक परिदृश्य

2.1 केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) के अग्रिम प्राक्कलनों के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2014 में 4.9% रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की 4.5% की वृद्धि दर की तुलना में कुछ बेहतर वृद्धि है। इसका मुख्य कारण कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन है। 2013-14 में 4.6% की औसत वृद्धि के साथ पहली, दूसरी और तीसरी तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि क्रमशः 4.4%, 4.8% और 4.7% रही।

2.2 अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, 2012-13 के 1.4% की तुलना में 2013-14 में 4.6% रहने की संभावना है। दूसरी ओर, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि पिछले वर्ष के 1.1% की तुलना में वित्त वर्ष 2014 में -0.2% घटने की संभावना है। खनन और उत्खनन में वृद्धि एक वर्ष पूर्व -1.9% रहने की संभावना है, जबकि एक वर्ष पहले यह -2.2% सिकुड़ गई थी। वित्त, बीमा, स्थावर संपदा सहित सेवा क्षेत्रों और कारोबार सेवा क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2013 के 6.2% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2014 में 6.3% तक वृद्धि होने की संभावना है।

2.3 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में, 2012-13 की 1.1% वृद्धि की तुलना में 2013-14 के दौरान 0.1% की नकारात्मक वृद्धि देखी गई। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, बुनियादी माल, पूंजीगत माल और मध्यवर्ती माल में 2013-14 के दौरान क्रमशः 2.0%, -3.7%

- Finalized the prudential guidelines on restructuring of advances by banks and financial institutions based on the Mahapatra Committee recommendations.
- Increased the risk weights and provisioning requirements on banks' exposure to corporates on account of corporates' unhedged forex exposure positions.
- Bring all districts in metropolitan areas under the fold of the Lead Bank Scheme.
- Improve the interface of exporters with banks and financial institutions to cut delays and streamline procedures.
- To allow FIIs to hedge their currency risk by using exchange traded currency futures in the domestic exchanges.
- Allow non-bank authorized entities to be part of the payment system infrastructure.
- Restrict the import of gold on consignment basis by banks only to meet the genuine needs of exporters of gold jewellery.
- Prepare a discussion paper on White Label POS and place it in the public domain for comments.
- Follow a uniform, fair and transparent pricing policy and not discriminate between their customers at home branch and non-home branches with a view to ensure that bank customers are treated fairly and reasonably without any discrimination.

2. Macro-Economic Scenario in 2013-14

2.1 As per the advance estimate of the CSO, India's GDP growth was expected to moderate to 4.9% in FY14, a slightly better growth compared to previous year's growth rate of 4.5%, mainly on an improved performance in the agriculture and allied sectors. The GDP growth rate was 4.4%, 4.8% and 4.7% respectively in the first, second and third quarters of 2013-14 at an average of 4.6%.

2.2 As per advance estimates, the agricultural sector is likely to achieve a growth rate of 4.6% in 2013-14, compared to 1.4% 2012-13. On the other hand, manufacturing growth is expected to drop by -0.2% in FY14, from 1.1% in previous year. The growth in the mining and quarrying is likely to be at -1.9%, compared to contraction of -2.2% a year ago. The services sector including finance, insurance, real estate and business services sectors is likely to show growth of 6.3% in FY14, against 6.2% in FY 13.

2.3 The index of industrial production (IIP) showed a negative growth of 0.1% during 2013-14 compared with 1.1% growth in the 2012-13. As per the use based classification, the cumulative growth during 2013-14 for basic goods, capital goods and intermediate goods stood at 2.0%, -3.7% and 3.0% respectively. The consumer durables and consumer non-durables

और 3.0% की संचयी वृद्धि रही। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में क्रमशः -12.2% और 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई जिससे उपभोक्ता वस्तुओं में समग्र वृद्धि -2.6% रही। सेक्टर-वार वर्गीकरण के अनुसार, पिछले वर्ष के मुकाबले 2013-14 में, खनन और विनिर्माण में क्रमशः -0.8% और -0.8% की गिरावट हुई, जबकि बिजली क्षेत्र में 6.1% की वृद्धि दर्ज हुई।

2.4 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में आंकी गई मुद्रास्फीति, नवंबर 13 के 7.52% के उच्चतम स्तर और पिछले वर्ष की समरूपी अवधि के दौरान 5.65% की तुलना में मार्च 14 में 5.70% के 3 माह में उच्चतम स्तर पर थी। खाद्य मुद्रास्फीति (जिसका डब्ल्यूपीआई बास्केट में 14.3% का भार है) पिछले माह की 8.12% से मार्च 14 में 9.90% तक बढ़ी। दूसरी ओर, कोर मुद्रास्फीति फरवरी 14 के 3.20% के मुकाबले मार्च 14 में 12 महीनों में उच्चतम स्तर 3.50% तक बढ़ गई। 2013-14 में औसत थोक मूल्य मुद्रास्फीति पिछले वर्ष में देखी गई 7.36% की तुलना में 5.91% के स्तर पर रही। सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति पूर्व माह के 8.03% से मार्च 14 में 8.31% तक बढ़ गई। कोर सीपीआई मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य व ईंधन शामिल नहीं हैं, फरवरी 14 के 7.84% की तुलना में मार्च 14 में 7.82% के कम स्तर पर रही। 2013-14 में औसत खुदरा मुद्रास्फीति पिछले वर्ष देखी गई 10.18% की तुलना में 9.49% के कम स्तर पर रही।

2.5 अप्रैल-मार्च 2013-14 के लिए भारत के निर्यातों का संचयी मूल्य, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.98% की वृद्धि अंकित करते हुए $300.40 बिलियन के मुकाबले $312.36 बिलियन डॉलर पर बना रहा। आयातों का मूल्य, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 8.11% की नकारात्मक वृद्धि अंकित करते हुए $490.74 बिलियन के स्तर पर था, अप्रैल-मार्च, 2013-14 की अवधि के लिए $450.95 बिलियन रहा। अप्रैल-मार्च, 2013-14 के लिए व्यापार घाटा, $138.59 बिलियन होने का अनुमान है जो अप्रैल-मार्च, 2012-13 के $190.34 बिलियन के घाटे से कम है। भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी), 2013-14 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के 0.9% के रिकॉर्ड कम स्तर तक पहुंचा। पहली तीन तिमाहियों के लिए औसत सीएडी स्तर जीडीपी का करीब 2.3% है और प्रारंभिक प्राक्कलन के अनुसार यह स्तर, साल भर जीडीपी के करीब 2% पर बने रहने की संभावना है। यह स्तर, वित्त वर्ष 2013 में जीडीपी के 4.8% के रिकॉर्ड सीएडी स्तर से कम है।

2.6 वर्ष 2013-14 के दौरान प्रभावी राजस्व घाटे को छोड़कर सभी मुख्य घाटे समग्र रूप से बजट अनुमानों (बीई) की तुलना में संशोधित अनुमानों में कम रहे। जीडीपी के अनुसार जबकि 3.3% का राजस्व घाटा बजट अनुमान की तुलना में अपरिवर्तित रहा, सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) क्रमशः 4.6% और 1.3% के स्तर पर थे, इनमें प्रत्येक में 0.2% कम स्तर पर थे। वर्ष 2014-15 के दौरान जीएफडी-जीडीपी अनुपात में 4.1% तक 0.5% की कमी होने का अनुमान है।

2.7 2013-14 के दौरान, देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ यूएस $11.62 बिलियन बढ़कर 28 मार्च, 2014 को, यूएस $303.7 बिलियन के स्तर पर रही। रुपए की गिरावट पर रोक लगाने और घटती विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 सितंबर, 2013 को दो रियायती स्वैप सुविधाओं की घोषणा की जिसके अंतर्गत बैंक, विदेशी मुद्रा

have recorded a growth of -12.2% and 5.2% respectively, with an overall growth in consumer goods being -2.6%. As per the sector wise classification, mining and manufacturing decelerated to -0.8% and -0.8%, respectively, while electricity sector registered a growth of 6.1% in 2013-14 as against the preceding year.

2.4 Inflation as per WPI recorded a 3-month high of 5.70% in Mar'14 from as high as 7.52% in Nov'13 and 5.65% during the corresponding month of the previous year. Food inflation (which has a weight of 14.3% in the WPI basket) increased to 9.90% in Mar'14 from 8.12% in the previous month. On the other hand, core inflation increased to 12-month high of 3.50% in Mar'14 as against 3.20% in Feb'14. In 2013-14, the wholesale price inflation averaged 5.91%, lower than the 7.36% inflation seen in the preceding year. Retail inflation, based on CPI, increased to 8.31% in Mar'14 from 8.03% in the preceding month. Core CPI inflation, which excludes food and fuel, stood at 7.82% in Mar'14, lower than 7.84% in Feb'14. In 2013-14, the retail inflation averaged 9.49%, lower than the 10.18% inflation seen in the preceding year.

2.5 India's cumulative value of exports for the period Apr-Mar 2013-14 was $312.36 billion as against $300.40 billion, registering a growth of 3.98% over the same period last year. The value of imports for the period Apr-Mar 2013-14 was $450.95 billion as against $490.74 billion registering a negative growth of 8.11% over the same period last year. The trade deficit for Apr-Mar 2013-14 was estimated at $138.59 billion which was lower than the deficit of $190.34 billion during Apr-Mar. 2012-13. India's Current Account Deficit (CAD) reached a record low of 0.9% of GDP for Q3 of 2013-14. The average CAD level for the first three quarters is around 2.3% of GDP and as per the initial estimate it is likely to be around 2% of GDP for the whole year. This is lower than the record CAD level of 4.8% of GDP in FY 13.

2.6 All key deficits, with the exception of effective revenue deficit, have turned out to be lower in 2013-14 revised estimates (RE) than the budget estimates (BE), in absolute terms. In terms of GDP, while the revenue deficit of 3.3% remained unchanged from the BE, gross fiscal deficit (GFD) and primary deficit (PD) were lower by 0.2% points each, at 4.6% and 1.3% respectively. During 2014-15, the GFD-GDP ratio is budgeted to decline by 0.5% points to 4.1%.

2.7 During 2013-14, the country's foreign exchange reserves rose by US $11.62 billion and stood at US $303.7 billion as on 28th Mar'14. In order to arrest the slide in Rupee and to augment depleting forex reserves, RBI had announced two concessional swap facilities on 4th Sep'13, under which banks could swap dollars raised through foreign currency non-resident

अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियों और विदेशी उधार के ज़रिए जुटाए गए डॉलरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ स्वैप कर सकते हैं। सितंबर 13 से नवंबर 13 तक तीन माह की अवधि में आरक्षित निधियों में यूएस $16.5 बिलियन की वृद्धि हुई। दिसंबर 2013 से पोर्टफोलियो प्रवाह फिर से चालू होने से भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ 21 मार्च, 14 को यूएस $298.6 बिलियन तक पहुँच गईं, जो अगस्त 13 के अंत तक यूएस $28.2 बिलियन की वृद्धि दर्शाता है।

2.8 वित्त वर्ष 14 की तुलना में वित्त वर्ष 15 में आर्थिक वृद्धि अधिक होने की संभावना है। लेकिन स्थिति में सुधार की गति सामान्य हो सकती है। अवरुद्ध परियोजनाएं आंशिक रूप से बहाल होने और कारोबार और उपभोक्ता विश्वास में सुधार होने की वजह से निवेश क्रियाकलाप में तेज़ी आने के परिणामस्वरूप इस सुधार में मदद मिलने की उम्मीद है। उद्योग के लगातार कमज़ोर निष्पादन एल नीनो प्रभाव से कृषि के लिए जोखिम बढ़ जाने के कारण वृद्धि के लिए खतरा अब भी बना हुआ है। वित्त वर्ष 15 के लिए जीडीपी में वृद्धि हेतु विभिन्न एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूर्वानुमान 5% से 6% के बीच है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 15 में वृद्धि 5.5% के केन्द्रीय अनुमान तक घटने की आशंका जताते हुए 5% से 6% के बीच रहने का अनुमान लगाया है, वहीं नैशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) और आईएमएफ के पूर्वानुमान क्रमशः 5.6% से 5.4% हैं।

3. 2013–14 में बैंकिंग प्रवृत्तियाँ

3.1 वृद्धि में मंदी बनी रहने, मुद्रास्फीति जारी रहने, बढते रहे अशोध्य ऋणों और ऋणों की परिणामी पुरर्संरचना के चलते 2013–14 के दौरान बैंकिंग उद्योग के निष्पादन के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पडा।

3.2 अर्थव्यवस्था में बढ़ते स्फीतिकारी दबाव को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 2013–14 के दौरान नीतिगत ब्याज दरों में 75 आधार अंकों की वृद्धि की। तदनुसार, रेपो और रिवर्स रेपो दर क्रमशः 8% और 7% तक बढ़ गई जबकि सीआरआर 4% के स्तर पर अपरिवर्तित रखा गया। 3 मई, 13 को प्रस्तुत वार्षिक मौद्रिक नीति 2013–14 में भा.रि.बैं. ने रेपो दर में 7.25% तक 25 आधार अंकों की कमी की थी और रिवर्स रेपो दर 6.25% तक समायोजित की गई थी। तदुपरांत 20 सितंबर, 2013 को मध्य तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 7.5% तक 25 आधार अंको की बढ़ोतरी की गई थी। उसे 29 अक्तूबर, 13 को दूसरी तिमाही की समीक्षा में 7.75% तक फिर से 25 आधार अंकों से बढ़ाया गया था। अंत में, 28 जनवरी, 14 को प्रस्तुत तीसरी तिमही समीक्षा में रेपो दर में 8% तक 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई थी।

3.3 विनिमय बाज़ार दबावों के कारण, भा.रि.बैं. ने 2013–14 में असाधारण तरलता उपाय किए। 17 जुलाई, 13 से एमएसएफ दर को 10.25% तक 300 आधार अंकों से बढ़ाया गया। इसके अलावा, एलएएफ के अंतर्गत निधियों का समग्र आबंटन बैंकिंग प्रणाली की निवल माँग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 1.0% तक सीमित रखा गया। 24 जुलाई, 13 को एलएएफ के अंतर्गत समग्र सीमा को फिर से एनडीटीएल के 0.5% तक घटाया गया। बैंकों के लिए यह भी अपेक्षित था कि वे अपेक्षा के 99% तक न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष रखें। लेकिन, विनिमय दर पर दबाव कम होने के साथ ही भा.रि.बैं. ने क्रमिक रूप से असाधारण उपायों को वापस लिया। तदनुसार, 21 सितंबर, 13 को शुरू हुए पक्ष से लेकर न्यूनतम

(FCNR) deposits and overseas borrowings with the RBI. Over the three-month period from Sep'13-Nov'13, reserves surged by $16.5 billion. With the revival of portfolio flows since December 2013, India's forex reserves reached US$ 298.6 billion as on 21st Mar'14, an accretion of US$ 28.2 billion over end-Aug'13.

2.8 The economic growth in FY15 is likely to be higher than that in FY14. However, the pace of recovery is likely to be modest. The recovery is likely to be supported by investment activity picking up due to part resolution of stalled projects and improved business and consumer confidence. The downside risk to growth still remains on account of the continued weak performance of industry and increase in risks to agriculture from the El Nino phenomenon. The current projections for GDP growth for FY15 by various agencies and financial institutions range from 5% to 6%. While the RBI projected growth to be in the range of 5% to 6% in FY15, albeit with downside risks to the central estimate of 5.5%, the projection of National Council of Applied Economic Research (NCAER) and IMF stands at 5.6% & 5.4%, respectively.

3. Banking Trends in 2013-14

3.1 The combination of growth slowdown, persistence of inflation, rising bad loans and resultant restructuring of loans have posed a significant challenge for the performance of banking industry during 2013-14.

3.2 Taking cognizance of rising inflationary pressure in the economy, the Reserve Bank hiked policy interest rates by 75 bps during 2013-14. Accordingly, Repo and Reverse Repo Rate rose to 8% and 7%, respectively, while CRR was kept unchanged at 4%. In the Annual Monetary Policy 2013-14 presented on 3rd May'13, the RBI had reduced Repo Rate by 25 bps to 7.25% and the Reverse repo rate was adjusted to 6.25%. Thereafter, repo rate was increased by 25 bps to 7.5% in the Mid Quarter Monetary Policy Review on 20th Sep'13. It was further increased by 25 bps to 7.75% in the 2nd Quarter Review on 29th Oct'13. Finally, in the 3rd Quarter Review presented on 28th Jan'14, the repo rate was increased by 25 bps to 8%.

3.3 Due to exchange market pressures, the RBI took exceptional liquidity measures in 2013-14. The MSF rate was increased by 300 bps to 10.25% from 17th July'13. Besides, the overall allocation of funds under the LAF was limited to 1.0% of the Net Demand and Time Liabilities (NDTL) of the banking system. The overall limit under LAF was further reduced to 0.5% of NDTL on 24th July'13. Banks were also required to maintain a minimum daily CRR balance of 99% of the requirement. However, with the ebbing of pressures on exchange rate, the RBI rolled back exceptional measures in a calibrated manner. Accordingly, the minimum CRR balance was reduced to 95% effective from the fortnight beginning 21st

सीआरआर शेष को 95% तक घटाया गया। सितंबर 13 की मध्य-तिमाही समीक्षा में एमएसएफ दर को 10.25% से 9.5% तक 75 आधार अंकों की कमी की गई थी और फिर 8 अक्तूबर, 13 को फिर से 50 आधार अंकों की कमी की गई थी। 29 अक्तूबर, 13 को प्रस्तुत मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही की समीक्षा में एमएसएफ दर में 8.75% तक 25 आधार अंकों की कमी की गई थी और इससे उसका और रेपो दर के बीच का अंतर 100 आधार अंकों के सामान्य स्तर तक कम हो गया।

3.4 2013-14 के दौरान, भा.रि.बैं. ने एलएएफ, एमएसएफ और टर्म रेपो के ज़रिए ₹906 बिलियन और निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) के ज़रिए ₹294 बिलियन की औसत दैनिक निवल तरलता निविष्ट के अलावा तत्काल खुले बाज़ार परिचालनों (ओएमओ) के ज़रिए ₹520 बिलियन की हद तक निवल तरलता भर दी। चौथी तिमाही के दौरान एलएएफ, एमएसएफ और टर्म रेपो के ज़रिए दैनिक आधार पर औसत ₹1.1 ट्रिलियन और ईसीआर के ज़रिए ₹397 बिलियन तरलता निविष्ट की गई।

3.5 वित्त वर्ष 14 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कारोबार मंद रहा, जो स्पष्ट रूप से कम आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि में पिछले वर्ष की समरूपी अवधि की 14.3% तुलना में 21 मार्च, 14 को 14.6% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई। लेकिन, जमा संग्रहण में अधिकतर वृद्धि वित्त वर्ष 14 के उत्तरार्ध में हुई जिसका मुख्य कारण बैंकों द्वारा भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियों को रुपया जमाराशियों में स्वैप करना है। इसके उपरांत 13 दिसंबर, 13 को समाप्त पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि 17.0% के उच्चतम स्तर पर पहुँची। तत्पश्चात् जमा वृद्धि फिर से शिथिल होकर 15% के आसपास पहुँच गई। पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि के 13.8% की तुलना में 2013-14 (21 मार्च, 14 तक) के लिए स्थूल मुद्रा (एम3) 13.5% तक बढ़ गई।

3.6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की खाद्येतर ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 14 के लिए भा.रि.बैं. के 15% के अनुमान से कम रही। 21 मार्च, 13 को वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 14.5% (एक वर्ष पूर्व के 14.1% से अधिक) रही। 18 सितंबर, 13 को समाप्त पक्ष के लिए ऋण संवृद्धि 18.2% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के उच्चतम स्तर पर पहुँची। अगस्त एवं सितंबर में ऋण की माँग बढ़ गई क्योंकि भा.रि.बैं. ने रुपए की गिरावट को रोकने के लिए जुलाई में तरलता को कम करने के असाधारण उपाय किए।

मुद्रा नीति पर ऊर्जित पटेल पैनल की सिफारिश के अनुरूप भा.रि.बैं. ने 1 अप्रैल, 14 से द्वैमासिक मुद्रा नीति समीक्षा की नई व्यवस्था अपनाने का भी निर्णय लिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भा.रि.बैं. प्रत्येक वित्त वर्ष में वर्तमान आठ समीक्षाओं की प्रथा के स्थान पर छह समीक्षाएं करेगा।

4. बैंक का परिचालनगत निष्पादन

4.1 जमा संग्रहण

4.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान कासा वृद्धि के लिए अनेक अभियान संचालित करने की रणनीति के साथ ग्राहक विस्तार पर ज़ोर दिया गया। इन अभियानों से 24.33 लाख से अधिक चालू एवं बचत खाते खोले गए। खुदरा जमाराशियों हेतु प्रमुख और नई शाखाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया। ₹1 करोड़ से कम खुदरा जमाराशियों को संग्रहीत करने के लिए दिसंबर 2013

Sep'13. The MSF rate was reduced by 75 bps from 10.25% to 9.5% in the Mid-Quarter Review of Sep'13 and further by 50 bps on 8th Oct'13. In the 2nd Quarter Review of Monetary Policy presented on 29th Oct'13, the MSF rate was reduced by 25 bps to 8.75% and this has brought down the gap between it and the repo rate back to its normal level of 100 bps.

3.4 During 2013-14, RBI injected net liquidity to the tune of about ₹520 billion through outright Open Market Operations (OMOs), besides an average daily net liquidity injection of ₹906 billion through LAF, MSF and term repos and ₹294 billion through export credit refinance (ECR). During Q4, an average ₹1.1 trillion has been injected on a daily basis via LAF, MSF and term repos and ₹397 billion through ECR.

3.5 Scheduled Commercial Banks' (SCBs') business in FY14 was subdued, clearly showing lower economic activity. The deposit of SCBs has registered a y-o-y growth of 14.6% as at 21st Mar'14, as against 14.3% in the corresponding period last year. However, much of the growth in deposit mobilization happened in the second half of FY14, largely aided by a surge in foreign currency non-resident (FCNR) deposits swapped by banks into Rupee deposits. Following this, deposit growth of SCBs even reached a high of 17.0% for the fortnight ended 13th Dec'13. Thereafter, deposits growth has cooled down once again to around 15%. Broad money (M3) for 2013-14 (up to 21st Mar'14) increased by 13.5% as compared to 13.8% during the corresponding period of last year.

3.6 The non-food credit growth of SCBs trended below the RBI projection of 15% for FY14. As on 21st Mar'13, the y-o-y growth in credit stood at 14.5% (up from 14.1%, a year ago). Credit growth had hit a high of 18.2% y-o-y for the fortnight ended 18th Sep'13. Credit demand increased in August and September as the RBI took extraordinary liquidity tightening measures in July to stem a slide in the Rupee.

The RBI has also decided to move to a new regime of bi-monthly monetary policy review starting 1st Apr'14, which is in line with the recommendation of the Urjit Patel panel on monetary policy. Under the new regime, RBI will hold six reviews in each financial year, against the present practice of eight.

4. Bank's Operational Performance

4.1 Deposit Mobilisation

4.1.1 During the year 2013-14 emphasis was laid on clientele expansion with strategy of lining up a series of campaigns for CASA growth. The campaigns saw opening of over 24.33 lakh Current and Savings accounts. Key Branches and New branches were focused for mobilisation of retail deposits. A special Deposit Scheme CORP1111 for a tenure of 1111 days offering attractive interest rate was launched in the month of

माह में 1111 दिनों की अवधि के लिए कार्प1111 नाम की एक विशेष जमा योजना शुरू की गईं जिनके लिए आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश की गई। इस जमा योजना के तहत 23.12.2013 से 31.03.2014 के बीच की अवधि के दौरान 48,819 खातों में ₹926.81 करोड़ की राशि संग्रहीत की गई।

4.1.2 निष्पादन की प्रमुख विशिष्टताएं:

i) बैंक की बैंकेतर जमाराशियाँ, 31 मार्च, 2014 को ₹1,72,017 करोड़ तक पहुँचीं जिसमें 17.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹25,493 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हासिल की गई। जमा प्रमाणपत्र (सीडी) सहित बैंक की कुल जमाराशियाँ, 31 मार्च, 2014 को ₹1,93,393 करोड़ तक पहुँची जिसमें 16.50% की वृद्धि दर से ₹27,388 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

ii) चालू जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹15,180 करोड़ की तुलना में ₹14,823 करोड़ के स्तर पर रहीं।

iii) बचत जमाराशियाँ 17.91% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर से ₹3,719 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ ₹24,478 करोड़ के स्तर तक पहुँचीं।

iv) कुल बैंकेतर जमाराशियों में माँग जमाराशियों का हिस्सा 22.85% रहा।

v) मीयादी जमाराशियाँ (सीडी और अंतर-बैंक जमाराशियों को छोड़कर) 20.01% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर से ₹22,131 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ ₹1,32,715 करोड़ के स्तर तक पहुँचीं।

vi) बैंक की समग्र औसत जमाराशियाँ 20.56% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹28,106 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2014 को ₹1,64,824 करोड़ हो गईं। औसत कासा 11.67% की वृद्धि दर के साथ ₹2,968 करोड़ बढ़ते हुए ₹28,410 करोड़ हो गया।

vii) बैंक ने वर्ष के दौरान 26,83,451 नए जमा खाते संग्रहित किए जिनमें 23,91,538 नए खाते माँग जमाराशियों के अंतर्गत खोले गए।

4.2 ऋण संवृद्धि

4.2.1 बैंक का ऋण संविभाग 31.03.2013 के ₹1,18,717 करोड़ से 31.03.2014 को ₹1,37,086 करोड़ तक बढ़ गया, इसमें 31.03.2014 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 15.47% की दर पर ₹18,369 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्ज हुई। ऋण में वृद्धि, कृषि, खुदरा, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेष ध्यान देते हुए बैंक के विभिन्न ऋण उत्पादों के सघन विपणन प्रयासों से प्राप्त की गई।

4.2.2 औसत अग्रिमों में ₹18,784 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जो मार्च 2013 के ₹98,256 करोड़ से 19.1% वृद्धि दर के साथ मार्च 2014 को ₹1,17,040 करोड़ हो गए। 31.03.2014 को ऋण-जमा अनुपात 70.88% रहा।

4.2.3 आधारभूत संरचना ऋण:

आधारभूत संरचना क्षेत्र को ऋण देते हुए बैंक, राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में अधिक भागीदारी का प्रयास करता रहा है। 31.03.2014 को बैंक का

December 2013 for mobilizing retail deposits of less than ₹1 crore. An amount of ₹926.81 crore was mobilized under this scheme during the period between 23.12.2013 to 31.03.2014 from 48,819 accounts.

4.1.2 Performance Highlights:

i) The Non-Bank Deposits of the Bank has reached a level of ₹1,72,017crore as at 31st March, 2014, registering a year-on-year growth of ₹25,493 crore at 17.4%. The total deposits of the Bank including Certificate of Deposits (CD's) reached a level of ₹1,93,393 crore as at 31st March, 2014, registering year-on-year growth of ₹27,388 crore at 16.50%.

ii) Current Deposits stood at ₹14,823 crore as against ₹15,180 crore in the previous year.

iii) Savings Deposits reached ₹24,478 crore with net accretion of ₹3,719 crore at 17.91% Y-O-Y growth.

iv) The Share of Demand Deposits in total Non-Bank Deposits stood at 22.85%.

v) Term deposits (excluding CDs & Inter Bank Deposits) reached a level of ₹1,32,715 crore with a net accretion of ₹22,131crore at a growth rate of 20.01% Y-O-Y.

vi) The Aggregate Average Deposits of the Bank increased by ₹28,106 crore and stood at ₹1,64,824 crore as at 31st March, 2014 recording a growth of 20.56% year-on-year. Average CASA grew by 11.67% with net accretion of ₹2,968 crore and stood at ₹28,410 crore.

vii) The Bank has added 26,83,451 new Deposit Accounts during the year of which, 23,91,538 new accounts have been added under Demand Deposits.

4.2 Credit Growth:

4.2.1 The credit portfolio of the Bank increased from the level of ₹1,18,717crore as at 31.03.2013 to ₹1,37,086 crore as on 31.03.2014, with an absolute growth of ₹18,369 crore at 15.47% during the financial year ended 31.03.2014. Growth in credit was achieved through intense marketing of various loan products of the Bank with special thrust on Agriculture, Retail, Small & Medium Enterprises.

4.2.2. The average advances grew by ₹18,784 crore from the level of ₹98,256 crore as at March 2013 to ₹1,17,040 crore as at March 2014, registering a growth rate of 19.1%. The CD ratio as on 31.03.2014, stood at 70.88%.

4.2.3 Infrastructure Lending:

The Bank has been endeavoring to participate more in the nation building activities by extending credit to infrastructure sector. As at 31.03.2014, Bank's credit to Infrastructure stood

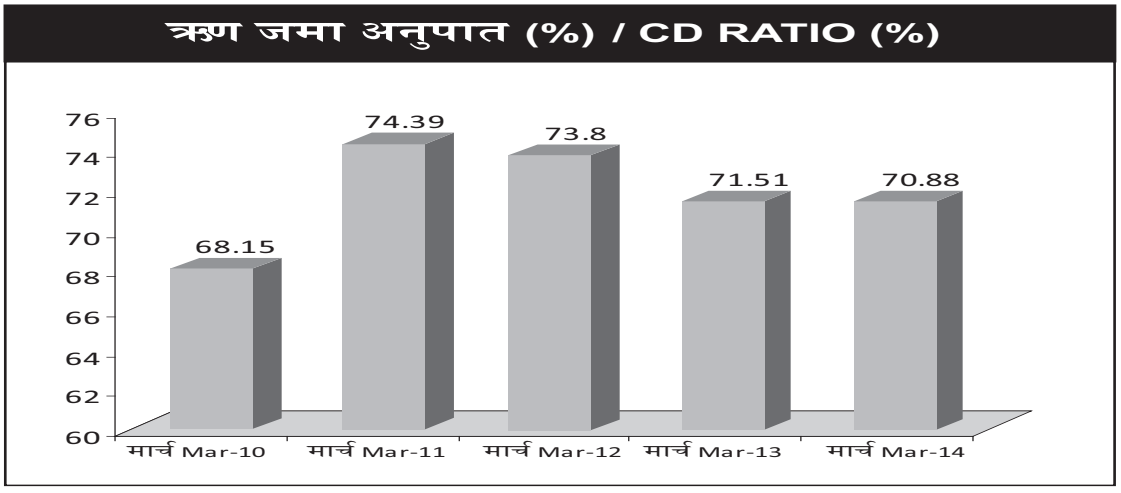

आधारभूत संरचना ऋण ₹20,020 करोड़ था जो समग्र ऋण का 14.6% है।

4.2.4 एसएमई ऋण:

एसएमई क्षेत्र को ऋण देने पर बैंक का ज़ोर जारी रहा। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान एसएमई संविभाग 31.03.2013 के ₹19,517 करोड़ से ₹5,301 करोड़ (27.16%) की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2014 को ₹24,818 करोड़ तक बढ़ गया। एसएमई संविभाग में से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को अग्रिम ₹23,816 करोड़ के स्तर पर रहे जबकि ये पिछले वर्ष की समरूपी अवधि के दौरान ₹18,555 करोड़ के स्तर पर थे। इसमें ₹5,261 (28.35%) करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई।

वर्ष के दौरान एसएमई को समय पर और बिना किसी झंझट के ऋण देने के लिए बेंगलूर (द), दिल्ली (उ), मुंबई, कोयंबत्तूर, अहमदाबाद, चेन्नै और पुणे में संबंध प्रबंधकों और ऋण प्रोसेसिंग टीम की समर्पित सेवाएं युक्त एसएमई

at ₹20,020 crore, which constitutes 14.6% of the aggregate credit.

4.2.4 SME Credit:

The Bank's thrust for lending to the SME sector continued. During the year 2013-14, the SME portfolio has increased from ₹19,517 crore as on 31.03.2013 to ₹24,818 crore as on 31.03.2014, registering a growth of ₹5,301 crore (27.16%). Out of the SME portfolio, advances to the Micro and Small Enterprises (MSE) stood at ₹23,816 crore as at 31.03.2014 as against ₹18,555 crore during the corresponding period last year, recording an increase of ₹5,261 crore (28.35%).

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

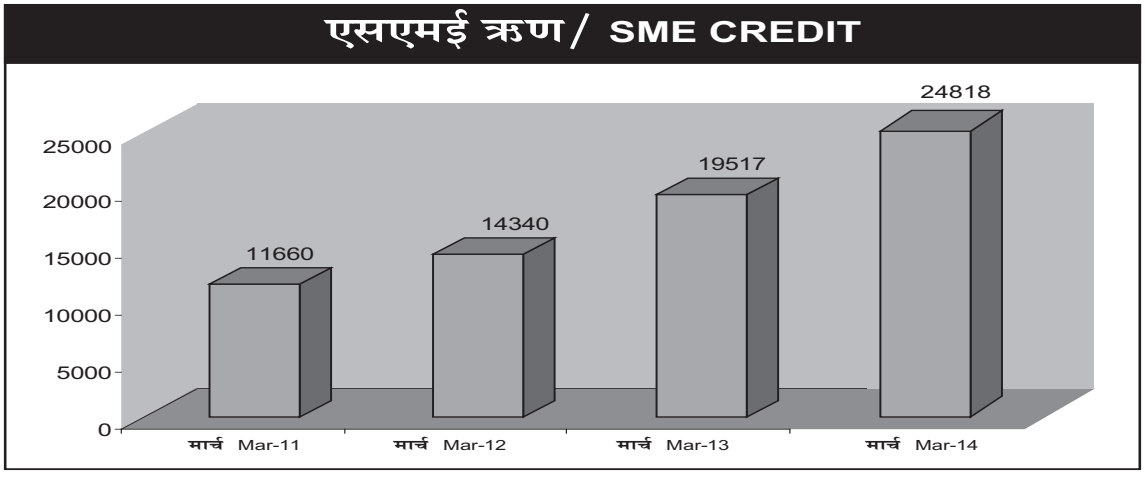

During the year, SME Loan Centres with dedicated services of Relationship Managers & Loan Processing team were operationalized at Bangalore (S), Delhi (N), Mumbai, Coimbatore, Ahmedabad, Chennai and Pune to extend a timely and hassle free credit to SMEs. Bank plans to open similar such

ऋण केन्द्र परिचालित किए गए। लखनऊ, लुधियाना, इंदौर, जयपुर, ठाणे, कोलकाता, चंडीगढ़ में शीघ्र ही ऐसे केन्द्र खोलने की बैंक की योजना है।

उद्यमियों के बीच बैंक के ऋण उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत भर में लगभग 100 स्थानों पर एसएमई मेगा ऋण एक्सपो आयोजित किए गए। एक रणनीतिपरक पहल के तौर पर वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान एसएमई ग्रैंड फेस्टिवेल लोन बोनैंज़ा और कार्प माइक्रो प्लस अभियान शुरू किए गए।

एमएसएमई क्षेत्र पर प्रधानमंत्री के कार्यदल द्वारा निर्धारित तीन विनियामक मानदंडों में से मार्च 2014 को बैंक ने दो अर्थात् (1) एमएसई को ऋण प्रवाह और (2) एमएसई के अंतर्गत माइक्रो उद्यमों की संख्या में वृद्धि, प्राप्त किए हैं। यद्यपि बैंक ने एमएसई में सूक्ष्म उद्यमों के लिए निर्धारित हिस्से संबंधी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, फिर भी इसका स्तर 31.03.2013 के 46.45% के मुकाबले 31.03.2014 को 54.85% तक पहुँचा।

centres at Lucknow, Ludhiana, Indore, Jaipur, Thane, Kolkata and Chandigarh, shortly.

SME Mega Loan Expos were conducted at nearly 100 locations across India to create awareness of Bank's SME loan products among entrepreneurs. As a strategic initiative, SME Grand Festival Loan Bonanza and Corp Micro Plus campaigns were launched during the financial year 2013-14.

As on March 2014, Bank has achieved two out of the three regulatory parameters prescribed by the Prime Minister's Taskforce on MSME sector namely : (1) Credit flow to MSE and (2) Growth in the number of Micro Enterprises under MSE. Though, the Bank could not achieve the prescribed share of Micro Enterprises in MSE, the same has reached a level of 54.85% as on 31.03.2014 as against 46.45% as at 31.03.2013.

विनियामक लक्ष्य Regulatory Target	भा.रि.बै./वित्त मंत्रालय का लक्ष्य RBI / MoF Target	मार्च 2014 (वर्ष-दर-वर्ष % उपलब्धि) Mar-2014 (%age achievement Y-O-Y)
एमएसई को ऋण प्रवाह Credit flow to MSE	20%	28.35%
एमएसई में सूक्ष्म उद्यमों का हिस्सा Share of Micro Enterprises in MSE	60%	54.85%
सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में वृद्धि Growth in No. of Micro Enterprise a/cs	10%	28.27%

एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समिति द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु बैंक को "एमएसई को ऋण देने में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार" के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार और "सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार" के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्कृष्टता हेतु यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार दिनांक 1 मार्च, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के दौरान भारत के माननीय प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह के कर कमलों से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. आर. बंसल ने प्राप्त किया। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने स्कॉच अचीवर अवार्ड फॉर एसएमई इनेबलमेंट भी प्राप्त किया।

The Bank has been awarded First Prize under "National Award for Excellence in MSE Lending" and Second Prize under "National Award for Excellence in Lending to Micro Enterprises" for the year 2012-13, by the National Committee under the Ministry of MSME. Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director of the Bank received these prestigious National Awards for Excellence at the benign hands of Dr. Manmohan Singh, the Hon'ble Prime Minister of India, during the National Awards Function held at VigyanBhavan, New Delhi on 1st March, 2014. The Bank also bagged the SKOCH Achiever Award for SME enablement during the year 2013-14.

4.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

4.3.1 क्षेत्रगत अभिनियोजन

4.3.1.1 ऋण के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अभिनियोजित कुल राशि 27.94% की वृद्धि दर से ₹10,605 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2013 के ₹37,955 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2014 को ₹48,560 करोड़ हो गई। बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40% के भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 40.91% रहा।

4.3.1.2 31.03.2013 के ₹9,466 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को कृषि ऋण ₹13,144 करोड़ रहा। इसमें मार्च 2013 के स्तर से 38.85% की दर से ₹3,678 करोड़ की वृद्धि देखी गई। कृषि के अंतर्गत अभिनियोजित

4.3 Priority Sector Lending

4.3.1 Sectoral Deployment:

4.3.1.1 The Total amount of credit deployment to Priority sector has moved up from ₹37,955 crore as on 31.3.2013 to ₹48,560 crore as at 31.3.2014, recording an increase of ₹10,605 crore at 27.94%. The Priority sector advances of the bank stood at 40.91% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the RBI norm of 40% of ANBC.

4.3.1.2 The Agriculture credit stood at ₹13,144 crore as at 31.3.2014 as against ₹9,466 crore as at 31.3.2013, recording a growth of ₹3,678 crore at 38.85 % over March 2013. Funds

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

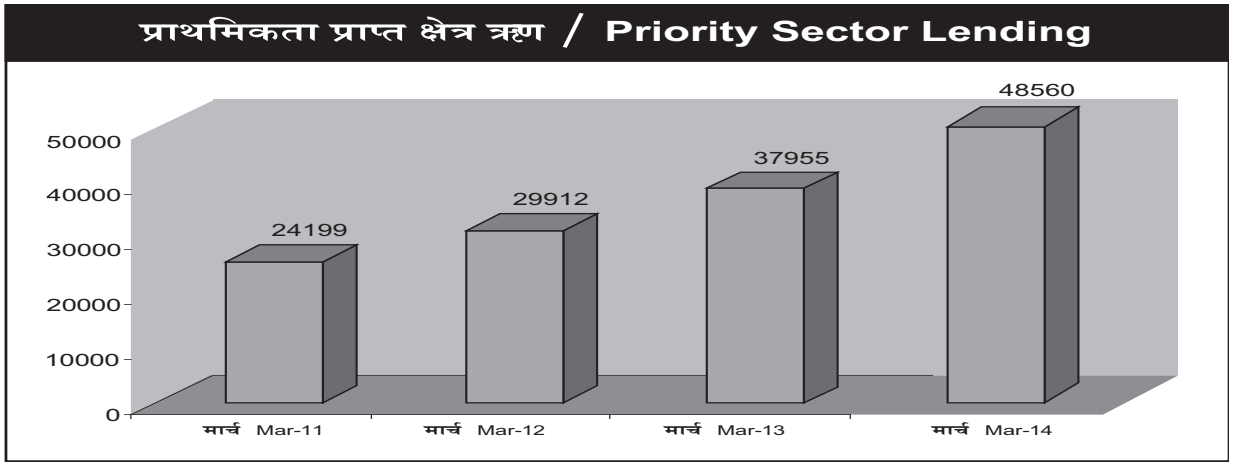

निधियाँ समायोजित निवल बैंक ऋण का 11.07% हैं। बैंक का प्रत्यक्ष कृषि ऋण इस वर्ष के दौरान 48.47% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹6,707 करोड़ से ₹9,958 करोड़ तक बढ़ गया। इससे बैंक 2013-14 के दौरान विशेष वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत ₹8,500 करोड़ के संवितरण लक्ष्य को प्राप्त कर सका है।

4.3.1.3 अन्य प्राथमिकता प्राप्त ऋण 14.33% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2013 के ₹9,934 करोड़ से 31.03.2014 को ₹11,358 करोड़ तक बढ़ गया।

4.4 सामाजिक ऋण

4.4.1 सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सामाजिक ऋण/गरीबी उन्मूलन योजनाओं तथा समाज के कमज़ोर वर्गों को ऋण के वितरण को पर्याप्त महत्व दिया गया ताकि बैंक की सामाजिक आर्थिक बाध्यताएँ पूरी हों।

4.4.2 वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्वसाहयता समूहों की संख्या 31.03.2013 के 93,329 से बढ़कर 31.03.2014 को 1,27,065 हो गई। स्वसहायता समूहों को ऋण 31.03.2013 के ₹1,022 करोड़ से 31.03.2014 को ₹1,314 करोड़ तक बढ़ गया, इसमें 28.57% की दर से ₹292 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई।

4.4.3 31.03.2014 को कमज़ोर वर्गों हेतु हमारा अग्रिम ₹12,183 करोड़ रहा (एएनबीसी का 10.26 %), इसमें एएनबीसी के 10% के विनियामक मानदंड को पार किया है।

4.4.4 31.03.2013 के ₹5,021 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को महिला हिताधिकारियों को वित्त ₹7,039 करोड़ रहा और बैंक ने महिला हिताधिकारियों को ऋण देने में एएनबीसी के 5% के विनियामक लक्ष्य के मुकाबले एएनबीसी का 5.93% हासिल किया है।

4.4.5 31.03.2014 को, ₹48,560 करोड़ के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया ऋण ₹746.62 करोड़ है। अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को ऋण ₹7,785 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 16.03% है।

deployed under Agriculture constituted 11.07% of ANBC. Direct Agriculture Credit of the Bank increased from ₹6,707 crore to ₹9,958 crore recording a growth of 48.47% during the year. With this, the Bank could achieve the disbursement target of ₹8,500 crore under Special Agriculture Credit Plan during 2013-14.

4.3.1.3 Other Priority Sector lending increased from ₹9,934 crore as at 31.03.2013 to ₹11,358 crore as at 31.03.2014, registering a growth of 14.33%.

4.4 Social Lending:

4.4.1 Dispensation of Credit under various Government Sponsored Social Lending / Poverty Alleviation Schemes and to Weaker sections of the society was given due importance so as to fulfill the Bank's socio-economic obligations.

4.4.2 The number of Self Help Groups availing financial assistance, has increased from 93,329 as at 31.03.2013 to 1,27,065 as at 31.03.2014. Credit to Self Help Groups increased from ₹1,022 crore as at 31.03.2013 to ₹1,314 crore as at 31.03.2014, registering a growth of ₹292 crore at 28.57%.

4.4.3 Our advances to Weaker sections stood at ₹12,183 crore at 31.03.2014 [forming 10.26 % of ANBC], thus surpassing the regulatory norm of 10 % of ANBC.

4.4.4 Finance to women beneficiaries stood at ₹7,039crore as at 31.03.2014 as against ₹5,021crore as at 31.03.2013 and the bank achieved 5.93% of ANBC towards lending to women beneficiaries as against the regulatory norm of 5% of ANBC.

4.4.5 As at 31.03.2014, out of a total Priority sector credit of ₹48,560 crore, the outstanding credit to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe is ₹746.62 crore. Credit to persons belonging to Minority Communities reached a level of ₹7,785 crore forming 16.03% of Priority Sector Advances.

4.5 खुदरा ऋण

4.5.1 वर्ष 2013-14 के दौरान खुदरा ऋण, बैंक का प्रमुख ध्यान केन्द्रित क्षेत्र बना रहा। खुदरा ऋण के तहत बकाया ऋण 31.3.2013 के ₹25,148 करोड़ से ₹3,878 करोड़ (15.4%) की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2014 को ₹29,026 करोड़ हो गया। निवल बैंक ऋण में खुदरा ऋण का हिस्सा 21% रहा।

4.5.2 कार्प योजनाओं के अंतर्गत संविभाग 31.03.2013 को ₹16,355 करोड़ से 30% की वृद्धि दर से ₹4,838 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2014 को ₹21,193 करोड़ तक पहुँच गया।

4.5.3 उत्पाद का विपणन करने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वर्ष के दौरान विशेष प्रचार अभियान/कार्यक्रम शुरू किए गए।

- अब तक के सब से कम ब्याज दर के साथ दिनांक 15.04.2013 से 31.05.2013 तक वेकेशन ऑफर (कार ऋण) चलाया गया।
- कार्प होम, कार्प वेहिकल, कार्प व्यापार, कार्प डॉक्टर प्लस और कार्प घर संसार योजनाओं के अंतर्गत आकर्षक ब्याज दरों और प्रोसेसिंग चार्ज में छूट/रियायत देते हुए "मानसून बंपर ऑफर/ग्रैंड फेस्टिवेल बोनैंज़ा" 01.06.2013 से 31.01.2014 तक 8 महीनों के लिए परिचालन में था।
- बैंक ने वर्ष के दौरान प्रमुख केन्द्रों में (i) अपने आवास एवं वाहन ऋण के विपणन के लिए रिटेल एक्सपो और (ii) व्यवसायी/व्यापारी बैठक भी आयोजित की। इन विभिन्न अभियानों/कार्यक्रमों से बैंक के खुदरा उत्पादों/योजनाओं का काफी प्रचार हुआ जिससे नए संपर्कों से अच्छा कारोबार प्राप्त हुआ।

4.6 नए खुदरा ऋण उत्पाद:

वर्ष के दौरान बैंक ने एक नया खुदरा ऋण उत्पाद शुरू किया - "कार्प घर संसार", जो वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए पारिवारिक/वैयक्तिक व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष रूप से तैयार की गई वैयक्तिक ऋण योजना है, इसे 01.04.2013 को शुरू किया गया।

4.7 खुदरा ऋण केन्द्र:

संप्रति बैंक में 32 खुदरा ऋण केन्द्र, सभी प्रमुख केन्द्रों में परिचालित हैं जिनमें से 11 खुदरा ऋण केन्द्र, वर्ष के दौरान खोले गए। इन खुदरा ऋण केन्द्रों ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्प योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर ₹5,819 करोड़ राशि के 36,300 ऋण आवेदन मंजूर किए।

4.8 शिक्षा ऋणों का ऑनलाइन सैद्धांतिक अनुमोदन:

ऑनलाइन शिक्षा ऋण आवेदनों के सैद्धांतिक अनुमोदन के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान ₹16.84 करोड़ की राशि निहित 385 सैद्धांतिक अनुमोदन दिए गए।

4.9 वित्तीय समावेशन और शाखा-रहित बैंकिंग - "कार्प ग्रामीण विकास केन्द्र"

4.9.1 वित्तीय समावेशन और शाखा-रहित बैंकिंग क्षेत्र में बैंक, ध्यान केन्द्रित कर रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 787 गाँवों को शाखा-रहित बैंकिंग

4.5 Retail Lending

4.5.1 Retail lending continued to be a focus area of the Bank during the year 2013-14. The outstanding under Retail credit improved from ₹25,148 crore as on 31.03.2013 to ₹29,026 crore as on 31.03.2014, recording a growth of ₹3,878 crore (15.4%). The share of the Retail Credit to the Net Bank Credit stood at 21%.

4.5.2 The portfolio under Corp schemes stood at ₹21,193 crore as on 31.03.2014 as against ₹16,355 crore as on 31.03.2013, recording a growth of ₹4,838 crore at 30%.

4.5.3 Special promotional campaigns/events were launched during the year to market the product and attract new clients.

- Vacation Offer [Car loan] was launched with effect from 15.04.2013 to 31.05.2013, with an all time low interest rate.
- "Monsoon Bumper Offer/Grand Festival Bonanza" was in operation for a period of 8 months from 01.06.2013 to 31.01.2014 under Corp Home, Corp Vehicle, Corp Vyapar, Corp Doctor Plus and Corp Ghar Sansar Schemes with attractive interest rates and waiver/concessions in processing charges.
- The Bank has also organized (i) Retail Expos for marketing its Housing & Vehicle Loans and (ii) Businessmen/Traders Meet at major centres across the country, during the year. The various promotional campaigns/events has created greater visibility to the Bank's retail products/schemes, resulting in good business from new contacts.

4.6 New Retail loan Products:

The Bank has introduced a new retail loan product during the year - "Corp Ghar Sansar", a secured Personal Loan variant, specially designed for existing housing loan borrowers, to meet family/personal expenses, was introduced on 01.04.2013.

4.7 Retail Loan Centres:

At present 32 Retail Loan Centres are in operation at all major centres, out of which 11 Retail Loan Centres were set up during the year. The Retail Loan Centres have in total sanctioned 36,300 loan applications amounting to ₹5,819 crore under various Corp Schemes during the year.

4.8 Online in-principle approval of Education loans :

Under the in-principle approval of on-line educational loan applications, 385 in-principle approvals amounting to ₹16.84 crore were accorded during the year.

4.9 Financial Inclusion and Branchless Banking – "Corp GrameenaVikasKendras"

4.9.1 Financial Inclusion and Branchless Banking continue to be the thrust area of the Bank. During the financial year,

मॉडल के ज़रिए बैंकिंग संरचना उपलब्ध कराई है जिससे मार्च 2014 के अंत तक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए गए गाँवों की कुल संख्या 4,332 हो गई। बैंक ने वर्ष के दौरान समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के 3.98 लाख सरल 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाते' खोले जिससे कुल खातों की संख्या 21.26 लाख हो गई जिनमें शेषराशि ₹157.46 करोड़ रही। बैंक ने अब तक 37,501 जनरल क्रेडिट कार्ड मंजूर किए जिनमें ₹ 47.08 करोड़ बकाया शेष है। बैंक ने 7 राज्यों और 114 शहरी स्थानों में शहरी वित्तीय समावेशन भी कार्यान्वित किया है जिसे 'कार्प शहरी वित्तीय समावेशन केन्द्र' का नाम दिया गया है।

4.9.2 **सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन:** विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) ने 2013-14 से 2015-16 तक तीन वर्षों के लिए वित्तीय समावेशन योजना के दौरान संपूर्ण शाखा या विस्तार पटल या सेवा पटल अथवा आईसीटी आधारित कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के ज़रिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारे बैंक को देश भर में 1,562 गांव आबंटित किए। बैंक ने 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार इन में से 1,075 गाँवों में (1,067 गाँवों में बीसी मॉडल के ज़रिए और 8 गाँवों में शाखा मॉडल के ज़रिए) बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। शेष गाँवों में 2014-15 के दौरान सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इससे लक्ष्य से एक वर्ष पहले ही सभी गाँवों को कवर किया जाएगा।

4.9.3 **इलेक्ट्रॉनिक हितलाभ अंतरण कार्यक्रम:** बैंक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इलेक्ट्रानिक हितलाभ अंतरण(ईबीटी) कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है अर्थात् इस कार्यक्रम के अंतर्गत एमजीएनआरईजीएस (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना) के अंतर्गत मजदूरियों का वितरण और एसएसपी (सामाजिक सुरक्षा पेंशन) के अंतर्गत पेंशन का संवितरण कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीसी के ज़रिए संवितरण किए जा रहे हैं। बैंक ने इन योजनाओं के अंतर्गत हिताधिकारियों को अपने द्वार पर ही सुविधाजनक रूप से राशि प्राप्त करने के लिए 9.76 लाख से अधिक खाते खोले हैं और 7.24 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं।

4.9.4 बैंक एनपीसीआई द्वारा कार्यान्वित आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) में भाग ले रहा है।

4.9.5 **साझा सेवा केन्द्र (सीएससी):** बैंक ने देश भर में साझा सेवा केन्द्रों के ज़रिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लि. के साथ समझौता किया है। कियोस्क पर आधारित सॉफ्टवेयर को 4 सीएससी में कार्यान्वित किया गया है। आनेवाले दिनों में इस मॉडल को देश भर के विभिन्न स्थानों में विस्तारित किया जाएगा।

5. ऋण आस्ति गुणवत्ता एवं वर्गीकरण :

अर्थव्यवस्था में मंदी जैसी स्थिति ने बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर गहरा दबाव डाला है। हमारा बैंक इसका अपवाद नहीं रहा। पिछले वर्षों की तुलना में ऋण में चूक काफी अधिक रही है। वर्ष के दौरान एनपीए स्तर में तीव्र वृद्धि देखी

the Bank has provided banking infrastructure in 787 villages through Branchless Banking model to take the total number of villages provided with such facility to 4,332 as at the end of March 2014. The Bank has opened 3.98 lakh simple 'Basic Saving Bank Deposit Accounts' of people belonging to the weaker sections of the society during the year, reaching a level of 21.26 lakh accounts with an outstanding balance of ₹157.46 crore. The Bank has sanctioned 37,501 General Credit Cards till date with an outstanding balance of ₹47.08 crore. The Bank has implemented Urban Financial Inclusion in 114 urban locations spread across 7 states and branded it as 'Corp Shahari Vitthiya Samaveshan Kendra'.

4.9.2 **Implementation of Government directions:** Various State Level Bankers' Committee (SLBCs) have allotted 1,562 road map villages across the country for providing banking facility either through brick and mortar branch or extension counter or service counter or ICT based Business Correspondent (BC) model during the Financial Inclusion Plan for three years from 2013-14 to 2015-16. Of these, Bank has since provided banking facility at 1,075 villages (1,067 villages through BC model and 8 villages through branch model) as at 31.03.2014. Remaining villages will be provided during 2014-15 thus covering all villages one year ahead of the target.

4.9.3 **Electronic Benefit Transfer Programme:** Bank is actively participating in Electronic Benefit Transfer (EBT) Programme i.e. disbursement of wages under MGNREGS (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) and pensions under SSP (Social Security Pensions) in the states of Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. The disbursements are being made through BCs under this programme. Bank has opened 9.76 lakh accounts and issued 7.24 lakh smart cards to the beneficiaries under these schemes to receive the amounts conveniently at their door step.

4.9.4 Bank is participating in Aadhaar Payment Bridge System (APBS) and Aadhaar Enable Payment System (AEPS) implemented by NPCI.

4.9.5 **Common Service Centre (CSC):** Bank has entered into an agreement with CSC e-Governance Service India Ltd., for extending banking services through their Common Service Centers across the country. The KIOSK based software has been implemented at 4 CSCs. The model will be expanded to different places across the country during the coming days.

5. Credit Assets Quality and Classification

The recession like situation in the economy has put severe strain on the asset quality of banks. Our bank is no exception to this. The loan delinquency has been considerably higher as compared to the previous years. The NPA level has witnessed a

गई। लेकिन, बारीकी से निगरानी और तुरंत वसूली उपाय करते हुए एनपीए स्तर पर अंकुश लगाया जा सका है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ऋण आस्तियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

sharp increase during the year. However, the NPA level could be contained through close monitoring and follow up and initiating prompt recovery measures.

The classification of the loan assets in terms of Prudential Norms prescribed by the RBI is as follows:

(₹ करोड़ में ₹ in crore)

	यथा As on 31.03. 2012		यथा As on 31.03. 2013		यथा As on 31.03.2014	
	राशि Amount	कुल आस्ति का % % to total asset	राशि Amount	कुल आस्ति का % % to total asset	राशि Amount	कुल आस्ति का % % to total asset
मानक Standard	99551.10	98.74	117305.77	98.28	133905.74	96.58
अवमानक Sub-Standard	638.45	0.63	1159.98	0.98	2674.44	1.93
संदिग्ध Doubtful	555.50	0.55	791.00	0.66	1881.40	1.36
हानिगत Loss	80.26	0.08	97.25	0.08	180.95	0.13
सकल ऋण आस्तियां Gross Loan Assets	100825.31	100.00	119354.00	100.00	138642.53	100.00

6. वसूली

6.1 बैंक, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करता रहा है। बेहतर एनपीए प्रबंधन हेतु बैंक की तिहरी रणनीति कायम है। इसके तहत शामिल है क) निवारक कार्रवाई, ख) वसूली और उन्नयन तथा ग) समाधान और समझौता।

6.2 बैंक का सकल एनपीए पिछले वित्त वर्ष के अंत के ₹2,048.23 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को ₹4,736.79 करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष के अंत में 1.72% की तुलना में 31 मार्च, 2014 को सकल एनपीए सकल अग्रिमों का 3.42% रहा।

6.3 बैंक का निवल एनपीए पिछले वर्ष के अंत के ₹1,410.88 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को ₹3,180.56 करोड़ रहा। निवल अग्रिमों में बैंक का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2013 के 1.19% से बढ़कर 31.03.2014 को 2.32% हो गया। विवेक के तौर पर बैंक ने, धारित प्रतिभूतियों की प्रकृति और मात्रा का लिहाज़ किए बिना उधारकर्ता-वार ₹25,000/- से कम राशि की कुल देयता वाले सभी एनपीए खातों हेतु पूरा प्रावधान किया है।

6.4 नकद वसूली तथा उन्नयन पिछले वित्त वर्ष के ₹1,509.30 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹1,355.53 करोड़ रहा। इसका कारण देश में प्रचलित आर्थिक मंदी है।

6.5 वसूली निष्पादन में और सुधार सुनिश्चित करने के लिए सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों का सहारा लिया गया। सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्रवाई के ज़रिए वर्ष के दौरान 3,534 खातों में ₹776.89 करोड़ राशि की वसूली की गई/उन्नयन किया गया।

6. Recovery

6.1 The Bank has been complying with the RBI guidelines relating to Income recognition, Asset Classification and Provisioning. The Bank continues to apply a three pronged strategy for better NPA management. The strategy consists of a) Preventive actions, b) Recovery & upgradation, & c) Resolution & settlement.

6.2 The Gross NPA of the Bank was ₹4,736.79 crore as on 31.03.2014 compared to ₹2,048.23 crore as at the end of the previous financial year. The Gross NPA constituted 3.42% of the Gross Advances as on 31st March, 2014 as against 1.72% at the end of the corresponding previous financial year.

6.3 The Net NPA of the Bank was ₹3,180.56 crore as on 31.03.2014 compared to ₹1,410.88 crore as at the end of the previous financial year. The Net NPA ratio of the Bank against the Net Advances has increased from 1.19% as at 31.03.2013 to 2.32% as at 31.03.2014. As a matter of prudence, the Bank provided in full for all NPA Accounts with borrower wise aggregate liability of less than ₹25,000/- irrespective of the nature and extent of securities held.

6.4 The Cash recovery & Upgradation during the Financial year 2013-14 has increased to ₹1,355.53 crore as compared to ₹1,509.30 crore in the previous financial year. This is attributed to the economic slowdown prevailing in the country.

6.5 The provisions under SARFAESI Act 2002 have been effectively leveraged to ensure further improvement in Recovery performance. An amount of ₹776.89 crore has been recovered/ upgraded in 3,534 accounts during the year through SARFAESI action.

6.6 बैंक ने 01.08.2013 को ₹10.00 लाख तक की शेषराशि वाले छोटे एनपीए खातों हेतु "कार्प रियायती-II" नाम की विशेष एक-बारगी निपटान (ओटीएस) योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत 31.03.2014 तक 13,871 खातों में ₹41.00 करोड़ वसूल किए जा सके।

6.7 एनपीए की समस्या से निपटाने के लिए खास तौर पर छोटे मूल्य के एनपीए खातों की वसूली में एनपीए क्लस्टर शाखाओं को शामिल करते हुए सभी अंचलों में मेगा वसूली शिविर आयोजित करना एक प्रभावशाली रणनीति रही। ऐसे शिविर एनपीए की समस्या से ग्रस्त शाखाओं को शामिल करते हुए कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से सभी अंचलों में योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं ने भाग लिया। बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान देश में सभी अंचलों में 700 ऐसे मेगा वसूली शिविर आयोजित किए। 16,500 उधारकर्ताओं ने शिविरों में भाग लेकर अपने खाते निपटाए। वर्ष के दौरान मेगा वसूली शिविरों के आयोजन से बैंक ₹80.00 करोड़ की नकद वसूली कर सका है। इसके अलावा, उक्त शिविरों में ₹450 करोड़ के 5,296 खाते उन्नत किए गए।

7. ट्रेज़री एवं निवेश परिचालन

7.1 31 मार्च, 2014 को बैंक का कुल निवेश, बैंक के जोखिम अवबोध तथा निवेश नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रतिभूतियों के परिपक्वता मिश्रण के साथ ₹66,698.61 करोड़ रहा।

7.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आरआईडीएफ निवेशों को छोड़कर निवेशों पर औसत आय पिछले वर्ष के अंत के 7.34% की तुलना में 7.42% रही।

7.3 निवेशों की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ पिछले वर्ष के ₹280.33 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु ₹338.99 करोड़ था।

7.4. बैंक ने ब्याज अर्जन करने वाली सभी प्रतिभूतियों हेतु अवधि, आशोधित अवधि तथा जोखिम पर मूल्य जैसे जोखिम प्रबंधन उपाय लागू किए हैं।

8. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

8.1 बैंक की 63 नामित शाखाएं हैं जो विदेशी विनिमय कारोबार संभालती हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान संचयी व्यापार टर्नओवर ₹73,421 करोड़ से ₹78,710 करोड़ तक 7.20% बढ़ गया।

8.2 एक्सचेंज आय में वर्ष के दौरान ₹99.71 करोड़ से ₹92.19 करोड़ तक 7.54% की गिरावट हुई।

8.3 शुल्क आधारित आय में वर्ष के दौरान ₹179.74 करोड़ से ₹188.31 करोड़ तक 4.77% की वृद्धि दर्ज हुई।

9. व्यापारी बैंकिंग गतिविधियाँ

9.1 बैंक ने वर्ष के दौरान 10 लाभांश पे-आऊट तथा 11 इश्यू संग्रहण कार्य सफलतापूर्वक संचालित किए।

6.6 The Bank has introduced a special One Time Settlement (OTS) scheme by name "Corp Riyayati-II" for small NPA accounts with balances up to ₹10.00 lakh on 01.08.2013. As on 31.03.2014, a sum of ₹41.00 crore could be recovered in 13,871 accounts under the scheme.

6.7 Holding of Mega Recovery Camps in all the zones covering NPA cluster branches has been identified as an effective strategy in tackling NPAs, especially the small value NPA accounts. Such camps are meticulously planned and conducted at all the zones of the bank covering clusters of NPA concentrated branches with the active support of the rank and file. A large number of borrowers had attended the camps conducted during the current financial year. The Bank held 700 such Mega Recovery Camps across all the zones in the country during the year 2013-14. As many as 16,500 borrowers attended the camps and settled their accounts. The Bank could achieve a cash recovery of ₹80.00 crore through conduct of Mega Recovery Camps during the year. Further, 5,296 accounts involving ₹450 crore were upgraded in the camps.

7. Treasury and Investment Operations

7.1 The aggregate investment of the Bank as on 31st March, 2014 was ₹66,698.61 crore with maturity mix of securities consistent with risk perceptions and investment policies of the Bank.

7.2 The average yield on investments including RIDF investments during the year under report stood at 7.42% compared to 7.34% as at the end of the previous year.

7.3 The net profit from sale of investments was ₹338.99 crore for the year ended 31.03.2014 as compared to ₹280.33 crore in the previous year.

7.4. The Bank has put in place the risk management tools like Duration, Modified Duration and Value at Risk for all interest bearing securities.

8. International Banking

8.1 The Bank has 63 Designated Branches, which cater to the foreign exchange business. Cumulative Merchant turnover has increased by 7.20 %, from ₹73,421 crore to ₹78,710 crore, during the year 2013- 14.

8.2 Exchange Income declined by 7.54%, from ₹99.71 crore to ₹92.19 crore, during the year.

8.3 Fee Based Income increased by 4.77%, from ₹179.74 crore to ₹188.31 crore during the year.

9. Merchant Banking Activities:

9.1 During the year the Bank has handled 10 Dividend Payout and 11 Issue Collection assignments.

10. बहुमूल्य धातु कारोबार

10.1 वर्ष के दौरान बहुमूल्य धातु कारोबार से कुल पण्यावर्त ₹2,094.34 करोड़ रहा तथा स्वर्ण ऋणों को छोड़कर बहुमूल्य धातु कारोबार से ₹6.59 करोड़ की आय अर्जित की गई।

10.2 2 से लेकर 50 ग्राम तक के विभिन्न मूल्यवर्ग में स्वर्ण सिक्के 300 से अधिक शाखाओं में बेचे गए, इससे ₹10.50 करोड़ की 35.92 किलोग्राम की कुल बिक्री हुई, इसमें ₹0.26 करोड़ की आय अर्जित हुई।

11. नामित शाखाएँ और ट्रेज़री एवं निवेश प्रभाग:

11.1 प्रक्रिया में सुधार

क) नामित शाखाओं और ट्रेज़री शाखा के बीच सभी प्रकार के फॉरेक्स लेनदेनों के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) सक्रिय कर दिया गया है। शाखाओं द्वारा लगभग सभी लेनदेन ट्रेज़री शाखा में एसटीपी के ज़रिए स्वतः अपलोड किया जाता है।

ख) लिंक शाखाओं में "दर माँगने की सुविधा" इनेबल की गई है और सभी एफसीएनआर लेनदेनों को एसटीपी के अंतर्गत लाया गया है। ट्रेज़री शाखा में मिरर बैलेंस तत्काल अपडेट होता है और लगभग सभी एफसीएनआर लेनदेन ऑटो मोड के अंतर्गत हैं।

ग) नॉस्ट्रो जमाओं को सीबीएस में अपलोड किया गया है जिससे नॉस्ट्रो खातों का स्वतः समाधान सुनिश्चित होता है।

घ) दिवसांत के बजाय उसी दिन मध्यान 12 बजे तक रिकॉन संसूचनाएं जनरेट करके शाखाओं को भेजकर नॉस्ट्रो क्रेडिट का प्रसंस्करण तेज़ किया गया है, इससे शाखाएं अगले दिन के बजाय उसी दिन प्रविष्टियाँ ले सकती हैं।

ङ) सभी नामित शाखाओं में फॉरेक्स दरों के ऑनलाईन प्रदर्शन हेतु इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड की संस्थापना की गई है।

च) आसान प्रोसेसिंग हेतु जोखिम प्रबंधन सर्वर में फॉरेक्स और स्वर्ण की स्थिति की अपलोडिंग की गई।

छ) एक्सचेंज हाउस- समाधान सरल बनाया गया और विदेशी मुद्रा में दैनिक संतुलन अपलब्ध कराया गया।

ज) चालू वर्ष के दौरान मेसर्स थॉमस कुक (इं) लि. के सहयोग से कार्प ग्लोबल प्रिपेड मल्टीकरेंसी ट्रैवल कार्ड की शुरुआत की गई।

12. उगाही एवं भुगतान सेवाएँ (कैप्स)

12.1 भुगतान प्रणाली में बदलते परिवेश से तालमेल रखते हुए तथा एक अग्र-सक्रिय सीएमएस बैंकर के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान कई 'ग्राहक केन्द्रित' उत्पाद/प्रौद्योगिकी पहल की है। उनमें हैं:

- वर्ष के दौरान हॉस्ट-टु-हॉस्ट टेक्नॉलॉजी शुरू की गई जिसमें कार्पोरेट के कार्यालय और बैंक, दोनों स्तर पर मानविक हस्तक्षेप के बिना थोक भुगतान फाइल प्रोसेस कर सकते हैं।

10. Precious Metal Business

10.1 During the year, the Bank achieved an aggregate turnover of ₹2,094.34 crore earning an Income of ₹6.59 crore from Precious Metals Business excluding income from gold loans.

10.2 Gold coins in various denominations ranging from 2 grams to 50 grams were sold at over 300 branches of the Bank, achieving total sales of 35.92 kg amounting to ₹10.50 crore, thus earning an income of ₹0.26 crore.

11. Designated Branches and Treasury and Investment Department

11.1 Process Improvement

a) Straight Through Processing (STP) is in place between Designated Branches and Treasury Branch for all types of Forex Transactions. Most of the transactions of branches are auto uploaded at Treasury Branch through STP.

b) Link Branches have been enabled with "rate seeking facility" and all the FCNR transactions are brought under STP. Mirror balance at Treasury Branch is updated instantaneously and most of the specific FCNR transactions are under auto mode.

c) Uploading of Nostro Credits to CBS is in place, thereby enabling auto reconciliation of Nostro accounts.

d) The Processing of Nostro Credits has been fast tracked by generating and sending the Recon advices to branches by 12 noon of the same day instead of day end, thus helping branches to utilise the entries on the same day instead of next day.

e) Electronic Display Board for online display of Forex Rates has been installed at all the Designated Branches.

f) Uploading of Forex & Gold Positions to Risk Management Server for easy processing.

g) Exchange Houses – Reconciliation process has been simplified and daily balancing in Foreign Currency has been made available.

h) Corp Global Prepaid Multicurrency Travel Card launched during the current year, in association with M/S Thomas Cook (I) Ltd.

12. Collection and Payment Services (CAPS)

12.1 Keeping pace with the changing environment in the payment system, and as a pro-active CMS Banker, the Bank has initiated host of 'customer centric' technological initiatives during the year. Amongst them are:

- Host-to-Host technology was introduced during the year which enables processing of bulk payment files without manual intervention at both Corporate's office and Bank.

- आरटीजीएस/एनईएफटी/एबीबी आदि चैनलों में निर्बाध भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली 'कार्प-यूनिपे' प्रारंभ की गई।
- उपर्युक्त पहलों से न केवल भुगतानों में गति और परिचालन क्षमता आ गई बल्कि परिचालन की लागत भी कम हो गई जिससे बैंक सीएमएस बाज़ार में अधिक प्रतिस्पर्धी बना रहा।

12.2 आगामी वित्त वर्ष में सीएमएस कारोबार को पुनःव्यवस्थित करने के लिए कैप्स ने निम्नलिखित विस्तृत कार्य योजना बनाई है:

- कार्पोरेट ग्राहकों को नए भुगतान उत्पादों का सक्रिय विपणन करना।
- दूसरे एक्सचेंज गृहों को सीमा-पार विप्रेषण सुविधा प्रदान करना।
- नैशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा शुरू किए गए नैशनल ऑटोमेटट क्लियरिंग हाउज़ (एनएसीएच) के ज़रिए ई-मैंडेट सेवाएं शुरू करना - यह एक नया उत्पाद है जो एनबीएफसी, आस्ति प्रबंधन कंपनियों, उपयोगी सेवा कंपनियों, बड़े कार्पोरेटों, सरकारी प्रभागों, आदि को विनिर्दिष्ट तारीखों पर मैंडेट के ज़रिए किस्त/प्रीमियम/मासिक बिल आदि की राशि संग्रहित करने में अधिक सहायक होगा।
- अदायगियाँ, लाभांश, धनवापसी, ब्याज राशि आदि तुरंत जमा करने के लिए एनएसीएच-जमा संरचना के ज़रिए थोक भुगतान सुविधा प्रारंभ करना।

क्रॉस सेलिंग कारोबार के अवसर प्रदान करते हुए कैप्स बैंक को अमूल्य योगदान देते आ रहा है।

13. अंतर शाखा लेखा समाधान

13.1 अंतर शाखा लेनदेनों का समय पर समाधान और त्वरित निरसन बैंक की विशिष्टता बनी हुई है। आंतरिक लेखा कार्य के इस प्रमुख क्षेत्र में अपनी दक्षता बनाए रखने हेतु बैंक की अन्तर शाखा लेनदेनों की केन्द्रीय समाधान प्रणाली है।

13.2 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने अंतर शाखा लेनदेनों का समय पर समाधान करने के क्षेत्र में अपनी प्रमुख दक्षता बनाए रखी। अंतर-शाखा लेनदेनों का सामान्यतः लेनदेन के अगले दिन ही प्रसंस्कृत करके समाधान किया जाता है। 31.03.2014 तक प्रवर्तित किए गए सभी अंतर-शाखा लेनदेनों का समाधान किया जा चुका है तथा 31.03.2014 को 7 जनवरी, 2014 तक की सभी प्रविष्टियों का (अदत्त मांग ड्राफ्ट के संबंध में जमा को छोड़कर) निरसन किया गया है।

14. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

14.1 बैंक ऐसी विभिन्न आईटी पहल करता रहा है जो न केवल ग्राहक के लिए फायदेमंद मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने वाले डेलिवरी चैनल पेश करने पर केन्द्रित हैं बल्कि उनका उद्देश्य कारगर सूचना प्रणाली द्वारा तथा विनियामक अनुपालन करते हुए आंतरिक दक्षता और निर्णयन प्रक्रिया को सुधारना भी है।

- Unified Payment system 'Corp-Unipay' was introduced to effect seamless payments across channels like RTGS/NEFT/ABB etc.
- The above initiatives have not only brought speed & operational efficiency in payments but also reduced the cost of operation, enabling the Bank to be more competitive in the CMS Market.

12.2 CAPS has drawn detailed action plan to re-jig the CMS business in the ensuing financial year, such as :

- Aggressively market the new payment products to corporate customers
- Extend cross border remittance to other Exchange Houses
- Introduce e-Mandate services riding on the National Automated Clearing House (NACH) introduced by the National Payment Corporation of India (NPCI) – A New Product which is more helpful to NBFCs, Asset Management Companies, Utility Services Companies, Big Corporates, Government Divisions, etc. to collect the amount of installments/premium/monthly bills etc. through mandates on specified dates.
- Introduce bulk payment facility through NACH – credit infrastructure to credit the payouts, dividends, refunds, interest amount etc. instantly.

CAPS continues to add value to the bank through cross selling business opportunities.

13. Inter-Branch Accounts Reconciliation

13.1 Timely reconciliation and speedy elimination of Inter Branch transactions continue to be the forte of the Bank. The Bank has a Central Inter Branch Reconciliation system for Processing of Inter-Branch Transactions, in order to maintain efficiency in this vital area of housekeeping.

13.2 During the financial year 2013-14, the Bank continued to maintain its core competence in the area of timely reconciliation of Inter-Branch transactions. The Inter-Branch transactions were generally processed and reconciled on the next day of the transaction. All Inter-Branch transactions emanated up to 31.03.2014 stand reconciled and all entries (other than credits in respect of Demand Drafts issued) up to 07th January, 2014 (other than credits in respect of unpaid Demand Drafts) stand eliminated as at 31.03.2014.

14. Information Technology Initiatives

14.1 The Bank has been lining up various IT initiatives which are focused not only at customer friendly delivery channels providing value added services but also to enhance the internal efficiency and improving the decision making processes by bringing in an effective Management Information System and adhering to the regulatory compliance.

14.2 बैंकिंग में मॉबिलिटी टेक्नॉलॉजी के उत्तम उपयोग हेतु 27.01.2014 को बैंक को आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलॉजी पुरस्कार 2012-13 प्राप्त हुआ।

14.3 कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)

- बैंक ने कोर बैंकिंग समाधान क्रियान्वित किया है और सभी शाखाएं सीबीएस के अधीन हैं।
- कतिपय महत्वपूर्ण पैरामीटरों के आधार पर सीबीएस डाटाबेस के सभी ग्राहकों को समान ग्राहक पहचान कूट (यूसीआईसी) का आबंटन किया गया है।
- सीबीएस के एक अभिन्न अंग के रूप में आस्ति वर्गीकरण विशेषता को कार्यान्वित किया गया है।
- खाता प्रसंस्करण केन्द्रों (एपीसी) के कार्यप्रवाह को सीबीएस से एकीकृत किया गया।

14.3.1 नया सीबीएस

नई कोर बैंकिंग और बैंक के कुछ अन्य एप्लिकेशनों को कार्यान्वित करने के लिए मेसर्स एक्सेंचर सर्विसेस, प्रा. लि. को नए टेक्नॉलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सेलटेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।

14.4 एटीएम

बैंक के देश भर में 2264 एटीएम हैं। सामान्य विशेषताओं के अलावा, एटीएम डेलिवरी चैनल के ज़रिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

- एलआईसी प्रीमियम भुगतान
- वीज़ा मनी ट्रांस्फर
- एटीएमों के ज़रिए एनईएफटी सुविधा
- कैंपस कार्ड का उपयोग

14.5 इंटरनेट बैंकिंग

- 31.03.2014 तक सृजित यूज़र आईडी की कुल संख्या 8,04,938 है। 1.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि में प्रति माह हिट की औसत संख्या 20,07,982 है।
- इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में शेषराशि की पूछताछ, निधि अंतरण, एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस भुगतान, ऑनलाइन जमा खोलना, आरडी एवं ऋण खातों में किस्तों का भुगतान, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क, सेवा कर, एलआईसी प्रीमियम, राज्य करों का भुगतान, मंदिरों और धर्मार्थ संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं, आईआरसीटीसी, आस्बा आदि के लिए ई-भुगतान जैसी विशेषताएं हैं।
- "एप्प" के रूप में विकसित पृथक् एप्लिकेशन के ज़रिए इंटरनेट बैंकिंग एंड्राइड फोनों, iOS फोनों, टैब्लेटों और आईपैडों पर भी इंटरनेट सुविधा अब उपलब्ध है।
- इंटरनेट बैंकिंग में ऑनलाइन मीयादी जमा खोलने की सुविधा है।
- एनक्रिपशन, डिक्रिप्शन और दोहरे पुष्टीकरण सुविधाओं के साथ बहु चालानों के लिए आईसगेट जैसी अतिरिक्त विशेषताएं वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गईं।

14.2 The Bank, on 27.01.2014, won the IBA Banking Technology Award 2012-13 for Best use of Mobility Technology in Banking.

14.3 Core Banking Solution (CBS)

- The Bank has in place a Core Banking Solution and all the branches are covered under CBS.
- Uniform Customer Identification Code [UCIC] has been allocated to all the customers of the CBS database based on certain vital parameters.
- The Asset Classification feature is implemented as an integral part of CBS.
- The workflow for handling Account Processing Centers [APC] has been integrated with the CBS.

14.3.1 New CBS

M/s. Accenture Services Pvt. Ltd. Mumbai have been appointed as the new Technology and Project Management Consultant, for implementing New Core Banking and a few other applications in the Bank.

14.4 ATMs

The Bank has 2264 ATMs across the country. In addition to the usual features, the following add-on facilities have been provided through ATM delivery channel.

- LIC Premium Payment.
- VISA Money Transfer.
- NEFT facility through ATMs.
- Use of Campus Card.

14.5 Internet Banking

- Total User IDs created as on 31.03.2014 are 8,04,938. Average number of hits per month for the period from 01.04.2013 to 31.03.2014 were 20,07,982.
- Internet Banking facility has features like Balance Enquiry, Funds transfer, NEFT/RTGS/IMPS Payments, Online Deposit opening, Payment of instalments towards RD and Loan Accounts, Payment of Direct and Indirect Taxes, Customs Duty, Service Tax, LIC Premium, State Taxes, e-payment facility for Temples and Charitable Institutions, Educations Institutions, IRCTC, ASBA etc.
- Internet Banking is now accessible through Android phones, iOS phones, tablets and iPads, through separate application developed as "apps".
- Opening of term deposit has been facilitated online in Internet Banking.
- Additional features were implemented during the year, such as ICEGATE Payments for multiple Challans with encryption, decryption and double confirmation facilities.

14.6 मोबाइल बैंकिंग

31.03.2014 को एसएमएस बैंकिंग के उपयोक्ताओं की संख्या 13,74,867 तक बढ़ गई जिनमें 6,00,190 उपयोक्ता वर्ष के दौरान पंजीकृत किए गए। निम्नलिखित नई सुविधाएं शुरू की गईं:

- बैंक ने मूल्य योजित सेवाओं के साथ मोबाइल पर ईपासबुक सुविधा भी इनेबल की है।
- बैंक ने बैंकिंग लेनदेनों और सेवाओं के लिए एक और डेलिवरी चैनल के रूप में ग्राहकों के लिए एसएमएस आधारित, मेनु आधारित और एप्प आधारित एसएमएस/मोबाइल बैंकिंग भी क्रियान्वित की है।
- बैंक, आईएमपीएस के ज़रिए एलआईसी प्रीमियम भुगतान को कार्यान्वित करने वाला पहला बैंक है।

14.7 रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस)

31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार बैंक की 1945 शाखाएं आरटीजीएस सिस्टम में भाग ले रही हैं। सभी नई शाखाओं में यह सुविधा प्रदान करने की योजना है। हर माह औसतन 2.50 लाख लेनदेन आरटीजीएस के माध्यम से किए जाते हैं। आईएसओ 20022 मेसेजिंग फार्मेट के साथ न्यूजेन आरटीजीएस सुविधा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही है।

14.8 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)

31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार 1931 शाखाओं में एनईएफटी इनेबल किया गया है। एनईएफटी सुविधा इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम के जरिए भी प्रदान की जाती है। सभी नई शाखाओं में एनईएफटी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। हर माह औसतन 17.00 लाख लेनदेन एनईएफटी के माध्यम से किए जाते हैं। आवक एनईएफटी लेन-देनों के संबंध में निरंतर जमा करने की सुविधा दी गई है।

14.9 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

- कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) से निकाले गए डाटा को डाटाबेस में अपलोड किया जाता है ताकि सभी कार्यात्मक प्रभागों को अपेक्षित एमआईएस उपलब्ध काराया जा सके।
- तुलन पत्र डाटा (साप्ताहिक/मासिक) का समेकन और अग्रिमों संबंधी डाटा का समेकन पृथक् फ्रेमवर्क (प्लम) के ज़रिए एक केन्द्रीय एमआईएस स्थान पर किया जा रहा है।
- जो डाटा सीबीएस में उपलब्ध नहीं है, उसे मेकर चेकर प्रणाली के साथ सभी शाखाओं को उपलब्ध कराई गई वेब आधारित प्रविष्टि प्रणाली (प्लम) द्वारा समेकित किया जा रहा है।
- बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को स्वचालित डाटा प्रवाह (एडीएफ) करने के लिए सोल्यूशन का कार्यान्वयन किया है। दिसंबर 2013 से प्रस्तुति हेतु उक्त सोल्यूशन में सभी लागू विवरणियों को लागू किया है।

14.10 आपदा निस्तार ढांचा

बैंक ने एटीएम, कोर बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी, इंटरनेट बैंकिंग, एकीकृत ट्रेज़री प्रबंधन संरचना और कैप्स जैसे अपने अलग-अलग अप्लिकेशनों के लिए उपयुक्त आपदा निस्तार ढांचा बनाया है और नियमित अंतरालों में ड्रिल आयोजित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी अप्रत्याशित घटनाओं/दुर्घटनाओं की स्थिति में तैयारी सुनिश्चित करना है।

14.6 Mobile Banking

The number of users of SMS Banking has increased to 13,74,867 as on 31.03.2014 of which 6,00,190 users were registered during the year. The following new facilities have been introduced:

- Bank has also enabled an ePassbook facility on Mobile with value added features.
- Bank has implemented SMS based, Menu based and App based SMS/Mobile Banking for customers as another delivery channel for banking transactions and services.
- Bank is the first to implement LIC premium payment through IMPS.

14.7 Real Time Gross Settlement System [RTGS]

1945 branches of the Bank are participating in the RTGS system as on 31.03.2014. All new branches are planned to be provided with RTGS facility. An average of 2.50 lakh transactions are made every month through RTGS. NewGen RTGS with ISO 20022 messaging format has been implemented. RTGS facility is provided through Internet Banking also.

14.8 National Electronic Funds Transfer (NEFT)

As on 31.03.2014, NEFT has been enabled in 1931 Branches of the Bank. NEFT facility is also provided through Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking and ATMs. All new branches are planned to be provided with NEFT facility. An average of 17.00 lakh transactions are made every month using NEFT. The Continuous Credit feature is provided to the inward NEFT transactions.

14.9 Management Information System [MIS]

- Data extracted from Core Banking Solution (CBS) is uploaded to a database so as to provide the required MIS to all the Functional Divisions.
- The consolidation of Balance Sheet data [Weekly/Monthly] and Advances data is being done at a central MIS location through a separate framework (PLUM).
- The data which is not available in CBS, is aggregated by using a web based entry system (PLUM) provided to all the Branches with maker checker mechanism.
- The Bank has implemented a solution for Automated Data Flow (ADF) to RBI. All the applicable returns are enabled in the solution for submission as on December 2013.

14.10 Disaster Recovery Set Up

The Bank has set up suitable Disaster Recovery Setup for different applications like ATMs, Core Banking, RTGS/NEFT, Internet Banking, Integrated Treasury Management Setup and CAPS and is conducting drills at regular intervals. This is primarily to ensure our preparedness to face any eventualities/untoward incidences.

14.11 चेक ट्रंकेशन प्रणाली:

ठाणे और मुंबई के अतिरिक्त पुणे, अहमदाबाद, गोवा और भोपाल सम्मिलित पश्चिमी ग्रिड में 10.08.2013 को सीटीएस कार्यान्वित किया गया है।

अब चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) को निम्नलिखित केन्द्रों में विस्तारित किया गया है।

1. बेंगलूर	2. कोयंबत्तूर	3. हैदराबाद	4. तिरुवनंतपुरम
5. कोलकाता	6. मंगलूर	7. तिरुप्पुर	8. वेल्लूर
9. करूर	10. हुबली	11. लुधियाना	12. कूनूर
13. होसूर	14. मैसूर	15. भुवनेश्वर	16. कटक
17. पटना			

14.12 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना सुरक्षा विषयों पर भा.रि.बैं. कार्यदल की सिफारिशों का कार्यान्वयन

बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर कपट पर भा.रि.बैं. कार्यदल की अधिकतर सिफारिशों को कार्यान्वित किया है। बैंक ने कार्यान्वित सिफारिशों का पुष्टीकरण करने, अंतर का विश्लेषण करने और लंबित सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए एवं प्रतिष्ठित बाहरी कन्सेलटेंट की सेवाएं ली हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित 229 सिफारिशों में से 191 सिफारिशें बैंक में कार्यान्वयन हेतु लागू हैं जिनमें से 151 सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं और शेष सिफारिशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया जारी है।

15. क्रेडिट कार्ड

15.1 क्रेडिट कार्ड व्यक्तिगत ग्राहकों को खरीदारी, यात्रा आदि के समय झंझट रहित और जोखिम मुक्त तरीके से भुगतान करने की सुविधा देता है। इससे जुड़ी व्यापक संभाव्यता को देखते हुए बैंक ने इस संविभाग में विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं। बैंक मुख्यतः अपने वर्तमान ग्राहकों को कार्ड जारी करता है।

15.2 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा ₹251.01 करोड़ की कुल सीमा के साथ कुल 45,383 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिनके अंतर्गत ₹29.54 करोड़ बकाया शेष हैं।

15.3 2013-14 हेतु बैंक ने क्रेडिट कार्ड को जारी करते हुए ₹8.85 करोड़ की कुल आय और ₹6.89 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2013-2014 के दौरान इन कार्डों का इस्तेमाल करते हुए कुल ₹183.58 करोड़ के 7.42 लाख पीओएस लेनदेन किए गए।

15.4 वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने अपने ग्राहकों के लाभ के लिए कार्प सेक्योर कार्ड शुरू किए जिनमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इस्तेमाल करने हेतु जमाराशियों के 80% तक की सीमाएं प्रदान की जाती हैं।

15.5 ग्राहक सुविधा हेतु बैंक ने प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवाएँ जैसे ऑटो डेबिट सुविधा, एसएमएस अलर्ट, ई-विवरण, क्रेडिट कार्ड ब्योरे का ऑनलाइन अवलोकन, ऑनलाइन लेनदेनों हेतु एटीएम इंटरफेस तथा वेरिफाइड बाई वीसा अधिप्रमाणन तथा आईवीआर लेनदेनों (इन्टरैक्टीव वॉयस रेस्पॉन्स सिस्टम) के

14.11 Cheque Truncation System:

CTS is implemented in Western Grid, Mumbai with effect from 10.08.2013, covering Pune, Ahmedabad, Goa and Bhopal in addition to Thane and Mumbai.

Cheque Truncation System (CTS) has been now extended to the following centres:

1. Bangalore	2. Coimbatore	3. Hyderabad	4. Trivandrum
5. Kolkata	6. Mangalore	7. Tiruppur	8. Vellore
9. Karur	10. Hubli	11. Ludhiana	12. Coonoor
13. Hosur	14. Mysore	15. Bhubaneshwar	16. Cuttack
17. Patna			

14.12 Implementation of RBI Working Group Recommendations on Information Technology & Information Security Domains

The Bank has implemented most of the recommendations of the RBI Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds. The Bank has engaged the services of a reputed external consultant for validation of the implemented recommendations, conducting a gap-analysis and implementation of the pending recommendations. Of the 229 recommendations identified by the Reserve Bank of India, 191 recommendations are applicable for implementation in the Bank, of which, 151 recommendations have already been implemented and the remaining are in the process of implementation.

15. Credit Cards

15.1 Credit Card facilitates the individual clients, a hassle free and risk free way of making payments on shopping, travel etc. In view of the huge potential associated with it, the Bank has taken steps to expand this portfolio. The Bank is predominantly issuing cards to its existing customers.

15.2 As on 31st March, 2014, the Bank has issued 45,383 credit cards with an aggregate limit of ₹251.01 crore, having outstanding balance of ₹29.54 crore

15.3 The Bank earned total income of ₹8.85 crore and Gross Profit of ₹ 6.89 crore for 2013-14 on issue of Credit Cards. 7.42 lakh POS transactions aggregating to ₹183.58 crore were transacted using these cards during the year 2013-2014.

15.4 During the year 2013-14, Bank has introduced Corp Secure cards for the benefit of its customers, wherein credit limits upto 80% of the deposits held, are granted, for utilization through credit cards.

15.5 For customer convenience, the Bank has introduced tech-savvy services such as Auto Debit Facility, SMS alerts, e-statements, on-line viewing of credit card details, ATM interface and Verified by Visa authentication for on-line transactions and issuance of OTP (One Time Password) to

माध्यम से लेनदेन हेतु ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जारी करना आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। इन सभी सुविधाओं से ग्राहकों द्वारा कार्ड के कारगर उपयोग में मदद मिलने की उम्मीद है।

15.6 क्रेडिट कार्डों के परिचालन से जुड़े जोखिमों को कम करने और कार्ड धारकों में विश्वास पैदा करने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान वीएए-वीआरएम (वीज़ा एडवान्स ऑथोराइज़ेशन और वीज़ा रिस्क मैनेजमेंट) शुरू किया गया।

15.7 डेलिवरी चैनल

15.7.1 एटीएम : 31.03.2014 तक बैंक ने 2264 एटीएम संस्थापित किए हैं। इनमें 408 एटीएम स्वामित्व मॉडल के अधीन हैं, 98 एटीएम बैंक के आउटसोर्स्ड मॉडल के अधीन हैं, 1755 एटीएम डीएफएस की पहल में आउटसोर्स्ड मॉडल के अधीन संस्थापित हैं और 3 मोबाइल एटीएम हैं। बैंक ने 7 वर्षों से पुराने सभी एटीएमों को बदलने के लिए कार्रवाई शुरू की है और 31.03.2014 तक 768 पुरानी महीनों को बदलकर नई मशीनें लगाई गई हैं।

15.7.2 डेबिट कार्ड : 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा जारी कुल डेबिट कार्डों (सभी प्रकार के) की संख्या 59.29 लाख है, इसमें 12.93 लाख कार्ड वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जोड़े गए। बैंक के प्रीमियम डेबिट कार्डों की लोकप्रियता बढ़ गई और 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार प्लैटिनम और सिग्नेचर डेबिट कार्डों की संख्या क्रमशः 15,769 और 4,960 रही।

15.7.3 वीज़ा उप सदस्यता हेतु छोटे बैंकों को प्रायोजित करनाः प्लास्टिक मनी के दायरे को बढ़ाते हुए बैंक ने छोटे बैंकों को उप सदस्यता के ज़रिए अपने ग्राहकों को वीज़ा ब्रैंड के कार्ड जारी करने में समर्थ किया है। उक्त सुविधा से छोटे बैंकों के ग्राहक सशक्त हुए हैं और उन्हें वैश्विक स्वीकृति देते हुए प्लास्टिक मनी संस्कृति में लाया गया। 31.03.2014 तक बैंक ने 4 छोटे बैंकों को प्रायोजित किया और इस व्यवस्था से बैंक की शुल्क आय में वृद्धि हुई है।

15.7.4 पीओएस मशीनें: 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार बैंक ने विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 13,501 पीओएस मशीनें लगाई हैं। इस मूल्य वर्धित सेवा से बैंक को न केवल नए ग्राहकों को लाने में बल्कि वर्तमान ग्राहकों को रोके रखने में भी मदद मिली। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने मोबाइल पीओएस सुविधा शुरू की है। बैंक निपटान बैंक के रूप में कार्य करते हुए पीओएस अभिग्रहीत करने के लिए छोटे बैंकों का प्रायोजन भी करता है।

16 डिपॉज़िटरी सेवाएँ

16.1 बैंक नैशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉज़िटरी लि. (एनएसडीएल) का सहभागी है तथा अपने ग्राहकों को डीमैट खाता खोलने, डीमेटीरियलाइसेज़न, रीमेटीरियलाइसेज़न, शेयरों की डिलिवरी व निपटान, प्रतिभूतियों की गिरवी व दृष्टिबंधन, कार्पोरेट कार्रवाई की सुविधा देने आदि जैसी सुविधाएं देता है। वर्तमान में, बैंक की 87 शाखाओं में डीपी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु मेसर्स रेलिगेरे सिक्युरिटीज़ लि. के साथ गठबंधन किया है। बैंक ने अब

IVR transactions (Interactive Voice Response System). All these facilities are expected to help the customers to use the Cards efficiently.

15.6 To mitigate the risk involved in operations of credit cards and also to provide confidence to the Card holders, VAA-VRM (VISA Advance Authorisation and VISA Risk Management) was introduced during this financial year.

15.7 Delivery Channels

15.7.1 ATMs: As of 31.03.2014, Bank had installed 2264 ATMs. Of this 408 ATMs are under owned model, 98 ATMs are under Bank's outsourced model, 1755 ATMs are installed under DFS initiated outsourced Model and 3 are mobile ATMs. The Bank has initiated steps to replace all old ATMs which are more than 7 years old and as of 31.03.2014, 768 old machines have been replaced with new machines.

15.7.2 Debit Cards: As on 31st March, 2014, the total number of outstanding debit cards (all variants) stood at 59.29 lakhs with addition of 12.93 lakh cards during the financial year 2013-14. The premium debit card variants of the Bank have gained popularity and as of 31.03.2014, the number of outstanding Platinum and Signature Debit cards were 15,769 and 4,960 respectively.

15.7.3 Sponsoring Small Banks for VISA Sub membership: Expanding the scope of plastic money, the Bank has enabled smaller banks to issue VISA branded cards to its customers through Sub Membership. The facility has empowered the customers of such smaller banks by bringing them into the plastic money culture giving them global acceptance. As of 31.03.2014, Bank has sponsored 4 small Banks and this arrangement has augmented the fee income of the Bank.

15.7.4 POS machines: As of 31.03.2014, the Bank had installed 13,501 POS machines at various merchant establishments. This value added service has enabled the Bank to not only enroll new customers but also retain existing customers. During the financial year, Bank has introduced Mobile POS facility. The Bank is also sponsoring smaller Banks for POS acquisition by acting as settlement Bank.

16 Depository Services

16.1 The Bank is a participant of National Securities Depository Ltd., (NSDL) and offers Demat services to its customers such as opening of Demat Accounts, Dematerialization, Rematerialisation, delivery & settlement of shares, pledge & hypothecation of securities, facilitating corporate action etc. The DP services are presently being offered in 87 branches of the bank. The Bank has tied up with M/s Religare Securities Ltd., for offering Online and Offline Trading facilities to its customers. Now, the Bank has also tied up with Geojit BNP

जियोजित बीएनपी पैरिबस के साथ भी इसके लिए गठबंधन किया है। बैंक संप्रति देश भर में डीपी तथा आस्बा (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन) हेतु नामित शाखाओं का अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है।

16.2 अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन(आस्बा)

अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (आस्बा) लागू करने के लिए सेबी द्वारा निर्धारित किए गए पहले चार बैंकों में एक हमारा बैंक था। यह आईपीओ, एफपीओ व बुकबिल्डिंग माध्यम से या नियत मूल्य इश्यू के माध्यम से राइट इश्यू के लिए आवेदन देनेवाले निवेशकों के लाभ के लिए अतिरिक्त भुगतान तंत्र है। यह विकल्प सभी प्रवर्गों के निवेशकों – क्यूआईबी, कंपनी निकाय, एचएनआई आदि जैसे गैर-संस्थागत निवेशकों तथा व्यक्तिगत निवेशकों निहित खुदरा प्रवर्ग को उपलब्ध है। बैंक देश भर में अपनी सभी शाखाओं के ज़रिए आस्बा की सुविधा दे रहा है। नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए इंटरनेट के माध्यम से आस्बा के लिए आवेदन देने के लिए बैंक ने एक अत्यंत सुविधाजनक पद्धति शुरू की है अर्थात् डीमैट ग्राहक आईडी, डीपी आईडी, नाम, पैन नंबर आदि जैसी सरल सूचना बैंक की वेबसाइट में आस्बा शीर्ष के तहत प्रथम पंजीकरण स्तर पर 'मेनटेन इन्वेस्टर्स' के तहत उपलब्ध उप शीर्षक में देने होते हैं।

17. विपणन पहल

17.1 कारोबार विकास के लिए ग्राहकों तक पहुँचने के बैंक के प्रयासों में मदद देने के लिए प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों में विपणन ढाँचा बनाया गया है। वर्ष के दौरान 50 नए विपणन अधिकारियों की भर्ती की गई और उन्होंने विभिन्न अंचलों में आंचलिक विपणन टीम में कार्यग्रहण किया है।

17.2 नए उत्पाद – कार्प सरल बचत खाता

बैंक ने शाखाओं में विपणन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान एक नए प्रकार का बचत बैंक खाता अर्थात् "कार्प सरल" शुरू किया है। उक्त उत्पाद में निम्नलिखित निशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं अर्थात् ₹1 लाख तक वैयक्तिक दुर्घटना बीमा रक्षा, मासिक ई-मेल विवरण, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, एनईएफटी, माँग ड्राफ्ट (इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए), नाम मुद्रित चेक बुक (प्रति वर्ष 40 पन्नों तक), साविधि/अवर्ती जमा आदि को ऑनलाइन खोलना आदि। इस उत्पाद की अच्छी शुरुआत हुई। वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत 3,18,441 खातों में ₹521 करोड़ बकाया शेष था।

17.3 कासा के अंतर्गत ग्राहक अधिग्रहण

बैंक के विपणन दल के लिए कासा खातों को संग्रहित करना उच्चतम प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। वर्ष के दौरान बैंक 49,078 चालू खाते और 21.82 लाख बचत बैंक खाते (कार्प प्रगति खाते को छोड़कर) संग्रहीत कर सका है। बचत बैंक के अंतर्गत नए ग्राहकों में 27 प्रतिशत और चालू खाता ग्राहकों में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

17.4 अभियान

17.4.1 अच्छे कासा खातों को संग्रहीत करने के लिए 01 मई, 2013 से 30 जून, 2013 तक कासा अभियान आयोजित किया गया था। उक्त अभियान के दौरान ₹260 करोड़ और ₹197 करोड़ की बकाया राशि के साथ क्रमशः

Paribas for the same. The Bank is currently expanding its network of DP and ASBA (Application Supported by Blocked Amount) designated branches across the country.

16.2 ASBA (Application Supported by Blocked Amount)

The Bank was one of the first four banks identified by SEBI to introduce ASBA. It is an additional payment mechanism for the benefit of investors who apply in IPO, FPO & Rights Issues through book building route or through Fixed Price Issue. This option is available to all segments of investors – QIBs, Non Institutional Investors such as Body Corporates, HNI etc. and Retail segment consisting of individual investors. The Bank is offering ASBA through all its branches across the country. For net banking customers, the Bank has introduced a very convenient mode of applying for ASBA through internet i.e. only with simple information such as Demat Client ID, DP ID, Name, PAN Number etc., at the first registration level under the 'Maintain Investors' sub-heading available in the website of the Bank under ASBA head.

17. Marketing Initiatives

17.1 A marketing set up is in place at the Head Office as well as at the Zonal offices to support the efforts of the field in reaching out to the customers for business development. 50 new marketing officers have been recruited and they have joined the Zonal Marketing teams in various Zones.

17.2 New Products – Corp Saral Savings A/c

The Bank launched a new variant of Savings Bank Account during the year viz "Corp Saral" to give a boost to the Marketing efforts of branches. The product offers following free facilities viz Personal Accident cover up to ₹ 1 lakh, monthly E-mail statement, Internet Banking facility, NEFT, Demand Draft (through Internet Banking), Personalized Cheque Book (upto 40 leaves per year), Online opening of Fixed/Recurring Deposits etc. The product has taken off well having opened 3,18,441 accounts during the year with an outstanding balance of ₹521 crore.

17.3 Clientele Acquisition under CASA

Mobilizing CASA accounts has been a priority area for the Marketing Team. During the year, the Bank could mobilize 21.82 Lakh Savings Bank Accounts and 49,078 Current Accounts (excluding Corp Pragathi account). There has been 27 percent growth in new Clientele under SB and 5 percent growth in CA customers.

17.4 Campaigns

17.4.1 A CASA campaign was conducted from 01st May to 30th June, 2013 for mobilizing quality CASA accounts. During the Campaign, 84,251 SB and 8,059 CA accounts were opened with

84,251 बचत बैंक और 8,059 चालू खाते संग्रहित किए गए। रिमोट डेलिवरी चैनल उत्पादों पर अधिक ध्यान दिया गया, जिसके कारण एसएमएस बैंकिंग के लिए 78,139 और इंटरनेट बैंकिंग के लिए 27,000 नए रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए।

17.4.2 बचत बैंक आधार में विस्तार करने के लिए 15.07.2013 से 15.10.2013 तक हज़ार मुस्कानें नाम का एक अभियान चलाया गया था। अंचलों ने द्वार-द्वार पर जाकर अभियान किया और ₹600 करोड़ बकाया शेष के साथ 7.84 लाख बचत बैंक खाते संग्रहीत किए।

17.4.3 इससे प्रोत्साहित होकर 16 अक्तूबर, 2013 से 15 दिसंबर, 2013 तक कार्पोरेट कार्यालय और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों सहित सभी स्टाफ सदस्यों की प्रतिभागिता से एक और अभियान "निष्ठा अभियान" आयोजित किया गया, जिसमें 15 मार्च, 2014 तक शेषराशि को बनाए रखना था। उक्त अभियान का विशेष उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बचत बैंक ग्राहकों में वृद्धि करना था। प्रत्येक स्टाफ सदस्य से 10 बिलकुल नए गुणवत्तापूर्ण बचत बैंक खाते खोलने का आह्वान किया गया। अभियान के दौरान, ₹490 करोड़ बकाया शेष सहित 1.95 लाख पात्र बचत बैंक खाते खोले गए।

17.4.4 बचत बैंक आधार में और वृद्धि करने के लिए, 01 मार्च से 10 मार्च, 2014 तक समर्पण अभियान नाम से एक और अभियान आयोजित किया गया। उक्त अभियान के दौरान ₹52.39 करोड़ बकाया शेष राशि सहित 57,867 बचत बैंक खाते खोले गए।

17.4.5 उत्पादों एवं सेवाओं के प्रचार के लिए सभी ग्राहकों को ई-मेलर भेजनाः कार्प सिग्नेचर खाते के विपणन के लिए उच्च मालियत वाले अनिवासी भारतीय ग्राहकों को ई-मेलर भी भेजे गए।

17.5 अनिवासी भारतीयों के लिए सीएलएसबी खाते

क्षेत्र स्तर से लंबे समय से की जा रही माँग को पूरा किया गया जब सीएलएसबी खाते को आशोधित करते हुए अनिवासी भारतीयों को ये खाते खोलने की सुविधा दी गई और सीएलएसबी के अंतर्गत मीयादी जमा की अवधि 3 वर्ष से 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई। इससे अनिवासी भारतीयों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि बचत बैंक== की शेषराशियाँ स्वतः मीयादी जमाराशियों में अंतरित हो जाएंगी।

18. ग्राहक सेवा

18.1 बैंक का यह दृढ विश्वास है कि बैंक के कारोबार विकास में कारगर, मुस्तैद व दक्ष ग्राहक सेवा की अहम भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्राहक सेवा सुधारने के लिए बैंक ने कई उपाय किए हैं।

18.2 टाउन हॉल कार्यक्रमः बैंकिंग लोकपाल के तत्वावधान में दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को हमारे कार्पोरेट कार्यालय में एक टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त बैठक में विभिन्न बैंकों के अध्यक्षों के साथ डॉ. के. सी. चक्रबर्ती, भा.रि.बैं. के उप गवर्नर उपस्थित थे। उप गवर्नर के अभिभाषण के बाद ग्राहकों के साथ विचार विनिमय सत्र था। उप गवर्नर/ विभिन्न बैंकों के अध्यक्षों ने ग्राहकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का सौहार्दपूर्व तरीके से जबाव दिया।

outstanding balances of ₹260 crore and ₹197 crore respectively. More focus was given on remote delivery channel products which resulted in getting a registration of 78,139 Applicants for SMS Banking and 27,000 for Internet Banking.

17.4.2 For expansion of SB base, a Campaign named Hazaar Muskaane was conducted from 15.07.2013 to 15.10.2013. Zones organized door to door campaigns for mopping up 7.84 lakh SB accounts with outstanding balance of ₹600 crore.

17.4.3 Motivated by this, yet another Campaign - "Nishta Campaign" was organized from 16th October to 15th December, 2013 with a sustenance period upto 15th March, 2014, with participation of all the staff members including that of corporate office and other administrative offices. The campaign was targeted specifically at increasing Quality SB Clientele. The call was for each staff of the bank to bring in a minimum of 10 totally new, Quality Savings Bank accounts. During the campaign 1.95 Lakhs eligible SB accounts were opened with outstanding balance of ₹490 crore.

17.4.4 To further boost SB base, one more campaign named as Samarpan Campaign was conducted from 1st March to 10th March, 2014. During the Campaign 57,867 SB accounts were opened with outstanding balance of ₹52.39 crore.

17.4.5 Sending E mailers to all the customers for promotion of products and services: E mailers were also sent to NRI customers for marketing Corp Signature accounts, targeting the High Value NRI customers.

17.5 CLSB Accounts for NRIs

A longstanding demand from the field regarding modifications to CLSB scheme was fulfilled by enabling NRIs to open CLSB Accounts and increasing the tenure of the term deposit therein from 3 years to 5 years.This is going to be of great comfort for NRIs as it would facilitate auto sweep of balances in SB to term deposits.

18. Customer Service

18.1 The Bank strongly believes that an effective, prompt and efficient customer service plays a vital role in the business development of the Bank. With this in mind, the Bank has initiated a number of measures to improve customer service.

18.2 Town Hall Event: Under the aegis of the Banking Ombudsman, a town hall event was organized at our Corporate Office on 16th April, 2013. The meeting was graced by the Deputy Governor of RBI, Dr. K. C. Chakrabarty along with Chairmen of different banks. The Deputy Governor's address was followed by an interactive session with customers. The Deputy Governor / Chairmen of different Banks amicably replied to all the queries raised by customers.

18.3 लोक शिकायत निवारण प्रणाली: मूल मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने लोक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है जिसमें ग्राहक विभिन्न चैनलों जैसे ई-मेल, एसएमएस, वेबसाइट में पोर्ट किए गए शिकायत फार्म, पत्र और फैक्स आदि द्वारा शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इन शिकायतों को साझे और केन्द्रीकृत डाटाबेस में पूल किया जाता है और उसके बाद विभिन्न स्तरों में निपटाया जाता है।

18.4 मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी की नियुक्ति: श्री रंजन कुमार सिन्हा को 25 नवंबर, 2013 से मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी ग्राहक शिकायतों का समाधान करने में आंतरिक अपील अधिकारी (आंतरिक लोकपाल) के रूप में कार्य करते हैं।

18.5 ग्राहक दिवस: हमारे संस्थापक की याद में और ग्राहकों के हित और ग्राहक सेवा के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने के लिए बैंक ने 12.3.2014 को सभी शाखाओं/कार्यालयों में अपने 109वें स्थापना दिवस को ग्राहक दिवस के रूप में मनाया। बैंक ने उस दिन ₹5.90 करोड़ के कुल 10,377 कासा खाते संग्रहित किए। कुछ अंचलों ने रक्तदान शिविर आयोजित करते हुए ग्राहक दिवस मनाया।

19. एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली

19.1 बेसल II अनुपालन

19.1.1 वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विश्व के विभिन्न देशों के बीच आपसी संपर्क में काफी सुधार हुआ है। दुनिया भर के बैंक और वित्तीय संस्थाएं इतना परस्पर जुड़ गई हैं कि वित्तीय जगत का समय-क्षेत्र सिकुड़ गया है और यह विश्व सचमुच एक छोटी जगह बन गया है। लेकिन इस एकीकरण का यह भी मतलब होता है कि विश्व के एक हिस्से का भू-राजनैतिक जोखिम विश्व के दूसरे हिस्से को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार, एक-एक दिन गुज़रते-गुज़रते नए और अधिक जटिल जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं और विश्व भर की वित्तीय संस्थाओं को बढ़ते जोखिमों का सामना करने के लिए अपनी जोखिम प्रबंधन तकनीकों और संरचना को निरंतर रूप से बढ़ाना और सुधारना पड़ता है। बेसल II और बेसल III समझौते का उद्देश्य विभिन्न अधिकार क्षेत्रों और विभिन्न देशों में परिचालनरत विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं को एक साझे पर्यवेक्षी ढाँचे के अधीन लाते हुए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में एकरूपता लाना है।

जोखिम प्रबंधन बैंक की संगठनात्मक संरचना और कारोबार रणनीति का एक अभिन्न अंग है। जोखिमों को पहचानने, मापने, निगरानी करने और नियंत्रित करने से बैंक को हानियों को कम करने और लाभ अधिकतम करने में मदद मिलती है। बैंक द्वारा सामना किए जा रहे मुख्य जोखिम हैं ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनगत जोखिम।

19.1.2 ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति/ आस्ति देयता प्रबंधन समिति और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति - कार्यपालकों की तीन जोखिम प्रबंधन समितियाँ तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन देख

18.3 Public Grievance Redressal System: As per the directives of the Parent Ministry, the Bank has launched the Public Grievance Redressal System wherein customers can lodge complaints through various channels such as e-mail, SMS, complaint form ported in the website, letters and fax etc. These complaints are pooled into a common and centralized data base and then resolved at different levels.

18.4 Appointment of Chief Customer Service Officer: Shri Ranjan Kumar Sinha has been appointed as Chief Customer Service Officer with effect from 25th November, 2013. The Chief Customer Service Officer acts as an Internal Appellate Authority (Internal Ombudsman) in resolution of customer complaints.

18.5 Customer Day: To commemorate the memory of our Founder and also to rededicate ourselves to the cause of the customers and customer service, the Bank celebrated its 109th Foundation Day as Customer Day at all the Branches/Offices on 12.03.2014. The Bank mobilized 10,377 CASA accounts amounting to ₹ 5.90 crore on that day. A few Zones celebrated the Customer Day by holding Blood donation Camps.

19. Integrated Risk Management System

19.1 Basel II Compliance

19.1.1 Consequent upon globalization, the interconnectivity between various countries of the world has drastically increased. Banks and other financial institutions all over the world have become more interconnected than ever as the time zones separating the financial world has shrunk and truly world has become a smaller place. This integration however also means that geo-political risks arising in one part of the globe also affects the other part of the world. Thus with each passing day newer and more complex risks are arising and Financial Institutions across the world have to continuously enhance and improve their risk management techniques and architecture to address the growing risks. Basel II and Basel III accord are aimed at harmonizing the practices adopted by various Banks operating across jurisdictions and countries, under a common supervisory framework, thus bringing uniformity in the Risk Management Practices.

Risk Management is an integral part of bank's organizational structure and business strategy. Identification, measurement, monitoring and controlling the risks enables the Bank to minimize losses and maximize profits. The major types of risks faced by the Bank are Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

19.1.2 The Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee/Asset Liability Management Committee and the Operational Risk Management Committee – the three internal committee of executives along with the Risk Management Committee of Board are looking after the

रही हैं। उधार जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक की सुस्पष्ट नीतियाँ हैं।

19.1.3 बैंक ने संभाव्य जोखिमों के मूल्यांकन के लिए आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) लागू की है ताकि इन जोखिमों का प्रबंधन व कमी की जा सके तथा जोखिम से संबंधित उसकी पूँजी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया जा सके। अत्यंत दूभर परिस्थितियों में भी संभाव्य प्रभाव के संबंध में बैंक को बेहतर समझ प्रदान करते हुए जोखिम निर्धारण का स्तर बढ़ाने के लिए दबाव परीक्षण प्रक्रिया लागू की गई है। दबाव परीक्षण बैंकों को नाजुक क्षेत्र, यदि कोई है तो उसे पहचानने और उपयुक्त आकस्मिक योजनाएं विकसित करके उसके लिए तैयार होने में समर्थ करती है।

19.1.4 जोखिम प्रबंधन के उन्नत दृष्टिकोण के प्रति बैंक को ले जाने हेतु नक्शा तैयार करने के लिए बैंक ने परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है।

19.2 ऋण जोखिम

19.2.1 ऋण जोखिम के क्षेत्र में बैंक ने वर्ष 2006 में वाणिज्यिक ऋण सेग्मेंट के अंतर्गत उधारकर्ताओं के लिए लागू रेटिंग मॉडल क्रियान्वित किए थे। ये रेटिंग मॉडल जोखिम निर्धारण मॉड्यूल (रैम) नाम के वेब आधारित इंटरप्राइज़ वाइड सेल्यूशन पर काम करता है। वर्तमान में ₹10 लाख और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मूल्यांकन टिप्पणियाँ तैयार करते समय रेटिंग का आकलन करने में बैंक को समर्थ करता है। बेसल-II के आईआरबी दृष्टिकोण में परिवर्तित होने हेतु डाटाबेस का सृजन करने के लिए रैम सॉफ्टवेयर मदद करता है।

बैंक ने पूँजी आकलन मॉड्यूल (कैम) भी प्राप्त किया है, जिसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित अनुसार बेसल II के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के पूँजीगत परिकलन के प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किया जाता है। बैंक ऋण जोखिम के अंतर्गत एफआईआरबी (आधारभूत आंतरिक श्रेणीकरण पर आधारित दृष्टिकोण) में माइग्रेट होने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन कर चुका है। वर्तमान में बैंक ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपना रहा है।

19.2.2 बैंक ने ग्रूप ऋण नीति सूत्रबद्ध की है, जो परिचालन के उन सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए जहाँ ऋण जोखिम शामिल है, ऋण प्रबंधन हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करती है। इस नीति से बैंक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है जिससे बैंक अपने ऋण संविभाग में स्थिर तथा स्वस्थ संवृद्धि दर्शा सकता है जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन समग्र रूप से सुधरेगा।

19.2.3 उपर्युक्त नीति के अनुसार बैंक ने वैयक्तिक उधारकर्ताओं, गैर-कार्पोरेट उधारकर्ताओं हेतु विवेकपूर्ण सीमाएं, प्रवेश स्तरीय एक्सपोज़र मानदंड, बड़ी एक्सपोज़र सीमाएँ, मानक वित्तीय अनुपात, उधारकर्ता मानक, उद्योगों, संवेदनशील क्षेत्रों हेतु एक्सपोज़र सीमाएँ/उच्चतम सीमा, रेटिंग श्रेणी आदि निर्धारित किए हैं। निदेशक मंडल आवधिक रूप से विवेकपूर्ण सीमाओं की समीक्षा करता है।

implementation of Integrated Risk Management system in the Bank. The Bank has well laid down policies for management of Credit, Market and Operational Risk.

19.1.3 The Bank has put in place Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to assess the risks to which it is exposed and has put risk management process in place to manage and mitigate those risks and evaluate its capital adequacy relative to its risks. Stress testing process is in place for enhancing risk assessment by providing the Bank a better understanding of the likely impact even in extreme circumstances. Stress testing enables the banks to identify the vulnerable areas if any and also to prepare for the same by developing appropriate contingency plans.

19.1.4 The Bank has appointed consultants for preparing the road map and hand holding the Bank in moving towards the advanced approach of risk management.

19.2 Credit Risk

19.2.1 In the area of credit risk, the Bank had in the year 2006 implemented the rating models applicable for borrowers under commercial loan segment. The rating models are working on web based enterprise wide solution called Risk Assessment Module (RAM). This software which is currently used to appraise the borrower with exposure of ₹10 lakh and above, enables the bank to assess the ratings while preparing the appraisal notes. The RAM software helps in creating database for moving over to the IRB approaches of Basel – II.

The Bank has also procured Capital Assessment Module (CAM) which is used for the purpose of capital computation of credit risk under standardized approach of Basel II as prescribed by the RBI. The Bank has already applied to the Reserve Bank of India for migrating to FIRB (Foundation Internal Ratings based approach) under credit risk. Presently bank is following Standardised Approach in Credit Risk.

19.2.2 Bank has formulated a Group Credit Policy which lays down policy guidelines for credit risk management covering all areas of operation where credit risk is involved. The policy would enable the bank to enhance the risk management capabilities thus making it possible for the bank to show a steady and healthy growth in its credit portfolio resulting in overall improved performance.

19.2.3 In terms of the above policy, the bank has set prudential limits to individual borrowers, non-corporate borrowers, entry level exposure norms, substantial exposure limits, benchmark financial ratios, borrower standards, exposure limits/ceilings to industries, sensitive sectors, rating category etc. The Board reviews the prudential limits periodically.

19.2.4 बैंक ने बहुस्तरीय ऋण अनुमोदन की व्यवस्था भी लागू की है जिसमें ऋण प्रस्ताव संबंधी मंजूरी प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले "अनुमोदन ग्रिड" द्वारा मंजूर किए जाते हैं। बैंक ने ऋण प्रस्तावों के त्वरित तथा दक्ष निपटान हेतु खुदरा ऋण अनुमोदन के लिए प्रमुख क्षेत्रों में खुदरा हब तथा बड़े ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण हेतु प्रत्येक अंचल में केन्द्रीकृत ऋण प्रसंस्करण कक्ष स्थापित किए हैं। बैंक ने एसएमई को ऋण सुविधाओं के शीघ्र और त्वरित संवितरण के लिए एसएमई ऋण केन्द्र भी स्थापित किए हैं।

19.2.5 01.12.2011 से ₹5 करोड़ और उससे अधिक के ऋण एक्सपोज़र हेतु उधार खातों की ऑन-साइट ऋण लेखा-परीक्षा शुरू की गई है।

19.2.6 उधार खातों के संचालन में अपवादों पर नज़र रखने तथा ऋण संविभाग की सुदृढ़ता सुरक्षित करने/सुधारने हेतु सुधारात्मक उपाय करने के लिए कोर बैंकिंग प्लैटफार्म के माध्यम से अब ऑफसाइट निगरानी की जाती है। उधार खातों की स्वतंत्र तथा प्रभावी निगरानी हेतु सभी आंचलिक कार्यालयों में ऋण निगरानी कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। ₹1 करोड़ और उससे अधिक के बड़े ऋण एक्सपोज़रों की पूर्णतः स्वचालित ग्रेडड निगरानी प्रणाली के ज़रिए मासिक आधार पर निगरानी की जाती है। ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ तक के ऋण एक्सपोज़रों की संबंधित आंचलिक कार्यालयों द्वारा, ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक की संबंधित मंडल कार्यालयों द्वारा और ₹10 करोड़ और उससे अधिक की सीआरएमडी, प्रधान कार्यालय द्वारा निगरानी की जाती है। आंका/मंका/सीआरएमडी, प्रका द्वारा संबंधित आंचलिक प्रमुख/मंडल प्रमुख और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को मासिक टिप्पणी प्रस्तुत की जाती है।

19.2.7 बैंक ने पोर्टफोलियो स्तर पर ऋण जोखिम के मूल्यांकन हेतु तथा संविभाग की गुणवत्ता सुधारने के लिए रणनीतियाँ अपनाने तथा कुछ उधारकर्ताओं या उद्योगों को एक्सपोज़र के संकेन्द्रन के संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उद्योग जोखिम निर्धारण व संविभाग विवेचन के कार्य की ज़िम्मेदारी भी ली है।

19.2.8 उधार खातों के रेटिंग माइग्रेशन पर द्विवार्षिक आधार पर अध्ययन भी किया जाता है तथा संविभाग गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए समुचित उपचारात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

19.2.9 प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों और मंडल कार्यालयों के ऋण प्रभाग द्वारा दी गई रेटिंग की ऑनलाइन पुष्टीकरण की व्यवस्था की गई है, जहाँ मंजूरीकर्ता प्रभागों द्वारा दी गई रेटिंग की समीक्षा की जा रही है।

19.3 बाज़ार जोखिम

19.3.1 बाज़ार जोखिम वह जोखिम है, जो बाज़ार मूल्य में उतार-चढ़ाव, जो विशेषतः ब्याज दरों, विदेशी विनिमय दरों तथा ईक्विटी तथा पण्यों के मूल्य में परिवर्तनों के कारण होता है। इन परिवर्तनों से अगर निपटा नहीं जाता तो बैंक के अर्जनों तथा उसकी पूँजी पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

19.3.2 बाज़ार जोखिमों के प्रबंधन के लिए बैंक की चलनिधि, ब्याज दरों, विदेशी विनिमय और ईक्विटी जोखिम को मापने, निगरानी करने और प्रबंधन करने पर ज़ोर दिया जाता है। व्यापार बही में बाज़ार जोखिम की उपयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के अनुसार निगरानी की जाती है। बाज़ार स्थिति, निधीयन स्वरूप,

19.2.4 The Bank has implemented a multi-tier credit approving system wherein the loan proposals are cleared by an "Approval Grid" before being placed to the respective sanctioning authorities. For speedy and efficient disposal of credit proposals, the Bank has established Retail Hubs at major centres for retail credit approval and Centralized Credit Processing cells at each of the zones for appraising larger credit proposals. The Bank has also set up SME Loan Centers for quick and speedy disbursal of credit facilities to the SMEs.

19.2.5 On-site Credit Audit of Borrowal accounts has been introduced with effect from 01.12.2011 for the credit exposure of ₹5 crore and above.

19.2.6 Offsite surveillance through the core banking platform is now made use of to track exceptions in the conduct of borrowal accounts and initiate timely action to protect/improve the health of credit portfolio. Credit monitoring cells have also been formed at all the zonal offices for independent and effective monitoring of borrowal accounts. Large Credit exposures of ₹1 Crore and above are monitored through the fully automated Graded System of monitoring on a monthly basis. Credit Exposure of ₹1 Crore up to ₹5 Crore is being monitored by the respective ZO's exposure of ₹5 Crore to ₹10 Crore by respective Circle Offices and ₹10 crore and above by CRMD HO. A monthly note is being placed to the respective ZH/CH and CMD by ZO/CO/CRMD HO.

19.2.7 The Bank has also undertaken Industry Risk Assessment and Portfolio Studies in order to assess the credit risk at the portfolio level and adopt strategies to improve the quality of portfolio and reduce the potential adverse impact of concentration of exposures to certain borrowers or industries.

19.2.8 Study on rating migration of borrowal accounts is undertaken on Bi-Annually and appropriate corrective actions are initiated to protect the portfolio quality.

19.2.9 On-line confirmation of rating assigned by Credit Divisions at H.O., Zonal Offices and Circle Offices has been put in place, where by the ratings awarded by the sanctioning divisions are being reviewed.

19.3 Market Risk

19.3.1 Market Risk is the risk to the Bank resulting from the movement in market prices particularly due to changes in the interest rates, equity and commodity prices. The changes if not mitigated well can have direct impact on the Bank's earnings and its capital.

19.3.2 For management of Market Risk, emphasis has been placed on measuring, monitoring and managing liquidity, interest rates, foreign exchange and equity risk of the Bank. The market risk in trading book is monitored and managed

अवधि, प्रतिपार्टी सीमाएँ तथा विभिन्न संवेदनशील मानदंडों पर निगरानी रखी जाती है। प्रोन्नत जोखिम प्रबंधन उपाय, जैसे जोखिम पर मूल्य (वीएआर), जोखिम पर अर्जन (ईएआर), निवल एक दिवसीय आरंभिक राशि सीमा (एनओओपी) तथा संशोधित समयावधि सीमा बाज़ार जोखिम के प्रबंधन में प्रयुक्त होते हैं। बैंक वर्तमान में आईएमए (आंतरिक मॉडल आधारित दृष्टिकोण) और मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अंतर्गत परिकलित पूँजी का समांतर रूप से पालन कर रहा है। संप्रति बैंक बाज़ार जोखिम के अंतर्गत पूँजी को परिकलित करने के लिए एसडीए का उपयोग कर रहा है।

19.4 परिचालनात्मक जोखिम

19.4.1 परिचालनगत जोखिम सभी कारोबार परिचालनों में अंतर्निहित है तथा परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन सुदृढ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। कारोबार का आकार तथा जटिलता तथा बैंक के जोखिम दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निरंतर प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से क्षेत्र स्तर के कार्मिकों को ज्ञान देने पर जोर दिया जाता है। बेसल II ढांचे के तहत प्रोन्नत दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए और जोखिम प्रबंधन में उद्योग क्षेत्र के बेहतर जोखिम प्रबंधन को अपनाने के लिए बैंक ने परामर्शदाताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप परिचालनगत जोखिम प्रबंधन हेतु सोफ्टवेयर वेंडरों की नियुक्ति की है।

19.4.2 बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की है जो उसे परिचालनात्मक जोखिम को कारगर रूप से प्रबंधन करने में मदद देता है। बैंक ने लॉस डाटा कैप्चर, जोखिम नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए), मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई), लॉस डाटा मॉडलिंग, जोखिम प्रवृत्ति और परिदृश्य विश्लेषण हेतु ढाँचे को भी क्रियान्वित किया है। बैंक ने उत्पादों, गतिविधियों, आय के विभिन्न कारोबार क्षेत्रों से मैप करने हेतु बिज़नेस लाइन मैपिंग नीति सूत्रबद्ध की है।

19.4.3 बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार के परिकलन हेतु "मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)" की ओर बढ़ने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन दिया है। बैंक ने पाँच वर्षों के लिए परिचालनात्मक जोखिम लॉस डाटा को एकत्र किया है। बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम सॉफ्टवेयर को रॉल-आउट किया जिसे कारोबार क्षेत्रों में परिचानात्मक जोखिम लॉस डाटा, आरसीएसए और केआरआई के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंक ने अपनी सभी महत्वपूर्ण इकाइयों के लिए आरसीएसए रजिस्टर संकलित किए हैं और विभिन्न स्थानों पर आरसीएसए कार्यशालाएं आयोजित की हैं। बैंक महत्वपूर्ण इकाइयों हेतु विभिन्न केआरआई की नियमित अंतरालों में निगरानी करता है।

19.4.4 बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार के परिकलन हेतु "उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए)" की ओर बढ़ने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आश्य पत्र प्रस्तुत किया है।

19.4.5 जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के तहत पाँच कारोबार जोखिमों तथा दो नियंत्रण जोखिमों को शामिल करते हुए जोखिम प्रोफाइल टेम्प्लेट तिमाही आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं।

as per appropriate control mechanism in place. Market position, funding patterns, duration, counterparty limits and various sensitive parameters are monitored. The advanced risk management tools such as Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Net Overnight Open Position Limits (NOOP) and modified duration limits are used in managing market risk. The Bank is presently carrying out the parallel run capital computed under the IMA (Internal Models based Approach) and Standardised Duration Approach (SDA). Presently Bank is using SDA for calculating capital required under market risk.

19.4 Operational Risk

19.4.1 Operational Risk is embedded in all business operations and the management of Operational Risk is an important part of the Sound Integrated Risk Management Structure. In the background of the size and complexity of business and risk philosophy of the bank, emphasis is being given to impart knowledge at the field level through continuous training process. In order to move over to advanced approaches under Basel II framework and adopt industry best practices in risk management, the bank has appointed consultants and software vendors for implementing Operational Risk Management Framework conforming to international standards.

19.4.2 The Bank has implemented Operational Risk Management Policy which helps it in managing the Operational Risk in an effective manner. The Bank has also implemented frameworks for Loss Data Capture, Risk Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI), Loss Data Modelling, Risk Appetite and Scenario Analysis. The Bank has also formulated Business Line Mapping framework for mapping products, activities, income into different business lines.

19.4.3 The Bank has applied to Reserve Bank of India for moving over to "The Standardised Approach (TSA)" for computation of capital charge for Operational Risk. The Bank has collected Operational Risk loss data for five years. Bank has rolled out Operational Risk software which is used for management of Operational Risk loss data, RCSA and KRIs across the business lines. The Bank has compiled RCSA registers for all its critical units and has conducted RCSA workshops at various locations. Bank is monitoring various KRIs for critical units at regular intervals.

19.4.4 Bank has submitted Letter of Intent to Reserve Bank of India for moving over to the "Advanced Measurement Approach (AMA)" for computation of capital charge for Operational Risk.

19.4.5 Under the Risk Based Supervision, Risk Profile Templates covering five business risks and two control risks are prepared on quarterly basis and submitted to RBI.

19.5 आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

19.5.1 आस्ति देयता प्रबंधन कार्य में बैंक की समेकित निधियों के प्रवाह, स्तर, मिश्रण, लागत तथा प्रतिफल की आयोजना करना, निर्दिष्ट करना व नियंत्रित करना शामिल है। आस्ति देयता प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जोखिम मिटाना नहीं, बल्कि उसका प्रबंधन इस प्रकार करना है कि निवल ब्याज आय की अस्थिरता कम हो जाए।

19.5.2 जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण के एक अंग के रूप में बैंक ब्याज दर संवेदनशीलता (गैप विश्लेषण), आस्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता और तरलता का विश्लेषण करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। बैंक, तरलता का मापन स्टॉक एण्ड फ्लो दृष्टिकोण के उपयोग द्वारा किया जाता है इसके अलावा, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम पर अर्जन एवं अवधि जैसे मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तिमाही आधार पर तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम का दबाव परीक्षण किया जाता है। बैंक व्यापार बही में जोखिम मापने के लिए जोखिम पर मूल्य (वीएआर) लागू करता है। बैंक अपने एएलएम सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया है और उक्त उन्नयन के अधीन अंतरण मूल्य मॉड्यूल का समांतर संचालन कर रहा है।

19.5.3 बैंक ने बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति/आस्ति देयता प्रबंधन समिति गठित की है जो ब्याज दर परिदृश्य, जमाराशियों एवं अग्रिमों हेतु उत्पाद मूल्य-निर्धारण, वृद्धिशील आस्तियों एवं देयताओं का वाँछित परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक निधियों हेतु माँग, बैंक का नकद प्रवाह, लाभप्रदता आयोजना एवं समग्र तुलन पत्र प्रबंधन की समीक्षा हेतु नियमित अंतराल में बैठक करती है।

20. मानव संसाधन प्रबंधन

20.1 कारोबार संवृद्धि, शाखा नेटवर्क में विस्तार और एट्रीशन/सेवानिवृत्ति की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु बैंक ने वर्ष के दौरान सीधे बाज़ार से 2,925 कर्मचारियों की भर्ती की है। इनमें 2,080 सिंगल विंडो ऑपरेटर, 597 सहायक प्रबंधक और 248 विशेषज्ञ अधिकारी शामिल हैं। पिछले वर्ष के आखिरी दिन के 15,908 की तुलना में 31 मार्च, 2014 को कर्मचरियों की कुल संख्या 18,282 रही।

20.2 पिछले वर्ष के अंत में दर्ज ₹19.22 करोड़ की स्टाफ उत्पादकता और ₹9.68 लाख के प्रति कर्मचारी निवल लाभ के मुकाबले 31.03.2014 को ये क्रमशः ₹19.33 करोड़ और ₹3.29 लाख रहे।

20.3 बैंक विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में रोज़गार हेतु आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता रहा है। वर्ष के दौरान भर्ती किए गए 2,925 नए उम्मीदवारों में से 711 उम्मीदवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के हैं। कुल कर्मचारियों की संख्या में 31.03.2014 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 4,949 (27.07%) है।

20.4 अन्य आरक्षित प्रवर्गों का भी बैंक में यथोचित प्रतिनिधित्व है। 31 मार्च, 2014 को 3,762 अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी, 373 शारीरिक रूप से विकलांग और 1,083 भूतपूर्व सैनिक बैंक की स्टाफ सूची में हैं।

19.5 Asset Liability Management (ALM)

19.5.1 The ALM function involves planning, directing and controlling the flow, level, mix, cost and yield of consolidated funds of the Bank. The primary objective of ALM is not to eliminate the risk, but to manage it in such a way that the volatility of net interest income is minimized.

19.5.2 As a part of Risk Management and control, the Bank is using ALM system for studying and analyzing the interest rate sensitivity (GAP Analysis), Maturity and Liquidity analysis of Assets and Liabilities. The bank is measuring the liquidity using the Stock and the Flow approach, further models like Earning at Risk and Duration are used for Interest rate risk management. Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on quarterly basis. The Bank applies Value-at-Risk (VaR) to measure the risk in the Trading Book. The Bank has upgraded its ALM software and is conducting parallel run of Transfer Pricing Module under the said upgrade.

19.5.3 The Bank has constituted the Market Risk Management Committee/Asset Liability Management Committee which meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

20. Human Resources Management

20.1 To meet the requirements of Business Growth, Branch Network expansion and attrition/retirements, Bank has recruited 2,925 employees directly from the market during the year. This includes 2,080 Single Window Operators, 597 Assistant Managers and 248 Specialist Officers. The total staff strength stood at 18,282 as on 31st March, 2014 as compared to 15,908 as on last day of the previous year.

20.2 Staff productivity in the Bank as on 31.03.2014 stood at ₹19.33 crore and Net Profit per employee stood at ₹3.29 lakh as on 31.03.2014 as against ₹19.22 crore and ₹9.68 lakh, respectively, registered as at the end of the previous year.

20.3 The Bank has been following the guidelines for reservation in employment to specified categories. During the year, of the total 2,925 new recruitments, 711 candidates belonged to Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories. The representation of Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees in the total staff strength was 4,949 (27.07%) as on 31.03.2014.

20.4 The Bank has also a fair representation of other reserved categories. As on 31st March, 2014, 3,762 staff representing Other Backward Communities, 373 Physically Handicapped staff and 1,083 Ex-Servicemen were on the rolls of the Bank.

21. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

21.1 बैंक अपने कार्यबल को उद्योग में सबसे उत्पादक कार्यबलों में एक बनाने के लिए प्रशिक्षित करने और विकसित करने का प्रयास करता है। प्रतिस्पर्धा के युग में दक्षता एवं क्षमता निर्माण का काफी महत्व होता है और बैंक अपने कर्मचारियों को ज्ञान, कौशल और सही मनोवृत्ति के साथ सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। प्रभाग ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 13,599 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। कर्मचारियों को ऋण, फॉरेक्स, जोखिम प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रों में और सामान्य प्रबंधन अनुप्रयोग में प्रशिक्षित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन करते हुए देश भर में मुद्रा संव्यवहार एवं प्रबंधन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

21.2 मेसर्स मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशन, बेंगलूर, मेसर्स निट्टे इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस, मंगलूर और बैंकर्स कोश्यंट अकादमी, मुंबई के सहयोग से परिवीक्षाधीन सहायक प्रबंधकों के लिए अभिनवन कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैंकर ग्रामीण विकास संस्था, मंगलूर/लखनऊ और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, हैदराबाद के सहयोग से कृषि क्षेत्र अधिकारियों के लिए अभिनवन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऋण प्रबंधकों, फॉरेक्स प्रबंधकों और विपणन अधिकारियों के लिए भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

21.3 बैंक के चार सौ अड़तालीस अधिकारियों/कार्यपालकों को अपने परिचालन क्षेत्र में गहन प्रशिक्षण पाने हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा गया। इसके लिए चुने गए प्रशिक्षण केन्द्र हैं – एनआईबीएम, सीएबी, आरबीआई, आईडीआरबीटी, एनपीसीआई, सीआईआई, फिक्की, एनआईआरडी, बर्ड, एएससीआई, आईएमआई, आईआईबीएम-गुवाहाटी आदि।

21.4 प्रभाग ने वित्त वर्ष के दौरान 36 कार्यपालकों/अधिकारियों को वर्ष के दौरान विदेश में संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/अध्ययन दौरों/प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए नामांकित किया।

21.5 वेतनमान V और उससे ऊपर के एक सौ अठहत्तर वरिष्ठ कार्यपालकों को विभिन्न संगठनों/संस्थाओं में परिचालन और प्रशासन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी दी गई।

21.6 वर्ष के दौरान बैंक ने अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के 3,554 कर्मचारियों और अ.पि.व. समुदाय के 3,138 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया।

21.7 वर्तमान में 7 स्थानों पर बैंक की कर्मचारी प्रशिक्षण सुविधाएं हैं वित्त वर्ष के दौरान 7,278 कर्मचारियों को हमारे स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित किया गया।

21.8 पदोन्नतियाँ

बैंक अपने कर्मचारियों को अपने करियर में आगे बढ़ने और बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए इष्टतम अवसर प्रदान करता है। कर्मचारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा साथ-साथ बैंक की मानवशक्ति अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु बैंक में 'फास्ट ट्रैक चैनल' प्रक्रिया संस्थापित की गई है।

21. Human Resources Development & Training

21.1 Bank strives to groom and develop its workforce to make it one of the highly productive workforces of the industry. Competency and capacity building assumes great significance in the era of competition and the Bank is dedicated to empower its employees with knowledge, skills and right attitude. The division has trained 13,599 employees during the FY 2013-14. The employees have been trained in various areas of specialization like Credit, Forex, Risk Management, Currency Management, Human Resources Management, Information Technology as well as in General Management applications. Complying with the directives of Reserve Bank of India, special currency handling and management programmes were held across the country.

21.2 Induction programmes for the Probationary Assistant Managers were conducted in association with M/s Manipal Global Education, Bangalore, M/s Nitte Institute of Banking & Finance, Mangalore and Bankers' Quotient Academy, Mumbai. Induction programmes for Agricultural Field Officers were organised in association with Bankers Institute for Rural Development, Mangalore/Lucknow and National Institute for Rural Development, Hyderabad. Similar programmes were organised for Credit Managers, Forex Officers and Marketing Officers.

21.3 Four hundred forty eight Officers/Executives of the bank were nominated to various external training centres of repute for intensive training in their field of operation. The training centres identified for the purpose were - NIBM, CAB, RBI, IDRBT, NPCI, IIBF, CII, FICCI, NIRD, BIRD, ASCI, IMI, IIBM-Guwahati etc.

21.4 The division has nominated 36 Executives/Officers for attending Seminars/Workshops/Study Tours/Trainings abroad during the financial year.

21.5 One hundred and seventy eight Senior Executives in Scale V and above were imparted inputs on different areas related to operations and administration in different organizations/ institutions.

21.6 During the year, the bank has trained 3,554 employees belonging to SC/ST community and 3,138 employees belonging to OBC community.

21.7 At present, the Bank is having Staff Training facilities at 7 locations. During the financial year 7,278 employees were trained at our Staff Training Centres.

21.8 Promotions

The Bank provides optimum opportunities to its employees to rise up in their career and shoulder higher responsibilities. "Fast Track Promotion" processes have been institutionalized in the bank to meet the aspiration level of its employees, simultaneously catering to the manpower requirements of the bank.

वित्त वर्ष के दौरान अधिकारी संवर्ग में 330 रिक्त पदों को पदोन्नतियों द्वारा भरा गया है।

22. निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा

22.1 सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की नीति अपनाई है। जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा उचित जोखिम निर्धारण और आकलन, कारगर जोखिम नियंत्रण और प्रबंधन उपाय, नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करती है। इसका लक्ष्य कार्पोरेट अभिशासन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने के साथ-साथ विनियामक तथा प्रणालीगत अनुपालन स्तर के बारे में प्रबंधन वर्ग को आश्वासन देना है।

22.2 शाखाओं की आंतरिक लेखा-परीक्षा पर्याप्त और कारगर रूप से करने के लिए कतिपय लेख-परीक्षा कार्य को विकेन्द्रीकृत किया गया है और 12 आंचलिक लेखा-परीक्षा कार्यालयों (ज़ेडएओ) को प्रत्यायोजित किया गया है। देश भर में महत्वपूर्ण केन्द्रों में स्थित ये आंचलिक लेखा-परीक्षा कार्यालय वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना के अनुसार लेखा-परीक्षा करते हैं और लेखा-परीक्षा रिपोर्टों को समाप्त करते हैं।

22.3 बैंक की सभी शाखाओं का आंतरिक निरीक्षण किया जाता है ताकि जोखिम पर अंकुश हो, कारगर नियंत्रण तंत्र हो और परिचालनों में दक्षता सुधरे। जोखिम अवबोध के आधार पर जोखिम आधारित आंतरिक शाखा निरीक्षण 9 से 18 महीनों में एक बार किया जाता है। शाखा निरीक्षण की आवधिकता ऐसे जोखिम अवबोध के आधार पर तय की जाती है। नई खोली गई शाखाओं का पहला निरीक्षण परिचालनों को शुरू करने के 6 से 9 महीनों के भीतर किया जाता है।

22.4 अभिनिर्धारित असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं (ईएलबी)/काफी बड़ी शाखाओं (वीएलबी) और उच्च जोखिम श्रेणीकृत शाखाओं में दो नियमित निरीक्षणों के बीच जोखिम आधारित स्नैप लेखा-परीक्षा भी आयोजित की जाती है। अभिनिर्धारित शाखाओं/कार्यालयों में ज़रूरत पड़ने पर विशेष स्नैप ऑडिट भी किए जाते हैं। जिन अंचलों में शाखाएं खाता प्रसंस्करण केन्द्रों (एपीसी) से लिंक की गई हैं और दूसरे अंचलों में यादृच्छिक रूप से चुनी गई 5 शाखाओं में नए खोले गए खातों की तिमाही केवाईसी अनुपालन ऑडिट भी की जाती है।

22.5 प्रधान कार्यालय, मंडल कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों के कार्यात्मक प्रभागों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा वर्ष में एक बार की जाती है। अन्य कार्यालयों जैसे ट्रेज़री एवं निवेश विभाग, मुंबई, कार्प बैंक सिक्युरिटीज़, कैपिटल मार्केट सेंटर, चिकमगलूर में कॉबसेटी, एसटीसी, अग्रणी बैंक कार्यालय और सीएमएस कोर केन्द्र, एटीएम केन्द्र, एलआईसी क्रेडिट कार्ड केन्द्र आदि की भी वर्ष में एक बार नियमित निरीक्षण की जाती है। इसके अलावा, फॉरेक्स डीबी, कैप्स/मिनी कैप्स शाखाएं, करेंसी चेस्ट, सेवा शाखाएं, एआरएमबी, खुदरा हब, एलआईसी हब, एसएमईएलसी आदि का भी वार्षिक निरीक्षण किया जाता है।

22.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम अवबोध के अधार पर अभिनिर्धारित शाखाओं/कार्यालयों में नियमित संगामी लेखा-परीक्षा

During the financial year a total of 330 vacancies in officers' cadre were filled through promotions.

22. Inspection & Audit

22.1 As per the guidelines of the Government and RBI, the Bank has adopted the policy of risk based internal audit. Risk based internal audit lays focus on proper risk identification and assessment, effective risk containment and management measures, adequacy of control systems and procedures as well as optimum use of resources. It aims at giving an assurance to the Management on the level of regulatory and systemic compliance, besides assisting in accomplishment of corporate governance objectives.

22.2 In order to carry out internal audit of branches and follow up functions adequately and efficiently, certain audit functions have been decentralized and delegated to 12 Zonal Audit Offices (ZAOs). These ZAOs, located at important centers across the Country, conduct audit and close the audit reports in terms of the Annual Audit Plan.

22.3 All the Branches of the Bank are subjected to internal inspection so as to contain risk, have effective control mechanism and improve efficiency of operations. Risk based internal branch inspection is conducted once in 9 to 18 months depending upon the risk perception. The periodicity of branch inspection is decided based on such risk perceptions. Newly opened branches are subjected to first inspection within 6 to 9 months from the date of starting the operations.

22.4 Risk based snap audits are conducted at identified Extraordinarily Large Branches (ELBs)/Very Large Branches (VLBs) and high risk rated branches in between two regular inspections. Special Snap audits are also conducted at the identified Branches/Offices, as and when need arises for such audits. Quarterly KYC compliance audit of newly opened accounts is also conducted at the Account Processing Centres (APCs), in case of Zones where the branches are linked to APCs and at 5 randomly selected branches in other Zones.

22.5 Management Audit of functional Divisions at Head Office, Circle Offices and Zonal Offices are conducted once in a year. Other Offices such as Treasury & Investment Division, Mumbai, Corp Bank Securities, Capital Market Centre, COBSETI at Chikmagalur, STCs, Lead Bank Offices as also the CMS Core centres, ATM centres, LIC Credit Card Centre etc. are also subjected to regular inspection once in a year. Further, Forex DBs, CAPS/Mini Caps Branches, Currency Chests, Service Branches, ARMBs, Retail Hubs, LIC Hubs, SMELCs etc. are subjected to annual inspection.

22.6 In terms of RBI guidelines, Concurrent Audit is carried out at the Branches/Offices identified based on risk perception. During the year 2013-14, 324 branches covering 78% of total

की जाती है। 2013-14 के दौरान बैंक के कुल कारोबार का 78% संभालने वाली 324 शाखाओं की सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्म की सेवाएं लेते हुए संगामी लेखा परीक्षा करवाई गई। 01.10.2013 से बैंक की सभी 16 सेवा शाखाओं को भी संगामी लेखा-परीक्षा के दायरे में लाया गया। इसके अतिरिक्त, आईबीआर, एफटीएस सेंटर, बेंगलूर, निवेश कक्ष, बहुमूल्य धातु कक्ष और फॉरैक्स कक्ष सहित मुंबई में ट्रेज़री एवं निवेश विभाग का नियमित निरीक्षण के अलावा संगामी लेखापरीक्षा की जाती है।

22.7 ईसी सहित सभी कारोबार इकाइयों की ऑफ-साइट सर्वेलेंस ऑडिट की जाती है। कंप्यूटरीकृत वातावरण में सुरक्षा और प्रक्रियागत जोखिमों को निर्धारित करने, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की सुरक्षा, कार्यक्षमता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा डाटा की उपलब्धता, यथातथ्यता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अभिनिर्धारित शाखाओं का ऑन-साइट शाखा सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा (बीआईएसए) भी की गई है। कोर सेंटर, एफटीएस सेंटर, वेब सेंटर, ट्रेज़री एवं निवेश विभाग और डीआर साइट के महत्वपूर्ण संस्थापनों की सिस्टम ऑडिट तथा एटीएम वॉल्टों की ऑडिट और सेवा प्रदाता इकाइयों की ऑडिट हर छह महीने में की जाती है।

22.8 अभिनिर्धारित शाखाओं/कार्यालयों में कैलेंडर वर्ष में एक बार आय लेखापरीक्षा की जाती है।

22.9 निरीक्षण और लेखापरीक्षा में पाई जाने वाली सभी मुख्य कमियाँ निदेशक -मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष जानकारी व उचित दिशानिर्देशों के लिए रखी जाती है।

23. विधि सेवा

बैंक के विधि सेवा प्रभाग की बैंक द्वारा किए गए विभिन्न वाणिज्यक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह बहुविध कार्य करता रहा है जैसे अचल संपत्तियों के संबंध में कानूनी राय की संवीक्षा, बैंक गारंटियों/प्रति गारंटियों का मसौदा तैयार करना/अनुमोदन करना, बैंक गारंटियाँ लागू किए जाने के संबंध में सलाह देना, विभिन्न न्यायालयों/ट्रिब्युनलों/प्राधिकारियों के समक्ष दर्ज की जाने वाली शिकायतों और अन्य आवेदनों का मसौदा तैयार करना/अनुमोदन करना, विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामलों में परामर्श देना, बैंक के प्रधान कार्यालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा संदर्भित समझौता ज्ञापनों/करारों का अनुमोदन करना, बैंक को प्राप्य राशियों की वसूली, सरफेसी अधिनियम 2002 एवं मुकदमा दायर खातों के संबंध में शाखाओं को परामर्श देना, विधिक लेखा-परीक्षा, दावों के निपटान, केन्द्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ ईएमजी के संबंध में प्रभार का सृजन, सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में तथा आरटीआई के तहत नागरिकों से प्राप्त अपीलों को निपटाने में परामर्श देना, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 से संबंधित कार्यवाहियों में परामर्श देना। विधि सेवा प्रभाग सिविल/आपराधिक न्यायालयों जैसे विभिन्न फोरमों के समक्ष बैंक के विरुद्ध शुरू की गई कानूनी कार्यवाहियों में बैंक के बचाव के लिए कारगर कदम उठाने, उपभोक्ता फोरमों/ अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से संबंधित मामलों, आयकर, बिक्री कर व अन्य प्राधिकारियों से कुर्की आदेशों से संबंधित मामलों पर परामर्श देने की दिशा में भी कार्य करता रहा है। प्रभाग प्रलेखीकरण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर और मैन्युअलों को

business of the Bank, were subjected to Concurrent Audit by engaging the services of external firm of Chartered Accountants. All the 16 Service Branches of the Bank have also been brought under the ambit of Concurrent Audit with effect from 01.10.2013. Further, identified HO functional Divisions like IBR, FTS Centre, Bangalore, Treasury and Investment Division at Mumbai including Investment Cell, Precious Metal Cell and Forex Cell, are also subjected to Concurrent Audit apart from regular inspection.

22.7 All Branches including Extension Counters are subjected to Off-Site Surveillance Audit. On Site Branch Information Security Audit (BISA) of identified branches is also carried out to identify security and processing risks in the computerized environment, evaluate related controls to ensure security, functionality and reliability of hardware, operating system and application software and to ensure data availability, integrity as well as confidentiality. Systems Audit of critical installations at Core Centre, FTS Centre, Web Centre, Treasury and Investment Division and DR Site as well as audit of ATM Vaults and audit of Service Provider Units is conducted every six months.

22.8 Income audit is carried out at identified Branches/Offices once in a year.

22.9 All important inspection and audit findings are placed before the Audit Committee of the Board for information and suitable directions.

23. Legal Services

Legal Services Division of the Bank plays a significant role in the various commercial activities undertaken by the Bank. It had been performing diversified activities such as Scrutiny of legal opinions regarding immovable properties, Drafting/ approval of Bank Guarantees/Counter Guarantees, Advising on invocation of Bank Guarantees, approval of Plaint and other applications to be filed before various Courts/Tribunals/ Authorities etc.; advising on the matters relating to various High Courts & Supreme Court, approval of MOUs/Agreements referred by various Divisions of the Head Office of the Bank; advising Branches regarding recovery of the dues of the Bank, action under SARFAESI Act 2002 & Suit filed Accounts, advising on Legal Audit, settlement of claims, creation of charge in respect of the EMG with Central Registry [CERSAI] and Advising on matters relating to RTI Act and disposal of Appeals received from Citizens under the RTI Act. Advising on matters relating to proceedings under Public Premises (Eviction of unauthorized Occupants) Act, 1971. Legal Services Division has also been taking effective steps in defending the Bank in legal proceedings initiated before various forums like Civil/ Criminal Courts, advising on the matters relating to Consumer Forums/other statutory authorities. Matters pertaining to orders of attachments from Income tax, Sales tax etc. Division

संशोधित करने/अद्यतन करने में संगठन एवं पद्धति प्रभाग को परामर्श भी देता है। प्रभाग विभिन्न कानूनी मामलों को संभालता है और शाखाओं/आंचलिक कार्यालयों/तथा प्रशासनिक कार्यालयों को कानूनी मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण देता है। प्रभाग अधिवक्ताओं का पैनल बनाने/पैनल से निकालने/निष्पादन की समीक्षा करने का भी कार्य करता है।

24. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

24.1 बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में प्रधान कार्यालय में सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ), जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपील प्राधिकारी (एए) नामित किए हैं और प्रत्येक आंचलिक कार्यालय और मंडल कार्यालय में जन सूचना अधिकारी और अपील प्राधिकारी नामित किए हैं। ग्राहक सेवा प्रभाग, प्रधान कार्यालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अन्य संबंधित जानकारी के साथ एपीआईओ, पीआईओ और एए के नाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। बैंक उक्त अधिनियम के प्रावधानों का सभी स्तरों पर अनुपालन कर रहा है और जनता से प्राप्त सभी आवेदनों और अपीलों को निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निपटा रहा है।

25. सुरक्षा

25.1 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर हमलों के विशेष संदर्भ में देश भर में चुनौतीपूर्ण कानून एवं व्यवस्था की पृष्ठभूमि में बैंक, सार्वजनिक आस्तियों, ग्राहकों, कर्मचारियों तथा बैंक की संपत्ति की सुरक्षा हेतु सजग, सतर्क तथा चिंतित है। बैंक ने फायर अलार्म, सुरक्षा अलार्म, एक्सेस नियंत्रण प्रणाली, सीसीटीवी तथा अपेक्षित स्थानों पर गार्डिंग जैसे भौतिक सुरक्षा उपायों के सख्त कार्यान्वयन के अतिरिक्त बल गुणक के रूप में प्रौद्योगिकी पर पूरी तरह निर्भर होकर सुरक्षा जोखिम रोकने/कम करने हेतु प्रगतिशील रुख अपनाया है। कार्यरत कर्मचारियों का सुरक्षा अधिकारियों के साथ बारंबार विचार विनिमय प्रचलित खतरों तथा उपायों से उन्हें अवगत कराने में सहायक घटक के रूप में अतिरिक्त आयाम देता है। बैंक सुरक्षा प्रबंधन क्षेत्र के अधुनातन विकास से अवगत है तथा उसका लक्ष्य ग्राहक को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ नए क्षेत्रों का पता लगाने हेतु प्रमुख मेट्रिक्सों का निरंतर अनावरण करना तथा नया मार्ग प्रशस्त करना है।

26. अनुपालन

26.1 बैंक ने उप महा प्रबंधक के स्तर के कार्यपालक के अधीन अनुपालन प्रभाग स्थापित किया गया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं।

बैंक का अनुपालन प्रभाग विभिन्न विधानों में दिए लागू सांविधिक प्रावधानों का सख्त अनुपालन, बैंकों को लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन तथा आंतरिक नीतियों एवं उचित व्यवहार संहिताओं के अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण व संतुलन बनाए रखता है।

also advises O & M Division on various documentation aspects and revision/Updating of Manuals. The Division is handling various legal matters and offering legal guidance/clarifications to branches/Zonal Offices and Administrative Offices. Division is also handling Empanelment/deletion/Review of performance of Advocates.

24. The Right to Information Act, 2005

24.1 Bank in compliance of Right to Information Act, 2005, has designated Assistant Public Information Officer (APIO), Public Information Officer (PIO) and Appellate Authorities (AA) at Head Office and Public Information Officer and Appellate Authority at each Zonal Office and Circle Office. Name of APIO, PIO and AA are displayed in the Bank's Website with other relevant information as required under RTI Act by Customer Services Division, Head Office. Bank is complying with the provisions of the said Act at all levels and disposing of all the applications and appeals within the stipulated time.

25. Security

25.1 In the backdrop of challenging law and order situation across the country with specific reference to attack against banks and financial institutions, the Bank has been alert, conscious and concerned about the safety of public assets, customers, employees and bank's property. Bank has adopted forward posture in implementing measures to avoid/minimise security risk by leaning on technology as force multiplier in addition to installation of physical security measures like fire alarm, security alarm, access control system, CCTVs and guarding wherever required. Frequent interactive sessions with the employees manning the show windows by Security Officers adds additional dimension as contributing factor in sensitising them with prevalent threats and measures. Bank is abreast with latest development in the security management field aiming to constantly rediscover the key matrixes for breaking new grounds with the sole aim of providing utmost comfort to the customers.

26. Compliance

26.1 The Bank has a Compliance Division headed by an Executive of the Rank of Deputy General Manager who represents as the Chief Compliance Officer [CCO] of the Bank, as per the directions of the Reserve Bank of India.

The Compliance Division in the Bank maintains a system of internal checks and balances designed to ensure strict observance of applicable statutory provisions contained in various legislations, compliance with rules and regulations applicable to banks and adherence to internal policies and fair practices codes.

27. सतर्कता तंत्र

27.1 सार्वजनिक निधियों के अभिरक्षक के रूप में बैंक से ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक की अपेक्षा होती है। बैंकिंग संगठन विशेष रूप से आपसी विश्वास तथा भरोसे के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आज के महत्वपूर्ण घटक हैं, "प्रभावशाली कर्मचारी नियोजन और संगठनात्मक वृद्धि"। सतर्कता, उत्पादकता और लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले रिसावों को रोकते हुए संगठन की दक्षता एवं प्रभावकारिता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रबंधन साधन है। बेहतर स्पष्टता एवं प्रभावकारिता के लिए प्रत्येक कार्यात्मक प्रभाग की भूमिका एवं दायित्वों को भली-भाँति परिभाषित एवं प्रलेखित किया गया है। बैंक के सतर्कता कार्य दण्डात्मक कार्रवाई करने के बजाय मुख्यतः निवारक और खोज प्रकृति के हैं। सतर्कता तंत्र प्रहरी की भूमिका निभाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी व्यक्तिगत लाभ या फायदा प्राप्त करने हेतु विनिर्धारित प्रणालियों एवं पद्धतियों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। यह ओहदे और हैसियत का लिहाज़ किए बिना नैसर्गिक न्याय तथा अपराधी को दंडित करने के सिद्धांत में विश्वास रखता है।

27.2 जहाँ पद्धतियों एवं प्रणालियों के घोर उल्लंघन के प्रसंग की रिपोर्ट की जाती है या बैंक अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं जो संबंधित अधिकारी की ईमानदारी पर प्रश्न चिह्न लगाता है, वहाँ जाँच के आदेश दिए जाते हैं और जहाँ अपेक्षित है गलती करनेवाले अधिकारी के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई सहित निवारक उपाय किए जाते हैं। एक अग्रसक्रिय उपाय के तौर पर सतर्कता प्रभाग निवारक जाँच करके पाए गए उल्लंघनों को रिपोर्ट करता है। वह यह सुझाव भी देता है कि सभी के एकजुट प्रयास से ऐसे उल्लंघनों से कैसे बचा जा सकता है।

27.3 बैंक ने अपनी "व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी" बनाई है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की सहायता से अप्रिय घटनाओं को पहचानना है और समय पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए प्रारंभिक चरण में ही उसे रोकना/बैंक की रक्षा करना है। इस नीति में इस तंत्र का इस्तेमाल करनेवाले कर्मचारियों को परेशान किए जाने के विरुद्ध पर्याप्त पूर्वोपाय भी हैं।

27.4 निवारक सतर्कता पर तिमाही न्यूज़लेटर 'जागृति' नियमित रूप से प्रकाशित करके बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों के बीच परिचालित की जा रही है। उक्त न्यूज़लेटर में हमारे स्टाफ सदस्यों को सजग करने के उद्देश्य से कपट के नवीनतम मामलों का सारांश तथा कपटियों द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को प्रकाशित किया जाता है।

27.5 बैंक ने निवारक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है जिसमें शाखाओं को नियमित अंतरालों में बैठकें आयोजित करने और सतर्कता प्रभाग द्वारा जारी अनुदेशों के बारे में चर्चा करने व अपने विचारों एवं अनुभवों को बाँटने तथा संभावित कपटों को रोकने के उद्देश्य से कार्य वातावरण में गोचर परिवर्तन लाने के निदेश दिए गए हैं।

27.6 प्रभाग ने वास्तविक मामलों के निष्कर्षों के आधार पर प्रक्रियाओं में परिवर्तन हेतु कार्यात्मक प्रभागों को सुझाव दिए हैं।

27.7 प्रभाग ने कपट जोखिम प्रबंधन नीति के क्रम में कपट निवारण एवं कर्मचारी पुरस्कार नीति निम्न उद्देश्य से सूत्रबद्ध की है-

27. Vigilance Machinery

27.1 As custodians of public funds, the Bank is expected to maintain highest standards of honesty, integrity, transparency and probity. Banking Organizations essentially work on the philosophy of mutual trust and confidence. The important factors today are "effective employee engagement & Organizational growth". Vigilance is a vital management tool to increase efficiency and effectiveness of the Organization by preventing leakages that adversely affect productivity and profitability. The roles and responsibilities of each functional division in the Bank are well defined and documented for better clarity and effectiveness. The vigilance functions in the Bank are primarily in the nature of prevention and detection rather than taking punitive action. The vigilance machinery plays the role of a watchdog so as to ensure that the laid down systems and procedures are not tampered with for any personal gain or benefit. It believes in the principles of natural justice, punishing the guilty irrespective of rank and position.

27.2 Wherever instances of serious violation in the systems and procedures are reported or complaints received against the Bank officials, which primarily reflects on the integrity of the Official, an investigation is ordered and preventive measures are taken including taking punitive action against the erring officials wherever required. As a pro-active measure, the Vigilance Division also conducts preventive checks and reports on the deviations observed. It also suggests how such violations can be avoided with the collective effort of all.

27.3 The Bank has framed its own "Whistle Blower Policy", the objective of which is to identify any untoward events with the help of the employees and to take timely corrective measures so as to prevent/protect the Bank at the initial stage itself. This mechanism also provides adequate safeguards against victimization of employees who avail of this mechanism.

27.4 'Jaagrithi' a quarterly newsletter on preventive vigilance is being published and circulated amongst all branches/offices of the Bank regularly. In the said letter, gist of the latest cases of fraud and the modus operandi adopted by the fraudsters are published, with an intention to alert our staff members.

27.5 The Bank has a Preventive Vigilance Mechanism in place wherein branches have been directed to conduct meetings at regular intervals and discuss about the instructions issued by the Vigilance Division and to share their thoughts / experiences and bring about noticeable changes in the working environment with a view to preventing possible frauds.

27.6 The Division has given suggestions to the functional divisions for process changes based on the findings of real cases come across.

27.7 The Division has framed Fraud Prevention & Employee Reward Policy in continuation of Fraud Risk Management Policy to –

- कपट को रोकने वाले स्टाफ सदस्यों के प्रयासों को सम्मानित करना
- स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करना
- ऐसे कार्यों का अनुकरण करने के लिए अन्य स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित/अभिप्रेरित करना

28. अवसर

2,021 शाखाओं, 2,264 एटीएमों व 4,332 शाखा-रहित बैंकिंग इकाइयों के साथ बैंक की देश भर में 8,617 कार्यात्मक इकाइयों की उपस्थिति है और भारत के पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का फायदा उठाने के लिए भुवनेश्वर में अपना आंचलिक कार्यालय खोला है। इसने दुबई और हाँगकांग में विदेशी प्रतिनिधि कार्यालयों के ज़रिए विश्व स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। भारत में बैंक-सेवा रहित क्षेत्रों में तथा कुछ महत्वपूर्ण विदेशी स्थानों में शाखा नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बैंक के लिए और भी गुंजाइश है।

ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक की बड़ी उपस्थिति बैंक को कृषि एवं प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र, एसएमई और खुदरा कारोबार को ऋण में वृद्धि करने, थोक कारोबार के अनुरूप खुदरा संविभाग में संतुलित वृद्धि दर्ज करने के लिए पर्याप्त अवसर देती है। इसकी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पहल जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग व अन्य सुविधाएं अगली पीढ़ी के ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक रही हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में इसकी शाखाओं की बड़ी मौजूदगी एनआरआई संविभाग को सुधारने में इसे अधिक अवसर देती है।

बैंक का शुरुआत से लेकर पिछले 109 वर्षों से लगातार लाभ कमाने और लाभांश अदा करने का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। यह कर्मचारी लाभप्रदता की दृष्टि से उद्योग के उत्तम बैंकों में एक है। दक्ष कार्यबल, शाखाओं और एटीएम का व्यापक नेटवर्क, बेहतर आधारभूत संरचना सुविधाएं, स्पर्धात्मक ग्राहक सेवा और उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त वातावरण, जिससे बैंक को भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का लाभार्थी बनने में मदद मिली, की वजह से बैंक जनता के दिलों में अहम स्थान बना सका है। यह सभी बैंक के कारोबार की समग्र वृद्धि हेतु उत्पादों और सेवाओं की क्रॉस सेलिंग के लिए बड़ा अवसर देता है।

देश भर में 16 राज्यों में 4,332 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयों सहित वित्तीय समावेशन में अग्रणी है।

आईटी आधारित नवीन उत्पादों को पेश करने में अग्रणी, बैंक की सभी शाखाओं में कंप्यूटरीकृत वातावरण है और ये कोर बैंकिंग के ज़रिए परस्पर जुड़ी हैं।

कई प्रकार के डिलिवरी चैनल, महानगरीय केन्द्रों में मज़बूत उपस्थिति, सापेक्ष युवा कार्यबल बैंक को प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों का पूरा फायदा उठाने के लिए काफी संभावनाएं देता है।

29. चुनौतियाँ

आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण भारत में बैंकिंग उद्योग में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं।

- Recognize the efforts of staff members who thwarted frauds
- Create awareness among all staff members
- Encouraging/motivating the other staff members to emulate such acts.

28. Opportunities

The Bank has pan-India presence with 8,617 functional units comprising of 2,021 Branches, 2,264 ATMs & 4,332 Branchless Banking units and has opened its zonal office in Bhubaneswar to tap the potential of eastern region of India. It also has registered its global presence through its foreign representative offices at Dubai and Hongkong. The Bank still has scope for expansion of branch network including unbanked areas in India and in some of the important foreign locations.

The increased presence of the Bank's branches in rural and semi-urban areas provides a great opportunity for the Bank for improving its exposure to Agriculture and Priority sector, SME and Retail segment, to register a balanced growth in retail portfolio in tandem with the wholesale business. Its innovative technological initiatives like internet banking, mobile banking and other facilities have been instrumental in attracting next-gen customers. Large presence of its branches in coastal areas of Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra also provides greater opportunity for it to tap the NRI potential of the area.

The Bank has an uninterrupted track record of profit and dividend payment since its inception, for the last 109 years. It is amongst the best banks in the industry in terms of employee productivity. A high calibre workforce, better spread of network of branches and ATMs, better infrastructure facilities, a competitive customer service and an advanced tech savvy environment helped the Bank to be the beneficiary of the Direct benefit transfer scheme of the Government of India and get a prime slot in the minds of the people. All this provide a great opportunity for cross selling of its products and services for the overall growth of the Bank's business.

Pioneer in Financial inclusion with 4,332 branchless banking units spanning over 16 states across the country.

A trendsetter in the IT based innovations, Bank is having fully computerised environment in all its branches with interconnectivity through core banking.

A wide range of Delivery Channels, strong presence in the metro centres, comparatively younger workforce provide a great potential for the Bank to fully exploit the techno savvy products to its advantage.

29. Threats

The banking industry in India is undergoing a major transformation due to changes in economic conditions.

मुद्रास्फीति की उच्च दर और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का बैंकिंग उद्योग के निष्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है।

किसी भी अन्य उद्योग की तरह बैंकों को भी दैनंदिन परिचालन में ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, ब्याज कीमत-लागत अंतर घटने से बैंक की लाभप्रदता की संरचना प्रभावित होती है।

सरकार/विनियामक आदि द्वारा विनियामक दिशानिर्देशों, नीतियों, उपबंधों में परिवर्तन बैंक के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है। वसूली प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता निष्पादन पर असर डाल सकती है। समरूपी बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से कारोबार वृद्धि, मार्जिन और लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।

30. भावी योजनाएं

विश्व मानकों सहित सबसे पसंदीदा बैंक के रूप में उभरने के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बैंक ने विभिन्न पहल की है। बैंक का ध्यान कासा जमाराशियों को संग्रहित करके बैंक के कासा हिस्से में वृद्धि करने पर केन्द्रित है। कृषि, खुदरा और एमएसएमई पर ज़ोर देते हुए गुणवत्तापूर्ण ऋण संवृद्धि करने, शाखा एवं एटीएम नेटवर्क तथा वैकल्पिक डेलिवरी चैनलों में विस्तार करने, ग्राहकाधार को बढ़ाने, खास तौर नई पीढ़ी के ग्राहकों को लाने और आस्ति गुणवत्ता को सुधारने पर बैंक का ध्यान केन्द्रित होगा।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 23.05.2014

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

High rate of inflation and volatility in the Economy has its impact on the performance of the Banking Industry.

Banks, like any other industry are exposed to credit, Market and Operational Risks in the day to day operation, thinning of Interest spread affects the profitability structure of the Bank.

Any changes in the regulatory guidelines, policies, provisions by the Government/Regulator etc., may impact the performance of the Bank. Effectiveness of Recovery Management, Asset Liability Management and Risk Management may have its own impact on performance. Acute competition from the peer banks is likely to affect business growth, margins and profitability.

30. Road map for the future

To become the most preferred Bank with Global Standards, Corporation Bank has taken various initiatives to attain this coveted goal. The bank's focus is on mobilizing CASA deposits to increase Bank's CASA share. Quality Credit growth with focus on Agriculture, Retail and MSME, Expansion of Branch and ATM Network and other alternate channels of delivery, Customer acquisition, especially, next-gen customers, and Improving Asset Quality.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mangalore
Date : 23.05.2014

(S. R. Bansal)
Chairman & Managing Director

कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. बैंक में कार्पोरेट अभिशासन

1.1 बैंक का यह विश्वास है कि सुदृढ़ कार्पोरेट अभिशासन निवेशक की आस्था को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए अहम है। एक ज़िम्मेदार कारोबारी संस्था के रूप में बैंक; विवेक, खुलापन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, प्रकटन द्वारा पारदर्शिता आदि पर आधारित ठोस कार्पोरेट प्रथाओं के प्रति कटिबद्ध है जिससे निवेशकों और स्टेकधारकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो और दीर्घावधि सफलता सुनिश्चित हो। कार्पोरेशन बैंक में कार्पोरेट अभिशासन विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही नहीं बल्कि ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुकूल रहकर भी विकसित किया गया है। ग्राहक संतुष्टि तथा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ बैंक उत्कृष्टता हेतु अथक प्रयास कर रहा है । बैंक की सामान्य प्रकृति ग्राहक से विकसित होती है जिसका केंद्र-बिंदु शेयरधारक है।

2. बैंक का दार्शनिक सिद्धांत

2.1 बैंक का दार्शनिक सिद्धांत उसके कार्पोरेट आदर्श वाक्य '**सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु**' अर्थात् ''सब की समृद्धि हो'' में प्रतिबिंबित होता है जो समाज और अर्थव्यवस्था की भलाई की ओर अभिप्रेत है। बैंक का दृढ़ विश्वास है कि सुदृढ कार्पोरेट अभिशासन प्रथाओं से इस प्रकार अपने लक्ष्यों की पूर्ति और उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है कि उसकी छवि में मूल्य वर्धन होता है, आगे चलकर शेयरधाकों के लिए हितकारी होता है और उनका विश्वास जीतने की क्षमता को बढ़ाता है। उत्तम कार्पोरेट अभिशासन शीर्ष से आरंभ होता है और नीचे की ओर सतत बढ़ता है। निदेशक मंडल और प्रबंधन उपयुक्त निर्णय लेते हैं और उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करते हैं।

3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल का गठन समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अनुसार किया गया है और इसमें वैविध्यपूर्ण व्यावसायिक अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है। वर्ष (2013-14) की समाप्ति पर निदेशक मंडल में 12 निदेशक हैं जिनमें 9 गैर-कार्यपालक निदेशक हैं तथा उनमें से 5 स्वतंत्र निदेशक हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आनेवाले ये निदेशक, मंडल को विशेषज्ञता और विपुल अनुभव-युक्त ज्ञान प्रदान करते हैं। रिपोर्टाधीन वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 17 बैठकें आयोजित की गईं।

3.2 बैंक परिचालन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य-क्षेत्रों में विशेष तथा संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए और उचित दिशा प्रदान करने, प्रभावी निगरानी करने तथा बैंक के कार्यों में नियंत्रण रखने हेतु निदेशक मंडल ने विभिन्न समितियों का गठन किया है। विभिन्न समितियों के ब्योरे और वर्ष 2013-2014 के दौरान हरेक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

1. Corporate Governance in the Bank

The Bank believes that sound Corporate Governance is critical to enhance and retain investor trust. As a responsible Business entity, the Bank is committed to sound corporate practices based on conscience, openness, fairness, professionalism, transparency by disclosures etc., to attaining performance with integrity and accountability, paving the way for enhancing investors' and stakeholders' confidence and thus ensuring long-term success. Governance at Corporation Bank is evolved by not only ensuring compliance with regulatory requirements but also by being responsive to the needs of stakeholders. The Bank strives for excellence with the twin objective of enhancing customer satisfaction and shareholders' value. Corporation Bank's ethos, evolve with customer and have the shareholder as the focal point.

2. The Bank's philosophy

2.1 The Bank's philosophy is driven by its Corporate Motto 'Sarve Janah Sukhino Bhavantu', which means "Prosperity for all", that which leads to the betterment of the society and economy. The Bank strongly believes that sound corporate governance practices leads to the fulfilment of its goals and attainment of its objectives in a manner that adds value to its image, is beneficial for all the stakeholders in the long run and enhances its ability to secure their confidence. Good Corporate Governance starts at the top and continues down the line consistently. The Board of Directors and the Management take appropriate decisions and guide the Bank in achieving the highest standards of excellence.

3. Board of Directors

3.1 The Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended from time-to-time and is represented by persons with diversified professional experience. At the end of the year (2013-14) under report, the Board comprises of 12 directors out of which, 9 are non-executive directors and among themselves 5 are independent directors. The Directors, hailing from different strata of society, with diverse professional qualifications, bring in their rich experience to the Board. 17 meetings of the Board of Directors were held during the financial year under report.

3.2. The Board has constituted various committees for a specific and focused approach towards some of the important functional areas of the Bank's operation, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank. The details of various committees and the total number of meetings held by each committee during the year 2013-14 are as follows :

क्रम सं. Sl. No.	बोर्ड की समितियों के नाम Name of the Committees of the Board	आयोजित बैठकों की कुल संख्या Total No. of Meetings held
1.	प्रबंधन समिति Management Committee	19
2.	लेखा-परीक्षा समिति Audit Committee	13
3.	विभागीय पदोन्नति समिति Departmental Promotion Committee	4
4.	निवेशक शिकायत समिति Investors Grievance Committee	4
5.	सूचना प्रौद्योगिकी समिति Information Technology Committee	13
6.	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	7
7.	उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी समिति Committee to Monitor Large Value Frauds	5
8.	शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	16
9.	ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee	4
10.	पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	1
11.	नामांकन समिति Nomination Committee	1
12.	बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों की आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन समिति (आईसीएएपी)* Internal Capital Adequacy Assessment Committee of Senior Executives of the Bank (ICAAP)*	5
13.	ऋण अनुमोदन समिति* Credit Approval Committee *	29
14.	मानव संसाधन समिति Human Resources Committee	5
15.	वसूली निगरानी समिति Recovery Monitoring Committee	7
16.	प्रतिभूति आबंटन समिति Securities Allotment Committee	1

* भ.रि.बैं./सरकारी निदेश के अनुसार इस समिति में कुछ सदस्य बैंक के उच्च कार्यपालक अर्थात्, महा प्रबंधक हैं।

* In these committees few members are also from Top Executives of the Bank viz., General Managers as per RBI/Government directive.

3.3 बोर्ड की समितियों के विवरण आगे के पृष्ठों में दिए गए हैं। निदेशक मंडल और उसकी समितियाँ बारंबार अंतरालों में बैठक करती हैं तथा नैतिक प्रथाओं और व्यावसायिक प्रबंधन द्वारा निष्पादन के उच्च मान सुनिश्चित करने हेतु विवेकपूर्ण और दक्ष तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करती हैं।

3.4 नीति निरूपण, निष्पादन समीक्षा एवं विश्लेषण तथा नियंत्रण जैसी ज़िम्मेदारियाँ निदेशक मंडल द्वारा निभाई जाती हैं। निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप बैंक के कार्यपालकों और कार्यपालकों की समितियों को विभिन्न अधिकार प्रत्यायोजित किए हैं। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा ऐसे प्रत्यायोजित अधिकारों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और बैंक के कारगर कार्य-संचालन हेतु उनमें आवश्यक संशोधन किया जाता है।

3.5 बैंक की नीतियों की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है और बदलते परिदृश्य और बाजार मांगों के अनुरूप उनमें आवश्यक आशोधन किए जाते हैं।

3.3 The details of Committees of the Board are provided in the following pages. The Board and its Committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

3.4 The responsibilities such as policy formulation, performance review and analysis and controls are discharged by the Board. The Board has delegated various powers to the Executives and Committees of Executives of the Bank in consonance with the policies laid down by the Bank. The delegated powers are periodically reviewed by the Board and necessary revision is made for effective functioning of the Bank, as per the guidelines issued from time-to-time by the Government of India, Ministry of Finance and the Reserve Bank of India.

3.5 The policies of the Bank are reviewed on an annual basis and necessary modifications are effected in tune with the changing scenario and the market demands.

3.6 2013–14 के दौरान निदेशकों, निदेशक मंडल एवं अन्य समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी ब्योरे इस प्रकार हैं
Details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during 2013-14 are as follows:

क्रमांक Sl.No.	निदेशक का नाम Name of the Director	प्रकार type	निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल की समिति(यों) के सदस्य Board and Member of the Committee(s) of the Board																	
			निदेशक मंडल Board		प्रबंधन समिति Management Committee		लेखा–परीक्षा समिति Audit Committee		निवेशक शिकायत समिति Investor Grievance Committee		जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee		सूचना प्रौद्योगिकी समिति Information Technology Committee		उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति Committee to monitor large value frauds		विभागीय पदोन्नति समिति Departmental Promotion Committee		शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	
			आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended
1	श्री एस. आर बंसल Sri S. R. Bansal Since 05.10.2013 से	अप्रनि CMD	8	8	8	8	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	4	4	7	7	2	2	3	3	8	8
2	श्री अमर लाल दौलतानी Shri Amar Lal Daultani Since 03.02.2012 से	कानि ED	17	17	19	19	13	13	4	4	7	7	13	13	5	5	ला.न. N.A	ला.न. N.A	5	5
3	श्री बी. के. श्रीवास्तव Shri B.K. Srivastav Since 28.01.2013 से	कानि ED	17	15	19	17	13	12	4	4	7	6	13	11	5	4	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A
4	सुश्री एना रॉय Ms. Anna Roy (केन्द्र सरकार नामिती Central Govt. Nominee) Since 23.05.2013 से	गैकानि NED	12	10	ला.न. N.A	ला.न. N.A	11	8	3	1	6	4	12	9	4	2	4	4	ला.न. N.A	ला.न. N.A
5	श्री यू. एस. पालीवाल Shri U.S. Paliwal (भा.रि.बैं. नामिती RBI Nominee) Since 25.04.2012 से	गैकानि NED	17	17	19	19	13	13	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	4	4	ला.न. N.A	ला.न. N.A
6	श्री विन्सेंट डि'सूज़ा Shri Vincent D'Souza Since 28.12.2011 से	कामनि/ गैकानि WD/ NED	17	17	19	17	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	7	6	13	12	5	5	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A
7	श्री एकनाथ बालिगा Shri Ekanath Baliga Since 17.10.2013 से	अनि/ गैकानि OD/ NED	8	8	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	7	7	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A
8	श्री आदीश कुमार जैन Shri Adish Kumar Jain Since 26.12.2013 से	स्वनि/ सलेनि ID/ CAD	5	5	5	5	3	3	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A
9	श्री बोनम वेंकट भास्कर Shri Bonam Venkata Bhaskar Since 04.11.2013 से	स्वनि/ गैकानि ID/ NED	7	7	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A
10	श्री सुशोभन सरकेर Shri Sushobhan Sarker Since 23.08.2011 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	17	12	6	4	8	4	ला.न. N.A	ला.न. N.A	7	4	ला.न. N.A	ला.न. N.A	5	2	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A
11	श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय Shri Kawaljit Singh Oberoi Since 23.08.2011 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	17	17	13	13	13	13	4	4	7	7	13	13	5	5	ला.न. N.A	ला.न. N.A	15	15
12	श्री एस. शब्बीर पाशा Shri S Shabbeer Pasha Since 23.08.2011 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	17	17	19	18	5	5	4	4	7	7	13	13	2	2	ला.न. N.A	ला.न. N.A	16	16
31.03.2014 से पूर्व जो निदेशक बैंक के निदेशक मंडल में थे उनकी उपस्थिति के ब्योरे इस प्रकार है The following are the details of attendance of directors who were on the Board of the Bank prior to 31.03.2014																				
1	श्री अजय कुमार Shri Ajai Kumar Till 30.06.2013 तक	अप्रनि CMD	6	6	5	5	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
2	श्रीएल. के. मीणा Shri L. K. Meena (केन्द्र सरकार नामिती Central Govt. Nominee) Till 23.05.2013 तक	गैकानि NED	5	5	ला.न. N.A	ला.न. N.A	2	2	1	0	1	1	1	1	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A
3	श्री कौशिक कुमार घोष Shri Kaushik Kumar Ghosh Till 15.04.2013 तक	अनि/ गैकानि OD/ NED	2	2	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Number of meetings held during the tenor of the Director

3.6 2013–14 के दौरान निदेशकों, निदेशक मंडल एवं अन्य समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी ब्योरे इस प्रकार हैं
Details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during 2013-14 are as follows:

क्रमांक Sl.No.	निदेशक कानाम Name of the Director	प्रकार type	निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल की समिति(यों) के सदस्य Board and Member of the Committee(s) of the Board																अन्य बोर्डों में सदस्यता Membership in other Boards
			ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee		पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee		नामांकन समिति Nomination Committee		आईसीएएपी समिति ICAAP Committee		मानव संसाधन समिति Human Resource Committee		ऋण अनुमोदन समिति Credit Approval Committee		वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति Board level committee for monitoring of recovery		प्रतिभूति आबंटन समिति Securities Allotment Committee		
			आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	आयोजित Held*	उपस्थित attended	
1	श्री एस. आर बंसल Sri S. R. Bansal Since 05.10.2013 से	अप्रनि CMD	2	2	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	2	2	3	3	18	18	3	3	ला.न. N.A	ला.न. N.A	1
2	श्री अमर लाल दौलतानी Shri Amar Lal Daultani Since 03.02.2012 से	कानि ED	4	4	ला.न. N.A	ला.न. N.A	1	1	5	5	5	5	29	28	7	7	1	1	1
3	श्री बी.के. श्रीवास्तव Shri B.K. Srivastav Since 28.01.2013 से	कानि ED	4	4	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	5	4	5	3	29	26	7	7	1	0	1
4	सुश्री एना रॉय Ms. Anna Roy (केन्द्र सरकार नामिती Central Govt. Nominee) Since 23.05.2013 से	गैकानि NED	2	1	1	1	1	1	ला.न. N.A	ला.न. N.A	4	4	ला.न. N.A	ला.न. N.A	6	5	ला.न. N.A	ला.न. N.A	शून्य
5	श्री यू. एस. पालीवाल Shri U.S. Paliwal (भा.रि.बैं. नामिती RBI Nominee) Since 25.04.2012 से	गैकानि NED	ला.न. N.A	ला.न. N.A	1	1	1	1	ला.न. N.A	ला.न. N.A	5	5	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	शून्य
6	श्री विन्सेंट डि'सूज़ा Shri Vincent D'Souza Since 28.12.2011 से	कामनि/ गैकानि WD/ NED	4	3	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	5	5	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	शून्य
7	श्री एकनाथ बालिगा Shri Ekanath Baliga Since 17.10.2013 से	अनि/ गैकानि OD/ NED	2	2	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	3	3	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	शून्य
8	श्री आदीश कुमार जैन Shri Adish Kumar Jain Since 26.12.2013 से	स्वनि/ सलेनि ID/ CAD	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	शून्य
9	श्री बोनम वेंकट भास्कर Shri Bonam Venkata Bhaskar Since 04.11.2013 से	स्वनि/ गैकानि ID/ NED	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	1	1	शून्य
10	श्री सुशोभन सरकेर Shri Sushobhan Sarker Since 23.08.2011 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	2	1	1	1	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	2
11	श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय Shri Kawaljit Singh Oberoi Since 23.08.2011 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	2	2	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	2	2	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	1	1	शून्य
12	श्रीएस. शब्बीर पाशा Shri S Shabbeer Pasha Since 23.08.2011 से	स्वनि/ शेनि ID/SD	2	2	1	1	ला.न. N.A	ला.न. N.A	2	2	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	1	1	शून्य
31.03.2014 से पूर्व जो निदेशक बैंक के निदेशक मंडल में थे उनकी उपस्थिति के ब्योरे इस प्रकार है The following are the details of attendance of directors who were on the Board of the Bank prior to 31.03.2014																			
1	श्री अजय कुमार Shri Ajai Kumar Till 30.06.2013 तक	अप्रनि CMD	1	1	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	1	1	1	1	11	11	1	1	ला.न. N.A	ला.न. N.A	1
2	श्री एल. के. मीणा Shri L. K. Meena (केन्द्र सरकार नामिती Central Govt. Nominee) Till 23.05.2013 तक	गैकानि NED	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	1	1	ला.न. N.A	ला.न. N.A	1	1	ला.न. N.A	ला.न. N.A	2
3	श्री कौशिक कुमार घोष Shri Kaushik Kumar Ghosh Till 15.04.2013 तक	अनि/ गैकानि OD/ NED	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	ला.न. N.A	शून्य

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Number of meetings held during the tenor of the Director

अप्रनि – भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कानि – भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक निदेशक

गैकानि – भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामिती गैर–कार्यपालक निदेशक

कामनि – भारत सरकार द्वारा नामिती कामगार कर्मचारी निदेशक

अनि – भारत सरकार द्वारा नामिती अधिकारी कर्मचारी निदेशक

शेनि – शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक – स्वतंत्र निदेशक

सलेनि – सनदी लेखाकार निदेशक – स्वतंत्र निदेशक

स्वनि – स्वतंत्र निदेशक

CMD – Chairman & Managing Director appointed by Government of India

ED – Executive Director appointed by Government of India

NED – Non-Executive Director nominated by Government of India/Reserve Bank of India

WD – Workman Employee Director nominated by Government of India

OD – Officer Employee Director nominated by Government of India

SD – Director elected by Shareholders - Independent Director

CAD – Chartered Accountant Director - Independent Director

ID – Independent Director

3.7 वर्ष 2013–14 के दौरान, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित दिनांकों को 17 बार बैठकें कीः (दिनांक, माह व वर्ष प्रारूप में तारीखें)

3.7 During the year 2013-14, 17 Board Meetings have taken place on the following dates: (Dates in DD-MM-YYYY format)

05.04.2013	06.04.2013#	07.05.2013	08.05.2013	23.05.2013	27.06.2013	27.07.2013	30.08.2013	
24.09.2013*	23.10.2013	11.11.2013	09.12.2013	30.12.2013	23.01.2014	07.02.2014	12.03.2014	28.03.2014

रणनीति बैठक/Strategy Meeting.

* बैंक की ग्राहक सेवा पर निदेशक मंडल की विशेष बैठक/Exclusive Board Meeting on Customer Service of the Bank.

3.8 निदेशक मंडल का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है अथवा जिन सभी कंपनियों में वे निदेशक हैं, पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं। (इस उद्देश्य हेतु केवल तीन समितियों, अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति और पारिश्रमिक समिति को लिया गया है)। कोई भी निदेशक बैंक के किसी दूसरे निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।

3.8 None of the Directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a Director. (Only three Committees viz. the Audit Committee, the Shareholders'/ Investors Grievance Committee and the Remuneration Committee are considered for this purpose). None of the Director is related to any other Director of the Bank.

3.9 निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे प्रस्तुत हैः

3.9.1 श्री एस.आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस.आर. बंसल ने दिनांक 5 अक्तूबर, 2013 को कार्पोरेशन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले वे पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री एस.आर. बंसल को अंग्रेज़ी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सीएआईआईबी) और भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (एआईआईबीएफ) के एसोसिएट हैं। आप शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में विभिन्न प्रशासनिक और कार्यात्मक हैसियत से 33 वर्षों के विपुल अनुभव प्राप्त अनुभवी बैंकर हैं। उन्होंने देना बैंक में 1981 में सीधी भर्ती द्वारा अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और आठ राज्यों के प्रभारी फील्ड जनरल मैनेजर (उत्तर भारत) के पद तक पहुँचे। उन्हें जून 2012 में पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जहाँ पर वे बड़े क्षेत्र परिचालनों और अन्य प्रमुख कार्यों के प्रभारी थे।

3.9 A brief profile of the Directors is furnished hereunder:

3.9.1 Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director

Shri S. R. Bansal has taken charge as the Chairman & Managing Director of Corporation Bank on 5th October, 2013. Prior to assuming the position of Chairman & Managing Director, he was Executive Director of Punjab National Bank.

Shri S. R. Bansal is a Post Graduate in English, a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and an Associate of Indian Institute of Banking & Finance (AIIBF). He is a seasoned banker with over 33 years of rich experience in various administrative and functional capacities at Branches, Regional Offices, Zonal Offices and also at the Head Office level. He started his banking career as a Direct Officer Recruit at Dena Bank in 1981 and went on to hold the office of the Field General Manager (North India) covering eight states. He was appointed as Executive Director of Punjab National Bank in June 2012, where he was in charge of large field operations and many other key areas.

उन्होंने ऋण और खुदरा, कृषि, एसएमई, बड़े कार्पोरेट और आधारभूत संरचना वित्त सहित सभी सेग्मेंटों में परियोजना मूल्यांकन में विशेषज्ञता को देखते हुए अपने करियर के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण पद संभाले। वे पीएनबी गिल्ट्स लि. के निदेशक थे। वे आधारभूत संरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए ढाँचा तैयार करने के लिए भारतीय बैंक संघ की समिति में सदस्य थे। आप खुदरा बैंकिंग पर भारतीय बैंक संघ की स्थाई समिति के सदस्य भी हैं। आप देना बैंक से प्रतिनियुक्ति पर भारत संरचना वित्त कंपनी लि. (आईएफसीएल) में थे जहाँ पर उन्होंने परियोजना मूल्यांकन/ड्यू डिलिजेन्स, ऋण मंजूरी और ऋण जोखिम प्रबंधन सहित ऋण प्रकार्य स्थापित किए। उन्होंने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर के वित्त पोषण हेतु टोक्यो में जेबीआईसी के साथ एमओयू और एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनैशनल कॉऑपरेशन (जेबीआईसी) एवं केएफडब्ल्यू के साथ समझौतों सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निष्पादित करने वाली टीमों की अगुआई की और उनके अंग रहे।

श्री बंसल उद्योग जगत में परिणाम उन्मुख और व्यावहारिक दृष्टिकोण, टीम भावना और निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उनके बैंकों और अधीनस्थ विभागों ने कई पुरस्कार जीते हैं जैसे ''वित्तीय समावेशन हेतु स्कॉच पुरस्कार'', द सण्डे स्टैंडर्ड द्वारा ''कृषि ऋण-बड़े'' के अंतर्गत ''बेस्ट बैंकर'' पुरस्कार और ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उत्तरी अंचल में पीएमईजीपी में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु एमएसएमई राष्ट्रीय पुरस्कार'' जीता है। फिक्की, सीआईआई, आईआईएम (ए) जैसी प्रबंधन संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों में और सिंगापूर एवं दुबई में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता के रूप में उन्हें शाबाशियाँ प्राप्त हुई हैं।

कार्पोरेशन बैंक में उनके अब तक के कार्यकाल के दौरान कासा विपणन, कृषि, खुदरा और एमएसएमई अग्रिमों पर जोर, शाखा एवं एटीएम नेटवर्क तथा अन्य डेलिवरी चैनलों का विस्तार, ग्राहक अभिग्रहण, खास तौर पर अगली पीढ़ी के ग्राहकों को लाने और ऋण निगरानी के लिए पृथक् वर्टिकल स्थापित करते हुए आस्ति की गुणवत्ता सुधारने जैसी विभिन्न रणनीतिपरक पहलों के द्वारा उन्होंने बैंक को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है और उत्कृष्ट प्रगति के पथ पर ला खड़ा किया है। इसके अलावा उन्होंने परिहार्य खर्च को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

3.9.2 श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक

श्री अमर लाल दौलतानी ने 3 फरवरी, 2012 को कार्पोरेशन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री अमर लाल दौलतानी, महा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक को कार्पोरेशन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उप बहा प्रबंधक के पद पर स्नातकोत्तर उपाधि धारक श्री अमर लाल दौलतानी 1978 में इलाहाबाद बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी के रूप में भर्ती हुए। आपने इलाहाबाद बैंक की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न पदों पर काम किया।

He has held various important positions during the course of his career in view of his expertise in credit and project appraisal across all segments, including retail, agriculture, SME, large Corporate and Infrastructure finance. He was Director of PNB Gilts Ltd. Shri Bansal was a member of Indian Banks' Association committee for evolving a framework for monitoring of infrastructure projects. He is also a member in IBA's standing committee on Retail Banking. On deputation from Dena Bank he had been to India Infrastructure Finance Company Ltd. (IIFCL), where he set up the credit functions including project appraisal/due diligence, sanction of loans, monitoring of loans and credit risk management. He led and was part of teams that successfully executed several marquee projects like MoU with JBIC in Tokyo, Japan for financing the Delhi-Mumbai Industrial Corridor and negotiations with multilateral & bilateral institutions like Asian Development Bank, World Bank, Japan bank for International Cooperation (JBIC) and KfW.

Shri Bansal is known in the industry circles for his result oriented and practical approach, team work and quick decisions. During his tenure, the respective Banks and departments led by him have won many prestigious awards like "The SKOCH award for Financial Inclusion", "Best Bankers" award under "Agriculture Lending-Large" by The Sunday Standard and "The MSME National Award by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises for excellent performance in PMEGP in North Zone." He has also received accolades as speaker at various seminars and conferences organised by FICCI, CII, Management Institutes like IIM-A and International conferences in Singapore and Dubai.

During his tenure with Corporation Bank so far, he has provided strong leadership to the Bank and has put the Bank on a superlative growth path through various strategic initiatives with focus on Mobilising CASA, Quality Credit growth with emphasis on Agriculture, Retail and MSME advances, Expansion of Branch and ATM Network and other Alternative Delivery Channels, Customer acquisition, especially next-gen customers and improving asset quality through setting up a separate vertical for Credit Monitoring. In addition, he has taken concerted steps to bring down the avoidable expenditure.

3.9.2 Shri Amar Lal Daultani, Executive Director

Shri Amar Lal Daultani assumed charge as the Executive Director of Corporation Bank with effect from 3rd February, 2012.

Shri Amar Lal Daultani, General Manager of Allahabad Bank has been appointed by the Government of India as the Executive Director of Corporation Bank. Shri Amar Lal Daultani, a postgraduate in Economics from Agra University, joined Allahabad Bank as Management Trainee in 1978. He worked in different capacities in various branches of Allahabad Bank.

आंचलिक प्रमुख के रूप में उन्होंने कानपुर, अहमदाबाद, चिनसुराह (पश्चिम बंगाल) और हैदराबाद में सेवा की। उन्होंने इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महा प्रबंधक के पद पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यपालक सहायक के रूप में तथा बतौर महा प्रबंधक (कार्पोरेट ऋण) महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं।

श्री दौलतानी ने कई विदेशी देशों का दौरा किया है और मानव संसाधन, बैंक वित्तीय प्रबंधन, फॉरेक्स, ट्रेज़री, एएलएम और डेरिवेटीव्स आदि पर बीआईएस बेसल, ईएससीपी पैरिस और ईएससीपी लंदन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। वे ऋण, विदेशी विनिमय और अन्य सामान्य बैंकिंग परिचालनों में 36 वर्षों का प्रचुर अनुभव प्राप्त बहुमुखी प्रतिभा के बैंकर हैं। कार्यपालक निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले श्री दौलतानी चेन्नै में परिमंडल महा प्रबंधक (दक्षिण) के पद पर थे और तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पुदुच्चेरी जैसे दक्षिणी राज्यों में कारोबार विकास को संभाल रहे थे।

3.9.3 श्री बी. के. श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक

श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव ने 28 जनवरी, 2013 से कार्पोरेशन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

इससे पहले श्री श्रीवास्तव कोलकाता में इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में महा प्रबंधक के पद पर थे और वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण और वित्तीय समावेशन वर्टिकल के प्रभारी थे।

श्री श्रीवास्तव बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि के धारक हैं और उन्हें पशुपालन और डेरी विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त है। वे भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणपत्रित सहयोगी हैं। उन्हें उर्दू और तमिल में तीन वर्षीय डिप्लोमा और आईसीएफएआई, हैदराबाद से बेसिक फाइनेंस में डिप्लोमा प्राप्त है। उन्होंने वर्ष 1979 में इलाहाबाद बैंक में कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की। श्री श्रीवास्तव बहुमुखी प्रतिभा के बैंकर हैं और कृषि एवं ग्रामीण ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण विकास, जन बैंकिंग हेतु नवोन्मेषण, जीविका कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, बैंकिंग प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन तथा अन्य सामान्य बैंकिंग परिचालनों में विपुल अनुभव प्राप्त है।

इलाहाबाद बैंक में श्री श्रीवास्तव ने ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय केन्द्रों में विभिन्न वेतनमानों में महत्वपूर्ण शाखाओं का प्रभार संभाला है। वे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के अग्रणी ज़िला प्रबंधक थे। उन्होंने मिर्ज़ापुर और मुंबई के क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में तथा प्रधान कार्यालय में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण तथा भा.रि.बैं. निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा कक्ष में भी काम किया है। उन्होंने संपूर्ण राजस्थान राज्य समाविष्ट बैंक के जयपुर अंचल का प्रभार भी संभाला है और बैंक के दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात्, त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (उरई) और लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सीतापुर) के अध्यक्ष थे।

बहुमुखी प्रतिभा के बैंकर श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव 35 वर्षों के अधिक के समृद्ध बैंकिंग अनुभव के धनी हैं। उन्होंने भारत और विदेश में प्रतिष्ठित संस्थाओं में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

As Zonal Head, he served Allahabad Bank at Kanpur, Ahmedabad, Chinsurah (West Bengal) and Hyderabad. He also worked at the Head Office of Allahabad Bank as Deputy General Manager holding important assignment as Executive Assistant to the Chairman and Managing Director and also as General Manager (Corporate Credit).

Shri Daultani has travelled abroad to several countries and attended training programmes at BIS Basel, ESCP Paris, ESCP London on HR, Bank Financial Management, Forex, Treasury, ALM and Derivatives, etc. He is a versatile banker having 36 years of rich experience in Credit, Forex and other General Banking Operations.Before his elevation as Executive Director, Shri Daultani held the position of Field General Manager (South) at Chennai and handled the Bank's business development in Southern States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Puducherry.

3.9.3 Shri B. K. Srivastav, Executive Director

Shri Bibhas Kumar Srivastav assumed charge as the Executive Director of Corporation Bank with effect from 28th January, 2013.

Before taking over this assignment, Shri Srivastav held the position of General Manager of Allahabad Bank at its Head Office in Kolkata and was in charge of Priority Sector Credit and Financial Inclusion Verticals.

Shri Srivastav is a Post Graduate in Agriculture from Banaras Hindu University with specialization in Animal Husbandry and Dairy Science. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers and has a three years diploma both in Urdu and Tamil and Diploma in basic finance from ICFAI, Hyderabad. He started his banking career as an Agricultural Field Officer in Allahabad Bank in the year 1979. Shri Srivastav is a versatile Banker and has vast experience in Agricultural and Rural Lending, Development of Priority Sector Credit, Innovation for Mass Banking, Implementation of Livelihood Programmes, Banking Technology implementation and other General Banking Operations.

At Allahabad Bank, Shri Srivastav headed important branches at rural, semi-urban, urban and metro centres in different scales. He was the Lead District Manager of Sonbhadra District in Uttar Pradesh. He also worked in the Regional/Zonal Offices of Mirzapur and Mumbai and in Priority Sector Credit and RBI Inspection and Audit Cell in Head Office. He headed the Jaipur Zone of the Bank covering the whole of Rajasthan and was the Chairman of two Regional Rural Banks of the Bank, viz., Triveni Kshetriya Gramin Bank (Orai) and Lucknow Kshetriya Gramin Bank (Sitapur).

A versatile banker, Shri Bibhas Kumar Srivastav carries with him over 35 years of rich Banking experience. He has attended various training programmes at prestigious institutes both in India and abroad.

3.9.4 सुश्री एना रॉय (सरकार नामिती निदेशक)

सुश्री एना रॉय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं। उन्होंने 1988 से 1990 के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के लैक्चरर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की।

सुश्री एना रॉय वर्ष 1992 में भारतीय अर्थशास्त्र सेवा में भर्ती हुई। वे 1993 के दौरान योजना आयोग, परिवहन प्रभाग में अनुसंधान अधिकारी थीं। वे परियोजना प्रबंधन इकाई, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 1993 से 1996 के दौरान अनुसंधान अधिकारी भी रहीं।

1996 से 2012 के दौरान सुश्री एना रॉय ने आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक जैसे विभिन्न पदों को सँभाला। वे फरवरी 2009 से जुलाई 2009 तक वित्त मंत्री की विशेष कार्य अधिकारी रहीं। वर्तमान में नवंबर 2012 से सुश्री एना रॉय वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक हैं। 16.04.2014 से भारत सरकार ने सुश्री एना रॉय के स्थान पर बैंक के निदेशक मंडल में श्री मनीष गुप्ता को निदेशक के रूप में नामित किया है।

3.9.5 श्री यू. एस. पालीवाल (भा.रि. बैंक नामिती निदेशक)

श्री उमा शंकर पालीवाल, मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को 25 अप्रैल, 2012 से बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती के रूप में भारत सरकार ने नामित किया है।

अर्थशास्त्र और इतिहास में स्नातकोत्तर और इतिहास में एम.फिल उपाधि प्राप्त श्री पालीवाल 1982 में मध्यम प्रबंधन कार्यपालक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक में भर्ती हुए। उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग और राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष में काम करने का प्रचुर अनुभव है।

उप महा प्रबंधक के रूप में श्री पालीवाल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी विनिमय विभाग में सेवा की और बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, दादर, मुंबई में संकाय सदस्य भी रहे। महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर वे उक्त कॉलेज संकाय सदस्य के रूप में बने रहे।

मुख्य महा प्रबंधक के रूप में उन्होंने मुद्रा प्रबंधन विभाग में सेवा की। उन्होंने क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत करेंसी सत्यापन एवं प्रोसेसिंग सिस्टम की शुरुअत एवं क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई है। वे रिज़र्व बैंक से स्वर्ण जयंती स्कॉलर रहे हैं। एक वर्ष की लघु अवधि के लिए उन्हें बैंक ऑफ मॉरिशस के सेंट लूइस कार्यालय में निदेशक, पर्यवेक्षण के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था।

श्री पालीवाल ने बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर, यूके से वित्तीय प्रबंधन में एमबीए को डिस्टिंक्शन सहित पूरा किया। वे लंदन बिज़नेस स्कूल के छात्र भी हैं।

श्री पालीवाल को, जो कुछ समय पहले तक मानव संसाधन विभाग में प्रधान मुख्य महा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, 25 अप्रैल, 2014 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है।

3.9.4 Ms. Anna Roy (Government Nominee Director)

Ms. Anna Roy, a postgraduate in Economics from Delhi School of Economics, Delhi University, started her career as a lecturer of Economics in Delhi University during 1988 to 1990.

Ms. Anna Roy joined Indian Economic Service in the year 1992. She was a Research Officer in Planning Commission, Transport Division during 1993. She was also Research Officer in Project Management Unit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance during the period from 1993 to 1996.

Ms. Anna Roy held various positions like Deputy Director, Joint Director, Director in Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and also Ministry of Civil Aviation during the period from 1996 to 2012. She was Officer on Special Duty to Finance Minister during February 2009 till July 2009. Presently, from November 2012 onwards, Ms. Anna Roy is Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. With effect from 16.04.2014, Government of India has nominated Shri Manish Gupta as Government Nominee Director on the Board of the Bank in place of Ms. Anna Roy.

3.9.5 Shri U. S. Paliwal (RBI Nominee Director)

Shri Uma Shankar Paliwal, Chief General Manager, Reserve Bank of India, Mumbai, has been nominated by the Government of India as the Reserve Bank of India nominee on the Board of the Bank with effect from 25th April, 2012.

Shri Paliwal, a postgraduate in Economics and History and an M.Phil in History, joined the Reserve Bank India as a middle management executive in 1982. He had rich experience working in the Department of Banking Operations and Development and the National Clearing Cell of the Reserve Bank of India.

As Deputy General Manager, Shri Paliwal served in the Foreign Exchange Department of the Reserve Bank of India and was also a Faculty Member of the Bankers' Training College at Dadar, Mumbai. On his elevation as General Manager he continued as Faculty Member at the said College.

As Chief General Manager, he served in the Department of Currency Management and was instrumental in the introduction and implementation of the Currency Verification and Processing Systems as part of the Clean Note Policy. He has been a Golden Jubilee Scholar from the Reserve Bank. For a brief period of one year, he was deputed as a Director, Supervision, to the Bank of Mauritius at its office in St. Louis.

Shri Paliwal, later, completed his MBA in Financial Management with Distinction from the University of Exeter, UK and is also the Alumni of the London Business School.

Shri Paliwal, who till recently, working as the Principal Chief General Manager, Human Resources Department has since been elevated as Executive Director of Reserve Bank of India with effect from 25th April, 2014.

3.9.6 श्री विन्सेंट डि'सूज़ा (कामगार कर्मचारी निदेशक)

भारत सरकार ने विन्सेंट डि'सूज़ा को बैंक के निदेशक मंडल में कामगार निदेशक के रूप में 28 दिसंबर, 2011 से तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया है।

कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलूर में 16.12.1959 को जन्मे श्री विन्सेंट डि'सूज़ा 31.12.1981 को बैंक में भर्ती हुए थे। संप्रति वे मंगलूर में बैंक के प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा प्रभाग में एकल खिड़की परिचालक-बी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें बैंकिंग और ट्रेड यूनियन आंदोलन, दोनों में प्रचुर अनुभव है। वे कार्पोरेशन बैंक कर्मचारी संघ (पं) (सीबीईयू) के महासचिव हैं और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की ज़िला इकाई, दक्षिण कन्नड़ ज़िला बैंक कर्मचारी संघ के महा सचिव हैं और कर्नाटक प्रदेश बैंक कर्मचारी परिसंघ के केन्द्रीय समिति सदस्य भी हैं। वे बैंक के पेंशन ट्रस्ट के बोर्ड के एक न्यासी हैं और अवार्ड स्टाफ हेतु बैंक की शिकायत निवारण समिति के एक सदस्य हैं। श्री विन्सेंट डि'सूज़ा वाणिज्य में स्नातक हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान से सीएआईआईबी भी हैं।

3.9.7 श्री एकनाथ बालिगा (अधिकारी कर्मचारी निदेशक)

श्री एकनाथ बालिगा को दिनांक 17 अक्तूबर, 2013 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के निदेशक मंडल में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री एकनाथ बालिगा वर्तमान में बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलूर में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे 2013 से कार्पोरेशन बैंक अधिकारी संगठन के महा सचिव हैं।

श्री एकनाथ बालिगा को वाणिज्य में स्नातक उपाधि प्राप्त है, भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं और योग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है। वे वर्ष 1980 में कार्पोरेशन बैंक में भर्ती हुए। उन्होंने वडोदरा, अहमदाबाद और मंगलूर में विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में कार्य किया। उन्होंने कार्पोरेशन बैंक अधिकारी संगठन (सीबीओओ) में क्षेत्रीय सचिव, खजांची, उप महा सचिव जैसे विभिन्न पद धारित किए और जनवरी 2013 में महा सचिव के रूप में चुने गए।

3.9.8 श्री आदीश कुमार जैन (सनदी लेखाकार प्रवर्ग निदेशक)

श्री आदीश कुमार जैन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सहयोगी सदस्य हैं और एलएलबी, बीएससी एवं डीआईएसए (आईसीएआई) की अतिरिक्त योग्यता रखते हैं।

श्री जैन को वित्त, प्रबंधन और कन्सेलटेन्सी के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का प्रचुर अनुभव है। वे विगत 12 वर्षों से एमबीए के छात्रों को पढ़ाते हैं। उन्हें लेखा-परीक्षा, सिस्टम सुधार में कन्सेलटेन्सी, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र कंपनियों, संस्थाओं और अन्य प्रकार के कारोबारी प्रतिष्ठानों को कंपनी विधि और कर संबंधी मामलों में परामर्शदाता के रूप में अनुभव प्राप्त है।

उन्हें केन्द्र सरकार ने 26 दिसंबर, 2013 से बैंक के निदेशक मंडल में सनदी लेखाकार प्रवर्ग के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया है।

3.9.6 Shri Vincent D'Souza (Workmen Employee Director)

The Government of India has appointed Shri Vincent D'Souza as Workmen Employee Director on the Board of the Bank for a period of three years effective from 28th December, 2011.

Shri Vincent D'Souza, born on 16.12.1959 at Mangalore, Dakshina Kannada district in Karnataka State, joined the Bank on 31.12.1981. At present he is working as Single Window Operator-B in Customer Services Division at the Bank's Head Office in Mangalore. He has rich experience both in Banking and trade union movement. He is the General Secretary of Corporation Bank Employees' Union (Regd.) (CBEU), the General Secretary of South Kanara District Bank Employees' Association, a District unit of All India Bank Employees' Association (AIBEA) and also the Central Committee Member of Karnataka Pradesh Bank Employees' Federation. He is one of the Trustees on the Board of Bank's Pension Trust and also one of the members in the Bank's Grievance Redressal Committee for the Award Staff. Shri Vincent D'Souza is a Commerce graduate and also a CAIIB from the Indian Institute of Bankers.

3.9.7 Shri Ekanath Baliga (Officer's Employee Director)

Shri Ekanath Baliga has been appointed as Officer Employee Director on the Board of the Bank on October 17, 2013 for a period of three years. He is working as a Manager at the Head Office of the Bank in Mangalore. He is the General Secretary of Corporation Bank Officers' Organization since 2013.

Shri Ekanath Baliga is a Graduate in Commerce, a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds a Post Graduate Diploma in Yoga. He joined Corporation Bank in the year 1980. He had worked at branches/offices of the Bank in Vadodara, Ahmedabad and Mangalore. He has held various key positions in the Corporation Bank Officers' Organization [CBOO] like Regional Secretary, Treasurer, Deputy General Secretary and has been elected as the General Secretary in January 2013.

3.9.8 Shri Adish Kumar Jain (Chartered Accountant category Director)

Shri Adish Kumar Jain is a Fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and holds additional qualification of L.L.B., B.Sc and DISA (ICAI).

Shri Jain carries with him a rich experience of over 30 years in the field of Finance, Management and Consultancy. He is teaching to MBA students for the past 12 years. He is having experience in the field of Audit, consultancy in system improvements, Advisor on Company law and tax matters to various Public Sector Undertakings, Public Sector Banks, Co-Operative Sector, Private Sector Companies, institutions and other forms of business establishments.

He has been nominated by the Central Government as a Part Time Non Official Director under Chartered Accountant Category on the Board of the Bank effective from 26th December, 2013 onwards.

3.9.9 श्री बोनम वेंकट भास्कर (गैर–सरकारी निदेशक)

श्री बोनम वेंकट भास्कर, एक प्रैक्टिसिंग एड्वोकेट को भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर, 2013 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के निदेशक मंडल में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री भास्कर को लेखे और बैंकिंग मुख्य विषय के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि प्राप्त है। उन्होंने बैंकिंग विनियमन अधिनियम को एक विषय के रूप में लेते हुए विधि में भी स्नातक उपाधि प्राप्त की है, औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सहकारिता में जूनियर डिप्लोमा प्राप्त किया है। पिछले 14 वर्षों से श्री भास्कर सिविल और आपराधिक मामलों के एड्वोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

श्री भास्कर एक कृषक परिवार से हैं और अब भी कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलापों में लगे हैं।

श्री भास्कर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में सक्रिय रूप से लगे हैं और इस संबंध में सरकारी प्राधिकारियों की मदद कर रहे हैं तथा उन्होंने ग्रामीण जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए कानूनी शिविर आयोजित किए हैं। विनम्र पृष्ठभूमि और कृषि एवं लघु उद्योग के क्षेत्र में विपुल अनुभव के साथ श्री भास्कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का इरादा रखते हैं।

3.9.10 श्री सुशोभन सरकेर (शेयरधारक निदेशक)

श्री सुशोभन सरकेर, जो वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक हैं, को 23 अगस्त, 2011 को बैंक के निदेशक मंडल में बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया।

उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में तीन दशकों से अधिक का करियर अनुभव प्राप्त है।

वे निवेश, आस्ति प्रबंधन, जीवन बीमा विपणन, आवास वित्त आदि के क्षेत्र में एलआईसी और इसकी सहयोगी कंपनियों में विभिन्न हैसियत से काम करते रहे हैं। वे भारतीय रिज़र्व बैंक की समितियों, इरडा और द क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के बोर्ड में भी सदस्य रहे।

संप्रति श्री सरकेर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. और लार्सन एण्ड टूब्रो लि. के बोर्ड में निदेशक के रूप में हैं तथा एलआईसी एचएफएल ट्रस्टी कं. प्रा. लि., एल एण्ड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लि. और जनरल इंश्योरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के बोर्ड में भी निदेशक हैं।

श्री सरकेर को बीएससी (ऑनर्स) उपाधि प्राप्त है और जमनालाल बजाज इन्सटिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ (जेबीआईएमएस), मुंबई से प्रबंधन अध्ययन में डिप्लोमा प्राप्त है।

वे जेबीआईएमएस, मुंबई विश्वविद्यालय से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक भी हैं।

3.9.11 श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय (शेयधारक निदेशक)

एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय 23 अगस्त, 2011 को शेयरधारक निदेशक के रूप में बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हुए।

3.9.9 Shri Bonam Venkata Bhaskar (Non-official Director)

Shri Bonam Venkata Bhaskar, a practicing Advocate, has been appointed as Non-official Director on the Board of Directors of the Bank by the Government of India, for a period of three years with effect from 4th November, 2013.

Shri Bhaskar has graduated in Commerce with Accounts and Banking as main subjects. He has also graduated in Law with Banking Regulation Act as one of the subjects, has completed Postgraduate Diploma in Industrial Relations and Personnel Management and Junior diploma in Co-operations. For the last 14 years Shri Bhaskar has been practicing as an Advocate handling Civil and Criminal cases.

Shri Bhaskar hails from an Agricultural family and is still engaged in Agriculture and allied activities.

Shri Bhaskar has actively involved himself in rehabilitation of people affected by natural calamities, helping the Government authorities in this regard and arranged legal camps for enlightening the rural public. With a humble background and his rich experience in the field of Agriculture and Small Scale Industries, Shri Bhaskar intends to help improve the rural economy.

3.9.10 Shri Sushobhan Sarker (Shareholder Director)

Shri Sushobhan Sarker, presently Managing Director, LIC of India has been elected as the shareholder director of the Bank and joined the Bank's Board on 23rd August, 2011.

He is having more than three decades of career experience with Life Insurance Corporation of India (LIC).

He has been working in LIC and its associate companies in various capacities in the field of Investment, Asset Management, Life Insurance Marketing, Housing Finance etc. He was also a member of committees of RBI, IRDA, and the board of The Clearing Corporation of India Ltd.

Currently, Shri Sarker is on the Board of LIC Housing Finance Ltd., and Larsen and Toubro Limited, as director and also on the Board of LIC HFL Trustee Co. Pvt. Ltd., L&T Infrastructure Development Projects Limited and General Insurance Corporation of India, as Director.

Shri Sarker has to his credit a B.Sc. (Honours) degree and Diploma in Management Studies from Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies (JBIMS), Mumbai.

He is also a Masters Degree holder in Financial Management from JBIMS, University of Mumbai.

3.9.11 Shri Kawaljit Singh Oberoi (Shareholder Director)

Shri Kawaljit Singh Oberoi, a Practicing Chartered Accountant and a Fellow of the Institute of Chartered Accountant of India has joined the Board of Corporation Bank on 23rd August, 2011 as shareholder director.

श्री ओबेरॉय को बड़े कार्पोरेटों के वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय परामर्श, निवेशों, कार्पोरेटों और बैंकों की लेखा–परीक्षा, कराधान पर परामर्श आदि के क्षेत्र में 27 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव है।

वे पहले सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल में थे।

उन्हें वित्तीय संरचना, ईक्विटी नियोजन, ड्यू डिलिजेन्स और परियोजना मूल्यांकन में विशेष कार्य अनुभव भी प्राप्त है।

श्री ओबेरॉय ने भारतीय रिज़र्व बैंक, आईसीएआई और एनआईबीएम द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

3.9.12 श्री एस. शब्बीर पाशा (शेयरधारक निदेशक)

श्री एस. शब्बीर पाशा एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं। वे 23 अगस्त, 2011 को शेयरधारक निदेशक के रूप में बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हुए।

श्री पाशा को सनदी लेखाकार के रूप में 28 वर्षों का प्रचुर और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वे इन्सटिट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट भी हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान से प्रमाणित एसोसिएट हैं।

कार्पोरेशन बैंक के निदेशक मंडल में शामिल होने से पहले वे केनरा बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक थे।

3.9.13 श्री मनीष गुप्ता (सरकार नामिती निदेशक) (सुश्री एना रॉय के स्थान पर दिनांक 16.04.2014 से)

श्री मनीष गुप्ता को केन्द्र सरकार ने 16 अप्रैल, 2014 से बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नामित किया है।

श्री मनीष गुप्ता वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में वे ऋण नीति और सूक्ष्म वित्त संभाल रहे हैं। श्री गुप्ता आईआरएसईई (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा) हैं और उन्हें भारत सरकार में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इससे पहले इन्होंने भारतीय रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पद धारित किए हैं। उनके पास कॉलेज ऑफ इंजनीयरिंग एवं टेक्नॉलॉजी, नई दिल्ली से स्नातक उपाधि है और आईआईटी, रूड़की से मेज़रमेंट एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन में स्नातकोत्तर उपाधि (स्वर्ण पदक) है। उन्होंने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद से 2009 में वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित एमबीए डिगरी भी पूरी की है।

4. निदेशक मंडल की समितियां

4.1 निदेशक मंडल की लेखा–परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन और परिचालन बैंक हेतु लागू सीमा तक ईक्विटी हेतु सूचीकरण करार के खण्ड 49 के साथ यथा पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिदेशों द्वारा शासित होता है। मंडल की लेखा–परीक्षा समिति बैंक में संपूर्ण लेखा–परीक्षा कार्य, जिसमें बैंक के भीतर का आंतरिक लेखा–परीक्षा तथा निरीक्षण का आयोजन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण कार्य सम्मिलित है, को निर्देशन प्रदान करने के अलावा परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है और बैंक के सांविधिक/बाह्य लेखा–परीक्षा कार्य और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्ती कार्य करती है।

Shri Oberoi has to his credit over 27 years of practical experience in the field of financial management of large corporates, financial advisory, investments, audits of corporates and banks, advisory on taxation etc.

Earlier he was on the Board of Syndicate Bank and Bank of Maharashtra.

He is also having special working experience in Financial Structuring, Equity Placement, Due Diligence and Project Evaluation.

Shri Oberoi attended various conferences and training programs conducted by Reserve Bank of India, ICAI, and NIBM.

3.9.12 Shri S. Shabbeer Pasha (Shareholder Director)

Shri S. Shabbeer Pasha, is a Practicing Chartered Accountant, and a Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India. He has joined the Board of the Corporation Bank on 23rd August, 2011 as a shareholder director.

Shri Pasha has to his credit 28 years of rich practical experience as a Chartered Accountant. He is also Cost and Works Accountant from the institute of Cost and Works Accountants of India and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

Prior to joining Corporation Bank, Shri Pasha was on the Board of Canara Bank as part time Non-official Director.

3.9.13 Shri Manish Gupta (Government Nominee Director) (vice Ms. Anna Roy w.e.f. 16.04.2014)

Shri Manish Gupta has been nominated by the Central Government as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank with effect from 16th April, 2014.

Shri Manish Gupta is working as Director in Department of Financial Services, Ministry of Finance. He is presently handling Credit Policy and Microfinance. Shri Gupta is an IRSEE (Indian Railway Service of Electrical Engineers) officer and has more than 18 years of experience in the Government of India. Previously, he has held various important positions on Indian Railways. He holds a Bachelor's degree from College of Engineering and Technology, New Delhi and a Masters degree in Measurement and Instrumentation (Gold Medalist) from IIT, Roorkee. He also completed his MBA degree with specialization in Financial Management from National Institute of Financial Management, Faridabad in 2009.

4. Committees of the Board

4.1 Audit Committee of the Board

The formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB) is governed by the directives of Reserve Bank of India, guidelines of Ministry of Finance, Government of India and read with clause 49 of the Listing Agreement for Equity to the extent applicable to the Bank. The ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank comprising the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India.

लेखा-परीक्षा समिति ऐसे विषयों में आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई जाँच-पड़ताल के निष्कर्षों की समीक्षा करती है जहाँ कपट का संदेह होता है या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अनियमितता या विफलता देखी जाती है तथा वहाँ नियंत्रण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देती है। जहाँ तक बाह्य लेखा-परीक्षा का संबंध है, यह समिति, वार्षिक लेखों और रिपोर्टों तथा तिमाही वित्तीय समीक्षा को अंतिम रूप देने से पहले, लेखा नीतियों और कार्य-प्रणालियों में परिवर्तनों, ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी, लेखा-मानकों और स्टॉक एक्सचेंज/विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर ध्यान देते हुए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है।

निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति में वर्तमान में बोर्ड के 7 सदस्य हैं। वे हैं श्री अमर लाल दौलतानी और श्री बी. के. श्रीवास्तव, बैंक के कार्यपालक निदेशक, सुश्री एना रॉय (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष गुप्ता) (भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक), श्री यू. एस. पालीवाल (भारिबैं नामिती निदेशक), श्री आदीश कुमार जैन, सनदी लेखाकर प्रवर्ग निदेशक, जो रिपोर्टाधीन वित्त वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हुए, श्री सुशोभन सरकेर और श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय (शेयरधारक निदेशक)। श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय (शेयरधारक निदेशक) द्वारा समिति की अध्यक्षता की जाती है। ईक्विटी सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार श्री एस.के . दाश, कंपनी सचिव, बोर्ड सचिवालय एवं निवेशक सेवा विभाग, लेखा परीक्षा समिति के भी सचिव हैं।

4.2 प्रबंधन समिति

प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार किया गया। समिति में 8 निदेशक हैं तथा वर्तमान सदस्य हैं श्री एस.आर. बंसल (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक), श्री अमर लाल दौलतानी और श्री बी. के. श्रीवास्तव (कार्यपालक निदेशक), श्री यू. एस. पालीवाल (भारिबैं नामिती निदेशक), श्री विन्सेंट डि'सूज़ा (कामगार कर्मचारी निदेशक), श्री आदीश कुमार जैन (सनदी लेखाकार प्रवर्ग निदेशक), श्री सुशोभन सरकेर और श्री एस. शब्बीर पाशा (शेयरधारक निदेशक)। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 29 फरवरी, 2012 तक प्रबंधन समिति ने बैंक के सामान्य व्यापार लेन-देनों और ऋण प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय मंजूरी देने के अधिकार का प्रयोग करती थी जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे थे। सरकार की अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2011 द्वारा 1 मार्च, 2012 से निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति के गठन के बाद प्रबंधन समिति ने एकल उधारकर्ता के लिए ₹250 करोड़ और उधारकर्ता समूह के लिए ₹500 करोड़ से अधिक के ऋण प्रस्तावों के संबंध में निदेशक मंडल के अधिकारों का प्रयोग किया, जो ऋण अनुमोदन समिति को प्रत्यायोजित अधिकारों के परे हैं।

4.3 विभागीय पदोन्नति समिति

विभागीय पदोन्नति समिति में सदस्य के रूप में 3 निदेशक अर्थात् श्री एस. आर. बंसल (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक), सुश्री एना रॉय (सरकार नामिती निदेशक) (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष

Audit Committee reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggests strengthening of control mechanism. As regards external audit, the Committee interacts with Statutory Central Auditors before the finalisation of the annual accounts and reports as well as quarterly financial review, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report, compliance with accounting standards and Stock Exchange/legal requirements.

The Audit Committee of the Board, at present, comprises of the following 7 Board members. They are Shri Amar Lal Daultani and Shri B. K. Srivastav, Executive Directors of the Bank, Ms. Anna Roy (till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014) (Government of India Nominee Director), Shri U. S. Paliwal (RBI Nominee Director), Shri Adish Kumar Jain, Chartered Accountant category director, who joined the Board of the Bank during the financial year under reporting, Shri Sushobhan Sarker and Shri Kawaljit Singh Oberoi (Shareholder Directors). The Committee is chaired by Shri Kawaljit Singh Oberoi (Shareholder Director). As per clause 49 of the Listing Agreement for Equity Shri S. K. Dash, Company Secretary, Board Secretariat & Investors Services Department of the Bank is also the Secretary to ACB.

4.2 Management Committee

The Management Committee is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended. The Committee comprises of 8 directors and the present members under report are Shri S. R. Bansal (Chairman and Managing Director), Shri Amar Lal Daultani and Shri B. K. Srivastav (Executive Directors), Shri U. S. Paliwal (RBI Nominee Director),Shri Vincent D'Souza (Workmen Employee Director), Shri Adish Kumar Jain (Chartered Accountant category Director), Shri Sushobhan Sarkerand Shri S. Shabbeer Pasha (Shareholder Directors). The Chairman & Managing Director, chairs the Committee Meetings. Till 29th February, 2012, the Management Committee exercised financial sanctioning powers in respect of normal business transactions of the Bank and credit proposals which were beyond the delegated powers of the Chairman & Managing Director. Subsequent to the constitution of the Credit Approval Committee of the Board with effect from 1st March, 2012, vide Government Notification dated 5th December, 2011, the Management Committee exercised the powers of the Board in respect of credit proposals above ₹250 crore for single borrower and ₹500 crore for group of borrowers, which were beyond the delegated powers of the Credit Approval Committee.

4.3 Departmental Promotion Committee

The Departmental Promotion Committee comprises of 3 Directors, viz. Shri S. R. Bansal (Chairman & Managing Director), Ms. Anna Roy (Government Nominee Director)

गुप्ता) और श्री यू. एस. पालीवाल (भारिबैं नामिती निदेशक) हैं। यह समिति बैंक के अनुशासन संबंधी मामलों और बैंक के वेतनमान VI से वेतनमान VII के उच्च कार्यपालकों की अनुशासनिक मामलों और पदोन्नतियों की देखरेख करती है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.4 निवेशक शिकायत समिति

बैंक ने निवेशकों की शिकायतों के निवारण पर विशेष ध्यान देने हेतु बोर्ड की एक समिति 'निवेशक शिकायत समिति' (आईजीसी) का गठन किया है। इस समिति में 5 सदस्य हैं अर्थात् श्री अमर लाल दौलतानी और श्री बी. के. श्रीवास्तव - कार्यपालक निदेशक, सुश्री एना रॉय (सरकार नामिती निदेशक) (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष गुप्ता), श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय और श्री एस. शब्बीर पाशा, निदेशक। शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक, श्री एस. शब्बीर पाशा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

ईक्विटी सूचीकरण करार के खंड 47 के अनुसार श्री एस.के. दाश, बैंक के बोर्ड सचिवालय तथा निवेशक सेवा विभाग के प्रभारी कंपनी सचिव, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करारों की विविध शर्तों और सेबी द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन के उद्देश्य हेतु अनुपालन अधिकारी हैं।

इस वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 925 शिकायतें प्राप्त हुईं। तथापि, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार उनमें कोई भी शिकायत निपटान के लिए लंबित नहीं थी। यदि शेयरधारक से अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है तो सामान्यतः सात दिनों की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटान किया जाता है। वर्ष 2012-13 की तुलना में, प्राप्त, निपटायी गई और वर्ष 2013-14 के अंत में लंबित शिकायतों को दर्शाने वाली तालिका नीचे प्रस्तुत है।

(till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014) and Shri U. S. Paliwal, (RBI Nominee Director), as members. The Committee oversees the disciplinary cases in the Bank and promotions of top executives of the Bank from scale VI to scale VII. The Chairman & Managing Director chairs the Committee Meetings.

4.4 Investors Grievance Committee

The Bank has constituted a Committee of the Board by name "Investors Grievance Committee" (IGC) – to specifically look into the redressal of investors' grievances. The Committee comprises of 5 members viz., Shri Amar Lal Daultani and Shri B. K. Srivastav – the Executive Directors, Ms. Anna Roy (till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014), Shri Kawaljit Singh Oberoi and Shri S. Shabbeer Pasha, directors. Shri S. Shabbeer Pasha, Non-Executive and Independent Director elected by the Shareholders, chairs the Committee Meetings.

In terms of Clause 47 of the Listing Agreement for Equity, Shri S. K. Dash, Company Secretary in charge of Board Secretariat and Investor Services Department of the Bank is the Compliance Officer for the purpose of complying with various terms of Listing Agreements with Stock Exchanges and directives issued by SEBI.

During the year, 925 grievances were received from shareholders. However, as at 31st March, 2014, none of them was pending for redressal. Grievances are normally resolved within a period of seven days, unless further information from the shareholder is required. A table showing Grievances received, disposed off and pending as at the end of the year 2013-14 vis-a-vis 2012-13 is furnished hereunder:

शिकायतों की प्रकृति Nature of Grievances	31.03.12 को लंबित Pending as on 31.03.12	2012-13			2013-14		
		प्राप्त Recd.	निपटायी Disposed	31.03.13 को लंबित Pending as on 31.03.13	प्राप्त Recd.	निपटायी Disposed	31.03.14 को लंबित Pending as on 31.03.14
धन वापसी/लाभांश की अप्राप्ति Non-receipt of refund/dividend	–	530	530	–	847	847	–
शेयर प्रमाण पत्र की अप्राप्ति Non-receipt of share certificate	–	–	–	–	–	–	–
अंतरण हेतु भेजे गए शेयर प्रमाण पत्र की अप्राप्ति Non-receipt of share certificate sent for transfer	–	36	36	–	22	22	–
शेयर प्रमाण पत्र खो जाना Loss of share certificate	–	39	39	–	50	50	–
विविध/Miscellaneous	–	1	1	–	1	1	–
स्टाक एक्सचेंजों के ज़रिए प्राप्त Recd. through Stock Exchanges	–	1	1	–	–	–	–
सेबी, स्कोर्स के ज़रिए प्राप्त Recd. through SEBI, SCORES	–	9	9	–	5	5	–
कुल/Total	**–**	**616**	**616**	**–**	**925**	**925**	**–**

यद्यपि निवेशक शिकायतों के निवारण हेतु संप्रति लिया जानेवाला औसत समय युक्ति-संगत है, फिर भी, बैंक, निवेशक शिकायतों का उत्तर देने में उच्चतर मानकों को स्थापित करने हेतु समय अंतराल को और भी घटाने के लिए प्रयासरत है। सेबी के समर्पित वेबसाईट स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त निवेशक शिकायतों का इलेक्ट्रानिक रूप से निराकरण किया गया है।

4.5 सूचना प्रौद्योगिकी समिति

तेज़ी से बदलते कारोबार परिदृश्य और ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए बैंक ई-गवर्नेंस के अंतर्गत विविध सूचना प्रौद्योगिकी उपाय करता रहा है। इन परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन करने तथा ग्राहक सुविधा एवं संतुष्टि को बढ़ाने की दृष्टि से नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद प्रदान करने की संभाव्यताओं का पता लगाने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया है।

इस समिति में 8 सदस्य हैं अर्थात् श्री एस. आर. बंसल (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक), श्री अमर लाल दौलतानी, श्री बी. के. श्रीवास्तव (कार्यपालक निदेशक), सुश्री एना रॉय (सरकार नामिती निदेशक) (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष गुप्ता), श्री विन्सेंट डि'सूज़ा, श्री एकनाथ बालिगा, श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय और श्री एस. शब्बीर पाशा। श्री एस. आर. बंसल, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.6 जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति पर्याप्त जाँच और संतुलन, पारदर्शिता और प्रकटन, सुदृढ जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ, जोखिम नियंत्रण पद्धतियाँ, शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ और चूक से बचने के लिए तुरंत सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करने के लिए गठित की गयी थी। इस समिति में 8 निदेशक हैं और श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं, श्री अमर लाल दौलतानी, श्री बी.के. श्रीवास्तव, बैंक के कार्यपालक निदेशक, सुश्री एना रॉय (सरकार नामिती निदेशक) (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष गुप्ता), श्री विन्सेंट डि'सूज़ा, श्री सुशोभन सरकेर, श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय और श्री एस. शब्बीर पाशा, निदेशक।

4.7 उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी समिति

एक करोड़ रुपए एवं अधिक के कपटों की निगरानी पर केंद्रीभूत ध्यान देने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु बोर्ड की एक समिति का गठन किया गया। समिति में 7 निदेशक हैं और इसकी अध्यक्षता श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री अमर लाल दौलतानी, श्री बी. के. श्रीवास्तव – बैंक के कार्यपालक निदेशक, सुश्री एना रॉय (सरकार नामिती निदेशक) (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष गुप्ता), श्री विन्सेंट डि'सूज़ा, श्री सुशोभन सरकेर और श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय, निदेशक।

Though the average time taken for redressal of investor grievances at present is reasonable, to set higher standards in responding to the investor grievances, Bank has been consistently striving for reducing the time lag. Investor grievances received through the SEBI dedicated website SCORES, have also been redressed electronically, promptly.

4.5 Information Technology Committee

To keep pace with the fast changing business dynamics and customer needs, the Bank has been taking up various IT initiatives under the umbrella of e-governance to enhance customer convenience. To guide the Bank for accelerated implementation of these projects and also to explore the possibility of providing innovative technology based products and services that perfectly suit the requirements of the customers; Information Technology Committee has been constituted.

The Committee comprises of 8 members viz., Shri S. R. Bansal (Chairman and Managing Director), Shri Amar Lal Daultani, Shri B. K. Srivastav, (Executive Directors), Ms. Anna Roy (till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014), Shri Vincent D'Souza, Shri Ekanath Baliga, Shri Kawaljit Singh Oberoi and Shri S. Shabbeer Pasha. Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director of the Bank chairs the Committee Meetings.

4.6 Risk Management Committee

The Risk Management Committee of the Board was formed to provide adequate checks and balances, transparency and disclosures, robust risk management systems, risk containment procedures, early warning systems and prompt corrective actions to avoid default. The Committee comprises of 8 Directors and is Chaired by Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director. The other members of the Committee are Shri Amar Lal Daultani, Shri B. K. Srivastav, the Executive Directors of the Bank, Ms. Anna Roy (till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014), Shri Vincent D'Souza, Shri Sushobhan Sarker, Shri Kawaljit Singh Oberoi and Shri S. Shabbeer Pasha, Directors.

4.7 Committee to Monitor Large Value Frauds

With a view to closely monitor frauds involving amounts of Rupees one crore and above, a Committee of the Board to Monitor Large Value Frauds has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee comprises of 7 Directors and is chaired by Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director. The other members of the Committee are Shri Amar Lal Daultani, Shri B. K. Srivastav, the Executive Directors of the Bank, Ms. Anna Roy (till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014), Shri Vincent D'Souza, Shri Sushobhan Sarker and Shri Kawaljit Singh Oberoi, Directors.

4.8 शेयर अंतरण समिति

शेयरों के अंतरण, रीमेटिरियलाइजेशन तथा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोधों पर विचार करने के उद्देश्य से प्रचलित नियमों के अनुरूप निदेशक मंडल ने बोर्ड की एक 'शेयर अंतरण समिति' गठित की है। समिति में 3 सदस्य हैं अर्थात् श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में श्री अमर लाल दौलतानी और श्री बी.के. श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशकों में कोई एक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय और श्री एस. शब्बीर पाशा, निदेशक समिति के अन्य दो सदस्य हैं।

4.9 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार तथा व्यक्तिगत ग्राहक के अधिकारों के संरक्षण तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने ग्राहक सेवा समिति का गठन किया। ग्राहक सेवा समिति के वर्तमान सदस्य हैं श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जो समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। श्री अमर लाल दौलतानी, श्री बी. के. श्रीवास्तव – बैंक के कार्यपालक निदेशक, सुश्री एना रॉय (सरकार नामिती निदेशक) (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष गुप्ता), श्री विन्सेंट डि'सूज़ा, श्री एकनाथ बालिगा और श्री शब्बीर पाशा, निदेशक।

4.10 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों (अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक) को निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के तहत पात्र प्रोत्साहन राशि का आकलन करने हेतु निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। सुश्री एना रॉय (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष गुप्ता), भारत सरकार नामिती, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। श्री यू. एस. पालीवाल (भारिबैं नामिती निदेशक), श्री सुशोभन सरकेर और श्री एस. शब्बीर पाशा, निदेशक, उक्त समिति के सदस्य हैं।

4.11 नामांकन समिति

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 22.12.2007 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के वर्तमान शेयरधारक निदेशकों और जो बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए नामांकन दायर करते हैं, उनकी बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के तहत 'उपयुक्तता एवं उचित' स्थिति का विनिश्चय करने हेतु सम्यक जांच की प्रक्रिया संचालित करने के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांकित 01.11.2007 के अनुसार नामांकन समिति गठित की गई। समिति के तीन सदस्य हैं अर्थात् सुश्री एना रॉय (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष गुप्ता), भारत सरकार नामिती, श्री आदीश कुमार जैन (सनदी लेखाकार प्रवर्ग निदेशक) और श्री बोनम वेंकट भास्कर, निदेशक।

4.8 Share Transfer Committee

To meet the requests of the shareholders for transfer of shares, rematerialisation and issuance of duplicate share certificates, a "Share Transfer Committee" of the Board was constituted by the Board of Directors in line with the extant regulations. The Committee comprises of 3 members viz., Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director or in his absence, either of the Executive Directors, Shri Amar Lal Daultani or Shri B. K. Srivastav, chairs the committee meetings. Shri Kawaljit Singh Oberoi and Shri S. Shabbeer Pasha, Directors are the other two members of the committee.

4.9 Customer Service Committee

With a view to safeguard the rights of individual customers and to deliver better customer service, the Bank has constituted the Customer Service Committee of the Board, in line with the directions of the Reserve Bank of India. The present members of the committee are Shri S. R. Bansal, Chairman & Managing Director, who chairs the committee meetings, Shri Amar Lal Daultani, Shri B. K. Srivastav – Executive Directors of the Bank, Ms. Anna Roy (till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014), Shri Vincent D'Souza, Shri Ekanath Baliga and Shri S. Shabbeer Pasha, Directors.

4.10 Remuneration Committee

The Remuneration Committee was constituted as per the extant guidelines of Government of India to evaluate the performance of the Whole Time Directors (viz., CMD and EDs) for arriving at the eligible amount of incentives payable to them under Performance Linked Incentive Scheme. Ms. Anna Roy (till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014), Government of India Nominee, chairs the committee meetings. Shri U. S. Paliwal, (RBI Nominee Director), Shri Sushobhan Sarker and Shri S. Shabbeer Pasha, Directors are the members of the Committee.

4.11 Nomination Committee

The Nomination Committee was constituted by the Board of the Bank at its meeting held on 22.12.2007 as per the guidelines issued by Reserve Bank of India dated 01.11.2007 read with Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 to undertake a process of due diligence to determine "fit and proper" status of the existing Shareholder Directors of the Bank and of those who file Nominations for election as Shareholder Directors of the Bank under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. The committee comprises of three members viz., Ms. Anna Roy (till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014), Government of India Nominee, Shri Adish Kumar Jain (Chartered Accountant category director) and Shri Bonam Venkata Bhaskar, director.

4.12 आंतरिक पूँजी पर्याप्तता समिति (आईसीएएपी समिति)

बैंकिंग प्रणाली की सुदृढता और स्थायित्व को मज़बूत करने के लक्ष्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसल I प्रथाओं में सुधार लाने की दृष्टि से बेसल II और बेसल III द्वारा शुरू किए गए नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे की तर्ज पर दिशानिर्देश सूत्रबद्ध किए हैं। उक्त नीति के लक्ष्य हैं भारिबैंक के दिशानिर्देशों, बेसल दिशानिर्देशों तथा समग्र कार्पोरेट अभिशासन सिद्धांतों के अनुसार आंतरिक पूँजी का प्रबंधन करना, बैंक के कारोबार व संचालन में अंतर्निहित जोखिमों को पहचानने, मूल्यांकन करने, मापने और समुच्चयन करने की प्रक्रिया निर्धारित करना, यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध पूँजी बैंक के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करना कि आईसीएएपी को सुकर बनाने हेतु भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो।

उक्त समिति के सदस्य हैं श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अमर लाल दौलतानी और श्री बी.के. श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक तथा श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय, निदेशक। बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक अर्थात् श्री परमशिवम पी., ऋण प्रभाग के प्रभारी महा प्रबंधक, श्री सी.जी. पिंटो, महा प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन प्रभाग, श्री के. जी. सुब्रमणियन, महा प्रबंधक, एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग और श्री पी. आर. कारंत, महा प्रबंधक, ट्रेज़री एवं निवेश विभाग भी समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। श्री एस. आर. बंसल समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.13 ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना संदर्भ सं. 13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012 द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 01.03.2012 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति गठित की। ऋण अनुमोदन समिति ऐसे ऋण प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेगी जहाँ समग्र एक्सपोज़र ₹250 करोड़ से अधिक न हो। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बैंक के अधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे आने वाले ऋण प्रस्तावों और निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किए जा रहे ऋण प्रस्तावों पर ₹250 करोड़ की निर्दिष्ट सीमा तक ऋण अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और ऐसी सीमा से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। उपर्युक्त को देखते हुए, ऋण अनुमोदन समिति ऐसे ऋण प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेगी जहाँ एकल उधारकर्ता को समग्र ऋण ₹250 करोड़ से अधिक न हो तथा उधारकर्ता समूह हेतु ₹500 करोड़ से अधिक न हो। उक्त समिति को (i) ₹1.00 करोड़ तक का त्याग निहित अर्ली मॉर्टालिटी मामलों सहित ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों पर विचार करने तथा (ii) निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा दी गई मंजूरियों के संबंध में अनुमोदन करने/आशोधन करने/मंजूरी शर्तों में अशोधन/नों की अनुमति देने तथा उनके द्वारा दी गई मंजूरी की शर्तों में आशोधन करने का भी अधिकार होगा।

4.12 Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAP Committee)

The Reserve Bank of India has formulated guidelines in the lines of the new Capital Adequacy framework introduced by Basel II and Basel III which seeks to enhance the Basel I practices with the objective of strengthening the soundness and stability of the Banking system. The objectives of the policy are to ensure management of internal capital in accordance with the RBI Guidelines, Basel Guidelines and overall Corporate Governance Principles, to describe the process for identification, assessment, measurement and aggregation of the risks inherent in the Bank's business and operations, to ensure that the available capital is commensurate with the Bank's risk profile and to ensure that there is clear assignment of roles and responsibilities for facilitating the ICAAP.

The Committee consists of Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director, Shri Amar Lal Daultani and Shri B.K Srivastav – Executive Directors and Shri Kawaljit Singh Oberoi, director. The Committee meetings are also attended by Senior Executives of the Bank namely, Shri Paramasivam P, General Manager in charge of Credit Division, Shri C. G. Pinto, General Manager, Financial Management Division, Shri K. G. Subramanian, General Manager, Integrated Risk Management Division and Shri P. R. Karanth, General Manager, Treasury and Investment Department. Shri S. R. Bansal chairs the meetings of the Committee.

4.13 Credit Approval Committee

As per the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January, 2012, the Board of the Bank at its meeting held on 01.03.2012, constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any credit proposal where the aggregate exposure shall not exceed ₹250 crore. The credit proposals which exceed the powers delegated to the officials of the Bank including the Chairman and Managing Director and the credit proposals being considered by the Management Committee of the Board shall now be considered by the Credit Approval Committee up to the limit specified i.e. ₹250 crore and the credit proposals which exceed such limits shall be considered by the Management Committee of the Board. In view of the above, the Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of credit proposal where the aggregate exposure shall not exceed ₹250 crore to single borrower and ₹500 crore for group borrowers. The Committee is also empowered – (i) to consider loan compromise/write-off proposals including early mortality cases involving sacrifice up to ₹1.00 crore and (ii) to approve/modify/permit modification/s in sanction terms in respect of sanctions accorded by the Management Committee of the Board and to modify the terms of sanction accorded by it.

इस समिति के वर्तमान सदस्य हैं – श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अमर लाल दौलतानी और श्री बी. के. श्रीवास्तव – कार्यपालक निदेशक, ऋण प्रभाग, वित्तीय प्रबंधन प्रभाग और जोखिम प्रबंधन प्रभाग के प्रभारी महा प्रबंधक। समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. आर बंसल करते हैं। कृषि और वित्तीय समावेशन प्रभाग के प्रभारी महा प्रबंधक, महा प्रबंधक, एसएमई एवं खुदरा ऋण प्रभाग और महा प्रबंधक, वसूली प्रभाग भी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार से प्राप्त दिनांक 3 अप्रैल 2012 के निदेशों के अनुसार 1 मई, 2012 से आंचलिक कार्यालय और मंडल कार्यालय स्तर पर ऋण अनुमोदन समितियाँ गठित की गई हैं। ये समितियाँ ऐसे मंजूरी अधिकारों का प्रयोग करेंगी जो शाख़ा प्रबंधकों के प्रत्यायोजित ऋण अधिकारों से परे हैं परन्तु ऐसी समितियों की अध्यक्षता करने वाले कार्यपालकों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत हैं। जो प्रस्ताव मंडल कार्यालयों के महा प्रबंधकों को प्रत्यायोजित ऋण अधिकारों के परे हैं, उन्हें प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति/निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति/प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4.13.1 प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति:

ऋण/वसूली प्रस्तावों पर सुचारू और सामयिक निर्णय सुनिश्चित करने के लिए निनांक 27.06.2013 से प्रधान कार्यालय में कार्यपालक निदेशक के अधीन प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति गठित की गई है। यह समिति एकल उधारकर्ता के मामले में ₹75 करोड़ और उधारकार्ता समूह के बारे में ₹150 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं की मंजूरी और ₹50 लाख तक त्याग की राशि निहित समझौता/बट्टे खाते के लिखने के खातों की मंजूरी पर विचार करेगी। दोनों कार्यपालक निदेशक, ऋण, वित्त, जोखिम प्रबंधन, खुदरा ऋण और प्राथमिकता – प्राप्त क्षेत्र विकास के प्रभारी महा प्रबंधक उक्त समिति के सदस्य हैं। वसूली एवं कैप्स के महा प्रबंधक, उनके प्रभाग से संबंधित कार्यसूची पर विचार करते समय समिति की बैठक में उपस्थित होंगे। प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति को विनिर्दिष्ट ऋण सीमाओं से अधिक राशि के ऋण प्रस्तावों को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

4.14 मानव संसाधन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की संसूचना दिनांकित 21.03.2012 के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार यूनियनों/एसोसिएशनों और प्रबंधन के बीच विचारों के आदान–प्रदान हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 26.03.2012 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति गठित की है।

श्री एस. आर. बंसल, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अमर लाल दौलतानी और श्री बी. के. श्रीवास्तव – बैंक के कार्यपालक निदेशक, सुश्री एना रॉय (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष गुप्ता), भारत सरकार नामिती निदेशक, यू. एस. पालीवाल, भा. रि. बैंक. नामिती

The present members of the committee are Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director, Shri Amar Lal Daultani and Shri B. K. Srivastav – Executive Directors, General Managers in charge of Credit Division, Financial Management Division and Risk Management Division. The committee meetings are chaired by Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director of the Bank. General Manager in charge of Agriculture and Financial Inclusion Division, General Manager, SME and Retail Lending Division and General Manager, Recovery Division, also present their proposals to the Committee.

Further to this, as per the directions dated 3rd April, 2012 received from the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Credit Approval Committees have been constituted at Zonal Office and Circle Office levels with effect from 1st May, 2012. These committees shall exercise sanctioning powers, which are beyond the delegated lending powers of the Branch Managers, but are within the delegated lending powers of the Executives heading such committees. Proposals which are beyond the delegated lending powers of the General Managers at Circle Office level will be referred to the Head Office level Credit Committee/Credit Approval Committee of the Board/Management Committee of the Board.

4.13.1 Head Office Level Credit Committee:

With a view to ensure smooth and timely decisions on Credit/ Recovery proposals, Head Office Level Credit Committee headed by the Executive Director, has been constituted at Head Office of the Bank with effect from 27.06.2013, to consider sanction of credit facilities upto ₹75 crore to a single borrower and upto ₹150 crore to group of borrowers and sacrifice amount upto ₹50 lakh for sanction of compromise/write-off proposals. Both the Executive Directors and General Managers in charge of Credit, Finance, Risk Management, Retail Lending and Development of Priority Sector constitute the members of the committee. General Managers in charge of Recovery and CAPS, shall be present at the committee meeting when agendas pertaining to their division are presented. Credit proposals beyond the stipulated credit limits of the Head Office Level Credit Committee shall be referred to the Credit Approval Committee of the Board.

4.14 Human Resources Committee

As per the directives of the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, New Delhi, vide their communication dated 21.03.2012, the Board of the Bank at its meeting held on 26.03.2012, constituted the HR Committee of the Board to provide for interaction between unions/associations and the management.

Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director of the Bank, Shri Amar Lal Daultani and Shri B. K. Srivastav – Executive Directors of the Bank, Ms. Anna Roy (till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014), Government of India Nominee Director, Shri. U. S. Paliwal, RBI Nominee Director,

निदेशक, श्री विन्सेंट डि'सूज़ा, कामगार कर्मचारी निदेशक और श्री एकनाथ बालिगा, अधिकारी कर्मचारी निदेशक उक्त समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. आर. बंसल करते हैं।

4.15 प्रतिभूति आबंटन समिति

बेसल III के अंतर्गत बैंक की पूँजी अपेक्षा पूरी करने के लिए बैंक को भविष्य में हर वर्ष आवश्यकता के आधार पर शेयरों तथा/अथवा बाँडों को जारी करते हुए पूँजी जुटानी पड़ सकती है। अतः बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 11 नवंबर, 2013 को ऐसे मामलों में ईक्विटी शेयरों/बाँडों के आबंटन पर विचार करने के लिए "निदेशक मंडल की प्रतिभूति आबंटन समिति" नाम की एक समिति गठित की। यह समिति स्थाई प्रकृति की है और निदेशक मंडल के निदेशों के अनुसार कार्य करेगी। समिति का गठन 5 निदेशकों से किया गया अर्थात् श्री अमर लाल दौलतानी और श्री बी. के. श्रीवास्तव – बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री बोनम वेंकट भास्कर, श्री कवलजीत सिंह ओबेरॉय और श्री एस. शब्बीर पाशा, निदेशक। श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक द्वारा समिति की अध्यक्षता की जाती है।

4.16 वसूली निगरानी समिति

वसूली हेतु सुदृढ़ निगरानी तंत्र के लिए वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपनी संसूचना दिनांक 21.11.2012 द्वारा नियमित आधार पर वसूली में प्रगति की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की एक समिति गठित करने और मासिक आधार पर उसकी रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने को सूचित किया। दिनांक 26.11.2012 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उक्त समिति के गठन को अनुमोदित किया गया। समिति का गठन 4 निदेशकों से किया गया अर्थात् श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अमर लाल दौलतानी और श्री बी. के. श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक और सुश्री एना रॉय (15.04.2014 तक और 16.04.2014 से श्री मनीष गुप्ता), सरकारी नामिती निदेशक। उक्त समिति की बैठकों में अध्यक्षता श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.17 अन्य समितियाँ

क्रमशः 29.10.2009 और 20.10.2010 को गठित कारोबार/प्रबंधन/परिचालनात्मक परामर्शदाताओं के चयन के लिए निदेशक मंडल की समिति और वित्तीय समावेशन समिति केसाथ-साथ निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2011-2015 हेतु निर्धारित दीर्घावधि योजना (एलआरएपी) के संदर्भ में 5 अन्य उप-समितियाँ भी गठित की जैसे (i) बीमा/आस्ति प्रबंधन कंपनी/पैरा बैंकिंग क्रियाकलाप समिति, (ii) कारोबार प्रक्रिया पुनर्निर्धारण, उत्पादकता संवर्धन और शाखा कार्य प्रवाह समिति, (iii) आईटी सेवाओं, कोर बैंकिंग समाधान तथा भुगतान उत्पाद और सेवाएं संवर्धन समिति, (iv) ट्रेज़री परिचालन/विदेश में विस्तार/उत्पाद पेशकश और जोखिम प्रबंधन समिति और (v) शेयरधारक निदेशक हेतु मतदान पर विचार करने हेतु समिति। दिनांक 04.05.2012 को निदेशक मंडल ने महा प्रबंधकों की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा हेतु

Shri Vincent D'Souza, Workmen Employee Director and a Shri Ekanath Baliga, Officer Employee Director are the members of the committee. The committee meetings are chaired by Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director of the Bank.

4.15 Securities Allotment Committee

To meet the Capital requirement of the Bank under Basel-III, the Bank may have to raise capital by way of issue of shares and/or Bonds, etc., every year in future, on need based requirement. The Board of the Bank, therefore, constituted a committee on 11th November 2013, called the "Securities Allotment Committee of the Board", to consider the allotment of Equity shares/Bonds in such cases. The committee is of permanent nature and will act as per the directions of the Board. The committee was constituted with 5 Directors viz., Shri Amar Lal Daultani and Shri B. K. Srivastav – Executive Directors of the Bank, Shri. Bonam Venkata Bhaskar, Shri Kawaljit Singh Oberoi and Shri S. Shabbeer Pasha, Directors, as other members. The committee meetings are chaired by Shri Amar Lal Daultani, Executive Director.

4.16 Recovery Monitoring Committee

In order to have a robust monitoring mechanism for recovery, the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, New Delhi, vide their communication dated 21.11.2012, advised to constitute a Committee of the Board for Monitoring the progress in Recovery on a regular basis and to submit its report to the Board on a monthly basis. The constitution of the committee was approved by the Board in its meeting held on 26.11.2012. The committee was constituted with 4 Directors viz., Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director, Shri Amar Lal Daultani and Shri B. K. Srivastav, Executive Directors and Ms. Anna Roy (till 15.04.2014 and Shri Manish Gupta, w.e.f. 16.04.2014), the Government Nominee Director. The meetings of the committee are chaired by Shri S. R. Bansal, the Chairman and Managing Director.

4.17 Other Committees

Along with the Committee of the Board for Selection of Business/Management/Operation Consultants for the Bank and the Financial Inclusion Committee, formed by the Board on 29.10.2009 and 20.10.2010 respectively, the Board also formed 5 other Sub-committees like (i) Insurance/Asset Management Company/Para Banking activity Committee, (ii) Business Process Re-engineering, Productivity enhancement and branch work flow Committee, (iii) Enhancement of IT services, Core Banking solutions and Payment Products and Services Committee, (iv) Treasury Operations/Overseas expansion/Product Offerings and Risk Management Committee, in the context of the Long Range Plan (LRP) set for the Financial Year 2011–2015 and (v) Committee to consider voting for shareholder Director. The Board, on 04.05.2012, also formed

समिति नाम की एक समिति भी गठित की है। वर्ष के दौरान कारोबार प्रक्रिया पुनर्निर्धारण, उत्पादकता संवर्धन और शाखा कार्य प्रवाह समिति के क्रमशः दिनांक 23.10.2013 और 12.03.2014 को दो बैठकें आयोजित की गईं और दिनांक 23.10.2013 को बीमा/आस्ति प्रबंधन कंपनी/पैरा बैंकिंग क्रियाकलाप समिति की एक बैठक आयोजित की गई। अन्य उप-समितियों की कोई भी बैठक वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित नहीं की गई। आईटी सेवाओं, कोर बैंकिंग समाधान तथा भुगतान उत्पाद और सेवाएं समिति को वर्ष के दौरान समाप्त की गई।

5. निदेशकों को पारिश्रमिक

5.1 भारत सरकार नामिती निदेशक और भा.रि.बैंक नामिती निदेशक को छोड़कर गैर-कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड व समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

5.2 वर्ष 2013-14 हेतु बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को नियुक्ति की निर्धारित शर्तों तथा केन्द्र सरकार द्वारा तैयार प्रोत्साहन योजना के अनुसार प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण निम्नवत् हैं।

a committee called the committee to review the appraisal report of General Managers, During the year two meetings of Business Process Re-engineering, Productivity enhancement and branch work flow Committee was held on 23.10.2013 and 12.03.2014 respectively, and one meeting of the Insurance/ Asset Management Company/Para Banking activity Committee was held on 23.10.2013. No meetings of other sub-committees have taken place during the financial year 2013-14. The Enhancement of IT services, Core Banking solutions and Payment Products and Services Committee has since been dissolved during the year.

5. Remuneration to Directors

5.1 Only sitting fees as prescribed by the Government of India for attending Board and Committee meetings are paid to the non executive and non executive independent directors except Government of India nominee director and RBI Nominee Director.

5.2 The details of remuneration paid to the whole-time Directors of the Bank, i.e., Chairman & Managing Director and the Executive Directors, as per terms and conditions of appointment fixed and Performance linked incentive Scheme framed by the Central Government, i.e. for the year 2013-14 is furnished hereunder.

(₹ में/in ₹)

विवरण Particulars	श्री अजय कुमार, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Ajai Kumar, Ex. Chairman and Managing Director	श्री एस. आर. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S. R. Bansal, Chairman and Managing Director	श्री अमर लाल दौलतानी, कार्यपालक निदेशक Shri Amar Lal Daultani, Executive Director	श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक Shri Bibhas Kumar Srivastav, Executive Director
वेतन Salary	5,13,078.60	9,76,272.86	16,93,557.40	16,87,345.97
निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन Performance Linked Incentive	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
कुल Total	5,13,078.60	9,76,272.86	16,93,557.40	16,87,345.97
स्टॉक विकल्प Stock Option	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

6. वर्ष 2013-14 हेतु बैंक में कार्पोरेट अभिशासन के संबंध में सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

6. In terms of the Clause 49 of the Listing Agreement for Equity, a Certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2013-14 and the same is annexed to this report.

7. महासभा

7.1 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, महासभा में शेयरधारक तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने, अनुमोदन करने तथा अपनाने के लिए पात्र हैं।

7. General Meetings

7.1 In terms of the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the shareholders at the Annual General Meeting are entitled to discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit and Loss account, the report of the Board of Directors and the Auditors' Report.

7.2 पिछली तीन वार्षिक महासभा के विवरण

7.2 Particulars of past three Annual General Meetings

वित्त वर्ष Financial Year	2010-2011	2011-2012	2012-2013
वार्षिक महासभा का समय और दिनांक Date & Time of the AGM	09.07.2011 समय: पूर्वाह्न 10.00 बजे 09.07.2011 Time 10.00 a.m	29.06.2012 समय: पूर्वाह्न 10.30 बजे 29.06.2012 Time 10.30 a.m	25.06.2013 समय: पूर्वाह्न 10.30 बजे 25.06.2013 Time 10.30 a.m
स्थान Venue	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore
पारित विशेष संकल्प Special Resolutions passed	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

7.3 असाधारण महासभा

भारत सरकार को अधिमान आधार पर 1,46,27,486 ईक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटन पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए प्रधान कार्यालय, मंगलूर में बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण महासभा आयोजित की गई थी, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

7.3 Extraordinary General Meeting

An Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank was held at H.O., Mangalore, to consider and approve the issue and allotment of 1,46,27,486 equity shares on preferential basis to Government of India, the details of which are as follows :

बैठक का दिनांक और समय Date and Time of the Meeting	स्थान Venue	उद्देश्य Purpose	एकमत से पारित विशेष संकल्प Special Resolutions passed unanimously
16 दिसंबर 2013 पूर्वाह्न 11.00 बजे 16th December, 2013 at 11.00 a.m.	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore	₹450 करोड़ की पूँजी निवेश करने के भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करते हुए भारत सरकार को अधिमान आधार पर 1,46,27,486 ईक्विटी शेयरों के निर्गम और सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VIII के अनुसार एक या अधिक किस्तों में अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के आधार पर अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ऐसी संख्या में कुल ₹1000 करोड़ तक के प्रत्येक ₹10/- के बैंक के ईक्विटी शेयरों, जिनकी कीमत सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार परिकलित की जाएगी, का सृजन, पेशकश, निर्गमन और आबंटन को अनुमोदित करने के लिए। To approve the issue of 1,46,27,486 Equity shares on preferential basis to Government of India in consideration of the Govt. of India, Ministry of Finance proposal to infuse capital to the tune of ₹450 crore crore and to create, offer, issue and allot such number of equity shares of the Bank of ₹10/- each at a price to be calculated in terms of SEBI (ICDR) Regulations, aggregating upto ₹1000 crore on Qualified Institutions Placement (QIP) basis to the Qualified Institutional Buyers (QIBs), in one or more tranches, in terms of Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations.	भारत सरकार को अधिमान आधार पर 1,46,27,486 ईक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटन और सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VIII के अनुसार एक या अधिक किस्तों में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को क्यूआईपी के निजी स्थानन द्वारा कुल ₹1000 करोड़ तक की अतिरिक्त पूँजी जुटाने को अनुमोदित किया। Approved the issue and allotment of 1,46,27,486 equity shares on preferential basis to Government of India and raising of further capital aggregating upto ₹1000 crore by way of QIP issue on private placement basis to Qualified Institutional Buyers (QIBs), in one or more tranches, in terms of Chapter VIII of SEBI (ICDR) Regulations.

7.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाण पत्र

ईक्विटी सूचीकरण करार के उपबंध 49 के तहत सीईओ तथा सीएफओ प्रमाण पत्र बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है तथा एक प्रति कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

8. महत्वपूर्ण प्रकटन

8.1 प्रबंधन ('निदेशक मंडल' के रूप में परिभाषित) के महत्वपूर्ण वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेनों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिसके बैंक के हितों से विरोध की संभावना हो तो उसकी निदेशक मंडल को समय-समय पर सूचना दी गयी है।

8.2 बैंक ने पूँजी बाजार से संबद्ध मामलों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और गत तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक की न तो निंदा की गई न बैंक पर कोई जुर्माना लगाया गया। किसी भी कार्मिक को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से मना नहीं किया गया है। बैंक ने सांविधिक समयावधि के भीतर वार्षिक महासभा आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया है।

बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए लागू सीमा तक भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुसरण किया है।

9. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य अपेक्षाएँ

9.1 बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ ईक्विटी सूचीकरण करार के खंड 49 में दी गई सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है ।

9.2 गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की सीमा का विवरण निम्नवत् है:

7.4 CEO & CFO Certificate

The certificate of CEO & CFO under Clause 49 of Listing Agreement for Equity has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to the Corporate Governance Report.

8. Material Disclosures

8.1 Material, financial and commercial transactions of the management (defined as 'Board of Directors'), where they have personal interest, that may have a potential conflict with the interest of the bank at large have been reported to the Board from time-to-time.

8.2 The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and as such not been penalised or imposed with strictures by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authority during the last three years. No personnel has been denied access to Audit Committee of the Board. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

The bank has followed the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India, to the extent applicable to a Public Sector Bank.

9. Mandatory and non-mandatory requirements

9.1 Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement for Equity entered into with the Stock Exchanges.

9.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder:

	अपेक्षा Requirement	अनुपालन Compliance
9.2.1	**निदेशक मंडल** – गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय के लिए पात्र हों तथा अपने कर्तव्य के निष्पादन में वहन किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए भी उन्हें अनुमति दी जाए। **The Board** – A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the Bank's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	बैंक की अध्यक्षता कार्यपालक अध्यक्ष करते हैं और अतः यह अपेक्षा लागू नहीं है। The Bank is chaired by an Executive Chairman and as such this requirement is not applicable.
9.2.2	**शेयरधारक अधिकार** – पिछले छः माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय निष्पादन की अर्ध वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जाए। **Shareholder Rights** – A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	इसे बैंक की वेबसाइट में अपलोड किया गया है। It has been uploaded in the website of the Bank.

	अपेक्षा Requirement	अनुपालन Compliance
9.2.3	**लेखा–परीक्षा शर्तें** – बैंक शर्त–रहित वित्तीय विवरणों की प्रणाली अपनाए। **Audit qualifications** – Bank may move towards a regime of unqualified financial statements.	प्रबंधन–वर्ग इन दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करता है। 2013–14 के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में कोई सशर्त टिप्पणी नहीं है। The Management endeavours to confirm to the guidelines. The Audit Report on Financial Statements for 2013-14, do not contain qualified remarks.
9.2.4	**अध्यक्ष और सीईओ के अलग–अलग पद** – बैंक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/सीईओ के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं **Separate Posts of Chairman and CEO** – The Bank may appoint separate persons to the post of Chairman and Managing Director/CEO	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्तियाँ/नामांकन किए जाते हैं। The appointments/nominations are made by Ministry of Finance, Govt. of India.
9.2.5	**आंतरिक लेखा–परीक्षक की रिपोर्टिंग** – आंतरिक लेखा–परीक्षक निदेशक–मंडल की लेखा–परीक्षा समिति (एसीबी) को सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। **Reporting of Internal Auditor** – The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee of the Board (ACB)	निरीक्षण एवं लेखा–परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सूचना एवं उपयुक्त निदेशों हेतु बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। एसीबी के निदेशों को बकायदा समेकित किया जाता है और एसीबी को प्रतिसूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। All important inspection and audit findings are placed before the Audit Committee of the Board for information and suitable directions. The directions of ACB are promptly complied with and feed back reports are submitted to ACB.

10. आचार संहिता

निदेशक मंडल द्वारा 17.12.2005 को आचार संहिता तैयार की गई। यह पुष्टि की जाती है कि वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल के सदस्यों तथा बैंक के महा प्रबंधकों द्वारा इनका अनुपालन किया गया। इस रिपोर्ट के अंत में इस आशय की घोषणा संलग्न है।

10. Code of Conduct

The Board framed Code of Conduct on 17.12.2005. It is hereby affirmed that Board members and General Managers of the Bank have complied with this requirement on Annual basis. A declaration to this effect is attached at the end of this report.

11. संसूचना के माध्यम

11.1 त्रैमासिक वित्तीय परिणाम निर्धारित समय के भीतर ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए गए जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, त्रैमासिक वित्तीय परिणाम एक राष्ट्रीय समाचार–पत्र और मंगलूर के एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार–पत्र में भी प्रकाशित किए गए हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान त्रैमासिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में निम्नानुसार प्रकाशित किए गए।

11. Means of Communication

11.1 Quarterly financial results are submitted within the time frame, to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed. Further, the quarterly financial results are also published in at least one national newspaper and one regional language newspaper based at Mangalore. During the year 2013-14, the quarterly financial results were published in the newspapers as under.

तिमाही समाप्त/बोर्ड की बैठक की तारीख Quarter ended/Date of Board Meeting	अंग्रेजी/क्षेत्रीयदैनिक का नाम Name of the English/ Regional daily	प्रकाशन की तारीख Date of Publication
मार्च March, 2013/ 08.05.2013	दि फाइनेंश्यल एक्सप्रेस, बिज़नेस स्टैंडर्ड, बिज़नेस लाइन, मिंट, उदयवाणी The Financial Express, Business Standard, Business Line, Mint and Udayavani	09.05.2013
जून June, 2013/ 27.07.2013	बिज़नेस लाइन और उदयवाणी Business Line and Udayavani	28.07.2013
सितंबर September, 2013/ 11.11.2013	बिज़नेस लाइन और उदयवाणी Business Line and Udayavani	12.11.2013
दिसंबर December, 2013/ 07.02.2014	बिज़नेस लाइन और उदयवाणी Business Line and Udayavani	08.02.2014

11.2 वित्तीय परिणाम, बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियाँ, विश्लेषकों को किया गया प्रस्तुतीकरण, सामान्य शेयरधारक सूचना, बाजार मूल्य डाटा, शेयर धारिता पैटर्न आदि बैंक की वेबसाईट www.corpbank.com में भी दिये जाते हैं।

11.3 वर्ष 2013-14 के दौरान नामिती/नियुक्त निदेशक तथा वर्तमान निदेशकों का एक संक्षिप्त परिचय इस रिपोर्ट के साथ पैरा सं. 3.9 में संलग्न है।

12. सामान्य शेयरधारक सूचना

12.1 वार्षिक महासभा के विवरण:

11.2 The financial results, press releases issued by the Bank, presentation made to analysts, general shareholder information, market price data and shareholding pattern etc. are also put on the website of the Bank www.corpbank.com

11.3 A brief resume of the Directors nominated/appointed during the year 2013-14 and the existing Directors is appended in this report under para No. 3.9.

12. General Shareholder Information

12.1 Particulars of Annual General Meeting:

दिन और दिनांक Day & Date	गुरुवार Thursday, 26.06.2014
समय Time	पूर्वाह्न 10.30 बजे 10.30 a.m.
स्थान Venue	सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय एवं कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर - 575 001 Millennium Building, Corporation Bank Head Office & Corporate Office, Mangalore – 575 001
वित्तीय वर्ष Financial Year	अप्रैल 2013 से मार्च 2014/April 2013 to March 2014
वार्षिक महासभा करने हेतु तथा लाभांश, यदि कोई हो, हेतु लेखा-बही बंदी के दिनांक Dates of Book Closure for the AGM and dividend, if any	17.06.2014 से 26.06.2014 (दोनों दिनों सहित) 17.06.2014 to 26.06.2014 (both days inclusive)
वर्ष 2013-14 हेतु लाभांश: अंतरिम लाभांश Dividend for the year 2013-14: Interim Dividend अंतिम लाभांश Final Dividend	31.01.2014 को ₹10/- के प्रत्येक ईक्विटी शेयर हेतु ₹4.50 के लाभांश का भुगतान किया गया ₹4.50 dividend paid per Equity share of ₹10/- each on 31.01.2014. ₹10/- के प्रत्येक ईक्विटी शेयर हेतु ₹2.25 का लाभांश संस्तुत ₹2.25 dividend recommended per Equity share of ₹10/- each.
वार्षिक महासभा में अंतिम लाभांश घोषित करने पर उसके भुगतान की संभावित तिथि Tentative date of payment of final dividend if declared in the AGM	3 जुलाई, 2014 को या उसके बाद On or after 3rd July, 2014.

12.2 सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक कूट:

12.2 Stock Exchanges listed & stock code:

क्र.सं. Sl. No.	स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	स्टॉक कूट Stock Code	थोक कर्ज सूचीकरण कूट Wholesale Debt Listing Code
1.	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई), प्रथम तल, न्यू ट्रेडिंग रिंग रोतुन्डा बिल्डिंग, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400 001 Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, MUMBAI – 400 001	532179	शून्य (सूचीबद्ध नहीं) NIL (not Listed)
2.	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, 5 वाँ तल, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बाँद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बाँद्रा (पू), मुंबई - 400 051 National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI – 400 051	CORP BANK	प्रतिभूति प्रकार : BB SecurityType: BB प्रतिभूति : CORB Security : CORB

आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु सूचीकरण शुल्क उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंजों को तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को ऋण सूचीकरण शुल्क भी 16.04.2014 को विप्रेषित कर दिया गया है।

12.3 बैंक का वित्तीय कैलेंडर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 माह की अवधि का है।

The Listing Fee for the next financial year 2014-15, for Equity Listing, has already been remitted to the above Stock Exchanges and also the Debt Listing Fee remitted to National Stock Exchange of India Ltd., on 16.04.2014.

12.3 The financial calendar of the Bank is from 1st April to 31st March, comprising 12 months period.

12.3.1 वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

12.3.1 Financial performance is as under:

(₹ लाखों में/ ₹ in lakhs)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	समाप्त तिमाही Quarter Ended			समाप्त वर्ष Year ended		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.12.2013 (समीक्षित) 31.12.2013 (Reviewed)	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2013 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2013 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2014 (Audited) Consolidated	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2013 (Audited) Consolidated
1.	अर्जित ब्याज (क+ख+ग+घ) Interest earned (a)+(b)+(c)+(d)	464435.36	460874.96	406809.75	1795856.91	1533408.27	1795856.91	1533408.27
	(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा (a) Interest / Discount on Advances / Bills	341464.55	337523.08	305904.53	1321597.25	1144892.79	1321597.25	1144892.79
	(ख) निवेशों पर आय (b) Income on Investments	109681.13	109632.13	90735.95	424219.53	343174.76	424219.53	343174.76
	(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज (c) Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	659.10	201.72	1004.43	1573.39	4157.63	1573.39	4157.63
	(घ) अन्य (d) Others	12630.58	13518.03	9164.84	48466.74	41183.09	48466.74	41183.09
2.	अन्य आय Other Income	38826.30	33859.15	56739.81	164771.79	160793.83	165718.96	161993.40
3.	**कुल आय (1+2) TOTAL INCOME (1+2)**	**503261.65**	**494734.11**	**463549.56**	**1960628.70**	**1694202.10**	**1961575.87**	**1695401.67**
4.	व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	373687.65	360714.17	313731.90	1417488.21	1190823.44	1417407.54	1190643.50
5.	परिचालन व्यय (i) + (ii) Operating Expenses (i) + (ii)	65918.75	59665.68	57571.22	239200.76	199678.12	239232.49	199720.68
	(i) कर्मचारी लागत (i) Employees cost	32893.31	29632.28	28431.73	119023.77	99030.65	119041.46	99054.08
	(ii) अन्य परिचालन व्यय (ii) Other Operating Expenses	33025.44	30033.40	29139.49	120176.99	100647.47	120191.03	100666.60
	(ब्याज व्यय को छोड़कर कुल व्यय के 10% से अधिक सभी मदों को अलग से दर्शाया जाए) (All items exceeding 10% of the total expenditure excluding interest expenditure may be shown separately)							
6.	कुल व्यय (4+5) (प्रावधानों और आकस्मिकताओं को छोड़कर) TOTAL EXPENDITURE (4+5) (Excluding Provisions and contingencies)	439606.40	420379.85	371303.12	1656688.97	1390501.56	1656640.03	1390364.19

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	समाप्त तिमाही Quarter Ended			समाप्त वर्ष Year ended		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.12.2013 (समीक्षित) 31.12.2013 (Reviewed)	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2013 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2013 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2014 (Audited) Consolidated	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2013 (Audited) Consolidated
7.	प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं के पूर्व परिचालन लाभ (3–6) Operating Profit before Provisions and Contingencies (3-6)	63655.25	74354.26	92246.44	303939.73	303700.54	304935.84	305037.49
8.	**प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिकताएं Provisions (other than tax) and Contingencies**	82452.81	82633.46	45992.56	279770.88	135140.20	279770.87	135140.20
9.	असाधारण मदें Exceptional items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	सामान्य कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (7–8–9) Profit (+)/Loss (-) from ordinary Activities before tax (7-8-9)	-18797.54	-8279.20	46253.88	24168.86	168560.34	25164.97	169897.29
11.	कर व्यय Tax Expense	-22954.58	-20948.42	10700.78	-32003.00	25092.86	-31683.62	25573.06
12.	सामान्य कार्यकलापों से कर के पश्चात् निवल लाभ (+)/हानि(–) (10–11) Net Profit (+)/Loss (-) from ordinary Activities after tax (10-11)	4157.04	12669.22	35553.10	56171.86	143467.48	56848.59	144324.23
13.	असाधारण मदें (कर व्ययों का निवल) Extraordinary items (net of tax expense)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	अवधि हेतु निवल लाभ (+)/हानि (–) (12–13) Net Profit (+)/Loss (-) for the period (12-13)	4157.04	12669.22	35553.10	56171.86	143467.48	56848.59	144324.23
15.	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹10 है) Paid-up equity share capital (Face value of the Share is ₹10)	16754.19	16754.19	15291.44	16754.19	15291.44	16754.19	15291.44
16.	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों को छोड़कर अन्य आरक्षित निधियां (पिछले लेखा–वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार) Reserves excluding revaluation reserves (as per balance sheet of previous accounting year)	991756.37	941278.28	941278.28	991756.37	941278.28	995237.41	944960.05

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	समाप्त तिमाही Quarter Ended			समाप्त वर्ष Year ended		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.12.2013 (समीक्षित) 31.12.2013 (Reviewed)	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2013 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2013 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2014 (Audited) Consolidated	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2013 (Audited) Consolidated
17.	विश्लेषणात्मक अनुपात Analytical Ratios							
	(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत (i) Percentage of shares held by Government of India	63.33%	63.33%	59.82%	63.33%	59.82%	63.33%	59.82%
	(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (ii) Capital Adequacy Ratio							
	बेसल II Basel II	12.21%	12.56%	12.33%	12.21%	12.33%	12.28%	11.47%
	टियर I Tier I	8.37%	8.45%	8.33%	8.37%	8.33%	8.42%	7.75%
	टियर II Tier II	3.84%	4.11%	4.00%	3.84%	4.00%	3.86%	3.72%
	बेसल III Basel III	11.64%	11.89%	NA	11.64%	NA	11.68%	NA
	टियर I Tier I	8.14%	8.17%	NA	8.14%	NA	8.17%	NA
	टियर II Tier II	3.50%	3.72%	NA	3.50%	NA	3.51%	NA
	(iii) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (₹) (iii) Earning Per Share (EPS) (in ₹)							
	क) इस अवधि के, चालू वर्ष तथा गत वर्ष हेतु असाधारण मदों (कर व्ययों का निवल) से पहले मूलभूत तथा तनूकृत ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं) a) Basic and diluted EPS before Extraordinary items (net of tax expense) for the period, for the year to date and for the previous year (Not annualised)	2.48	8.16	23.92	35.75	96.74	36.18	97.32
	ख) इस अवधि के, चालू वर्ष तथा गत वर्ष हेतु असाधारण मदों के बाद मूलभूत तथा तनूकृत ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं) b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items for the period, for the year to date and for the previous year (not annualised)	2.48	8.16	23.92	35.75	96.74	36.18	97.32

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	समाप्त तिमाही Quarter Ended			समाप्त वर्ष Year ended		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.12.2013 (समीक्षित) 31.12.2013 (Reviewed)	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2013 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2013 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2014 (Audited) Consolidated	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2013 (Audited) Consolidated
	(iv) एनपीए अनुपात (iv) NPA Ratios							
	(क) सकल एनपीए (a) Gross NPA	473679.31	384420.21	204822.98	473679.31	204822.98	473679.31	204822.98
	(ख) निवल एनपीए (b) Net NPA	318055.96	265362.93	141087.89	318055.96	141087.89	318055.96	141087.89
	(ग) सकल एनपीए का % (c) % of Gross NPA	3.42%	3.08%	1.72%	3.42%	1.72%	3.42%	1.72%
	(घ) निवल एनपीए का % (d) % of Net NPA	2.32%	2.15%	1.19%	2.32%	1.19%	2.32%	1.19%
	(v) आस्तियों पर प्रतिलाभ (v) Return on Assets	0.08%	0.26%	0.81%	0.29%	0.88%	0.29%	0.89%
18.	सार्वजनिक शेयरधारिता Public Shareholding							
	शेयरों की संख्या (वास्तविक) Number of Shares (in lakhs)	614.37	614.37	614.37	614.37	614.37	614.37	614.37
	शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of Share Holding	36.67%	36.67%	40.18%	36.67%	40.18%	36.67%	40.18%
19.	प्रवर्तकों तथा प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता Promoters and Promoter Group Shareholding							
	(क) गिरवीकृत/भारग्रस्त (a) Pledged/ Encumbered							
	शेयरों की संख्या Number of Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता के % के रूप में) Percentage of Shares (as a % of the total shareholding of promoter and promoter group)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की शेयर पूँजी के % के रूप में) Percentage of Shares (as a % of the total share capital of the Company)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ख) भार–रहित (b) Non-encumbered							
	शेयरों की संख्या (लाखों में) Number of Shares (in lakhs)	1061.05	1061.05	914.77	1061.05	914.77	1061.05	914.77

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	समाप्त तिमाही Quarter Ended			समाप्त वर्ष Year ended		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.12.2013 (समीक्षित) 31.12.2013 (Reviewed)	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2013 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2014 (Audited)	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) 31.03.2013 (Audited)	31.03.2014 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2014 (Audited) Consolidated	31.03.2013 (लेखा–परीक्षित) समेकित 31.03.2013 (Audited) Consolidated
	शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता के % के रूप में) Percentage of Shares (as a % of the total shareholding of promoter and promoter group)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की शेयर पूँजी के % के रूप में) Percentage of Shares (as a % of the total share capital of the Company)	63.33%	63.33%	59.82%	63.33%	59.82%	63.33%	59.82%

बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लि. सहित समेकित वित्तीय विवरण।

12.4 स्टॉक मार्केट डाटा – वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में लेनदेन किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक अधिकतम और न्यूनतम दर निम्नानुसार है:

Consolidated financial statement is inclusive of the wholly owned subsidiary of the Bank, namely, Corp Bank Securities Ltd.

12.4 Stock Market Data – The monthly high & low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange (NSE) and the Bombay Stock Exchange – Mumbai (BSE) during the financial year 2013-14 are as follows:

माह Month	एनएसई NSE			बीएसई BSE		
	अधिकतम High (₹)	न्यूनतम Low (₹)	माह के दौरान मात्रा (सं) Volume (Nos.) during the month	अधिकतम High (₹)	न्यूनतम Low (₹)	माह के दौरान मात्रा (सं) Volume (Nos.) during the month
अप्रैल APRIL	393.90	377.25	1227334	394.30	377.70	187811
मई MAY	426.80	374.60	5616860	426.90	357.70	992599
जून JUNE	388.65	341.40	1103752	387.20	342.35	209733
जुलाई JULY	355.80	286.45	1274682	355.80	286.90	263304
अगस्त AUGUST	283.60	249.80	1161187	284.20	250.05	231371
सितंबर SEPTEMBER	284.35	240.80	2354844	285.25	240.45	399331
अक्तूबर OCTOBER	285.40	250.20	1527893	286.05	250.20	241021
नवंबर NOVEMBER	315.70	264.30	3437970	317.15	264.80	770940
दिसंबर DECEMBER	275.50	255.15	2438321	274.70	255.95	466474
जनवरी JANUARY	272.05	248.15	2225577	272.00	248.70	610381
फरवरी FEBRUARY	250.65	223.80	1179085	250.70	223.50	204646
मार्च MARCH	276.90	226.30	2693777	276.70	226.85	401342

12.4.1 एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी में उतार–चढ़ाव की तुलना में बैंक की शेयर कीमत का निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:

12.4.1 Performance of Bank's share price in comparison with the movement of S & P CNX Nifty during the year 2013-14 is shown here below.

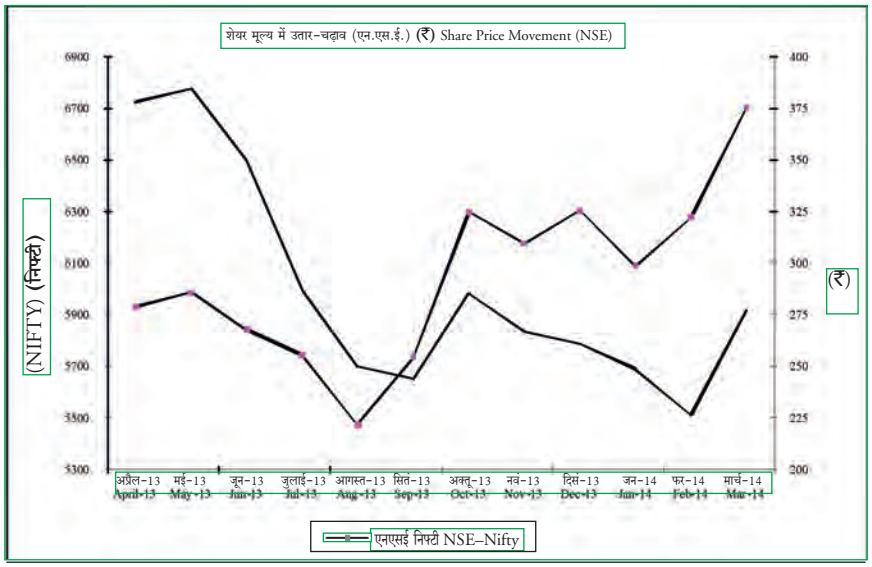

12.5 प्रति शेयर आंकड़े

12.5 Per Share Data

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
अंकित मूल्य Face Value (₹)	10	10	10	10	10
31 मार्च की स्थिति के अनुसार बाजार दर (₹) Market quotation as on 31st March (₹)	481.00	638.15	424.80	384.15	276.90
प्रत्येक ₹10 का प्रति शेयर अर्जन (₹) Earning Per Share of ₹10 each (₹)	81.58	98.50	102.50	96.74	35.75
प्रत्येक ₹10 का प्रति शेयर लाभांश (₹) Dividend per share of ₹10 each (₹)	16.50	20.00	20.50	19.00	4.50 अंतरिम interim 2.25 अंतिम final*
बही मूल्य Book Value (₹)	402.60	497.62	558.69	645.76	601.95
लाभांश अदायगी Dividend payout (%)	20.22	20.96	20.16	20.25	20.13

* प्रत्येक ₹10/– के शेयर हेतु ₹ 2.25 का लाभांश संस्तुत

* Final Dividend ₹2.25 per Share of ₹10/- each recommended.

12.6 शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट हैं, जिन्हें पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन, एनईसीएस अधिदेश (कागज़ी शेयरों के मामले में), शेयरों के अंतरण इत्यादि के बारे में संसूचनाएं भेजी जा सकती हैं। शेयर अंतरण एजेंट का पता निम्नानुसार है:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिटः कार्पोरेशन बैंक
प्लाट सं. 17–24, विठ्ठल राव नगर
माधापुर, हैदराबाद – 500 081
(दूरभाषः 040–44655115/117: फैक्सः 040–44655021)
टोल फ्री नंबर 1–800–3454–001
(ई–मेलः einward.ris@karvy.com)

12.6 Share Transfer Agent

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad is the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, to whom communications regarding change of address, change in Bank Mandate, NECS Mandate (in case of shares in physical mode), transfer of shares, etc. could be addressed. The address of Share Transfer Agent is as under:

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit: Corporation Bank
Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar
MADHAPUR, Hyderabad – 500 081
(Tel: 040-44655115/117: Fax: 040-44655021)
Toll Free No. 1-800-3454-001
(E-mail: einward.ris@karvy.com)

12.7 शेयर अंतरण प्रणाली

12.7.1 बैंक के ईक्विटी शेयरों से संबंधित सभी मामलों के निपटान करने के अधिकार के साथ 27 मार्च, 2004 से निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की गई। शेयरों का त्वरित अंतरण करने, शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने तथा रिमेटिरियलाज़ेशन करने हेतु उक्त समिति बारंबार अंतरालों में बैठकें करती रही हैं और यह इस संबंध में बोर्ड को सूचना प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है । वर्ष 2013-14 के दौरान उक्त समिति द्वारा 16 बार शेयर अंतरण समिति की बैठकों में तथा 3 बार परिपत्र संकल्पों के ज़रिए शेयर अंतरण अनुमोदित किए गए।

12.7.2 वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए शेयर अंतरणों की संख्या 9,900 है और 31 मार्च, 2014 को कोई शेयर अंतरण लंबित नहीं है।

12.7.3 स्थाई खाता संख्या (पैन): सेबी के अद्यतन निदेशों तथा सूचीकरण करार के संशोधन के अनुसार कागज़ी शेयरों के निम्नलिखित लेनदेन करने के लिए अंतरिती द्वारा पैन कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है:- शेयरों का अंतरण, मृत शेयरधारक(कों) के नाम का निरसन, कानूनी वारिसों को शेयरों का उत्तराधिकार अंतरण और शेयरों का क्रम परिवर्तन - जब नाम के क्रम में कोई परिवर्तन हो।

12.7.4 कार्पोरेट अभिशासन में पर्यावरण सजगता पहल

कार्पोरेट अभिशासन में पर्यावरण सजगता पहल के तहत, बैंक सभी सूचनाओं और वार्षिक महासभा एवं अन्य महासभा की सूचना, उसके व्याख्यात्मक विवरण, वार्षिक रिपोर्टें, तुलन-पत्र, निदेशकों की रिपोर्टें, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और पते में परिवर्तन, एनईसीएस के ज़रिए लाभांश के भुगतान की सूचना, शेयरों के अंतरण की सूचना आदि सहित अन्य शेयरधारक संसूचनाएं शेयरधारकों द्वारा यथास्थिति बैंक से या डिपॉज़िटरियों से पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजता रहा है। **शेयरधारकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी ई-मेल आईडी को अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) या मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., जो बैंक का रजिस्ट्रार है, से पंजीकृत/अद्यतन करवाएं ताकि बैंक इस पर्यावरण सजगता पहल का सहभागी हो सके।**

जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल पते नहीं दिए/अद्यतन नहीं किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड के बजाय उसकी मुद्रित प्रतियाँ (हार्ड कॉपी) प्राप्त करना चाहते हैं/करने का अनुरोध करते हैं, उन्हें संसूचनाओं/सूचनाओं और अन्य दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपियाँ ही भेजी जाएंगी। जिन शेयरधारकों को ई-मेल से भेजी वार्षिक रिपोर्टों की सॉफ्ट कॉपियाँ वापस आती हैं, उन्हें हार्ड कॉपियाँ भेजना भी सुनिश्चित किया जाता है।

12.7 Share Transfer System

12.7.1 With effect from 27th March, 2004, a Share Transfer Committee of the Board of Directors was constituted with powers to deal with all matters pertaining to equity shares of the Bank. The Committee had been meeting at frequent intervals for effecting speedy transfer of shares, issuance of duplicate share certificates and re-materialisation and is responsible for submission of information in this regard to the Board. The Share Transfers were approved by the Committee 16 times in the Share Transfer Committee Meetings and on 3 occasions through circular resolutions, during the year 2013-14.

12.7.2 Number of share transfers effected during the year 2013-14 was 9,900 and the pendency of share transfers as at 31st March, 2014 was NIL.

12.7.3 Permanent Account Number (PAN) : As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of PAN by the Transferee/s, is made mandatory for effecting following transactions of Physical shares:-Transfer of Shares, Deletion of name of the deceased shareholder/s, Transmission of shares to the legal heir/s and Transposition of shares – when there is a change in the order of names.

12.7.4 Green Initiative in Corporate Governance

As part of the Green initiative in Corporate Governance, the Bank has been sending all communications and documents such as Notices of AGM and other General Meetings, explanatory statements thereto, Annual Reports, Balance Sheets, Directors' Reports, Auditors Report and other shareholder communications including intimation regarding noting of Change of Address, intimation of payment of Dividend through NECS, intimation of Transfer of Shares etc., in electronic form to the e-mail address registered by the shareholders either with the Bank or with the Depositories as the case may be. **Shareholders are hereby requested to register/update their e-mail IDs with their Depository Participants (DPs) or M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Registrar of the Bank, as the case may be, at the earliest, to enable the Bank to be a part of this green initiative.**

Shareholders who have not provided/updated their e-mail addresses and/or expressed their desire/request to receive the same in printed copies (hard copies) instead of in electronic mode, shall be sent the communications/notices and other documents, as mentioned above, in hard copies only. It is also ensured to send hard copies of the Annual Reports to such of the shareholders in whose case the soft copies of the Annual Reports sent by e-mail have bounced back.

12.8 शेयर–धारिता का संवितरण

12.8.1 31.03.2013 की स्थिति की तुलना में 31.03.2014 के अनुसार शेयर धारिता का संवितरणः

12.8 Distribution of Shareholding

12.8.1 Distribution of shareholding as on 31.03.2014 vis-à-vis position as at 31.03.2013

धारित ईक्विटी शेयर Holding Equity Shares	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013				31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014			
	शेयर धारकों की सं. No. of share holders	कुल का % % to total	शेयरों की सं. No. of shares	कुल का % % to total	शेयर धारकों की सं. No. of shareholders	कुल का % % to total	शेयरों की सं. No. of shares	कुल का % % to total
Upto 5000 तक	48405	95.80	4213103	2.76	58181	99.50	8755327	5.23
5001 से to 10000	1064	2.10	832583	0.54	141	0.24	1003272	0.60
10001 से to 20000	443	0.88	658398	0.43	56	0.10	792758	0.47
20001 से to 30000	182	0.36	456886	0.30	26	0.05	654620	0.39
30001 से to 40000	89	0.18	311051	0.20	14	0.02	473293	0.28
40001 से to 50000	70	0.14	328911	0.22	7	0.01	309036	0.18
50001 से to 100000	106	0.21	767921	0.50	19	0.03	1281011	0.77
100001 व अधिक & above	167	0.33	145345538	95.05	29	0.05	154272560	92.08
कुल TOTAL	**50526**	**100.00**	**152914391**	**100.00**	**58473**	**100.00**	**167541877**	**100.00**

12.8.2 वर्ष के दौरान बैंक ने निदेशक मंडल और दिनांक 16 दिसंबर, 2013 को आयोजित असाधारण महासभा में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन करने पर भारत सरकार को अधिमान आधार पर 1,46,27,486 ईक्विटी शेयरों का निर्गमन और आबंटन किया जिसके विवरण इस रिपोर्ट के पैरा 7.3 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

12.8.2 During the year the Bank has issued and allotted 1,46,27,486 Equity Shares on Preferential basis to the Government of India on 20th December, 2013, on its approval by the Securities Allotment Committee of the Board and with the previous approval of the shareholders in the Extraordinary General Meeting held on 16th December, 2013, the details of which are furnished under para 7.3 of this report.

12.8.3 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न

12.8.3 Shareholding Pattern as on 31.03.2014

क्र. सं. Sl. No.	शेयरधारकों का प्रवर्ग Category of Shareholders	धारित शेयरों की सं. No. of shares held			कुल धारिता का % % to total holding
		कागज़ी Physical	डीमैट Demat	कुल Total	
1.	भारत के राष्ट्रपति President of India	–	106105177	106105177	63.33
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम LIC of India भारतीय जीवन बीमा निगम मार्केट प्लस–1 LIC of India Market Plus –1 भारतीय जीवन बीमा निगम – वेल्थ प्लस/LIC of India – Wealth Plus	–	35188864 1568647 1000000	37757511	22.54
3.	भारतीय वित्तीय संस्थाएं Indian Financial Institutions	–	2731876	2731876	1.63
4.	म्यूचुअल फंड और यूटीआई Mutual Funds & UTI	100	3511428	3511528	2.10
5.	निगमित निकाय (आईसीबी) Bodies Corporate (ICBs)	16500	2110154	2126654	1.27
6.	बैंक Banks	200	154256	154456	0.09
7.	विदेशी संस्थागत निवेशक Foreign Institutional Investors	1100	4465072	4466172	2.67
8.	ओसीबी OCBs	5100	–	5100	0.00
9.	एनआरआई NRIs	76700	575286	651986	0.39
10.	निवासी व्यक्ति Resident Individuals	696966	9334451	10031417	5.99
	योग TOTAL	**796666**	**166745211**	**167541877**	**100.00**

12.8.4 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल विदेशी शेयरधारिता (अनिवासी भारतीय, ओसीबी और एफआईआई) 3.06% रही, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के भीतर है।

12.8.4 The total foreign shareholding (NRIs, OCBs and FIIs) as at 31st March, 2014 was 3.06% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

क्र. सं. Sl. No.	प्रवर्ग Category	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014	
		शेयरों की सं. No. of shares	कुल पूँजी का % % to total capital	शेयरों की सं. No. of shares	कुल पूँजी का % % to total capital
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक Foreign Inst. Investors	5463293	3.57	4466172	2.67
2.	ओसीबी OCBs	5100	0.00	5100	0.00
3.	एनआरआई NRIs	571902	0.37	651986	0.39
	योग TOTAL	**6040295**	**3.95**	**5123258**	**3.06**

12.8.5 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार बैंक के पाँच शीर्ष शेयरधारक

12.8.5 Top five shareholders of the Bank as on 31.3.2014

क्र. सं. Sl. No.	शेयरधारक के प्रवर्ग Category of Shareholders	धारित शेयरों की सं. No. of shares held	कुल धारिता का % % to total holding
1.	भारत के राष्ट्रपति President of India	106105177	63.33
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम (उसकी सहयोगी कंपनियों सहित) Life Insurance Corporation of India (including its Associates)	37757511	22.54
3.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफसी प्रुडेन्स फंड HDFC Trustee Company Limited – HDFC Prudence Fund	2199412	1.31
4.	जनरल इंश्योरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया General Insurance Corporation of India	1359610	0.81
5.	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. – रिलायंस दीर्घावधि ईक्विटी फंड Reliance Capital Trustee Co. Ltd. – Reliance Long term Equity Fund	723821	0.43

12.9 शेयरों का डीमैटिरियलाइज़ेशन एवं चलनिधि

12.9.1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र एसएमडीआरपी/पॉलिसी/परि-03/99 दिनांकित 4 फरवरी, 1999 के अनुसार 31 मई, 1999 से सभी निवेशकों के लिए बैंक के शेयरों की डिलिवरी डीमैट रूप में होना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः बैंक के शेयर लेनदेन अनिवार्यतः डीमैट रूप में ही होते हैं। जारीकर्ता के रूप में बैंक के शेयरों को डीमैट करने हेतु दोनों डिपॉज़िटरियों अर्थात् नैशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉज़िटरीज लि. और सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. के साथ करार किए हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कूट INE112A01015 है।

12.9.2 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार जनता (भारत सरकार, अर्थात् प्रवर्तक सहित) द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों के 99.53% डीमैट रूप में हैं।

12.10 पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक द्वारा घोषित तथा वित्त वर्ष 2013-14

12.9 Dematerialisation of shares and liquidity

12.9.1 As per Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular SMDRP/POLICY/CIR-03/99 dated February 4, 1999, delivery of the Bank's shares in dematerialised form has been made compulsory for all investors effective from May 31, 1999. The Bank's shares are therefore, compulsorily traded in demat form. As an issuer, the Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd., for dematerialisation of shares. The ISIN Code allotted to the Bank's Equity Shares is INE112A01015.

12.9.2 As on 31st March, 2014, 99.53% of equity shares held by the public (including Government of India i.e. Promoter) are in demat form.

12.10 The details of the dividend declared by the Bank

हेतु संस्तुत लाभांश के विवरण निम्नानुसार है:

during the past three years and also recommended for the year 2013-2014 are as under:

वर्ष Year	लाभांश दर प्रत्येक ₹10 के प्रति शेयर पर Amount of Dividend per Share of ₹10 each	रिकार्ड/बही बंदी के दिनांक Record Date/ Book Closure Dates	लाभांश अदायगी दिनांक Dividend payment date
2010-11	₹20.00	21.06.2011 से to 27.06.2011	22.07.2011
2011-12	₹20.50	19.06.2012 से to 29.06.2012	12.07.2012
2012-13	₹19.00	04.06.2013 से to 10.06.2013	28.06.2013
2013-14	अंतरिम Interim ₹4.50	29.01.2014	31.01.2014
	अंतिम Final ₹2.25	17.06.2014 से to 26.06.2014	03.07.2014*

* वार्षिक महासभा में घोषित होने पर।

* If declared in the Annual General Meeting.

12.10.1 अदावाकृत लाभांश: जिन शेयरधारकों को पिछले वर्षों का लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, वे सहायता हेतु बैंक के निवेशक सेवा विभाग या मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद से संपर्क करें।

12.10.2 1997-98 से अदावाकृत अंतिम लाभांश खाता 2005-06 तक के वर्षों से संबंधित 13 अदावाकृत लाभांश खातों से संबंधित कुल ₹76,99,931.00 (रुपए छिहत्तर लाख निन्यानवे हज़ार इकतीस मात्र) की शेषराशियाँ निम्नलिखित, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के साथ यथा पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के प्रावधानों के तहत 16.10.2013 को भारत सरकार की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित करने हेतु नियत हो गई, उन्हें भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय की गजट अधिसूचना दिनांकित 27 मार्च, 2014 - निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (निवेशकों की जागरूकता और संरक्षण) संशोधन नियम, 2014, जो 31 मार्च, 2014 को लागू हो गया, के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली – कनॉट सर्कस शाखा में रखे आईईपीएफ खाते में अंतरित किया गया है। इन लाभांश वारंटों से संबंधित कोई भी दावा शेयरधारकों द्वारा बैंक या आईईपीएफ के साथ नहीं किया जा सकेगा।

12.10.3 शेयरधारकों से आवधिक रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे आईईपीएफ खाते में अंतरण हेतु नियत होने वाले अदावाकृत लाभांश खातों के संबंध में अपना दावा फार्म काफी पहले ही प्रस्तुत करें। वित्त वर्ष 2006-07 के संबंध में अदावाकृत लाभांश खाते (अंतरिम लाभांश) में अर्थात् निम्नलिखित तालिका में चालू खाता सं. 5207 (क्र. सं. 1) से संबंधित शेषराशि 30.04.2014 को आईईपीएफ खाते में अंतरण हेतु नियत हो गई है। इसे इसके 30 दिन के अंदर आईईपीएफ खाते में अंतरित किया जाएगा। बाकी अदावाकृत लाभांश खातों की शेषराशि उनके सामने दर्शाइ गई उनकी नियत तारीखों के अनुसार निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जाएगी और उसके बाद शेयरधारकों द्वारा बैंक से या आईईपीएफ से उक्त लाभांश के भुगतान हेतु कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे असंदत्त लाभांश हेतु अपने दावे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., हैदराबाद को या कार्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा विभाग को यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

12.10.1 Unclaimed Dividends: Shareholders who have not received the dividend for the earlier years may please contact Investor Services Department of the Bank or M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for assistance.

12.10.2 The balances in respect of 13 Unclaimed Dividend Accounts pertaining to the years from 1997 – 98 till Unclaimed Final Dividend Account 2005 – 06, totally amounting to ₹76,99,931.00 (Rupees seventy six lakh ninety nine thousand nine hundred thirty one only), which fell due for transfer to the Investor Education Protection Fund (IEPF) of the Government of India on 16.10.2013 as per the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with Section 205C of the Companies Act, 1956, has been transferred to the IEPF Account held at Punjab National Bank, New Delhi – Connaught Circus branch on 31.03.2014, as per the Government of India, Ministry of Corporate Affairs gazette notification dated 27th March, 2014 – Investor Education and Protection Fund (awareness and protection of investors) Amendment Rules, 2014 which came into force with effect from 31st March, 2014. No claim for payment of dividends in respect thereof, lies either with the Bank or the IEPF, by the shareholders.

12.10.3 Shareholders are periodically requested to submit their claim forms, well in advance of the unclaimed dividend accounts falling due for transfer to IEPF Account. The balance in respect of unclaimed dividend Account for FY 2006-07 (interim dividend) i.e. CA/c 5207 (Sl. No. 1) in the following table, fell due for transfer to IEPF Account on 30.04.2014. The same shall be transferred to IEPF Account within a period of 30 days thereof. The balances in respect of the remaining unclaimed dividend accounts will be transferred to the Investor Education Protection Fund (IEPF) account, as per the due dates of transfer to IEPF, mentioned against them and thereafter no claim for payment of dividend thereof shall lie either with the Bank or the IEPF, by the shareholders. Shareholders are therefore requested to submit their claims for unpaid dividends, either to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank or to the Investor Services Department at Corporate office, at the earliest.

क्र. सं. Sl. No.	असंदत्त लाभांश खातों के विवरण Details of the Unpaid Dividend Accounts	सी.ए. खाता सं. C.A. A/c No.	घोषणा का दिनांक Date of Declaration	31.03.2014 को शेष (₹) Balance as on 31.03.2014 (₹)	आईईपीएफ को अंतरण हेतु नियत तारीख Due date of transfer to IEPF
1.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता – 2006-07 Unpaid Interim Dividend Account – 2006 – 07	5207	24.03.2007	767524.00	30.04.2014
2.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता – 2006-07 Unpaid Final Dividend Account – 2006 – 07	5208	27.06.2007	968830.00	03.08.2014
3.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता – 2007-08 Unpaid Interim Dividend Account – 2007– 08	5213	25.03.2008	882947.00	30.04.2015
4.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता – 2007-08 Unpaid Final Dividend Account – 2007 – 08	5214	08.08.2008	1252442.00	12.09.2015
5.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता – 2008-09 Unpaid Interim Dividend Account – 2008 – 09	5218	26.02.2009	1034751.00	03.03.2016
6.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता – 2008-09 Unpaid Final Dividend Account – 2008 – 09	5219	25.07.2009	1734128.00	30.08.2016
7.	असंदत्त लाभांश खाता – 2009-10 Unpaid Dividend Account – 2009–10	5235	10.07.2010	3476428.00	15.08.2017
8.	असंदत्त लाभांश खाता – 2010-11 Unpaid Dividend Account – 2010–11	5237	09.07.2011	4319183.00	16.08.2018
9.	असंदत्त लाभांश खाता – 2011-12 Unpaid Dividend Account – 2011–12	5269	29.06.2012	4474772.00	05.08.2019
10.	असंदत्त लाभांश खाता – 2012-13 Unpaid Dividend Account – 2012–13	5270	25.06.2013	4851071.00	24.07.2020
11.	असंदत्त लाभांश खाता – 2013-14 Unpaid Interim Dividend Account – 2013–14	5271	23.01.2014	1771681.00	30.03.2021

12.11 सेबी ने बैंकों सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे लाभांश का भुगतान करने हेतु डिपॉज़िटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण का उपयोग करें। उन्होंने सूचीबद्ध कंपनियों को यह भी अनिवार्य कर दिया है कि लाभांश के भुगतान हेतु वे ईसीएस, एनईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जैसे भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित भुगतान विधियों का उपयोग करें और बैंक खाता विवरण, एमआईसीआर, आईएफएससी कूट आदि जैसी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न होने पर कंपनियाँ निवेशकों को ऐसे भुगतान करने हेतु कागज़ी भुगतान लिखतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक, निवेशकों को लाभांश वितरित करने हेतु भुगतान लिखत पर डिपॉज़िटरियों या शेयरधारकों द्वारा (यदि शेयर कागज़ी रूप में धारित हों तो) उपलब्ध कराए अनुसार भुगतान लिखतों पर बैंक खाता विवरण मुद्रित करेंगे।

12.11.1 जिन शेयरधारकों ने बैंक अधिदेश या एनईसीएस विवरण नहीं दिया है/बैंक अधिदेश विवरण में परिवर्तन सूचित नहीं किए हैं, वे लाभांश वारंटों की कपटपूर्ण भुनाई से बचने हेतु विवरण प्रस्तुत करें। बैंक अधिदेश प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

12.11.2 कृपया नोट करें कि जो शेयरधारक कागज़ी रूप में शेयरों को धारित करते हैं वे रिकार्ड को अद्यतन करने हेतु अपने बैंक अधिदेश विवरण बैंक के निवेशक सेवा विभाग/मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद को भेज

12.11 SEBI has made it mandatory for all the listed companies including Banks, to use the Bank Account details furnished by the Depositories for payment of dividend. It has also made it mandatory for listed companies to use RBI approved electronic mode of payments such as ECS, NECS, NEFT, RTGS etc., for making dividend payments and in the event of non-availability of the required information like bank account details, MICR and IFSC Code etc., to use physical payment instruments for making such payments to shareholders. The Bank shall print Bank account details, as made available by the depositories or the shareholders (in case holding shares in physical form), on payment instruments for distribution of dividends to the investors.

12.11.1 The shareholders who have not provided the Bank Mandate or NECS details/change in Bank Mandate details, may furnish the same, to avoid fraudulent encashment of the dividend warrants. Proforma for furnishing the Bank Mandate is provided separately in the Annual Report.

12.11.2 It may please be noted that the shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Investor Services Department of the Bank or M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for updating the record of the shareholders. The shareholders who are

सकते हैं। जो शेयरधारक डीमैट (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में शेयर धारित करते हैं, वे विवरण को अद्यतन करने हेतु डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं।

12.11.3 कागज़ी रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अंतरण, शेयर में ट्रेडिंग में सुविधा तथा कागज़ी शेयर प्रमाणपत्र के खोने/क्षतिग्रस्त होने/कटने-फटने आदि से बचने के लिए अपने शेयरों को डिमैटिरियलाइज करवाएं।

12.11.4 शेयरों का उत्तराधिकार अंतरण: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र सीआईआर/एमआईआरएसडी/10/2013 दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 द्वारा उत्तराधिकार अंतरण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों को अधिक निवेशक हितैषी बनाने के उद्देश्य से आशोधित किया है। इससे संबंधित विवरण बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर 'Investor Relations-Information to Investors' के अंतर्गत उपलब्ध है।

12.11.5 नामांकन सुविधा: बैंक के शेयर कागज़ी रूप में रखने वाले शेयरधारकों को बैंक ने अब नामांकन सुविधा उपलब्ध कराई है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए फार्मेट के अनुसार विधिवत् भरा हुआ और हस्ताक्षरित नामांकन फार्म रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करें।

12.12 पत्राचार हेतु पता: बैंक ने मंगलूर में अपने कार्पोरेट कार्यालय में निवेशक सेवा विभाग स्थापित किया है। शेयर अंतरण, उत्तरांतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश की अप्राप्ति, शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति हेतु/प्रमाण पत्र खो जाने और शेयरों से संबंधित अन्य मामलों के लिए निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक से संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव
निवेशक सेवा विभाग
कार्पोरेशन बैंक, कार्पोरेट कार्यालय
मंगलादेवी मंदिर मार्ग
मंगलूर – 575 001
दूरभाष: 0824-2424971, 2423853 (सीधा) 2426416-420 (विस्तार 482)
फैक्स: 0824-2421581, 2423853
निवेशक शिकायतें – ई-मेल: isd@corpbank.co.in

12.13 कार्पोरेशन बैंक के शेयर बीएसई और एनएसई में सूचीवद्ध किए गए हैं। बड़ी मात्रा में शेयरों के लेनदेन होने के कारण शेयरधारकों को खरीदने/बेचने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

बैंक ने जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की हैं।

12.14 बैंक की शाखाएँ पूरे भारत भर में हैं तथा दुबई तथा हांगकांग में प्रतिनिधि कार्यालय हैं।

holding the shares in demat (electronic) form may approach their Depository Participant for necessary updation of the particulars.

12.11.3 The shareholders holding shares in physical form are requested to dematerialise their shares due to the convenience it offers, in holding, in transferring and in trading of shares. Loss, damage, mutilation of share certificates can be totally avoided.

12.11.4 Transmission of Shares : The Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide their circular CIR/MIRSD/10/2013 dated 28th October, 2013, has modified the guidelines to make transmission process more investor friendly. The details of the same are available on the Bank's website www.corpbank.com under 'Investor Relations – Information to Investors".

12.11.5 Nomination Facility: Nomination facility has now been made available by the Bank for shareholders holding the Bank's shares in physical mode. Shareholders are requested to submit the duly filled-in and signed Nomination form as per the format made available in this Annual Report, to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for doing the needful.

12.12 Address for Correspondence: The Bank has set up an Investor Services Department at its Corporate Office at Mangalore. For any assistance regarding share transfers, transmissions, change of address, non-receipt of dividend, duplicate/missing share certificates and other matters pertaining to shares, the investors may contact the Bank at the following address:

The Company Secretary
Investor Services Department
Corporation Bank, Corporate Office,
Mangala Devi Temple Road
Mangalore – 575 001
Tel: 0824-2424971, 2423853 (Direct), 2426416-420 (Extn. 482)
Fax: 0824-2421581, 2423853
INVESTOR GRIEVANCES – E-mail: isd@corpbank.co.in

12.13 Corporation Bank shares are listed on both BSE and NSE. The fair volume of trading provides enough entry/exit opportunities to the shareholders.

The Bank has not issued GDRs/ADRs/Warrants or any other convertible instruments.

12.14 The branches of the Bank have spread all over India and have representative office at Dubai and Hongkong.

13. एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में कार्पोरेशन बैंक यह विश्वास करता है कि कार्पोरेट अभिशासन सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करना मात्र नहीं है बल्कि पारदर्शी एवं नैतिक तरीके से सभी शेयरधारकों एवं समग्र समाज के हित में उत्तम कार्य करना है।

14. सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2002 का अनुपालन

14.1 इन विनियमों के अनुसरण में, बैंक के शेयर के लेनदेन हेतु पदनामित कर्मचारियों तथा निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार के निवारण हेतु बैंक ने आचार संहिता बनाई है, जिसमें 28.03.2014 को अंतिम संशोधन किया गया था। इन विनियमों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों तथा निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न फार्म बनाए गए हैं। साथ ही निम्नलिखित विवरण के अनुसार बैंक के निदेशकों तथा पदनामित कर्मचारियों हेतु बैंक के शेयरों के लेनदेन हेतु व्यापार विंडो बंद किया गया है:

13. Corporation Bank, as a responsible corporate citizen, believes that Corporate Governance is not just compliance with statutory requirements but doing what is best in the interest of all the stakeholders and the society at large in a transparent and ethical way.

14. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2002

14.1 In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in Shares of the Bank which was last modified on 28.03.2014. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank has been closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

व्यापार विंडो बंद करने की तारीखें Dates of Closure of Trading Window	बंद करने का उद्देश्य Purpose of Closure
13 जुलाई, 2013 से 28 जुलाई, 2013. 13th July, 2013 to 28th July, 2013.	30 जून, 2013 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 30th June, 2013.
28 अक्तूबर, 2013 से 12 नवंबर, 2013. 28th October, 2013 to 12th November, 2013.	30 सितंबर, 2013 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 30th September, 2013.
1 दिसंबर, 2013 से 17 दिसंबर, 2013. 1st December, 2013 to 17th December, 2013.	भारत सरकार को ₹450 करोड़ के ईक्विटी शेयरों के अधिमान इश्यू और क्यूआईपी इश्यू द्वारा निजी तौर पर ₹1000 करोड़ शेयर आबंटन के आधार पर अतिरिक्त पूँजी जुटाने हेतु अनुमोदन करने के लिए 16 दिसंबर, 2013 को आयोजित असाधारण महासभा के लिए For the Extraordinary General Meeting scheduled on 16th December, 2013, to approve Preferential issue of Equity shares to the Government of India to the tune of ₹450 crore and to raise further capital to the tune of ₹1000 crore by way of QIP issue on private placement basis.
09 जनवरी, 2014 से 14 जनवरी, 2014. 09th January, 2014 to 24th January, 2014.	दिनांक 23.01.2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2013-14 हेतु अंतरिम लाभांश की घोषणा Declaration of Interim Dividend for Financial Year 2013-14 in Board Meeting dated 23.01.2014.
24 जनवरी, 2014 से 8 फरवरी, 2014. 24th January, 2014 to 8th February, 2014.	31 दिसंबर, 2013 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 31st December, 2013.
4 मई, 2014 से 10 मई, 2014. 4th May, 2014 to 10th May, 2014.	31 मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा करना तथा लाभांश, यदि कोई हो, तो संस्तुत करना Declaration of Annual Financial results for the quarter and year ended 31st March, 2014 and to recommend dividend if any.

14.2 बैंक ने भेदिया व्यापार के निवारण हेतु कार्पोरेट प्रकटन प्रणाली संहिता बनाई है और उसका अनुपालन किया है।

14.2 The Bank has framed a Code of Corporate Disclosure Practices for Prevention of Insider Trading and made compliance thereof.

15. अधिग्रहण संहिता

15.1 बैंकने सेबी (शेयरों का पर्याप्त अभिग्रहण तथा अधिग्रहण) अधिनियम 2011 के यथा संशोधित प्रावधानों का समय-समय पर अनुपालन किया है।

15. Takeover Code

15.1 The Bank has also complied from time-to-time with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended.

16. कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट

एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक अपने आप को उस सामाजिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक मानता है जिसमें वह परिचालनरत है और इसलिए वह राजस्व एवं लाभप्रदता की दृष्टि से न केवल शेयरधारकों के प्रति बल्कि व्यापक समाज के प्रति भी उत्तरदायी है जिसका वह एक अंग है। इसलिए सामाजिक संरचना एवं परिवेश के हित में जिम्मेदार कारोबार प्रथाओं को अपनाने पर भी बैंक उतना ही महत्व देता है, जितना कि वह अपने वित्तीय एवं परिचालनगत निष्पादन को देता है। सार्वजनिक धनराशि का लेनदेन करने के कारण बैंक के कार्य में जन-हित निहित है और इसलिए वह नियमित आधार पर पारिवेशिक, सामाजिक एवं शासकीय दृष्टि से उसके द्वारा उठाए गए कदमों के सतत प्रकटन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। आज तक की स्थिति के अनुसार सेबी ने बैंक को यह प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं बनाया है। इसे यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

16. Business Responsibility Report

The Bank being a listed entity, considers itself to be the critical component of the social system in which it operates and hence is accountable not merely to the shareholders from revenue and profitability point of view, but also to the larger society of which it is a part. Hence, adoption of responsible business practices in the interest of the social set-up and the environment is being considered by the Bank as vital as its financial and operational performance. The Bank, having accessed funds from the public, have an element of public interest involved, and hence it takes upon itself the responsibility to make continuous disclosures regarding steps taken by it from environmental, social and governance perspective. SEBI has not made it mandatory for the Bank to submit the report as of now. The same shall be submitted in due course.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 23.05.2014

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mangalore
Date : 23.05.2014

(S. R. Bansal)
Chairman & Managing Director

घोषणा
DECLARATION

बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों तथा बैंक के कोर प्रबंधन हेतु एक आचार संहिता निर्धारित की है जिसे बैंक की वेबसाइट में दिया गया है। बोर्ड के सदस्यों तथा कोर प्रबंधन ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank, which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2014.

कृते कार्पोरेशन बैंक

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 09.05.2014

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For Corporation Bank

Place : Mangalore
Date : 09.05.2014

(S. R. Bansal)
Chairman & Managing Director

निदेशक मंडल
कार्पोरेशन बैंक

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के तहत सीईओ व सीएफओ प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(क) हमने वर्ष (2013-14) हेतु कार्पोरेशन बैंक के वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारे अधिकतम ज्ञान व विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई तथ्यात्मक असत्य विवरण या कोई तथ्यपरक चूक या भ्रामक विवरण नहीं हैं।

(ii) इस के साथ ही ये विवरण बैंक के कार्यों की सही व उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखांकन मानक, लागू विधियों तथा विनियमों के अनुसार हैं।

(ख) हमारे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हैं या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण कायम करने व बनाए रखने हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है तथा हमने आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा या परिचालन में यदि कोई कमी है जिनके बारे में हमें मालूम है, लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है तथा हमने इन कमियों को ठीक करने हेतु उपाय किए हैं या प्रस्तावित किए हैं।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचित किया है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; तथा

(iii) हमारी जानकारी में आए कपटों की महत्वपूर्ण घटनाएँ जिनमें प्रबंधन या वित्तीय रिपार्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है।

वित्तीय विवरणों की सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों द्वारा भी लेखा-परीक्षा की गई है।

(सी. जी. पिन्टो)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(बी. के. श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक

(ए. एल. दौलतानी)
कार्यपालक निदेशक

(एस.आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थान Place : मंगलूर Mangalore
दिनांक Date : 09.05.2014

The Board of Directors
Corporation Bank

CEO & CFO Certificate under Clause 49 of the Listing Agreement

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cashflow statement of Corporation Bank for the year (2013-14) and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's codes of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit committee

(i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(e) The financial statements have also been subjected to audit by Statutory Central Auditors

(C. G. Pinto)
General Manager & CFO

(B. K. Srivastav)
Executive Director

(A. L. Daultani)
Executive Director

(S. R. Bansal)
Chairman & Managing Director and CEO

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा–परीक्षकों का प्रमाण–पत्र

सेवा में,
कार्पोरेशन बैंक के सदस्यगण,

हमने, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्पोरेशन बैंक के सूचीकरण करार के खण्ड 49 में विनिर्दिष्टानुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु कार्पोरेशन बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन–वर्ग की है। हमारी जाँच, कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा–परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय एवं सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 के साथ पठित के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करार में यथा विनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम स्पष्ट करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेख एवं बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंटों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि हेतु लंबित नहीं है।

हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभाविता जिससे प्रबंधन–वर्ग ने बैंक के क्रियाकलाप संचालित किए हैं ।

कृते सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001359N

[सीए एस.सी. गुप्ता]
एम.नं. 016534
साझेदार

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-002878S

[सीए सी.आर. दीपक]
एम.नं. 215398
साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000379C

[सीए राहुल गुप्ता]
एम.नं. 077811
साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-103429W

[सीए अतुल जैन]
एम.नं. 037097
साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001997S

[सीए मुरली मोहन]
एम.नं. 203592
साझेदार

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 09.05.2014

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of Corporation Bank,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by the Corporation Bank for the year ended on 31st March, 2014, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement for Equity of the Corporation Bank with the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.

The compliance of conditions of the corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion, and to the best of our information and according to explanations given to us, and read with Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement for Equity.

We state that no investor grievances are pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee and certificate given by the Registrar and Transfer Agents of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

for Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN-001359N

[CA S.C.Gupta]
M.No. 016534
Partner

for B.K. Ramadhyani & Co.
Chartered Accountants
FRN-002878S

[CA C. R. Deepak]
M.No. 215398
Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants
FRN-000379C

[CA Rahul Gupta]
M.No. 077811
Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants
FRN-103429W

[CA Atul Jain]
M. No. 037097
Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN-001997S

[CA Murali Mohan]
M.No. 203592
Partner

Place : Mangalore
Date : 09.05.2014

नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रकटन – बेसल III (स्तंभ 3) – 31 मार्च, 2014
Disclosures under the New Capital Adequacy Framework Guidelines – Basel III (Pillar 3) – 31st March, 2014

सारणी डीएफ–1: प्रयुक्ति की परिधि

कार्पोरेशन बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटन:

क. समेकन हेतु विचार की गई समूह संस्थाओं की सूची

Table DF-1: Scope of Application

Corporation Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

संस्था का नाम/ निगमन का देश Name of the entity/Country of incorporation	क्या उक्त संस्था समेकन की लेखांकन परिधि में शामिल की गई है (हाँ/नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन का तरीका स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या उक्त संस्था समेकन की विनियामक परिधि में शामिल की गई है (हाँ/नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन का तरीका स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन के तरीके में भिन्नता का कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि केवल एक समेकन परिधि के अंतर्गत समेकित किया हो तो उसका कारण स्पष्ट करें[16] Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation[16]
कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. Corp Bank Securities Ltd.	हाँ Yes	एएस 21 AS 21	हाँ Yes	एएस 21 AS 21	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

ख. समेकन की लेखांकन और विनियामक परिधि, दोनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई समूह संस्थाओं की सूची

b. List of group entities not considered for consolidation both under the Accounting and Regulatory scope of Consolidation:

संस्था का नाम/ निगमन का देश Name of the entity/ country of incorporation	संस्था का मूल क्रियाकलाप Principle activity of the entity	कुल तुलन–पत्र ईक्विटी (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन–पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	उक्त संस्था की पूँजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों की विनियामक स्थिति Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलन–पत्र आस्तियाँ (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन–पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet assets *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*
लागू नहीं NA					

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन:

(ii) Quantitative Disclosures:

ग. समेकन हेतु विचार की गई समूह संस्थाओं की सूची

c. List of group entities considered for consolidation

संस्था का नाम/ निगमन का देश (उपर्युक्त (i) क में सूचित अनुसार) Name of the entity/country of incorporation *(as indicated in (i)a. above)*	संस्था का मूल क्रियाकलाप Principle activity of the entity	कुल तुलन–पत्र ईक्विटी (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन–पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	कुल तुलन–पत्र आस्तियाँ (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन–पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet assets *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*
कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. Corp Bank Securities Ltd.	प्रतिभूतियों में लेनदेन Trading in Securities	75.00	118.60

घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि[17] जिनको समेकन की परिधि में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् उससे निकाला गया है:

d. The aggregate amount of capital deficiencies[17] in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

अनुषंगियों का नाम/ निगमन का देश Name of the subsidiaries/ country of incorporation	संस्था का मूल क्रियाकलाप Principle activity of the entity	कुल तुलन-पत्र ईक्विटी (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	पूँजीगत कमियाँ Capital deficiencies
उक्त अनुषंगी में कोई पूँजीगत कमी नहीं है There is no capital deficiency in the subsidiary				

ङ. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितलाभ की समग्र राशि (उदा: चालू बही मूल्य) जिनको जोखिम-भारित किया गया है:

e. The aggregate amounts (e.g. Current book value) of the Bank's total interests in Insurance entities, which are risk-weighted:

बीमा कंपनियों का नाम/ निगमन का देश Name of the insurance entities/ country of incorporation	संस्था का मूल क्रियाकलाप Principle activity of the entity	कुल तुलन-पत्र ईक्विटी (उक्त विधिक संस्था के लेखांकन तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार) Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %/मताधिकार का अनुपात % of bank's holding in the total equity/proportion of voting power	जोखिम भारित पद्धति बनाम पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग करने पर विनियामक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
ऐसी कोई संस्था नहीं है No Such Entity				

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधाएं: लागू नहीं

F. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Not Applicable.

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता – गुणात्मक प्रकटन

बैंक अपने वर्तमान एवं भावी कारोबार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपनी पूँजी पर्याप्तता का सक्रिय प्रबंधन करता है। अत्यधिक तनावपूर्ण परिदृश्य में बैंक की पूँजी पर प्रभाव का आकलन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूँजी आधार अनिश्चित घटनाओं के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में सक्षम है, आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के तहत तनाव परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। बैंक पूँजी के इष्टतम उपयोग के दर्शन का पालन करता है ताकि पूँजी पर प्रतिलाभ अधिक हो और आगे चलकर शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि हो।

2.1 संगठनात्मक संरचना

बैंक ने एक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया समिति (आईसीएएसी) गठित की है जो आईसीएएपी के कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी प्राप्त निदेशक-मंडल स्तरीय समिति है। निदेशक मंडल बैंक के पूँजी स्तर पर सक्रिय निगरानी रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि हर वक्त बैंक न्यूनतम विनियामक पूँजी अपेक्षा से ऊपर परिचालन करता रहे। बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन समिति

DF-2 Capital Adequacy- Qualitative Disclosure

The Bank actively manages it's capital requirement by taking in to account the current and future Business growth of the Bank. Stress tests are used as a part of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to evaluate the impact on the Bank's capital under extreme stress scenario and to ensure that the capital base can withstand the adverse impact of uncertain events. The Bank is guided by the philosophy of optimal utilisation of the capital so as to increase the return on capital and increase shareholders value in the long run.

2.1 Organisational set up

The Bank has put in place an Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAC) which is a Board level Committee charged with the overall responsibility of implementing the ICAAP. The Board of Directors maintains active oversight over Bank's Capital levels so as to ensure that Bank continues to operate above the minimum regulatory capital requirement all the times. The Bank has also set up

(सीआरएमसी), बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति/आल्को और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) भी गठित की है ताकि जोखिम प्रबंधन के प्रत्येक मुख्य क्षेत्र में बेहतर और अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण हो।

2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए हैं:

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण
- बाज़ार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण

2.3 बैंक ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में है।

3.0 पूँजी पर्याप्तता गुणात्मक प्रकटन

3.1 बैंक अपने ऋण जोखिम का सक्रिय प्रबंधन करता है और ₹10 लाख और उससे अधिक की ऋण सुविधाएं प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं हेतु श्रेणीकरण-सह-मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वित की है। उधारकर्ताओं को वित्तीय घटकों, परियोजना की व्यवहार्यता और प्रस्तुत संपार्श्विक प्रतिभूतियों आदि के आधार पर श्रेणीकृत किया जाता है। ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधक के स्तर को शामिल किया गया है ताकि उपयोक्ताओं द्वारा दी गई श्रेणी की मंजूरी के अलग स्तर पर जोखिम प्रबंधक द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित हो। मानक उधारकर्ता के लिए 8 श्रेणीकरण ग्रेड और चूककर्ता उधारकर्ता के लिए 1 श्रेणीकरण ग्रेड है। समूह ऋण नीति में न्यूनतम प्रतिलाभ दर (हर्डल रेट) अर्थात् नए/टेकओवर प्रस्तावों में मामले में जो न्यूनतम दर उधारकर्ता को प्राप्त होनी है, परिभाषित की है। बैंक उक्त रेटिंग सिस्टम के ज़रिए क्रमिक रूप से डाटा का निर्माण करता रहा है जो बैंक को जोखिम प्रबंधन के उन्नत दृष्टिकोण में माइग्रेट करने में मददगार होगा।

3.4 खुदरा ऋणों के प्रसंस्करण को तेज़ करने के लिए तथा मूल्यांकन में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए देश भर में खुदरा ऋण की प्रोसेसिंग के लिए रिटेल हब स्थापित किए गए हैं। इन रिटेल हबों ने खुदरा ऋणों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया को तेज़ करने और जोखिम अवबोध को ध्यान में रखते हुए खुदरा दायित्वकारों की मूल्यांकन टिप्पणी को प्रसंस्कृत करने में बैंक को समर्थ किया है।

3.5 वित्त मंत्रालय के निदेश के अनुसार बैंक ने ऋण प्रस्तावों की मंजूरी करने के लिए आंचलिक स्तरीय ऋण समिति (ज़ेडएलसीसी), मंडल स्तरीय ऋण समिति (सीएलसीसी), प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (एचएलसीसी) और निदेश मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) गठित की है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

ऋण जोखिम:

ऋण जोखिम ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित है जिसमें बैंक का उधारकर्ता या प्रतिपार्टी सहमत शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक जाता है। ऋण जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य ऋण जोखिम एक्सपोज़र को स्वीकार्य मानदंडों के भीतर बनाए रखते हुए बैंक के जोखिम-समायोजित प्रतिलाभ दर अधिकतम करना है।

Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management Committee/ALCO and Operational Risk Management Committee (ORMC) for a better and more focused approach towards each major area of Risk Management.

2.2 In line with the Reserve Bank of India (RBI) Guidelines, the Bank has adopted following approaches for implementation of New capital Adequacy Framework Basel II.

– Standardised Approach for Credit Risk.
– Standardised Duration Approach for Market Risk.
– Basic Indicator Approach for Operational Risk.

2.3 The Bank is in the process of migration to advanced approaches for Credit, Market and Operational Risk.

3.0 Capital Adequacy Qualitative Disclosures

3.1. The Bank actively manages its credit risk and has implemented rating-cum-appraisal system for borrowers enjoying credit facilities of ₹10 lakhs and above. The borrowers are rated based on the financials, the project viability, collaterals offered etc. Risk Managers level has been also introduced in to the hierarchy of credit appraisal process which ensures that the rating assigned by the users are independently verified by the Risk Manager at different levels of sanction. There are 8 rating grades for standard borrowers and 1 rating grade for defaulted borrower respectively. The Group Credit Policy has defined the hurdle rate i.e., the minimum rating that the borrower should get in case of new/takeover proposals. The Bank has been steadily building data through the rating system which will help the bank in migrating towards the advanced approach in Risk Management.

3.4 In order to quicken the processing of Retail Loans and maintain quality in appraisal, Retail Hubs for processing of retail loans has been set up across the country. The Retail hubs have enabled the bank for speeding up the processing of Retail Loans and to also process the appraisal note of retail obligors keeping in view Risk Perspective.

3.5 In line with the Finance Ministry Directive Bank has formed Zonal Level Credit Committee (ZLCC), Circle Level Credit Committee (CLCC), Head Office Level Credit Committee (HLCC) and Credit Approval Committee of Board (CAC) for according sanctions to credit proposals.

Risk Management Architecture

Credit Risk:

Credit Risk is defined as a potential that a Bank borrower or counterparty will fail to meet its obligations in accordance with agreed terms. The goal of credit risk management is to maximize a Bank's risk-adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters.

ऋण जोखिम प्रबंधन:

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम क्षेत्रों की देखरेख करती है और निदेशक-मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करती है। आरएमसीबी निदेशक मंडल को रिपोर्ट करती है।

बाज़ार जोखिम:

बाज़ार जोखिम बाज़ार मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण तुलन पत्र की मदों और तुलनपत्र में शामिल न होने वाली मदों की स्थितियों में हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने मुंबई में अपने ट्रेडिंग एवं निवेश प्रभाग में एक स्वतंत्र मिड-ऑफिस स्थापित किया है। यह मिड-ऑफिस एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग के विस्तारित अंग के रूप में कार्य करता है और इसे निर्धारित विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ट्रेडिंग सीमाएं, प्रतिपार्टी एक्सपोज़र सीमाएं आदि के अनुपालन की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। मिड-ऑफिस दैनिक आधार पर जोखिम-पर-मूल्य परिकलित करता है और एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग को रिपोर्ट करता है। सीमाओं का कोई भी उल्लंघन तत्काल शीर्ष प्रबंधन के ध्यान में लाया जाता है और जहाँ अपेक्षित हो आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) ऋण जोखिम क्षेत्रों की देखरेख करती है और निदेशक-मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करती है। आरएमसीबी निदेशक मंडल को रिपोर्ट करती है।

परिचालन जोखिम:

अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों व प्रणालियों या बाह्य घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली हानि के जोखिम को परिचालन जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में कानूनी जोखिम शामिल है लेकिन रणनीतिपरक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) को परिचालन जोखिम प्रबंधन क्षेत्र का कार्य सौंपा गया है और यह बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करती है। आरएमसीबी बोर्ड को रिपोर्ट करती है।

Credit Risk Management:

The Credit Risk Management Committee (CRMC) looks after the credit risk areas and in turn reports to the Risk Management Committee of Board (RMCB). The RMCB reports to the Board.

Market Risk:

Market risk is defined as the risk of losses in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market prices.

Market Risk Management:

The Bank has set up an independent Mid-Office at its Trading & Investment Division in Mumbai. Mid-Office acts as extended arm of the Integrated Risk Management Division and is entrusted with the responsibility of monitoring the adherence of various risks limits set such as Trading limits, Counterparty exposure limits etc. The Mid-Office calculates the Value At Risk on a daily basis and reports the same to the Integrated Risk Management Division on a daily basis, any breach of limits is immediately brought to the attention of Top Management and necessary actions are taken wherever required.

The Market Risk Management Committee (MRMC) looks after the Market Risk areas and in turn reports to the Risk Management Committee of Board (RMCB). The RMCB reports to the Board.

Operational Risk:

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.

The Operational Risk Management Committee (ORMC) is entrusted with Operational Risk Management areas and in turn reports to the Risk Management Committee of Board (RMCB). The RMCB reports to the Board.

पूँजी पर्याप्तता परिमाणात्मक प्रकटीकरण (समेकित)
Capital Adequacy Qualitative Disclosures (Consolidated)

(राशि करोड़ों में Amt. in crore)

ऋण जोखिम हेतु आवश्यक पूंजी Capital requirements for credit risk: – मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग @9% – Portfolio Subjected to Standardised Approach @9% – प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र – Securitisation Exposure		10,298.48 शून्य Nil

(राशि करोड़ों में Amt. in crores)

बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता Capital Requirement for Market Risk – मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण Standardised Duration Approach – ब्याज दर जोखिम Interest Rate Risk – विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) Foreign Exchange Risk (including Gold) – ईक्विटी स्थिति जोखिम Equity Position Risk – सीवीए CVA	 610.63 4.50 120.15 2.27	 737.55
परिचालनात्मक जोखिम हेतु पूंजी Capital requirement for Operational Risk – मूल संकेतक दृष्टिकोण- - Basic Indicator Approach – मानकीकृत दृष्टिकोण The Standardised Approach		673.00 673.00 लागू नहीं Not Applicable
बेसल III के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio under Basel III		11.68%
टियर 1 (एटी 1 पूँजी सहित) Tier 1 (including AT 1 capital)		8.17%
टियर 2 Tier 2		3.51%
बेसल II के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio Under Basel II		12.28%
जिसमें से: टियर I Of which: Tier I		8.42%
टियर II Tier II		3.87%

सारणी डीएफ–4 ऋण जोखिम–सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

4.1 बैंक ने विगत देय तथा अनर्जक आस्तियों के लिए (लेखांकन उद्देश्यों हेतु) नियामक द्वारा आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु यथा परिभाषित परिभाषा को अपनाया है।

4.2 बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समूह ऋण नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधन–तंत्र की अपेक्षाओं के अनुकूल तथा शीर्ष प्रबंधन की रणनीतियों को सार्थक निर्देशों के रूप में परिचालन स्तर पर परिणत की जाती है। यह नीति बृहत ऋण एक्सपोज़र, ऋण संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु मानक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, जोखिम केन्द्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक/विधिक अनुपालन पर विवेकपूर्ण परिसीमाएं निर्धारित करती है।

4.3 बैंक संभावित जोखिमों की पहचान करता है तथा इन जोखिमों को मापने, निगरानी करने व नियंत्रित करने हेतु समुचित तकनीकें लागू करता है।

4.4 विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियाँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों तथा रणनीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं तथा ऋण जोखिमों की निगरानी करती है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

4.5 बैंक एकल तथा समूह उधारकर्ताओं हेतु निर्धारित एक्सपोज़र सीमाओं की तुलना में वास्तिवक एक्सपोज़र का विश्लेषण करते हुए जोखिम संकेन्द्रीकरण की निगरानी करता है, ग्रेड–वार सीमाओं की रेटिंग करता है, उद्योगवार एक्सपोज़र सीमाओं की निगरानी करता है तथा अंचलों/राज्यों आदि में ऋण के भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करता है।

परिमाणात्मक प्रकटन

4.6 31 मार्च, 2014 को कुल सकल ऋण एक्सपोज़र, निधि आधारित तथा गैर–निधि आधारित

DF 4: Credit Risk General Disclosures for all Banks

4.1.The Bank has adopted the definition of the past due and impaired assets (for accounting purposes) as defined by the regulator for income recognition and asset classification norms.

4.2. The Bank has put in place Board approved Group Credit Policy. The objectives of the policy are to ensure that the operations are in line with the expectation of the Management/ Regulator so that strategies of the top management are translated into meaningful and desired outcomes at operational level. The policy stipulates prudential limits on large credit exposure, standards for loan collateral, portfolio management, risk concentration, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory/legal compliance.

4.3 The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

4.4 Various Risk Management Committees monitors implementation of these policies and strategies approved by the Board and monitors credit risks and ensures compliance of risk limits.

4.5 The Bank monitors the risk concentration by analyzing the actual exposure Vis-à-vis exposure limits fixed for single and group borrowers, rating grade-wise limits, Industry-wise exposure limits and analyzing the geographical distribution of credit across the Zones/States etc.

Quantitative Disclosures

4.6 Total Gross Credit Risk Exposures, Fund Based and Non-fund Based as on 31st March, 2014.

(₹ करोड़ों में in Crore)

सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र (जोखिम भारित अस्तियाँ) Gross Credit Risk Exposures (Risk weighted Assets)	राशि Amount (₹)
निधि आधारित Fund Based	
अग्रिम Advances	1,00,758.95
निवेश Investments	2,087.96
अन्य आस्तियाँ Other Assets	1,844.03
कुल निधि आधारित Total Fund Based	1,04,690.94
गैर-निधि आधारित बाजार संबद्ध तथा गैर-बाजार संबद्ध Non-Fund Based Market Related & Non-Market Related	9,736.64
कुल ऋण जोखिम एक्सपोज़र Total Credit Risk Exposure	**1,14,427.58**

4.7 31 मार्च, 2014 को एक्सपोज़र का भौगोलिक संवितरण

4.7 Geographical Distribution of Exposures as on 31st March, 2014.

(₹ करोड़ों में ₹ in Crore)

राज्य STATES	एक्सपोज़र Exposure		
	ऋण CREDIT	गैर-एसएलआर Non-SLR	कुल TOTAL
आंध्र प्रदेश ANDHRA PRADESH	10061.66	132.00	10193.66
असम ASSAM	77.53	0.00	77.53
बिहार BIHAR	185.57	0.00	185.57
चंडीगढ़ CHANDIGARH	437.47	0.00	437.47
छत्तीसगढ़ CHATTISGARH	796.85	0.00	796.85
दिल्ली DELHI	21786.26	11440.01	33226.27
गोवा GOA	1308.76	0.00	1308.76
गुजरात GUJARATH	6457.61	68.65	6526.26
हरियाणा HARYANA	2324.38	0.00	2324.38
हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH	85.38	0.00	85.38
जम्मू एवं कश्मीर JAMMU & KASHMIR	15.65	0.00	15.65
झारखंड JHARKHAND	182.54	0.00	182.54
कर्नाटक KARNATAKA	21037.46	132.87	21170.33
केरल KERALA	3419.15	10.00	3429.15
मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH	1761.98	0.00	1761.98
महाराष्ट्र MAHARASHTRA	36832.46	2286.89	39119.35
मेघालय MEGHALAYA	8.25	0.00	8.25
उडीसा ORISSA	1350.55	0.00	1350.55
पाँडिचेरी PONDICHERY	179.92	0.00	179.92
पंजाब PUNJAB	3042.30	0.00	3042.30
राजस्थान RAJASTHAN	2299.13	0.00	2299.13
सिक्किम SIKKIM	33.02	0.00	33.02
तमिलनाडु TAMILNADU	14662.01	458.34	15120.35
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH	4347.46	0.00	4347.46
उत्तरांचल UTTARANCHAL	199.64	0.00	199.64
पश्चिम बंगाल WEST BENGAL	4176.83	128.74	4305.57
दमन दीव DAMAN DIU	3.76	0.00	3.76
त्रिपुरा TRIPURA	1.96	0.00	1.96
दादरा नागर हवेली DADRA NAGAR HAVELI	10.76	0.00	10.76
कुल Total	**1,37,086.30**	**14,657.50**	**15,1743.80**

4.8 31 मार्च, 2014 को उद्योगवार ऋण संवितरण
4.8 Industry-wise distribution as on 31st March, 2014

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्रम सं. Sl. No.		उद्योग Industry	एक्सपोज़र Exposure		
			ऋण Credit (₹)	गैर–एसएलआर Non-SLR (₹)	कुल Total (₹)
1.		खनन व उत्खनन (कोयला सहित) Mining and Quarrying [including Coal]	370.14	28.73	398.87
2.		खाद्य प्रसंस्करण Food Processing			
	2.1	चीनी Sugar	501.64	3.61	505.25
	2.2	खाद्य तेल व वनस्पति Edible Oils and Vanaspati	349.35	0.00	349.35
	2.3	चाय Tea	18.56	0.00	18.56
	2.4	अन्य Others	3,148.59	0.00	3,148.59
	कुल Total		**4,018.14**	**3.61**	**4,021.75**
3.		पेय व तंबाकू Beverage & Tobacco	1,135.58	0.00	1,135.58
4.	4.0	वस्त्र Textiles			
	4.1	सूती वस्त्र Cotton Textiles	3,391.63	1.06	3,392.69
	4.2	जूट वस्त्र Jute Textiles	4.67	0.00	4.67
	4.3	मानव निर्मित वस्त्र Man-Made Textiles	50.34	0.00	50.34
	4.4	अन्य वस्त्र Other Textiles	2,375.86	68.96	2,444.82
	कुल Total		**5,822.50**	**70.02**	**5,892.52**
5.		चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद Leather & Leather Products	169.75	0.00	169.75
6.		लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद Wood & Wood Products	987.57	0.00	987.57
7.		कागज़ तथा कागज़ उत्पाद Paper & Paper Products	460.36	0.00	460.36
8.		पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद तथा आण्विक ईंधन Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	1,257.21	6.79	1,264.00
9.		रसायन एवं रासायनिक उत्पाद Chemicals & Chemicals Products			
	9.1	उर्वरक Fertilizer	843.18	0.00	843.18
	9.2	औषधि तथा फार्मास्यूटिकल्स Drugs & Pharmaceuticals	1,318.86	61.62	1,380.48
	9.3	पेट्रो–केमिकल्स Petro-Chemicals	1,198.85	35.20	1,234.05
	9.4	अन्य Others	678.47	10.00	688.47
	कुल Total		**4039.36**	**106.82**	**4146.18**
10.		रबड़, प्लैस्टिक तथा उनके उत्पाद Rubber, Plastic & their Products	743.63	0.00	743.63
11.		ग्लास और ग्लासवेयर Glass and Glassware	82.64	0.00	82.64
12.		सिमेंट तथा सिमेंट उत्पाद Cement and Cement Products	1,258.78	5.00	1,263.78
13.		मूल धातु तथा धातु उत्पाद Basic Metal and Metal Products			
	13.1	लोहा तथा इस्पात Iron and Steel	4,544.43	165.62	4,710.05
	13.2	अन्य धातु तथा धातु उत्पाद Other Metal and Metal Products	1,636.17	0.00	1,636.17
	कुल Total		**6,180.60**	**165.62**	**6,346.22**

क्रम सं. Sl. No.		उद्योग Industry	एक्सपोज़र Exposure		
			ऋण Credit (₹)	गैर–एसएलआर Non-SLR (₹)	कुल Total (₹)
14.	सभी इंजीनियरिंग All Engineering				
	14.1	इलेक्ट्रानिक्स Electronics	2,012.57	0.00	2,012.57
	14.2	अन्य Others	2,310.67	77.44	2,388.11
	कुल Total		**4,323.24**	**77.44**	**4,400.68**
15.	वाहन, वाहन पुर्जे तथा परिवहन साधन Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments		2,896.69	20.10	2,916.79
16.	रत्न तथा आभूषण Gems & Jeweler		4,131.24		4,131.24
17.	निर्माण Construction		394.34	56.59	450.93
18.	आधारभूत संरचना Infrastructure				
	18.1	ऊर्जा Power	11,917.22	1,709.43	13,626.65
	18.2	दूरसंचार Telecommunications	2,959.64	31.79	2,991.43
	18.3	सड़क तथा बंदरगाह Roads & Ports	4,263.03	19.52	4,282.55
	18.4	अन्य आधारभूत संरचना Other Infrastructure	1,609.19	269.91	1,879.10
	कुल Total		**20,749.08**	**2,030.65**	**22,779.73**
19.	एयरलाइन उद्योग Airline Industries		1,246.29	15.00	1,261.29
20.	अन्य उद्योग (आईटी एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) Other Industries [Including IT & computer software]		12,009.92	75.11	12,085.03
कुल TOTAL			**72,277.06**	**2,661.48**	**74,938.54**

4.9 31 मार्च, 2014 को अग्रिमों तथा निवेशों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता भंग

4.9 Residual Contractual Maturity Break down of advances and investments as on 31st March, 2014

₹ करोड़ में ₹ in Crore)

परिपक्वता पेटर्न Maturity Pattern	अग्रिम Advances (₹)	निवेश Investments (₹)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets (₹)
अगले दिन Next Day	2,644.43	9,894.03	277.55
2 – 7 दिन Days	1,753.09	2,263.21	223.82
8 –14 दिन Days	1,221.54	707.02	80.26
15 – 28 दिन Days	2,157.90	1,120.55	269.71
29 दिन Days – 3 माह Months	12,273.94	5,952.61	1,079.34
>3 माह Months – 6 माह Months	8,081.62	6,433.39	931.53
>6 माह Months – 1 वर्ष Yr.	11,312.97	10,267.77	74.37
>1 वर्ष Yr – 3 वर्ष Yrs	55,260.84	9,511.95	76.33
>3 वर्ष Yrs – 5 वर्ष Yrs	17,510.15	5,849.95	105.93
>5 वर्ष Yrs	24,869.82	14,190.73	2.80
कुल Total	1,37,086.30	66,191.21	3,121.64

अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन, 15-28 दिन के अग्रिम उक्त आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता और वर्तमान भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार आस्तियों के संव्यहार विश्लेषण के अनुसार बकेट किया गया है।

4.9 31 मार्च, 2014 को एनपीए (सकल) राशि:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी	राशि (₹)
i.	अवमानक	2,674.44
ii.	संदिग्ध -1	1,220.92
iii.	संदिग्ध - 2	599.75
iv.	संदिग्ध - 3	60.73
v.	हानि	180.95
vi.	कुल एनपीए (सकल)	4,736.79

4.10 31 मार्च, 2014 को निवल एनपीए ₹3,180.56 करोड़

4.11 31 मार्च, 2014 को एनपीए अनुपात

क्रम सं.	प्रवर्ग	%
i.	सकल अग्रिम में सकल एनपीए	3.42
ii.	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	2.32

4.12 एनपीए (सकल) की कमी-बढ़त

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रवर्ग	राशि (₹)
i.	1 अप्रैल, 2013 वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	2,048.23
ii.	31 मार्च, 2014 तक की अवधि में परिवर्धन	3,555.73
iii.	31 मार्च, 2014 तक की अवधि में कटौती	867.17
iv.	31 मार्च, 2014 को अंतिम शेष	4,736.79

4.13 एनपीए हेतु प्रावधानों की कमी-बढ़त

क्रम सं.	प्रवर्ग	राशि (₹)
i.	1 अप्रैल, 2013 वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	575.74
ii.	31 मार्च, 2014 तक की अवधि तक किए गए प्रावधान	1,520.84
iii.	चालू वर्ष में 31 मार्च, 2014 तक बट्टे खाते डाला गया	462.74
iv.	31 मार्च, 2014 तक वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	82.73
v.	31 मार्च, 2014 को अंतिम शेष	1,551.11

4.14 31 मार्च, 2014 को गैर-निष्पादक निवेश की राशि ₹104.83 करोड़ है।

The Advances in Next days, 2-7 days, 8-14 days,15-28 days are bucketed as per the Residual Maturity of the Assets and behavioral analysis of the Assets as per the extant RBI guidelines.

4.9 Amount of NPAs (Gross) as on 31st March, 2014:

(₹ in crores)

Sl. No.	Category	Amount (₹)
i.	Sub-Standard	2,674.44
ii.	Doubtful –1	1,220.92
iii.	Doubtful – 2	599.75
iv.	Doubtful – 3	60.73
v.	Loss	180.95
vi.	Total NPA [Gross]	4,736.79

4.10 Net NPA as on 31st March, 2014 ₹ 3,180.56 Crores

4.11 NPA Ratios as on 31st March, 2014

Sl.No.	Category	%
i.	Gross NPA to Gross Advances	3.42
ii.	Net NPA to Net Advances	2.32

4.12 Movement of NPA's (Gross)

(₹ in crores)

Sl. No.	Category	Amount (₹)
i.	Opening balance at the beginning of the year 1st April, 2013.	2,048.23
ii.	Additions during the Year till 31st March, 2014.	3,555.73
iii.	Reductions during the Year till 31st March, 2014.	867.17
iv.	Closing balance as on 31st March, 2014	4,736.79

4.13 Movement of Provisions for NPA

Sl. No.	Category	Amount (₹)
i.	Opening balance at the beginning of the year 1st April, 2013.	575.74
ii.	Provisions made during the year till 31st March, 2014.	1,520.84
iii.	Written off during the current year till 31st March, 2014.	462.74
iv.	Write back of excess provision made during the year till 31st March, 2014.	82.73
v.	Closing balance as on 31st March 2014.	1,551.11

4.14 Amount of Non-Performing Investment as on 31st March, 2014 is ₹ 104.83 crores.

4.15 गैर-निष्पादक निवेश हेतु 31 मार्च, 2014 को प्रावधान की गई राशि ₹53.94 करोड़ है।

4.16 निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों की कमी-बढ़त

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रवर्ग	राशि
i.	1 अप्रैल, 2013 वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	26.63
ii.	31 मार्च, 2014 तक वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	27.31
iii.	घटाएं: 31 मार्च, 2014 तक वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन बट्टे खाते लिखना	–
iv.	31 मार्च, 2014 को अंतिम शेष	53.94

सारणी डीएफ – 5 ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

बैंक जोखिम भार हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली रेटिंग का उपयोग कर रहा है:

1. क्रिसिल
2. केअर
3. इक्रा
4. फिच
5. ब्रिकवर्क्स रेटिंग एजेंसी
6. स्मेरा

एक्सपोज़र का प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया गया

बैंक ने सभी पात्र एक्सपोज़रों के लिए, तुलन पत्र में शामिल होने वाले और शामिल न होने वाले, दोनों, चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, उपर्युक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग को नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे (एनसीएएफ) पर भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों में अनुमत तरीके से उपयोग किया है। बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के बीच कोई भेदभाव नहीं किया, न ही किसी विशिष्ट एक्सपोज़र के लिए उनके उपयोग पर कोई प्रतिबंध लगाया।

पब्लिक इश्यू रेटिंग तुलनीय आस्तियों में अंतरित

बैंक ने, एनसीएएफ पर भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार, तुलनीय आस्तियों में पब्लिक रेटिंग को बैंकिंग बहियों में निम्नानुसार अंतरित किया:

विशिष्ट इश्यू रेटिंग

बैंक के दीर्घावधि और अल्पावधि एक्पोज़रों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा

4.15 Provision held as on 31st March, 2014 for non-performing investment ₹ 53.94 crores.

4.16 Movement of Provisions for Depreciation on Investments.

(₹ in crores)

Sl. No.	Category	Amount (₹)
i.	Opening balance at the beginning of the year 1st April, 2013.	26.63
ii.	Provisions made during the year till 31st March, 2014.	27.31
iii.	Less write-off 'Write-back of excess provision during the year till 31st March, 2014.	–
iv.	Closing balance as on 31st March, 2014.	53.94

DF-5 Credit Risk: Disclosure of portfolios subject to the Standardised Approach

Qualitative Disclosures

The Bank is using the ratings assigned by the following international credit rating agencies, approved by the RBI, for risk weighting:

1. Crisil
2. Care
3. ICRA
4. Fitch
5. Brickworks Rating Agency
6. SMERA

Types of exposures for which each agency is used

The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term, in the manner permitted in the RBI guidelines on the New Capital Adequacy Framework (NCAF). The Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.

Public issue ratings transferred onto comparable assets

The Bank has, in accordance with RBI guidelines on the NCAF, transferred public ratings on to comparable assets in the banking books in the following manner:

Issue Specific Ratings

All long term and short term ratings assigned by the credit

विशेष रूप से दी गई क्रमशः दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंग को बैंक ने विशिष्ट इश्यू रेटिंग माना है।

बैंक के संविभाग में उन आस्तियों हेतु जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर है, उनके लिए चुनी गई रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पकालीन रेटिंग संगत मानी जाती है। अन्य आस्तियों हेतु जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से अधिक है, उनके लिए चुनी गई रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घकालीन रेटिंग संगत मानी जाती है।

चुनी गई देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी दीर्घकालीन रेटिंग को एनसीएएफ के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लागू उपयुक्त जोखिम भार के मैप किया गया है। नीचे प्रस्तुत रेटिंग बनाम जोखिम भार भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार देशी कार्पोरेट एक्सपोज़र के लिए अपनाया गया।

दीर्घकालीन रेटिंग	एएए	एए	ए	बीबीबी	बीबी और बीबी से कम	रेट न किया गया
जोखिम भार	20%	30%	50%	100%	150%	100%

विशिष्ट इश्यू के अल्पकालीन रेटिंग के संबंध में बैंक ने एनसीएएफ में दिए अनुसार निम्नलिखित जोखिम-भार मैपिंग को अपनाया है:

अल्पकालीन रेटिंग	ए1+	ए1	ए2	ए3	ए4 और डी	रेट न किया गया
जोखिम भार	20%	30%	50%	100%	150%	100%

rating agencies specifically to the Bank's long term and short term exposures respectively are considered by the Bank as issue specific ratings.

For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Long term ratings issued by the chosen domestic credit rating agencies have been mapped to the appropriate risk weights applicable as per the Standardised approach under the NCAF. The rating to risk weight mapping furnished below was adopted for domestic corporate exposures, as per RBI guidelines.

Long Term Rating	AAA	AA	A	BBB	BB & Below	Unrated
Risk Weight	20%	30%	50%	100%	150%	100%

In respect of the issue specific short term ratings the following risk weight mapping has been adopted by the Bank, as provided in the NCAF:

Short Term Rating	A1+	A1	A2	A3	A4&D	Unrated
Risk Weight	20%	30%	50%	100%	150%	100%

परिमाणात्मक प्रकटन Quantitative Disclosure

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

विवरण Particulars	100% जोखिम भार से कम Below 100% Risk weight		100% जोखिम भार 100% Risk Weight		100% जोखिम भार से अधिक More than 100% Risk Weight		कुल Total	
	बही मूल्य Book Value (₹)	आरडब्ल्यूए RWA (₹)	बही मूल्य Book Value (₹)	आरडब्ल्यूए RWA (₹)	बही मूल्य Book Value (₹)	आरडब्ल्यूए RWA (₹)	बही मूल्य Book Value (₹)	आरडब्ल्यूए RWA (₹)
निधि आधारित Fund Based								
ऋण एवं अग्रिम Loans & Advances	65,979.37	3,344.91	34,543.70	30,597.95	36,517.37	36,816.10	1,37,040.44	1,00,758.95
निवेश Investments	50,364.41	1981.20	0.00	0.00	71.17	106.76	50,435.58	2,087.96
अन्य आस्तियाँ Other Assets	606.91	121.39	1830.71	1722.63	0.00	0.00	2,437.62	1,844.03
गैर-निधि आधारित Non-Fund Based								
गैर बाजार संबद्ध Non-Market Related	13,328.93	2,231.49	8,671.44	3,300.02	5,877.96	3,774.65	27,878.33	9,306.16
बाजार संबद्ध Market Related	36123.00	430.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36,123.00	430.48

सारणी डीएफ – 6 ऋण जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है। यह नीति बैंक को स्वीकार्य जोखिम प्रशामकों/संपार्श्विकों का स्वरूप, संपार्श्विक का प्रलेखीकरण और अभिरक्षा व्यवस्था, मूल्यांकन तरीका और आवधिकता आदि निर्धारित करती है।

ऋण जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाओं के अभिकलन हेतु बैंक केवल उन संपार्श्विकों पर विचार करता है, जिन्हें भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम कम करने के लिए पात्र माना गया है। वे निम्नानुसार हैं:

बैंक में नकदी जमा
बुलियन और आभूषण सहित स्वर्ण
किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी/एनएससी/सरकारी प्रतिभूतियाँ

बैंक पूँजी आंकलन हेतु व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। उक्त व्यापक दृष्टिकोण में संपार्श्विक लेते समय, बैंक, उस संपार्श्विक के प्रभाव को घटाते हुए पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु प्रति पार्टी को समायोजित एक्सपोज़र को परिकलित करता है। पूँजी के परिकलन के उद्देश्य के लिए, बैंक, निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मानता है, जो भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं:

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) और केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियाँ।

ऋण जोखिम का प्रशमन मुख्यतः बैंक में नकद जमा के रूप में किया जाता है और इस प्रकार उक्त प्रशामकों का जोखिम (ऋण और बाज़ार) संकेन्द्रीकरण काफी कम है।

परिमाणात्मक प्रकटन

पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति	प्राप्त पूंजी राहत
स्वर्ण आभूषण	₹434.28 करोड़
केवीपी/एनएससी/एलआईसी/सरकारी प्रतिभूतियाँ	₹23.11 करोड़
जमाराशियाँ	₹785.97 करोड़

सारणी डीएफ–7 – प्रतिभूतीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण: शून्य।

सारणी डीएफ–8 व्यापारिक बही में बाजार जोखिम

8.1 बैंक ने बाजार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार के परिकलन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया है।

DF-6 Credit Risk Mitigation: Disclosures for standardized Approaches

The Bank has a Board approved collateral management policy. The policy covers aspects on the nature of risk Mitigants/ Collaterals acceptable to the Bank, the documentation and custodial arrangement of the collateral, the valuation manner and periodicity etc.

For purposes of computation of capital requirement for Credit Risk, the Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in RBI guidelines, which are as follows:

Cash deposit with the Bank
Gold, including Bullion and Jewelry
KisanVikasPatra / LIC Policies/NSC/Government Securities.

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. For purposes of capital calculation, the Bank recognizes the credit protection given by the following entities, considered eligible as per RBI guidelines:

Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), and Guarantees given by Central and State Government.

The credit risk mitigation taken is largely in the form of cash deposit with the Bank and thus the risk (credit and market) concentration of the Mitigants is low.

Quantitative Disclosure

Eligible financial collateral	Capital Relief Availed
Gold Jewels	₹434.28 Cr.
KVP/NSC/LIC/Govt. Securities	₹23.11 Cr.
Deposits	₹785.97 Cr.

Table DF-7 – Securitization: Disclosure for Standardized Approach – Nil.

Table DF-8 Market Risk in Trading Book

8.1 Bank has adopted the Standardized Duration Approach as prescribed by RBI for computation of capital charge to market risk.

8.2 बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम बाज़ार मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण तुलन पत्र की मदों और तुलन पत्र में शामिल न होने वाली मदों की स्थितियों में हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित है।

8.3 बाज़ार जोखिम प्रबंधन

बैंक ने मुंबई में अपने ट्रेडिंग एवं निवेश प्रभाग में एक स्वतंत्र मिड-ऑफिस स्थापित किया है। यह मिड-ऑफिस एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग के विस्तारित अंग के रूप में कार्य करता है और इसे निर्धारित विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ट्रेडिंग सीमाएं, प्रतिपार्टी एक्सपोज़र सीमाएं आदि के अनुपालन की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। मिड-ऑफिस दैनिक आधार पर जोखिम-पर-मूल्य परिकलित करता है और एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग को रिपोर्ट करता है। सीमाओं का कोई भी उल्लंघन तत्काल शीर्ष प्रबंधन के ध्यान में लाया जाता है और जहाँ अपेक्षित हो आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

8.4 बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) बाज़ार जोखिम क्षेत्रों की देखरेख करती है और निदेशक-मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करती है। आरएमसीबी निदेशक मंडल को रिपोर्ट करती है।

परिमाणात्मक प्रकटन

31 मार्च, 2014 को बेसल III के अंतर्गत बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

जोखिम प्रवर्ग	(₹)
i) ब्याज दर जोखिम	610.63
ii) ईक्विटी स्थिति जोखिम	120.15
iii) विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	4.50
iv) सीवीए	2.27
iv) बाजार जोखिमों हेतु कुल पूंजीगत प्रभार के तहत मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (i+ii+iii+iv)	737.55

सारणी डीएफ- 9

परिचालन जोखिम

बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण अपना रहा है।

31 मार्च, 2014 को मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिम के लिए अपेक्षित पूँजी प्रभार ₹673 करोड़ है।

8.2 Market Risk

Market risk is defined as the risk of losses in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market prices.

8.3 Market Risk Management

The Bank has set up an independent Mid-office at its Trading & Investment Division in Mumbai. Mid-office acts as extended arm of the Integrated Risk Management Division and is entrusted with the responsibility of monitoring the adherence of various risks limits set such as Trading limits, Counterparty exposure limits etc. The Mid-office calculates the Value At Risk on a daily basis and reports the same to the Integrated Risk Management Division on a daily basis, any breach of limits is immediately brought to the attention of Top Management and necessary ratifications and actions are taken wherever required.

8.4 The Market Risk Management Committee (MRMC) looks after the Market Risk areas and in turn reports to the Risk Management Committee of Board (RMCB). The RMCB reports to the Board.

Quantitative Disclosures

The capital requirements for market risk under Basel III as on 31st March, 2014 are as under:

(₹ in crores)

Risk Category	(₹)
i) Interest Rate Risk	610.63
ii) Equity Position Risk	120.15
iii) Foreign Exchange Risk (including Gold)	4.50
iv) CVA	2.27
iv) Total capital charge for market risks under Standardised duration approach (i+ii+iii+iv)	737.55

Table DF-9

Operational Risk

The Bank is following Basic Indicator Approach for calculation of capital for Operational Risk.

The Capital Charge required to be maintained for Operational Risk under Basic Indicator Approach is Rs. 673 crores as on 31st March, 2014.

सारणी डीएफ–10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से तात्पर्य ब्याज दरों में परिवर्तनों से बैंक की बैंकिंग बही में प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव की संभावना है। बैंकिंग बही में ऐसी आस्तियाँ और देयताएं हैं जिनकी संविदा किसी संबंध के कारण या क्रमिक आय हेतु और सांविधिक दायित्वों के लिए की गई है और सामान्यतः उन्हें परिपक्वता तक धारित किया जाता है। बैंक विभिन्न बाज़ारों, परिपक्वताओं और बेंचमार्क में आस्तियाँ, देयताएं और तुलन पत्र से इतर मदें धारित करता है जिससे बदलती ब्याज दरों के कारण उसे जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

संरचना और संगठन

बैंक की आईआरआरबीबी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया निम्नलिखित पदानुक्रम में परिचालित होती है।

निदेशक मंडल

जोखिमों के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है। निदेशक मंडल बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति का निर्णय लेती है और ब्याज दर जोखिम के लिए सीमाएं भी निर्धारित करती है।

एमआरएमसी/आल्को

यह समिति बैंक की ऋण जोखिम और बाज़ार जोखिम नीतियों और प्रक्रियाओं की निगरानी करती है, बैंक के ट्रैज़री परिचालनों के लिए डीलिंग प्राधिकारियों/सीमाओं का अनुमोदन और समीक्षा करती है और इसकी जोखिम निगरानी प्रणाली और जोखिम रिपोर्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा करती है।

आस्ति देयता समिति (आल्को)

आल्को एक निर्णय लेने वाली प्रबंधन समिति है जो ब्याज दर जोखिम के रणनीतिपरक प्रबंधन सहित जोखिम–प्रतिलाभ दृष्टिकोण से तुलन–पत्र की आयोजना के लिए जिम्मेदार है। आल्को की भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैः

i. जमाराशियों और अग्रिमों के लिए उत्पाद मूल्यन
ii. वृद्धिशील आस्तियों एवं देयताओं का वाँछित परिपक्वता प्रोफाइल और मिश्रण का निर्णय करना
iii. बैंक के ब्याज दर दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करना और भावी कारोबार रणनीति का निर्णय करना
iv. निधीयन नीति की समीक्षा करना और अभिव्यक्त करना
v. निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना
vi. तरलता और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना, जिम्मेदारियाँ और नियंत्रण निर्धारित करना
vii. जोखिम प्रबंधन कार्य की परिचालनात्मक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
viii. दबाव परीक्षण परिणामों की समीक्षा करना
ix. बैंक की अंतरण मूल्यन नीति के संबंध में निर्णय लेना

Table DF-10

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) refers to the potential adverse financial impact on the Bank's banking book from changes in interest rates. The banking book is comprised of assets and liabilities that are contracted on account of relationship or for steady income and statutory obligations and are generally held till maturity. The Bank carries various assets, liabilities and off-balance sheet items across markets, maturities and benchmarks exposing it to risks from changing interest rates.

Structure and Organization

The IRRBB risk management process of the Bank operates in the following hierarchical manner:

Board of Directors

The Board has the overall responsibility for management of risks. The Board decides the risk management policy of the Bank and also sets limits for interest rate risk.

MRMC/ALCO

This Committee monitors the Bank's credit and market risk policies and procedures, approves and reviews dealing authorities / limits for the Bank's treasury operations and reviews its risk monitoring systems and risk reporting procedures.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO is a decision-making Management Committee responsible for balance sheet planning from risk-return Perspective including strategic management of interest rate risks. The role of the ALCO includes the following:

i. Product pricing for deposits and advances.
ii. Deciding the desired maturity profile and mix of incremental assets and liabilities.
iii. Articulating interest rate view of the Bank and deciding on the future business strategy.
iv. Reviewing and articulating funding policy.
v. Ensuring the adherence to the limits set by the Board of Directors.
vi. Determining the structure, responsibilities and controls for managing liquidity and interest rate risk.
vii. Ensuring operational independence of risk management function.
viii. Reviewing stress test results.
ix. Deciding on the transfer pricing policy of the Bank.

परिमाणात्मक प्रकटन

1. आस्तियों और देयताओं पर 100 आधार अंक ब्याज दर आघात हेतु अर्जन जोखिम (+/–) ₹100.10 करोड़ है।
2. 200 आधार अंक ब्याज दर आघात हेतु ईक्विटी के बाजार मूल्य में बदलाव –13.73% है।

डीएफ –प्रति पार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्पोज़रों के लिए सामान्य प्रकटन

प्रतिपार्टी ऋण जोखिम

बैंक भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के ढाँचे के भीतर व्युत्पन्न लेनदेनों को दो समूहों का संव्यवहार करता है

i) काउंटर पर लेनदेन की जाने वाली व्युत्पन्न लिखत
ii) एक्सचेंज पर लेनदेन की जाने वाली व्युत्पन्न लिखत

वर्तमान में बैंक ब्याज दर और मुद्रा व्युत्पन्न लिखतों में संव्यवहार करता है। बैंक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग, अपने तुलन पत्र की हेजिंग के लिए और अपने ग्राहकों को, जो प्रचलित विनियमों के भीतर अपने जोखिमों की हेजिंग के लिए उनका उपयोग करते हैं, पेशकश करने के लिए व्युत्पन्न लिखतों में लेनदेन करता है।

प्रति पार्टी ऋण जोखिम से संबंधिक एक्सपोज़र

प्रति पार्टी ऋण जोखिम (सीसीआर) लेनदेन निपटान के पहले या उसके परिपक्वता पर प्रतिपार्टी द्वारा चूक का जोखिम है।

विपथ जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में नीतियाँ

विपथ जोखिम तब बढ़ता है यदि प्रतिपार्टी ऋण गुणवत्ता खराब हो जाने पर एक्सपोज़र बढ़ने की प्रवणता रखता है। जब बैंक को लगता है कि पोर्टफोलियो में पर्याप्त जोखिम है, तब बैंक विपथ जोखिम परिकलित करने के लिए परिमाणात्मक उपाय का मूल्यांकन करेगा।

31.03.2014 को परिमाणात्मक प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न लिखतें (आनुमानिक मूल्य)	ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतें (आनुमानिक मूल्य)
1.	हेजिंग के लिए	शून्य	शून्य
2.	ट्रेडिंग के लिए	शून्य	1,325 करोड़

बाज़ार को अंकित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न लिखतें	ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतें
1.	हेजिंग के लिए	शून्य	शून्य
2.	ट्रेडिंग के लिए	शून्य	(–)4.02 करोड़

Quantitative Disclosures

1. Earnings at Risk for 100 bps interest rate shock as on assets and liabilities is (+/-) Rs. 100.10 crores.
2. Change in the Market Value of Equity for 200 bps interest rate shock is -13.73%.

DF-11 General Disclosure for Exposures related to Counter Party Credit Risk.

Counterparty Credit Risk

The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines

i) Over the Counter Derivatives
ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank presently deals in Interest Rate and Currency Derivatives. The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations.

Exposures related to Counterparty Credit Risk

Counterparty Credit Risk (CCR) is the risk of default by the counterparty towards settlement of the transaction before or at maturity.

Policies with respect to wrong-way risk exposures

Wrong way risk arises if the exposure tends to increase when the counterparty credit quality gets worse. The Bank will evaluate quantitative measures to compute the wrong way risk when it feels there is a significant risk to the portfolio.

Quantitative Disclosures as on 31.03.2014

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives (Notional Value)	Interest Rate Derivatives (Notional Value)
1.	For Hedging	NIL	NIL
2.	For Trading	NIL	1,325 crores

Marked to Market Positions

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1.	For Hedging	NIL	NIL
2.	For Trading	NIL	(–) 4.02 crores

Passbooks are passé

Presenting a Green Initiative

Corp e-Passbook

- Passbook on your mobile
- Personalize transaction details
- Search your transaction history
- Online & Offline access 24x7
- SMS/ e-Mail/ Whatsapp your account details

Download Now on

Google play | Available on the App Store | Windows Phone

Open an account with CorpBank today and avail this facility.

For more details visit the nearest branch or call Toll Free: 1800 425 3555 or SMS 'CALLME' to 9231 000 333
or visit: www.corpbank.com

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

Power of
Touch & Transact

Enjoy the pleasure of seamless banking
with

Corp MOBILE
Banking App for iOS & Android

Be it early in the morning or late evening, in the travel mode or within the cozy comforts of your home, carry out your banking on Mobile Phones or iPad with "CorpMobile" App (Available on iOS and Android).

FEATURES

- View Account Details
- Money Transfer to own Bank & other Banks through NEFT
- Payment through IMPS
- Cheque Book Request
- Stop Payment
- CorpBank Credit Card Payment

Android
Google play

iOS
Available on the App Store

Call Toll Free: 1800 425 3555 or SMS 'CALLME' <CITY> <NAME> to 9231 000 333

Down oad Now!
Simply scan the QR Code

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रतिष्ठा में
भारत के राष्ट्रपति

1. हमने 31 मार्च, 2014 तक के, कार्पोरेशन बैंक (यत्पश्चात् "बैंक" कहा गया है) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें यथा 31 मार्च 2014 तुलन-पत्र और इसी तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण (यत्पश्चात् वित्तीय विवरण कहा गया है), तथा महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं और शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 906 शाखाओं/खुदरा हब/प्रसंस्करण केन्द्र को शामिल किया गया है। बैंक ने, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया है। इस तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे में 1095 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल हैं जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है और इनके मामले में हमने कोई लेखा-परीक्षा प्रक्रिया नहीं की है। ये अलेखापरीक्षित शाखाएँ अग्रिम का 5.07 प्रतिशत, जमाराशियों का 10.46 प्रतिशत, ब्याज आय का 3.95 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 10.41 प्रतिशत समाहित करती हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन-वर्ग का उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारत में लागू अन्य विधियों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन वर्ग का है। इस उत्तरदायित्व में चाहे कपट के कारण हो या त्रुटिवश, महत्वपूर्ण अयथार्थों से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए ज़रूरी आंतरिक नियंत्रण के निरूपण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है।

लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाकर लेखा-परीक्षा का कार्य संपन्न करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं।

4. किसी लेखा-परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में व्यक्त धनराशियों और प्रकटनों के समर्थक साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चुनी जाने वाली प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक का विवेक, जिसमें चाहे कपट के कारण हो या त्रुटिवश, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थों के जोखिमों का आकलन शामिल है, पर निर्भर करती हैं। जोखिम का यह आकलन करने में लेखा-परीक्षक परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निरूपित करने के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं उचित प्रस्तुति के लिए ज़रूरी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। किसी लेखा-परीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की युक्तियुक्तता का आकलन और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The President of India
Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of CORPORATION BANK (hereinafter referred to as "Bank") as at 31st March, 2014, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2014, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement (hereinafter referred to as Financial Statements) for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and treasury operations audited by us and 906 branches / retail hub / processing centers audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1095 branches which have not been subjected to audit, for which we have not exercised any audit process. These unaudited branches account for 5.07 per cent of advances, 10.46 per cent of deposits, 3.95 per cent of interest income and 10.41 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949 and other Applicable Laws in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा साक्ष्य लेखा-परीक्षा अभिमत हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अभिमत

6. हमारी राय में, जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शाया गया है तथा हमारी अधिकतम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   i. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों के अभिन्न अंग टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र, एक संपूर्ण एवं यथोचित तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण हैं और यह 31 मार्च, 2014 को बैंक की स्थिति को सही एवं स्पष्ट रूप से दर्शाने हेतु भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप भली-भाँति तैयार किया गया है;

   ii. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों के अभिन्न अंग टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि लेखा, लेखा द्वारा समाविष्ट वर्ष हेतु भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप लाभ का सही शेष दर्शाता है; और

   iii. नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं यथार्थ स्थिति प्रस्तुत करता है।

महत्वपूर्ण बात

7. हमारे अभिमत को सापेक्ष न करते हुए हम, लेखों के अभिन्न अंग निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं-

   क) वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18क की टिप्पणी सं. 4.3, जो पुनर्संरचित खातों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और प्रावधान से संबंधित है।

   ख) वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18ख में टिप्पणी सं. 2.2, जो बैंक ने कर्मचारी हितलाभ अर्थात् बीमारी छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत और दीर्घावधि अवार्ड को गैर-सेवांत लाभ के रूप में लेने से संबंधित है, जिन्हें अब तक सेवांत लाभ के रूप में माना जाता था। तदनुसार पूर्व वर्षों से संबंधित ₹63.62 करोड़ के प्रावधान को वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया है।

   ग) वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18ख में टिप्पणी सं. 2.3, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुन: देना तथा ग्रैच्युटी सीमाओं में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक व्यवस्था पर अपने परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी. बीसी/80/21.04.018/2010-11 के द्वारा लेखा मानक (एएस-15), कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों को लागू करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट देने परिणामस्वरूप रु.110.51 करोड़ की हद तक बैंक की पेंशन देयता को आस्थगित करने के संबंध में है।

   घ) वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18ख में टिप्पणी सं. 6(क), जो भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. बैं.प.वि.वि. सं. बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के अनुसरण में बैंक ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि पर 31 मार्च 2013 को आस्थिगति कर देयता के सृजन के व्यय के लेखांकन का विवरण देती है।

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   ii. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit/loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   iii. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to the following notes on accounts forming integral part of accounts –

   a) Note No. 4.3, schedule 18A to the financial statements, regarding classification, income recognition and provisioning of restructured advances.

   b) Note No. 2.2, schedule 18B to the financial statements regarding considering the employee benefits, namely, Sick Leave, Casual Leave, Leave Travel Concession and Long Term Awards as non-terminal benefits which hitherto was considered terminal benefits. Accordingly, the provision amounting to ₹63.62 Crore made in earlier years has been reversed during the year.

   c) Note No. 2.3, schedule 18B of the financial statements regarding deferment of pension liability to the extent of ₹110.51crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standards (AS-15), Employee Benefits vide Circular No. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits-Prudential Regulatory Treatment.

   d) Note No. 6(a), Schedule 18B to the financial statements, which describes the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961 as at 31st March, 2013 pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No. BP.BC.77/21.04.018/ 2013-14 dated 20th December, 2013.

ङ) वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18ख में टिप्पणी सं. 6(ख), जो बैंक ने लेखा आय और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर कर-योग्य आय के बीच के अंतर को जिसे अब तक समय अंतर माना जाता था, स्थाई अंतर माने जाने के कारण ₹869.00 करोड़ की आस्थगित कर देयता का सृजन न करने और पहले सृजित ₹191.10 करोड़ की आस्थगित कर देयता को प्रत्यावर्तित करने के संबंध में है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फार्म "क" और "ख" में तैयार किए गए हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार हैं।

9. उपर्युक्त 3 से 7 तक के पैरा में बताई गई सीमाओं तथा महत्वपूर्ण बात संबंधी पैरा के अधान और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षितानुसार, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   क. हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

   ख. बैंक के जो लेनदेन हमारे ध्यान में आए, वे बैंक के अधिकारों के भीतर थे; और

   ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

10. हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप-धारा 3सी में उल्लिखित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

e) Note No. 6(b), schedule 18B to the financial statements regarding non creation of Deferred Tax Liability of Rs.869 Crores and reversal of Deferred Tax Liability of Rs.191.10 Crores created previously for the reason that the difference invaluation of securities has been considered as permanent difference which was hitherto considered as timing difference.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and is in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 3 to 7 above and emphasis of matter paragraph and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards referred to in Sub-section 3C of Section 211 of the Companies Act, 1956.

कृते सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स	कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.	कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.	कृते जीएमजे एण्ड कं.	कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
FRN-001359N	FRN-002878S	FRN-000379C	FRN-103429W	FRN-001997S
[सीए एस.सी. गुप्ता]	**[सीए सी.आर. दीपक]**	**[सीए राहुल गुप्ता]**	**[सीए अतुल जैन]**	**[सीए मुरली मोहन]**
एम.नं. 016534	एम.नं. 215398	एम.नं. 077811	एम.नं. 037097	एम.नं. 203592
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार

स्थानः मंगलूर
दिनांकः 9 मई, 2014

for Suresh Chandra & Associates	for B. K. Ramadhyani & Co.	for Nripendra & Co.
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN-001359N	FRN-002878S	FRN-000379C
[CA S. C. Gupta]	**[CA C. R. Deepak]**	**[CA Rahul Gupta]**
M.No. 016534	M.No. 215398	M.No. 077811
PARTNER	PARTNER	PARTNER

for GMJ & Co.	for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN-103429W	FRN-001997S
[CA Atul Jain]	**[CA Murali Mohan]**
M.No. 037097	M.No. 203592
PARTNER	PARTNER

Place : Mangalore
Date : 9th May, 2014

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2014 की स्थिति का तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2014

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	यथा As on 31.03.2014 ₹	यथा As on 31.03.2013 ₹
पूँजी और देयताएँ CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी Capital	1	**167,54,19**	152,91,44
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष Reserves and Surplus	2	**9917,56,37**	9412,78,28
जमाराशियाँ Deposits	3	**193393,00,69**	16605,45,47
उधार राशियाँ Borrowings	4	**13021,44,53**	12898,84,63
अन्य देयताएँ व प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	**5548,91,28**	4972,33,53
योग TOTAL		**222048,47,06**	193442,33,35
आस्तियाँ ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**13740,20,76**	8847,84,57
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन Balances with Banks and Money at call and short notice	7	**498,80,82**	3835,47,64
निवेश Investments	8	**66191,21,29**	58164,49,43
अग्रिम Advances	9	**137086,29,92**	118716,64,56
स्थाई आस्तियाँ Fixed Assets	10	**465,26,80**	443,19,85
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	**4066,67,47**	3434,67,30
योग TOTAL		**222048,47,06**	193442,33,35
आकस्मिक देयताएँ Contingent Liabilities	12	**62391,81,86**	50374,32,01
उगाही के लिए बिल Bills for collection		**11385,20,68**	7315,61,92
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	18		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अमर लाल दौलतानी)
कार्यपालक निदेशक
(बी. के. श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक
(सी. जी. पिन्टो) महा प्रबंधक
(एच. राजभूषण) उप महा प्रबंधक

निदेशक
आदीश कुमार जैन
यू. एस. पालीवाल
विन्सेंट डि'सूज़ा
एकनाथ बालिगा
कवलजीत सिंह ओबेरॉय
एस. शब्बीर पाशा
बी. वेंकट बास्कर

कृते सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-001359N
(सीए एस.सी. गुप्ता)
(एम.नं. 016534) साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-000379C
(सीए राहुल गुप्ता)
(एम.नं. 0077811) साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-001997S
(सीए मुरली मोहन)
(एम.नं. 203592) साझेदार

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-002878S
(सीए सी.आर. दीपक)
(एम.नं. 215398) साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-103429W
(सीए अतुल जैन)
(एम.नं. 037097) साझेदार

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 9 मई, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2014

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended on 31.03.2014 ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended on 31.03.2013 ₹
I. **आय INCOME**			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**17958,56,91**	15334,08,27
अन्य आय Other income	14	**1647,71,79**	1607,93,83
योग TOTAL		**19606,28,70**	16942,02,10
II. **व्यय EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	15	**14174,88,21**	11908,23,44
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**2392,00,76**	1996,78,12
प्रावधान और आकस्मिकताएँ Provisions and Contingencies		**2477,67,87**	1602,33,07
योग TOTAL		**19044,56,84**	15507,34,63
III. **लाभ PROFIT**			
वर्ष का निवल लाभ Net Profit for the year		**561,71,86**	1434,67,47
योग TOTAL		**561,71,86**	1434,67,47
IV. **विनियोग APPROPRIATIONS**			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Statutory Reserves		**140,42,96**	358,66,87
कर्मचारी कल्याण निधि में अन्तरण Transfer to Staff Welfare Fund		**15,00,00**	15,00,00
कर्मचारी कल्याण निधि से प्रत्यावर्तन Reversal from Staff Welfare Fund		**-19,46,31**	–
निवेश आरक्षित निधि Investment Reserve		**1,53,97**	4,09,81
आरक्षित पूँजी में अन्तरण Transfer to Capital Reserve		**23,17,05**	39,87,62
विशेष आरक्षित निधियाँ Special Reserves		**207,00,00**	343,00,00
सामान्य आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to General Reserves		**61,72,94**	340,12,87
प्रदत्त अंतरिम लाभांश Interim Dividend Paid		**75,39,45**	–
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		**37,69,79**	290,53,73
प्रदत्त अंतरिम लाभांश पर कर Tax on Interim Dividends Paid		**12,81,33**	–
प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax on Dividends Proposed		**6,40,68**	43,36,57
योग TOTAL		**561,71,86**	1434,67,47
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earning per share (₹)		**35.75**	96.74

As per our Report of even date

[S.R Bansal]
Chairman & Managing Director

[Amar Lal Daultani]
Executive Director

[B. K. Srivastav]
Executive Director

[C. G. Pinto]
General Manager

[H. Rajbhooshan]
Dy. Gen. Manager

Place: Mangalore
Date: 9th May, 2014

Directors
Adish Kumar Jain
U. S. Paliwal
Vincent D'souza
Ekanath Baliga
Kawaljit Singh Oberoi
S. Shabbeer Pasha
B Venkata Bhaskar

for Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants FRN-001359N
[CA S.C. Gupta]
(M.No. 016534) Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants FRN-000379C
[CA Rahul Gupta]
(M.No. 077811) Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants FRN-001997S
[CA Murali Mohan]
(M.No. 203592) Partner

for B.K. Ramadhyani & Co.
Chartered Accountants FRN-002878S
[CA C.R. Deepak]
(M.No. 215398) Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants FRN-103429W
[CA Atul Jain]
(M.No. 037097) Partner

तुलन पत्र में संलग्न अनुसूचियाँ
SCHEDULES ANNEXED TO BALANCE SHEET

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2014 ₹	₹	यथा As on 31.03.2013 ₹	₹
अनुसूची 1 – पूँजी **SCHEDULE 1 – CAPITAL**				
प्राधिकृत पूँजी AUTHORISED CAPITAL				
प्रत्येक ₹10 के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each		**3000,00,00**		**3000,00,00**
निर्गमित एवं अभिदत्त पूँजी ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रत्येक ₹10 के 16,75,41,877 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में 15,29,14,391) 16,75,41,877 (Previous year 15,29,14,391) Equity Shares of ₹10 each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**152,91,44**		**148,12,93**	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (जब्ती) Addition/(Forfeited) during the year	**14,62,75**	**167,54,19**	**4,78,51**	**152,91,44**
प्रदत्त पूँजी PAID-UP CAPITAL				
क) केन्द्र सरकार द्वारा धारित a) Held by Central Government	**106,10,52**	**106,10,52**	**91,47,77**	**91,47,77**
ख) जनता एवं अन्य द्वारा धारित b) Held by the Public & Others	**61,43,67**		**61,43,67**	
घटाएँ: देय आबंटन राशि Less : Allotment money due	–		–	
वर्ष के दौरान जब्ती Forfeited during the year	–	**61,43,67**	–	**61,43,67**
योग TOTAL		**167,54,19**		152,91,44
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियाँ और अधिशेष **SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS**				
I. **सांविधिक आरक्षित निधियाँ** **Statutory Reserves**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**2942,08,97**		2583,42,10	
लाभ से विनियोग Appropriation from Profit	**140,42, 96**		358,66,87	
निवेशों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग Appropriation from excess Provision of Depreciation on Investments	–		–	
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि से अंतरण Transfer from Investment Fluctuation Reserve	–	**3082,51,93**	–	2942,08,97
II. **विशेष आरक्षित निधियाँ Special Reserve**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**1078,10,74**		735,10,74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**207,00,00**		343,00,00	
कार्प होम से अंतरण Transfer from Corp Home	–		–	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	–	**1285,10,74**	–	1078,10,74

अनुसूची–2 SCHEDULE – 2 (क्रमशः Contd.) (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2014 ₹	₹	यथा As on 31.03.2013 ₹	₹
III. **पूँजी आरक्षित निधियाँ Capital Reserves**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**759,93,59**		720,05,97	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**23,17,05**		39,87,62	
जोडें : शेयर जब्त खाते से अंतरण Add: Transfer from Share Forfieted A/c	**17**	**783,10,81**	–	759,93,59
IV. **शेयर प्रीमियम Share Premium**				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**1205,49,47**		1006,27,99	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(कटौती) Additions/(deductions) during the year	**435,37,25**		199,21,48	
घटाएँ: बकाये में माँग राशि Less : Calls in Arrears	**–**	**1640,86,72**	–	1205,49,47
पुनर्निर्गम हेतु पात्र जब्त शेयर खाता Share Forfeited Account eligible for Re-issue	–	–	17	17
V. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ Revenue & Other Reserves**				
क) निवेश आरक्षित निधि				
a) Investment Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**13,97,29**		9,87,49	
लाभ–हानि विनियोग खाते से अंतरण Transfer from Profit and Loss Appropriation Account	**1,53,97**		4,09,81	
	15,51,26		13,97,29	
लाभ–हानि विनियोग खाते में अंतरण Transfer to Profit and Loss Appropriation Account	–		–	
निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग Appropriation from exc=ess Provision in Depreciation on Investments	–		–	
सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to General Reserve		**15,51,26**		13,97,29
ख) सामान्य आरक्षित निधियाँ				
b) General Reserves				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**3413,18,05**		3073,05,17	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**61,72,94**		340,12,87	
	3474,90,99		3413,18,05	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	**–364,46,08**	**3110,44,91**	–	3413,18,05
VI. **लाभ व हानि खाते में शेष Balance in Profit & Loss A/c**		–		–
कुल TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)		**9917,56,37**		9412,78,28

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2014 ₹	यथा As on 31.03.2013 ₹
अनुसूची 3 – जमाराशियाँ		
SCHEDULE 3 – DEPOSITS		
क. A. I. माँग जमाराशियाँ Demand Deposits		
i) बैंकों से From Banks	**13,26,86**	56,26,87
ii) अन्यों से From Others	**14823,18,87**	15180,47,10
II. बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits	**24478,45,36**	20759,48,29
III. मीयादी जमाराशियाँ Term Deposits		
i) बैंकों से From Banks	**21362,76,31**	19424,94,78
ii) अन्यों से From others *	**132715,33,29**	110584,28,43
योग TOTAL (I, II व & III)	**193393,00,69**	166005,45,47
ख. B. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of branches in India	**193393,00,69**	166005,45,47
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of branches outside India	–	–
योग TOTAL	**193393,00,69**	166005,45,47
* जिसमें शामिल हैं which includes		
कार्पगोल्ड जमाराशियाँ Corpgold Deposits	**386,10,85**	437,57,55
एफसीएनआर जमाराशियाँ FCNR Deposits	**1252,24,49**	950,01,59
अनुसूची 4 – उधार राशियाँ		
SCHEDULE 4 – BORROWINGS		
I. भारत में उधार Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	**6419,00,00**	4934,98,00
ii) अन्य बैंक Other Banks	**5,08,59**	–
iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण Other Institutions and Agencies*	**5399,05,94**	5575,32,63
योग TOTAL	**11823,14,53**	10510,30,63
II. भारत के बाहर उधार राशियाँ Borrowings outside India	**1198,30,00**	2388,54,00
योग TOTAL (I व & II)	**13021,44,53**	12898,84,63
उपर्युक्त I व II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured Borrowings included in I & II above	–	–
* गैर प्रतिभूत प्रतिदर्श बांड (टियर II) Includes Unsecured Redeemable Bonds (Tier II)	**4600,00,00**	4600,00,00
टियर I शाश्वत बांड Tier I Perpetual Bonds	**737,50,00**	737,50,00

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2014 ₹	यथा As on 31.03.2013 ₹
अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ एवं प्रावधान		
SCHEDULE 5 – OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल Bills Payable	**593,44,25**	617,01,34
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office Adjustments (Net)	**220,87,50**	100,09,12
III. प्रोद्भूत ब्याज Interests accrued	**752,72,67**	620,81,67
IV. अन्य (प्रावधान सहित)* Others (including provisions)*	**3981,86,86**	3634,41,40
योग TOTAL	**5548,91,28**	4972,33,53
* ''मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान'' सम्मिलित हैं Includes "Contingent Provisions against Standard Assets"	**842,00,53**	618,00,53
''आस्थगित कर देयता'' "Deferred Tax Liability"	**174,05, 64**	130,37,55
अनुसूची 6 – नकद और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
SCHEDULE 6 – CASH AND BALANCE WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हस्तगत रोकड़ (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**850,66,61**	894,27,60
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के चालू खाते में शेष Balances with Reserve Bank of India in Current Accounts	**12644,79,95**	7894,42,48
III. हस्तगत स्वर्ण Gold in hand	**244,74,20**	59,14,49
योग TOTAL (I, II व & III)	**13740,20,76**	8847,84,57
अनुसूची 7 – बैंकों में शेष एवं माँग तथा अल्प सूचना पर धन		
SCHEDULE 7 – BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में In India		
i) बैंकों में शेष Balances with Banks		
क a) चालू खातों में In Current Accounts	**318,58,01**	99,40,45
ख b) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	**1,99**	265,03,62
ii) माँग एवं अल्प सूचना पर धन Money at call and short notice		
क a) बैंकों में with Banks	–	2527,75,95
ख b) अन्य संस्थाओं में with Other Institutions	7	–
योग TOTAL (i+ii)	**318,60,07**	2892,20,02
II. भारत के बाहर Outside India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	**30,42,00**	33,27,62
ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	**149,78,75**	910,00,00
iii) मांग और अल्प सूचना पर धन Money at call and Short notice	–	–
योग TOTAL	**180,20,75**	943,27,62
सकल योग GRAND TOTAL (I व & II)	**498,80,82**	3835,47,64

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	**यथा As on 31.03.2014 ₹**	यथा As on 31.03.2013 ₹
अनुसूची 8 – निवेश SCHEDULE 8 – INVESTMENTS		
I. निवेश (सकल) Investments (Gross)	**66650,61,18**	58272,90,71
घटाएँ: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Less: Provision for Depreciation	**459,39,89**	108,41,28
निवल निवेश Net Investments	**66191,21,29**	58164,49,43
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	**51696,08,64**	46604,36,70
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	**1,37,48**	2,41,92
iii) शेयर Shares	**569,99,90**	617,91,62
iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	**3769,58,96**	2091,40,19
v) संयुक्त उद्यम/अनुषंगियां Joint venture/Subsidiaries		
क a) क्षे.ग्रा. बैंक में निवेश Investments in R.R.B.	–	–
ख b) अनुषंगियों में निवेश Investments in Subsidiaries	**75,00,00**	75,00,00
vi) अन्य Others		
क a) जमा प्रमाण पत्र Certificate of Deposit	–	386,81,24
ख b) वाणिज्यिक पत्र Commercial Paper	–	48,79,37
ग c) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें Units of Mutual Funds	**10,09,00**	12,85,30
घ d) वेंचर पूंजी निधियां Venture Capital Funds	**162,97,66**	163,40,17
झ e) नाबार्ड के तहत आरआईडीएफ/सिडबी एमएसएमई फंड/ आरएचडीएफ जमा NABARD under RIDF/SIDBI MSME FUND/RHDF Dep.	**9906,00,10**	8161,43,37
योग TOTAL	**66191,11,74**	58164,39,88
II. भारत के बाहर निवेश Investments outside India	**9,55**	9,55
योग TOTAL (I व & II)	**66191,21,29**	58164,49,43

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2014 ₹	यथा As on 31.03.2013 ₹
अनुसूची 9 – अग्रिम **SCHEDULE 9 – ADVANCES**		
क A. i) खरीदे एवं बट्टे खाते डाले गये बिल Bills purchased and discounted	**3591,02,99**	7174,04,84
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट एवं माँग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**64110,46,52**	52948,93,14
iii) मीयादी ऋण Term loans	**69384,80,41**	58593,66,58
योग TOTAL	**137086,29,92**	118716,64,56
ख B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं) Secured by Tangible Assets (includes Advances against Book Debts)	**115146,20,24**	98098,33,26
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**1478,11,89**	1637,87,48
iii) गैर–जमानती Unsecured	**20461,97,79**	18980,43,82
योग TOTAL	**137086,29,92**	118716,64,56
ग C. I. भारत में अग्रिम Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	**47723,25,32**	37214,58,62
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**15073,31,08**	19328,57,64
iii) बैंक Banks	**10,35,53**	580,36,56
iv) अन्य Others	**74279,37,99**	61593,11,74
योग TOTAL	**137086,29,92**	118716,64,56
ग C. II. भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India	–	–
सकल योग GRAND TOTAL (ग C. I व & ग C. II)	**137086,29,92**	118716,64,56

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2014 ₹	₹	यथा As on 31.03.2013 ₹	₹
अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ				
SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS				
I. परिसर Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर				
At cost as on 31st March of the preceding year	**182,14,11**		159,94,52	
इस अवधि के दौरान परिवर्धन Additions during the period	**11,10,71**		22,30,08	
	193,24,82		182,24,60	
इस अवधि के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	**10,78**		10,49	
	193,14,04		182,14,11	
यथातिथि मूल्यह्रास Depreciation to date	**75,57,59**		68,19,21	
	117,56,45		113,94,90	
जोड़ें: चालू पूँजीगत कार्य Add: Capital Work in progress	**8,88**	**117,65,33**	–	113,94,90
II. अन्य स्थाई आस्तियाँ Other Fixed Assets				
(फर्नीचर और जुड़नार सहित including furniture and fixtures)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर				
At cost as on 31st March of the preceding year	**979,18,18**		835,23,30	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the period	**127,11,71**		162,79,70	
	1106,29,89		998,03,00	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	**46,85,36**		18,84,82	
	1059,44,53		979,18,18	
यथातिथि मूल्यह्रास Depreciation to date	**715,28,82**		653,26,83	
	344,15,71		325,91,35	
जोड़ें: चालू पूँजीगत कार्य Add: Capital Work in progress	**3,45,76**	**347,61,47**	3,33,60	329,24,95
योग TOTAL (I व & II)		**465,26,80**		443,19,85

(₹ 000's हटाकर Omitted))

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31.03.2014 ₹	यथा As on 31.03.2013 ₹
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ		
SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments (Net)	–	–
II. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	**1259,59,91**	996,51,83
III. मैट जमा उपलब्धतता MAT Credit Availability	**219,65,14**	–
IV. पूर्व दत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/TDS	**1680,13,63**	1562,89,90
V. लेखन-सामग्री एवं स्टाम्प Stationery and stamps	**2,09,29**	3,88,31
VI. दावों के निपटान में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**16,87**	16,87
VII. अन्य Others	**905,02,63**	871,20,39
योग TOTAL	**4066,67,47**	3434,67,30
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ		
SCHEDULE 12 – CONTINGENT LIABILITIES		
I. कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावे Claims against the bank not acknowledged as debts	**587,82,78**	296,73,21
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	–	–
III. क. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के बाबत देयता A. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**33925,32,13**	19104,11,25
ख. व्युत्पन्नी B. Derivatives	**1325,00,00**	2817,85,00
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
क/a) भारत में in India	**11980,15,49**	11485,02,04
ख/b) भारत के बाहर outside India	**1741,49,10**	1380,04,15
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	**12832,02,36**	15290,56,36
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the Bank is contingently liable	–	–
योग TOTAL	**62391,81,86**	50374,32,01

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 ₹
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज		
SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on advances/bills	**13215,97,25**	11448,92,79
II. निवेशों पर ब्याज Interest on investments	**4242,19,53**	3431,74,76
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-bank Funds	**15,73,39**	41,57,63
IV. अन्य Others	**484,66,74**	411,83,09
योग TOTAL	**17958,56,91**	15334,08,27
अनुसूची 14 – अन्य आय		
SCHEDULE 14 – OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली Commission, exchange and brokerage	**461,03,99**	438,01,44
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of investments (net)	**338,70,85**	280,31,88
III. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets (net)	**-34,03**	-97,54
IV. विनिमय लेन-देनों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions (net)	**101,46,49**	114,69,51
V. अनुषंगियों/कंपनियों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/companies	**10,19,00**	48,77,65
VI. विविध आय Miscellaneous income	**736,65,49**	727,10,89
योग TOTAL	**1647,71,79**	1607,93,83

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 ₹
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 – INTEREST EXPENDED		
I. जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on deposits	**13242,60,06**	11097,14,72
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	**297,76,81**	242,27,71
III. अन्य Others	**634,51,34**	568,81,01
योग TOTAL	**14174,88,21**	11908,23,44
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय SCHEDULE 16 – OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payment to and provisions for employees	**1190,23,77**	990,30,65
II. किराया, कर एवं बिजली Rent, taxes and lighting	**213,23,43**	188,45,87
III. मुद्रण एवं लेखन-सामग्री Printing and stationery	**25,39,84**	18,20,05
IV. विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and publicity	**18,15,60**	20,60,47
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास Depreciation on bank's property	**113,23,98**	96,61,89
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**95,04**	85,14
VII. लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	**21,00,00**	15,00,00
VIII. विधि प्रभार Law Charges	**4,21,42**	2,98,17
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	**50,76,82**	39,93,77
X. मरम्मत एवं अनुरक्षण Repairs and Maintenance	**47,82,17**	43,94,73
XI. बीमा Insurance	**167,93,02**	122,52,32
XII. अन्य व्यय Other Expenditure	**539,05,67**	457,35,06
योग TOTAL	**2392,00,76**	1996,78,12

अनुसूची–17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंग हैं

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

क) वित्तीय विवरण लेखांकन के उपचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार तथा प्रस्तुत किए गए हैं, तथा अन्यथा उल्लिखित के सिवाय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर निर्धारित मदों के अलावा ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित संबंधित अपेक्षाओं तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित वर्तमान रीतियों के अनुरूप हैं।

ख) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (गैप) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन वर्ग से अपेक्षित होता है कि वित्तीय विवरणों के दिनांक को यथा विद्यमान रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय व व्ययों पर प्राक्कलन व अनुमान करें। प्रबंधन वर्ग का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत हैं। वास्तविक आंकड़े इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व निर्धारण

क) आय को निम्न को छोड़कर उपचित आधार पर निर्धारित किया गया है:

i) बैंक गारंटियों एवं साख पत्र, आपूर्तिकर्ता/क्रेता ऋण की व्यवस्था पर कमीशन; तथा लॉकर किराया जो प्राप्ति आधार पर निर्धारित किया गया है।

ii) गैर–निष्पादक अग्रिमों तथा निवेशों पर ब्याज आय तथा केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय, जिनके लिए 90 दिनों के अंदर ब्याज वसूल नहीं होता है, प्राप्ति आधार पर निर्धारित की गई है।

iii) आय–कर वापसियों पर ब्याज का लेखांकन सूचना आदेश प्राप्त होने पर किया गया है।

ख) 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, जिसे लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया गया है तथा तदनंतर भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित पूँजी खाते में विनियोजित किया गया है, को छोड़कर निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के समय निपटान आधार पर लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है।

Schedule–17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

a) The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and except for items recognized on cash basis, as per guidelines issued by the Reserve Bank of India ['RBI'] and comply with the Accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and relevant requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949 and Companies Act, 1956, and current practices prevailing within the banking industry in India.

b) The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles [GAAP] requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. The Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actuals could differ from these estimates.

2. REVENUE RECOGNITION

a] Income is recognized on an accrual basis except:

(i) Commission on Bank Guarantees and Letters of Credit; arrangement of suppliers/buyers Credit; and Locker rent which are recognized on receipt basis.

(ii) Interest income on Non-Performing advances and investments, and securities guaranteed by Central Government where interest is not realized within 90 days is recognized on receipt basis.

(iii) Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of Intimation order.

b] Profit or loss on sale of investments is recognized in the profit and loss account on settlement basis at the time of sale except the realized profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category which is recognized in the profit and loss account and subsequently appropriated to capital reserve account in accordance with RBI guidelines.

ग) बैंक के प्रत्यक्ष अंशदान पर प्राप्त दलाली/कमीशन/प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से काटा गया है, जबकि प्रतिभूतियों के अर्जन हेतु प्रदत्त दलाली को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि-ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना गया है।

3. अग्रिम

क) अग्रिमों को भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है तथा गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) के लिए किए गए निर्दिष्ट प्रावधान के निवल के रूप में दर्शाया गया है।

ख) क्रेडिट कार्ड बकायों को उस स्थिति में एनपीए के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहाँ न्यूनतम प्राप्य बकाया राशि लगातार 90 दिन से अधिक अवधि से चूक में रही है। गैर-निष्पादक कार्ड खातों से आय वित्तीय विवरण में नहीं ली गई है।

ग) अवमानक, संदिग्ध तथा हानि-अग्रिमों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण अपेक्षा के आधार पर किया गया है।

घ) गैर-निष्पादक अग्रिमों में वसूली पहले बही शेष में, उसके बाद प्रभारों एवं उसके पश्चात् वसूल न किए गए ब्याज में विनियोजित की गई है।

ङ) भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानक आस्तियों हेतु सामान्य प्रावधान को 'अन्य देयताएं-अन्य' के तहत शामिल किया गया है।

च) पुनः संरचित खातेः पुनःसंरचित अग्रिमों के लिए ऋण के उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा अपेक्षित प्रावधान के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार किए गए हैं। अग्रिम के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान अग्रिमों से घटाया नहीं गया है तथा 'अन्य देयताएं-अन्य' शीर्ष के तहत तुलन-पत्र में शामिल किया गया है।

4. निवेश

4.1 वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार निवेशों के अधिग्रहण के समय निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा
- ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)।

बैंक, बही मूल्य/अंतरण की तारीख को बाज़ार मूल्य, इन में से न्यूनतम मूल्य पर निवेशों को एटीएम में/से अंतरित करता है और ऐसे अंतरण पर यदि कोई मूल्यह्रास है तो उसको लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया जाता है। एएफएस

c] Brokerage/commission/incentives received on Banks direct subscriptions are deducted from the cost of securities, whereas brokerage paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenditure.

d] The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

3. ADVANCES

a) Advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets in accordance with the guidelines issued by the RBI and are stated net of specific provisions made towards Non-Performing Advances ['NPAs'].

b) Credit Card dues are identified as NPAs where minimum dues receivable are in default for a continuous period of more than 90 days. Income from non-performing card accounts is not recognized in financial statements.

c) Provisions for sub-standard, doubtful and loss advances are made on the basis of asset classification and provisioning requirements under the prudential norms laid down by the Reserve Bank of India.

d) Recoveries in non-performing advances are appropriated first towards book balance, then to charges and thereafter to unrealized interest.

e) General provision for Standard Assets made in accordance with RBI Guidelines is included under "Other liabilities-others".

f) Restructured Accounts: For restructured advances, provisions for erosion in fair value of loan are made in accordance with the guidelines issued by RBI, in addition to the provision otherwise required. The provision for erosion in fair value of advance is not reduced from advances and is included in the balance sheet under the head "Other Liabilities-Others".

4. INVESTMENTS

4.1 Categorization & Classification

In accordance with the RBI guidelines, investments at the time of acquisition are categorized as

- Held to Maturity [HTM],
- Available for Sale [AFS] and
- Held for Trading [HFT].

The Bank shifts investments to/from HTM at the least of Book Value/Market Value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such transfer is recognized in the profit and loss account. For shifting of investments from AFS to HFT

से एचएफटी में या विलोमतः निवेशों को अंतरित करने पर, अंतरण की तारीख को निवेशों का पुनर्मूल्यन करने की आवश्यकता नहीं है तथा संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया है तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्यह्रास हेतु प्रावधान में या विलोमतः अंतरित किया जा सकता है।

तथापि, तुलन-पत्र में प्रकटन हेतु निवेशों को छह प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है - सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर तथा बाँड, अनुषंगियों/क्षे.ग्रा.बैं./संयुक्त उद्यमों तथा अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाण पत्र तथा वेंचर पूंजी निधि और नाबार्ड के आरआईडीएफ, सिडबी के एमएसएमई फंड, एनएचबी में निवेश)।

'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) मांग तथा मीयादी देयताओं के 23% तक या भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश।

ख) पुनर्पूंजीकरण आवश्यकताओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त पुनर्पूंजीकरण बांड।

ग) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के शेयरों में निवेश।

घ) नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनाएं/सिडबी की एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि/एनएचबी की आरएचएफ जमाएं।

ङ) उद्यम पूँजी निधियों में निवेश, 23 अगस्त, 2006 के बाद प्रत्येक ड्रा डाऊन से तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए किए गए हैं।

ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से अधिग्रहीत निवेशों को एचएफटी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियाँ 90 दिन से अधिक नहीं धारित की गई हैं व विक्रय करने में असमर्थता या अत्यधिक उतार-चढाव अथवा बाजार के एकतरफा होने जैसी अपवादात्मक परिस्थितियों में ही बोर्ड/आल्को/निवेश समिति के अनुमोदन से एएफएस श्रेणी में अंतरित किए जाते हैं।

अन्य सभी निवेशों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया गया है।

4.2 मूल्यांकन तथा परिणामी समायोजनः

क) परिपक्वता तक धारितः 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेश भारित औसत अर्जन लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। अधिग्रहण पर प्रीमियम यदि कोई है तो परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया गया है। अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में अस्थाई को छोड़कर अन्य ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का निर्धारण किया गया है और उसके लिए प्रावधान किया गया है। वेंचर पूंजी निधि में निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारितः

(i) इन प्रवर्गों ('ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के तहत वर्गीकृत) में निवेश को भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी तथा एएफएस हेतु क्रमशः मासिक तथा तिमाही अंतराल में बाज़ार/अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर अंकित किया गया है। जबकि ऊपर 4.1 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत परिणामी निवल मूल्यह्रास

or vice versa, the securities need not be revalued on the date of transfer and the provision for the accumulated depreciation if any, held may be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice-versa.

However, for disclosure in the Balance sheet, investments are classified under six categories – Government securities, other approved securities, shares, debentures and bonds, Investments in Subsidiaries/RRB/Joint Ventures and Others [units of Mutual Funds, Commercial Papers, certificate of deposits and Venture Capital Funds and investments in RIDF of NABARD, MSME Fund of SIDBI, NHB].

Investments classified under 'Held to Maturity' include the following:

a) Investments in SLR securities upto 23% of Demand and Time liabilities or as notified by RBI from time-to-time.

b) Recapitalisation bonds received from the Government of India towards recapitalisation requirements.

c) Investments in share of subsidiaries and joint ventures.

d) RIDF Schemes of NABARD/MSME (Refinance) Fund of SIDBI/RHF deposits of NHB

e) Investment in Venture Capital Funds, for an initial period of 3 years of each draw down, after 23rd August, 2006.

Investments acquired primarily with an intention for trading are classified as HFT securities. As per RBI guidelines, securities in HFT category are not held beyond 90 days and are transferred to AFS category under exceptional circumstances like not able to sell or extreme volatility or market becoming unidirectional, with the approval of the Board/ALCO/Investment Committee.

All other investments are classified under AFS.

4.2 Valuation and consequential adjustments :

a] Held to Maturity: Investments classified under 'Held-to-Maturity' are carried at weighted average acquisition cost. Premium on acquisition, if any, is amortized on a straight-line basis over the remaining maturity period. In case of investments in subsidiaries/joint ventures any diminution, other than temporary, in the value of such investment is recognized and provided for. Investments in Venture Capital Fund are valued at Cost.

b] Available for Sale and Held for Trading:

(i) Investments in these categories (classified under the category 'Held for Trading' and 'Available for Sale') are marked to market/estimated realizable value as per RBI guidelines at monthly and quarterly intervals for HFT and AFS respectively. While the resultant net depreciation, if any,

यदि कोई है, को लाभ एवं हानि लेखे में 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' के रूप में निर्धारित किया गया है तथा मूल्यह्रास हेतु पहले किए गए प्रावधान की हद तक को छोड़कर निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् अलग-अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ है। मूल्यह्रास के अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन के संबंध में, उसे 'प्रावधान और आकस्मिकताएँ' में जमा किया गया है और समतुल्य राशि (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण) को अनुसूची 2 – "आरक्षित निधि एवं अधिशेष" के तहत निवेश आरक्षित निधि खाते में विनियोजित किया गया है।

(ii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य हेतु, बाज़ार कीमत/अनुमानित प्राप्य मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:

within each category referred to in 4.1 above, is recognized in profit & loss account as "Provisions and Contingencies", the net appreciation is ignored except to the extent of depreciation previously provided. The book value of the individual scrip is not changed after revaluation. In the case of write back of excess provision of depreciation the same is credited to "Provisions and Contingencies" and a like amount (net of taxes and transfer to Statutory Reserve) is appropriated to Investment Reserve Account under Schedule 2 – "Reserves & Surplus".

(ii) For the purpose of (i) above, the market price/ estimated realizable value is determined as under:

1.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ Central Government of India securities	(i) उद्धृतः एफआईएमएमडीए द्वारा दिए कोटेशन के अनुसार बाज़ार मूल्य पर Quoted : At market price as per the quotation put out by FIMMDA. (ii) अनुद्धृतः एफआईएमएमडीए द्वारा दी गई कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर Unquoted: on the basis of the prices/YTM rates put out by the FIMMDA
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ) State Government Securities, Securities guaranteed by Central/State Government (other approved securities)	(i) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित कीमतों पर At prices published by FIMMDA in respect of State Govt. Securities. (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा निर्दिष्ट प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त अतिरिक्त कीमत लागत अंतर पर At appropriate spread upon the yield curve put out by the FIMMDA in respect of other approved securities
3.	ट्रेज़री बिल (पीडी कारोबार के कारण रखे ट्रेज़री बिलों सहित)/जमा प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पत्र Treasury Bills (including Treasury Bills held on account of PD business)/Certificates of deposits/Commercial paper	रखाव लागत पर At carrying cost.
4.	ईक्विटी शेयर Equity shares	(i) उद्धृतः बाज़ार मूल्य पर Quoted : At market price (ii) अनुद्धृतः कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार निश्चित विश्लेषित मूल्य पर अन्यथा ₹ 1/- प्रति कंपनी। Unquoted: At break up value as ascertained from the company's latest Balance Sheet [not more than one year old], otherwise at ₹ 1/- per company.
5.	अधिमान शेयर, डिबेंचर एवं बांड Preference Share, Debentures and Bonds	(i) उद्धृतः बाज़ार मूल्य पर Quoted : At market price (ii) अनुद्धृतः उचित परिपक्वता प्रतिफल पर Unquoted: On appropriate yield to maturity
6.	म्यूचुअल फंड Mutual Fund	(i) उद्धृतः. बाज़ार मूल्य पर Quoted : At market price (ii) अनुद्धृतः पुनर्क्रय मूल्य या प्रत्येक योजना में फंड द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर (जहाँ पुनर्क्रय मूल्य उपलब्ध नहीं है) Unquoted : At repurchase price or Net Asset Value [where repurchase price is not available] declared by the fund in each of the schemes
7.	उद्यम पूंजी निधि Venture Capital Funds	(i) उद्धृतः बाज़ार मूल्य पर Quoted: At market value (ii) अनुद्धृतः एनएवी पर Unquoted: At NAV

4.3 गैर–निष्पादक निवेश

क) केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रतिभूतियों को, जहाँ मूलधन या ब्याज की चुकौती देय तारीख से 90 दिनों के अंदर नहीं की गई है, गैर–निष्पादक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को मूलधन/ब्याज अदायगी बकाया रहने के बावजूद निष्पादक निवेशों के रूप में माना गया है। गैर–निष्पादक के रूप में वर्गीकृत निवेशों के संबंध में इन निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। इन प्रतिभूतियों के संबंध में अपेक्षित मूल्यहास अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि के साथ समंजन नहीं किया गया है।

ख) जहाँ बैंक का किसी पार्टी/ग्रुप में ऋण एवं निवेश दोनों विनिधान हैं तथा ऋण विनिधान को गैर–निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की स्थिति में इनमें निवेश विनिधान को भी गैर–निष्पादक के रूप में वगीकृत किया गया है।

4.4 रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन

भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित समरूप लेखांकन व्यवहार के अनुरूप रेपो लेनदेनों पर वर्ष के दौरान प्राप्त/प्रदत्त राशियाँ रेपो खाते में नामे/जमा की गई हैं तथा लेनदेनों की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की गई हैं। लागत एवं राजस्व को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है। रेपो खाते में शेष को निवेश खाते में शेष के प्रति समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत रेपो लेनदेनों के संबंध में वर्ष के दौरान ऐसे लेनदेनों पर उधार ली गई राशि भा.रि.बैं. से रेपो खाते में जमा की गई है। उस पर व्यय की, ब्याज व्यय के रूप में गणना की गई है। भा.रि.बैं. के साथ रेपो खाते में धारित शेष को निवेश से घटाया नहीं गया है तथा इसे मूल्यांकित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन अभिग्रहीत एसएलआर प्रतिभूतियों (मार्जिन सहित) को एसएलआर रखरखाव हेतु पात्र आस्ति नहीं माना गया है।

भा.रि.बैं. के साथ एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेनों के संबंध में, वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि 'रिवर्स रेपो/निवेश–भा.रि.बै.' में नामे की गई है तथा लेनदेन की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की गई है। उस पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में माना गया है । भा.रि.बैं. के साथ रिवर्स रेपो में धारित शेष को तुलन–पत्र दिनांक को निवेश के तहत शामिल किया गया है तथा इसे मूल्यांकित नहीं किया गया है।

4.5 निवेश लेनदेनों हेतु लेखांकन

i) बैंक अपने निवेशों के लेखांकन हेतु निपटान तारीख पद्धति का पालन करता है;
ii) लागत भारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की गई है;
iii) प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ का विक्रय पर हानि के साथ निवल निकाला गया है;
iv) तरल म्यूचुअल फंडों के विक्रय/मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच अंतर को निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ माना गया है।

4.3 Non-performing Investments

a) All such securities where repayment of principal or interest not serviced within 90 days from the due date are classified as Non-Performing Investments, except securities guaranteed by the Central Government which are treated as performing investments notwithstanding arrears of principal/ interest payments. In respect of investments classified as Non-performing, appropriate provisions are made for the depreciation in the value of these investments. The depreciation requirement in respect of these securities is not set off against appreciation in respect of other performing securities.

b) Where the Bank has both credit and investment exposures to any borrower/ group and in the event the credit exposure is classified as Non-Performing asset, the investment exposure to them is also classified as Non-Performing.

4.4 Accounting for Repo Transactions

In line with the uniform accounting treatment prescribed by the RBI, monies received/paid during the year on Repo transactions are debited/credited to Repo Account and reversed on maturity of the transactions. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo account is adjusted against the balance in the investment account.

In respect of Repo transactions under Liquidity Adjustment Facility with the RBI, monies borrowed during the year on such transactions are credited to REPO account from RBI. Expenditure thereon is accounted for as Interest Expenditure. Balance held in Repo account with RBI is not deducted from investment and are valued. SLR securities (including margin) acquired under the Reserve Bank of India (RBI)- Liquidity Adjustment Facility (LAF), are not treated as an eligible asset for maintenance of SLR.

In respect of Reverse Repo Transactions under LAF with the RBI, monies paid during the year are debited to 'Reverse REPO/Investment –RBI' and reversed on maturity of the transaction. Revenue thereon is accounted as interest income. Balance held in Reverse Repo with RBI is included under investments as on the Balance Sheet date and are not valued.

4.5 Accounting for Investment Transactions

i) The Bank follows settlement date method of accounting its investments;
ii) Cost is determined on weighted average cost method;
iii) Profit on sale is netted with loss on sale of securities;
iv) The difference between the sale/redemption value of liquid Mutual Funds and the book value is treated as profit on sale of investments.

5. स्थिर आस्तियाँ

क) i. स्थिर आस्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा हानि हेतु प्रावधान को कम करते हुए लागत पर दर्शाया गया है। लागत में क्रय कीमत तथा आस्ति को उसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसके कार्य करने की स्थिति में लाने हेतु सहायक कोई भी लागत शामिल है। स्थिर आस्तियों की निहित राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को समीक्षा की जाती है तथा किसी भी क्षति हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखांकन मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार समायोजित किया गया है।

ii. **आस्तियों की क्षतिः**

जहाँ किन्हीं घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण ऐसा हो जाता है कि किसी आस्ति के रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, वहाँ स्थिर आस्तियों की क्षति हेतु समीक्षा की गई है। धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता किसी आस्ति की रखाव राशि से उक्त राशि से प्रत्याशित भावी निवल बट्टाकृत नकद प्रवाह की तुलना द्वारा मापा जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को क्षत माना जाता है, तो उक्त आस्ति के उचित मूल्य से जितनी अधिक उसकी रखाव राशि है, उससे क्षति का निर्धारण किया जाता है।

iii. पूंजीगत जारी कार्य में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो अपने अभिप्रेत प्रयोग हेतु तैयार नहीं है तथा स्थिर आस्तियाँ अर्जित करने हेतु प्रदत्त अग्रिम भी शामिल है।

ख) कंप्यूटरों/एटीएमों और पट्टेदारी सुधारों के मामलों को छोड़कर, जहाँ सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया गया है, परिवर्धन के दिनांक से ह्रासमान शेष पद्धति पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है। कंप्यूटरों, एटीएमों तथा पट्टाधारी सुधारों के मामलों को छोड़कर, जहाँ क्रमशः 1/3 प्रतिवर्ष, 1/7 प्रतिवर्ष तथा पट्टे की अवधि की दर पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है, आस्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों में प्रदान किया गया है।

ग) जहाँ भूमि एवं भवन का मूल्य अलग-अलग नहीं लिया गया है, वहाँ परिसर पर मूल्यह्रास संयुक्त लागत पर प्रदान किया गया है।

6. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

क) विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेनों को लेनदेन की तिथि को लागू दरों पर परिकलित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियाँ एवं देयताएं तुलन-पत्र की तिथि को भारतीय विदेश विनिमय डीलर एसोसिएशन (फेडाई) द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर परिकलित की गई हैं तथा परिणामी लाभ/हानियाँ लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई हैं।

5. Fixed assets

a] i. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment. Cost comprises of the purchase price and any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use. The carrying amounts of fixed assets are reviewed at each balance sheet date and adjusted for any impairment in accordance with the Accounting Standard 28 ("Impairment of Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India.

ii. **Impairment of Assets:**

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

iii. Capital Work-in-progress includes cost of fixed assets that are not ready for their intended use and also includes advances paid to acquire fixed assets.

b] Depreciation is provided on the diminishing balance method from the date of addition except in case of computers/ATMs and leasehold improvements where the straight-line method is used. The assets are depreciated at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except in the case of computers, ATMs and leasehold improvements which are depreciated at the rate of 1/3rd per annum, 1/7th per annum and over the period of the lease respectively.

c] Depreciation on premises is provided for on composite cost, wherever the value of land and building is not separately identified.

6. Transactions Involving Foreign Exchange

a) Transactions denominated in foreign currencies are accounted for at the rates prevailing on the date of the transaction. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the balance sheet date at closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers Association of India ['FEDAI'] and the resulting profits/losses are recognized in the profit and loss account.

ख) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परंपरागत लागत के अनुसार ली गई, लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करके रिपोर्ट की गई हैं।

ग) ट्रेडिंग के लिए धारित बकाया वायदा विनिमय हाजिर व वायदा करार विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं हेतु फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किए गए हैं तथा परिणामी लाभ या हानि को लाभ हानि खाते में लिया गया है।

घ) विदेश विनिमय वायदा संविदाएँ, जो ट्रेडिंग हेतु उद्दिष्ट नहीं हैं तथा तुलन पत्र के दिनांक को बकाया हैं, उनका पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम हाज़िर दरों पर किया गया है तथा परिणामी लाभ या हानि लाभ-हानि खाते में दर्शाई गई है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ पर उत्पन्न प्रीमियम या बट्टे को संविदा अवधि में ब्याज व्यय अथवा आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

ङ) विदेशी मुद्रा में आकस्मिक देयताओं को फेडाई की अंतिम हाज़िर दरों का उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है।

7. व्युत्पन्न संविदाएं

क) बैंक विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा फ्युचर, ऑप्शन तथा वायदा दर करार जैसे व्युत्पन्न संविदाएं करता है।

ख) व्युत्पन्न करारों पर बचाव (हेज) के रूप में वर्गीकृत आय/व्यय उपचय आधार पर दर्ज की गई है।

ग) सभी ट्रेडिंग व्युत्पन्न संविदाएं बाजार दर पर निर्दिष्ट की गई हैं तथा परिणामी लाभ या हानि लाभ-हानि लेखे में विनिर्दिष्ट की गई है।

घ) सभी व्युत्पन्न लेनदेन आकस्मिक देयताओं के तहत वर्गीकृत किए गए हैं तथा विदेशी मुद्रा मुल्यवर्ग के लेनदेनों को फेडाई अंतिम हाज़िर दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट किया गया है।

8. बहुमूल्य धातु निहित लेनदेन

क) बहुमूल्य धातु लेनदेन से प्राप्त आय को 'अन्य आय' के रूप में लेखांकित किया गया है। परेषण आधार पर प्राप्त धातुओं के मामले में उसे बिक्री के समय की आय के आधार पर निर्धारण किया गया है।

ख) बहुमूल्य धातुओं के रूप में ग्राहकों को दिए गए पण्य ऋणों तथा जनता से स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत प्राप्त जमाओं को अवधि समाप्ति के समय प्रचलित बाज़ार संबद्ध दरों में परिवर्तित किया गया है तथा क्रमशः 'अग्रिम' और 'जमाएं' शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।

b) Foreign Currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

c) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts meant for trading purpose are revalued at the exchange rates specified for spot and the respective forward maturities as notified by FEDAI. The resulting profit or loss is shown under Profit or Loss account.

d) Foreign exchange forward contracts, which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are revalued at the closing spot rate as notified by FEDAI and the resulting profit or loss is shown under Profit or Loss account. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the period of the contract.

e) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

7. Derivatives

a) The bank enters into derivative contracts such as foreign currency interest rate swaps, currency swaps, currency futures, options and forward rate agreements.

b) The income/expenses on derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis.

c) All trading derivative contracts are marked to market and the resultant gains or losses are recognized in the profit and loss account.

d) All derivative transactions are classified under contingent liabilities and those denominated in foreign currencies are reported using the FEDAI closing spot rates.

8. Transactions involving Precious Metals

a) Income from precious metals transactions is accounted for as "Other Income". In case of metals received on consignment basis, the income thereon is recognized at the time of sale.

b] Commodity loans to the constituents and deposits from public under the gold deposit scheme in the form of precious metals are translated at market related rates prevailing at the close of the period and shown under the head "Advances" and "Deposits" respectively.

ग) बहुमूल्य धातुओं के शेष स्टाक को (अपने लेनदेन) लागत से निम्न तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर आँका गया है।

घ) स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत धारित स्वर्ण के अंतिम स्टाक को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार संबद्ध दरों पर आँका गया है।

9. नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में शेष

नकदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक में शेष में हस्तगत व एटीएमों में नकदी तथा हस्तगत स्वर्ण एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाते में शेष शामिल हैं।

10. स्टाफ हितलाभ

(क) बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है।

(ख) i) ग्रैच्युटी, पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण, बीमारी छुट्टी आदि को देय अंशदान, जो हितलाभ परिभाषित हैं, तुलन-पत्र दिनांक को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित हैं।

ii) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि को देय अंशदान, जो निर्धारित अंशदान योजना है, लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।

11. पट्टागत लेनदेन

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर लाभ-हानि लेखे में व्यय के रूप में लिया गया है।

12. आकस्मिक देयताएं एवं प्रावधान

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां" के अनुरूप बैंक प्रावधानों का निर्धारण केवल तभी करता है जब विगत किसी घटना के फलस्वरूप उसे वर्तमान दायित्व होता है। यह संभव है कि जब दायित्व का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है तब आर्थिक लाभ अभिव्यक्त करने वाले संसाधनों के बाहर प्रवाह से दायित्व का निपटान करना पड़े।

संभावित दायित्व उत्पन्न करने वाले पिछली घटनाओं की पुष्टि जिनका अस्तित्व एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं, के घटने या न घटने पर ही, की जाएगी अथवा वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ उत्पन्न करने वाले संसाधनों का कोई बहिर्वाह दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित होगा अथवा दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है तथा लेखांकन मानक 29 के अनुसार कार्यवाई की जाती है।

c] Closing stock of precious metals [own dealing] is valued at lower of the cost and net realizable value.

d] Closing stock of gold held under Gold Deposit Scheme is valued at market related rates, as per RBI guidelines.

9. Cash and Balances with Reserve Bank of India

Cash and Balance with Reserve Bank of India include cash on hand and in ATM's, and gold in hand and balances with RBI in current accounts.

10. Employee benefits

a) The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

b) i) Contributions payable to Gratuity, Pension and Leave Encashment, Sick Leave, etc., which are defined benefits, based on actuarial valuations, at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary;

ii) Contributions payable to the recognized provident fund, which is a defined contribution scheme; are charged to the profit and loss account.

11. Lease transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term.

12. Contingent Liabilities and Provisions

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Past events leading to possible obligations existence of which will be confirmed only by the occurrence or nonoccurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or present obligations where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made, are treated as contingent liabilities and are dealt-with in accordance with AS29.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया जाता है।

13. आय पर कर

आय कर व्यय में चालू कर (अर्थात् आय कर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि) तथा आस्थगित कर प्रभार या जमा (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के बीच समय के अंतर का कर प्रभाव प्रतिबिंबित करने वाला) शामिल है।

क) लागू कर दरों, कर विधियों और अनुकूल न्यायिक उद्घोषणाओं/विधिक अभिमतों के अनुसार कराधान प्राधिकारियों को भुगतान हेतु अपेक्षित राशि के आधार पर चालू कर को मापा गया है।

ख) आस्थगित कर प्रभार या जमा तथा अनुरूपी आस्थागित कर देयताओं या आस्तियों को उन कर दरों के प्रयोग से निर्धारित किया गया है जो तुलन-पत्र दिनांक तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं। भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती को स्थाई अंतर नहीं माना गया है। आस्थगित कर देयता संचित विशेष आरक्षित निधि तथा चालू वर्ष 2013-14 के लिए भी सृजित की जानी है। जहाँ तक निवेश संविभाग में मूल्यह्रास का सवाल है, चूँकि लेखों के अनुसार निवेशों पर मूल्यह्रास में अंतर और आय कर अभिकलन के अनुसार अंतर को स्थाई अंतर माना जाता है, अतः निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति डीटीएल का सृजन आवश्यक नहीं समझा गया। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण उसी सीमा तक विवेकानुसार किया गया है जहाँ यह संभाव्य निश्चितता रहती है कि आस्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बैंक हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों का सृजन नहीं करेगा।

14. प्रति शेयर अर्जन

मूल एवं तनूकृत प्रति शेयर आय का परिकलन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर अर्जन के अनुरूप किया गया है।

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

13. Taxes on Income

Income-tax expense comprises current tax [i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law] and deferred-tax charge or credit [reflecting tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period].

a] Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements/legal opinions.

b] The deferred-tax charge or credit and the corresponding deferred-tax liabilities or assets are recognized using the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. As per RBI guideline, Deduction under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 is no longer considered as permanent difference. The Deferred Tax Liability is to be created on accumulated Special reserve as well as for the current year Financial Year 2013-14. As regards depreciation on Investment Portfolio, since the difference in depreciation on Investments as per accounts and as per income tax computation is treated as permanent difference, creation of DTL against depreciation on investment portfolio not considered necessary. Deferred-tax assets are recognized keeping in view the consideration of prudence only to the extent there is virtual certainty that the assets can be realized in future. However Bank will not create Deferred Tax Assets on losses.

14. Earnings per Share

Basic and Diluted Earnings per Equity Share are computed in accordance with Accounting Standard 20, Earnings Per Share, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अनुसूची 18

टिप्पणियां जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों का अभिन्न अंग हैं

क. भा.रि.बैं. द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन

1.0 पूँजी

क) वर्ष के दौरान बैंक ने दिनांक 20 दिसंबर, 2013 को अधिमान आधार पर भारत सरकार को ₹307.64 प्रति शेयर (अर्थात् प्रति शेयर ₹10/- अंकित मूल्य और ₹297.64 प्रीमियम के प्रति) की कीमत पर 1,46,27,486 ईक्विटी शेयर जारी करके आबंटित किए।

ख) 20 दिसंबर, 2013 को अधिमान आधार पर भारत सरकार (अर्थात् 'भारत के राष्ट्रपति' के नाम में) को 1,46,27,486 ईक्विटी शेयरों के आबंटन के कारण बैंक की निर्गमित एवं अभिदत्त पूँजी 15,29,14,391 से 16,75,41,877 ईक्विटी शेयर तक बढ़ गई।

ग) 20 दिसंबर, 2013 को अधिमान आधार पर भारत सरकार को 1,46,27,486 ईक्विटी शेयरों के आबंटन के कारण बैंक की प्रदत्त पूँजी ₹152,91,43,910 से ₹167,54,18,770 तक बढ़ गई।

घ) बैंक की पूँजी में भारित जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है। दिनांक 31 मार्च, 2014 के अनुपात निम्नवत् हैः

Schedule 18

NOTES FORMING INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2014

A. DISCLOSURES REQUIRED IN TERMS OF GUIDELINES ISSUED BY RBI

1.0 CAPITAL

a) During the year the Bank has issued and allotted 1,46,27,486 equity shares to Government of India on preferential basis at a price of ₹307.64 per Equity share (i.e. ₹10/- face value and ₹ 297.64 towards premium per share) on 20th December, 2013.

b) The Issued and Subscribed Capital of the Bank has been raised from 15,29,14,391 to 16,75,41,877 Equity Shares due to allotment of 1,46,27,486 Equity Shares to Government of India (i.e. in the name of 'President of India') on a Preferential allotment basis on 20th December, 2013.

c) The paid-up Capital of the Bank has been increased from ₹152,91,43,910 to ₹167,54,18,770 due to receipt of allotment money for 1,46,27,486 Equity Shares allotted to Government of India on Preferential basis on 20th December, 2013.

d) The Bank's Capital to Weighted Risk Assets Ratio (CRAR) has been worked out as per Reserve Bank of India guidelines. The ratios as at 31st March, 2014 are:

(राशि करोड़ में Amount in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014		यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	
		बेसल III Basel III	बेसल II Basel II	बेसल III Basel III	बेसल II Basel II
i)	साझी ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%) Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	7.63%	7.79%	ला.न. N.A.	7.73%
ii)	टियर 1 पूँजी अनुपात (%) Tier 1 capital ratio (%)	8.14%	8.37%	ला.न. N.A.	8.33%
iii)	टियर 2 पूँजी अनुपात (%) Tier 2 capital ratio (%)	3.51%	3.84%	ला.न. N.A.	4.00%
iv)	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (%) Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.65%	12.21%	ला.न. N.A.	12.33%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India	63.33%	63.33%	ला.न. N.A.	59.82%
vi)	वर्ष के दौरान संग्रहीत ईक्विटी पूँजी की राशि Amount of equity capital raised during the year	450.00	450.00	ला.न. N.A.	204.00
vii)	वर्ष के दौरान संग्रहीत अतिरिक्त टियर1 पूँजी की राशि Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	पीएनसीपीएसः PNCPS	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	पीडीआईः PDI	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014		यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	
		बेसल III Basel III	बेसल II Basel II	बेसल III Basel III	बेसल II Basel II
viii)	संग्रहित टियर 2 पूँजी; जिनमें से Amount of Tier 2 capital raised; of which				
	कर्ज पूँजी लिखत:Debt capital instrument:	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	अधिमान शेयर पूँजी लिखत: Preference Share Capital Instruments:	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) Redeemable Non-C Preference Shares (RNCPS)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रतिदेय सह अधिमान शेयर (आरसीपीएस) Redeemable Cum Preference Shares (RCPS)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

2.0 निवेश
2.0 INVESTMENTS

(राशि करोड़ में Amount in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
1	**निवेशों का मूल्य Value of Investments**		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य Gross value of Investments		
	क) (a) भारत में In India	66650.51	58272.81
	ख) (b) भारत के बाहर Outside India	0.10	0.10
(ii)	**मूल्यह्रास हेतु प्रावधान Provisions for Depreciation**		
	क) (a) भारत में In India	459.40	108.41
	ख) (b) भारत के बाहर Outside India	शून्य Nil	शून्य Nil
(iii)	**निवेशों का निवल मूल्य Net Value of Investments**		
	क) (a) भारत में In India	66191.11	58164.40
	ख) (b) भारत के बाहर Outside India	0.10	0.10
2	**निवेशों में मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की स्थिति Movement of provisions held towards depreciation on investments**		
	प्रारंभिक शेष Opening balance	108.41	123.91
	जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	536.51	13.10
	घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	185.52	28.60
	अंतिम शेष Closing balance	459.40	108.41

उपर्युक्त निवेशों में से निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ गिरवी रखी/अंतरित की गई हैं
Out of the above investments, the following securities are pledged/ transferred

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में) (Face value in ₹ crore)

	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
एनएससीसीएल को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO NSCCL		
8.28% जी. एस. 2032 8.28% G.S. 2032	–	11
7.16% जी. एस. 2023 7.16% G.S. 2023	1	–
एमसीएक्ससीसीएल को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO MCXCCL		
8.28% जी. एस. 2032 8.28% G.S. 2032	1	1
सीबीएलओ हेतु सीसीआईएल को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO CCIL FOR CBLO		
7.27% जी. एस. 2013 7.27% G.S. 2013	–	500
7.46% जी. एस. 2017 7.46% G.S. 2017	500	–
युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO UNITED STOCK EXCHANGE		
8.24% जी. एस. 2027 8.24% G.S. 2027	1	6
फॉरेक्स एफडब्ल्यूडी हेतु सीसीआईएल को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO CCIL FOR FOREX FWD		
8.24% जी. एस. 2027 8.24% G.S. 2027	20	14
एसजीएफ के रूप में सीसीआईएल को प्रस्तुत प्रतिभूति SEC OFFERED TO CCIL AS SGF		
8.20% जी. एस. 2025 8.20% G.S. 2025	50	–
8.32% जी. एस. 2032 8.32% G.S. 2032	300	–
8.83% जी. एस. 2041 8.83% G.S. 2041	–	150

निवेशों में विविध सुविधाएं प्राप्त करने हेतु भा.रि.बैं. को गिरवी रखी/अंतरित ₹19,860.00 करोड़ (गत वर्ष ₹15,175.00 करोड़) अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम में अंतरित ₹15,540.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 10,000.00 करोड़) अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ भी शामिल हैं जिनमें अंकित मूल्य ₹5464.16 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4,725.00 करोड़) की प्रतिभूतियाँ 31.03.2014 को एलएएफ–रेपो के तहत उधार हेतु भारग्रस्त हैं।

2.1 "परिपक्वता तक धारित" संवर्ग के तहत प्रतिभूतियों के संबंध में प्रीमियम ₹77.24 करोड़ (गत वर्ष ₹43.47 करोड़) का परिशोधन किया गया।

2.2 "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्ग के निवेशों के अंतर्गत ₹512.30 करोड़ के मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है जबकि गत वर्ष उक्त प्रवर्ग में मूल्यह्रास के लिए ₹7.44 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावर्तित किया गया था।

2.3 "ट्रेडिंग के लिए धारित" प्रवर्ग के अंतर्गत धारित निवेशों में ₹3.11 करोड़ का मूल्यह्रास (गत वर्ष ₹0.65 करोड़) प्रत्यावर्तित किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान बैंक ने ₹8369.93 करोड़ (गत वर्ष ₹798.95 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्ग से "परिपक्वता तक धारित" प्रवर्ग में अंतरित किया और ₹8093.67 करोड़ (गत वर्ष 796.03 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को "परिपक्वता तक धारित" प्रवर्ग से "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्ग में अंतरित किया है और ₹340.62 करोड़ (गत वर्ष ₹146.99 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को "ट्रेडिंग के लिए धारित" से "बिक्री के लिए उपलब्ध"

Investments includes securities of the face value of ₹19,860.00 Crore (Previous year ₹15,175.00 Crore), pledged/transferred to RBI for availing various facilities. It also includes securities of the face value of ₹15,450.00 Crore (Previous year ₹ 10,000.00 Crore) transferred in the name of Reserve Bank of India out of which securities of the face value of ₹5464.16 Crore (Previous year ₹4,725.00 Crore) were encumbered for borrowing under LAF-Repo as on 31.03.2014.

2.1 Premium of ₹77.24 Crore (Previous year ₹43.47 Crore) has been amortized in respect of securities under "Held to Maturity" category.

2.2 Depreciation of ₹512.30 Crore has been provided for investments under the "Available for Sale" category as against the reversal of ₹7.44 Crore being excess provision for depreciation in the said category during the last year.

2.3 Depreciation of ₹ 3.11 Crore (Previous year ₹0.65 Crore) has been reversed for investments under the "Held for Trading" category.

2.4 During the year, the Bank has transferred securities of book value of ₹8369.93 Crore (Previous year ₹798.95 Crore) from "Available for Sale category" to "Held to Maturity" , transferred securities of book value of ₹8093.67 Crore (Previous year ₹796.03 Crore) from "Held to Maturity" to "Available for Sale category", transferred securities of book value of ₹340.62 Crore (Previous year ₹146.99 Crore) from "Held for Trading" to "Available for Sale category"

प्रवर्ग में अंतरित किया है और ₹505.24 कोरड़ (गत वर्ष ₹ शून्य) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को "ट्रेडिंग के लिए धारित" से "परिपक्वता तक धारित" प्रवर्ग में अंतरित भी किया है।

2.5 चालू वर्ष के दौरान, एचटीएम प्रवर्ग में/से प्रतिभूतियों की बिक्री/अंतरण का मूल्य {प्रतिभूतियों का संविभाग अंतरण (भा.रि.बैं. द्वारा अनुमत एक बारगी/विशेष विंडो के अंतर्गत) और ओएमओ नीलामियों में भा.रि.बैं. को बिक्री को छोड़कर} वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम प्रवर्ग में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% के अंदर था।

2.6 29 नवंबर, 2013 को तकनीकी कारणों से क्लियरकार्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम्स (सीआरओएमएस) के अंतर्गत उधार में ₹8.25 करोड़ की कमी का एक मामला था। उक्त दिन के अंत में बैंक के पास भार-रहित प्रतिभूतियों का पर्याप्त अधिशेष था और सीआरओएमएस के अंतर्गत अपेक्षित कमी को मूल एसजीएल खाते में अंतरित किया गया।

and also transferred securities of book value of ₹505.24 Crore (Previous year ₹NIL) from "Held for Trading" to "Held to Maturity".

2.5 During the current year, the value of sales / transfers of securities to / from HTM category {excluding portfolio transfer of securities (under one time / special window permitted by RBI) and sales to RBI under OMO auctions} was within 5% of the book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year.

2.6 On 29th November, 2013, there was an instance of short fall of ₹8.25 Crore in borrowing under Clearcorp Repo Order Matching Systems (CROMS) due to technical reasons. The bank had sufficient surplus of un-encumbered securities and at the end of the day, the requisite shortfall under CROMS was transferred to Principal SGL account.

2.7 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के आधार पर)

2.7 Repo Transactions (In face value terms)

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसतन दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा मार्च 31, 2014 As on March 31, 2014
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repos				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ Government securities	0.00	6335.00	2161.86	5254.00
ii. कार्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियाँ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repos				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ Government securities	0.00	1200.00	7.00	0.00
ii. कार्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियाँ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.8 गैर-एसएलआर निवेश संविभाग Non-SLR Investment Portfolio

i) गैर-एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना Issuer Composition of Non-SLR Investments

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से निम्न' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Below investment Grade' securities	'अश्रेणीगत' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Un-rated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Un-listed' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सा.क्षे. उद्यम (सा.क्षे. बैंकों व सा.क्षे. वि. संस्थाओं को छोड़कर) PSU (Excl. PSU Banks & PSU FIs)	2002.03	1894.49	–	111.28	4.90
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	1245.18	1163.16	–	176.02	165.25
3	बैंक Banks	370.51	343.19	–	27.32	0.00
4	निजी कार्पोरेट Private Corporates	869.12	742.59	144.95	377.99	207.46

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से निम्न' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Below investment Grade' securities	'अश्रेणीगत' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Un-rated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Un-listed' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	75.00	75.00	–	75.00	75.00
6	अन्य Others	10074.31	10074.31	–	168.31	168.31
7	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान Provision held towards depreciation	(142.40)	–	–	–	–
	कुल Total	14493.75	14292.74	144.95	935.92	620.92

टिप्पणी

क) तुलन पत्र में अनुसूची –8 में दिए i) शेयर ii) डिबेंचर और बाँड iii) अनुषंगिययाँ/संयुक्त उद्यम और iv) अन्य प्रवर्गों के अंतर्गत शामिल निवेशों का योग कॉलम 3 के अधीन योग से मेल खाना चाहिए।

ख) उपर्युक्त कॉलम 4,5,6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती।

ग) आरआईडीएफ/सिडबी/एनएचबी, कर्ज के संपरिवर्तन में अर्जित गैर–एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश की गई राशि, जो अनिवार्य श्रेणीकरण अपेक्षा से छूट–प्राप्त है और अप्रयुक्त गैर–एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर विवेकपूर्ण सीमा को छोड़कर ।

Note

a) Total under column 3 should tally with the total of investments included under the categories i) shares ii) Debentures and bonds iii) Subsidiaries / Joint Ventures and iv) Others, given in schedule – 8 of the balance sheet.

b) Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

c) Excluding amount invested in RIDF/SIDBI/NHB, Non-SLR securities acquired out of conversion of debt which is exempted from mandatory rating requirement and prudential limit on investment in unutilized Non-SLR securities.

ii) गैर–निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश

ii) Non-performing Non-SLR Investments

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**26.63**	23.80
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year since 1st April	**27.32**	2.86
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी Reduction during the above period	**0.00**	0.03
इतिशेष Closing balance	**53.95**	26.63
धारित कुल प्रावधान Total Provisions held	**53.95**	26.63

3.0 व्युत्पन्न संविदाएं

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

3.0 DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate swap

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

मदें Items	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
(i) स्वैप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	1,325.00	2,275.00
(ii) करारों के तहत यदि प्रति पार्टियाँ अपने दायित्व पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होनेवाली हानि Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	17.29	28.10
(iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the bank upon entering into swaps	–	–
(iv) बैंकों को स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps to banks	–	–
(v) स्वैप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	(4.02)	(5.06)

3.2 एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतें

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य NIL	शून्य NIL
(ii)	31 मार्च को बकाया एक्सचेंज मं व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument wise)	शून्य NIL	शून्य NIL
(iii)	बकाया परंतु ''अधिक प्रभावी'' नहीं, ऐसी एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	शून्य NIL	शून्य NIL
(iv)	बकाया परंतु ''अधिक प्रभावी'' नहीं, ऐसी एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों का बाजार-को-अंकित मूल्य (लिखत वार) Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	शून्य NIL	शून्य NIL

वर्ष के दौरान बैंक ने कोई एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न संविदा नहीं की है।
The Bank has not contracted any exchange traded interest rate derivatives during the year.

3.3 व्युत्पन्न लिखतों में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन:

(i) गुणात्मक प्रकटन:

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की व्युत्पन्न नीति बैंक को काउंटर पर तथा एक्सचेंज में व्यापारगत (ईटी) ब्याज दर तथा करेंसी व्युत्पन्न लिखतों के लेनदेन की अनुमति देती है। यह नीति ग्राहकों को विदेशी मुद्रा निवेशों के प्रबंधन के लिए उत्पादों को प्रस्तुत करने, जो अंतर बैंक बाज़ार में बैक-टु-बैक आधार पर आवरित होने हैं, की अनुमति देती है। व्युत्पन्नों को बैक द्वारा व्यापार तथा तुलन पत्र मदों की ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में बैंक द्वारा वायदा व करेंसी फ्यूचरों वाले व्युत्पन्नों में सौदे किए।

ख) बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करती है। बैंक का एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) स्वतंत्र रूप से व्युत्पन्न लिखत लेनदेनों संबंधी बाज़ार जोखिम अभिनिर्धारित करता है, उसे मापता है, निगरानी करता है और इन जोखिमों के नियंत्रण व प्रबंधन में आल्को की मदद करता है तथा नियमित अंतरालों में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को नीतिगत परामर्शों के अनुपालन की रिपोर्ट देता है।

ग) व्युत्पन्न लिखत लेनदेन में बाज़ारी जोखिम है, अर्थात् ब्याज दरों/ विनिमय दरों में प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण बैंक को संभाव्य हानि तथा उधार जोखिम है, अर्थात् यदि प्रति पार्टियाँ अपनी वचनबद्धता का पालन नहीं करती हैं तो बैंक को होने वाली संभाव्य हानि। व्युत्पन्न लिखत लेनदेन में शामिल होने के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की "व्युत्पन्न लिखत नीति" बाज़ार जोखिम मानदण्ड तथा ग्राहक विनियोजन नीति निर्धारित करती है। केवल उन प्रतिपार्टियों के साथ व्युत्पन्न लिखत लेनदेन में शामिल होकर उधार जोखिम नियंत्रित की जाती है, जिनको वचनबद्धता के पालन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त उधार सीमा मंजूर है। बैंक प्रत्येक प्रतिपार्टी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर्स एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

घ) उल्लेखनीय लेखांकन नीति में उल्लिखित व्युतपन्नियों हेतु लेखांकन नीति भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार हैं तथा राजस्व तदनुसार निर्धारित किए गए हैं।

3.3 Disclosure on Risk Exposure in Derivatives:

(i) Qualitative Disclosure:

a. The Bank's Derivative Policy as approved by Board permits Bank to undertake deals in over-the-counter (OTC) as well as exchange traded (ET) interest rate and currency derivatives. The policy permits the offering of the products to the customer to manage their foreign currency exposures, which are to be covered on Back-to-Back basis in the interbank market. Derivatives can also be used by the Bank both for trading as well as hedging on-balance sheet items. In the current financial year Bank has entered into derivative deals involving forwards and currency futures.

b. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank overseas management of these risks. The Bank's Integrated Risk Management Department (IRMD), independently identifies, measures and monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.

c. Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates / exchange rates and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Derivative Policy" approved by the Board prescribes the market risk parameters as well as Customer Appropriateness policy for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties in respect of whom appropriate credit limits are sanctioned taking into account their ability to honor obligations. The Bank enters into International Swap Dealers Association (ISDA) agreements with each counterparty.

d. The accounting policy for derivatives as stated in Significant Accounting Policies has been drawn-up in accordance with RBI guidelines and revenues are recognized accordingly.

(ii) मात्रात्मक प्रकटन Quantitative Disclosures

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
		मुद्रा व्युत्पन्न लिखते Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न लिखते Interest rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न लिखते Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न लिखते Interest rate Derivatives
1	**व्युत्पन्न लिखते (आनुमानिक मूलधन) Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	क) a) हेजिंग हेतु For hedging	–	–	463.85	–
	ख) b) ट्रेडिंग हेतु For trading	–	1,325.00	–	2,275.00
2	**बाज़ार को अंकित स्थिति [1] Marked to Market Positions [1]**				
	क) a) आस्तियाँ (+) Assets (+)	–	–	71.60	–
	ख) b) देयताएं (–) Liability (–)	–	(4.02)	–	(5.06)
3	**ऋण एक्सपोज़र [2] Credit Exposure [2]**	–	17.29	80.88	28.10
4	**आईआरएसों तथा सीसीएसों पर ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100* पीवी 01) Likely impact of one percentage change in interest rate on IRSs and CCSs (100*PV01)**				
	क) a) हेजिंग व्युत्पन्न लिखतों पर on hedging derivatives	–	–	(0.30)	–
	ख) b) ट्रेडिंग व्युत्पन्न लिखतों पर on trading derivatives	–	0.01	–	0.04
5	**आईआरएसों तथा सीसीएसों हेतु वर्ष के दौरान अवलोकित 100* पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year for IRSs and CCSs**				
	क) a) हेजिंग पर on hedging				
	i) अधिकतम maximum	–	–	(4.15)	–
	ii) न्यूनतम minimum	–	–	(0.30)	–
	ख) b) ट्रेडिंग पर on trading				
	i) अधिकतम maximum	–	0.05	–	0.06
	ii) न्यूनतम minimum	–	0.01	–	0.04

3.4 वर्ष के दौरान बैंक ने कोई क्रेडिट डीफॉल्ट स्वैप करार नहीं किया है।

4.0 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अग्रिम

क) गैर लेखा-परीक्षित शाखाओं के मामले में, शाखा प्रबंधकों द्वारा यथा प्रमाणित अग्रिमों का वर्गीकरण समाविष्ट किया गया है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2014 को गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए अपेक्षित ₹1,551.11 करोड़ (गत वर्ष ₹575.74 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

3.4 The Bank has not entered into any Credit Default Swap during the year.

4.0 ASSET QUALITY

4.1 ADVANCES

a) In the case of unaudited branches, the classification of advances, as certified by the Branch Managers has been incorporated.

b) Bank has made required provision for NPAs of ₹1,551.11 Crore (Previous Year ₹ 575.74 Crore) in line with RBI guidelines as at 31st March, 2014.

4.2 गैर–निष्पादक आस्तियाँ
4.2 Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
(i) क) निवल गैर निष्पादक आस्तियाँ (a) Net NPAs	3,180.56	1,410.88
ख) गै.नि.आ. अनुपात (b) NPA Ratios		
i) सकल अग्रिमों में सकल गै.नि.आ.(%) Gross NPAs to Gross Advances (%)	3.42%	1.72%
ii) निवल अग्रिमों में निवल गै.नि.आ.(%) Net NPAs to Net Advances (%)	2.32%	1.19%
(ii) गैर–निष्पादक आस्तियों में कमी–बढ़त (सकल) Movement of NPAs (Gross)		
क) अथशेष a) Opening balance	2,048.23	1,274.21
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन b) Additions during the year	3,555.73	1,797.30
ग) वर्ष के दौरान कमी c) Reductions during the year	867.17	1,023.28
घ) इतिशेष d) Closing balance	4,736.79	2,048.23
(iii) निवल गैर–निष्पादक आस्तियों में कमी–बढ़त Movement of Net NPAs		
क) अथशेष a) Opening balance	1,410.88	869.38
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन b) Additions during the year	2,034.89	808.29
ग) वर्ष के दौरान कमी c) Reductions during the year	265.21	266.79
घ) इतिशेष d) Closing balance	3,180.56	1,410.88
(iv) गैर–निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधान की स्थिति (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को छोड़कर) **Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions for standard assets)		
क) अथशेष a) Opening balance	575.74	356.29
ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान b) Provisions made during the year	1,520.84	975.94
ग) अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते लिखना/पुनरांकन, प्रत्यावर्तित प्रावधान c) Write off/ write back of excess provisions, provision reversed	545.47	756.49
घ) इतिशेष d) Closing balance	1,551.11	575.74
(v) गैर–निष्पादक निवेशों की राशि Amount of Non-Performing Investments	53.94	26.63

4.3 पुनर्संरचित खातों के विवरण:
4.3 Particulars of accounts restructured:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring	सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism				
		आस्ति वर्गीकरण Asset classification	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते प्रारंभिक आंकड़े Restructured accounts as on April1 of FY Opening figures	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	19	6	1	–	26	165	205	10	4	384
		बकाया राशि Amount Outstanding	1,197.00	214.95	227.47	–	1,639.42	215.24	45.57	0.34	0.14	261.29
		उसपर प्रावधान Provision thereon	115.47	–	–	–	115.47	–	–	–	–	–

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring	सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism				
		आस्ति वर्गीकरण Asset classification	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	18	1	3	-	22	81	16	1	-	98
		बकाया राशि Amount Outstanding	1,514.28	37.12	10.88	-	1,562.28	152.71	11.55	0.09	-	164.35
		उसपर प्रावधान Provision thereon	109.76	14.42	28.20	-	152.38	0.08	-	-	-	0.08
3	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Up-gradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	1	-1	-	-	-	1	-1	-	-	-
		बकाया राशि Amount Outstanding	4.46	-4.46	-	-	-	0.07	-0.07	-	-	-
		उसपर प्रावधान Provision thereon	0.55	-0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वित्त वर्ष के अंत को पुनर्संरचित मानक खाते जिनके लिए अधिक प्रावधान ज़रूरी नहीं और इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संरचित मानक खातों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि Amount Outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उसपर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की डाउन ग्रेडिंग Down-gradations of restructured accounts during FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	-1	1	-	-	-	-16	16	-	-	-
		बकाया राशि Amount Outstanding	- 18.77	18.77	-	-	-	- 5.31	5.31	-	-	-
		उसपर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते लिखना* Write-offs restructured accounts during the FY*	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि Amount Outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वित्त वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)* Restructured Accounts as on March 31 of FY (closing figures)*	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	39	5	4	-	48	263	204	11	4	482
		बकाया राशि Amount Outstanding	2,734.51	228.84	238.35	-	3,201.70	373.33	51.74	0.43	0.14	425.64
		उसपर प्रावधान Provision thereon	225.78	13.87	28.20	-	267.85	0.08	-	-	-	0.08

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring	अन्य Others					कुल Total				
		आस्ति वर्गीकरण Asset classification	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते प्रारंभिक आंकड़े Restructured accounts as on April 1 of FY Opening figures	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	253	42	26	16	337	437	253	37	20	747
		बकाया राशि Amount Outstanding	4,976.41	557.14	174.84	0.08	5,708.47	6,388.65	817.66	402.65	0.22	7609.18
		उसपर प्रावधान Provision thereon	125.09	0.13	0.07	-	125.29	240.56	0.13	0.07	-	240.76
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	61.00	10.00	3.00	2.00	76.00	160.00	27.00	7.00	2.00	196.00
		बकाया राशि Amount Outstanding	1,587.38	68.19	96.84	-	1,752.41	3,254.37	116.86	107.81	-	3,479.04
		उसपर प्रावधान Provision thereon	135.59	-0.13	-0.07	-	135.39	245.43	14.29	28.13	-	287.85
3	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Up-gradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	2	-2	-	-	-	4	-4	-	-	-
		बकाया राशि Amount Outstanding	10.28	-10.28	-	-	-	14.81	-14.81	-	-	-
		उसपर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	0.55	-0.55	-	-	-
4	वित्त वर्ष के अंत को पुनर्संरचित मानक खाते जिनके लिए अधिक प्रावधान ज़रूरी नहीं और इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संरचित मानक खातों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि Amount Outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उसपर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की डाउन ग्रेडिंग Down-gradations of restructured accounts during FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	-10	10	-	-	-	- 27	27	-	-	-
		बकाया राशि Amount Outstanding	-68.14	68.14	-	-	-	- 92.22	92.22	-	-	-
		उसपर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते लिखना* Write-offs restructured accounts during the FY*	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि Amount Outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring	अन्य Others					कुल Total				
		आस्ति वर्गीकरण Asset classification	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
7	वित्त वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)* Restructured Accounts as on March 31 of FY (closing figures)*	उधारकर्ताओं की सं. No. of Borrowers	326	40	29	18	413	628	249	44	22	943
		बकाया राशि Amount Outstanding	6,642.21	546.91	271.68	0.08	7,460.88	9,750.05	827.49	510.46	0.22	11,088.22
		उसपर प्रावधान Provision thereon	260.68	-	-	-	260.68	486.54	13.87	28.20	-	528.61

* विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते लिखे गए खातों को छोड़कर

* excluding prudential write-off accounts

टिप्पणी:

क) * पुनर्संरचित खातों के प्रारंभिक ब्योरे (खातों की संख्या एवं मूल्य) का शाखाओं से प्राप्त सूचना से और रिपोर्टिंग संरचना में आगे ले जाते समय मिलान करते हुए विस्तार से समीक्षा की गई है, जब इसे सुधार किए गए और पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खातों को छोड़कर सुविधा-वार के बजाय उधारकर्ता-वार रिपोर्टिंग की गई है।

ख) उपर्युक्त प्रकटन का समेकन और प्रमाणन प्रबंधन-वर्ग ने किया है और लेखा परीक्षकों ने उसपर विश्वास किया है। प्रारंभिक शेष में वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते शामिल हैं। बंद किए गए खातों की स्थिति विवरण में नहीं दर्शाई है।

ग) पुनर्संरचित खातों के मामले में - मानक आस्तियाँ, अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और उस पर प्रावधान सीडीआर/भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई पुनर्संरचना में दी गई मुख्य शर्तों का अनुपालन करते हुए किया गया है।

Notes:

a) *Opening details of the restructured accounts (number of accounts and value) have been comprehensively reviewed by collating the information obtained from the Branches and on further migration to a reporting structure, wherein the corrections were carried out for excluding reschedule/rephased accounts and reporting borrower wise instead of facility wise.

b) The above disclosure on restructured accounts is compiled and certified by the Management and relied upon by the Auditors. Opening balance includes closed accounts during the year. Movement of closed accounts is not shown in the statement.

c) In case of restructured loans - Standard Assets, classification of advances, income recognition and provisioning thereon have been done, based on substantial compliance of major conditions contained in restructuring undertaken under CDR / RBI guidelines.

4.4 आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी को विक्रय की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण:

4.4 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	मद Item	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(i)	खातों की सं. No. of accounts	1	8
(ii)	एससी/आरसी को बिक्री किए गए खातों का समग्र मूल्य (प्रावधानों का निवल) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	शून्य Nil	60.64
(iii)	समग्र प्रतिफल Aggregate consideration	6.00	53.58
(iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	शून्य Nil	शून्य Nil
(v)	निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ Aggregate gain over net book value	6.00	-7.06

4.5 खरीदी/बिक्री की गई गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण / Details of non-performing financial assets purchased/sold

क. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण:

A) Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ख) समग्र बकाया (b) Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	(क) इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ख) समग्र बकाया (b) Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil

ख. बिक्री की गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण:

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1.	बिक्री किए गए खातों की सं. No. of accounts sold	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	समग्र बकाया (प्रावधान का निवल) Aggregate outstanding (Net of Provision)	शून्य Nil	शून्य Nil
3.	प्राप्त समग्र प्रतिफल Aggregate consideration received	शून्य Nil	शून्य Nil

4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान
4.6 Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

मद Item	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान (धारित) Provisions towards Standard Assets (held)	842.00	618.00

5.0 कारोबार अनुपात:
5.0 Business Ratios:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(i) औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का % Interest Income as a % to average Working Funds	9.21%	9.42%
(ii) औसत कार्यशील निधियों में ब्याजेतर आय का % Non- Interest Income as a % to average Working Funds	0.84%	0.99%
(iii) औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ % Operating Profit as a % to average Working Funds	1.56%	1.87%
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.29%	0.88%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियाँ और अग्रिम) (₹ लाख में) Business (deposits plus advances) per employee (₹ in lacs)	1933.31	1921.33
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit per employee (₹ in lacs)	3.29	9.68

नोट: कार्यकारी निधि वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान भा.रि.बैं. को रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों का औसत है।

Note: Average working funds represent average of total assets as reported to RBI during 12 months of the financial year.

6.0 आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च, 2014 को आस्तियों तथा देयताओं का परिपक्वता पैटर्न:

6.0 Asset Liability Management

Maturity pattern of Assets and Liabilities as at 31st March, 2014:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2–7 दिन 2-7 Days	8 – 14 दिन 8-14 Days	15 – 28 दिन 15-28 Days	29 दिन – 3 माह 29D-3M	3 माह से अधिक 6 माह तक >3M-6M	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक >6M-1Y	1 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष तक >1Y-3Y	3 वर्ष से अधिक – 5 वर्ष तक >3Y-5Y	5 वर्ष से अधिक >5Yrs	कुल Total
निवल ऋण व अग्रिम Net Loans & Advances	2644.43	1753.09	1221.54	2157.90	12273.94	8081.62	11312.97	55260.84	17510.15	24869.82	137086.30
निवेश Investments	9894.03	2263.21	707.02	1120.55	5952.61	6433.39	10267.77	9511.95	5849.95	14190.73	66191.21
जमाराशियाँ Deposits	2479.12	3865.77	3066.64	5384.41	28229.73	23664.15	42318.37	26431.29	10401.52	47482.01	193393.01
उधार Borrowings	68.63	5282.31	21.09	84.60	1210.10	680.19	329.65	303.30	939.76	4101.82	13021.45
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	277.55	223.82	80.26	269.71	1079.34	931.53	74.37	76.33	105.93	2.80	3121.64
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	277.85	49.52	24.77	26.58	779.10	363.33	699.53	314.03	295.13	0.00	2829.84

31.03.2013 को आस्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न:

Maturity pattern of Assets and Liabilities as at 31.03.2013:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2–7 दिन 2-7 Days	8 – 14 दिन 8-14 Days	15 – 28 दिन 15-28 Days	29 दिन – 3 माह 29D-3M	3 माह से अधिक 6 माह तक >3M-6M	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक >6M-1Y	1 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष तक >1Y-3Y	3 वर्ष से अधिक – 5 वर्ष तक >3Y-5Y	5 वर्ष से अधिक >5Yrs	कुल Total
निवल ऋण व अग्रिम Net Loans & Advances	2208.91	4375.63	2390.21	2390.34	11119.51	10613.62	12318.33	45479.27	15305.57	12515.26	118716.65
निवेश Investments	9854.25	2486.81	644.37	1035.53	3414.97	4538.91	11042.70	11195.99	4396.88	9554.06	58164.49
जमाराशियाँ Deposits	2180.23	5380.62	2684.07	4676.85	13710.28	20657.07	48485.14	31301.86	7038.90	29890.44	166005.45
उधार Borrowings	25.11	4692.37	83.06	666.94	1369.57	476.38	166.09	360.39	510.36	4548.58	12898.85
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	259.60	1084.29	169.18	261.96	1324.61	1185.08	98.83	120.95	200.69	0.98	4706.17
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	269.39	195.84	91.42	673.51	1280.95	396.79	385.14	301.29	81.90	0.00	3676.23

7.0 एक्सपोज़र

7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोज़र

7.0 Exposures

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

		यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
क) a)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र Direct Exposure		
i)	आवासीय बंधक–Residential Mortgages –		
	ऐसी आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत उधार जहाँ उधारकर्ता रहता है या रहेगा या भाड़े पर दिया है; Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (जिसमें से, **प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र में शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण**) (of which, ***Individual housing loans eligible for inclusion in priority Sector***)	10,003.41 (6,563.63)	8,175.76 (5,635.39)
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा –Commercial Real Estate –		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बह–उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु–परिवारीय आवासीय भवन, बह–किराएदारी वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार। (एक्सपोज़र में **गैर–निधि आधारित** सीमाएं (एनएफबी) भी शामिल) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). (Exposure also include **non-fund based** (NFB) limits) (जिसमें से, रिहाइशी आवास के लिए वाणिज्यिक स्थावर संपदा) (of which, commercial Real Estate to Residential Housing)	3,560.22 (1,457.19)	3,060.28 (ला.न.)(NA)
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिगत वित्त एक्सपोज़र – Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
	क) आवासीय a) Residential	506.91	609.73
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा b) Commercial Real Estate	–	–
ख) b)	अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र Indirect Exposure राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं **गैर–निधि आधारित** एक्सपोज़र, स्टेट हाउसिंग बार्डों तथा कार्पोरेशनों सहित Fund based and **non-fund based** exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) including State Housing Boards and Corporations	4,418.49	3,827.26
	स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Real Estate Sector	**18,489.03**	**15,673.03**

7.2 पूँजी बाज़ार में एक्सपोज़र

7.2 Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाँडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि विशेष रूप से कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;*** Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;***	758.81	783.15
ii)	शेयरों/बाँडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर अग्रिम या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बाँडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर अग्रिम; Advances against share/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares [including IPOs/ ESOPs], convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.51	0.26
iii)	किसी अन्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units or equity oriented mutual funds are taken as primary security.	0.12	0.13
iv)	किसी अन्य उद्देश्यों हेतु उस सीमा तक अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित है अर्थात्, जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बाँडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति 'अग्रिमों को पूर्णत: रक्षित नहीं करते हैं'; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds 'does not fully cover the advances';	151.62	155.10
v)	शेयर दलालों को जमानती तथा गैर-जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों तथा बाज़ार विनिर्माताओं की ओर से जारी गारंटियाँ; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	6.15	9.80
vi)	शेयरों/बाँडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के योगदान को पूरा करने हेतु बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों हेतु मंज़ूर किए गए ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	–	–
vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम पर कंपनियों को तात्कालिक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	–	–
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की प्राथमिक निर्गम हेतु बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	–	–
ix)	मार्जिन व्यापार हेतु शेयर दलालों को वित्त प्रदान करना; **(जारी बैंक गारंटियाँ)** Financing to stockbrokers for margin trading **[Bank Guarantees issued]**	25.51	10.00
x)	उद्यम पूँजी निधि (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) को ईक्विटी के साथ सममूल्य पर समझा जाएगा तथा इस कारण पूँजी बाज़ार जोखिम सीमा (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुपालन हेतु लिया जाएगा all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	227.77	240.06
	पूँजी बाज़ार में कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Capital Market	**1,170.49**	**1,198.50**

टिप्पणी: *** इसमें ₹ 432.49 करोड़ (गत वर्ष ₹429.56 करोड़) निवेश, जिन्हें 5% की सीमा से छूट प्राप्त है और **एनसीडी मेसर्स पैंटलून रीटेल इंडिया लि.** में ₹4.97 करोड़ का निवेश, जो उक्त कंपनी के ईक्विटी शेयरों से प्रतिभूत हैं, शामिल हैं।

Note : *** includes investments of ₹432.49 Crore (Previous year is ₹429.56 Crore) which are exempted from 5% ceiling and ₹4.97 Crore of investment in **NCD M/s Pantaloon Retail India Ltd.** which is secured by equity shares of the company.

7.3 जोखिम प्रवर्ग वार देशी एक्सपोज़र

निर्यात ऋण गारंटी कार्पोरेशन (ईसीजीसी) द्वारा प्रदत्त देशगत ऋण जोखिम वर्गीकरण के आधार पर बैंक के देश वार निवल जोखिम एक्सपोज़र निम्नलिखित है।

7.3 Risk Category wise Country Exposure

The following are the bank's country wise net risk exposure based on the Country risk classification provided by the Export Credit Guarantee Corporation (ECGC).

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2014 को एक्सपोज़र (निवल) (चालू वर्ष) Exposure (net) as at 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च, 2014 को धारित प्रावधान (चालू वर्ष) Provision held as at 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च, 2013 को एक्सपोज़र (निवल) (गत वर्ष) Exposure (net) as at 31st March, 2013 (Previous Year)	31 मार्च, 2013 को धारित प्रावधान (गत वर्ष) Provision held as at 31st March, 2013 (Previous Year)
नगण्य Insignificant	4,341	–	4,229	–
निम्न Low	1,469	–	2,089	–
मामूली Moderate	211	–	169	–
उच्च High	77	–	43	–
अत्यधिक Very High	6	–	9	–
प्रतिबंधित Restricted	–	–	5	–
ऋणेतर Off Credit	–	–	9	–
योग Total	**6,104**	**शून्य NIL**	**6,553**	**शून्य NIL**

7.4. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), ग्रुप उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक प्रदत्त ऋण के विवरण।

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित मामलों के सिवाय, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, पूंजी निधियों, वैयक्तिक उधारकर्ता/ग्रुप हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक्सपोज़र अधिकतम सीमा* को पार नहीं किया है:

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

During the year ended 31st March, 2014, the Bank has not exceeded the exposure ceiling* fixed by RBI to individual borrower / Group except in the following cases, which have been approved by the Board:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	ग्राहक का नाम Name of the Client	वर्ष के दौरान अधिकतम एक्सपोज़र Maximum exposure during the year	एक्सपोज़र % Exposure %
क. एकल उधारकर्ता A. Single Borrower			
शून्य Nil			
ख. ग्रुप उधारकर्ता B. Group Borrower			
शून्य Nil			

* बैंक की पूंजीगत निधियों के प्रतिशत रूप में। इस उद्देश्य हेतु 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजीगत निधियां ₹ 15.166.20 करोड़ थीं। इस उद्देश्य हेतु भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा निम्नानुसार है:

* As a percentage of capital funds of the Bank. The capital funds for this purpose were ₹15,166.20 Crore during the year ended 31st March, 2014. Prudential exposure limits for this purpose is fixed by RBI are as follow:

		व्यक्तिगत उधारकर्ता Individual Borrower	ग्रुप Group
क A	**तेल बांडों को जारी किए गए तेल कंपनियों को छोड़कर Other than oil companies who have been issued Oil Bonds**		
	मूलभूत Basic	15%	40%
	आधारभूत संरचना हेतु अतिरिक्त Additional for infrastructure	5%	10%
	अपवादात्मक परिस्थितयों में तुलन-पत्र प्रकटनों के साथ अतिरिक्त Additional under exceptional circumstances with Balance Sheet disclosures	5%	5%
ख B	**तेल कंपनियाँ जिन्हें तेल बांड जारी किए गए हैं। Oil companies who have been issued Oil Bonds**	25%	ला.न. N. A.

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम: 7.5 Unsecured Advances:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances	20,461.98	20,105.03
जिनमें बैंक द्वारा अधिकार, लाइसेंस, **ब्रैंड मूल्यांकन, प्राधिकार** आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लिए गए अग्रिम Out of which advances with intangible securities such as charge over the rights, licenses, ***brand valuations, authorisations*** etc. taken by the bank as collateral	2,795.05	672.14
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible collateral	1,637.47	636.17

8.0 भा.रि.बैं. द्वारा लगाये जुर्माने का प्रकटन

क. वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन और विलंबित रिपोर्टिंग/प्रेषण के लिए ₹1.53 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

ख. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं जहाँ भा.रि.बैं. ने लेखों की टिप्पणियों के लिए प्रकटन मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं

1.0 स्थिर आस्तियाँ

क) परिसर में ₹12.30 करोड़ (गत वर्ष ₹12.30 करोड़) की लागत वाली परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं जिनके पंजीकरण की औपचारिकताएं लम्बित हैं।

ख) स्थिर आस्तियों में पूँजीगत चालू कार्य-परिसर से संबंधित ₹0.09 करोड़ (गत वर्ष ₹ शून्य) और पूँजीगत अग्रिम - परिसर खाते में ₹0.24 करोड़ (गत वर्ष ₹ शून्य) शामिल है।

ग) वर्ष 2013-14 के दौरान अर्जित सॉफ्टवेयरों की लागत ₹14.24 करोड़ (गत वर्ष ₹9.61 करोड़) है और 2013-14 तक परिशोधित राशि ₹14.15 करोड़ (गत वर्ष ₹12.55 करोड़) है।

8.0 Disclosure of Penalties Imposed by RBI

A. During the financial year 2013-14, the Reserve Bank of India has imposed a penalty of ₹1.53 Crore for violation of KYC guidelines and delayed reporting / remittance.

B. Disclosure Requirements as Per Accounting Standards where RBI has Issued Guidelines in Respect of Disclosure Items for Notes to Accounts

1.0 Fixed Assets

a) Premises include properties costing ₹12.30 Crore (Previous year ₹12.30 Crore) for which registration formalities are pending.

b) Fixed Assets include ₹0.09 Crore (Previous year ₹ Nil) in respect of Capital Work in Progress-Premises and ₹0.24 Crore (Previous year ₹ Nil) in Capital Advance-Premises Account.

c) During the year 2013-14, cost of software acquired is ₹ 14.24 Crore (Previous year ₹9.61 Crore) and the amount amortized till 2013-14 is ₹14.15 Crore (Previous year ₹12.55 Crore).

घ) परिसर में ₹3.59 करोड़ (गत वर्ष ₹3.59 करोड़) की इमारत शामिल है जो पिछले स्वामी के शोधन के अधिकार के अधीन है।

ङ) पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु लंबित संविदाएँ जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया, ₹86.09 करोड़ (गत वर्ष ₹4.61 करोड़) है।

2.0 कर्मचारी हितलाभ

2.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के अनुसार बैंक द्वारा कर्मचारी हितलाभ हेतु लेखांकन किया गया है।

2.2 (क) तुलन-पत्र की तारीख को प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाएं:

d) Premises include buildings of ₹ 3.59 Crore (Previous year ₹ 3.59 Crore) which are subject to previous owner's right of redemption.

e) Contracts pending execution on Capital account and not provided for is ₹ 86.09 Crore (Previous year ₹ 4.61 Crore).

2.0 Employee Benefits

2.1 The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

2.2 (a) The Principal actuarial assumptions used as at the balance sheet date :

परिभाषित हितलाभ निधिक Defined benefits Funded	पेंशन –निधिक Pension-Funded		ग्रैच्युटी –निधिक Gratuity-Funded		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ – अनिधिक Long Term compensated benefit-Unfunded	
	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
बट्टा दर Discount Rate	8.75%	8.50%	8.75%	8.50%	8.75%	8.50%
वेतन वृद्धि Salaries increase	5.50%	–	5.50%	–	5.50%	–
– मूल वृद्धि Basic Increase		4.00%		6.00%		6.00%
– डीए वृद्धि DA Increase		6.00%		6.00%		6.00%
पेंशन वृद्धि Pension increase	5.50%	6.00%	–	6.00%	–	6.00%
एट्रीशन दर Attrition Rate	1.69%	1.60%	4.24%	4.20%	4.24%	4.20%
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर Expected Rate of Return on Plan Assets	9.00%	9.00%	8.50%	8.50%	–	ला.न. N.A.

ख) परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान निम्नवत् प्रस्तुत है:

परिभाषित हितलाभ

b) A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and Plan assets is as under:

Defined benefits

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

दायित्व Obligations	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] Long Term compensated benefit [Unfunded]	
	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014* As at 31st March, 2014 *	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
आरंभिक शेष Opening Balance	2,148.55	1,861.10	420.65	401.40	217.81	270.55
ब्याज लागत Interest Cost	184.63	155.08	35.17	32.71	18.15	20.31
चालू सेवा लागत Current Service Cost	71.34	41.43	48.84	11.62	22.16	42.03
विगत सेवा लागत – निर्धारित Past service cost-recognised	-	-	-	-	-	-
विगत सेवा लागत – अनिर्धारित Past service cost- unrecognised	-	-	-	-	-	-
विगत सेवा लागत – परिशोधन हेतु अपात्र Past service cost-Not eligible for amortisation	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	-77.00	-73.24	-37.38	-33.16	-20.63	-18.99
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि Acturial (Gain) / Loss on obligation	145.68	164.18	-14.74	8.08	-11.00	-32.46
अंतिम शेष Closing Balance	2,473.20	2,148.55	452.54	420.65	226.49	281.44

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

योजना आस्तियाँ Plan Assets	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]	
	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
अप्रैल को योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of plan assets as on April	2,173.02	1,504.25	439.90	428.38
योजना आस्ति अंशदानों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected Return on Plan Assets Contributions	214.88	156.68	36.45	35.01
नियोक्ता अंशदान Employer Contribution	188.42	550.38	15.00	-
दूसरे न्यास और सदस्यों से अंतरण Transfer from other trust and members	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(77.00)	(73.24)	(37.39)	(33.16)
बीमांकिक लाभ / (–) हानि Actuarial gain / (–) loss	(55.40)	34.95	(14.00)	9.67
मार्च को योजना आस्तियों का हितलाभ Fair Value of plan assets as on March	2,443.92	2,173.02	439.96	439.90

ग) लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित कुल व्ययः

c) Total Expenses recognized in the Profit and Loss Account:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

परिभाषित हितलाभ Defined benefits	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] Long Term compensated benefit [Unfunded]	
	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014* As at 31st March, 2014*	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
चालू सेवा लागत Current Service Cost	71.34	41.43	48.85	11.62	22.16	42.03
ब्याज लागत Interest Cost	184.63	155.08	35.17	32.71	18.15	20.31
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	(214.88)	(156.68)	(36.45)	(35.01)	0	0
अवधि के दौरान निर्धारित निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the period	201.1	129.23	(0.73)	(1.58)	(11.00)	(32.46)
विगत सेवा लागत – निर्धारित Past service cost-recognised	110.51	110.51	-	-	-	-
विगत सेवा लागत – परिशोधन हेतु अपात्र Past service cost-Not eligible for amortization	-	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित व्यय Expenses recognized in the statement of profit and loss	352.7	279.57	46.84	7.74	29.31	29.88

घ) योजना आस्तियों का संघटनः

d) The Compositions of Plan Assets:

(प्रतिशत में in %)

	पेंशन -निधिक Pension-Funded		ग्रैच्युटी – निधिक Gratuity-Funded	
	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Seurities	32.08	32.69	54.14	54.84
उच्च गुणवत्ता सरकारी बाँड High Quality corporate Bonds	11.31	13.47	21.49	21.51
विशेष जमाराशियाँ Special deposits	-	-	-	-
अन्य Others (PSU)	13.68	15.21	11.42	11.25
बीमा योजनाओं के अंतर्गत आस्तियाँ Assets under Insurance Schemes	42.93	38.63	12.95	12.4
कुल Total	**100**	**100**	**100**	**100**

ङ) परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना आस्तियों का उचित मूल्य, अधिशेष/कमी तथा चालू एवं गत वर्ष के लिए अनुभव समायोजन निम्नानुसार है:

e) The present value of defined benefits obligations, the fair value of plan assets, Surplus/Deficits and experience adjustments for the current and previous year are as under:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

पेंशन Pension	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	2473.20	2148.55
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	2333.43	1952.02
(अधिशेष) /कमी (Surplus)/Deficits	(139.77)	(196.53)
अपरिशोधित देयता Un-amortised Liability	110.49	221.00
(अधिशेष)/कमी [अपरिशोधित देयता का निवल] (Surplus) / Deficits [Net of Un-amortised Liability]	29.28	(24.47)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/ लाभ Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/ Gain	145.68	(164.18)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/ लाभ Experience Adjustment on Plan assets (Loss)/ Gain	(55.40)	34.95

ग्रैच्युटी Gratuity	यथा 31 मार्च, 2014, As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	452.54	420.65
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	439.95	439.90
(अधिशेष)/कमी (Surplus) /Deficits	12.59	(19.25)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(14.74)	(8.08)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	(14.00)	9.67

दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ – अनिधिक Long Term compensated benefit-Unfunded	यथा 31 मार्च, 2014*, As at 31st March, 2014*	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	226.49	281.44
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	0.00	0.00
(अधिशेष)/कमी (Surplus) /Deficits	226.49	281.44
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment on Plan Liabilities	(11.00)	(32.46)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment on Plan assets	0.00	0.00

* बैंक ने कर्मचारी हितलाभ जैसे बीमारी छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत और दीर्घावधि अवार्ड जो किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर बंद हो जाते हैं, उन्हें गैर-सेवांत लाभ के रूप में लिया है, जिन्हें अब तक सेवांत लाभ के रूप में माना जाता था और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान किए गए। तदनुसार पूर्व वर्षों से संबंधित ₹63.62 करोड़ के प्रावधान को वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया।

* The bank has considered the employee benefits like sick leave, casual leave, leave travel concession and long term awards which ceases to exist on retirement of an employee as non-terminal benefits which hitherto were considered to be terminal benefits and provisions were made as per actuarial valuation. Accordingly, the provision amounting to ₹63.62 Crore made in earlier years has been reversed during the year.

2.3 भा.रि.बैं. परिपत्र सं डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार ₹338.67 करोड़ के उपलब्ध पेंशन निधि शेष को हिसाब में लेने के बाद ₹552.53 करोड़ की निवल वृद्धिशील देयता को 2010-11 ले लेकर पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। तदनुसार ₹110.51 करोड़ (₹552.53 करोड़ का एक बटा पाँचवाँ भाग) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखे को प्रभारित किया गया है। सेवारत कर्मचारियों से संबंधित ₹110.49 करोड़ की निवल देयता पूर्वोक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार आगे ले जाई जा रही है।

2.4 01 नवंबर, 2012 से प्रभावी प्रस्तावित वेतन संशोधन पर समझौता होने तक चालू वर्ष के दौरान ₹75.00 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया गया है। 31 मार्च, 2014 को इस खाते में धारित कुल प्रावधान ₹118.00 करोड़ है।

3.0 प्रखंड रिपोर्टिंग - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "लेखांकन मानक 17 - प्रखंड रिपोर्टिंग" के अनुसार प्रखंड रिपोर्ट इस प्रकार है:

2.3 In terms of RBI Circular No.: DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February, 2011, after reckoning the available pension fund balance of ₹338.67 Crore, the net incremental liability of ₹552.53 Crore is being amortized over a period of five years starting from 2010-11. Accordingly a sum of ₹110.51 Crore (representing one-fifth of ₹ 552.53 Crore) has been charged to the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2014. The net liability relating to serving employees being carried forward in terms of the requirements of the aforesaid circular amounts to ₹110.49 Crore.

2.4 Pending settlement of the proposed wage revision of employees effective from 01st November, 2012, an adhoc provision of ₹75.00 Crore has been made during the current year. The total provision held on this account as at 31st March, 2014 is ₹118.00 Crore.

3.0 SEGMENT REPORTING - In terms of "AS 17 - Segment Reporting", issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as follows:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
क) a)	**प्रखंड राजस्व Segment Revenue**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	4,716.53	3890.90
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	10,032.85	9131.79
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	4,215.40	3407.58
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	641.51	511.75
	कुल Total	**19,606.29**	**16942.02**
ख) b)	**प्रखंड परिणाम Segment Results**		
	प्रत्येक प्रखंड से कर पूर्व और ब्याज पश्चात् लाभ (+) हानि (-) Profit (+) Loss (-) before tax and after interest from each segment		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	421.64	709.09
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	493.04	1343.99
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	618.06	717.86
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	-1,291.05	-1085.34
	कुल Total	**241.69**	**1685.60**
ग) c)	**अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses**	0.00	0.00
घ) d)	**परिचालन लाभ Operating Profit**	**241.69**	**1685.60**
ङ) e)	**आय कर Income Tax**	-320.03	250.93
च) f)	**असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss**	0.00	0.00

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
छ) g)	**निवल लाभ Net Profit**	561.72	1437.67
ज) h)	**अन्य सूचना Other Information**		
झ) i)	**प्रखंड आस्तियाँ Segment Assets**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	57,677.04	51,154.32
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	96,721.58	87,047.08
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	40,952.72	32,223.98
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	24,329.81	21,006.80
	v) अनाबंटित आस्तियाँ Unallocated Assets	2,367.32	2,010.15
	कुल आस्तियाँ Total Assets	**222,048.47**	**193,442.33**
ञ) j)	**प्रखंड देयताएँ Segment Liabilities**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	54,010.13	47,616.59
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	92,631.05	82,607.17
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	39,043.00	30,670.63
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	22,781.60	19,572.05
	v) आनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	3,497.59	3,410.19
	vi) पूँजी और आरक्षित निधियाँ Capital and Reserves	10,085.10	9,565.70
	कुल देयताएं Total Liabilities	**222,048.47**	**193,442.33**

4.0 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18–संबंधित पार्टी प्रकटन के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण निम्नवत् हैं:

4.0 Related Party Disclosure :

In compliance with Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures, issued by the Institute of Chartered Accountants of India read along with the Reserve Bank of India guidelines, the details pertaining to Related Party transactions are disclosed as under:

संबंधित पार्टियों का नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध Name of related parties and their relationship with the bank			
मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel			
क्र. सं. Sr. No.	**नाम Name**	**संबंध Relation**	**अदा की पारिश्रमिक राशि (₹ करोड़ में) Remuneration paid Amount (₹ in Crore)**
1	श्री अजय कुमार (30.06.2013 तक) Shri Ajai Kumar (upto 30.06.2013)	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex. Chairman and Managing Director	0.05
2	श्री एस. आर. बंसल (05.10.2013 से) Shri S. R. Bansal (from 05.10.2013)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	0.10
3	श्री अमर लाल दौलतानी Shri Amar Lal Daultani	कार्यपालक निदेशक Executive Director	0.17
4	श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव Shri Bibhas Kumar Srivastav	कार्यपालक निदेशक Executive Director	0.17

अनुषंगी/सहयोगी कंपनियाँ/संस्थाएं Subsidiaries/Associates		
क्र. सं. Sr. No.	नाम Name	संबंध Relation
1	कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. Corpbank Securities Limited	अनुषंगी कंपनी Subsidiaries
2	कार्पोरेशन बैंक आर्थिक विकास मंच Corporation Bank Economic Development Foundation	न्यास जिसमें मुख्य प्रबंधन कार्मिक न्यासी हैं Trust in which Key Management Personnel are trustees
3	कार्पोरेशन बैंक स्वनियोजन प्रशिक्षण संस्था Corporation Bank Self Employment Training Institute	
4	ग्रामीण अभ्युदय वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श न्यास Gramina Abhyudaya Financial Literacy & Credit Counselling Trust	
5	कार्पोरेशन बैंक कर्मचारी भविष्य निधि Corporation Bank Staff Provident Fund	
6	कार्पोरेशन बैंक पेंशन निधि Corporation Bank Pension Fund	
7	कार्पोरेशन बैंक उपदान निधि Corporation Bank Gratuity Fund	

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन: Transactions with the Related Parties

मदें/संबंधित पार्टी Items/Related Party	मूल (स्वामित्व नियंत्रण के अनुसार) Parent (As per Ownership or control)	अनुषंगियाँ Subsidiaries	न्यास जिसमें मुख्य प्रबंधन कार्मिक न्यासी हैं Trust in which Key Management Personnel are trustees	मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल (₹ करोड़ में) Total (₹ in Crore)
जमाराशि चालू/बचत बैंक खाता Deposit Current/ Savings bank Account	-	-	79.04	0.10	0.01	79.15
प्राप्त जमाराशियाँ Deposits Received	-	37.00	381.90	-	-	418.90
निवेश Investments	-	75.00		-	-	75.00
पारिश्रमिक Remuneration	-	-	-	0.49	-	0.49
ट्रेज़री बिलों की बिक्री Sale of Treasury Bills	-	1.74	-	-	-	1.74
प्रदत्त ब्याज Interest paid	-	39.29	-	-	-	39.29
निम्न की प्राप्ति Receipt of (क) किराया (a) Rent (ख) प्रतिपूर्ति (b) Reimb. of -बिजली Electricity -रखरखाव Maintenance	- - -	0.01 0.19 0.18	- - -	- - -		0.01 0.19 0.18
सेवाएं प्रदान करना* Rendering of services*	-	-	1.67	-	-	1.67

टिप्पणी: जहाँ संबंधित पार्टी के किसी प्रवर्ग में केवल एक संस्था है, बैंकों को उक्त संबंधित पार्टी से संबंध के अलावा उससे संबंधित कोई ब्योरे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है (मार्गनिर्देशों का पैरा 8.3.1 देखें)

Note: Where there is only one entity in any category of related party, banks need not disclose any details pertaining to that related party other than the relationship with that related party [c.f. Para 8.3.1of the Guidelines]

* ठेका सेवाएं आदि, प्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि जैसी सेवाएं नहीं।

* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

5.0 प्रति शेयर अर्जन

मूल : ₹35.75 प्रति शेयर

मूल ईपीएस की गणना:

5.0 Earnings Per Share:

Basic: ₹35.75 per share

Calculation of Basic EPS:

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु कर पश्चात् उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in Crore)	561.72	1434.67
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में) Weighted average number of equity shares (in Crore)	15.71	14.83
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹) Basic Earnings per Share (₹)	35.75	96.74
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹) Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

तनूकृतः लागू नहीं क्यों कि कोई तनूकृत संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं है।

Diluted: Not applicable as there are no dilutive potential equity shares.

6.0 आय पर करों के लिए लेखांकन

क) भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. बैं.प.वि.वि. सं. बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के अनुसरण में बैंक ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि पर आस्थिगति कर देयता का सृजन किया है। उक्त परिपत्र द्वारा अपेक्षित अनुसार, 31 मार्च, 2014 को विशेष आरक्षित निधि पर डीटीएल के सृजन के कारण ₹364.46 करोड़ का व्यय, जो पहले लाभ-हानि लेखे में प्रभारित नहीं किया गया था, अब सीधे सामान्य आरक्षित निधियों से समायोजित किया गया है। यदि इस राशि को भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया होता, तो वर्ष का लाभ उतनी राशि तक कम होता।

ख) बैंक ने लेखा आय और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर कर-योग्य आय के बीच के अंतर को स्थाई अंतर माना है जिसे अब तक समय अंतर माना जाता था। तदनुसार ₹869.00 करोड़ की आस्थगित कर देयता का सृजन आवश्यक नहीं समझा गयाष इसके अलावा, पिछले वर्ष के दौरान सृजित ₹191.10 करोड़ की आस्थगित कर देयता को चालू वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया है।

6.0 Accounting for Taxes on Income

a) Pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No.BP. BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December, 2013 the Bank has created Deferred Tax Liability on the Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961. As required by the said RBI Circular, the expenditure, amounting to ₹ 364.46 Crore due to the creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2014, not previously charged to the Profit and Loss Account, has now been adjusted directly from the General Reserves. Had this amount been charged to the Profit & Loss Account in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the amount of Profit for year would be lower by such amount.

b) Bank has considered the difference between accounting income and taxable income on valuation of securities as permanent difference which were hitherto considered as timing difference. Accordingly, creation of Deferred Tax Liability of ₹869.00 Crore has not been considered necessary. Further, Deferred Tax Liability of ₹191.10 Crore created up to the previous year has been reversed during the current year.

ग) बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को लेखा मानक सं. 22 के अनुसार निर्धारित किया है, जिसके प्रमुख संघटक नीचे प्रस्तुत हैं:

c) The Bank has recognized deferred tax assets and liabilities as per Accounting Standard No.22, major components of which are set out below:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred Tax Assets		
छुट्टी नकदीकरण Leave encashment	76.99	53.70
एफआईटीएल FITL	166.99	81.75
वेतन बकाया Wage Arrear	40.10	13.95
एएस-15 प्रावधान AS-15 Provision	13.98	शून्य Nil
कुल Total	298.06	149.40
आस्थगित कर देयताएं Deferred Tax Liabilities		
स्थिर आस्तियाँ Fixed Assets	(0.25)	3.43
निवेश Investments	शून्य Nil	191.10
ग्रैच्युटी Gratuity	शून्य Nil	5.60
पेंशन परिशोधन – पूर्व भुगतान Pension Amortization- Pre-payment	37.55	79.65
दीर्घावधि वित्त आय Long Term Finance Income	434.82	शून्य Nil
कुल Total	**472.12**	**279.78**

आस्थगित कर देयता (निवल) ₹174.06 करोड़ (गत वर्ष ₹130.38 करोड़) को 'अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Deferred tax liability (net) ₹ 174.06 Crore (Previous year ₹ 130.38 Crore) is included under "Other Liabilities and Provisions"

घ) आय कर और संपत्ति कर

i) वर्ष के दौरान आय कर हेतु किए गए प्रावधानों का विश्लेषण:

d) Income Tax and Wealth Tax

i) Break-up of provision made for Income Tax and wealth tax during the year :

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चालू कर* Current Tax*	101.13	500.90
आस्थगित कर Deferred Tax	320.78	(250.72)
आय कर Income Tax	219.65	250.18
संपत्ति कर Wealth Tax	0.75	0.75

* (₹ शून्य के अतिरिक्त प्रावधान के प्रत्यावर्तन का निवल) (गत वर्ष ₹83.16 करोड़)

* (Net of reversal of excess provisions of ₹ NIL) (previous year ₹ 83.16 Crore)

ii) आय कर और संपत्ति कर हेतु निर्धारण क्रमशः वित्त वर्ष 2010-11 और 2007-08 तक पूरा किया गया है। बैंक /आय कर विभाग द्वारा की गई निम्नलिखित अपील विभिन्न चरणों में लंबित है:

ii) Assessments for Income Tax and Wealth Tax have been completed up to the financial year 2010-11 and 2007-08 respectively. The following appeals by the Bank/ Income Tax Department are pending at various stages:

आय कर Income Tax	ब्याज कर Interest Tax	सेवा कर Service Tax	व्यवसाय कर Profession Tax
निर्धारण वर्ष 1998-99, 2004-05 व 2006-07 से 2012-13 Assessment Year 1998-99, 2004-05 & 2006-07 to 2012-13	निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 Assessment year 1983-84 to 1985-86	वित्त वर्ष 2002-03 से 2004-05 Financial Year 2002-03 to 2004-05	2009-10 से 2013-14 2009-10 to 2013-14

iii) "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दर्शाए गए अग्रिम प्रदत्त कर और स्रोत पर काटे गए कर में बैंक द्वारा विवादग्रस्त माँगों के लिए प्रदत्त ₹559.92 करोड़ (गत वर्ष ₹294.36 करोड़) शामिल हैं, जिसके लिए बैंक ने ₹0.04 करोड़ (गत वर्ष ₹0.04 करोड़) का प्रावधान रखा है। बैंक ने अपील की है और इसी प्रकार के मामलों में अनुकूल फैसलों को देखते हुए कोई अतिरिक्त प्रावधान ज़रूरी नहीं समझा गया है।

iii) Tax paid in advance and tax deducted at source appearing under "Other Assets" includes ₹ 559.92 Crore (previous year ₹ 294.36 Crore) paid on account of demands disputed by the Bank, against which the Bank holds a provision of ₹ 0.04 Crore (Previous year ₹0.04 Crore). The Bank has gone on appeal and no additional provision is considered necessary in view of favorable judicial pronouncements in similar cases.

7.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधान:

7.0 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

a) Provisions:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

प्रावधान की प्रकृति Nature of Provision		प्रारंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Additional Provision made during the year	वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए प्रावधान Provision used during the year	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित प्रावधान Provision Reversed during the year	अंतिम शेष Closing Balance
i.	गै.नि.आ. हेतु किए गए प्रावधान Provision made towards NPAs	575.74	1,520.84	462.74	82.73	1,551.11
ii.	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (गै.नि.आ. प्रावधान सहित) Provision for Depreciation on Investment (Including NPA provision)	108.41	354.09	–	3.11	459.39
iii.	आय कर / संपत्ति कर हेतु प्रावधान Provision made towards Income Tax / Wealth Tax	1,118.60	584.86	350.20	320.77	1,032.49
iv.	सभी अन्य * All other *	1,164.81	748.61	–	1.43	1,911.99

* इसमें कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावों हेतु प्रावधान, कपटपूर्ण लेन-देनों हेतु प्रावधान तथा अन्य विविध लेनदेन शामिल हैं।

* This includes provision for claims against the Bank not acknowledged as debt, provision towards fraudulent transactions and other miscellaneous transactions.

ख) आकस्मिक देयता:
b) Contingent Liability:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

i) कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावे: i) Claims against the Bank not acknowledged as debts:			
विवरण Particulars	**दावों की सं No. of claim**	**सकल दावे Gross Claim**	**निवल दावे Net Claim**
01.04.2013 को बकाया कुल दावे Total Claims outstanding as on 01.04.2013	124	305.06	297.37
घटाएं: 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान टाए/संशोधित दावे Less: Claims deleted/revised during the period from 01.04.2013 to 31.03.2014	33	3.92	3.39
जोड़ें : 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान जोड़े नए दावे Add : New Claims added during the period from 01.04.2013 to 31.03.2014	20	295.60	293.85
31.03.2014 को बकाया कुल दावे Total Claims outstanding as on 31.03.2014	**111**	**596.74***	**587.83***

31 मार्च, 2014 को बकाया दावों का विषयवार वर्गीकरण:
Subject-wise classification of the claims outstanding as on 31st March, 2014:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	**दावों की सं No. of Claims**	**सकल दावे Gross Claim**	**निवल दावे Net Claim**
बैंक गारंटी Bank Guarantee	3	0.17	0.02
चेक /माँग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश आदि की उगाही Cheques/DD/PO etc., collection	9	0.78	0.23
ऋण संविभाग Credit Portfolio	14	1.01	0.56
जमा संविभाग Deposits Portfolio	6	0.59	0.10
सतर्कता Vigilance	21	6.18	1.67
विविध [आय कर व ब्याज कर माँगों से संबंधित दावों सहित] Miscellaneous [Including claims on account of Income Tax & Interest Tax Demands]	58	588.01	585.25
योग Total	**111**	**596.74***	**587.83***

* शुरुआत से लेकर जहाँ लागू हो दावों पर ब्याज को छोड़कर
* Excluding interest on claims, wherever applicable, since inception.

आकस्मिक देयताओं में ₹550.74 करोड़ (गत वर्ष ₹277.76 करोड़) का विवादित आय कर तथा ब्याज कर शामिल है जिसके विरुद्ध विभाग ने अपील की है।

Contingent Liabilities includes disputed Income tax and interest of ₹550.74 Crore (Previous year ₹277.76 Crore)

ग. अतिरिक्त प्रकटन/C. ADDITIONAL DISCLOSURES
1. प्रावधान और आकस्मिकताएं /1. Provisions and Contingencies

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	**यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013**
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान Provision for Depreciation on Investment	537.32	(5.26)
एनपीए के प्रति प्रावधान Provision towards NPA	1,438.11	928.12
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान Provision towards Standard Asset	224.00	122.00
आयकर और संपत्तिकर हेतु प्रावधान Provision for Income Tax and wealth tax	-320.03	250.93
ब्याज पूँजीकरण हेतु प्रावधान Provision for Interest Capitalisation	239.33	148.57
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Other Provision & Contingencies	358.94	157.97
योग TOTAL	**2,477.67**	**1,602.33**

2. अस्थिर प्रावधान
2. Floating Provision

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

अस्थिर प्रावधान Floating Provision	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
क) अस्थिर प्रावधान खाते में अथशेष a) Opening balance in the floating provisions account	शून्य Nil	शून्य Nil
ख) लेखा वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान की मात्रा b) Quantum of floating provisions made in the accounting year	शून्य Nil	शून्य Nil
ग) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण का उद्देश्य और राशि c) Purpose and amount of draw down made during the accounting year	शून्य Nil	शून्य Nil
घ) अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष d) Closing balance in the floating provisions account	शून्य Nil	शून्य Nil

3. आरक्षित निधियों से आहरित: शून्य (गत वर्ष शून्य)

3. Draw Down from Reserves : Nil (Previous Year Nil)

4. शिकायतें/बैंकिंग लोकपाल के कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णय

4. Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen

क. ग्राहक शिकायतें
A. Customer Complaints

(क) (a)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	6
(ख) (b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	1134
(ग) (c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	1140
(घ) (d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	शून्य Nil

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय
B. Awards passed by the Banking Ombudsman

(क) (a)	वर्ष के आरंभ में गैर-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	शून्य Nil
(ख) (b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	12
(ग) (c)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards implemented during the year	11
(घ) (d)	वर्ष के अंत में गैर-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

ग. 2013–14 के दौरान एटीएम के संबंध में ग्राहक शिकायतें
C. Customer complaints for ATM during the financial year 2013-14

ग्राहक शिकायतें Customer Complaints

क्र.स. Sr. No.	विवरण Particulars	हमारे कार्ड धारकों से वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें Total Complaints received from our card holders during the year	इनमें से दूसरे बैंक के एटीएमों का उपयोग करते समय हमारे कार्ड धारकों से प्राप्त शिकायतें Out of which complaint received from our card holders while using other Bank ATMs
(क) (a)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	381	230
(ख) (b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	69871	28856
(ग) (c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	69365	28482
(घ) (d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	506	374

5. बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों को मंजूर ऋण सीमाओं के प्रति उनकी ओर से चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करता है। प्रबंधन-वर्ग की राय में बैंक द्वारा विगत में, चालू वर्ष के दौरान जारी एलओसी के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव और संचयी वित्तीय दायित्व का अकलन नहीं हुआ है और अब भी बकाया नहीं है। बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

5. The Bank issues Letter of Comforts (LOCs) on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) में प्रारंभिक शेष Opening Balance in Letter of Credit (LOC)	152.29	168.86
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान Payment made during the year	3.16	16.57
वर्ष के दौरान जारी एलओसी LOC issued during the year	0.00	0.00
अंतिम शेष Closing balance	149.13	152.29

6. 31 मार्च, 2013 के 62.06% के मुकाबले 31 मार्च, 2014 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 52.82% हैं।

6. Provisioning coverage ratio of the Bank as on 31st March, 2014 is 52.82% as against 62.06% as on 31st March, 2013.

7. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक को बैंकाश्योरेन्स कारोबार से ₹10.85 करोड़ (गत वर्ष ₹8.27 करोड़) शुल्क/प्रतिलाभ प्राप्त हुआ है।

7. During the year ended 31st March, 2014, Bank has received fee/remuneration of ₹ 10.85 Crore from Bancassurance business (Previous year ₹ 8.27 Crore).

8. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र और एनपीए का संकेन्द्रीकरण

क. जमाराशियों का संकेन्द्रीकरण:

8. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

a. Concentration of Deposits:

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ Total deposits of twenty largest depositors	29,289.57	25,892.19
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	15.15%	15.60%

ख. अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण:
b. Concentration of Advances

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	34,259.12	30,547.43
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total advances of the Bank	24.89%	25.91%

ग. एक्सपोज़र का संकेन्द्रीकरण:
c. Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र Total exposure to twenty largest borrowers/customers	34,613.55	30,922.59
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र में अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	22.73%	23.87%

घ. गैर–निष्पादक आस्तियों का संकेन्द्रीकरण
d. Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
चार बड़े गै.नि. आस्ति खातों में निहित राशि Total Exposure to top four NPA Accounts	665.42	426.68

9. क्षेत्र–वार गैर–निष्पादक आस्तियाँ
9. Sector-wise NPAs

क्र. सं. Sr. No.	क्षेत्र Sector	कुल अग्रिमों में गै.नि. आस्तियों का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
1.	कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलाप Agriculture & allied activities	3.16%	3.33%
2.	उद्योग (व्यष्टि व लघु, मध्यम और बड़े) Industry [Micro & Small, Medium and Large]	4.80%	2.14%
3.	सेवा Services	1.36%	0.50%
4.	वैयक्तिक ऋण Personal Loans	2.08%	1.38%

10. गैर–निष्पादक आस्तियों में कमी–बढ़त
10. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
1 अप्रैल, 2013 को सकल गै.नि.आ. [आरंभिक शेष] Gross NPAs as on 1st April, 2013 [Opening Balance]	2048.23	1274.21
वर्ष 2013–14 के दौरान परिवर्धन [नई गै.नि.आ.] Additions [Fresh NPAs] during the year 2013-14	3555.73	1797.30
उप–योग (क) Sub-total [A]	5603.96	3071.51
घटाएं : Less :		
[i] उन्नयन Upgradations	176.12	190.73
[ii] वसूली (उन्नयन किए गए खातों में की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries [excluding recoveries made from upgraded accounts]	228.31	123.88
[iii] बट्टे खाते लिखे गए Write-offs	462.74	708.67
उप–योग [ख] Sub-Total [B]	867.17	1023.28
31 मार्च, 2014 को सकल गै.नि. आस्तियाँ [इतिशेष (क –ख)] Gross NPAs as on 31st March, 2014 [closing balance[(A) – (B)]	4736.79	2048.23

11. विदेशी आस्तियाँ, गैर–निष्पादक आस्तियाँ एवं राजस्व
11. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
कुल आस्तियाँ Total Assets	शून्य Nil	शून्य Nil
कुल गैर–निष्पादक आस्तियाँ Total NPAs	शून्य Nil	शून्य Nil
कुल राजस्व Total Revenue	शून्य Nil	शून्य Nil

12. प्रायोजित इतर तुलन–पत्र एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है)
12. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV Sponsored	
देशी Domestic	विदेशी Overseas
शून्य NIL	शून्य NIL

13. प्रवर्तक बैंक के रूप में प्रतिभूतिकरण:

13. Securitisation as Originating Bank:

क्रमांक Sr. No.	विवरण Particulars				संं./राशि ₹ करोड़ में No./ Amount ₹ in Cr.
1	प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या No. of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions				शून्य NIL
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसबीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों की कुल आस्ति Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank				
3	तुलन-पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोज़र की कुल राशि Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet				
	क) a)	तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र Off-balance sheet exposures			
		प्रथम हानि First loss			
		अन्य Others			
	ख) b)	तुलन-पत्रगत एक्सपोज़र On-balance sheet exposures			
		प्रथम हानि First loss			
		अन्य Others			
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेनों को एक्सपोज़रों की राशि Amount of exposures to securitization transactions other than MRR				
	क) a)	तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र Off-balance sheet exposures			
		i)	अपने ही प्रतिभूतिकरण को एक्सपोज़र Exposure to own securitizations		
			प्रथम हानि First loss		
			हानि Loss		
		ii)	तृतीय पार्टी प्रतिभूतिकरण को एक्सपोज़र Exposure to third party securitizations		
			प्रथम हानि First loss		
			अन्य Others		
	ख) b)	तुलन-पत्रगत एक्सपोज़र On-balance sheet exposures			
		i)	अपने ही प्रतिभूतिकरण को एक्सपोज़र Exposure to own securitizations		
			प्रथम हानि First loss		
			अन्य Others		
		ii)	तृतीय पार्टी प्रतिभूतिकरण को एक्सपोज़र Exposure to third party securitizations		
			प्रथम हानि First loss		
			अन्य Others		

अ. अन्य

1.0 अंतर-शाखा लेनदेन

शाखाओं, नियंत्रण कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के बीच के लेन-देनों का समाधान किया गया है। यथा 31 मार्च, 2014, 8 जनवरी, 2014 तक के सभी अंतर-शाखा लेन-देनों को समायोजित किया गया है।

2.0 बहियों का संतुलन

क) लेखा बहियों का संतुलन और मिलान 31 मार्च, 2014 तक कर लिया गया है।

D. Others

1.0 Inter Branch Transactions

Reconciliation of transactions between Branches, Controlling offices and Head office has been done. All inter branch transactions up to 8th January, 2014 stand adjusted as at 31st March, 2014.

2.0 BALANCING OF BOOKS

a) Books of account have been balanced and tallied up to 31st March, 2014.

ख) अन्य आस्तियों एवं अन्य देयताओं में तथा अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ खातों में समाधान और समायोजन के लिए कुछ लम्बित पुरानी प्रविष्टियाँ शामिल हैं जिनका बैंक के लाभ-हानि और तुलन पत्र पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

3.0 बैंक ने प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य हेतु 45% अर्थात् 4.50 प्रति शेयर अंतरिम लाभांश की घोषणा की है और 22.50% अर्थात् प्रति शेयर ₹2.25 प्रति शेयर के लाभांश का प्रस्ताव रखा है।

4.0. जहाँ आवश्यक है वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

b) Other Assets and Other Liabilities and accounts with other banks/institutions include a few old entries pending for reconciliation and adjustment, having no material impact on the Profit & Loss and Balance Sheet of the Bank.

3.0 The Bank has declared an interim dividend of 45% i.e. ₹4.50 per share and proposed for a dividend of 22.50% i.e. ₹2.25 per share of the face value of ₹10/- each.

4.0 Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary in conformity with the current year presentation.

(एस.आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(अमर लाल दौलतानी)
कार्यपालक निदेशक

(बी. के. श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक

(आदीश कुमार जैन)
निदेशक

(यू. एस. पालीवाल)
निदेशक

(विन्सेंट डि'सूज़ा)
निदेशक

(एकनाथ बालिगा)
निदेशक

(कवलजीत सिंह ओबेरॉय)
निदेशक

(एस. शब्बीर पाशा)
निदेशक

(बी. वेंकट भास्कर)
निदेशक

(सी. जी. पिन्टो)
महा प्रबंधक

(एच. राजभूषण)
उप महा प्रबंधक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001359N
[सीए एस.सी. गुप्ता]
एम.नं. 016534
साझेदार

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-002878S
[सीए सी.आर. दीपक]
एम.नं. 215398
साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000379C
[सीए राहुल गुप्ता]
एम.नं. 077811
साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-103429W
[सीए अतुल जैन]
एम.नं. 037097
साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001997S
[सीए मुरली मोहन]
एम.नं. 203592
साझेदार

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 9 मई, 2014

[S. R. Bansal]
Chairman & Managing Director

[Amar Lal Daultani]
Executive Director

[B. K. Srivastav]
Executive Director

[Adish Kumar Jain]
Director

[U. S. Paliwal]
Director

[Vincent D'Souza]
Director

[Ekanath Baliga]
Director

[Kawaljit Singh Oberoi]
Director

[S. Shabbeer Pasha]
Director

[B. Venkata Bhaskar]
Director

[C. G. Pinto]
General Manager

[H. Rajbhooshan]
Dy. Gen. Manager

As per our Report of even date

for Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN-001359N
[CA S. C. Gupta]
M.No. 016534
PARTNER

for B. K. Ramadhyani & Co.
Chartered Accountants
FRN-002878S
[CA C. R. Deepak]
M.No. 215398
PARTNER

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants
FRN-000379C
[CA Rahul Gupta]
M.No. 077811
PARTNER

for GMJ & Co.
Chartered Accountants
FRN-103429W
[CA Atul Jain]
M.No. 037097
PARTNER

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN-001997S
[CA Murali Mohan]
M.No. 203592
PARTNER

Place : Mangalore
Date : 9th May, 2014

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु एकल नकदी प्रवाह विवरण
Standalone Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2014

(₹ in '000 में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 चालू वर्ष Current Year	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013 गत वर्ष Previous Year
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर उपरांत निवल लाभ Net Profit after Tax	**5,617,186**	14,346,748
जोड़ें: कर हेतु प्रावधान Add: Provision for Tax	**(3,200,300)**	2,509,286
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before Tax	**2,416,886**	**16,856,034**
i निम्न हेतु समायोजन Adjustment for :		
स्थिर आस्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets	**1,132,399**	966,189
निवेशों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Investments	**5,373,219**	(52,576)
एनपीए हेतु मूल्यह्रास Provision for NPAs	**14,381,114**	9,281,194
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision for Standard Assets	**2,240,000**	1,220,000
टियर I और टियर II बाँडों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Tier I & Tier II Bonds	**4,753,750**	4,753,248
आकस्मिकताओं और अन्य हेतु प्रावधान Provision for Contingencies and Others	**3,589,456**	1,579,703
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets	**3,403**	9,755
अनुषंगियों और सहयोगियों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय Income earned by way of Dividend etc. from Subsidiaries and Associates	**–**	(356,250)
(प्रदत्त)/वापस किया गया प्रत्यक्ष कर Direct Taxes (paid)/Refund	**(1,029,760)**	(5,013,298)
ब्याज पूँजीकरण हेतु प्रावधान Provision for Interest Capitalisation	**2,393,300**	1,485,700
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पहले नकदी प्रवाह Cash Flow before change in Operating Assets and Liabilities	**35,253,767**	**30,729,699**
ii निम्न हेतु समायोजन Adjustment for:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	**273,875,522**	298,632,542
उधार में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Borrowings	**1,225,990**	(13,492,503)
अन्य देयताओं एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	**(16,059,271)**	(15,210,810)
निवेशों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Investments	**(80,267,186)**	(172,331,609)
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Advances	**(183,696,537)**	(182,476,248)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Other Assets	**(5,290,258)**	6,294,561
बट्टे खाते लिखने/अंतरित करने के लिए आरक्षित निधियों में/से समायोजन Adjustments to/from Reserves for Write Off/trf	**(3,644,608)**	–
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES [A]	**21,397,419**	(47,854,368)

(₹ in '000 में)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 चालू वर्ष Current Year	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013 गत वर्ष Previous Year
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह**		
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	स्थिर आस्तियों की बिक्री/निपटान Sale/Disposal of Fixed Assets	**27,851**	15,261
	स्थिर आस्तियों की खरीद Purchase of Fixed Assets	**(1,384,347)**	(1,863,423)
	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश Additional Investment in Subsidiary/Joint Ventures/Associates	–	–
	अनुषंगियों और सहयोगियों में लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय Income earned by way of Dividend etc. from Subsidiaries and Associates	–	356,250
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख) NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES [B]	**(1,356,496)**	**(1,491,912)**
ग.	**वित्तीयन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह**		
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	शेयर पूँजी के निर्गमन से आगम Proceeds from Issuance of Share Capital	**146,275**	47,852
	शेयर प्रीमियम से आगम Proceeds from Share Premium	**4,353,725**	1,992,149
	टियर I और टियर II बाँडों से आगम Proceeds of Tier I & Tier II Bonds	–	–
	टियर I और टियर II बाँडों का प्रतिदान Redemption of Tier I & Tier II Bonds	–	–
	टियर I और टियर II बाँडों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Tier I & Tier II Bonds	**(4,753,750)**	(4,753,248)
	प्रदत्त लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम) Dividend (Interim & Final) paid	**(2,905,374)**	(3,036,661)
	प्रदत्त लाभांश (अंतरिम) Dividend (Interim) paid	**(882,077)**	–
	प्रदत्त लाभांश संवितरण कर Dividend Distribution Tax paid	**(442,784)**	(483,497)
	वित्तीयन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग) NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES [C]	**(4,483,985)**	**(6,233,405)**
घ.	**नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी))(क+ख+ग) या (च–ङ)**		
D	**NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS [A+B+C] or [F-E]**	**15,556,938**	(55,579,687)
ङ.	**वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य**		
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	नकदी और भा.रि.बैं. के पास बैंक शेष Cash and Bank Balance with RBI	**88,478,457**	92,882,345
	बैंकों के पास शेष राशियाँ और माँग पर और अल्प सूचना पर धन Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**38,354,764**	89,530,563
	वर्ष के प्रारंभ में निवल नकदी और नकदी समतुल्य (ङ) NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR [E]	**126,833,221**	182,412,908

(₹ in '000 में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 चालू वर्ष Current Year	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013 गत वर्ष Previous Year
च. वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समतुल्य		
F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
नकदी और भा.रि.बैं. के पास बैंक शेष Cash and Bank Balance with RBI	**137,402,076**	88,478,457
बैंकों के पास शेष राशियाँ और माँग पर और अल्प सूचना पर धन Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**4,988,083**	38,354,764
वर्ष के प्रारंभ में निवल नकदी और नकदी समतुल्य (च) NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR [F]	**142,390,159**	**126,833,221**

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम, कार्पोरेशन बैं अधोहस्ताक्षरी सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों ने 31 मार्च, 2014 समाप्त वर्ष के बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण करार के खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत 9 मई, 2014 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित इसी अवधि हेतु बैंक के लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र पर आधारित तथा उसके अनुरूप है।

AUDITORS' CERTIFICATE

We, the undersigned Statutory Central Auditors of Corporation Bank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank, for the year ended 31st March, 2014. The statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our report of May 9, 2014 to the President of India.

कृते सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001359N
[सीए एस.सी. गुप्ता]
एम.नं. 016534
साझेदार

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-002878S
[सीए सी.आर. दीपक]
एम.नं. 215398
साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000379C
[सीए राहुल गुप्ता]
एम.नं. 077811
साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-103429W
[सीए अतुल जैन]
एम.नं. 037097
साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001997S
[सीए मुरली मोहन]
एम.नं. 203592
साझेदार

स्थानः मंगलूर
दिनांकः 9 मई, 2014

for Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN-001359N
[CA S. C. Gupta]
M.No. 016534
PARTNER

for B. K. Ramadhyani & Co.
Chartered Accountants
FRN-002878S
[CA C. R. Deepak]
M.No. 215398
PARTNER

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants
FRN-000379C
[CA Rahul Gupta]
M.No. 077811
PARTNER

for GMJ & Co.
Chartered Accountants
FRN-103429W
[CA Atul Jain]
M.No. 037097
PARTNER

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN-001997S
[CA Murali Mohan]
M.No. 203592
PARTNER

Place : Mangalore
Date : 9th May, 2014

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कार्पोरेशन बैंक के निदेशक मंडल की सेवा में

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट:

1. हमने कार्पोरेशन बैंक और उसकी अनुषंगी (एक साथ "समूह" कहा गया है) के 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उसके साथ उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु समूह के समेकित लाभ-हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और अन्य व्याख्यात्मक सूचना की जाँच की है।

2. हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" की अपेक्षा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन-वर्ग का उत्तरदायित्व

3. इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन-वर्ग का है और इसे प्रबंधन-वर्ग ने समूह की अलग संस्था के पृथक् वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किया है। इस उत्तरदायित्व में चाहे कपट के कारण हो या त्रुटिवश, महत्व-पूर्ण अयथार्थों से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए ज़रूरी आंतरिक नियंत्रण के निरूपण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है।

लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व

4. हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाकर लेखा-परीक्षा का कार्य संपन्न करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं।

5. किसी लेखा-परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में व्यक्त धनराशियों और प्रकटनों के समर्थक साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चुनी जाने वाली प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक के विवेक, जिसमें चाहे कपट के कारण हो या त्रुटिवश, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थों के जोखिमों का आकलन शामिल है, पर निर्भर करती हैं। जोखिम का यह आकलन करने में लेखा-परीक्षक परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निरूपित करने के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं उचित प्रस्तुति के लिए ज़रूरी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। किसी लेखा-परीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों

INDEPENDENT AUDITORS REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO THE BOARD OF DIRECTORS OF CORPORATION BANK

Report on Financial statements:

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of Corporation Bank and its subsidiary (collectively known as "the Group"), as at 31st March, 2014, the Consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement of the Group for the year ended on that date and other explanatory information.

2. We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirement of the Accounting Standard (AS) 21 – "Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India.

Management's Responsibility for the Financial Statements:

3. These consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's Management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of the different entity in the group. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

4. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The Procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also

की उपयुक्तता तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की युक्तियुक्तता का आकलन और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

6. हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा साक्ष्य लेखा-परीक्षा अभिमत हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अभिमत

7. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अन्य मामले के साथ पठित उक्त समेकित वित्तीय विवरण अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित तरीके से देती है और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाते हैं:
   (i) टिप्पणियों के साथ पठित समेकित तुलन-पत्र को समुचित रूप से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च, 2014 को समूह की स्थिति को सही एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाए;
   (ii) टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि लेखा, उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समूह के सही शेष और लाभ को दर्शाता है; और
   (iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण बात

हमारे अभिमत को सापेक्ष न करते हुए हम, निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं-

8. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में टिप्पणी सं. 1(क), जो भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. बैं.प.वि.वि. सं. बीपी. बीसी. 77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के अनुसरण में बैंक ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि पर 31 मार्च, 2013 को आस्थिगति कर देयता के सृजन के व्यय के लेखांकन का विवरण देती है।

9. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में टिप्पणी सं. 1(क), जो बैंक ने लेखा आय और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर कर-योग्य आय के बीच के अंतर को जिसे अब तक समय अंतर माना जाता था, स्थाई अंतर माने जाने के कारण ₹869.00 करोड़ की आस्थगित कर देयता का सृजन न करने और पहले सृजित ₹191.10 करोड़ की आस्थगित कर देयता को प्रत्यावर्तित करने के संबंध में है।

10. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में टिप्पणी सं. 6, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुन: देना तथा ग्रैच्युटी सीमाओं में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक व्यवस्था पर अपने परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी. बीसी/80/ 21.04.018/2010-11 के द्वारा लेखा मानक (एएस-15), कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों को लागू करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट देने के परिणामस्वरूप ₹.110.51 करोड़ की हद तक बैंक की पेंशन देयता को आस्थगित करने के संबंध में है।

includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

6. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion:

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said consolidated financial statements read with Other Matters, give the information required in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
   (i) The Consolidate balance sheet, read with the notes thereon is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of affairs of the Group as at 31st March, 2014;
   (ii) The Consolidated profit & loss account read with the notes thereon show a true balance of the profit of the Group, for the year ended on that date; and
   (iii) The consolidated cash flow statement, cash flows of the Group for the year ended on that date.

Emphasis of Matter:

Without qualifying our opinion, we draw attention to the following:

8. Note No. 1 (a), Schedule 18 to the consolidated financial statements, which describes the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961 as at 31st March, 2013 pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No. BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December, 2013.

9. Note No. 1 (b), Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding non creation of Deferred Tax Liability of ₹869 Crore and reversal of Deferred Tax Liability of ₹191.10 Crore created previously for the reason that the difference in valuation of securities has been considered as permanent difference which was hitherto considered as timing difference.

10. Note No. 6 of Schedule 18 of the consolidated financial statements regarding deferment of pension liability to the extent of ₹110.51crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standards (AS-15), Employee Benefits vide Circular No. DBOD. BP. BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits-Prudential Regulatory Treatment.

11. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में टिप्पणी सं. 8.2, जो बैंक ने कर्मचारी हितलाभ अर्थात् बीमारी छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत और दीर्घावधि अवार्ड को गैर-सेवांत लाभ के रूप में लेने से संबंधित है, जिन्हें अब तक सेवांत लाभ के रूप में माना जाता था। तदनुसार पूर्व वर्षों से संबंधित ₹63.62 करोड़ के प्रावधान को वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया है।

12. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 10, जो पुनर्संरचित खातों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और प्रावधान से संबंधित है।

अन्य मामले:

13. हमने अनुषंगी के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2014 को ₹118.60 करोड़ की कुल आस्तियों तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष हेतु ₹10.29 करोड़ का कुल राजस्व प्रतिबिंबित करते हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक उक्त अनुषंगी के संबंध में शामिल राशियों का संबंध है, हमारी राय केवल उक्त अन्य लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

14. समेकित तुलन-पत्र और समेकित लाभ-हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फार्म "क" और "ख" में तैयार किए गए हैं।

15. हमारी राय में, समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ-हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

11. Note No. 8.2 of Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding considering the employee benefits, namely, Sick Leave, Casual Leave, Leave Travel Concession and Long Term Awards as non-terminal benefits which hitherto was considered terminal benefits. Accordingly, the provision amounting to ₹63.62 Crore made in earlier years has been reversed during the year.

12. Note No. 10 of Schedule 18 to the consolidated financial statements, regarding classification, income recognition and provisioning of restructured advances.

Other Matters:

13. We have not audited the financial statements of the Subsidiary, whose financial statements reflect total assets of ₹118.60 crore as at 31st March, 2014 and total revenues of ₹10.29 crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by another auditor whose report has been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the said subsidiary, is based solely on the report of the another auditor.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

14. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

15. In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of the Group comply with the applicable Accounting Standards.

कृते सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-001359N
(सीए एस.सी. गुप्ता)
(एम.नं. 016534) साझेदार

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-002878S
(सीए सी.आर. दीपक)
(एम.नं. 215398) साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-000379C
(सीए राहुल गुप्ता)
(एम.नं. 077811) साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-103429W
(सीए अतुल जैन)
(एम.नं. 037097) साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-001997S
(सीए मुरली मोहन)
(एम.नं. 203592) साझेदार

स्थानः मंगलूर
दिनांकः 9 मई, 2014

for Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants FRN-001359N
[CA S. C. Gupta]
M. No. 016534
PARTNER

for B. K. Ramadhyani & Co.
Chartered Accountants FRN-002878S
[CA C. R. Deepak]
M. No. 215398
PARTNER

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants FRN-000379C
[CA Rahul Gupta]
M. No. 077811
PARTNER

for GMJ & Co.
Chartered Accountants FRN-103429W
[CA Atul Jain]
M. No. 037097
PARTNER

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants FRN-001997S
[CA Murali Mohan]
M. No. 203592
PARTNER

Place: Mangalore
Date: 9th May, 2014

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2014 की समेकित स्थिति का तुलन-पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2014

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	यथा As on 31.03.2014 ₹	यथा As on 31.03.2013 ₹
पूँजी और देयताएँ CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी Capital	1	**1,675,419**	1,529,144
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष Reserves and Surplus	2	**99,598,741**	94,496,005
न्यूनहित Minority Interest		**शून्य Nil**	शून्य Nil
जमाराशियाँ Deposits	3	**1,933,556,393**	1,659,984,494
उधार राशियाँ Borrowings	4	**130,214,453**	128,988,463
अन्य देयताएँ व प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	**55,500,255**	49,711,898
योग TOTAL		**2,220,545,261**	1,934,710,004
आस्तियाँ ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**137,402,079**	88,478,458
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**4,988,128**	38,354,775
निवेश Investments	8	**661,897,459**	581,849,376
अग्रिम Advances	9	**1,370,862,992**	1,187,166,456
स्थाई आस्तियाँ Fixed Assets	10	**4,652,904**	4,432,254
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	**40,741,699**	34,428,685
योग TOTAL		**2,220,545,261**	1,934,710,004
आकस्मिक देयताएँ Contingent Liabilities	12	**623,918,186**	503,743,201
उगाही के लिए बिल Bills for Collection		**113,852,068**	73,156,192
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	18		

(एस. आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अमर लाल दौलतानी)
कार्यपालक निदेशक
(बी. के. श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक
(सी. जी. पिन्टो) महा प्रबंधक
(एच. राजभूषण) उप महा प्रबंधक

निदेशक
आदीश कुमार जैन
यू. एस. पालीवाल
विन्सेंट डि'सूज़ा
एकनाथ बालिगा
कवलजीत सिंह ओबेरॉय
एस. शब्बीर पाशा
बी. वेन्कटा बास्कर

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 9 मई, 2014

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-001359N
(सीए एस.सी. गुप्ता)
(एम.नं. 016534) साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-000379C
(सीए राहुल गुप्ता)
(एम.नं. 077811) साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-001997S
(सीए मुरली मोहन)
(एम.नं. 203592) साझेदार

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-002878S
(सीए सी.आर. दीपक)
(एम.नं. 215398) साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-103429W
(सीए अतुल जैन)
(एम.नं. 037097) साझेदार

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2014

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 ₹
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest Earned	13	**179,585,691**	153,340,827
अन्य आय Other Income	14	**16,571,896**	16,199,340
योग TOTAL		**196,157,587**	169,540,167
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	15	**141,740,754**	119,064,350
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**23,923,249**	19,972,068
प्रावधान और आकस्मिकताएँ Provisions and Contingencies		**24,808,725**	16,071,326
योग TOTAL		**190,472,728**	155,107,745
सहयोगियों में अर्जन/हानि का भाग Share of Earning/loss in Associates		–	–
III. न्यूनहित ब्याज घटाने से पहले वर्ष का समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year before deducting Minorities Interest		**5,684,859**	14,432,422
घटाएँ: न्यूनहित ब्याज Less: Minorities Interest		–	–
वर्ष हेतु ग्रूप का समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit of the Group for the year		**5,684,859**	14,432,422
जोडें: ग्रूप का अग्रेषित समेकित लाभ Add: Brought forward consolidated Profit of the Group		**109,609**	381,169
योग TOTAL		**5,794,468**	14,813,591
IV. विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Statutory Reserves		**1,404,296**	3,586,687
कर्मचारी कल्याण निधि में अन्तरण Transfer to Staff Welfare Fund		**150,000**	150,000
स्टॉफ कल्याण निधि से प्रत्यावर्तन Reversal from Staff Welfare Fund		**(194,631)**	–
विशेष आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Special Reserves		**2,070,000**	3,430,000
पूँजी आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Capital Reserve		**231,705**	398,762
सामान्य आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to General Reserves		**617,294**	3,409,855
निवेश आरक्षित निधियाँ Investment Reserve		**15,397**	40,981
अंतरिम लाभांश Interim Dividend		**753,945**	300,000
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		**376,979**	2,905,373
अंतरिम लाभांश पर कर Tax on Interim Dividends		**128,133**	48,667
लाभांश पर कर Tax on Dividends		**76,814**	433,657
तुलन–पत्र में ले जायी गई शेष राशि Balance carried over to B/S		**164,536**	109,609
योग TOTAL		**5,794,468**	14,813,591
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earning per Share (₹)		**36.18**	97.32

[S. R. Bansal]
Chairman & Managing Director

[Amar Lal Daultani]
Executive Director

[B. K. Srivastav]
Executive Director

[C. G. Pinto]
General Manager

[H. Rajbhooshan]
Dy. Gen. Manager

Place: Mangalore
Date: 9th May, 2014

Directors
Adish Kumar Jain
U. S. Paliwal
Vincent D'Souza
Ekanath Baliga
Kawaljit Singh Oberoi
S. Shabbeer Pasha
B. Venkata Bhaskar

As per our Report of even date

for Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants FRN-001359N
[CA S.C.Gupta]
(M.No. 016534) Partner

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants FRN-000379C
[CA Rahul Gupta]
(M.No. 077811) Partner

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants FRN-001997S
[CA Murali Mohan]
(M.No. 203592) Partner

for B. K. Ramadhyani & Co.
Chartered Accountants FRN-002878S
[CA C.R. Deepak]
(M.No. 215398) Partner

for GMJ & Co.
Chartered Accountants FRN-103429W
[CA Atul Jain]
(M.No. 037097) Partner

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र में संलग्न अनुसूचियाँ
SCHEDULES ANNEXED TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2014

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31.03.2014 ₹	₹	यथा As at 31.03.2013 ₹	₹
अनुसूची 1 – पूँजी SCHEDULE 1 – CAPITAL				
प्राधिकृत पूँजी AUTHORISED CAPITAL				
प्रत्येक ₹10 के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each		**30,000,000**		3000,00,00
निर्गमित एवं अभिदत्त पूँजी ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रत्येक ₹10 के 16,75,41,877 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में 15,29,14,391) 16,75,41,877 (Previous year 15,29,14,391) Equity Shares of ₹10 each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1,529,144**		1,481,293	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(जब्त) Additions/(Forfeited) during the year	**146,275**	**1,675,419**	47,851	1,529,144
प्रदत्त पूँजी PAID UP CAPITAL				
क) केन्द्र सरकार द्वारा धारित a) Held by Central Government	**1,061,052**	**1,061,052**	914,777	914,777
ख) जनता एवं अन्य द्वारा धारित b) Held by the public & others	**614,367**		614,367	
घटाएँ: देय आबंटन राशि Less : Allotment money due	–		–	
वर्ष के दौरान जब्त Forfeiture during the year	–	**614,367**	–	614,367
योग TOTAL		**1,675,419**		1,529,144
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियाँ और अधिशेष SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS				
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ Statutory Reserves				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**29,420,897**		25,834,210	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**1,404,296**		3,586,687	
निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग Appropriation from excess Provision of Depreciation on Investments	–		–	
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित राशि Amount trfd. to Gen. Reserve	–	**30,825,192**	–	29,420,897
II. विशेष आरक्षित निधियाँ Special Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**10,781,074**		7,351,074	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**2,070,000**		3,430,000	
कार्प बैंक होम्स से अंतरित Transferred from Corp Bank Homes	–		–	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	–	**12,851,074**	–	10,781,074

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31.03.2014 ₹	₹	यथा As at 31.03.2013 ₹	₹
III. पूँजी आरक्षित निधियाँ Capital Reserves				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**7,849,359**		7,450,597	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**231,705**		398,762	
शेयर जब्ती खाते से अंतरण Transfer from Share forfeited A/c	**17**	**8,081,082**	शून्य Nil	7,849,359
IV. शेयर प्रीमियम Share Premium				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**12,054,947**		10,062,799	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(कटौतियाँ) Additions/(deductions) during the year	**4,353,725**		1,992,148	
घटाएँ: माँग में बकाया राशि Less : Calls in Arrears	**–**	**16,408,672**	–	12,054,947
पुन: निर्गमन हेतु पात्र जब्त शेयर Forfeited shares eligible for Re-issue	**–**	**–**	–	17
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ Revenue & Other Reserves				
क) निवेश आरक्षित निधि				
a) Investment Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**139,729**		98,749	
लाभ–हानि विनियोग खाते से अंतरण Transfer from Profit and Loss Appropriation Account	**15,397**		40,981	
	155,126		139,729	
लाभ–हानि विनियोग खाते में अंतरण Transfer to Profit and Loss Appropriation Account	**–**		–	
निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग Appropriation from excess Provision in Depreciation on Investments	**–**			
सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to General Reserve	**–**	**155,126**	–	139,729
ख) सामान्य आरक्षित निधियाँ				
b) General Reserves				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	**34,140,373**		30,730,517	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**617,294**		3,409,855	
	34,757,667		34,140,373	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	**(3,644,608)**	**31,113,059**	–	34,140,373
VI. लाभ हानि खाते में शेष Profit & Loss A/c Balance		**164,536**		109,609
योग TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)		**99,598,741**		94,496,005

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	**यथा As at 31.03.2014 ₹**	यथा As at 31.03.2013 ₹
अनुसूची 3 – जमाराशियाँ SCHEDULE 3 – DEPOSITS		
क A. I. माँग जमाराशियाँ Demand Deposits		
i) बैंकों से From Banks	**132,686**	562,687
ii) अन्यों से From Others	**148,231,394**	151,804,157
II. बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits	**244,784,536**	207,594,829
III. मीयादी जमाराशियाँ Term Deposits		
i) बैंकों से From Banks	**213,627,631**	194,249,478
ii) अन्यों से From others	**1,326,780,146**	1,105,773,343
योग TOTAL (I, II व & III)	**1,933,556,393**	1,659,984,494
ख B. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of branches in India	**1,933,556,393**	1,659,984,494
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of Branches outside India	–	–
योग TOTAL	**1,933,556,393**	1,659,984,494
जिसमें शामिल हैं कार्पगोल्ड जमाराशियाँ which includes Corpgold Deposits	**3,861,085**	4,375,755
एफसीएनआर जमाराशियाँ FCNR Deposits	**12,522,449**	9,500,159
अनुसूची 4 – उधार राशियाँ SCHEDULE 4 – BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियाँ Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	**64,190,000**	49,349,800
ii) अन्य बैंक Other Banks	**50,859**	–
iii) अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ Other Institutions and Agencies	**53,990,594**	55,753,263
योग TOTAL	**118,231,453**	105,103,063
II. a) भारत के बाहर उधार राशियाँ Borrowings outside India	**11,983,000**	23,885,400
योग TOTAL (I व & II)	**130,214,453**	128,988,463

उपर्युक्त I व II में शामिल की गयी प्रतिभूत उधार राशियाँ
Secured borrowings included in I & II above

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	**यथा As at 31.03.2014 ₹**	यथा As at 31.03.2013 ₹
अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ एवं प्रावधान		
SCHEDULE 5 – OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल Bills payable	**5,934,425**	6,170,134
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (net)	**2,208,750**	1,000,912
III. उपचित ब्याज Interests accrued	**7,525,590**	6,202,045
IV. आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability	**1,740,465**	1,298,277
V. अन्य (प्रावधानों सहित)*Others (including provisions)*	**38,091,025**	35,040,530
योग TOTAL	**55,500,255**	49,711,898
* मानक आस्तियों के बदले आकस्मिक प्रावधान शामिल * Includes contingent provisions against standard assets	**8,420 ,053**	6,180,053
अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
SCHEDULE 6 – CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हस्तगत रोकड़ (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**8,506,664**	8,942,761
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष Balances with the Reserve Bank of India in Current Accounts	**126,447,995**	78,944,248
III. हस्तगत स्वर्ण Gold in hand	**2,447,420**	591,449
योग TOTAL (I, II व & III)	**137,402,079**	88,478,458
अनुसूची 7 – बैंकों में शेष एवं माँग तथा अल्प सूचना पर राशि		
SCHEDULE 7 – BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICES		
I. भारत में In India		
i) बैंकों में शेष Balances with Banks		
क a) चालू खातों में In Current Accounts	**3,185,847**	994,056
ख b) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	**199**	2,650,362
ii) माँग एवं अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
क a) बैंकों में with Banks	**–**	25,277,595
ख b) अन्य संस्थाओं में with other Institutions	**7**	–
योग TOTAL (i+ii)	**3,186,053**	28,922,013
II. भारत के बाहर Outside India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	**304,200**	332,762
ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	**1,497,875**	9,100,000
iii) मांग और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice	**शून्य Nil**	शून्य Nil
योग TOTAL (i+ii+iii)	**1,802,075**	9,432,762
सकल योग GRAND TOTAL (I व & II)	**4,988,128**	38,354,775

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	**यथा As at 31.03.2014 ₹**	यथा As at 31.03.2013 ₹
अनुसूची 8 – निवेश SCHEDULE 8 – INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश (सकल) Investment in India (Gross)	**666,491,448**	582,933,504
घटाएँ: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation	**4,593,989**	1,084,128
निवल निवेश Net Investments	**661,897,459**	581,849,376
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	**516,960,864**	466,043,670
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	**13,748**	24,192
iii) शेयर Shares	**5,704,990**	6,184,162
iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	**37,695,896**	20,914,019
v) सहयोगियों में निवेश Investments in Associates	**–**	–
vi) अन्य Others		
क a) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit	**730,330**	4,817,557
ख b) वाणिज्यिक पत्र Commercial Paper	**–**	487,937
ग c) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें Units of Mutual Funds	**100,900**	128,530
घ d) वेंचर पूंजी निधियां Venture Capital Funds	**1,629,766**	1,634,017
ङ e) आरआईडीएफ के तहत नाबार्ड के पास/सिडबी/आरएचडीएफ जमाराशियाँ With NABARD under RIDF/ SIDBI/ RHDF Dep.	**99,060,010**	81,614,337
योग TOTAL	**661,896,504**	581,848,421
II. भारत के बाहर निवेश Investments outside India	**955**	955
योग TOTAL (I व & II)	**661,897,459**	581,849,376
अनुसूची 9 – अग्रिम		
SCHEDULE 9 – ADVANCES		
क A. i) खरीदे एवं भुनाये गये बिल		
Bills purchased and discounted	**35,910,299**	71,740,484
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट एवं माँग पर प्रतिसंदेय ऋण		
Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on demand	**641,104,652**	529,489,314
iii) मीयादी ऋण Term Loans	**693,848,041**	585,936,658
योग TOTAL	**1,370,862,992**	1,187,166,456
ख B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम सहित) Secured by Tangible Assets (includes Advances against book debts)	**1,151,462,024**	980,983,326
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**14,781,189**	16,378,748
iii) गैर-जमानती Unsecured	**204,619,779**	189,804,382
योग TOTAL	**1,370,862,992**	1,187,166,456

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31.03.2014 ₹	यथा As at 31.03.2013 ₹
ग C. I. भारत में अग्रिम Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	**477,232,532**	372,145,862
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**150,733,108**	193,285,764
iii) बैंक Banks	**103,553**	5,803,656
iv) अन्य Others	**742,793,799**	615,931,174
योग TOTAL	**1,370,862,992**	1,187,166,456
ग C. II. भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India	**शून्य Nil**	शून्य Nil
सकल योग GRAND TOTAL (ग C. I व & ग C. II)	**1,370,862,992**	1,187,166,456

अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ
SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS

I. **परिसर Premises**				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**1,821,411**		1,599,452	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**111,071**		223,008	
	1,932,482		1,822,460	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	**1,078**		1,049	
	1,931,404		1,821,411	
यथा तिथि मूल्यह्रास Depreciation to date	**755,759**		681,921	
	1,175,645		1,139,490	
जोडें: पूँजीगत चालू कार्य Add: Capital Work in progress	**888**	**1,176,533**	–	1,139,490
II. **अन्य अचल आस्तियाँ** (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture & fixtures)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**9,797,313**		8,357,825	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**1,271,188**		1,627,970	
	11,068,501		9,985,795	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	**468,536**		188,482	
	10,599,965		9,797,313	
यथा तिथि मूल्यह्रास Depreciation to date	**7,158,170**		6,537,909	
	3,441,795		3,259,404	
जोडें: पूंजीगत चालू कार्य Add: Capital Work in progress	**34,576**	**3,476,371**	33,360	3,292,764
योग TOTAL (I व & II)		**4,652,904**		4,432,254

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31.03.2014 ₹	यथा As at 31.03.2013 ₹
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ **SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments (Net)	–	–
II. उपचित ब्याज Interest accrued	**12,601,982**	9,972,483
III. मैट जमा उपलब्धतता Mat Credit Availability	**2,262,805**	–
IV. पूर्वसंदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/TDS	**16,803,269**	15,703,439
V. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प Stationery and stamps	**20,929**	38,831
VI. आस्थगित कर आस्ति Deferred Tax Asset	**शून्य Nil**	शून्य Nil
VII. उपार्जित गैर–बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired	**1,687**	1,687
VIII. अन्य Others	**9,051,027**	8,712,245
योग TOTAL	**40,741,699**	34,428,685
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ **SCHEDULE 12 – CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया Claims against the bank not acknowledged as debts	**5,878,278**	2,967,321
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	–	–
III. क) बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के बाबत देयता		
A. Liability on account of out-standing forward exchange contracts	**339,253,213**	191,041,125
ख) व्युत्पन्नी		
B. Derivatives	**13,250,000**	28,178,500
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
क a) भारत में in India	**119,801,549**	114,850,204
ख b) भारत के बाहर outside India	**17,414,910**	13,800,415
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	**128,320,236**	152,905,636
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the Bank is contingently liable	–	–
योग TOTAL	**623,918,186**	503,743,201

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	के समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹	के समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 ₹
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on advances/bills	**132,159,725**	114,489,279
II. निवेशों पर आय Income on investments	**42,421,953**	34,317,476
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-bank Funds	**157,339**	415,763
IV. अन्य Others	**4,846,674**	4,118,309
योग TOTAL	**179,585,691**	153,340,827
अनुसूची 14 – अन्य आय SCHEDULE 14 – OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली Commission, exchange and brokerage	**4,613,997**	4,380,144
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (निवल) Profit on sale of investments (net)	**3,476,922**	2,803,188
III. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets (net)	**(3,403)**	(9,754)
IV. विनिमय लेन-देनों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions (net)	**1,014,649**	1,146,951
V. अनुषंगियों/कंपनियों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc. from subsidiaries/companies	**103,101**	488,697
VI. विविध आय Miscellaneous income	**7,366,630**	7,390,114
योग TOTAL	**16,571,896**	16,199,340
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 – INTEREST EXPENDED		
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**132,417,939**	110,953,478
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	**2,977,681**	2,422,771
III. अन्य Others	**6,345,134**	5,688,101
योग TOTAL	**141,740,754**	119,064,350

समेकित Consolidated (₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	**के समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹**	के समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 ₹
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय SCHEDULE 16 – OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payment to and provisions of employees	**11,904,146**	9,905,408
II. किराया, कर एवं बिजली Rent, taxes and lighting	**2,132,353**	1,884,620
III. मुद्रण एवं लेखन–सामग्री Printing and stationery	**254,044**	182,054
IV. विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	**181,560**	206,047
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास Depreciation on bank's property	**1,132,460**	966,265
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**9,633**	8,610
VII. लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	**210,084**	150,060
VIII. विधि प्रभार Law charges	**42,178**	29,956
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	**507,848**	399,525
X. मरम्मत एवं अनुरक्षण Repairs and maintenance	**478,514**	439,518
XI. बीमा Insurance	**1,679,308**	1,225,269
XII. अन्य व्यय Other expenditure	**5,391,121**	4,574,736
योग TOTAL	**23,923,249**	19,972,068

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के समेकित लेखों का अंग हैं

1. समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरणों में कार्पोरेशन बैंक और उसकी अनुषंगी के लेखे शामिल हैं।

बैंक और इसकी अनुषंगी का वित्तीय विवरण अंतरासमूह शेषों और अंतरासमूह लेनदेनों को, अन्यथा उल्लिखित के सिवाय, पूर्णतः निरसित करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को साथ जोड़कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर एक साथ मिलाया गया है।

2. तैयार करने का आधार

बैंक और इसकी अनुषंगी के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक तथा संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

निम्नलिखित अनुषंगी को लेखांकन मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार समेकित किया गया है:

कंपनी का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित
कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड	भारत	अनुषंगी	100%

अनुषंगी के वित्तीय विवरणों को आवश्यकतानुसार उनकी मूल कंपनी के साथ पुनर्समूहित किया गया है।

अनुषंगी ने कुछ मामलों में समान लेनदेन एवं एक ही प्रकार की परिस्थितियों के मामले में बैंक द्वारा अपनाई गई लेखाकन नीतियों से भिन्न लेखांकन नीति का प्रयोग किया है। समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उपयोग करते समय अनुषंगी के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

समेकन में प्रयुक्त, सहयोगी के वित्तीय विवरण मूल कंपनी के रिपार्टिंग दिनांक अर्थात् 31 मार्च, 2014 तक के ही हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. राजस्व निर्धारण

बैंकिंग संस्था:

i. आय को निम्न को छोड़कर उपचित आधार पर निर्धारित किया गया है:

क) बैंक गारंटियों एवं साख पत्र, आपूर्तिकर्ता/क्रेता ऋण की व्यवस्था पर कमीशन; तथा लॉकर किराया जो प्राप्ति आधार पर निर्धारित किया गया है।

Schedule 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2014

1. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of Corporation Bank and its subsidiary.

The financial statements of the Bank and its subsidiary have been combined on a line to line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra group balances and intra group transactions, except wherever otherwise stated.

2. Basis of Preparation

The consolidated financial statements of the Bank and its subsidiary have been prepared in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and guidelines issued by the respective regulatory authorities from time-to-time and generally accepted accounting principles.

The following subsidiary has been consolidated as per the Accounting Standard 21, "Consolidated Financial Statements":

Name of the Company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Corpbank Securities Limited	India	Subsidiary	100%

The financial statements of the subsidiary have been regrouped with those of the parent company wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank, in certain cases, for like transactions and events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements.

The financial statements of the subsidiary used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the parent company i.e. year ended 31st March, 2014.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. REVENUE RECOGNITION

Banking Entity:

i. Income is recognized on an accrual basis except:

a) Commission on Bank Guarantees and Letters of Credit arrangement of suppliers/buyers Credit and Locker rent which are recognized on receipt basis.

ख) गैर-निष्पादक अग्रिमों तथा निवेशों पर ब्याज आय तथा केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय, जिनके लिए 90 दिनों के अंदर ब्याज वसूल नहीं होता है, प्राप्ति आधार पर निर्धारित की गई है।

ग) आय-कर वापसियों पर ब्याज का लेखांकन सूचना आदेश प्राप्त होने पर किया गया है।

ii. 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, जिसे लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है तथा तदनंतर भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित पूँजी खाते में विनियोजित किया गया है, को छोड़कर निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के समय निपटान आधार पर लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है।

iii. बैंक के प्रत्यक्ष अंशदान पर प्राप्त दलाली/कमीशन/प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से काटा गया है, जबकि प्रतिभूतियों के अर्जन हेतु प्रदत्त दलाली को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

iv. प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि-ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना गया है।

गैर-बैंकिंग संस्था:

जमा प्रमाणपत्रों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेज़री की अधिग्रहण लागत एवं परिपक्वता मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर प्रभाजित किया जाता है तथा इन प्रतिभूतियों पर लेखांकन अवधि से संबंधित प्रभावी बट्टे/ब्याज को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। अधिग्रहण तक उपचित बट्टे/उपचित ब्याज को अधिग्रहण लागत में शामिल किया जाता है और रखाव लागत माना जाता है।

i. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज को उसकी कूपन दर पर निर्धारित किया जाता है।

ii. स्थिर आय प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री मूल्य को लागत और प्रदत्त एवं वसूल उपचित ब्याज के रूप में विभाजित किया जाता है। स्थिर आय प्रतिभूतियों की खरीद पर उपचित या बिक्री पर प्राप्त ब्याज (खंडित अवधि ब्याज) के रूप में प्रदत्त राशि का निवल निकाला गया और आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

iii. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि, भारित औसत मूल्य पद्धति (डब्ल्यूएपी) पर परिकलित की जाती है और निपटान तारीख को इसका निर्धारण किया जाता है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि के साथ निवलित किया जाता है।

iv. मध्यवर्ती के रूप में किए गए कारोबार पर कमीशन/दलाली का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाताा है।

v. निवेशों पर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश पर लाभांश आय उनकी घोषणा के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ख. निवेश

बैंकिंग संस्था:

i. श्रेणीकरण एवं वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार निवेशों के अधिग्रहण के समय निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा
- ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)।

b) Interest income on Non-Performing advances and investments, and securities guaranteed by Central Government where interest is not realized within 90 days is recognized on receipt basis.

c) Interest on Income-tax refunds is accounted for on receipt of Intimation order.

ii. Profit or loss on sale of investments is recognized in the profit and loss account on settlement basis at the time of sale except the realized profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category which is recognized in the profit and loss account and subsequently appropriated to capital reserve account in accordance with RBI guidelines.

iii. Brokerage/commission/incentives received on Banks direct subscriptions are deducted from the cost of securities, whereas brokerage paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenditure.

iv. The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

Non-banking Entity:

The difference between the acquisition cost and maturity value of Certificate of Deposits, Commercial papers and Treasury Bills is apportioned on time basis and effective discount/ interest on these securities pertaining to the accounting period is recognized as income. The discount/interest accrued till acquisition is included in the acquisition cost and regarded as the carrying cost.

i. Interest accrued on Dated Government Securities is recognized at its coupon rate.

ii. Purchase and sale price of fixed income securities is bifurcated into cost and accrued interest paid or realized. Amount paid as interest accrued on purchase and received on sale of fixed income securities (Broken period interest) is netted and reckoned as income/expense.

iii. Profit/loss on sale of securities is accounted on Weighted Average Price Method (WAP) and is recognized on settlement date. Profit on sale of securities is netted with loss on sale of Securities.

iv. Commission/brokerage on the business done as intermediary is recognized on accrual basis.

v. Interest on investments is recognized on accrual basis. Dividend income on investments in the Units of Mutual Funds is recognized on the basis of declaration of the same.

B. INVESTMENTS

Banking Entity:

i. Categorization & Classification

In accordance with the RBI guidelines, investments at the time of acquisition are categorized as

- Held to Maturity [HTM],
- Available for Sale [AFS] and
- Held for Trading [HFT].

बैंक, बही मूल्य/अंतरण की तारीख को बाज़ार मूल्य, इन में से न्यूनतम मूल्य पर निवेशों को एचटीएम में/से अंतरित करता है और ऐसे अंतरण पर यदि कोई मूल्यह्रास है तो उसको लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया जाता है। एएफएस से एचएफटी में या विलोमतः निवेशों को अंतरित करने पर, अंतरण की तारीख को निवेशों का पुनर्मूल्यन करने की आवश्यकता नहीं है तथा संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया है तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्यह्रास हेतु प्रावधान में या विलोमतः अंतरित किया जा सकता है।

तथापि, तुलन-पत्र में प्रकटन हेतु निवेशों को छह प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है - सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर तथा बाँड, अनुषंगियों/क्षे.ग्रा.बैं./संयुक्त उद्यमों तथा अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाण पत्र तथा वेंचर पूँजी निधि और नाबार्ड के आरआईडीएफ, सिडबी के एमएसएमई फंड, एनएचबी में निवेश)।

'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) मांग तथा मीयादी देयताओं के 23% तक या भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश।

ख) पुनर्पूंजीकरण आवश्यकताओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त पुनर्पूंजीकरण बांड।

ग) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के शेयरों में निवेश।

घ) नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनाएं/सिडबी की एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि/एनएचबी की आरएचएफ जमाएं।

ङ) उद्यम पूँजी निधियों में निवेश, 23 अगस्त, 2006 के बाद प्रत्येक ड्रा डाऊन से तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए किए गए हैं।

ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से अधिग्रहीत निवेशों को एचएफटी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियाँ 90 दिन से अधिक नहीं धारित की गई हैं व विक्रय करने में असमर्थता या अत्यधिक उतार-चढाव अथवा बाजार के एकतरफा होने जैसी अपवादात्मक परिस्थितियों में ही बोर्ड/आल्को/निवेश समिति के अनुमोदन से एएफएस श्रेणी में अंतरित किए जाते हैं।

अन्य सभी निवेशों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया गया है।

ii. मूल्यांकन तथा परिणामी समायोजन:

क) परिपक्वता तक धारित: 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेश भारित औसत अर्जन लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। अधिग्रहण पर प्रीमियम यदि कोई है तो परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया गया है। अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में अस्थाई को छोड़कर अन्य ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का निर्धारण किया गया है और उसके लिए प्रावधान किया गया है। वेंचर पूंजी निधि में निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित:

(i) इन प्रवर्गों ('ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के तहत वर्गीकृत) में निवेश को भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी तथा एएफएस हेतु क्रमशः मासिक तथा तिमाही अंतराल में बाज़ार/अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर अंकित किया गया है। जबकि ऊपर 4.1 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत परिणामी निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, को लाभ एवं हानि लेखे में 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं'

The Bank shifts investments to/from HTM at the least of Book Value/Market Value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such transfer is recognized in the profit and loss account. For shifting of investments from AFS to HFT or vice versa, the securities need not be revalued on the date of transfer and the provision for the accumulated depreciation if any, held may be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice-versa.

However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under six categories – Government securities, other approved securities, shares, debentures and bonds, Investments in Subsidiaries/RRB/Joint Ventures and Others [units of Mutual Funds, Commercial Papers, certificate of deposits and Venture Capital Funds and investments in RIDF of NABARD, MSME Fund of SIDBI, NHB].

Investments classified under 'Held to Maturity' include the following:

a) Investments in SLR securities upto 23% of Demand and Time liabilities or as notified by RBI from time to time.

b) Recapitalisation bonds received from the Government of India towards recapitalisation requirements.

c) Investments in share of subsidiaries and joint ventures.

d) RIDF Schemes of NABARD / MSME (Refinance) Fund of SIDBI/RHF deposits of NHB.

e) Investment in Venture Capital Funds, for an initial period of 3 years of each draw down, after 23rd August, 2006.

Investments acquired primarily with an intention for trading are classified as HFT securities. As per RBI guidelines, securities in HFT category are not held beyond 90 days and are transferred to AFS category under exceptional circumstances like not able to sell or extreme volatility or market becoming unidirectional, with the approval of the Board/ALCO/Investment Committee.

All other investments are classified under AFS.

ii. Valuation and consequential adjustments :

a] Held to Maturity: Investments classified under 'Held-to-Maturity' are carried at weighted average acquisition cost. Premium on acquisition, if any, is amortized on a straight-line basis over the remaining maturity period. In case of investments in subsidiaries/joint ventures any diminution, other than temporary, in the value of such investment is recognized and provided for. Investments in Venture Capital Fund are valued at Cost.

b] Available for Sale and Held for Trading:

(i) Investments in these categories (classified under the category 'Held for Trading' and 'Available for Sale') are marked to market/estimated realizable value as per RBI guidelines at monthly and quarterly intervals for HFT and AFS respectively. While the resultant net depreciation, if any, within each category referred to in 4.1 above, is recognized in profit & loss account as

के रूप में निर्धारित किया गया है तथा मूल्यह्रास हेतु पहले किए गए प्रावधान की हद तक को छोड़कर निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् अलग-अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ है। मूल्यह्रास के अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन के संबंध में, उसे 'प्रावधान और आकस्मिकताएँ' में जमा किया गया है और समतुल्य राशि (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण) को अनुसूची 2 – "आरक्षित निधि एवं अधिशेष" के तहत निवेश आरक्षित निधि खाते में विनियोजित किया गया है।

(ii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य हेतु, बाजार कीमत/अनुमानित प्राप्य मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:

"Provisions and Contingencies", the net appreciation is ignored except to the extent of depreciation previously provided. The book value of the individual scrip is not changed after revaluation. In the case of write back of excess provision of depreciation the same is credited to "Provisions and Contingencies" and a like amount (net of taxes and transfer to Statutory Reserve) is appropriated to Investment Reserve Account under Schedule 2 – "Reserves & Surplus".

(ii) For the purpose of (i) above, the market price / estimated realizable value is determined as under:

1.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ Central Government of India Securities	i) उद्धृतः एफआईएमएमडीए द्वारा दिए कोटेशन के अनुसार बाज़ार मूल्य पर Quoted: At market price as per the quotation put out by FIMMDA. ii) अनुद्धृतः एफआईएमएमडीए द्वारा दी गई कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर Unquoted: On the basis of the prices/YTM rates put by the FIMMDA.
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ) State Government Securities, Securities guaranteed by Central/State Government (other approved securities)	i) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित कीमतों पर At prices published by FIMMDA in respect of State Govt. Securities. ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा निर्दिष्ट प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त अतिरिक्त कीमत लागत अंतर पर At appropriate spread upon the yield curve put out by the FIMMDA in respect of other approved Securities
3.	ट्रेज़री बिल (पीडी कारोबार के कारण रखे ट्रेज़री बिलों सहित)/जमा प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पत्र Treasury Bills (including Treasury Bills held on account of PD business) / Certificates of deposits/ Commercial paper	रखाव लागत पर At carrying cost.
4.	ईक्विटी शेयर Equity shares	[i] उद्धृतः बाजार मूल्य पर Quoted : At market price [ii] अनुद्धृतः कंपनी के अद्यतन तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार निश्चित विश्लेषित मूल्य पर अन्यथा रु. 1/- प्रति कंपनी। Unquoted: At break up value as ascertained from the Company's latest Balance Sheet [not more than one year old], otherwise at Re.1/- per Company.
5.	अधिमान शेयर, डिबेंचर एवं बांड Preference Share, Debentures and Bonds	[i] उद्धृतः बाजार मूल्य पर Quoted: At market price [ii] अनुद्धृतः उचित परिपक्वता प्रतिफल पर Unquoted: On appropriate yield to maturity
6.	म्यूचुअल फंड Mutual Fund	[i] उद्धृतः बाजार मूल्य पर Quoted : At market price [ii] अनुद्धृतः पुनर्क्रय मूल्य या प्रत्येक योजना में फंड द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर (जहाँ पुनर्क्रय मूल्य उपलब्ध नहीं है) Unquoted : At repurchase price or Net Asset Value [where repurchase price is not available] declared by the fund in each of the schemes
7.	उद्यम पूँजी निधि Venture Capital Funds	[i] उद्धृतः बाजार मूल्य पर Quoted: At market value [ii] अनुद्धृतः एनएवी पर Unquoted: At NAV

iii. गैर–निष्पादक निवेश

क) केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रतिभूतियों को, जहाँ मूलधन या ब्याज की चुकौती देय तारीख से 90 दिनों के अंदर नहीं की गई है, गैर–निष्पादक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को मूलधन/ब्याज अदायगी बकाया रहने के बावजूद निष्पादक निवेशों के रूप में माना गया है। गैर–निष्पादक के रूप में वर्गीकृत निवेशों के संबंध में इन निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। इन प्रतिभूतियों के संबंध में अपेक्षित मूल्यह्रास अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि के साथ समंजन नहीं किया गया है।

ख) जहाँ बैंक का किसी पार्टी/ग्रुप में ऋण एवं निवेश दोनों विनिधान हैं तथा ऋण विनिधान को गैर–निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की स्थिति में इनमें निवेश विनिधान को भी गैर–निष्पादक के रूप में वगीकृत किया गया है।

iv. रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन

भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित समरूप लेखांकन व्यवहार के अनुरूप रेपो लेनदेनों पर वर्ष के दौरान प्राप्त/प्रदत्त राशियां रेपो खाते में नामे/जमा की गई हैं तथा लेनदेनों की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की गई हैं। लागत एवं राजस्व को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है। रेपो खाते में शेष को निवेश खाते में शेष के प्रति समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत रेपो लेनदेनों के संबंध में वर्ष के दौरान ऐसे लेनदेनों पर उधार ली गई राशि भा.रि.बैं. से रेपो खाते में जमा की गई है। उस पर व्यय की, ब्याज व्यय के रूप में गणना की गई है। भा.रि.बैं. के साथ रेपो खाते में धारित शेष को निवेश से घटाया नहीं गया है तथा इसे मूल्यांकित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन अभिग्रहीत एसएलआर प्रतिभूतियों (मार्जिन सहित) को एसएलआर रखरखाव हेतु पात्र आस्ति नहीं माना गया है।

भा.रि.बैं. के साथ एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेनों के संबंध में, वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि 'रिवर्स रेपो/निवेश–भा.रि.बै.' में नामे की गई है तथा लेनदेन की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की गई है। उस पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में माना गया है । भा.रि.बैं. के साथ रिवर्स रेपो में धारित शेष को तुलन–पत्र दिनांक को निवेश के तहत शामिल किया गया है तथा इसे मूल्यांकित नहीं किया गया है।

v. निवेश लेनदेनों हेतु लेखांकन

क) बैंक अपने निवेशों के लेखांकन हेतु निपटान तारीख पद्धति का पालन करता है;

ख) लागत भारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की गई है;

ग) प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ का विक्रय पर हानि के साथ निवल निकाला गया है;

घ) तरल म्यूचुअल फंडों के विक्रय/मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच अंतर को निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ माना गया है।

iii. Non-performing Investments

a] All such securities where repayment of principal or interest not serviced within 90 days from the due date are classified as Non-Performing Investments, except securities guaranteed by the Central Government which are treated as performing investments notwithstanding arrears of principal / interest payments. In respect of investments classified as Non-performing, appropriate provisions are made for the depreciation in the value of these investments. The depreciation requirement in respect of these securities is not set off against appreciation in respect of other performing securities.

b] Where the Bank has both credit and investment exposures to any borrower/group and in the event the credit exposure is classified as Non-Performing asset, the investment exposure to them is also classified as Non-Performing.

iv. Accounting for Repo Transactions

In line with the uniform accounting treatment prescribed by the RBI, monies received/paid during the year on Repo transactions are debited/credited to Repo Account and reversed on maturity of the transactions. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo account is adjusted against the balance in the investment account.

In respect of Repo transactions under Liquidity Adjustment Facility with the RBI, monies borrowed during the year on such transactions are credited to REPO account from RBI. Expenditure thereon is accounted for as Interest Expenditure. Balance held in Repo account with RBI is not deducted from investment and are valued. SLR securities (including margin) acquired under the Reserve Bank of India (RBI)- Liquidity Adjustment Facility (LAF), are not treated as an eligible asset for maintenance of SLR.

In respect of Reverse Repo Transactions under LAF with the RBI, monies paid during the year are debited to 'Reverse REPO/ Investment –RBI' and reversed on maturity of the transaction. Revenue thereon is accounted as interest income. Balance held in Reverse Repo with RBI is included under investments as on the Balance Sheet date and are not valued.

v. Accounting for Investment Transactions

a) The Bank follows settlement date method of accounting its investments;

b) Cost is determined on weighted average cost method;

c) Profit on sale is netted with loss on sale of securities;

d) The difference between the sale/ redemption value of liquid Mutual Funds and the book value is treated as profit on sale of investments.

गैर–बैंकिंग संस्था:

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. के निवेश के संबंध में:

(i) अल्पावधि धारण तथा व्यापारिक क्रय–विक्रय के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को 'विक्रेय स्टॉक' के रूप में माना जाता है और चालू आस्तियों के अधीन दर्शाया जाता है। दीर्घावधि धारण के उद्देश्य से अर्जित अन्य आस्तियों को 'निवेश' के रूप में माना जाता है।

(ii) निवेशों के रूप में धारित तथा परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रत्येक निवेश के किसी मूल्यह्रास हेतु, जहाँ कहीं यह ह्रास स्थाई है, प्रावधान किया जाता है।

(iii) कोट की गई प्रतिभूतियों को लागत या बाज़ार मूल्य, जो भी कम है, पर मूल्यांकित किया जाता है। बाज़ार भाव उपलब्ध न होने पर, समान प्रकृति एवं परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के विद्यमान प्रतिफल के आधार पर परिकलित दरों पर बाज़ार मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(iv) प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति को एक प्रत्येक प्रवर्ग माना जाता है। प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत, मूल्यांकन स्क्रिप–वार किया जाता है तथा मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जबकि मूल्य–वृद्धि को छोड़ दिया जाता है। एक प्रवर्ग की प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास को दूसरे प्रवर्ग में मूल्यवृद्धि के बदले समंजन नहीं किया जाता है।

(v) तुलन–पत्र की तारीख को धारित ट्रेज़री बिल का मूल्यांकन रखाव लागत या बाज़ार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। तुलन–पत्र की तारीख को धारित ट्रेज़री बिलों का बाज़ार मूल्य भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तुलन–पत्र की तारीख को धारित जमा प्रमाण–पत्र और वाणिज्य पत्रों को नीचे vi में वर्णित अनुसार रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

(vi) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा उपलब्ध कराई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

ग. स्थिर आस्तियाँ

i. क. स्थिर आस्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा हानि हेतु प्रावधान को कम करते हुए लागत पर दर्शाया गया है। लागत में क्रय कीमत तथा आस्ति को उसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसके कार्य करने की स्थिति में लाने हेतु सहायक कोई भी लागत शामिल है। स्थिर आस्तियों की निहित राशि की प्रत्येक तुलन–पत्र दिनांक को समीक्षा की जाती है तथा किसी भी क्षति हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखांकन मानक 28 ("आस्तियों की क्षति") के अनुसार समायोजित किया गया है।

ख. आस्तियों की क्षतिः

जहाँ किन्हीं घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण ऐसा हो जाता है कि किसी आस्ति के रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, वहाँ स्थिर आस्तियों की क्षति हेतु समीक्षा की गई है। धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली

Non Banking Entity:

In respect of Investments of Corpbank Securities Ltd:

(i) The securities acquired with the intention of short term holding and trailing positions is considered as 'Stock-in-Trade' and shown under current assets. Other securities acquired with the intention of long-term holding are treated as "Investments."

(ii) Securities held as investments and held till maturity are valued at cost. Any diminution in the value of each investment individually is provided for, wherever such diminution is permanent.

(iii) The Quoted securities are valued at cost or market price, whichever is lower. In the absence of market quotes, market prices are determined at the rates derived from the prevailing yield of securities having similar standing and maturity period.

(iv) Each type of security is regarded as a separate category. Under each category, valuation is done scrip-wise and depreciation is provided, while appreciation is ignored. The depreciation in one category of securities is not set off against appreciation in another category.

(v) Treasury Bills held on the balance sheet date are valued at carrying cost or market value whichever is lower. The market value of Treasury Bills held on the Balance Sheet date is determined as per the rates provided by Clearing Corporation of India Limited. The Certificate of Deposits, and Commercial Papers held on the balance sheet date, are valued at carrying cost as explained in vi below.

(vi) The market value of Central Government Dated Securities is determined as per the rates provided by Fixed Income and Money Market Dealers Association (FIMMDA).

C. FIXED ASSETS

i. a Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment. Cost comprises of the purchase price and any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use. The carrying amounts of fixed assets are reviewed at each balance sheet date and adjusted for any impairment in accordance with the Accounting Standard 28 ("Impairment of Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India.

b. Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset

क्षमता किसी आस्ति की रखाव राशि से उक्त राशि से प्रत्याशित भावी निवल बट्टाकृत नकद प्रवाह की तुलना द्वारा मापा जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को क्षत माना जाता है, तो उक्त आस्ति के उचित मूल्य से जितनी अधिक उसकी रखाव राशि है, उससे क्षति का निर्धारण किया जाता है।

ग. पूंजीगत जारी कार्य में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो अपने अभिप्रेत प्रयोग हेतु तैयार नहीं है तथा स्थिर आस्तियाँ अर्जित करने हेतु प्रदत्त अग्रिम भी शामिल है।

ii. कंप्यूटरों/एटीएमों और पट्टेदारी सुधारों के मामलों को छोड़कर, जहाँ सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया गया है, परिवर्धन के दिनांक से ह्रासमान शेष पद्धति पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है। कंप्यूटरों, एटीएमों तथा पट्टाधारी सुधारों के मामलों को छोड़कर, जहाँ क्रमशः 1/3 प्रतिवर्ष, 1/7 प्रतिवर्ष तथा पट्टे की अवधि की दर पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है, आस्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों में प्रदान किया गया है।

iii. जहाँ भूमि एवं भवन का मूल्य अलग-अलग नहीं लिया गया है, वहाँ परिसर पर मूल्यह्रास संयुक्त लागत पर प्रदान किया गया है।

घ. स्टाफ हितलाभ

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में भुगतान मूल संगठन अर्थात् कार्पोरेशन बैंक स्टाफ को अपने कर्मचारियों/अधिकारियों की परिलब्धियों/भविष्य निधि के प्रति भुगतान किए गए हैं जिनकी सेवाएं कंपनी को प्रतिनियुक्ति आधार पर दी गई हैं। इन भुगतानों को कंपनी की लागत के रूप में माना गया है ।

ङ. आय पर कर

समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया कर व्यय मूल कंपनी एवं उसकी अनुषंगी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित कर व्ययों की राशियों का योग है।

च. प्रति शेयर अर्जन

बैंक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20, प्रति शेयर अर्जन के अनुसार प्रति ईक्विटी शेयर प्राथमिक एवं तनूकृत अर्जन सूचित करता है।

छ. प्रखंड रिपोर्टिंग

कारोबार प्रखंड – प्राथमिक प्रखंड

अपनी अनुषंगी सहित बैंक ने अपने कारोबार निम्नलिखित में वर्गीकृत किया है

- ट्रेज़री
- थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग कारोबार

भौगोलिक प्रखंड – द्वितीयक प्रखंड

चूंकि बैंक और उसकी अनुषंगी को भारत के बाहर से उद्भूत आय नहीं होती है, बैंक परिचालन सिर्फ घरेलू प्रखंड में ही माना जाए।

to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

c. Capital Work-in-Progress includes cost of fixed assets that are not ready for their intended use and also includes advances paid to acquire fixed assets.

ii. Depreciation is provided on the diminishing balance method from the date of addition except in case of computers/ATMs and leasehold improvements where the straight-line method is used. The assets are depreciated at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act 1956, except in the case of computers, ATMs and leasehold improvements which are depreciated at the rate of 1/3rd per annum, 1/7th per annum and over the period of the lease respectively.

iii. Depreciation on premises is provided for on composite cost, wherever the value of land and building is not separately identified.

D. STAFF BENEFITS

In the case of Corpbank Securities Limited, payments made to parent organization viz., Corporation Bank Staff, towards emoluments/provident fund of their employees/officials, whose services are lent to the company on deputation basis, are regarded as Company's costs.

E. TAXES ON INCOME

The tax expense shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiary.

F. EARNINGS PER SHARE

Basic and diluted Earnings per Equity Share in accordance with Accounting Standard 20, Earnings Per Share, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

G. SEGMENT REPORTING

Business Segment – Primary Segment

The Bank along with its subsidiary has organized its business into

- Treasury
- Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business

Geographic Segment – Secondary Segment

Since the Bank and its subsidiary do not have earnings emanating outside India, they may be considered to operate in only the domestic segment.

अनुसूची 18

टिप्पणियाँ जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लेखों का अंग हैं

1. आय कर

क) भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. बैं.प.वि.वि. सं. बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के अनुसरण में बैंक ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि पर आस्थिगति कर देयता का सृजन किया है। उक्त परिपत्र द्वारा अपेक्षित अनुसार, 31 मार्च, 2014 को विशेष आरक्षित निधि पर डीटीएल के सृजन के कारण ₹364.46 करोड़ का व्यय, जो पहले लाभ-हानि लेखे में प्रभारित नहीं किया गया था, अब सीधे सामान्य आरक्षित निधियों से समायोजित किया गया है। यदि इस राशि को भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया होता, तो वर्ष का लाभ उतनी राशि तक कम होता।

ख) मूल बैंक ने लेखा आय और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर कर-योग्य आय के बीच के अंतर को स्थाई अंतर माना है जिसे अब तक समय अंतर माना जाता था तदनुसार ₹869.00 करोड़ की आस्थगित कर देयता का सृजन आवश्यक नहीं समझा गया। इसके अलावा, पिछले वर्ष के दौरान सृजित ₹191.10 करोड़ की आस्थगित कर देयता को चालू वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	आस्थगित आस्तियाँ/(देयताएं)*	
	यथा 31 मार्च, 2014	**यथा 31 मार्च, 2013**
आस्थगित कर आस्तियाँ		
आगे लाई गई हानियाँ	**शून्य**	0.54
छुट्टी नकदीकरण	**76.99**	53.70
एफआईटीएल	**166.99**	81.75
वेतन बकाया	**40.10**	13.95
एएस-15 प्रावधान	**13.98**	शून्य
कुल	**298.06**	149.94
आस्थगित कर देयताएं		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास (निवल)	**(0.26)**	3.43
निवेश मूल्यह्रास	**शून्य**	191.09
ग्रैच्युटी	**शून्य**	5.60
पेंशन परिशोधन - पूर्व भुगतान	**37.55**	79.65
दीर्घावधि वित्त	**434.82**	शून्य
कुल	**472.12**	279.78
निवल आस्तियाँ/(देयताएं)	**(174.06)**	(129.83)

*''अन्य देयताएं एवं प्रावधान'' के अंतर्गत शामिल किया गया।

Schedule 18

NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2014

1. INCOME TAX

a) Pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No. BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December, 2013 the parent has created Deferred Tax Liability on the Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income-Tax Act, 1961. As required by the said RBI Circular, the expenditure, amounting to ₹364.46 Crore due to the creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2014, not previously charged to the Profit and Loss Account, has now been adjusted directly from the General Reserves. Had this amount been charged to the Profit & Loss Account in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the amount of Profit for year would be lower by such amount.

b) Parent has considered the difference between accounting income and taxable income on valuation of securities as permanent difference which were hitherto considered as timing difference. Accordingly, creation of Deferred Tax Liability of ₹869.00 Crore has not been considered necessary. Further, Deferred Tax Liability of ₹191.10 Crore created up to the previous year has been reversed during the current year.

(₹ in crore)

	Deferred Assets / (Liabilities)*	
	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
Deferred Tax Assets		
Brought forward losses	**NIL**	0.54
Leave Encashment provision	**76.99**	53.70
FITL	**166.99**	81.75
Wage Revision	**40.10**	13.95
AS-15 Provision	**13.98**	NIL
Total	**298.06**	149.94
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets (net)	**(0.26)**	3.43
Investment Depreciation	**NIL**	191.09
Gratuity	**NIL**	5.60
Pension Amortization- Pre-payment	**37.55**	79.65
Long Term Finance	**434.82**	Nil
Total	**472.12**	279.78
Net Assets / (Liabilities)	**(174.06)**	(129.83)

* Included under "Other Liabilities and Provisions".

2. प्रखंड रिपोर्टिंग

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के साथ यथा पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार बैंक के समेकित वित्तीय प्रखंड विवरणों से संबंधित सूचना निम्नवत् है।

2. SEGMENT REPORTING

Information relating to the segment details of the consolidated financial statements is given below in accordance with Accounting Standard 17, issued by The Institute of Chartered Accountants of India read along with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

(₹ करोड़ में)(₹ in crore)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	को समाप्त वर्ष Year ended	
		चालू वर्ष Current year 31.03.2014	गत वर्ष Previous year 31.03.2013
		(लेखापरीक्षित) (समेकित) (Audited) (Consolidated)	
क) a)	**प्रखंड राजस्व Segment Revenue**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	**4,716.53**	3,890.90
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	**10,032.85**	9,131.79
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	**4,215.40**	3,407.58
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	**650.98**	523.75
	कुल Total	**19,615.76**	**16,954.02**
ख) b)	**प्रखंड परिणाम Segment Results**		
	प्रत्येक प्रखंड से कर पूर्व और ब्याज पश्चात् लाभ (+) हानि (-) Profit (+) Loss (-) before tax and after interest from each segment		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	**421.64**	709.09
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	**493.04**	1,343.99
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	**618.06**	717.86
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	**(1,284.28)**	(1,076.76)
	कुल Total	**248.46**	1,694.18
ग) c)	**अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses**	**0.00**	0.00
घ) d)	**परिचालन लाभ Operating Profit**	**248.46**	1,694.18
ङ) e)	**आय कर Income Tax**	**(320.03)**	250.93
च) f)	**असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss**	**0.00**	0.00
छ) g)	**निवल लाभ Net Profit**	**568.49**	**1,443.24**
ज) h)	**अन्य सूचना Other Information**		
झ) i)	**प्रखंड आस्तियाँ Segment Assets**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	**57,677.04**	51,154.32
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	**96,721.58**	87,047.08
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	**40,952.72**	32,223.98
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	**24,335.86**	21,035.47
	v) अनाबंटित आस्तियाँ Unallocated Assets	**2,367.32**	2,010.15
	कुल आस्तियाँ Total Assets	**222,054.52**	**193,471.00**

ञ) j)	**प्रखंड देयताएँ Segment Liabilities**		
	i) ट्रेज़री परिचालन Treasury Operations	**54,010.13**	47,616.59
	ii) थोक बैंकिंग Wholesale Banking	**92,631.05**	82,607.17
	iii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	**39,043.00**	30,670.63
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	**22,787.65**	19,600.72
	v) अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	**3,497.58**	3,410.19
	vi) पूँजी और आरक्षित निधियाँ Capital and Reserves	**10,085.11**	9,565.70
	कुल देयताएं Total Liabilities	**222,054.52**	**193,471.00**

3. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटन के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण निम्नवत् हैं:

3. RELATED PARTY DISCLOSURE

In compliance with Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures, issued by the Institute of Chartered Accountants of India read along with the Reserve Bank of India guidelines, the details pertaining to Related Party transactions are disclosed as under:

संबंधित पार्टियों का नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध Name of related parties and their relationship with the bank			
मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel			
क्र. सं. Sr. No.	**नाम Name**	**संबंध Relation**	**अदा की पारिश्रमिक राशि (₹ करोड़ में) Remuneration paid Amount (₹ in crore)**
1	श्री अजय कुमार (30.06.2013 तक) Shri Ajai Kumar (upto 30.06.2013)	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex. Chairman and Managing Director	0.05
2	श्री एस. आर. बंसल (05.10.2013 से) Shri S. R. Bansal (from 05.10.2013)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	0.10
3	श्री अमर लाल दौलतानी Shri Amar Lal Daultani	कार्यपालक निदेशक Executive Director	0.17
4	श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव Shri Bibhas Kumar Srivastav	कार्यपालक निदेशक Executive Director	0.17
5	श्री एन. जयशंकरन Shri N. Jayasankaran	कार्यपालक Executive	0.09
6	श्री एस. एल. गणपति Shri S. L. Ganapathi	कार्यपालक Executive	0.04

एएस–18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी के साथ लेनदेन का प्रकटन नहीं किया गया है।
Transactions with subsidiary has not been disclosed in terms of Para 9 of AS-18

4. प्रति शेयर अर्जन

क) मूलः प्रति शेयर ₹36.18

मूल ईपीएस का परिकलन

4. EARNINGS PER SHARE

a. Basic: ₹36.18 per share

Calculation of Basic EPS

विवरण Particulars	**2013-14**	**2012-13**
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹in crore)	**568.49**	1,443.24
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में) Weighted average number of equity shares (₹ in crore)	**15.71**	14.83
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹) Basic Earnings per Share (₹)	**36.18**	97.32
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹) Nominal Value per Share (₹)	**10.00**	10.00

ख) तनूकृतः लागू नहीं क्यों कि कोई तनूकृत संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं है।

b. Diluted: Not applicable as there are no dilutive potential equity shares.

5. पूंजी पर्याप्तता

पूँजी-भारित जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित किया गया है। बैंक के निर्धारण के अनुसार ये अनुपात निम्नवत हैं:

5. CAPITAL ADEQUACY

The Capital to weighted Risk Assets Ratio (CRAR) has been worked out as per Reserve Bank of India guidelines. As per the Bank's assessment, the ratios are:

		यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014		यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	
		बेसल III Basel III	बेसल II Basel II	बेसल III Basel III	बेसल II Basel II
(क) सीआरएआर (a) CRAR	टियर I पूंजी Tier I Capital	**8.17%**	**8.42%**	ला.न. N.A.	8.39%
(ख) सीआरएआर (b) CRAR	टियर II पूंजी Tier II Capital	**3.51%**	**3.86%**	ला.न. N.A.	4.02%
(ग) सीआरएआर (c) CRAR	[टियर I + II पूंजी] [Tier I + II Capital]	**11.68%**	**12.28%**	ला.न. N.A.	12.41%

6. भा.रि.बैं. परिपत्र सं डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुसार ₹338.67 करोड़ के उपलब्ध पेंशन निधि शेष को हिसाब में लेने के बाद ₹552.53 करोड़ की निवल वृद्धिशील देयता को 2010-11 ले लेकर पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। तदनुसार ₹110.51 करोड़ (₹552.53 करोड़ का एक बटा पाँचवाँ भाग) 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखे को प्रभारित किया गया है। सेवारत कर्मचारियों से संबंधित ₹110.49 करोड़ की निवल देयता पूर्वोक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार आगे ले जाई जा रही है।

6. In terms of RBI Circular No: DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February, 2011, after reckoning the available pension fund balance of ₹338.67 crore, the net incremental liability of ₹552.53 crore is being amortised over a period of five years starting from 2010-11. Accordingly a sum of ₹110.51 crore (representing one-fifth of ₹552.53 crore) has been charged to the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2014. The net liability relating to serving employees being carried forward in terms of the requirements of the aforesaid circular amounts to ₹110.49 crore.

7. स्थिर आस्तियाँ

क) परिसर में ₹12.30 करोड़ (गत वर्ष ₹12.30 करोड़) की लागत वाली परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं जिनके पंजीकरण की औपचारिकताएं लम्बित हैं।

ख) स्थिर आस्तियों में पूँजीगत चालू कार्य-परिसर से संबंधित ₹0.09 करोड़ (गत वर्ष ₹ शून्य) और पूँजीगत अग्रिम - परिसर खाते में ₹0.24 करोड़ (गत वर्ष ₹ शून्य) शामिल है।

ग) वर्ष 2013-14 के दौरान अर्जित सॉफ्टवेयरों की लागत ₹14.24 करोड़ (गत वर्ष ₹9.61 करोड़) है और 2013-14 तक परिशोधित राशि ₹14.15 करोड़ (गत वर्ष ₹12.55 करोड़) है।

घ) परिसर में ₹3.59 करोड़ (गत वर्ष ₹3.59 करोड़) की इमारत शामिल है जो पिछले स्वामी के शोधन के अधिकार के अधीन है।

ङ) पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु लंबित संविदाएँ जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया, ₹86.09 करोड़ (गत वर्ष ₹4.61 करोड़) है।

7. FIXED ASSETS

a) Premises include properties costing ₹ 12.30 Crore (Previous year ₹12.30 Crore) for which registration formalities are pending.

b) Fixed Assets include ₹0.09 Crore (Previous year ₹Nil) in respect of Capital Work in Progress-Premises and ₹0.24 Crore (Previous year ₹Nil) in Capital Advance- Premises Account.

c) During the year 2013-14, cost of software acquired is ₹ 14.24 Crore (Previous year ₹9.61 Crore) and the amount amortized till 2013-14 is ₹14.15 Crore (Previous year ₹12.55 Crore).

d) Premises include buildings of ₹3.59 Crore (Previous year ₹3.59 Crore) which are subject to previous owner's right of redemption.

e) Contracts pending execution on Capital account and not provided for is ₹86.09 Crore (Previous year ₹4.61 Crore).

8. कर्मचारी हितलाभ

8.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के अनुसार बैंक द्वारा कर्मचारी हितलाभ हेतु लेखांकन किया गया है।

8.2 (क) तुलन-पत्र की तारीख को प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाएं:

8. EMPLOYEE BENEFITS

8.1 The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

8.2 (a) The Principal actuarial assumptions used as at the balance sheet date :

परिभाषित हितलाभ निधिक Defined benefits funded	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] Long Term compensated benefit [Unfunded]	
	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
बट्टा दर Discount Rate	**8.75%**	8.50%	**8.75%**	8.50%	**8.75%**	8.50%
वेतन वृद्धि Salaries increase	**5.50%**	-	**5.50%**	-	**5.50%**	-
– मूल वृद्धि Basic increase		4.00%		6.00%		6.00%
– डीए वृद्धि DA increase		6.00%		6.00%		6.00%
पेंशन वृद्धि Pension increase	**5.50%**	6.00%	-	6.00%	-	6.00%
एट्रीशन दर Attrition Rate	**1.69%**	1.60%	**4.24%**	4.20%	**4.24%**	4.20%
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर Expected Rate of Return on Plan Assets	**9.00%**	9.00%	**8.50%**	8.50%	-	-

(ख) परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान निम्नवत् प्रस्तुत है:

(b) A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and Plan assets is as under:

परिभाषित हितलाभ Defined benefits

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

दायित्व Obligations	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] Long Term compensated benefit [Unfunded]	
	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014*	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
आरंभिक शेष Opening Balance	2,148.55	1,861.10	420.65	401.40	217.81	270.55
ब्याज लागत Interest Cost	184.63	155.08	35.17	32.71	18.15	20.31
चालू सेवा लागत Current Service Cost	71.34	41.43	48.84	11.62	22.16	42.03
विगत सेवा लागत - निर्धारित Past service cost-recognized	-	-	-	-	-	-
विगत सेवा लागत - अनिर्धारित Past service cost- unrecognized	-	-	-	-	-	-
विगत सेवा लागत - परिशोधन हेतु अपात्र Past service cost-Not eligible for amortization	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	-77.00	-73.24	-37.38	-33.16	-20.63	-18.99
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gain) / Loss on obligation	145.68	164.18	-14.74	8.08	-11.00	-32.46
अंतिम शेष Closing Balance	2,473.20	2,148.55	452.54	420.65	226.49	281.44

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

योजना आस्तियाँ Plan Assets	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]	
	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
अप्रैल को योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of plan assets as on April	2,173.02	1,504.25	439.90	428.38
योजना आस्ति अंशदानों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected Return on Plan Assets Contributions	214.88	156.68	36.45	35.01
नियोक्ता अंशदान Employer Contribution	188.42	550.38	15.00	-
दूसरे न्यास और सदस्यों से अंतरण Transfer from other trust and members	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(77.00)	(73.24)	(37.39)	(33.16)
बीमांकिक लाभ / (–)) हानि Actuarial gain / (–) loss	(55.40)	34.95	(14.00)	9.67
मार्च को योजना आस्तियों का हितलाभ Fair Value of plan assets as on March	2,443.92	2,173.02	439.96	439.90

(ग) लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित कुल व्ययः

(c) Total Expenses recognized in the Profit and Loss Account :

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

परिभाषित हितलाभ Defined benefits	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]		दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ [अनिधिक] Long Term compensated benefit [Un funded]	
	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
चालू सेवा लागत Current Service Cost	**71.34**	41.43	**48.85**	11.62	**22.16**	42.03
ब्याज लागत Interest Cost	**184.63**	155.08	**35.17**	32.71	**18.15**	20.31
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	**(214.88)**	(156.68)	**(36.45)**	(35.01)	–	–
अवधि के दौरान निर्धारित निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the period	**201.10**	129.23	**(0.73)**	(1.58)	**(11.00)**	(32.46)
विगत सेवा लागत – निर्धारित Past service cost-recognized	**110.51**	110.51	-	-	-	-
विगत सेवा लागत – परिशोधन हेतु अपात्र Past service cost-Not eligible for amortization	-	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित व्यय Expenses recognized in the Profit and Loss account	**352.70**	279.57	**46.84**	7.74	**29.31**	29.88

घ. योजना आस्तियों का संघटनः

d. The Compositions of Plan Assets:

(प्रतिशत में) (in percentage)

	पेंशन [निधिक] Pension [Funded]		ग्रैच्युटी [निधिक] Gratuity [Funded]	
	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	32.08	32.69	54.14	54.84
उच्च गुणवत्ता सरकारी बाँड High Quality Corporate Bonds	11.31	13.47	21.49	21.51
विशेष जमाराशियाँ Special deposits	-	-	-	-
अन्य (पीएसयू) Other (PSU)	13.68	15.21	11.42	11.25
बीमा योजनाओं के अंतर्गत आस्तियाँ Assets under Insurance Schemes	42.93	38.63	12.95	12.40
कुल Total	**100**	**100**	**100**	**100**

ङ. परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना आस्तियों का उचित मूल्य, अधिशेष/कमी तथा चालू एवं गत वर्ष के लिए अनुभव समायोजन निम्नानुसार है:

e. The present value of defined benefits obligations, the fair value of plan assets, Surplus/Deficits and experience adjustments for the current and previous year are as under:

(₹ करोड़ में)(₹ in Crore)

पेंशन Pension	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at 31st March, 2013
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	**2473.20**	2148.55
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	**2333.43**	1952.02
(अधिशेष)/कमी (Surplus) /Deficits	**(139.77)**	(196.53)
अपरिशोधित देयता Un-amortized Liability	**110.49**	221.00
(अधिशेष)/कमी [अपरिशोधित देयता का निवल] (Surplus) / Deficits [Net of Un-amortized Liability]	**29.28**	(24.47)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	**145.68**	(164.18)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Assets (Loss)/Gain	**(55.40)**	34.95

(₹ करोड़ में)(₹ in Crore)

ग्रैच्युटी Gratuity	यथा 31 मार्च 2014 As at 31st March, 2014	यथा 31 मार्च 2013 As at 31st March, 2013
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	**452.54**	420.65
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	**439.95**	439.90
(अधिशेष)/कमी (Surplus) / Deficits	**12.59**	(19.25)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Liabilities (Loss)/ Gain	**(14.74)**	(8.08)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ Experience Adjustment on Plan Assets (Loss)/ Gain	**(14.00)**	9.67

(₹ करोड़ में)(₹ in Crore)

दीर्घावधि प्रतिपूरक हितलाभ – अनिधिक Long Term compensated benefit – Unfunded	यथा 31मार्च 2014 As at 31st March, 2014*	यथा 31मार्च 2013 As at 31st March, 2013
दायित्व का वर्तमान मूल्य PV of obligation	**226.49**	281.44
योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	**0.00**	0.00
(अधिशेष)/कमी (Surplus) / Deficits	**226.49**	281.44
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment on Plan Liabilities	**(11.00)**	(32.46)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment on Plan assets	**0.00**	0.00

* बैंक ने कर्मचारी हितलाभ जैसे बीमारी छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत और दीर्घावधि अवार्ड जो किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर बंद हो जाते हैं, उन्हें गैर-सेवांत लाभ के रूप में लिया है, जिन्हें अब तक सेवांत लाभ के रूप में माना जाता था और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान किए गए। तदनुसार पूर्व वर्षों से संबंधित ₹63.62 करोड़ के प्रावधान को वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया।

* The bank has considered the employee benefits like sick leave, casual leave, leave travel concession and long term awards which ceases to exist on retirement of an employee as non-terminal benefits which hitherto were considered to be terminal benefits and provisions were made as per actuarial valuation. Accordingly, the provision amounting to ₹63.62 Crore made in earlier years has been reversed during the year.

8.3 भा.रि.बैं. परिपत्र सं डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार ₹338.67 करोड़ के उपलब्ध पेंशन निधि शेष को हिसाब में लेने के बाद ₹552.53 करोड़ की निवल वृद्धिशील देयता को 2010-11 ले लेकर पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। तदनुसार ₹110.51 करोड़ (₹552.53 करोड़ का एक बटा पाँचवाँ भाग) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखे को प्रभारित किया गया है। सेवारत कर्मचारियों से संबंधित ₹110.49 करोड़ की निवल देयता पूर्वोक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार आगे ले जाई जा रही है।

8.4 01 नवंबर, 2012 से प्रभावी प्रस्तावित वेतन संशोधन पर समझौता होने तक चालू वर्ष के दौरान ₹75.00 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया गया है। 31 मार्च, 2014 को इस खाते में धारित कुल प्रावधान ₹118.00 करोड़ है।

8.3 In terms of RBI Circular No: DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February, 2011, after reckoning the available pension fund balance of ₹338.67 Crore, the net incremental liability of ₹552.53 Crore is being amortized over a period of five years starting from 2010-11. Accordingly a sum of ₹110.51 Crore (representing one-fifth of ₹552.53 Crore) has been charged to the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2014. The net liability relating to serving employees being carried forward in terms of the requirements of the aforesaid circular amounts to ₹110.49 Crore.

8.4 Pending settlement of the proposed wage revision of employees effective from 01st November, 2012, an adhoc provision of ₹75.00 Crore has been made during the current year. The total provision held on this account as at 31st March, 2014 is ₹118.00 Crore.

9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधान:

9. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

a) Provisions:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

प्रावधान की प्रकृति Nature of Provision	प्रारंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Additional Provision made during the year	वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए प्रावधान Provision used during the year	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित प्रावधान Provision Reversed during the year	अंतिम शेष Closing Balance
i. गै.नि.आ. हेतु किए गए प्रावधान Provision made towards NPAs	575.74	1,520.84	462.74	82.73	1,551.11
ii. निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (गै.नि.आ. प्रावधान सहित) Provision for Depreciation on Investment (including NPA provision)	108.41	354.09	-	3.11	459.39
iii. आय कर/संपत्ति कर हेतु प्रावधान Provision made towards Income Tax / Wealth Tax	1,118.60	584.86	350.20	320.77	1,032.49
iv. सभी अन्य * All other *	1,164.81	748.61	-	1.43	1,911.99

* इसमें कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावों हेतु प्रावधान, कपटपूर्ण लेन-देनों हेतु प्रावधान तथा अन्य विविध लेनदेन शामिल हैं।

* This includes provision for claims against the Bank not acknowledged as debt, provision towards fraudulent transactions and other miscellaneous transactions

ख) आकस्मिक देयता:

b) Contingent Liability:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

i) कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावे:
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts:

विवरण Particulars	दावों की सं No. of Claim	सकल दावे Gross Claim	निवल दावे Net Claim
01.04.2013 को बकाया कुल दावे Total Claims outstanding as on 01.04.2013	**124**	**305.06**	**297.37**
घटाएं: 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान हटाए/संशोधित दावे Less: Claims deleted/revised during the period from 01.04.2013 to 31.03.2014	33	3.92	3.39
जोड़ें : 01/04/2013 से 31/03/2014 तक की अवधि के दौरान जोड़े नए दावे Add : New Claims added during the period from 01.04.2013 to 31.03.2014	20	295.60	293.85
31.03.2014 को बकाया कुल दावे Total Claims outstanding as on 31.03.2014	**111**	**596.74***	**587.83***

31 मार्च, 2014 को बकाया दावों का विषयवार वर्गीकरण:

Subject wise classification of the claims outstanding as on 31st March, 2014: **(₹ करोड़ में)(₹ in Crore)**

विवरण Particulars	दावों की सं. No. of Claims	सकल दावे Gross Claim	निवल दावे Net Claim
बैंक गारंटी Bank Guarantee	3	0.17	0.02
चेक /माँग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश आदि की उगाही Cheques/DD/PO etc., collection	9	0.78	0.23
ऋण संविभाग Credit Portfolio	14	1.01	0.56
जमा संविभाग Deposits Portfolio	6	0.59	0.10
सतर्कता Vigilance	21	6.18	1.67
विविध [आयकर व ब्याज कर माँगों से संबंधित दावों सहित] Miscellaneous [Including claims on account of Income Tax & Interest Tax Demands]	58	588.01	585.25
योग Total	**111**	**596.74***	**587.83***

* शुरुआत से लेकर जहाँ लागू हो दावों पर ब्याज को छोड़कर

* Excluding interest on claims, wherever applicable, since inception.

आकस्मिक देयताओं में ₹550.74 करोड़ (गत वर्ष ₹277.76 करोड़) का विवादित आय कर तथा ब्याज कर शामिल है जिसके विरुद्ध विभाग ने अपील की है।

10. पुनर्संरचित खाते

पुनर्संरचित ऋणों के मामले में – मानक आस्तियों, अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और उसपर प्रावधान सीडीआर के अंतर्गत की गई पुनर्संरचना में दी गई मुख्य शर्तों/भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के व्यापक अनुपालन के आधार पर किया गया है।

11. जहाँ आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकडों को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए पुनःवर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

Contingent Liabilities includes disputed Income tax and interest of ₹550.74 Crore (Previous year ₹277.76 Crore).

10. RESTRUCTURED ACCOUNTS

In case of Restructured Loans- Standard Assets, Classification of Advances, Income Recognition and provisioning thereon have done, based on substantial compliance of the major conditions contained in the restructuring undertaken under CDR/RBI guidelines.

11. Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary in order to conform with the current year presentation.

(एस.आर. बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(अमर लाल दौलतानी)
कार्यपालक निदेशक

(बी. के. श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक

(आदीश कुमार जैन)
निदेशक

(यू. एस. पालीवाल)
निदेशक

(विन्सेंट डि'सूज़ा)
निदेशक

(एकनाथ बालिगा)
निदेशक

(कवलजीत सिंह ओबेरॉय)
निदेशक

(एस. शब्बीर पाशा)
निदेशक

(बी. वेंकट भास्कर)
निदेशक

(सी. जी. पिन्टो)
महा प्रबंधक

(एच. राजभूषण)
उप महा प्रबंधक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001359N
[सीए एस.सी. गुप्ता]
एम.नं. 016534
साझेदार

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-002878S
[सीए सी.आर. दीपक]
एम.नं. 215398
साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000379C
[सीए राहुल गुप्ता]
एम.नं. 077811
साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-103429W
[सीए अतुल जैन]
एम.नं. 037097
साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001997S
[सीए मुरली मोहन]
एम.नं. 203592
साझेदार

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 9 मई, 2014

[S. R. Bansal]
Chairman & Managing Director

[Amar Lal Daultani]
Executive Director

[B. K. Srivastav]
Executive Director

[Adish Kumar Jain]
Director

[U. S. Paliwal]
Director

[Vincent D'Souza]
Director

[Ekanath Baliga]
Director

[Kawaljit Singh Oberoi]
Director

[S. Shabbeer Pasha]
Director

[B. Venkata Bhaskar]
Director

[C. G. Pinto]
General Manager

[H. Rajbhooshan]
Dy. Gen. Manager

As per our Report of even date

for Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN-001359N
[CA S. C. Gupta]
M.No. 016534
PARTNER

for B. K. Ramadhyani & Co.
Chartered Accountants
FRN-002878S
[CA C. R. Deepak]
M.No. 215398
PARTNER

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants
FRN-000379C
[CA Rahul Gupta]
M.No. 077811
PARTNER

for GMJ & Co.
Chartered Accountants
FRN-103429W
[CA Atul Jain]
M.No. 037097
PARTNER

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN-001997S
[CA Murali Mohan]
M.No. 203592
PARTNER

Place : Mangalore
Date : 9th May, 2014

कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2014

(₹ in '000 में)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 चालू वर्ष Current Year	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013 गत वर्ष Previous Year
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर उपरांत निवल लाभ Net Profit after Tax	**5,684,858**	14,432,422
जोड़ें: कर हेतु प्रावधान Add: Provision for Tax	**(3,168,362)**	2,557,306
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before Tax	**2,516,496**	16,989,728
i निम्न हेतु समायोजन Adjustment for :		
स्थिर आस्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets	**1,132,461**	966,265
निवेशों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Investments	**5,373,219**	(52,576)
एनपीए हेतु मूल्यह्रास Provision for NPAs	**14,381,114**	9,281,194
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision for Standard Assets	**2,240,000**	1,220,000
टियर I और टियर II बाँडों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Tier I & Tier II Bonds	**4,753,750**	4,753,248
आकस्मिकताओं और अन्य हेतु प्रावधान Provision for Contingencies and Others	**3,589,456**	1,579,703
बट्टे खाते लिखा गया विविध शेष Sundry Bal.Written off	**–**	20
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets	**3,403**	9,755
प्राप्त ब्याज/लाभांश Interest/Dividend Received	**(8,817)**	(18,744)
अनुषंगियों और सहयोगियों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय Income earned by way of Dividend etc. from Subsidiaries and Associates	**–**	(356,250)
(प्रदत्त)/वापस किया गया प्रत्यक्ष कर Direct Taxes (paid)/Refund [by Corp Bank)	**(1,029,760)**	(5,013,298)
(प्रदत्त)/वापस किया गया प्रत्यक्ष कर Direct Taxes (paid)/Refund [by Corp Securities)	**(20,307)**	(26,093)
ब्याज पूँजीकरण हेतु प्रावधान Provision for Interest Capitalisation	**2,393,300**	1,485,700
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पहले नकदी प्रवाह Cash Flow before change in Operating Assets and Liabilities	**35,324,315**	30,818,652
ii निम्न हेतु समायोजन Adjustment for:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	**273,571,901**	298,636,367
उधार में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Borrowings	**1,225,990**	(13,492,503)
अन्य देयताओं एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	**(16,056,075)**	(15,210,803)
निवेशों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Investments	**(80,267,451)**	(172,331,782)
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Advances	**(183,696,537)**	(182,476,248)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/Decrease in Other Assets	**(5,070,138)**	6,603,162
बट्टे खाते लिखने/अंतरित करने के लिए आरक्षित निधियों में/से समायोजन Adjustments to/from Reserves for Write Off/trf	**(3,644,608)**	–
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES [A]	**21,387,397**	(47,453,155)

(₹ in '000 में)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 चालू वर्ष Current Year	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013 पिछला वर्ष Previous Year
ख. निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
स्थिर आस्तियों की बिक्री/निपटान Sale/Disposal of Fixed Assets	**27,851**	15,261
स्थिर आस्तियों की खरीद Purchase of Fixed Assets	**(1,384,364)**	(1,863,423)
अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश Additional Investment in Subsidiary/Joint Ventures/Associates	**–**	–
प्राप्त ब्याज/लाभांश Interest/Dividend Received	**10,078**	12,832
अनुषंगियों और सहयोगियों में लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय Income earned by way of Dividend etc. from Subsidiaries and Associates	**–**	356,250
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख) NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES [B]	**(1,346,435)**	(1,479,080)
ग. वित्तीयन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूँजी के निर्गमन से आगम Proceeds from Issuance of Share Capital	**146,275**	47,852
शेयर प्रीमियम से आगम Proceeds from Share Premium	**4,353,725**	1,992,149
टियर I और टियर II बाँडों से आगम Proceeds of Tier I & Tier II Bonds	**–**	–
टियर I और टियर II बाँडों का प्रतिदान Redemption of Tier I & Tier II Bonds	**–**	–
टियर I और टियर II बाँडों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Tier I & Tier II Bonds	**(4,753,750)**	(4,753,248)
प्रदत्त लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम) Dividend (Interim & Final) paid	**(3,659,319)**	(3,036,661)
प्रदत्त लाभांश संवितरण कर Dividend Distribution Tax paid	**(570,917)**	(897,540)
वित्तीयन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग) NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES [C]	**(4,483,986)**	(6,647,448)
घ. नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी))(क+ख+ग) या (च–ङ) **D NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS [A+B+C] or [F-E]**	**15,556,976**	(55,579,683)
ङ. वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
E CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
नकदी और भा.रि.बैं. के पास बैंक शेष Cash and Bank Balance with RBI	**88,478,458**	92,882,354
बैंकों के पास शेष राशियाँ और माँग पर और अल्प सूचना पर धन Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**38,354,775**	89,530,563
वर्ष के प्रारंभ में निवल नकदी और नकदी समतुल्य (ङ) NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR [E]	**126,833,233**	182,412,917

(₹ in '000 में)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 चालू वर्ष Current Year	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013 पिछला वर्ष Previous Year
च. वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समतुल्य		
F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
नकदी और भा.रि.बैं. के पास बैंक शेष Cash and Bank Balance with RBI	**137,402,079**	88,478,458
बैंकों के पास शेष राशियाँ और माँग पर और अल्प सूचना पर धन Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**4,988,130**	38,354,775
वर्ष के प्रारंभ में निवल नकदी और नकदी समतुल्य (च) NET CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR [F]	**142,390,209**	126,833,233

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम, कार्पोरेशन बैंक के अधोहस्ताक्षरी सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण करार के खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत 9 मई, 2014 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित इसी अवधि हेतु बैंक के लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र पर आधारित तथा उसके अनुरूप है।

AUDITORS' CERTIFICATE

We, the undersigned Statutory Central Auditors of Corporation Bank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank, for the year ended 31st March, 2014. The statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our report of May 9, 2014 to the Board of Directors of the Bank.

कृते सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001359N
[सीए एस.सी. गुप्ता]
एम.नं. 016534
साझेदार

कृते बी. के. रामध्यानी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-002878S
[सीए सी.आर. दीपक]
एम.नं. 215398
साझेदार

कृते नृपेन्द्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000379C
[सीए राहुल गुप्ता]
एम.नं. 077811
साझेदार

कृते जीएमजे एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-103429W
[सीए अतुल जैन]
एम.नं. 037097
साझेदार

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-001997S
[सीए मुरली मोहन]
एम.नं. 203592
साझेदार

स्थानः मंगलूर
दिनांकः 9 मई, 2014

for Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN-001359N
[CA S. C. Gupta]
M.No. 016534
PARTNER

for B. K. Ramadhyani & Co.
Chartered Accountants
FRN-002878S
[CA C. R. Deepak]
M.No. 215398
PARTNER

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants
FRN-000379C
[CA Rahul Gupta]
M.No. 077811
PARTNER

for GMJ & Co.
Chartered Accountants
FRN-103429W
[CA Atul Jain]
M.No. 037097
PARTNER

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN-001997S
[CA Murali Mohan]
M.No. 203592
PARTNER

Place : Mangalore
Date : 9th May, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के सदस्यगण को

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन-वर्ग का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन वर्ग का है। इस उत्तरदायित्व में चाहे कपट के कारण हो या त्रुटिवश, तात्विक अयथार्थों से मुक्त सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए ज़रूरी आंतरिक नियंत्रण के निरूपण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है।

लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाकर लेखा-परीक्षा का कार्य संपन्न करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं।

किसी लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में व्यक्त धनराशियों और प्रकटनों के समर्थक साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चुनी जाने वाली प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक का विवेक, जिसमें चाहे कपट के कारण हो या त्रुटिवश, वित्तीय विवरणों के तात्विक अयथार्थों के जोखिमों का आकलन शामिल है, पर निर्भर करती हैं। जोखिम का यह आकलन करने में, लेखा-परीक्षक, परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को निरूपित करने के उद्देश्य से वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं उचित प्रस्तुति के लिए ज़रूरी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। किसी लेखा-परीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की युक्तियुक्तता का आकलन और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा साक्ष्य हमारे लेखा-परीक्षा अभिमत हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अभिमत

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of CORPBANK SECURITIES LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **CORPBANK SECURITIES LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in Sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidences we have obtained are sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required

देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

(क) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2014 को कंपनी की कारोबारी स्थिति;

(ख) लाभ-हानि विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरणी के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 227 की उप-धारा (4ए) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा अपेक्षितानुसार हम उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुबंध में संलग्न करते हैं।

अधिनियम धारा 227(3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमें सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(ii) हमारी राय में जहाँ तक उक्त बहियों की जाँच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षितानुसार उचित लेखा बहियाँ रखी हैं;

(iii) उक्त रिपोर्ट में समाहित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

(iv) हमारी राय में लेखों की टिप्पणियों के साथ पठित इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से चर्चित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों का पालन करते हैं;

(v) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों तथा निदेशक मंडल द्वारा अभिलिखित किए जाने के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (जी) के अनुसार किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(vi) चूँकि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत उपकर अदा करने की दर के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही जिस तरीके से ऐसे उपकर को अदा करना है, यह निर्धारित करते हुए उक्त धारा के अधीन कोई नियम जारी किए हैं, अतः कंपनी द्वारा कोई उपकर नियत व देय नहीं है।

कृते अतुल सी. भेडा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 100758W
और उनकी ओर से

मयूर के. शाह
साझेदार
सदस्यता सं. 100886
स्थानः मुंबई
दिनांकः 5 मई, 2014

and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

(a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2014;

(b) in the case of the Statement of Profit and Loss, of the profit for the year ended on that date; and

(c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 issued by the Central Government of India in terms of Sub-section (4A) of Section 227 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order.

As required by Section 227(3) of the Act, we report that:

(i) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) in our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

(iii) the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts;

(iv) in our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in Sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956;

(v) on the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2014, and taken on record by the Board of Directors, we report that none of the directors is disqualified as on March 31, 2014, from being appointed as a director in terms of Clause (g) of Sub-section (1) of Section 274 of the Companies Act, 1956.

(vi) Since the Central Government has not issued any notification as to the rate at which the cess has to be paid u/s 441A of the Companies Act, 1956 nor has it issued any Rules under the said section, prescribing the manner in which such cess is to be paid, no cess is due and payable by the Company.

For and on behalf of
Atul C. Bheda & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100758W

Mayur K. Shah
Partner
Membership No.: 100886
Place: Mumbai
Date: 5th May, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के सदस्यगण को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" शीर्षक वाले पैरा में संदर्भित अनुबंध

हमारे सत्यापन/अवलोकन, ऐसी जाँच जो हमने उचित समझी, हेतु हमें प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर तथा हमारी पूछताछ पर हमें जो सूचना और स्पष्टीकरण दिया गया, उसके आधार पर, हम विवरण देते हैं कि:

(i) (क) कंपनी परिमाणात्मक विवरण और स्थिर आस्तियों की स्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाने वाले उचित अभिलेख रख रही है।

(ख) सूचना के अनुसार, कंपनी की स्थिर आस्तियों का प्रबंधन-वर्ग द्वारा वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी प्रकृति को देखते हुए संगत है। बही अभिलेखों और प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने स्थिर आस्तियों को कोई बड़ा हिस्सा नहीं बेचा है।

(ii) (क) कंपनी जमा प्रमाणपत्रों में संव्यवहार करती है जो डीमैट रूप में हैं। तदनुसार, प्रत्यक्ष सत्यापन का सवाल नहीं उठता और आदेश का खंड 4(ii)(क) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(ख) इन्वेंटरी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी इन्वेंटरी का उचित अभिलेख रख रही है।

(iii) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया, कंपनी के निदेशक कार्पोरेशन बैंक के नामिती हैं और धारा 301 के अंतर्गत संबंधित या हितबद्ध नहीं माना जाना है। वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी कंपनी, फर्म या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे रजिस्टर में समाविष्ट अन्य पार्टियों को या उनसे प्रतिभूत या अप्रतिभूत कोई ऋण न तो दिया है और न ही लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4 (iii) (क) से (छ) कंपनी को लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार इन्वेंटरी एवं स्थिर आस्तियों की खरीद तथा सेवाओं की बिक्री हेतु कंपनी के आकार और अपने कारोबार के स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं। उक्त अवधि के दौरान उत्पादों की कोई बिक्री नहीं थी। हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई कमज़ोरी नहीं देखी गई है।

(v) (क) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया, कंपनी के निदेशक कार्पोरेशन बैंक के नामिती हैं और धारा 301 के अंतर्गत संबंधित या हितबद्ध नहीं माना जाना है। इसके अलावा, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में संदर्भित कोई संविदा/व्यवस्था नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(v)(क) कंपनी को लागू नहीं है।

Annexure referred to in Paragraph titled as "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of Auditor's report to the members of CORPBANK SECURITIES LIMITED for the year ended March 31, 2014.

On the basis of the records produced to us for our verification/ perusal, such checks as we considered appropriate, and in terms of information and explanation given to us on our enquiries, we state that:

(i) (a) The company is maintaining the proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.

(b) According to the information, the fixed assets of the Company have been physically verified by the Management during the year, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. No discrepancies were noticed between the book records and the physical verification.

(c) No substantial part of the fixed assets has been disposed off by the Company during the year.

(ii) (a) The company is dealing in certificate of deposits which are in dematerialized form. Accordingly the question of physical verification does not arise and accordingly the clause 4 (ii) (a) of the Order is not applicable to the Company.

(b) On the basis of our examination of the records of inventories, we are of the opinion that the Company is maintaining proper records of inventories.

(iii) As explained to us the directors of the Company are nominees of the Corporation Bank and is not to be regarded as concerned or interested under Section 301. During the year, the Company has neither granted nor taken any loans, secured or unsecured to/from companies, firm or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, clause 4 (iii) (a) to (g) of the Order is not applicable to the Company.

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of services. During the period, there was no sale of products. During the course of our audit, no weakness has been noticed in the internal controls.

(v) (a) As explained to us the directors of the Company are nominees of the Corporation Bank and is not to be regarded as concerned or interested under Section 301. Further according to the information and explanation given to us, we are of the opinion that during the year, there are no contracts/arrangements referred to in Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, clause 4 (v) (a) of the Order is not applicable to the Company.

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में संदर्भित संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसरण में वर्ष के दौरान कोई लेनदेन या किसी पार्टी के संबंध में पाँच लाख रुपए मूल्य से अधिक कोई लेनदेन नहीं हुए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 4(v) (ख) कंपनी को लागू नहीं है।

(vi) कंपनी ने वर्ष के दौरान जनसाधारण से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश का खंड 4 (vi) कंपनी को लागू नहीं है।

(vii) कंपनी की कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली नहीं है। तथापि, वर्णितानुसार मूल बैंक अपने निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा प्रभाग के माध्यम से कंपनी के अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण करता है जो सामान्यतः वर्षांत के बाद किया जाता है। वर्ष के दौरान मूल बैंक ने 01.04.2012 से 30.06.2013 तक की अवधि के लिए निरीक्षण किया है।

(viii) केन्द्र सरकार ने कंपनी के किसी उत्पाद हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखने संबंधी निर्धारण नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(viii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(ix) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सीमा-शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, उपकर और उसे लागू अन्य सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताएं उपयुक्त प्राधिकारियों को जमा करने में सामान्यतः नियमित है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वेतन से स्रोत पर काटे गए ₹48,500 को छोड़कर, जो हमें दी गई सूचना के अनुसार माननीय केरल के उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के आधार पर जमा नहीं किया गया है, वर्ष के अंत में कोई भी देय अविवादित राशि उसे देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि से बकाया नहीं थी।

कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, सीमा शुल्क, आय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क या उप-कर की ऐसी कोई देयताएं नहीं हैं जो किसी विवाद के कारण जमा न की गई हों।

(x) वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की कोई संचित हानि नहीं है और उसे चालू और तत्काल पूर्व वित्त वर्ष में कोई नकदी हानि नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(x) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक, वित्तीय संस्थाओं से या डिबेंचरों के द्वारा उधार नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(xi) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xii) दस्तावेज़ों और अभिलेखों की हमारी ज़ाँच के आधार पर कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की गिरवी द्वारा प्रतिभूति के आधार पर ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 4(xii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार,

(b) According to the information and explanation given to us, there are no transactions made in pursuance of contracts or arrangements referred to in Section 301 of the Companies Act, 1956 and exceeding the value of rupees five lakhs in respect of any party during the year. Accordingly, clause 4 (v) (b) of the order is not applicable to the Company.

(vi) The Company has not accepted any deposits from the public during the year. Accordingly, clause 4 (vi) of the Order is not applicable to the Company.

(vii) The Company does not have an internal audit system. However as explained, the parent bank does annual inspection of records of the Company which is normally done after the year end. During the year, the parent bank has done inspection for the period 01.04.2012 to 30.06.2013.

(viii) The Central Government has not prescribed maintenance of cost records under Section 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956, for any of the products of the Company. Accordingly, clause 4 (viii) of the order is not applicable to the Company.

(ix) According to the records of the Company, the Company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Investor Education and Protection Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Customs Duty, Wealth Tax, Service Tax, Excise Duty, Cess and other statutory dues applicable to it with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable were outstanding at the year end for a period of more than six months from the date they became payable except Tax Deducted at Source on salary of Rs. 48,500/- which as per the information provided to us has not been deposited based on stay order issued by the Honorable High Court of Kerala.
According to the records of the Company, there are no dues of Customs Duty, Income Tax, Wealth Tax, Service Tax, Excise Duty or Cess which have not been deposited on account of any dispute.

(x) The Company does not have accumulated losses at the end of the financial year and it has not incurred any cash losses in the current and immediately preceding financial year. Accordingly, clause 4 (x) of the order is not applicable to the Company.

(xi) As per the information and explanation given to us, the Company has not borrowed from the bank, financial institutions or by way of debentures. Accordingly, clause 4 (xi) of the order is not applicable to the Company.

(xii) Based on our examination of documents and records, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities. Accordingly, clause 4 (xii) of the order is not applicable to the Company.

(xiii) In our opinion and according to the information and

कंपनी के क्रियाकलापों की प्रकृति पर चिट फंड और निधि/परस्पर लाभ निधि/सोसाइटियों के लिए लागू विशेष संविधि लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(xiii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xiv) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन-वर्ग द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने लेनदेनों और संविदाओं के उचित अभिलेख रखे हैं और उसमें समय पर प्रविष्टियाँ की हैं। इसके अलावा, शेयर, प्रतिभूतियाँ, डिबेंचर और अन्य निवेश कंपनी द्वारा अपने ही नाम में रखे गए हैं।

(xv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों हेतु कोई गारंटी नहीं दी है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(xv) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xvi) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(xvi) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर एकत्रित कोई भी निधि कंपनी ने दीर्घावधि निवेश हेतु इस्तेमाल नहीं की है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(xvii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xviii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे रजिस्टर में समाविष्ट पार्टियों और कंपनियों शेयरों का कोई अधिमान आबंटन नहीं किया है।

(xix) वर्ष के दौरान कंपनी के कोई बकाया डिबेंचर नहीं हैं।

(xx) वर्ष के दौरान कंपनी ने पब्लिक इश्यू के द्वारा कोई राशि नहीं जुटाई है।

(xxi) की गई लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन-वर्ग द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी कपट नहीं देखा गया या रिपोर्ट किया गया।

कृते अतुल सी. भेडा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 100758W
और उनकी ओर से

मयूर के. शाह
साझेदार
सदस्यता सं. 100886

स्थानः मुंबई
दिनांकः 5 मई, 2014

explanations given to us, the nature of activities of the Company does not attract any special statute application to chit fund and nidhi/mutual benefit fund/societies. Accordingly, clause 4 (xiii) of the order is not applicable to the Company.

(xiv) Based on our audit procedures and on the information and explanations given by the management, we are of the opinion that the Company has maintained proper records of the transactions and contracts and timely entries have been made therein. Further the shares, securities, debentures and other investments are held by the Company in its own name.

(xv) According to the information and explanation given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions. Accordingly, clause 4 (xv) of the Order is not applicable to the Company.

(xvi) The Company has not taken any term loan during the year. Accordingly clause 4 (xvi) of the order is not applicable to the Company.

(xvii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the Balance Sheet of the Company, we report that during the year no short term funds were raised by the Company. Accordingly, clause 4 (xvii) of the order is not applicable to the Company.

(xviii) The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.

(xix) The Company did not have any outstanding debentures during the year.

(xx) The Company has not raised any money through a public issue during the year.

(xxi) Based upon the audit procedures performed and information and explanations given by the management, we report that no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the course of our audit for the year ended March 31, 2014.

For and on behalf of
Atul C. Bheda & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100758W

Mayur K. Shah
Partner
Membership No. 100886

Place: Mumbai
Date: 5th May, 2014

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. Corpbank Securities Ltd.

31 मार्च, 2014 की स्थिति का तुलन–पत्र BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2014

(₹ हज़ारों में/₹ in thousands)

विवरण Particulars	टिप्पणी सं. Note No.	यथा As on 31st March, 2014	यथा As on 31st March, 2013
I. ईक्विटी एवं देयताएं EQUITY AND LIABILITIES			
1) शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's funds			
क a) शेयर पूँजी Share Capital	2	**750,000**	750,000
ख b) आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves & Surplus	3	**348,104**	368,177
2) चालू देयताएं Current liabilities			
क a) व्यापार देनदारियाँ Trade payables	4	**109**	89
ख b) अन्य चालू देयताएं Other current liabilities	5	**48**	56
ग c) अल्पावधि प्रावधान Short - Term Provisions	6	**87,746**	-
कुल TOTAL		**1,186,007**	1,118,322
II. आस्तियाँ ASSETS			
1) गैर–चालू आस्तियाँ Non - Current Assets			
क a) स्थिर आस्तियाँ Fixed Assets	7		
मूर्त आस्तियाँ Tangible Assets		**211**	269
अमूर्त आस्तियाँ Intangible Assets		**13**	-
ख b) गैर–चालू निवेश Non - Current Investment	8	**5,000**	5,000
ग c) आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred tax assets	9	**99**	5,478
घ d) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम Long - term loans and advances	10	**66,487**	73,274
2) चालू आस्तियाँ Current Assets			
क a) इनवेंटरी Inventories	11	**730,330**	949,433
ख b) नकदी एवं बैंक शेषराशि Cash & Bank Balances	12	**370,542**	70,065
ग c) अल्पावधि–ऋण एवं अग्रिम Short Term - Loans and Advances	13	**2,181**	1,381
घ d) अन्य चालू आस्तियाँ Other Current Assets	14	**11,144**	13,422
कुल TOTAL		**1,186,007**	1,118,322
महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	1 to 27		

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached

कृते अतुल सी. भेडा एण्ड कं
For **ATUL C. BHEDA & CO**
सनदी लेखाकार *CHARTERED ACCOUNTANTS*
फर्म पंजीकरण सं 100758W
Firm's Registration No.: 100758W

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से
For and on behalf of the Board of Directors of CorpBank Securities Limited

मयूर के. शाह
Mayur K. Shah
साझेदार Partner
सदस्यता सं. 100886
Membership No. 100886

एस. आर. बंसल
S. R. Bansal
अध्यक्ष Chairman

बी. के. श्रीवास्तव
B. K. Srivastav
निदेशक Director

एस. सी. कालिया
S. C. Kalia
निदेशक Director

पी. राजाराम कारंत
P. Rajaram Karanth
निदेशक Director

एन. जयशंकरन
N. Jayasankaran
पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव
Whole time Director & Company Secretary

स्थान Place : मुंबई Mumbai
दिनांक Dated : 05th मई May, 2014

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. Corpbank Securities Ltd.

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ–हानि लेखा STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2014

(₹ हज़ारों में/₹ in thousands)

विवरण Particulars	टिप्पणी सं. Note No.	समाप्त वर्ष Year ended 31st March, 2014	समाप्त वर्ष Year ended 31st March, 2013
परिचालन से राजस्व Revenue from operation	15	**93,435**	119,096
अन्य आय Other income	16	**9,486**	18,955
कुल राजस्व Total Revenue		**102,921**	138,051
व्यय Expenses:			
कर्मचारी हितलाभ व्यय Employee benefit expenses	17	**1,769**	2,343
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय Depreciation & amortization expenses	7	**62**	76
अन्य व्यय Other Expenses	18	**1,479**	1,937
कुल व्यय Total Expenses		**3,310**	4,356
अपवादात्मक और असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ Profit before exceptional and extraordinary items & tax		**99,611**	133,695
अपवादात्मक मदें Exceptional Items		**-**	-
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ Profit before extraordinary items and tax		**99,611**	133,695
असाधारण मदें Extraordinary Items		**-**	-
कर पूर्व लाभ Profit before tax		**99,611**	133,695
घटाएं : कर व्यय Less : Tax expenses			
(1) चालू कर Current tax			
चालू वर्षों का of Current years		**19,695**	26,568
गत वर्षों का of Earlier years		**-**	-2
(2) आस्थगित कर Deferred tax		**5,379**	42,183
(3) समंजन हेतु उपलब्ध एमएटी जमा MAT credit available for set off		**6,864**	-20,729
अवधि हेतु लाभ (हानि) Profit / (Loss) for the period		**67,673**	85,675
प्रति शेयर अर्जन: Earning per share:	19		
प्रति शेयर मूल और तनूकृत अर्जन Basic and Diluted Earnings per Share		**0.90**	1.14

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached

कृते अतुल सी. भेडा एण्ड कं
For **ATUL C. BHEDA & CO**
सनदी लेखाकार *CHARTERED ACCOUNTANTS*
फर्म पंजीकरण सं 100758W
Firm's Registration No.: 100758W

मयूर के. शाह
Mayur K. Shah
साझेदार Partner
सदस्यता सं. 100886
Membership No. 100886

स्थान Place : मुंबई Mumbai
दिनांक Dated : 05th मई May, 2014

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से
For and on behalf of the Board of Directors of CorpBank Securities Limited

एस. आर. बंसल
S. R. Bansal
अध्यक्ष Chairman

बी. के. श्रीवास्तव
B. K. Srivastav
निदेशक Director

एस. सी. कालिया
S. C. Kalia
निदेशक Director

पी. राजाराम कारंत
P. Rajaram Karanth
निदेशक Director

एन. जयशंकरन
N. Jayasankaran
पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव
Whole time Director & Company Secretary

31 मार्च 2014 की स्थिति का नकदी प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT AS ON 31ST MARCH, 2014

(₹ हज़ारों में/₹ in thousands)

	2013-2014		2012-2013	
क) परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
कर एवं असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ				
Net Profit before tax & Extraordinary Items		**99,611**		133,695
निम्न हेतु समायोजन: Adjustment for:				
प्राप्त लाभांश Dividend Received	**(750)**		(750)	
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets	**62**		76	
प्राप्त ब्याज Interest Received	**(8,067)**		(17,994)	
बट्टे खाते डाली गई विविध शेष राशि Sundry balance written off	**–**		20	
		(8,755)		(18,648)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ :				
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के लिए समायोजन:				
OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES		**90,856**		115,047
ADJUSTMENTS FOR WORKING CAPITAL CHANGES :				
चालू देयताएं Current Liabilities	**12**		7	
व्यापारगत स्टॉक सूची Stock in trade/inventories	**219,104**		298,463	
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम Long term Loans & Advances	**(77)**		(119)	
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम Short term Loans & Advances	**(188)**		(54)	
अन्य चालू आस्तियाँ Other Current Assets	**1,016**		10,138	
		219,867		308,435
परिचालनों से अर्जित नकद Cash Generated from Operations		**310,723**		423,482
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर Direct Taxes paid		**20,307**		(26,093)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क) NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		**290,416**		397,389
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
प्राप्त ब्याज Interest Received		**9,328**		12,082
प्राप्त लाभांश Dividend Received		**750**		750
खरीदी गई अमूर्त आस्ति Intangible Asset Purchased		**(17)**		–
निवेश क्रियाकलाप में प्रयुक्त निवल नकदी (ख) NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITY (B)		**10,061**		12,832
ग) वित्त क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
प्रदत्त लाभांश (लाभांश संवितरण कर सहित) Dividend Paid (Includes Dividend Distribution Tax)		**–**		(414,043)
वित्त क्रियाकलाप में प्रयुक्त निवल नकदी (ग) NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITY (C)		**–**		(414,043)
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन(क+ख+ग) NET CHANGES IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A+B+C)		**300,477**		(3,822)

नकदी एवं नकदी समतुल्य का प्रारंभिक शेष OPENING BALANCE OF CASH & CASH EQUIVALENTS	**70,065**	73,887
नकदी एवं नकदी समतुल्य का अंतिम शेष CLOSING BALANCE OF CASH & CASH EQUIVALENTS	**370,542**	70,065
	300,477	(3,822)

टिप्पणियां Notes

नकदी एवं नकदी समतुल्य का अंतिम शेष
Closing Balance of Cash & Cash Equivalents

1. नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल हैं Cash and Cash Equivalents includes:

हस्तगत नकदी Cash in Hand	**3**	1
अनुसूचित बैंकों में शेष Balance with Scheduled Banks		
– चालू खाते में In Current Account	**539**	564
– ऐसे जमा खाते जिनकी परिपक्वता अवधि 12 महीनों से कम हो – In Deposit account having maturity below 12 months	**370,000**	69,500
	370,542	70,065

2. चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया गत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित एवं पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever considered necessary to make them comparable with those of the current year.

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से
For and on behalf of the Board of Directors of CorpBank Securities Limited

कृते अतुल सी. भेडा एण्ड कं
For **ATUL C. BHEDA & CO**
सनदी लेखाकार *CHARTERED ACCOUNTANTS*
फर्म पंजीकरण सं 100758W
Firm's Registration No.: 100758W

मयूर के. शाह
Mayur K. Shah
साझेदार Partner
सदस्यता स. 100886
Membership No. 100886

स्थान Place : मुंबई Mumbai
दिनांक Dated : 05th मई May, 2014

एस. आर. बंसल
S. R. Bansal
अध्यक्ष Chairman

बी. के. श्रीवास्तव
B. K. Srivastav
निदेशक Director

एस. सी. कालिया
S. C. Kalia
निदेशक Director

पी. राजाराम कारंत
P. Rajaram Karanth
निदेशक Director

एन. जयशंकरन
N. Jayasankaran
पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव
Whole time Director & Company Secretary

31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ एवं लेखों की टिप्पणियाँ
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014

1 महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ

1.1 लेखांकन विधि

(i) वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में सांविधिक प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(ii) कंपनी, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली अपनाती है।

1.2 स्थिर आस्तियाँ एवं मूल्यह्रास

(i) स्थिर आस्तियों का मूल्यांकन उनकी मूल लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है। लागत में अधिग्रहण, संस्थापन तथा कार्य–आरंभ से जुड़ी समस्त प्रत्यक्ष लागत शामिल है।

(ii) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट दरों एवं निर्धारित ढंग से 'अवलिखित मूल्य' (डब्ल्यूडीवी) पद्धति से किया जाता है।

1.3 निवेश

(i) अल्पावधि धारण तथा व्यापारिक क्रय–विक्रय के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को 'विक्रेय स्टॉक' के रूप में माना जाता है और चालू आस्तियों के अधीन दर्शाया जाता है। दीर्घावधि धारण के उद्देश्य से अर्जित अन्य आस्तियों को 'निवेश' के रूप में माना जाता है।

(ii) निवेशों के रूप में धारित तथा परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रत्येक निवेश के किसी मूल्यह्रास हेतु, जहाँ कहीं यह ह्रास स्थाई है, प्रावधान किया जाता है।

1.4 विक्रेय स्टॉक का मूल्यांकन

(i) कोट की गई प्रतिभूतियों को लागत या बाज़ार मूल्य, जो भी कम है, पर मूल्यांकित किया जाता है। बाज़ार भाव उपलब्ध न होने पर, समान प्रकृति एवं परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के विद्यमान प्रतिफल के आधार पर परिकलित दरों पर बाज़ार मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ii) प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति को एक प्रत्येक प्रवर्ग माना जाता है। प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत, मूल्यांकन स्क्रिप–वार किया जाता है तथा मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जबकि मूल्य–वृद्धि को छोड़ दिया जाता है। एक प्रवर्ग की प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास को दूसरे प्रवर्ग में मूल्यवृद्धि के बदले समंजन नहीं किया जाता है।

1 Significant Accounting Policies

1.1 Method of Accounting

(i) The financial statements are prepared on historical cost basis conforming to the statutory provisions, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles.

(ii) The company follows accrual system of accounting.

1.2 Fixed Assets & Depreciation

(i) Fixed assets are valued at original cost less accumulated depreciation. Costs include all direct costs attributable to acquisition, installation and commissioning.

(ii) Depreciation on fixed assets is provided on "Written Down Value" (WDV) method, at the rates specified in and in the manner laid down by Schedule XIV of Companies Act, 1956.

1.3 Investments

(i) The securities acquired with the intention of short term holding and trading positions is considered as "Stock-in-Trade" and shown under current assets. Other securities acquired with the intention of long-term holding are treated as "Investments."

(ii) Securities held as ents and held till maturity are valued at cost. Any diminution in the value of each investment individually is provided for, wherever such diminution is permanent.

1.4 Valuation of Stock- in-Trade

(i) The Quoted securities are valued at cost or market price, whichever is lower. In the absence of market quotes, market prices are determined at the rates derived from the prevailing yield of securities having similar standing and maturity period.

(ii) Each type of security is regarded as a separate category. Under each category, valuation is done scrip-wise and depreciation is provided, while appreciation is ignored. The depreciation in one category of securities is not set off against appreciation in another category.

(iii) तुलन-पत्र की तारीख को धारित ट्रेज़री बिल का मूल्यांकन रखाव लागत या बाज़ार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को धारित ट्रेज़री बिलों का बाज़ार मूल्य भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को धारित जमा प्रमाण-पत्र और वाणिज्य पत्रों को नीचे 1.6 में वर्णित अनुसार रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

(iv) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएम डीए) द्वारा उपलब्ध कराई दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

1.5 कर्मचारियों को भुगतान व उनके लिए प्रावधान

मूल संगठन अर्थात्, कार्पोरेशन बैंक को, उनके कर्मचारियों/अधिकारियों की, जिनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर कंपनी को प्रदान की जाती हैं, परिलब्धियों/भविष्य निधि हेतु किए गए भुगतान को कंपनी की लागत के रूप में माना जाता है।

1.6 राजस्व का निर्धारण

(i) जमा प्रमाणपत्रों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेज़री बिल की अधिग्रहण लागत एवं परिपक्वता मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर प्रभाजित किया जाता है तथा इन प्रतिभूतियों पर लेखांकन अवधि से संबंधित प्रभावी बट्टे /ब्याज को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। अधिग्रहण तक उपचित बट्टे/उपचित ब्याज को अधिग्रहण लागत में शामिल किया जाता है और रखाव लागत माना जाता है।

(ii) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज को उसकी कूपन दर पर निर्धारित किया जाता है।

(iii) स्थिर आय प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री मूल्य को लागत और प्रदत्त एवं वसूल उपचित ब्याज के रूप में विभाजित किया जाता है। स्थिर आय प्रतिभूतियों की खरीद पर उपचित या बिक्री पर प्राप्त ब्याज (खंडित अवधि ब्याज) के रूप में प्रदत्त राशि का निवल निकाला गया और आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

(iv) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि, भारित औसत मूल्य पद्धति (डब्ल्यूएपी) पर परिकलित की जाती है और निपटान तारिख को इसका निर्धारण किया जाता है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि के साथ निवलित किया जाता है।

(v) मध्यवर्ती के रूप में किए गए कारोबार पर कमीशन/दलाली का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है।

(vi) निवेशों पर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश पर लाभांश आय उनकी घोषणा के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(iii) Treasury Bills held on the balance sheet date are valued at carrying cost or market value whichever is lower. The market value of Treasury Bills held on the Balance Sheet date is determined as per the rates provided by Clearing Corporation of India Limited. The Certificate of Deposits, and Commercial Papers held on the balance sheet date, are valued at carrying cost as explained in 1.6 below.

(iv) The market value of Central Government Dated Securities is determined as per the rates provided by Fixed Income and Money Market Dealers Association (FIMMDA).

1.5 Payments to and Provision for Employees

Payments made to parent organization viz., Corporation Bank's staff, towards emoluments/provident funds of their employees/officials, whose services are lent to the Company on deputation basis, are regarded as Company's costs.

1.6 Revenue Recognition

(i) The difference between the acquisition cost and maturity value of Certificate of Deposits, Commercial papers and Treasury Bills is apportioned on time basis and effective discount/interest on these securities pertaining to the accounting period is recognized as income. The discount/interest accrued till acquisition is included in the acquisition cost and regarded as the carrying cost.

(ii) Interest accrued on Dated Government Securities is recognized at its coupon rate.

(iii) Purchase and sale price of fixed income securities is bifurcated into cost and accrued interest paid or realized. Amount paid as interest accrued on purchase and received on sale of fixed income securities (Broken period interest) is netted and reckoned as income/expense.

(iv) Profit/loss on sale of securities is accounted on Weighted Average Price Method (WAP) and is recognized on settlement date. Profit on sale of securities is netted with loss on sale of Securities.

(v) Commission/brokerage on the business done as intermediaries is recognised on accrual basis.

(vi) Interest on investments is recognised on accrual basis. Dividend income on investments in the Units of Mutual Funds is recognised on the basis of declaration of the same.

1.7 कराधान

(i) चालू कर का प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार चालू लेखांकन वर्ष हेतु अनुमानित कर-योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

(ii) वर्ष के कर लाभ एवं बही लाभ के समयान्तर हेतु आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख को विद्यमान कर दर तथा अधिनियमित या तत्वतः अधिनियमित विधियों का प्रयोग करते हुए की जाती है। समायान्तर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण इस सीमा तक किया जाता है जितना कि भविष्य में उक्त आस्तियों की वसूली की निश्चितता हो और हर तुलन पत्र की तारीख को उनके संबंधित मूल्यों की उपयुक्तता की समीक्षा की जाती है।

1.8 आस्तियों की क्षति

आंतरिक /बाह्य घटकों के आधार पर किसी क्षति के संकेत की दृष्टि से आस्तियों की निहित राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है। जहाँ कहीं निहित राशि उसकी वसूली-योग्य राशि से अधिक हो जाती है, क्षतिगत हानि निर्धारित की जाती है। ऐसी किसी क्षतिगत हानि को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित करने हेतु निर्धारित किया जाता है। जब किसी पूर्व निर्धारित क्षतिगत हानि की मौजूदगी खत्म हो जाती है, उसे प्रत्यावर्तित किया जाता है और उस हद तक पुनर्निर्धारित किया जाता है।

1.9 प्रावधान एवं आकस्मिक देयता

विगत की किसी घटना के कारण जब वर्तमान में कोई दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों को बहिर्गमन अपेक्षित हो और उक्त दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो कंपनी इसके लिए प्रावधान करती है। आकस्मिक देयता का प्रकटन तब किया जाता है जब ऐसा कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिर्गमन अपेक्षित न हो। जहाँ ऐसा कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना नगण्य है, वहाँ कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

1.7 Taxation

(i) Provision for current tax is made on the basis of estimated taxable income for the current accounting year in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

(ii) Deferred Tax for timing differences between tax profit & book profit for the year is accounted for using the tax rate & laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date. Deferred Tax assets arising from timing differences are recognised to the extent there is a virtual certainity that these assets would be realised in future and reviewed for the appropriateness of their respective carrying values at each Balance Sheet date.

1.8 Impairment of Assets

The carrying amount of assets is reviewed at each balance sheet date for indications of any impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of the assets exceeds its recoverable amount. Any such impairment loss is recognised by charging it to the profit and loss account. A previously recognised impairment loss is reversed when it ceases to exist and the asset is restated to that effect.

1.9 Provision & Contingent Liability

The Company creates a provision when there is a present obligaiton as a result of a past event that probably requires an outflow of resourses and a realiable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for contingent liability is made when there is possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require and outflow of resourses. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote no provision or disclosure is made.

लेखों की टिप्पणियाँ NOTES TO ACCOUNTS

2 शेयर पूँजी SHARE CAPITAL

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा As at March 31, 2014	यथा As at March 31, 2013
प्राधिकृत Authorized		
12,50,00,000 ईक्विटी शेयर, ₹10/- सम मूल्य के 12,50,00,000 Equity shares, ₹10/- par value (गत वर्ष 12,50,00,000 इक्विटी शेयर ₹10/- सम मूल्य के) (Previous Year 12,50,00,000 equity shares ₹ 10/- par value)	**1,250,000**	1,250,000
	1,250,000	1,250,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त **Issued, Subscribed and Paid Up**		
7,50,00,000 ईक्विटी शेयर, ₹10/- सम मूल्य के, पूर्णतः प्रदत्त 7,50,00,000 Equity shares, ₹10/- par value, fully paid up (7,50,00,000 शेयर धारक कंपनी कार्पोरेशन बैंक और उसके नामितियों द्वारा धारित) (7,50,00,000 Shares held by Holding Company Corporation Bank and its Nominees)	**750,000**	750,000
	750,000	750,000

टिप्पणी सं. 2.1: 31.3.2014 और 31.3.2013 को बकाया शेयरों का समाधान यहां नीचे प्रस्तुत है:
Note No. 2.1 : The reconciliation of the number of shares outstanding as at 31.3.2014 and 31.3.2013 is set out below :

विवरण Particulars	31 मार्च, 2014 को As at March 31, 2014	31 मार्च, 2013 को As at March 31, 2013
आरंभ में शेयरों की संख्या Number of shares at the beginning	**75,000,000**	75,000,000
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर Add: Shares issued during the year	–	–
घटाएं: वापस खरीदे गए शेयर (अगर कोई हो तो) Less : Shares bought back (if any)	–	–
अंत में शेयरों की संख्या Number of Shares at the end	**75,000,000**	75,000,000

टिप्पणी सं. 2.2 : 31.3.2014 और 31.3.2013 को 5% शेयरों से अधिक धारित करने वाले शेयरधारकों के ब्योरे नीचे प्रस्तुत है :
Note No. 2.2 : The details of shareholders holding more than 5% shares as at 31.3.2014 and 31.3.2013 is set out below :

शेयरधारकों के नाम Name of the Shareholders	धारित शेयरों की सं. No. of shares held	31 मार्च, 2014 को धारित As at March 31, 2014	धारित शेयरों की सं. No. of shares held	31 मार्च, 2013 को धारित As at March 31, 2013
कार्पोरेशन बैंक (धारक कंपनी) और उसके नामिती Corporation Bank (Holding Company) and its Nominees	**75,000,000**	**100%**	75,000,000	100%

टिप्पणी सं. 2.3 : कंपनी ने वर्ष 2008-09 में 2,50,00,000 इक्विटी शेयर वापस खरीदकर उनको समाप्त कर दिया।
Note No. 2.3 : In the year 2008-09 the company bought back and extinguished 2,50,00,000 Equity Shares.

टिप्पणी सं 2.4 : Note No 2.4 :

अंतिम लाभांश: ₹1 की प्रति शेयर लाभांश रकम (पिछले वर्ष ₹ शून्य), 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में इक्विटी शेयरधारकों में संवितरित करने का प्रस्ताव है। कुल लाभांश रकम होगी ₹ 8,77,46 (पिछले वर्ष ₹ शून्य) {₹1,27,46 के लाभांश संवितरण कर सहित (पिछले वर्ष ₹ शून्य)}

Final Dividend : The amount of dividend per share of ₹1 (Previous year ₹Nil) has been proposed to be distributed to Equity Shareholders for the year ended 31.03.2014. The total amount of dividend shall be ₹ 8,77,46 (Previous year ₹ Nil) {Including Dividend Distribution Tax ₹1,27,46 (Previous year ₹Nil)}.

अंतरिम लाभांश: वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को प्रति शेयर ₹ शून्य की दर से अंतरिम लाभांश दिया गया (पिछले वर्ष ₹4 प्रति शेयर)। कुल मिलाकर ₹ शून्य का अंतरिम लाभांश अदा किया गया (पिछले वर्ष ₹ 34,86,67) { ₹ शून्य के लाभांश संवितरण कर सहित (गत वर्ष ₹ 4,86,67)}

Interim Dividend : Interim Dividend paid during the period @ ₹ Nil per share (Previous year ₹ 4 per share) to Equity Share holders. The total Interim Dividend paid was ₹ Nil (Previous year ₹ 34,86,67) {Including Dividend Distrubition Tax ₹ Nil (Previous year ₹ 4,86,67)}.

3 आरक्षित निधियाँ व अधिशेष RESERVES & SURPLUS

विवरण Particulars			यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014		यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013
पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve					
प्रारंभिक शेष Opening Balance	क/A		**250,000**		250,000
सामान्य आरक्षित निधि General Reserve					
प्रारंभिक शेष Opening Balance			**8,568**		–
जोड़ें: अधिशेष से अंतरण Add: Transferred from surplus			**–**		8,568
	ख/B		**8,568**		8,568
अधिशेष–प्रारंभिक शेष Surplus – Opening balance			**109,609**		381,169
जोडें: लाभ–हानि विवरण से कर का अंतरण करने के बाद निवल लाभ Add: Net profit after tax transferred from Statement of Profit & Loss			**67,673**		85,675
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि Amount available for appropriation			**177,282**		466,844
घटाएं : विनियोजन Less : Appropriations					
अंतिम लाभांश Final Dividend		**75,000**		–	
अंतरिम लाभांश Interim Dividend		**–**		300,000	
कुल लाभांश Total Dividend		**75,000**		300,000	
लाभांश संवितरण कर Dividend Distribution Tax		**12,746**		48,667	
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित राशि Amount transferred to General Reserve		**–**	**87,746**	8,568	357,235
अधिशेष अंतिम शेष Surplus Closing Balance	ग/C		**89,536**		109,609
कुल आरक्षित निधि और अधिशेष Total Reserves & Surplus (क+ख+ग/A+B+C)			**348,104**		368,177

4 व्यापार देनदारियाँ TRADE PAYABLES

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013
व्ययों हेतु विविध लेनदार (देखें टिप्पणी सं. 4.1) Sundry Creditors For Expenses (Refer Note No. 4.1)	**109**	89
	109	89

टिप्पणी सं. 4.1

कंपनी को माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत हैसियत के संबंध में वेंडरों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त/देय ब्याज के साथ वर्षांत तक अदत्त राशियों से संबंधित प्रकटन नहीं दिए गए है। लेखा परीक्षक इसी पर निर्भर हैं।

Note No. 4.1 :

The Company has not received information from vendors regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/payable under this Act, have not been given. The same has been relied upon by the Auditors.

5 अन्य चालू देयताएं OTHER CURRENT LIABILITIES

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013
अन्य देयताएं Other payables		
सांविधिक देयताएं Statutory Liabilities	**48**	56
	48	56

6 अल्पावधि प्रावधान SHORT TERM PROVISIONS

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013
अन्य Others		
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend	**75,000**	–
लाभांश संवितरण कर Dividend Distribution Tax	**12,746**	–
	87,746	–

7 स्थिर आस्तियाँ FIXED ASSETS

(₹ हज़ारों में/ ₹ in thousands)

विवरण Particulars	सकल खंड Gross Block				मूल्यह्रास/परिशोधन Depreciation/Amortisation				निवल खंड Net Block	
	यथा As at 31.03.2013	परिवर्धन Additions	वर्ष के दौरान कटौती Deduction During the year	**यथा As At 31.03.2014**	31.03.2013 तक up to 31.03.2013	वर्ष हेतु मूल्यह्रास Depreciation For the year	वर्ष के दौरान कटौती Deduction During the year	**यथा As at 31.03.2014**	**यथा As at 31.03.2014**	यथा As at 31.03.2013
मूर्त आस्तियाँ TANGIBLE ASSETS :										
फर्नीचर और जुड़नार Furniture & Fixtures	646	–	–	**646**	588	10	–	**598**	**48**	58
वाहन Vehicles	330	–	–	**330**	205	32	–	**237**	**93**	125
कार्यालय उपकरण Office Equipment	227	–	–	**227**	187	6	–	**193**	**34**	40
कंप्यूटर Computer	3,888	–	–	**3,888**	3,876	5	–	**3,881**	**7**	12
विद्युत संस्थापन Electrical Installations	404	–	–	**404**	370	5	–	**375**	**29**	34
कुल Total	**5,495**	**–**	**–**	**5,495**	**5,226**	**58**	**–**	**5,284**	**211**	**269**
(गत वर्ष) (Previous year)	5,495	–	–	**5495**	5,150	76	–	**5,226**	**269**	345
अमूर्त आस्तियाँ INTANGIBLE ASSETS :										
कंप्यूटर साफ्टवेयर Computer Software	–	17	–	**17**	–	4	–	**4**	**13**	–
(गत वर्ष) (Previous year)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल Total	–	**17**	–	**17**	–	**4**	–	**4**	**13**	–
(गत वर्ष) (Previous year)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

नोट: गत वर्ष के आंकडे, कोष्ठकों में दर्शाए हैं। **Note :** Previous year figures are as shown in the bracket.

8 गैर चालू निवेश NON-CURRENT INVESTMENT

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	अंकित मूल्य Face Value	मात्रा Qty.	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014 राशि (₹) Amount ₹	यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013 राशि (₹) Amount ₹
कोट न किए गए Unquoted				
ईक्विटी लिखतों में In Equity Instruments				
क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Clearing Corporation of India Limited	10	500,000	**5,000**	5,000
कोट न किए गए निवेशों का कुल मूल्य Total Value of Unquoted Investments			**5,000**	5,000
दीर्घावधि निवेशों का योग Total of Long Term Investments			**5,000**	5,000
घटाएं : निवेशों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान Less : Provision for Diminution in the value of Investment			–	–
निवेश का निवल मूल्य Net Value of Investment			**5,000**	5,000

9 आस्थगित कर आस्तियाँ DEFERRED TAX ASSETS

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013
आगे ले आई गई हानियों के कारण (देखें टिप्पणी सं. 8.1) On account of brought forward Losses (Refer Note No. 8.1)	–	5,371
बहियों और आय कर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास में अंतर के कारण On account of Difference in Depreciation as per books and as per Income Tax Act	**99**	107
	99	5,478

टिप्पणी सं 8.1

आय कर विधियों के अनुसार कंपनी की वर्ष 2008-09 के लिए अनवशोषित कारोबार हानि है। कंपनी के प्रबंधन ने वर्षांत को स्थिति की समीक्षा की है और आस्थगित कर आस्ति का प्रावधान नहीं किया गया है चूँकि निकट भविष्य में दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ की उम्मीद नहीं है। तदनुसार, लेखा मानक 22 – आय पर करों का लेखांकन के अनुसार कंपनी ने अनवशोषित दीर्घावधि पूंजीगत हानि पर आस्थगित कर निर्धारित नहीं किया है।

Note No 8.1 :

The Company has unabsorbed Long term capital loss for FY 2008-09 as per Income tax laws. The management of the Company has reviewed the position at the year end and the deferred tax asset has not been provided since it does not foresee any long term capital gain in the near future. Accordingly, as per Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income, the company has not recognised deferred tax on unabsorbed long term capital loss.

10 दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम LONG TERM LOANS & ADVANCES

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013
(अप्रतिभूत, अन्यथा न बताए जाने पर शोध्य माने गए) (Unsecured, considered good unless stated otherwise)		
विविध जमाराशियाँ Sundry Deposits	**160**	–
अन्य ऋण एवं अग्रिम Other Loans & Advances		
पूर्वदत्त व्यय Prepaid Expense	**36**	119
न्यूनतम वैकल्पिक कर जमा Minimum Alternate Tax Credit	**66,291**	73,155
	66,487	73,274

11 इनवेंटरी INVENTORIES

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013
जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**730,330**	949,433
	730,330	949,433

12 नकदी एवं बैंक शेष राशि CASH & BANK BALANCES

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013
नकदी एवं नकदी समतुल्य CASH & CASH EQUIVALENTS		
बैंकों में शेष Balance with Banks		
- चालू खाते में In Current account	**539**	564
- उन जमा खातों में जिनकी परिपक्वता अवधि 12 महीनों से कम हो In Deposit account having maturity below 12 months	**370,000**	69,500
हस्तगत नकदी Cash In Hand	**3**	1
	370,542	70,065

13 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम SHORT TERM LOANS & ADVANCES

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013
(अप्रतिभूत, अन्यथा न बताए जाने पर शोध्य माने गए) (Unsecured, considered good unless stated otherwise)		
अन्य Others		
पूर्वदत्त व्यय Prepaid Expenses	**146**	87
सेवाप्रदाता को अग्रिम Advance to Service Provider	**89**	–
अग्रिम आय कर Advance Income Tax	**1,906**	1,294
कर ₹945,17 हेतु निवल प्रावधान (गत वर्ष ₹ 748,22) (Net of Provision for Tax ₹945,17 (Previous Year ₹748,22)		
विविध जमा Sundry Deposit	**40**	–
	2,181	1,381

14 अन्य चालू आस्तियाँ OTHER CURRENT ASSETS

(₹ हज़ारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च, 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च, 2013 As at March 31, 2013
(अप्रतिभूत, अन्यथा न बताए जाने पर शोध्य माने गए) (Unsecured, considered good unless stated otherwise)		
प्राप्य ब्याज Interest Receivable	**4,860**	6,122
प्राप्य कमीशन Commission receivable	**293**	279
जमा प्रमाणपत्रों पर उपचित बट्टा Accrued Discount on Certificate of Deposits	**5,991**	7,021
	11,144	13,422

15 परिचालन से राजस्व REVENUE FROM OPERATION

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2013-14	गत वर्ष Previous Year 2012-13
जमा प्रमाणपत्रों में लेन-देन (देखें टिप्पणी सं 14.1) **Trading in Certificate of Deposits (Refer Note No. 14.1)**		
प्रारंभिक स्टॉक Opening Stock	**949,433**	1,247,896
जमा प्रमाणपत्र खोलने पर उपचित बट्टा Discount Accrued on opening Certificate of Deposits	**7,021**	16,753
क्रय Purchases	**1,925,109**	1,177,241
क A	**2,881,563**	2,441,890
घटाएं: बिक्री/मोचन Less: Sales/Redemption	**2,233,160**	1,598,654
जमा प्रमाणपत्र पर उपचित बट्टा Discount Accrued on Certificate of Deposits	**5,991**	7,021
अंतिम स्टॉक Closing Stock	**730,330**	949,433
ख B	**2,969,481**	2,555,108
ख-क B-A	**87,918**	113,218
ट्रेजरी बिलों में ट्रेडिंग (देखें टिप्पणी सं. 14.1) Trading in Treasury Bills (Refer Note No. 14.1)		
प्रारंभिक स्टॉक Opening Stock	–	–
ट्रेज़री बिल खोलने पर उपचित बट्टा Discount Accrued on opening Treasury Bills	–	–
क्रय Purchases	**173,701**	–
क A	**173,701**	–
घटाएं: बिक्री/मोचन Less: Sales/Redemption	**175,620**	–
ट्रेजरी बिलों पर उपचित बट्टा Discount Accrued on Treasury Bills	–	–
अंतिम स्टॉक Closing Stock	–	–
ख B	**175,620**	–
ख-क B-A	**1,919**	–
म्यूचुअल फंड के संवितरण पर कमीशन/दलाली Commission/Brokerage on Distribution of Mutual Fund	**3,598**	5,878
	93,435	119,096

टिप्पणी सं 14.1 :
जमा प्रमाणपत्रों पर बट्टा अर्जित करने के उद्देश्य से जमा प्रमाणपत्रों को खरीदा और बेचा/मोचित किया जाता है। इसका उद्देश्य मात्र बट्टा अर्जन होता है, जिस वजह से उसे उपर्युक्तानुसार लागत रहित दर्शाया गया है।

Note No 14.1 :
Certificate of deposits & Treasury Bills are purchased and sold/redeemed with a view to earn discount on the same. In substance it is to earn discount only, due to the same, it has been shown as net of cost as above.

16 अन्य आय OTHER INCOME

(₹ हजारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2013-14	गत वर्ष Previous Year 2012-13
सावधि जमाराशियों पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Fixed Deposits	**8,067**	17,994
दीर्घावधि निवेशों पर प्राप्त लाभांश Dividend Received on Long Term Investments	**750**	750
अल्पावधि निवेशों पर प्राप्त लाभांश Dividend Received on Short Term Investments	**451**	182
विविध आय Miscellaneous Income	**218**	29
	9,486	18,955

17 कर्मचारी हितलाभ व्यय EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2013-14	गत वर्ष Previous Year 2012-13
वेतन एवं मज़दूरी (देखें टिप्पणी सं 16.1) Salaries & Wages (Refer Note No. 16.1)	**1,613**	2,170
भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान (देखें टिप्पणी सं 16.1) Contribution to Provident and other funds (Refer Note No. 16.1)	**77**	97
स्टाफ कल्याण पर व्यय Staff Welfare Expenses	**79**	76
	1,769	2,343

टिप्पणी सं 16.1 :
वेतन एवं मज़दूरी में शामिल है ₹1,076 (गत वर्ष ₹1,340) का निदेशक का पारिश्रमिक।

Note No. 16.1 :
Salaries & Wages includes Director's Remuneration of ₹1,076 (Previous Year ₹1,340)

18 अन्य व्यय OTHER EXPENSES

(₹ हजारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars		चालू वर्ष Current Year 2013-14		गत वर्ष Previous Year 2012-13	
किराया Rent			**100**		100
मरम्मत एवं रख-रखाव-अन्य Repairs & Maintenance - Others			**51**		45
बीमा Insurance			**6**		37
निदेशकों का बैठक शुल्क Directors Sitting fees			**129**		96
लेखा-परीक्षक को भुगतान Payment to Auditor					
लेखा-परीक्षा शुल्क Audit Fees	**50**		40		
कर लेखा-परीक्षा शुल्क Tax Audit Fees	**25**		20		
सेवा कर Service tax	**9**	**84**	7	67	
बट्टे खाते लिखी गई विविध शेष राशि Sundry balance Written off			**–**		20
ए.सी. किराया प्रभार A.C. Hiring Charges			**48**		48
एएमसी एवं डीपी प्रभार AMC & DP Charges			**79**		11
एसोसिएशन सदस्यता शुल्क Association Membership Fee			**157**		63
बोर्ड/लेखा-परीक्षा समिति/वार्षिक महासभा व्यय Board/Audit Committee/AGM Expenses			**88**		105
परिवहन प्रभार Conveyance Charges			**43**		59
कुरियर/डाक प्रभार Courier/Postage Charges			**83**		81
गत वर्षों में बट्टे खाते लिखी गई राशि के प्रति आय के लिए किया गया अतिशय प्रावधान Excess provision of Income for Earlier Years Written Off			**–**		617
बिजली प्रभार Electricity Charges			**19**		26
मोटर कार रख-रखाव Motor Car Maintenance			**264**		208
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं Newspaper & Periodicals			**10**		7
एनएसई सदस्यता/दलाली कारोबार व्यय NSE Membership/ Broking Biz Expenses			**77**		7
मुद्रण एवं लेखन सामग्री Printing & Stationery			**60**		49
व्यावसायिक एवं विधिक शुल्क Professional & Legal fees			**36**		139
आर ओ सी दर्ज करने संबंधी प्रभार R O C Filing charges			**3**		9
कर और निर्धारण Taxes & Assessment			**10**		–
टेलिफोन प्रभार Telephone Charges			**83**		67
सत्कार व्यय Entertainment Expenses			**9**		22
विविध व्यय Miscellaneous Expenses			**40**		54
			1,479		1,937

19 प्रति शेयर अर्जन EARNING PER SHARE

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2013-14	गत वर्ष Previous Year 2012-13
(क/A) ईक्विटी शेयरधारकों को नियोज्य लाभ Profit attributable to Equity Shareholders	**67,673**	85,675
(ख/B) वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या No. of Equity Share outstanding during the year	**75,000,000**	75,000,000
(ग/C) प्रत्येक ईक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) Face Value of each Equity Share (₹)	**10**	10
(घ/D) प्रति शेयर मूल एवं तनूकृत अर्जन (₹) Basic & Diluted earning per Share (₹)	**0.90**	1.14

20 कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है और मार्च 2007 तक प्राथमिक डीलर के रूप में कार्य करती रही। उसके प्राथमिक डीलरशिप क्रियाकलाप को समाप्त करने के बाद कंपनी एनबीएफसी नहीं रही और तदनुसार भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45-आइ (6) के अंतर्गत वर्ष 2007 में पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया गया था। कंपनी ने म्युचुअल फंड उत्पादों का संवितरण शुरू किया। इसके अलावा, कंपनी अपने कारोबारी क्रियाकलाप के तहत जमा प्रमाणपत्रों, केन्द्र सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेज़री बिलों सहित अनुमोदित लिखतों में लेन-देन के द्वारा अपनी निधियों का विनियोग करती रही। कंपनी को ईक्विटी ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने के लिए अपेक्षित विनियामक अनुमोदन और कनेक्टिविटी प्राप्त हुआ है और कारोबार शुरू करने के लिए कदम उठा रही है।

20 The Company, registered as a Non-Banking Financial Company (NBFC) with Reserve Bank of India had been functioning as Primary Dealer till March 2007. Further to the discontinuation of its Primary Dealership activity, the Company had ceased to be the NBFC and accordingly the Certificate of Registration under Section 45-IA (6) of the RBI Act, 1934 was cancelled in the year 2007. The Company started the distribution of Mutual Fund products. Besides, the Company has been deploying its funds by way of trading in approved instruments including Certificate of Deposits, Central Govt. Securities and Treasury Bills as part of its business activity. The Company has secured the requisite regulatory approvals for commencement of equity broking business and the connectivity and is taking forward to activate the business.

21 कंपनी के सभी कर्मचारी कार्पोरेशन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और बैंक की कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं और बैंक की पेंशन निधि के भी सदस्य हैं, इन दोनों को आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आने वाले न्यास के रूप में मान्यता-प्राप्त है। पेंशन निधि के संबंध में, पेंशन विकल्पदाताओं के वेतन से 10% के मासिक अंशदान के अलावा बैंक, पेंशन देयताओं की देयताओं की पूर्ति हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर एकमुश्त रूप से निधि में अंशदान करता है। सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान कार्पोरेशन बैंक द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार, उपचय आधार पर छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान कार्पोरेशन बैंक द्वारा क्या जाता है।

21 All the employees of the Company are on deputation from Corporation Bank and are the members of Bank's Staff Provident Fund and also the members of Bank's Pension Fund, both are recognised as Trusts coming under Income Tax Act, 1961. In regard to Pension Fund, apart from the monthly contribution of 10% of the salary of pension optees, the Bank contributes to the Fund in lumpsum, based on the actuarial valuation to meet the pension liabilities. The provision for retirement benefits is made by Corporation Bank. Similarly provision for Leave Encashment and Gratuity on accrual basis is made by Corporation Bank.

22 **प्रखंड रिपार्टिंग:** कंपनी अपना कारोबार मुख्यतः भारत की क्षेत्रीय परिधि के अंदर करती रही है। तदनुसार, वित्तीय विवरण भौगोलिक प्रखंड के आधार पर प्रखंडीय सूचना का प्राथमिक आधार संलग्न लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के अनुसार है जिसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस-17) 'प्रखंड रिपोर्टिंग' के अधीन यथा अपेक्षित सभी प्राथमिक प्रकटन जैसे प्रखंड राजस्व, प्रखंड परिणाम, प्रखंड आस्तियाँ, प्रखंड देयताएं आदि दिए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी दो अलग-अलग कारोबार क्रियाकलापों अर्थात् 1. म्युचुअल फंड उत्पादों के संवितरण और 2. जमा प्रमाणपत्रों, ट्रेज़री बिल और दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन में लगी है। अतः उपर्युक्त दो कारोबार प्रखंडों पर आधारित गौण प्रखंडीय रिपोर्टिंग निम्नमत् है:

22 **Segment Reporting:** The Company has been predominantly carrying on its business within the territorial limits of India. Accordingly, the primary basis of segmental information on the basis of geographical segment in the financial statement is as per the attached Profit and Loss account and Balance Sheet that give all the necessary primary disclosures such as Segment Revenue, Segment Result, Segment Assets, Segment Liabilities, etc., as required under Accounting Standard (AS-17) "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Further the Company is engaged in the business of two separate business activities, viz. 1. Distribution of Mutual Fund Products and 2. Dealing in Certificate of Deposits, Treasury Bills and Dated Govt. Securities. Therefore, the primary segmental reporting based on the above mentioned two business segments is as under:

प्राथमिक कारोबार प्रखंड से संबंधित सूचना Information about Primary business segment

(₹ हजारों में ₹ in thousands)

विवरण Particulars	2013-14				2012-13			
	प्रखंड Segments		अनाबंटित Unallocated	कुल Total	प्रखंड Segments		अनाबंटित Unallocated	कुल Total
	म्युचुअल फंड उत्पादों का संवितरण Distribution of Mutual Fund Products	जमा प्रमाणपत्र/ट्रे. बिल/सरकारी प्रतिभूतियों में लेन–देन Dealing in CDs/T.Bills/ Govt. Securities			म्युचुअल फंड उत्पादों का संवितरण Distribution of Mutual Fund Products	जमा प्रमाणपत्र/ट्रे. बिल/सरकारी प्रतिभूतियों में लेन–देन Dealing in CDs/T.Bills/ Govt. Securities		
राजस्व Revenue								
प्रखंड राजस्व Segment Revenue	**3,598**	**89,837**	**–**	**93,435**	5,878	113,218	–	119,096
परिणाम Result								
प्रखंड परिणाम Segment Results	**3,598**	**89,837**	**–**	**93,435**	5,261	113,218	–	118,479
घटाएं: अनाबंटित कार्पोरेट व्यय और अनाबंटित कार्पोरेट आय का निवल Less: Unallocated corporate expenses net of unallocated corporate income	–	–	**–6,176**	**–6,176**	–	–	-15,216	–15,216
घटाएं : असाधारण मदें Less : Extra ordinary items	–	–	–	–	–	–	–	–
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax	**3,598**	**89,837**	**6,176**	**99,611**	5,261	113,218	15,216	133,695
घटाएं: कर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर का निवल) Less: Provision for Tax (Net of Deferred Tax)	–	–	**31,938**	**31,938**	–	–	48,022	48,022
कर उपरांत और पूर्व अवधि समायोजन से पहले लाभ Net Profit After Tax & Before Prior Period Adjustments	**3,598**	**89,837**	**-25,762**	**67,673**	5,261	113,218	-32806	85,673
जोड़ें : पूर्व अवधि कर समायोजन Add : Prior Period Tax Adjustments	–	–	–	–	–	–	2	2
पूर्व अवधि समायोजन के बाद निवल लाभ Net Profit After Prior Period Adjustments	**3,598**	**89,837**	**-25,762**	**67,673**	5,261	113,218	-32,804	85,675
अन्य सूचना Other Information								
प्रखंड आस्तियाँ Segment Assets	–	**730,330**	**455,677**	**1,186,007**	–	949,433	168,889	1,118,322
प्रखंड देयताएं Segment Liabilities	–	–	**87,903**	**87,903**	–	–	145	145
पूँजीगत व्यय Capital Expenditure	–	–	**17**	**17**	–	–	–	–
मूल्यह्रास/परिशोधन Depreciation/ Amortisation	–	–	**62**	**62**	–	–	76	76

23 कंपनी, कार्पोरशन बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। कंपनी का समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण इसके निदेशक मंडल के हाथों में है। कंपनी के प्रबंध निदेशक सहित सभी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वे कार्पोरेशन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। वे कंपनी में पूर्णकालीन कार्य कर रहे हैं।

23 The company is a fully owned subsidiary of Corporation Bank. The overall supervision and control of the company vests with the Board of Directors. All the key managerial personnel including the Whole-time Director & Co. Secretary of the company, who are on the rolls of the company, are on deputation from Corporation Bank. They are working full-time with the company.

24 संबंधित पार्टी प्रकटन

संबंधित पार्टी प्रकटन पर लेखांकन मानक (एएस)-18 के पैरा 9 के अनुसार, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन उद्यम होने के नाते कंपनी के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य उद्यमों के साथ संबंधित पार्टी लेन-देनों और ऐसे उद्यमों के साथ लेन-देनों का प्रकटन करे। अत: कार्पोरेशन बैंक (मूल कंपनी) से लेनदेन प्रकट नहीं किए गए हैं।

24 RELATED PARTY DISCLOSURES

As per Para 9 of the Accounting Standard (AS)-18 on Related Party Disclosures, the company being a state-controlled enterprise is not required to make disclosures of related party transactions with other state controlled enterprises and transactions with such enterprises. Hence, transactions with Corporation Bank (Parent Company) is not disclosed.

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेन-देन के ब्योरे: Details of related party transactions during the year:

संबंधित पार्टियों का नाम Name of Related Parties	संबंध का स्वरूप Nature of Relationship
कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank	धारक कंपनी Holding Company
एन. जयशंकरन N. Jayasankaran	पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव (20 जुलाई, 2012 से-आज की तारीख तक) Whole time Director & Co Secretary (20 July, 2012- Till date)

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन:
Transactions that have taken place during the year with related parties by the Company: (₹ हजारों में ₹ in thousands)

संबंधित पार्टियों का नाम Name of Related Parties	वर्ष के दौरान लेन-देन का स्वरूप Nature of Transaction during the year	2013-2014	2012-2013
एन. जयशंकरन N. Jayasankaran	निदेशक पारिश्रमिक Directors Remuneration	**1,076**	944
एस. एल. गणपति S. L. Ganapathi	निदेशक पारिश्रमिक Directors Remuneration	–	396

25 जहाँ तक क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों में किए गए ₹ 50 लाख निवेश का संबंध है, तुलन-पत्र की तारीख को इसका बाज़ार मूल्य पता नहीं लगाया जा सकता चूँकि ये शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं। तथापि, लागत पर मूल्य लिया गया है और नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट से पता किए अनुसार उक्त निवेश के मूल्य में कोई गिरावट या ह्रास नहीं हुआ है।

26 विविध देनदारों, ऋणों एवं अग्रिमों की शेष राशि, पुष्टीकरण और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो तो उसके अधीन है।

27 जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित तथा पुनःव्यवस्थित किया गया है।

25 As regards the Investment of ₹ 50 lakhs made in Equity Shares of Clearing Corporation of India Limited, market value as on Balance Sheet date is not ascertainable, as the shares are not listed. However, the value is taken at cost and there is no deterioration or depreciation in the value of Investment as ascertained from the latest available annual report.

26 Balances of Sundry Creditors, Loans & Advances are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.

27 Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to make them comparable with those of the current year.

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

संलग्न हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते अतुल सी. भेडा एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं 100758W

मयूर के. शाह
साझेदार
सदस्यता सं. 100886

स्थान : मुंबई
दिनांक : 5 मई, 2014

एस. आर. बंसल	**बी. के. श्रीवास्तव**	**एस. सी. कालिया**
अध्यक्ष	निदेशक	निदेशक
पी. राजाराम कारंत	**एन. जयशंकरन**	
निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव	

For and on behalf of the Board of Directors of CorpBank Securities Limited

As per our report of even date attached
For **ATUL C. BHEDA & CO**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm's Registration No: 100758W

Mayur K. Shah
Partner
Membership No. 100886

Place : Mumbai
Dated : 5th May, 2014

S. R. Bansal	**B. K. Srivastav**	**S. C. Kalia**
Chairman	Director	Director
P. Rajaram Karanth	**N. Jayasankaran**	
Director	Whole-time Director & Company Secretary	

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

निष्पादन विशिष्टताएं PERFORMANCE HIGHLIGHTS

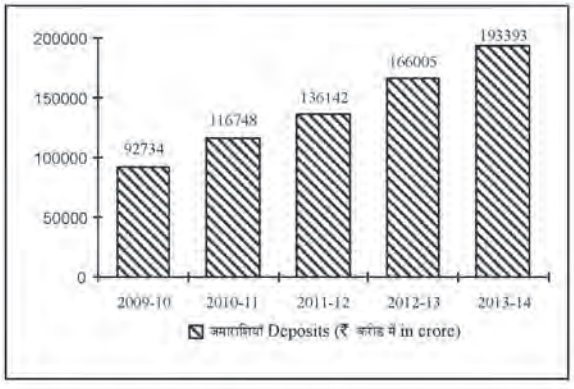

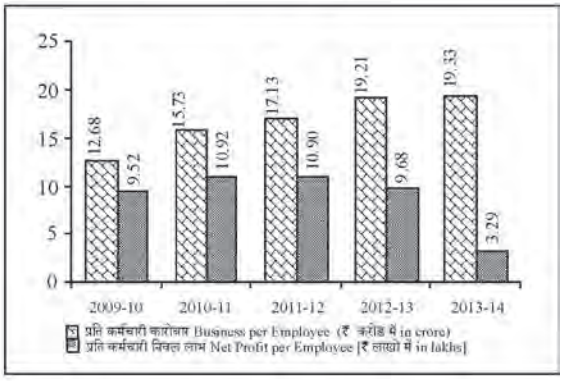

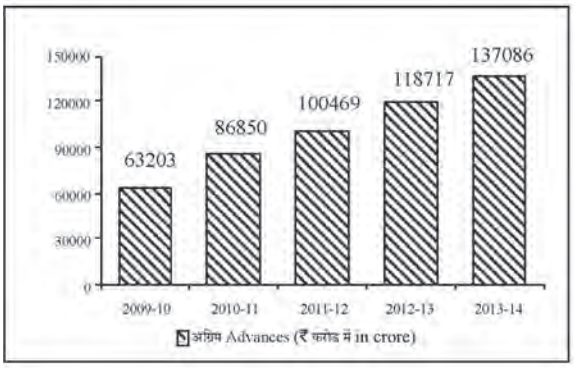

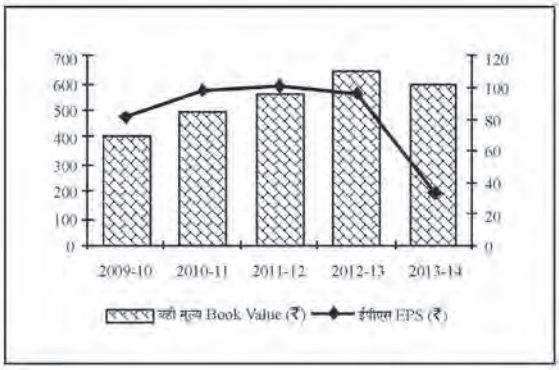

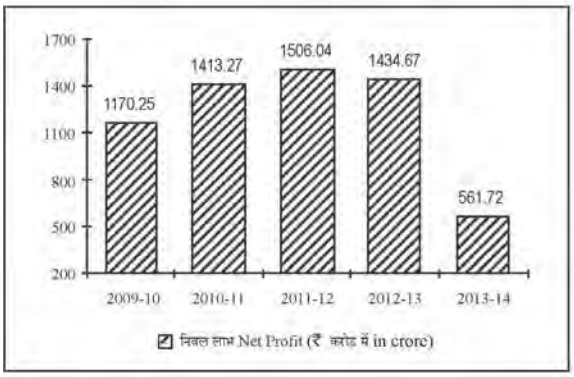

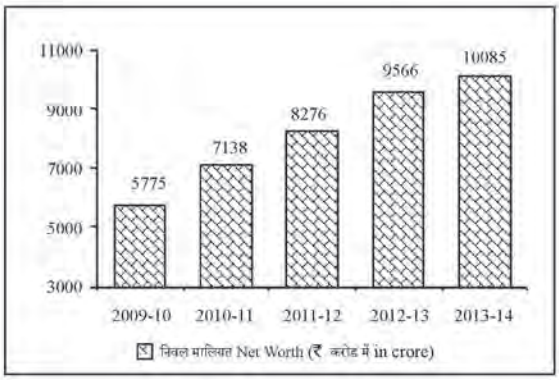

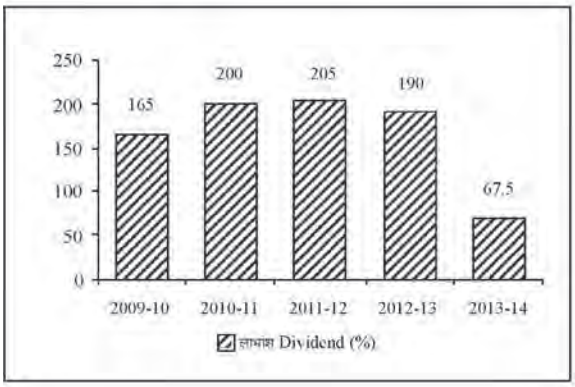

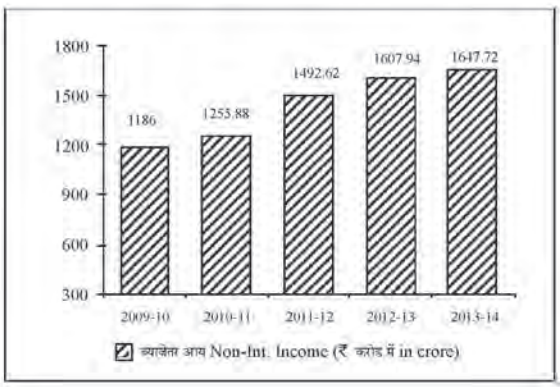

कार्पोरेशन बैंक
नामांकन फार्म
(अकेले या केवल दो व्यक्तियों तक आवेदन करनेवाले व्यक्ति द्वारा भरा जाए)

मैं/हम..... और .....और..... ..... , फोलियो सं. सीबीई ..... के द्वारा कार्पोरेशन बैंक के विशिष्ट सं..... से ..... तक ..... ईक्विटी शेयर के धारक हैं और नामांकन करना चाहते हैं तथा एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को नामांकित करते हैं, जिन्हें मेरी/हमारी मृत्यु होने की स्थिति में उक्त शेयरों के संबंध में अंतरण के सभी अधिकार/देय राशि निहित होगी।

नामांकिती (नामांकितियों) का नाम और पता/पते

नाम .....

पता .....

.....

जन्म की तिथि* .....

.....

(* यदि नामांकिती अवयस्क हो तो प्रस्तुत करें) **नामांकिती के हस्ताक्षर (वैकल्पिक)**

** नामांकिती अवयस्क हैं, उनके अभिभावक हैंः

नाम .....

पता .....

(** यदि लागू नहीं तो काट दें)

धारक(कों) के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरः 1..... 2..... 3.....

नामः 1..... 2..... 3.....

पता .....

दिनांक : ...../...../201

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

नाम और पता

1..... 1.....

2..... 2.....

दिनांकः **दिनांक सहित हस्ताक्षर**

अनुदेशः

1. केवल अपनी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन करनेवाले/शेयर रखनेवाले व्यक्ति ही नामांकन कर सकते हैं। सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी निकाय, भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता, मुख्तारनामा धारक सहित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य नामांकन नहीं कर सकते। अगर शेयर संयुक्त रूप से धारित किए हैं, तो नामांकन फार्म में सभी हस्ताक्षर (बैंक के पास पंजीकृत नमूने के अनुसार) करें।
2. शेयरों के धारक द्वारा किसी अवयस्क को नामांकित किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में धारक द्वारा अभिभावक का नाम और पता भी दिया जाए।
3. नामांकिती कोई ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी निकाय, भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता या मुख्तारनामा धारक न हो। अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामांकिती हो सकता है बशर्ते कि भा.रि.बै. द्वारा दिए गए अनुमोदन को बैंक के पास पंजीकृत करवाया हो।
4. शेयरों का अंतरण होने पर नामांकन निरस्त हो जाएगा।
5. नामांकिती के पक्ष में शेयर का अंतरण कानूनी वारिस के विरुद्ध बैंक का वैध दायित्व-मोचन होगा।
6. नामांकन संबंधी सूचना/नामांकन फार्म बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार/शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में दायर किया जाए, जो उसकी एक प्रति शेयरधारक को लौटाएंगे।

केवल कार्यालय के उपयोग हेतु

नामांकन पंजीकरण सं. ..... **पंजीकरण की तारीखः**.....

टिप्पणीः ..... **जाँचकर्ता और कर्मचारी के हस्ताक्षर :**.....

CORPORATION BANK
NOMINATION FORM

(To be filled in by individual applying singly or jointly, only upto two persons)

I/We_____ and_____and _____ _____ the holder of _____ equity shares bearing Distinctive Nos. from _____to _____ of Corporation Bank vide Folio No. CBE_____ wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable inrespect of shares shall vest in the event of my/ our death.

NAME(S) AND ADDRESS(S) OF NOMINEE(S)

Name _____

Address_____

_____

Date of Birth * _____

_____

(* To be furnished in case the nominee is a minor) **Signature of Nominee (Optional)**

** The nominee is a minor, whose guardian is:

Name : _____

Address: _____

(** To be deleted if not applicable)

Signature(s) of Holders(s)

Signature : 1. _____ 2._____3._____

Name : 1. _____ 2._____3._____

Address : _____

Date : _____/_____/201

Signature of two witnesses
Name and Address

1. _____

2. _____

1. _____

2._____

Date: **Signature with date**

Instructions:

1. The nomination can be made by individuals'only applying/holding shares on their own behalf singly or jointly. Non individuals including society, trust, bodycorporate, partnership firm, karta of Hindu Undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will sign (as per the specimen registered with the Bank) the nomination form.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the Guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu Undivided Family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on a re-patriable basis, provided RBI approval granted is registered with the Bank.
4. Nomination shall stand rescinded upon transfer of share(s).
5. Transfer of share in favour of a nominee shall be a valid discharge by a Bank against the legal heir.
6. The intimation regarding Nomination/Nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE ONLY

Nomination Registration No. _____ **Date of Registration:**_____

Remarks:_____ **Checked by and Signature of Employee:** _____

ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान हेतु ईसीएस/एनईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी अधिदेश फार्म

(कागज़ी रूप में शेयरों के मामले में – शेयर अंतरण एजेन्ट मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि. को भेजें)

(डीमैट शेयरों के मामले में – अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेन्ट को भेजें)

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. पंजीकृत फोलियो सं. : सीबीई .....
   (यदि डीमैट नहीं किया गया)
   (यदि डीमैट किया गया हो) डीपीआईडी सं. ..... ग्राहक आईडी सं. .....
4. बैंक खाते के विवरण
   - क. बैंक का नाम :
   - ख. शाखा का नाम और शहर या स्थान का नाम (पिन कोड) :
   - ग. खाता सं. (चेक बुक में यथा उल्लिखित) :
   - घ. खाते का प्रकार (कृपया टिक करें) : ब.बैं. ☐ चालू ☐ नकद उधार ☐
   - ड. बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर अंकित बैंक एवं शाखा की 9 अंकीय कूट सं. : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
   - च. शाखा का आइएफएससी कूट :
   - छ. संपर्क ब्यौरे: मोबाईल सं..... ई-मेल आईडी.....
5. कूट संख्याओं की परिशुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक पन्ने की एक फोटोप्रति या एक कोरा निरस्त चेक संलग्न करें ।

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिये गये विवरण सही एवं पूर्ण हैं । अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेन-देन विलंबित होता है या सम्पन्न नहीं होता है तो मैं कार्पोरेशन बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी । किसी कारणवश ईसीएस/एनईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा उपलब्ध न होने पर ऊपर उल्लिखित खाता विवरणों को भुगतान लिखत में शामिल किया जाए ।

स्थान :
दिनांक :

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित विवरण हमारे अभिलेख के अनुसार सही हैं।

स्थान :
दिनांक :

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर

टिप्पणी:
1. कृपया सभी कॉलम भरें । अपूर्ण प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
2. यदि यह प्रपत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है तो पुन: देने की आवश्यकता नहीं है ।
3. बैंक से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के स्थान पर शेयरधारक एक कोरा 'निरस्त' चेक या उसकी फोटोप्रति संलग्न कर सकते हैं।

ECS/NECS/RTGS/NEFT MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES

(In case of physical shares – send to Share Transfer Agent, M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.)
(In case of demat shares – send to your Depository Participant)

1. First Shareholder's Name (in Block letters) :

2. Address :

3. Regd. Folio No. : CBE .....
   (If not Dematerialised)

   (If Dematerialised) : Client ID No……..:

   DPID No……..

4. Particulars of Bank Account :

   A. Bank Name :

   B. Branch Name & City or name of Place(Pin code) :

   C. Account No. (as appearing on the Cheque Book) :

   D. Account Type (Please tick) : SB ☐ Current ☐ Cash Credit ☐

   E. 9 Digit MICR code No. of the Bank & Branch As appearing on the MICR cheque issued by the bank : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

   F. IFSC Code of the Branch :

   G. Contact Details : Mobile No……. E-mail id ……..

5. Please attach a photocopy of a cheque leaf or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

DECLARATION

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the Corporation Bank responsible. In case of ECS/NECS/RTGS/NEFT facility not being available for any reason, the account details provided above may be incorporated in the payment instrument.

Place :
Date : Signature of the first shareholder

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place :
Date : Signature of the Manager of the Bank Concerned

Notes: 1. Kindly fill all columns. Incomplete forms shall not be entertained.

2. Please ignore this form, if the same is already submitted.

3. In lieu of the Bank Certificate to be obtained, shareholders can attach a blank 'cancelled' cheque or a photocopy thereof.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूर – 575 001

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई ..... (यदि डीमेट न किया गया हो)
डीपीआईडी सं. ..... ग्राहक आईडी सं. ..... (यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम ....., ... राज्य के ..... जिले के .....का/के निवासी **कार्पोरेशन बैंक** का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा ..... राज्य के .....जिले के निवासी श्री/श्रीमती ..... को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर ..... राज्य के ..... जिले के निवासी श्री/श्रीमती ..... को **गुरुवार, 26 जून, 2014 को, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर** में पूर्वाह्न **10.30** बजे आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की **सत्रहवीं वार्षिक महासभा** में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं ।

..... माह के ..... दिन, 2014 को हस्ताक्षरित।

कृपया पंद्रह पैसे का रसीदी टिकट चिपकाएं

..... प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

..... प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम: .....

पता: .....

.....

.....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह ज़रूरी है कि
   क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
   ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
   ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है, के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मज़िस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार, एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गयी हो ।
3. प्रॉक्सी के साथ
   क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
   ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति सत्रहवीं महासभा प्रारंभ होने की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् **शनिवार, 21 जून, 2014** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् दोपहर **2.00 बजे** तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए ।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए ।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी ।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में प्रदान की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
9. **कार्पोरेशन बैंक** के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह फार्म ''बी'' में न हो ।

Corporation Bank

Head Office : Mangalore – 575 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. CBE ..... (If not Dematerialised)
DPID No. ..... Client ID No. ..... (If Dematerialised)

I/We,.....Resident of .....in the District of ..... in the State of.....being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Shri/Smt. ..... resident of ..... in the district of .....in the State of.....or failing him/her, Shri/Smt.....resident of ..... in the District of ..... in the State of ..... as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Thursday, 26th June, 2014, at 10.30 a.m. at MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALORE and at any adjournment thereof.

Please affix fifteen paise revenue stamp

Signed this ..... day of ..... 2014.

.....
Signature of the Proxy

.....
Signature of the first holder/sole holder

Name : .....

Address : .....

.....

.....

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
   a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
   b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
   c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Corporation Bank.
3. The proxy together with
   a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
   b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Seventeenth Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **2.00 p.m. of Saturday, 21st June, 2014.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

CorpKiran

An Association of Wives of Senior Executives of Corporation Bank under CSR towards underprivileged section of society

श्रीमती सुमित्रा बंसल, अध्यक्ष, कार्प किरण, श्रीमती कंचन दौलतानी, उपाध्यक्ष, कार्प किरण, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों की उपस्थिति में सीएसआर क्रियाकलापों का उद्घाटन करते हुए

Smt. Sumitra Bansal, President, Corp Kiran inaugurating the CSR Activity in the presence of Smt. Kanchan Daultani, Vice President, Corp Kiran, CMD and EDs.

बैंक ने 12 मार्च 2014 को स्थापना दिवस के अवसर पर चार संस्थाओं को "कार्प किरण" के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की

The Bank through "Corp Kiran" extended financial support to four institutions on the occasion of Foundation day on 12th March 2014:

मंगला सेवा समिति ट्रस्ट
Mangala Seva Samithi Trust

व्हाइट डोव्स - पददलितों के लिए गृह
White Doves - running two homes for destitute

नेत्रहीनों के लिए आवासीय स्कूल
Residential school for the blind.

सेंट एग्नेस स्कूल - विशेष बच्चों को शिक्षा देने वाली संस्था
St. Agnes Special School- an institution providing education to special children

Bank's Total Business Crosses

₹3,30,000,00,00,000

Rupees Three Lakh Thirty Thousand Crore

"Teamwork Makes Dream Work"

कार्पोरेट कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001. Corporate Office: Mangaladevi Temple Road, Mangalore - 575 001.
दूरभाष/Telephone: 0824-2426416-20 फैक्स/Fax: 0824-2444617 ई-मेल / e-mail: query@corpbank.co.in वेबसाइट/website: www.corpbank.com

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

FORM A

Covering Letter of the annual audit report to be filed with the stock exchanges

1.	Name of the company :	Corporation Bank
2.	Annual financial statements for the year ended	31st March 2014
3.	Type of Audit Observation	**Emphasis of Matter:** The Emphasis of Matter paragraph has been reported under Para 7 of Audit report as follows: a. Note No. 4.3, schedule 18A to the financial statements, regarding classification, income recognition and provisioning of restructured advances. b. Note No. 2.2, schedule 18B to the financial statements regarding considering the employee benefits, namely, Sick Leave, Casual Leave, Leave Travel Concession and Long Term Awards as non-terminal benefits which hitherto was considered terminal benefits. Accordingly, the provision amounting to Rs.63.62 Crore made in earlier years has been reversed during the year. c. Note No. 2.3, schedule 18B of the financial statements regarding deferment of pension liability to the extent of Rs.110.51crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standards (AS-15), Employee Benefits vide circular no.DBOD.BP.BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits-Prudential Regulatory Treatment.

		d. Note No. 6(a), Schedule 18B to the financial statements, which describes the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36(1) (viii) of the Income Tax Act 1961 as at 31st March 2013 pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013. e. Note No. 6(b), schedule 18B to the financial statements regarding non creation of Deferred Tax Liability of Rs.869 Crores and reversal of Deferred Tax Liability of Rs.191.10 Crores created previously for the reason that the difference in valuation of securities has been considered as permanent difference which was hitherto considered as timing difference.
4.	Frequency of observation	a. Emphasis of Matter reported under para 7 (a) of the Audit report is appearing first time. b. Emphasis of Matter reported under para 7 (b) of the Audit report is appearing first time. c. Emphasis of Matter reported under para 7 (c) of the Audit report is appearing since financial year ended 2010-11 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India vide its circular no. DBOD. BP. BC/80/21.04.018/ 2010-11. d. Emphasis of Matter reported under para 7 (d) of the Audit report is appearing first time pursuant to the RBI circular no. DBOD. No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013.

		e. Emphasis of Matter reported under para 7 (e) of the Audit report is appearing first time.

[C. G. Pinto]
CFO/ General Manager

[S.R.Bansal]
Chairman & Managing Director/ CEO

for Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN-001359N

[S.C. Gupta]
M.No.016534
PARTNER

for B.K. Ramadhyani & Co.
Chartered Accountants
FRN-002878S

[C.R.Deepak]
M.No.215398
PARTNER

for Nripendra & Co.
Chartered Accountants
FRN-000379C

[Rahul Gupta]
M.No.077811
PARTNER

for G.M.J. & Co.
Chartered Accountants
FRN-103429W

[Atul Jain]
M.No.37097
PARTNER

for Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN-001997S

[Murali Mohan]
M.No.203592
PARTNER

[Kawaljit Singh Oberoi]
Director and Chairman of Audit Committee

M/S. SURESH CHANDRA & ASSOCIATES NEW DELHI
M/S. B.K. RAMADHYANI & CO. BANGALORE
M/S. NRIPENDRA & CO. KANPUR
M/S. GMJ & CO. MUMBAI
M/S. MANOHAR CHOWDHRY & ASSOCIATES CHENNAI
वि.प्र. प्रभाग F.M. DIVN.